उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड ८६

सोमवार, १५ जनवरी, सन् १९५१ ई० से
शुक्रवार, १९ जनवरी, सन् १९५१ ई० तक।

मुद्रक
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद
१९५१

मूल्य ।)

विषय-सूची

सोमवार, १५ जनवरी, सन् १९५१ ई०

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१—२
प्रश्नोत्तर	३—४
कानपुर रोडवेज की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव (उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ...	४
वित्तीय वर्ष १९५०—५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान—	
अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन (कमिश्नर और जिला प्रशासन को छोड़कर)—(स्वीकृत) ...	५—१६
अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन (कमिश्नर और जिला प्रशासन)—(स्वीकृत)	१६—१७
अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी बस्तियां—(स्वीकृत)	१७—२४
अनुदान संख्या ९—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य—(स्वीकृत) ...	२४
अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २८—पुलिस तथा अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग—(वाहन विभाग)—(स्वीकृत)	२५—५५
अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक ३७—शिक्षा—(स्वीकृत) ...	५५
अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा—(स्वीकृत) ...	५५
अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य—(स्वीकृत) ...	५६
अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि (कृषि सम्बन्धी विकास ... और खोज)—(स्वीकृत) ...	५६
अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि (कृषि इञ्जीनियरिंग और उपनिवेशन)—(स्वीकृत) ...	५५
अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा—(स्वीकृत) ...	५६
अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—विद्युत् योजनाओं पर ... व्यय—(स्वीकृत)	५६
अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग और ४४—उड्डयन—(स्वीकृत)	५६
अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग (श्रम) (स्वीकृत)	५६
अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य—निर्माण कार्यों पर लागत—(स्वीकृत) ...	५६—५७
अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और	

विषय		पृष्ठ-संख्या
केन्द्रीय सड़क कोष से वित्तीय सहायता—(स्वीकृत)	...	५७
अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य के सहायक अनुदान—(स्वीकृत)	... ...	५७
अनुदान संख्या ३५—क—लेखा शीर्षक ५४—क—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशन—(स्वीकृत)	... ...	५७
अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय—(स्वीकृत)		५७
अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय—(स्वीकृत)	...	५७
अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा—(स्वीकृत)	...	५७
अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८२—राजस्व लेखे के बाहर दूसरे प्रांतीय निर्माण कार्यों का पूँजी लेखा (कृषि इञ्जीनियरिङ्ग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता और पुनर्वासन आदि योजनाओं पर पूँजी की लागत)—(स्वीकृत)	... ...	५८
अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक—द—प्रांतीय सरकार द्वारा दिये गय ऋण और अग्रऋण—(स्वीकृत)	... ...	५८
अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक—श—जमा और अग्रऋण—(स्वीकृत)	... ...	५८
सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक—स्वीकृत	...	५८-६५
नत्थी	... ...	६६

मंगलवार, १६ जनवरी, सन् १९५१ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची	... ...	६७-६८
प्रश्नोत्तर		६९—७०
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक (पारित)	...	७०—७९
सन् १९५० ई० का कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ़ कांस्टीट्यूशन) (कार्यवाही वैधीकरण) विधेयक (पारित)	...	८०—८१
सन् १९५० ई० का यू० पी० मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (निवर्तन) विधेयक (पारित)	... ...	८१—८२
सन् १९५० ई० का मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) विधेयक (पारित)	... ...	८२—८७
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई संबंधी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक (विचार जारी)	... ...	८७—१०२
सन् १९५० ई० का शिक्षा विधेयक (प्रवर समिति की रिपोर्ट मेज पर रखी गयी)	... ...	१०२
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई संबंधी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक (पारित)	... ...	१०३—१३७

विषय पृष्ठ-संख्या

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश कण्ट्रोल आफ़ सप्लाईज़ (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक (पारित) ... ... १३७—१३६
नत्थियां ... ... १४०—१६१

बुधवार, १७ जनवरी, सन् १९५१ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची ... ... १६३—१६४
प्रश्नोत्तर १६५
सन् १६५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक (विचार जारी) ... ... १६५—२२८

बृहस्पतिवार, १८ जनवरी, सन् १६५१ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची ... ... २२९—२३०
प्रश्नोत्तर ... ... २३१—२३३
महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में महामान्य राज्यपाल का धन्यवाद ... २३४
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक (पारित) ... ... २३४—२६१
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कण्ट्रोल आफ़ रेण्ट ऐण्ड एविक्शन (अमेंडमेंट) विधेयक (पुनः संशोधित रूप में पारित) ... २९१—२६२
सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश औषध नियन्त्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने का) विधेयक (पारित) ... २६२—२९४
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कण्ट्रोल आफ रेण्ट ऐण्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक (मेज पर रक्खा गया) ... २९४
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शिक्षा विधेयक (विचार स्थगित) ... २६४
नत्थियां ... ... २९५—२९८

शुक्रवार, १९ जनवरी, सन १६५१ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची ... ... २९९—३०१
प्रश्नोत्तर ... ... ३०१—३०८
कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय झंडे के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव (उपस्थित करने को अनुज्ञा नहीं दी गई) ... ३०८
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कण्ट्रोल आफ रेंट ऐण्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक (पारित) ... ३०८—३३४
सन् १९४७–४८ के विनियोग लेखे और सन् १९४९ ई० की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर विवाद ... ... ३३४—३३९

विषय	पृष्ठ-संख्या
नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मन्त्री के वक्तव्य पर विवाद ...	३३९—३६४
लखनऊ कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, हजरतगंज के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों पर विवाद ...	३६४—३७५
नत्थियां	३७६—३७९

शासन

राज्यपाल

महामान्य श्री हारमसजी पेरोशा मोदी

मंत्रि—परिषद्

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०; एल एल० बी०, मुख्य मंत्री तथा न्याय, सूचना और सामान्य प्रशासन मंत्री।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल एल० बी०, निर्माण मंत्री।

माननीय डा० सम्पूर्णानन्द, बी० एस–सी०, शिक्षा, वित्त तथा श्रम मंत्री।

माननीय श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल एल० बी०, वन तथा माल मंत्री।

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी, बी० ए०, एल एल० बी०, कृषि तथा पशु-पालन मंत्री।

माननीय श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प, जेल तथा मादककर मंत्री।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०, स्वशासन मन्त्री।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

माननीय श्री लाल बहादुर, गृह (पुलिस) तथा परिवहन मन्त्री।

माननीय श्री केशव देव मालवीय, एम० एस सी०, उद्योग तथा विकास मन्त्री।

सभा-सचिव

माननीय मुख्य मन्त्री के सभा—सचिव

१—श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस—सी०, एल—एल० बी०, एम० एल० ए०।

२—श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस सी०, एल एल० बी०, एम० एल० ए०।

३—श्री मङ्गला प्रसाद, एम० एल० ए०।

माननीय निर्माण मन्त्री के सभा—सचिव

१—श्री लताफ़त हुसैन, एम० एल० ए०।

माननीय उद्योग मन्त्री के सभा—सचिव

१—श्री वहीद अहमद, एम० एल० सी०।

माननीय माल मन्त्री तथा कृषि मन्त्री के सभा—सचिव

१—श्री हरगोबिन्द सिंह, एम० एल० सी०।

——

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

अचल सिंह,	...	आगरा नगर
अजित प्रताप सिंह, राजा	...	अवध का ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन
अब्दुल गनी अन्सारी	...	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)
अब्दुल बाकी	...	जिला आजमगढ़ (पूर्व)
अब्दुल मजीद	...	मुरादाबाद—अमरोहा—चन्दौसी नगर
अब्दुल मजीद ख्वाजा	...	अलीगढ़-हाथरस-मथुरा नगर
अब्दुल रऊफ़ ख़ाँ	...	जिला फतेहपुर और बाँदा
अब्दुल वाजिद, श्रीमती	...	मुरादाबाद जिला (उत्तर पूर्व)
अब्दुल हमीद	...	जिला देहरादून और सहारनपुर (पूर्व)
अम्मार अहमद खाँ	...	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)
अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स	...	उत्तर प्रदेशीय भारतीय ईसाई
अलगूराय शास्त्री	...	जिला आजमगढ़ (उत्तर-पूर्व)
अली जर्रार जाफरी	...	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)
अल्फ्रेड धर्मदास	...	उत्तर प्रदेशीय भारतीय ईसाई
असगर अली खाँ	...	जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
अक्षयवर सिंह	...	जिला गोरखपुर (पश्चिम)
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री	...	फर्रुखाबाद-इटावा-झांसी नगर
आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम	....	उत्तर प्रदेशीय ऐंग्लो-इंडियन
इन्द्रदेव त्रिपाठी	...	जिला गाजीपुर (पश्चिम)
इनाम हबीबुल्ला, बेगम	...	लखनऊ नगर
इर्तिजा हुसैन	...	मेरठ-हापुड़-बुलन्दशहर-खुरजा-नगीना नगर
उदयवीर सिंह	...	जिला बस्ती (दक्षिण)
ऐजाज़ रसूल	...	जिला हरदोई
कमलापति तिवारी	...	जिला बनारस (पूर्व)
करीमुर्रजा खाँ	...	बुदायूं—शाहजहाँपुर—सम्भल नगर
कालीचरण टण्डन	...	जिला फर्रुखाबाद (दक्षिण)
किशनचन्द पुरी	...	उत्तर प्रदेशीय चेम्बर आफ कामर्स तथा संयुक्त प्रान्तीय मर्चेन्ट्स चेम्बर
कुंजबिहारी लाल शिवानी	....	जिला झांसी (उत्तर)
कुशलानन्द गैरोला	...	जिला गढ़वाल (उत्तर-पश्चिम)
कृपाशंकर	...	जिला बस्ती (दक्षिण)
कृष्ण चन्द्र	...	जिला मथुरा (पश्चिम)

कृष्ण चन्द्र गुप्त	...	जिला सीतापुर (दक्षिण)
कृष्ण शरण आर्य	...	रामपुर (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)
केशव गुप्त	...	जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व)
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री	...	जिला मिर्जापुर (दक्षिण)
खानचन्द गौतम	....	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)
खुशवक्त राय	...	जिला खीरी (उत्तर-पूर्व)
खुशीराम	...	जिला अल्मोड़ा
खूब सिंह	...	जिला बिजनौर (पूर्व)
गंगाधर	...	जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)
गंगा प्रसाद	...	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)
गंगा सहाय चौबे	...	जिला कानपुर (पश्चिम)
गजाधर प्रसाद	...	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)
गणपति सहाय	...	जिला सुल्तानपुर (मध्य)
गिरधारीलाल, माननीय श्री	...	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)
गुरु नारायण	...	ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन
गोपाल नारायण सक्सेना	...	जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री	....	बरेली-पीली भीत-शाहजहाँपुर-बदायूं नगर
गोविन्द सहाय	...	जिला बिजनौर (पश्चिम)
चतुर्भुज शर्मा	...	जिला जालौन
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री	...	लखनऊ नगर
चन्द्रभानु शरण सिंह	...	जिला गोंडा (दक्षिण)
चरण सिंह	...	जिला मेरठ (दक्षिण-पश्चिम)
चेतराम	...	जिला बाराबंकी (उत्तर)
छेदालाल गुप्त	...	जिला हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
जगन्नाथ दास	...	जिला सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल	...	जिला सीतापुर (पूर्व)
जगन्नाथ सिंह	...	जिला बलिया (उत्तर)
जगप्रसाद रावत	...	जिला आगरा (दक्षिण-पश्चिम)
जगमोहन सिंह नेगी	...	जिला गढ़वाल (दक्षिण-पूर्व)
जफर अहमद	...	जिला सहारनपुर (उत्तर)
जमीलुर्रहमान किदवाई	...	जिला बाराबङ्की
जयकृष्ण श्रीवास्तव	...	अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स
जयपाल सिंह	...	जिला फैजाबाद (पूर्व)
जयराम वर्मा	...	जिला बाराबङ्की (उत्तर)

जवाहर लाल रोहतगी	...	कानपुर नगर
जहूर अहमद	...	इलाहाबाद-झांसी नगर
जाकिर अली	...	आगरा-फर्रुखाबाद-इटावा नगर
जाहिद हसन	...	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पश्चिम)
जुगुल किशोर	...	मथुरा-अलीगढ़-हाथरस नगर
त्रिलोकी सिंह	...	जिला लखनऊ
त्रेपन सिंह	...	टेहरी-गढ़वाल (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)
दयालदास भगत	....	जिला रायबरेली (उत्तर पूर्व)
दाऊदयाल खन्ना	...	जिला मुरादाबाद (पूर्व)
द्वारिका प्रसाद मौर्य	...	जिला जौनपुर (पूर्व)
दीन दयालु अवस्थी	...	जिला इटावा (पश्चिम)
दीन दयालु शर्मा	...	जिला बुलन्दशहर (दक्षिण–पश्चिम)
दीन दयालु शास्त्री	...	सहारनपुर-हरिद्वार-देहरादून-मुजफ्फरनगर
दीप नारायण वर्मा	...	जौनपुर-मिर्जापुर-गाजीपुर-गोरखपुर नगर
नफीसुल हसन, माननीय श्री	...	जिला इटावा और कानपुर
नवाजिश अली खाँ	...	फैजाबाद-सीतापुर-बहराइच नगर
नवाब सिंह चौहान	...	जिला अलीगढ़ (पूर्व)
नाजिम अली	...	जिला सुल्तानपुर
नारायण दास	...	लखनऊ नगर
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री	...	जिला मैनपुरी और एटा
निहालुद्दीन	...	जिला बदायूं (पूर्व)
परागीलाल	...	जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
पुरुषोत्तमदास टन्डन	...	इलाहाबाद नगर
पूर्णमासी	...	जिला गोरखपुर (उत्तर)
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती	...	जिला फर्रुखाबाद (उत्तर)
प्रकाशवती सूद, श्रीमती	...	अवध का ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन
प्रेम किशन खन्ना	...	जिला शाहजहाँपुर (पश्चिम)
प्रेम लाल वैद्य	...	टेहरी गढ़वाल (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)
फ़खरुल इस्लाम	...	जिला जौनपुर और इलाहाबाद (उत्तर-पूर्व)
फजलुर्रहमान खाँ	...	जिला शाहजहाँपुर
फतेह सिंह राणा	...	जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
फूल सिंह	...	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)
बदन सिंह	...	जिला बदायूं (पश्चिम)
बनारसी दास	...	जिला बुलन्दशहर (उत्तर)
बलदेव प्रसाद	...	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)
बशीर अहमद अन्सारी	...	जिला बिजनौर (दक्षिण-पूर्व)
बादशाह गुप्त	...	जिला मैनरी (उत्तर-पूर्व)

बाबू राम वर्मा	...	जिला एटा (उत्तर)
बृजमोहन लाल शास्त्री	...	जिला बरेली (दक्षिण-पश्चिम)
बेचन राम गुप्त	...	बनारस (बिलीन राज्य के नाम-निर्देशित)
ब्रजरानी, श्रीमती	...	जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व)
भगवती प्रसाद दुबे	...	जिला गोरखपुर (दक्षिण-पश्चिम)
भगवती प्रसाद शुक्ल	...	जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम)
भगवानदीन	...	कानपुर नगर
भगवानदीन मिश्र	...	जिला बहराइच (दक्षिण)
भगवान सिंह	...	जिला पीलीभीत (दक्षिण)
भारत सिंह	...	जिला मैनपुरी (दक्षिण-पश्चिम)
भीम सेन	...	जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम)
मंगला प्रसाद	...	जिला रायबरेली (दक्षिण पश्चिम)
मकसूद आलम खाँ	...	बरेली पीलीभीत नगर
मसुरिया दीन	...	इलाहाबाद नगर
महफूजुर्रहमान	...	जिला बहराइच (दक्षिण)
महमूद अली ख़ां	...	देहरादून–हरिद्वार-सहारनपुर–मुजफ्फरनगर नगर
महमूद अली ख़ाँ	...	रामपुर (बिलीन राज्य के नाम-निर्देशित)
मिजाजी लाला	...	जिला मैनपुरी (उत्तर पूर्व)
मुकुन्दलाल अग्रवाल	...	जिला पीलीभीत (उत्तर)
मुख्तार अहमद किदवाई	...	जिला फैजाबाद
मुजफ्फ़र हुसैन	...	लखनऊ नगर
मुहम्मद अदील अब्बासी	....	जिला बस्ती (पश्चिम)
मुहम्मद अब्दुल मुईज खाँ	...	जिला बस्ती (दक्षिण पूर्व)
मुहम्मद असरार अहमद	...	जिला बदायूँ (पश्चिम)
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री	...	जिला गढ़वाल और बिजनौर (उत्तर पश्चिम)
मुहम्मद इस्माईल	...	जिला मुरादाबाद (पूर्व)
मुहम्मद उबेदुर्रहमान खां शेरवानी	...	जिला अलीगढ़
मुहम्मद एवज	...	जिला पीलीभीत
मुहम्मद जमशेद अली खाँ, नवाब	...	जिला मेरठ (पश्चिम)
मुहम्मद नबी, सय्यद	...	जिला मुज़फ्फ़रनगर (पूर्व)
मुहम्मद नजीर	...	जिला बनारस और मिर्जापुर
मुहम्मद फारूक	...	जिला गोरखपुर (पश्चिम)
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती	...	जिला गोरखपुर (पूर्व)
मुहम्मद याकूब	...	जिला गाजीपुर और बलिया
मुहम्मद यूसुफ, नवाब	...	जिला इलाहाबाद (दक्षिण-पश्चिम)
मुहम्मद रजा खाँ	...	जिला बरेली (पूर्व, दक्षिण और पश्चिम)

मुहम्मद शकूर	...	बनारस-मिरजापुर नगर
मुहम्मद शाहिद फाखरी	...	गाजीपुर-जौनपुर-गोरखपुर नगर
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	...	जिला बहराइच (उत्तर)
मुहम्मद सुलेमान अधमी	...	जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व)
यज्ञनारायण उपाध्याय	...	जिला बनारस (पश्चिम)
रघुनाथ विनायक धुलेकर	...	जिला झांसी (दक्षिण)
रघुवंश नारायण सिंह	...	जिला मेरठ (पूर्व)
रघुवीर सहाय	...	जिला बदायूँ (पूर्व)
राघवदास	...	फ़ैजाबाद-बहराइच-सीतापुर नगर
राजकुंवार सिंह	...	आगरा प्रान्त जमींदार ऐसोसियेशन
राजाराम मिश्र	...	जिला फैजाबाद (पश्चिम)
राजाराम शास्त्री	...	कानपुर औद्योगिक-श्रम
राधाकृष्ण अग्रवाल	...	जिला हरदोई (मध्य)
राधा मोहन सिंह	....	जिला बलिया (दक्षिण)
राधेश्याम शर्मा	...	जिला बस्ती (पश्चिम)
रामकुमार शास्त्री	...	जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व)
राम कृपाल सिंह	...	बुलन्दशहर-मेरठ-हापुड़-खुर्जा-नगीना नगर
रामचन्द्र सेहरा	...	आगरा नगर
रामचन्द्र पालीवाल	...	जिला आगरा (उत्तर पूर्व)
राम जी सहाय	...	जिला गोरखपुर (मध्य)
रामधर मिश्र	...	इलाहाबाद, लखनऊ तथा आगरा विश्वविद्यालय
रामधारी पांडे	...	जिला गोरखपुर (उत्तर पूर्व)
राम नन्दन सिंह	...	बनारस (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)
राम नारायण	...	अपर इंण्डिया चेम्बर आफ कामर्स
रामबली	...	जिला सुल्तानपुर (पूर्व)
राममूर्ति	...	जिला बरेली (उत्तर-पूर्व)
राम शङ्कर लाल	...	जिला बस्ती (दक्षिण)
रामशरण	...	मुरादाबाद-अमरोहा-सम्भल-चन्दौसी नगर
राम स्वरूप गुप्त	...	जिला कानपुर (दक्षिण)
रामेश्वर सहाय सिंह	...	जिला हरदोई (दक्षिण-पूर्व)
रुकनुद्दीन खाँ	...	जिला प्रतापगढ़
रोशन जमां खाँ	...	जिला गोंडा (दक्षिण-पश्चिम)
लक्ष्मी देवी, श्रीमती	....	जिला फैजाबाद (पश्चिम)

लताफत हुसैन	...	जिला मुरादाबाद (उत्तर-पश्चिम)
लाखन दास जाटव	...	जिला बदायूँ (पूर्व)
लालबहादुर, माननीय श्री	...	जिला इलाहाबाद (गङ्गापार)
लाल विहारी टंडन	...	जिला गोंडा (पश्चिम)
लीलाधर अष्ठाना	...	जिला उन्नाव (पूर्व)
लुत्फ अली खाँ	...	जिला मेरठ (पूर्व)
लोटन राम	...	जिला जालौन
वन्शगोपाल	...	जिला फतेहपुर (पूर्व)
वंशीधर मिश्र	...	जिला खीरी (दक्षिण-पश्चिम)
विजयानन्द मिश्र	...	जिला मिरज़ापुर (उत्तर)
विद्याधर वाजपेई	...	जिला सुल्तानपुर (पश्चिम)
विद्यावती राठौर, श्रीमती	...	जिला एटा (दक्षिण)
विनय कुमार मुकर्जी	...	लखनऊ-आगरा-अलीगढ़-इलाहाबाद औद्योगिक मिल श्रम
विश्वनाथ प्रसाद	...	जिला मिरज़ापुर (उत्तर)
विश्वनाथ राय	...	जिला गाजीपुर (पूर्व)
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी	...	जिला उन्नाव (पश्चिम)
विष्णु शरण दुब्लिश	...	जिला मेरठ (उत्तर)
वीरबल सिंह	...	जिला जौनपुर (पश्चिम)
वीरेन्द्र शाह, राजा	...	आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन
वेंकटेश नारायण तिवारी	...	जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व)
शङ्कर दत्त शर्मा	...	जिला मुरादाबाद (पश्चिम)
शांति प्रपन्न शर्मा	...	जिला देहरादून
शिव कुमार पांडे	....	जिला इलाहाबाद (दुवाबा)
शिवकुमार मिश्र	...	जिला शाहजहाँपुर (पूर्व)
शिव दयाल उपाध्याय	...	जिला फतेहपुर (पश्चिम)
शिवदान सिंह	...	जिला अलीगढ़ (पश्चिम)
शिव मंगल सिंह	...	जिला मथुरा (पूर्व) और जिला एटा (पश्चिम)
शिव मङ्गल सिंह कपूर	...	जिला आजमगढ़ (दक्षिण)
श्याम लाल वर्मा	...	जिला नैनीताल
श्याम सुन्दर शुक्ल	...	जिला प्रतापगढ़ (पूर्व)
श्यामा चरण बाजपेयी, शास्त्री	....	जिला बांदा (उत्तर)
श्रीचन्द्र सिंघल	..	जिला अलीगढ़ (मध्य)
श्रीपति सहाय	...	जिला हमीरपुर
सज्जन देवी महनोत श्रीमती	...	बनारस नगर

सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर	...	बनारस नगर
सरवत हुसैन	...	जिला मुरादाबाद (उत्तर-पूर्व)
सलीम हामिद खाँ	...	जिला झांसी, जालौन और हमीरपुर
साजिद हुसैन	...	अवध का ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन
सालग्रािम जायसवाल	...	जिला इलाहाबाद (यमुनापार)
सिंहासन सिंह	...	जिला गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
सीताराम अष्ठाना	....	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)
सुदामा प्रसाद	...	जिला गोरखपुर (उत्तर)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह	...	जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)
सुल्तान आलम खाँ	...	जिला फर्रुखाबाद।
सूर्य प्रसाद अवस्थी	...	जिला उन्नाव (दक्षिण)
सईद अहमद	...	जिला नैनीताल, अल्मोड़ा और बरेली (उत्तर)
हबीबुर्रहमान अन्सारी	...	जिला लखनऊ तथा उन्नाव
हबीबुर्रहमान खाँ	...	जिला खीरी
हरगोविन्द पन्त	...	जिला अल्मोड़ा
हर प्रसाद (सत्यप्रेमी)	...	जिला बाराबंकी (दक्षिण)
हर प्रसाद सिंह	...	जिला बांदा (दक्षिण)
हसरत मोहानी	....	कानपुर नगर
हुकुम सिंह, माननीय श्री	...	जिला बहराइच (उत्तर)
होती लाल अग्रवाल	...	जिला इटावा (पूर्व)
हैदर बख्श	...	जिला मथुरा तथा आगरा
(रिक्त)	...	जिला फैजाबाद (पूर्व), सामान्य ग्रामीण
(रिक्त)	...	जिला बुलन्दशहर (पश्चिम) मुस्लिम ग्रामीण
(रिक्त)	...	जिला रायबरेली मुस्लिम ग्रामीण
(रिक्त)	...	ट्रेड यूनियन निर्वाचन क्षेत्र

विधान सभा के अधिकारी

अध्यक्ष

माननीय श्री नफीसुल हसन, एम० ए०, एल एल० बी०

उपाध्यक्ष

श्री हर गोविन्द पन्त, एम० ए०, एल एल० बी०

सचिव

श्री कैलास चन्द्र भटनागर, एम० ए०

सहायक सचिव

श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए०

अधीक्षक

श्री राधे रमण सक्सेना, एम० ए०, एल एल० बी, डी० एल० एस सी०
श्री राम प्रकाश, बी० काम०, एल एल० बी०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १५ जनवरी सन् १९५१ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१४१)

अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अल्फ्रेड अर्मीहाल, श्री
असगर अली खां, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फेन्थम, श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
केशव गुप्त, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
जहूर अहमद, श्री
जाहिद हसन, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीन दयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
परागी लाल, श्री
पूर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयागनारायण, श्री

प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुर्रहमान खां, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचन राम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवान दीन श्री,
भगवान दीन मिश्र, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुकुन्द लाल अग्रवाल, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद उबदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री
मुहम्मद एवज, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय श्री,
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशरण, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टंडन, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोटन राम श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्याधर बाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द सिंघल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सीता राम अष्ठाना, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुदामा प्रसाद, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सईद अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हर प्रसाद सत्य प्रेमी, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

धौलाना ग्राम, जिला मेरठ के मतदाताओं की सूची

†* १--श्री त्रिलोकी सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ग्राम फौलाना, जिला मेरठ की जन-संख्या क्या है ?

श्री चरण सिंह (माननीय मुख्य मंत्री के सभासचिव) --फौलाना नामक कोई ग्राम जिला मेरठ में नहीं है। धौलाना ग्राम अवश्य है जिसकी कुल जन-संख्या ४,१५१ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर धौलाना के संबंध में हैं--

* २--श्री त्रिलोकी सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले चुनाव के समय वहां के कुल मतदाताओं की क्या संख्या थी ?

श्री चरण सिंह--पिछले आम चुनाव में धौलाना के मतदाताओं की संख्या २८३ थी।

*३--श्री त्रिलोकी सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो नई फेहरिस्त नये मतदाताओं की तैयार की गई है उसमें उनकी कितनी संख्या है ?

श्री चरण सिंह--प्रीलिमिनरी (प्रारम्भिक) फेहरिस्त में मतदाताओं की संख्या १,१२३ दी हुई है।

*४--श्री त्रिलोकी सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इस किस्म की शिकायत उसको मिली है कि १,५०० मतदाताओं के नाम जान-बूझ कर छोड़ दिये गये हैं ?

श्री चरण सिंह--जी हां। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि केवल ९७७ मतदाताओं के नाम पटवारी की भूल से छूट गये थे जो अब एलेक्टोरल रोल रूल्स के नियम १२ के अंतर्गत लिख लिए गये हैं।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय सचिव जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार से धौलाना ग्राम में नाम छूट गये हैं उसी तरह से और भी कहीं नाम छूट गये हैं ?

श्री चरण सिंह--मुमकिन है कहीं और भी ऐसा हो गया हो, लेकिन मेरठ जिले में तो सिर्फ यही ग्राम था और जैसे ही वहां की पंचायत की दरख्वास्त हमारे पास आयी थी उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख दिया गया था कि रूल नम्बर १२ के मातहत वह नामों को लिख लें।

*५--८--श्री गोपालनारायण सक्सेना--[स्थगित किये गये।]

गोरखपुर नगर-पालिका के संचालक की नियुक्ति

††*९--श्री सिहासन सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि इस समय गोरखपुर नगर-पालिका जो सुपरसीडेड (अवक्रान्त) है, के संचालक एक अवकाशग्रहण किये हुए व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ?

---

†--प्रश्न १-४ श्री खुशवक्त राय ने पूछे।

††--प्रश्न ९-११ श्री रामकुमार शास्त्री ने पूछे।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)--जी हां ।

*१०--श्री सिंहासन सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त संचालक की वर्तमान अवस्था क्या है और उनको अवकाश ग्रहण किये हुये कितने वर्ष हुए ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--उक्त संचालक की अवस्था ६४ वर्ष से कुछ अधिक है और उनको अवकाशग्रहण किये हुए नौ वर्ष से अधिक हो गये हैं।

*११--श्री सिंहासन सिंह (अनुपस्थित)--वह कितने वेतन पर नियुक्त किये गये हैं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--५७१ रुपया २ आना मासिक वेतन और ७५ रुपया मासिक सवारी भत्ता इस शर्त पर कि वह साइकिल को छोड़कर और कोई सवारी रक्खें।

*१२--१५--श्री कुशलानन्द गैरोला--[स्थगित किये गये।]

*१६--१९-श्री बादशाह गुप्त--[स्थगित किये गये।]

*२०--२१--श्री बनारसी दास--[स्थगित किये गये।]

कानपुर रोडवेज की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष--श्री गंगा सहाय चौबे ने एक काम स्थगित करने के प्रस्ताव की सूचना मुझे दी है । वह यह कहते हैं कि कानपुर गवर्नमेंट रोड़वेज की हड़ताल समाप्त होजाने पर भी वहां के अधिकारी माननीय वाहन मंत्री से हुए समझौते के विरुद्ध अनियमित तालाबंदी किये हुए हैं और कर्मचारियों को काम पर नहीं जाने देते हैं । इससे कर्मचारियों की कठिनाई बढ़ती जा रही है । इससे शान्ति भंग हो सकती है। इसके संबंध में गवर्नमेंट को क्या कहना है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, आप को स्मरण होगा कि इसी कानपुर के हड़ताल के संबंध में कुछ दिन पहले भी एक ऐडजर्नमेंट मोशन आया था । उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था कि हड़ताल एक ऐसी चीज है कि जहां भी किसी क़िस्म की इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होगी, चाहे गवर्नमेंट की चाहे किसी और की, वहां पर ऐसी सूरत पैदा हो सकती है कि कभी न कभी किसी क़िस्म की हड़ताल हो जाय चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की अंडर-टेकिंग हो । तो अगर हड़तालों का सवाल यहां सदन में लिया जायगा तो सदन का काम बगैर ऐडजर्नमेंट मोशन के ऐडजर्न होता रहेगा क्योंकि जाने कितनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्ज हुआ करती हैं। इस वास्ते यह सवाल यहां नहीं लिया गया । अब जहां तक इसकी बात है, हड़ताल तो अगर गैर कानूनी भी हो, लेकिन किसी क़िस्म की बात चीत हुई उसके बारे में अखबारों में दो क़िस्म के बयानात हैं । एक यह कि वहां के हड़ताली नहीं जाने दे रहे हैं और दूसरा ठीक उसका उलटा है । दूसरा यह है कि लोग, जो उनके लीडर्स थे आये और मजदूर उनके कहने पर भी काम पर नहीं जा रहे हैं । ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को लेना और भी अनुचित है । हम समझते हैं कि यह प्रश्न १ या २ दिन में हल हो जायगा और मेरी राय में ऐसी कोई एमर्जेंसी (जल्दी) नहीं है कि बजट का काम रोक कर यह सवाल उठाया जाय।

माननीय अध्यक्ष--जो कुछ माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है उसके अतिरिक्त एक खास बात यह है कि आज बजट पर बहस हो रही है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मांग भी इसमें शामिल है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो उस मौके पर इस पर भी बहस कर सकते हैं। इसलिए कामरोको प्रस्ताव की हैसियत से मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

वित्तीय वर्ष सन् १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर अनुदान संख्या ११, लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (कमिश्नर और जिला प्रशासन को छोड़ कर, (क्रमागत)

माननीय अध्यक्ष--उस दिन उठने से पहले माननीय मुख्य मंत्री ने अनुदान संख्या ११, सामान्य प्रशासन की मांग उपस्थित की थी। इस सिलसिले में अब मैं कटौती के प्रस्ताव लूंगा।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११, मद ख, उपमद ग--विधान मंडलों के निर्वाचन--के अधीन १० लाख रुपयों की कमी कर दी जाय।

श्रीमन्, किसी भी सरकार की कामयाबी या नाकामयाबी इस बात पर मबनी है कि जितने वादे वह करती है उसमें कितने पूरे करती है और कितने पूरे नहीं होते। अगर्चे मैं उन नाकामयाबियों की फेहरिस्त बयान करना शुरू करूं तो सारा दिन उसी में व्यतीत हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह वक्त और अवसर नहीं है कि मैं उनका जिक्र करूं। बजट के वक्त पर उनका जिक्र जरूर आयेगा। इस वक्त तो एलेक्शन के सिलसिले में यह जो सप्लीमेंटरी ग्रांट्स हैं उन्हीं के ऊपर मुझे कहना है। मैं यह समझता हूं कि इस सरकार ने अपना मसलक यह बना लिया है कि :--

"promises are made to be broken."

(वादे तोड़ना के लिये किये जाते हैं।)

इसके ऊपर यह सरकार चल रही है। आज १० लाख रुपये की मांग एलैक्शन के सिलसिले में की जा रही है। वह एलैक्शन कब होने वाला है, इसका कोई अन्दाजा नहीं है अब तक तो यह बताया गया था कि मार्च और अप्रैल में यह एलैक्शन जरूर हो जायगा गोकि जब इस बात का ऐलान किया गया था उस वक्त ज्यादा लोगों का और ज्यादातर सरकारों का भी यह ख्याल था कि यह एलैक्शन मार्च और अप्रैल में नहीं होंगे। लेकिन फिर भी इंतजाम शुरू कर दिया गया, एलेक्शन की तैयारी होने लगी और १९ लाख रुपया खर्च भी कर दिया गया। अब आज यह कहा जाता है कि यह एलेक्शन्स अक्तूबर, नवम्बर या दिसम्बर में होंगे, और इसके लिए बैलेट बाक्सेज बनवाने हैं और बैलेट बाक्सेज इतनी जल्दी बन नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे मार्च और अप्रैल को गर्मा-गर्मी थी कि एलेक्शन्स होंगे वैसे ही मुझे मालूम होता है कि यह अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर की जो बात कही जा रही है कि एलेक्शन्स होंगे यह भी वैसा ही वादा है क्यों कि मैं देखता हूं कि म्युनिसिपैलिटी का चुनाव तो यह सरकार करा नहीं सकी। दो वर्ष से म्युनिसिपैलिटी के चुनाव का इन्तजाम हो रहा था, लाखों रुपया म्युनिसिपैलिटियों का इन एलेक्शन्स के सिलसिले में खर्च करवा दिया गया और उसके बाद बेशर्मी के साथ एक साल भर का एक्सटेंशन दे दिया गया। और यह कह दिया गया कि सेंसस, (जन गणना) जो आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां हो जायंगी और अगर वोटर्स का डेमोक्रैटिक राइट (लोकतंत्रात्मक अधिकार) छीन लें, तो बड़ा अनुचित कार्य होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सन् १९५१ ई० के आखीर में जब एलेक्शन्स की बात कही जाती है क्या उनमें यह बातें नहीं आयेंगी। क्या सेंसस म्युनिसिपैलिटी के एलेक्शन पर लागू होता है और आम चुनाव के लिए लागू नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट की बात जो बताई गयी है कि चार शेड्यूल कास्ट वाले निकाल दिये गये हैं और छः का इजाफा कर दिया गया है, मुझे तो पूरा यकीन है कि इसी तरह की सब बातें अप्रैल के बाद से कहनी शुरू कर दी जायंगी कि सेंसस की फीगर्स से यह मालूम होता है कि अब ४० करोड़ की आबादी हो गयी है और यह कांस्टीट्यूएंसीज (निर्वाचन क्षेत्रों)

[श्री गोपालनारायण सक्सेना]

का जो डिलेमिटेशन (परिसीमन) हुआ है या जो वोटर्स की लिस्ट बनी है वह ३४ या ३५ करोड़ पर बनी है, इसलिए ६ करोड़ आदमियों को डिस्सैटिस्फाई (असंतुष्ट) करके भला एलेक्शन्स कैसे हो सकते हैं। जब कोई आदमी किसी काम को करने का इरादा करता है, तो उसकी कोई फाउंडेशन (आधार) होती है कि उसी पर वह बराबर काम करता रहेगा, लेकिन यहां तो रोज फैसले होते हैं और रोज बदले जाते हैं। ऐसी हालत में १९ लाख रुपया खर्च कर दिया गया और अब फिर यह होगा कि एलेक्टोरल (निर्वाचन गण) की सप्लीमेंटरी लिस्ट बनेगी और उस पर रुपया खर्च होगा और उसके बाद जैसा मैं अर्ज कर रहा था श्रीमन्, कि फिर वही बात आयेगी कि सेंसस के बाद फिर एलेक्टोरल रोल्स बनेंगे। मैं यह भी अर्ज कर दूं कि बहुत से आदमियों का कहना है कि यह एलेक्शन्स सन् १९५१ ई० के आखीर में हो नहीं सकते हैं। इस बात की पुष्टि इससे और होती है कि जब मार्च और अप्रैल के लिए बड़े जोर से कोशिश हो रही थी कि एलेक्शन्स हो जायं, उस वक्त कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का यह कहना था कि मार्च और अप्रैल में चुनाव नहीं हो सकते हैं। आखिर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो पालिसी ले डाउन (निर्धारित) करती है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया (भारत के प्रधान मंत्री) भी कहते हैं कि हमको उसी नीति पर चलना पड़ेगा और प्रदेश की सरकारों को भी उसी नीति पर चलना पड़ेगा। शायद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के बाद सरकार को यह फैसला करना पड़ा था कि मार्च और अप्रैल में चुनाव नहीं होंगे। आज क्या कांग्रेस ने कोई ऐसी नीति अख्तियार कर ली है कि यह चुनाव नवम्बर और दिसम्बर में होंगे यह वाक्या जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया जरूर चाहते हैं और उनकी बड़ी ख्वाहिश है और बहुत मुमकिन है कि प्रेसीडेंट रिपब्लिक (गण राज्य के राष्ट्रपति) की भी ख्वाहिश हो कि एलेक्शन हो जायं। लेकिन उनकी तो यह भी ख्वाहिश थी कि मार्च अप्रैल में एलेक्शन तो हो ही जाना चाहिये। चाहे कुछ भी हो, एक मर्तबा एलेक्टोरेट (मतदाताओं) के सामने हम को जाना ही चाहिये। लेकिन उनकी बात न चली और अब क्या यकीन है कि नवम्बर और दिसम्बर में जो वह चाहते हैं कि एलेक्शन हो जाय वह होगा ही क्योंकि जो ढांचा इस वक्त चल रहा है वह ऐसा ढांचा चलाया जा रहा है जिसमें किसी तरह से एलेक्शन न हो सके। अभी यहां केन्द्र की डिलिमिटेशन कमेटी आयी हुई थी, जिसके प्रेसीडेंट पं० हृदयनाथ कुंजरू थे और कुछ सदस्य पार्लियामेंट के उसके मेम्बर थे। उस कमेटी की रिपोर्ट में एक फेहरिस्त छापी गयी थी उसको उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से किया हो या जहां से भी किया हो। जो हमारी स्टेट की कमेटी बनी थी, उसने चुनाव क्षेत्रों के लिये कुछ सिफारिशें की थीं, उसी की बिना पर एक लिस्ट छापी गयी थी। अखबारों में भी छपी थी कि उसके ऊपर जिसको तवज्जह दिलानी हो वह दिलाए। लेकिन जब मैं अपने एतराजात उस कमेटी के सामने लेकर जाता हूँ तो वहां क्या देखता हूँ कि एक दूसरी फेहरिस्त थी जो उससे बिलकुल मुख्तलिफ थी जो कि अखबारों में छपी थी। हमसे कहते हैं कि तुम इस पर ऐतराजात करो। इतना बड़ा काम डिलिमिटेशन आफ कांस्टीटुएंसीज (निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन) का जब कभी आम चुनाव हुए डिलिमिटेशन आफ कांस्टीटुएंसीज के लिये काफी वक्त दिया गया। जहां तक ऐतराज़ात का सवाल है लेजिस्लेचर के मेम्बर्स उसमें ऐतराजात करें। लेकिन यहां एक उल्टी धारा बहाई जाती है। फेहरिस्त छाप दी जाती है जिस पर ऐतराजात कराना चाहते हैं लेकिन वहां एक मुख्तलिफ लिस्ट दी जाती है। मैंने पं० हृदयनाथ कुंजरू से कहा कि आखिर हम लोग किस प्रकार ऐतराज करें। यह फेहरिस्त तो हमारे पास कभी आयी नहीं। उन्होंने कहा कि आप फेहरिस्त ले सकते हैं। मने कहा कि बहुत अच्छी बात है। मैं तो फेहरिस्त ले जाऊंगा। लेकिन अगर हमारी

पार्टी को दस-पंदरह रोज का मौका दिया जाता तो हम अपने जिलों से मशविरा करके आपके सामने तजवीजात पेश करते। लेकिन इस को शाया होना चाहिये। आखिर जनता को हक है कि उनके ऊपर एतराजात पेश करे या आप इन फेहरिस्तों को तमाम पार्टियों के पास भेजेंगे? उन्होंने कहा कि यह तो हमारे लिये गैर-मुमकिन है और यह भी वादा उन्होंने किया कि यह अखबारात में शाया न की जायं। जिस वक्त इस किस्म की डिलिमिटेशन आफ कांस्टीटुएंसीज होगी तो जाहिर है कि जनता में हैजान मचेगा। उसका बहाना ढूंढ़ा जायगा कि जनता ही नहीं चाहती है। डिलिमिटेशन आफ कांस्टीटुएंसीज सही नहीं है। जनता उसको नहीं चाहती है लिहाजा हम मजबूर हैं। इस तरीके का ढांचा ढाला जा रहा है कि किसी तरीके से चुनाव हों ही नहीं और मुझे भी अब संदेह होता जाता है कि जब म्युनिसि-पैलिटीज के चुनाव में यह तरीकेकार अख्तियार किया जाता है तो यह तो भारतवर्ष का पूरा चुनाव है। तो जब दिलों में समझते हैं कि एलेक्शन होने वाला नहीं है, एलेक्शन की अभी कोई गुंजायश नहीं है तो आखिर यह रुपया क्यों सर्फ किया जाता है। क्या अभी सरकार को इत्मीनान नहीं हुआ कि म्युनिसिपैलिटियों की इतनी खराब हालत है, म्युनिसिपैलिटियों के मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं मिल रही है और उनका रुपया एक मरतबा नहीं दो-दो मरतबा सर्फ करवा के क्या अब भी संतुष्ट नहीं हुई है सरकार? आज और रुपया इस तरीके से बरबाद किया जा रहा है। अगचे आप को वाकयी में एलेक्शन करवाना है और आप चाहते हैं कि १९५१ ई० में एलेक्शन हो तो उसके लिये सही एलानात होने चाहिए कि एक चुनाव हो सके। मैं श्रीमन्, और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह एक छोटी सी ग्रांट है। मुझे कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का रिव्यू नहीं करना है। (आलोचना) मैं तो सिर्फ एलेक्शन के मामले तक ही अपनी तकरीर को रखना चाहता हूं। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि यह रुपया बेकार है। जो खर्च हो चुका है वह बरबाद हो चुका है। आइंदा ज्यादा रुपया बरबाद न किया जाय क्योंकि यह सब सुहावने ख्वाब जो हैं जब आप समझ लें कि पूरा करने वाले हैं तब पैसा सर्फ किया जाय।

श्री रामकुमार शास्त्री--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो कटौती श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने इस भवन के समक्ष उपस्थित की है उसका मैं समर्थन करता हूं। पुराना तजुर्बा बतलाता है कि एलेक्शन में जिसके वास्ते कि यह १२ लाख रुपया बजट में रखा गया है कि फलां महीने में होगा, बड़ा सन्देह है। जो लोग सार्वजनिक काम करते हैं उन लोगों का ध्यान इस तरफ खिच जाता है। वह काम करने वाले कार्यकर्ता सरकार के साथ अन्दर और जनता के साथ बाहर बराबर काम करते हैं। जब हमारे प्रांत की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है तब ज्यादातर वक्त हमारा ऐसे कामों में गुजरना चाहिये जिससे गांवों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। विदित है कि हमारे सामने कोई वैज्ञानिक ढंग के कारखाने भी नहीं हैं और साथ ही ऐसे जराये भी नहीं हैं तब हमको जनता के बीच में जाकर यह कहना होता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास साधन उपलब्ध हैं उनके ही जरिये अन्न की पैदावार बढ़ाओ। जब हम लोग माननीय प्रमुख मंत्री से अर्ज करते हैं कि अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये ऐसे साधन दिये जायं कि जहां पानी न बरसे वहां भी पैदावार बढ़ सके यानी सिंचाई के साधन दिये जायं तब उनका कथन होता है पुराने ही साधनों से काम निकालो। जिले के उच्च अधिकारियों की कान्फेंरस बुला कर यह तय किया था कि गांवों में जो साधन हैं उनको ही पहले अपनाया जाय। मतलब यह है कि बेड़ी उठा कर, पानी खेतों में पहुँचाया जाय, जो गांवों में पोखर तालाब वगैरह हैं उनसे ही पानी खींचा जाय और गांव वाले उसके सहारे सिंचाई करें। सार्वजनिक काम करने वाले, जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री की राय है,

[श्री रामकुमार शास्त्री]

उसके मुताबिक गांवों में जाकर प्रचार करते हैं। ऐसे संकट काल में हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है चुनाव की तरफ। म्युनिसिपल बोर्ड्स के चुनाव का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किया गया। लेकिन जो सूची बनाई गई वह अपूर्ण रही। हमारे काम का वक्त जो लगना चाहिये था यहां के बसने वालों की हालत सुधारने में, उनके पेट में अन्न पहुँचाने में और बदन पर वस्त्र पहुँचाने में वह अब म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव पर जा रहा है, कल नोटीफाइड एरिया की तरफ, परसों जनरल एलेक्शन की तरफ जा रहा है। लेकिन तिथि निश्चित रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। कभी यह तय किया गया कि अप्रैल में चुनाव करेंगे और इसके बाद यह तय हुआ कि अब नवम्बर में करेंगे। अन्त में अब हमारे सामने यह बात और खबर आती है कि सम्भवतः सन् १९५४ ई० में चुनाव हो। फिर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी दिखाई पड़ती है कि वर्षों तक हमारे एलेक्शन्स न हों। ऐसी दशा में इस रकम को छोटी बड़ी जो भी हो ऐसे उपयोगी कार्य में लगाना चाहिये जिससे देश की आर्थिक कठिनाई दुरुस्त हो सके। इसको इस प्रकार अलग करके हम असल काम को छोड़ देते हैं और चुनाव के जाल में फंस जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यही है कि मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करूँ कि जब आपकी कोई निश्चित तारीख नहीं और परिस्थिति आपको बाध्य करती है कि सम्भवतः इस साल चुनाव करें और फिर नवम्बर देखते हैं और इसके बाद एक साल आगे बढ़ते हैं तो ऐसी हालत में जब रुपया कम है तो इस रुपये को इस मद में न लगा कर किसी उपयोगी कार्य में लगायें तो आपकी माली हालत भी अच्छी होगी और आपके जराये भी आगे बढ़ेंगे और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और इस सरकार की भी सराहना होगी। मेरा मतलब यह है कि आपके ध्यान को मैं आकर्षित करूँ कि जिस चुनाव का अभी पता तक नहीं है उसके लिये एक बड़ी भारी रकम रखना कभी उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमीं लोग काम करने वाले हैं। अगर हमारा ध्यान बट जायगा तो आपका काम नहीं हो पायगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस कटौती का समर्थन करता हूँ।

श्री गंगा सहाय चौबे--अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि विदेशी सत्ता के हट जाने के बाद जहां पर हम पहुँचे वहां हमारा ध्यान राष्ट्रनिर्माण की ओर जाना चाहिये और आज के समय में जब कि आर्थिक कठिनाई पूरी तरह से हमारे देश को चौपट कर रही है तो हमारा एक एक पैसा ऐसे काम में खर्च होना चाहिये जो देश के लिये हितकर होगा। जिस तरह से आज की स्थिति है उसमें बिना जाने या यह समझे बिना कि इस काम की कब आवश्यकता पड़ेगी उसमें खर्चा किया जाना कोई नीतिमत्ता की बात नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यह बहाव निर्माण का चल रहा है उसमें अक्सर नई नई योजनाओं, तरकीबों के नाम पर हम पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वह काम होता नहीं। तो इस तरह से हमारा पैसा व्यर्थ में नष्ट होता है और राष्ट्र का नुकसान होता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे फौरी काम में रुपया खर्च किया जावे जिनसे तुरन्त फायदा होने वाला हो। एलेक्शंस (चुनाव) को देखें तो म्युनिसिपल एलेक्शंस दो वर्ष से टलते चले जा रहे हैं। अभी पता नहीं कब होंगे। मैंने एक प्रश्न किया था, उसके उत्तर में मुझे मालूम हुआ था कि इलेक्शंस होंगे और जरूर होंगे और अक्तूबर तक टलेंगे नहीं, लेकिन वह टल गये। लेकिन अब पता नहीं कब होंगे। और इसी तरह से यह जो हमारे एलेक्शंस हैं इनकी भी यही हालत है। मुझे मालूम हुआ है कि पहले एक सूची आई थी जिसमें कांस्टिट्युएंसीज (निर्वाचित-क्षेत्रों) के निर्माण की बात थी, वह बदली और दूसरी सूची हम लोगों को फिर मिली। लेकिन उसके बाद दो सूचियां और बदली गयीं, जिनका हमको पता

नहीं। और अब यह मालूम नहीं कि उनके बाद भी कोई दूसरी सूची बनी है या नहीं बनी है या बनेगी या नहीं बनेगी। तो ऐसी दशा में किसी परिणाम पर पहुँचना कठिन है। इससे एक तो दिक्कत यह है कि जब हमको सूची का ही पता नहीं तो हम राय किस बात पर दें और जो सूची वितरित की गयी थी उसके बाद तो कई तरमीमें हो गयीं। अगर उस पर राय दी जाय तो वह राय बेकार होगी। ऐसे कामों में जब हम खर्चा करते जाते हैं तो इसका परिणाम राष्ट्र के लिये हितकर नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि इस तरह के काम हमको बन्द करने चाहिये और नियमित और निर्धारित रूप से हम यह सोचें कि यह काम हमको करना है और उस वक्त उसको खर्च करें तो उसका ठीक से उपयोग होगा और वह काम ठीक से हो जायगा। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि जिस तरह से अभी तक उस चुनाव में व्यर्थ खर्चा हुआ उसी तरह से यह जो चुनाव आ रहा है उसका भी कोई ठीक ठिकाना नहीं। मुझे अभी पिछले हफ्ते में यह मालूम हुआ था कि अब तो चुनाव सन् ५१ में होंगे नहीं, मुमकिन है सन् ५४ में चुनाव होंगे। तो इस तरह की जब आम धारणा है, यह धारणा कुछ ऐसी नहीं है कि विरोधी दल वालों के यहां से निकलती हो, यह तो गवर्नमेंट के कमरों से ही निकली है और वहीं से हमको यह पता लग गया। जब इस तरह की बात है तब इस तरह से खर्च करने की बात हमको ठीक नहीं लगती और यह हालत है जब कि अभी हम ५४ का अन्दाज लगा रहे हैं तो ५४ आने तक क्या हो जायगा यह भी पता नहीं है। इस तरह से हम देखें कि एलेक्शन का नाम लेकर हम धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं उस ओर जहां से एलेक्शन होने की सम्भावना नहीं है और इस तरह से रुपयों का दुरुपयोग तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ एक खिलवाड़ डिमोक्रेसी के साथ भी हो रहा है और इस बात से अवाम का विश्वास हमारे ऊपर से उठता है। जनता समझती है कि इनका तो कोई ठिकाना नहीं है। इस वक्त कुछ न कुछ कह दिया लेकिन जो कुछ कह दिया वह पूरा होगा भी या नहीं इसका किसी को यकीन नहीं है। इसलिये ऐसे कामों को हम करें जिससे धन का भी अपव्यय न हो और हम लोकमत का विश्वास भी न खोवें। तो ऐसे कामों से कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा है और इसीलिये मेरा निवेदन यह है कि जब ऐसे काम हाथ में लें तब मजबूती से लें और यह समझ कर लें कि हम उनको पूरा करेंगे। मुझे पता नहीं है कि म्यूनिसिपैलिटीज के एलेक्शंस क्यों इस तरह से बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर यह कहा जाय कि म्युनिसिपैलिटीज ऐसे लोगों के हाथ में है कि पैसा असुरक्षित है तो कहने को यह कहा जा सकता है। लेकिन जब समय पूरा हो गया तो जनता की मांग यह है कि एलेक्शंस होने चाहिये थे। दूसरी बात यह है कि म्युनिसिपल कमेटियां जो चल रही हैं यह भी वह कमेटियां हैं जब यहां विदेशी सरकार थी। उसके बाद स्वराज्य हुआ और लोगों की दृष्टिकोण में तब्दीली आयी। लोगों की यह ख्वाहिश हुई कि इस बदली हुई आबोहवा में उनको अपना काम करने के लिये मौका मिले। नई शक्तियां आगे आ रही हैं और नये-नये तरीके से नये-नये कामों को अन्जाम देना चाहती हैं। और इस तरह से इस एलेक्शन के निरन्तर टालते जाने का एक ही परिणाम होता है कि ऐसी शक्तियों के कार्य में बाधा पड़े और लोग जो सेवायें करना चाहते हैं वह न कर पायें। मेरा ख्याल यह है कि अगर हम इस तरह पर करते रहेंगे तो प्रजातंत्र के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जायगा और उसका नतीजा भयंकर होगा जिस नतीजे से देश को, प्रदेश को, हम सभी लोगों को और सारे समाज को बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा? इसलिये मैं चाहता हूँ कि इस तरह की बातें न हों जिससे इस तरह के परिणाम निकलें और इसीलिये मैं इस कटौती का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी--अध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती का विरोध करती हूँ इसलिये नहीं कि उस पक्ष से कटौती आई बल्कि इसलिये कि हम लोग जो चाहते हैं कि एलेक्शन जल्द से जल्द हो जायं वह यह भी चाहते हैं कि उसकी तैयारियां जो हैं वह अभी से शुरू हो जायं क्योंकि जो शिकायत सुनने में आई वह यह थी कि समय कम था, फेहरिस्त अधूरी थी और बहुत से लोगों के नाम छूट भी गये थे। अगर यह हम न देखें और इसका इंतिजाम न किया जाय तो शायद इस तरफ से यह बात कही जा सकती है कि एलेक्शन का इंतिजाम हो ही नहीं रहा है और वही यह साबित करता है कि हम एलेक्शन करना चाहते नहीं हैं। मुझे तो कुछ ताज्जुब सा हुआ जब मैंने यह सुना कि जो साथी हमारे एलेक्शन चाहते हैं कि हो जाय और कहते हैं कि हम जान-बूझ कर टाल रहे हैं वह यह तरमीम कैसे दे सकते हैं कि यह खर्च न किया जाय और यह खर्चा फजूल है। इसी मौके पर, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि यह जो फेहरिस्त बन रही है उसमें एक शिकायत यह है कि बहुत सी स्त्रियों के नाम दर्ज नहीं हैं और यह कहा जाता है कि वे अपना नाम नहीं देना चाहतीं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि समय काफी नहीं मिला। मुझे मालूम नहीं है कि कौन लोग एन्यूमरेटर्स (गणक) बनाये गये। उन्होंने किस हद तक, किस दरजे तक कोशिश की स्त्रियों के नामों का पता लगाने की। इसलिये मैं कहना चाहती हूँ कि जैसा पुराने जमाने में जब हमको एडल्ट फ्रेंचाइज (वयस्क मताधिकार) नहीं मिला था तब औरतों के लिये दो क्वालि फिकेशंस (अर्हतायें) थीं। एक तो अगर किसी स्त्री ने लिख कर दे दिया कि हम वोटर बनना चाहती हैं तो उन्हें लिटरेटी एलेक्टर (पठित मतदाता) में रख दिया और जब कोई क्वालिफिकेशन नहीं हुआ करती थी तो उसको वाइफहुड (स्त्री होने की) की क्वालिफिकेशन में ला देते थे। तो अगर यही है कि हमारे यहां की स्त्रियां अपना नाम नहीं देना चाहतीं और ज्यादातर इसी तरह की हैं तो यह अन्दाजा लगा लिया जा सकता है कि जो स्त्री प्रौढ़ है यानी २०--२१ वर्ष की है जो कि अक्सर होंगी ही, जब तक कि कोई विडो (विधवा) न हो, उनका नाम अडल्ट्स, (वयस्कों) जिनकी शादी हो गई हो, उनके साथ ही लिख लिया जाना चाहिये। अगर इस तरह से रखा जायगा तो अधिक सुविधाजनक होगा। इसमें वे स्त्रियां तो आ ही जायेंगी जो वोटर लिस्ट्स में अपना नाम लिखाना चाहती हैं। इसके लिये अगर स्त्री इन्यूमरेटर्स भी रखी जायं तो ज्यादा अच्छा होगा। वे आसानी से उन स्त्रियों के नाम लिस्टों पर चढ़ा सकेंगी। एक शिकायत यह भी की गई है कि ये लिस्टें अधूरी हैं व उनमें बहुत से नाम नहीं हैं तथा वे पूरी समझी जाती हैं। जब तक कि कोई खुद आकर शिकायत पेश न करे तो जब हमें अब वक्त मिल गया है हमें उन लिस्ट्स को रिवाइज करना चाहिये और सरकार की ओर से खुद यह जिम्मा लिया जाना चाहिये कि वह यह देखे कि ये लिस्टें जो सेंसेज़ (जन-गणना) ली जा रही हैं, उसी के अनुसार हैं, उससे किस हद तक टैली करती (मिलती) हैं और एडल्ट्स के हिसाब से वोटर्स लिस्ट तैयार है या नहीं। इस तरह से मैं समझती हूँ किसी तरफ के लोगों को भी उसमें विरोध करने की कोई बात नहीं रहेगी।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)--इस कटौती के प्रस्ताव में यह लिखा हुआ है "कमी करने का उद्देश्य--निर्वाचन करने का जब विचार ही नहीं है तब बजट में रुपया रख कर जनता की आंखों में धूल झोंकना अनुचित है।" इसके बारे में मैं नहीं समझ सका कि यह चीज स्पीकर साहब के नोटिस में कहां तक आई है कि उनके दफ्तर से ऐसी भाषा निकल आई।

माननीय अध्यक्ष--मैंने यह अभी पहिली दफा ही पढ़ा है। माननीय सदस्य जब इसे पेश कर रहे थे मैंने तभी उसको पढ़ा। इससे पहिले मेरे नोटिस में यह चीज न आ सकी। मैंने इसे नोट कर लिया है आयन्दा उचित शब्द ही एजेंडे में लिखे जा सकेंगे।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—मैं दिल्ली से वाकिफ नहीं हूँ इसलिये मैंने उसे पढ़ा नहीं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जहां तक हमारी जिम्मेदारी का संबंध है मैं समझ नहीं सका कि इसमें हमारी कहां तक जिम्मेदारी निकली है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—मैं खुद भी समझता हूं कि यह गलती है, मैंने इसे पढ़ा नहीं और मैंने ही उसे अखबार में दे दिया। जब मैंने उसे पढ़ा नहीं तो मेरी ही जिम्मेदारी ज्यादा है कि वह गलत छपा है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जब वह इस पर छप गया है तो मैंने स्वीकार किया था उसका जिक्र करना मुनासिब समझा, क्योंकि पढ़ने न पढ़ने की बात तो जाती रही, कोई बात नहीं। लेकिन जो इसमें छपा हुआ है वह तो हमेशा ही रहेगा चाहे कोई पढ़े या न पढ़े, पढ़े या न पढ़े। पालीवाल जी ने कहा कि इसमें बहुत सी बातें शिकायतें की हैं लेकिन उन तमाम बातों के सिलसिले में मुझे कुछ कहना नहीं है, प्रत्येक अपनी बातों को कितना पूरा करता है और कितना नहीं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन जो चीज छपी हुई है उसके बारे में ध्यान दिलाना आवश्यक होता है। जो कटौती यहां आई है उसके बारे में २–३ बातें कही गई हैं—एक तो यह कि चुनाव होगा या नहीं होगा बल्कि यह कि नहीं होगा, इसलिये हमें यह खर्चा नहीं करना चाहिये। यह तो तभी संभव है जब हम यह निश्चय करें कि नहीं होगा तब खर्चा भी न होगा। लेकिन जब तक यह इरादा हो कि करना है तब तक तो उसके लिये तैयारी करना ही है। मैं नहीं जानता कि आया इस सदन की राय यह है कि नहीं करना चाहिये। कम से कम जो अपोजीशन (विरोधीदल) वाले हैं वे अपनी तरफ से इस राय को लिख कर इसका इजहार कर सकते हैं यहां पर भी और बाहर भी कि यह चुनाव न होना चाहिये। मगर जहां तक न होने की बात है और जहां तक गवर्नमेंट के ऐलान की बात है, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह एलान किया है कि नवम्बर–दिसम्बर में यह चुनाव होगा। यह कोई प्रादेशिक चुनाव की बात नहीं है, यह तो भारतवर्ष में होने वाला चुनाव है और उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो ऐलान किया है उस ऐलान के मुताबिक हमें काम करना है। हमें उसके मुताबिक तैयारी करनी है। एक एलेक्शन कमीशन है, उसका एक कमिश्नर है। सारे हिन्दुस्तान के लिये उस एलेक्शन कमीशन में एलेक्शन की कार्यवाही की जा रही है तो उसके मुताबिक हमारा फर्ज है कि हम इस कार्यवाही को आगे करें। जहां तक बदलने की बात है, हम नहीं जानते कि कौन कितना बदला है। मगर यह मुझे ख्याल पड़ता है कि जब तक कोई एलान नहीं हुआ था कि एलेक्शन कब होगा तब बहुत जोरों से यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस बहुत दिनों तक खुद ही रहना चाहती है, इसलिये चुनाव नहीं करना चाहती है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि मार्च, अप्रैल में चुनाव हो जाय तो बहुत से माननीय सदस्यों ने और विरोधी दल के नेताओं ने और औरों ने उसमें एक आपत्ति उठाई कि हमें तैयारी करने का वक्त ही नहीं मिला, लिहाजा मार्च–अप्रैल में चुनाव न हो। इसमें तो देर होनी चाहिये ताकि हम लोग तैयारी तो कर सकें। इसलिये पहले जो यह कहा जाता था कि इसलिये नहीं किया जा रहा है, कम से कम उनकी राय बदली और यह राय हुई कि चुनाव मार्च अप्रैल में न होना चाहिये। हमको वक्त मिलना चाहिये क्योंकि हम तो नयी पार्टी वाले हैं, ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें। और जब जल्दी करने का खयाल हुआ तो यह कहा गया कि हमें वक्त नहीं मिला ताकि हम चुनाव की तैयारी कर सकें। लिहाजा कौन बदला, कहां तक बदला, यह तो मुझे ठीक नहीं मालूम है लेकिन यह बात हुई। अब जब गवर्नमेंट

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

आफ इंडिया की तरफ से दिसम्बर की बात कही जाती है तो कहा जाता है कि साहब, हम तो खुद चाहते थे कि मार्च-अप्रैल में हो जाय मगर बदनसीबी कि नहीं हो पाया और अब गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दिसम्बर की बात की है तो मुझे यह मालूम हुआ है और उसकी यह ख्वाहिश है कि दिसम्बर में जरूर हो जाय। श्री रामकुमार शास्त्री ने जो एक बात कही वह मुझे बहुत सही लगी कि चुनाव की चर्चा बार बार की जाती है तो उससे और कामों में बहुत नुकसान होता है और चूंकि हमें और बहुत से जरूरी काम करने हैं इसलिये चुनाव की चर्चा जब बार बार उठती है तो वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह मैं भी समझता हूँ और इसीलिये मैं चाहता हूँ कि इसे नवम्बर-दिसम्बर में हो जाना चाहिये और जैसा कि मैंने कहा कि यह तो सेन्टर की बात है, सारे हिन्दुस्तान का रवैया है और उसके लिये भी हमें तैयारी करनी है।

इसी सिलसिले में म्युनिसिपल चुनाव का भी जिक्र किया गया है। म्युनिसिपल चुनाव के बारे में भी यही हुआ कि जब नाम रजिस्टर्ड हो गये, फेहरिस्तें तैयार हो गईं कि उसके मुताबिक चुनाव हो, तो अखबारों में उजरात छपने लगे और बहुत जोरों से छपने लगे कि ये सब फेहरिस्तें गलत हैं, लिहाजा इसकी बिना पर चुनाव न होने चाहियें। विरोधी दल के नेताओं ने यह उज्र बहुत जोरों से उठाया और हमने फिर उसको देखा तो मालूम हुआ कि दरअस्ल वे फेहरिस्तें ठीक नहीं हैं और उनको ठीक करना चाहिये। अब कोई भी आदमी, मैं जानना चाहता हूँ कि यह समझ सकता है या नहीं कि जब सेंसस (जन गणना) हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था तो बात दूसरी थी और हमारी ख्वाहिश थी कि हो जाय क्योंकि चुनाव का झगड़ा रोज रोज उठाना एक बेकार सी बात है और खास कर जहां पर कि इस चुनाव से किसी का कोई खास नुकसान नहीं है, अगर म्युनिसिपल चुनाव हो तो फिर बार बार इस बात का उठना कि हो या न हो, कोई अच्छी बात नहीं लगती। मगर जब यह उज्र उठाया जाता है कि साहब हमें वक्त नहीं मिला, अभी वार्ड्स ठीक नहीं बने, या जो फेहरिस्तें बनी हैं वे ठीक नहीं हैं और उसे सुधारने की कोशिश की जानी चाहिये तब सारी बातें सामने आ जाती हैं कि असल बात क्या है। फिर सेंसस इस बीच में होने जा रहा है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। यह भी जो कुछ है सेन्सस का असर चुनाव पर हो इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता और किस जाति के, किस फिरके के कितने प्रतिनिधि हों वह हर एक की मर्दुमशुमारी और उनकी तादाद पर मुनहसर है इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता। तो ऐसी हालत में चुनाव का होना सेन्सस से पहले गैर मुमकिन था। जो चुनाव दिसम्बर और जनवरी में नहीं हुये तो उसका ऐसा होना लाजिमी था। जब आपकी फेहरिस्त सही न हों और यह मान भी लिया जाय कि फेहरिस्त ऐसी हैं लेकिन सेन्सस जब होता है उसका असर सब चीजों पर पड़ता है और उसका असर बोर्ड में, उसकी तादाद में और उसमें मुख्तलिफ जाति के कितने आदमी हैं इस पर भी पड़ता है तो किस तरह से चुनाव हो यह समझ में नहीं आता और यह भी सही बात है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि शिड्यूल कास्ट (परिगणित जाति) के मामले में तरमीम होने से फेहरिस्त पर असर पड़ना लाजिमी है। ऐसी हालत में अगर यह सब बातें सही मान ली जाय तो वक्त का तकाजा है कि हम इस पर गौर करें तो फिर किसी को शिकायत करने की गुंजायश नहीं रहती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि म्युनिसिपल चुनाव से कोई ऐसा खास असर नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरी कई वजह ऐसी हैं कि जिनके ऊपर किसी का काबू नहीं है। सेन्सस हो रहा है तो उसका लाजिमी असर दूसरी बातों पर पड़ेगा। फेहरिस्त का सही होना लाजिमी है, शिड्यूल कास्ट वगैरा का मामला भी सही होना लाजिमी है। फिर पालन जी ने यह पूछा कि यही उज्र यहां लेजिस्लेचर के चुनाव में भी रहेगा।

अगर सेन्सस फरवरी और मार्च में हो जायगा तो उसके बाद नवम्बर-दिसम्बर में लेजिस्लेचर का चुनाव होगा तब तक वह फेहरिस्त सही हो जायगी और यह फेहरिस्त हमारे म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में काम में आ सकती है और लेजिस्लेचर के चुनाव के काम में भी आ सकती है क्योंकि उसमें भी वही एडल्ट फ्रेन्चाइज (वयस्क मताधिकार) होगा। इस तरह से फेहरिस्त के बनने पर बहुत काफी मदद हर काम में हो सकेगी और कुछ हद तक म्युनिसिपल चुनाव में एक ऐसी शक्ल आ सकती है कि जिसमें कोई दिक्कत न हो।

कांस्टीट्यूएन्सी (निर्वाचन क्षेत्रों) के बारे में कहा गया कि डिलिमिटेशन आफ कांस्टीट्यूएन्सी जो (निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) बनाई गई है वह ठीक नहीं है। मैं नहीं जानता, किसी ने यह नहीं बतलाया कि जो अब फेहरिस्त बनी है वह पहले से बदतर है या कुछ बेहतर है और पहले लिहाज को ओर में रख कर उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की गई है। मगर यहां पर हृदयनाथ जी कुंजरू ने जो कि पार्लियामेंट के मेम्बर हैं उन्होंने हर एक डिवीजन के लोगों से बात सुनी और जहां तक दूसरी पार्टीज हैं उनके प्रतिनिधियों से उन्होंने बातें की हैं और उनकी बातें सुनी हैं। उनके सामने भी वह फेहरिस्त रखी गई और उनकी यही कोशिश है कि वह सही हो। इस वक्त पार्लियामेंट के मेम्बर खुद इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और उनका कहना यह है और उनकी कोशिश है कि फेहरिस्त सही बने। जहां तक अच्छे तरीके पर फेहरिस्त बन सकती है और उनकी राय गवर्नमेंट समझ सकती है वह उसको सही बनाने के लिये पूरी कोशिश करेगी और हम सबको उस पर अमल करना चाहिये ताकि किसी को कोई शिकायत करने की गुंजायश न रहे और फिर भी उसमें कोई कमी है तो हमको उसे दूर करने की कोशिश करनी है, जिससे कांस्टीट्यूएन्सी ऐसी बने कि किसी को कोई शिकायत की गुंजायश न हो। मगर जब हमें डिमोक्रेसी को कायम रखना है तो औरतों में भी इस बात का प्रचार होना चाहिये कि वह भी अपने नाम लिखाने की हिम्मत करें और अगर उनको लिस्ट में नाम लिखाने में ही दिक्कत है या झिझक है तो फिर उसके मुताबिक काम करने में और वोट देने में दिक्कत हो सकती है। मेरा मतलब यह नहीं है कि किसी का नाम दर्ज होने से रह जाय या किसी को कोई दिक्कत हो कि जिससे फेहरिस्त के बनने में कोई खराबी हो और हर एक की ख्वाहिश पूरी न हो और हर एक को अपने हक के मुताबिक अमल करने का मौका न मिले।

श्री गोपालनारायण सक्सेना--माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र या जम्हूरी हुकूमत में चुनाव एक खास जगह रखते हैं। चुनाव जिस वक्त के लिये मुअय्यन हों उसी वक्त यह होने चाहिये, यह एक बुनियादी उसूल है। अगर चुनाव ज्यादा दिन तक न हों और जो वक्त उनके लिये मुअय्यन हो उस वक्त चुनाव न किये जायं तब यह लाजिमी है कि वह प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र नहीं रहेगा बल्कि वह किसी दूसरी ओर चला जायगा। मुख्य मंत्री का यह कहना कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में कुछ अड़चनें थीं और कुछ ऐसे वाकयात पेश आये जिनकी वजह से वह इस वक्त न हो सके, मैं समझता हूँ यह उनकी सही दलील नहीं है। अगर चुनाव के लिये ४ साल मुकर्रर हैं तो चौथे बरस में चुनाव का हो जाना लाजिमी है और अगर वह चौथे साल की जगह ८ साल में होते हैं तो जाहिर है कि उसमें खराबी जरूर आ जायगी और कोई वजह नहीं है कि खराबी न आ जाय। किसी दल का उससे फायदा होता है या नुकसान होता है उसका इस उसूल से कोई ताल्लुक नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम तो चुनाव करना चाहते थे, लेकिन विरोधी दलों की तरफ से यह आवाज उठाई गई कि फेहरिस्तें ठीक नहीं हैं इसलिये चुनाव मुल्तवी किये गये, मैंने तो पहले ही श्रीमन्, अर्ज

[श्री गोपालनारायण सक्सेना]

किया था और फिर कहता हूँ कि अगर यह तरीक़े अखतियार किये जायंगे तो क्या मतलब यह है कि विरोधी दल खामोश रहें। वह चाहते हैं कि मुअय्यन वक्त में चुनाव जरूर हो जाने चाहिये लेकिन अगर फेहरिस्तें इतनी निकम्मी और नाकारा बनती हैं जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जब उन्होंने फेहरिस्तों को देखा तो वह भी इसी नतीजे पर पहुँचे कि फेहरिस्तें निकम्मी बनी हुई हैं। यह काम तो सरकार के ही हाथ का है और अगर सरकार चुनाव नहीं करना चाहती है तो वह अलिफ से ये तक फेहरिस्त गलत शाया करा दे और फिर जब लोग आवाज उठावें कि फेहरिस्तें गलत हैं तो आप कह दें कि आप ही तो कहते हैं कि गलत फेहरिस्तों पर चुनाव न कराये जायं। आपकी लिस्टों के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। आपके श्रीकमलापति जी ने ही अखबारों में लिखा है कि बनारस की लिस्टें निकम्मी हैं। यह कहना गलत है कि विरोधी दल वाले चुनाव नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और खास तौर से आज कल की हालत में जब कि एक तरीक़े से बेएतबारी है। खुद पंडित जी ने फरमाया था कि चुनाव जल्द होने चाहिये क्योंकि वह समझते हैं कि वह चुने हुये भी नहीं हैं लिहाजा उनकी और भी ख्वाहिश है कि चुनाव होने चाहिये। हमारी असेम्बली का वक्त भी पूरा हो चुका है और यहां के चुनाव होने भी लाजिमी हैं। मुख्य मंत्री ने फरमाया कि जब हम मार्च–अप्रैल में चुनाव करना चाहते थे तब भी विरोधी दल वालों का कहना था कि उनको तैयारी का वक्त नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है। उस वक्त भी हमने कहा था कि एक टाइमटेबिल फिक्स (कार्यक्रम निर्धारित) कर दिया जाय कि कब लिस्ट शाया होंगी और कब तक वह ठीक हो सकेंगी और क्या होगा। लेकिन वाकया तो दूसरा था, मुख्य मंत्री उसको कहें या न कहें, मार्च और अप्रैल में एलेक्शन कराने का कोई इरादा ही नहीं था। सिर्फ एक आदमी, प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया तो यह चाहते थे कि मार्च और अप्रैल में एलेक्शन्स हो जांय बाकी और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यह नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने दलील के लिए यह बात पेश की। मैं तो खुद चाहता हूं कि अक्तूबर और नवम्बर में चुनाव हो तो यह रुपया जो रखा गया है वह खर्च होगा। मैंने जो तवज्जह दिलायी थी श्रीमन्, वह इसलिए कि यह न हो कि यह रूपया सर्फ हो जाय, जिसका उदाहरण मैंने म्युनिसिपैलिटियों का बताया कि लाखों रुपए म्युनिसिपैलिटियों के तबाह कर दिए गए। दो मर्तबा एलेक्टोरल रोल्स (निर्वाचकगण की सूची) बने, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। आज कहीं फिर वही न हो। आप सोच लें, समझ लें कि जैसे दो साल के बाद यह हुआ कि वे फेहरिस्तें बिलकुल निकम्मी हैं वैसे ही अगर फिर हुआ तो विरोधी दल भी कहेगा और जनता भी कहेगी। अगर सरकार उन फेहरिस्तों को अच्छी तरह से तैयार करा दें तो किसी को एतराज नहीं होगा।

डिलिमिटेशन आफ कंस्टीटुएंसीज (निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन) के लिए मुख्य मंत्री ने फरमाया कि उन्होंने पंडित हृदयनाथ कुंजरू से बात चीत की और किसी ने यह नहीं बताया कि जो कंस्टीटुएंसीज बन रही हैं वे अच्छी हैं या बुरी। मैं कहता हूं कि कैसे कोई बताए ? जब एक फेहरिस्त एतराजात के लिए शाया की जाती है, उसके ऊपर हम एतराजात करते हैं तभी दूसरी फेहरिस्त दे दी जाती है और यह भी कहा जाता है कि यह भी फाइनल लिस्ट नहीं है तो हम कैसे बतायें कि कौन सी लिस्ट अच्छी है और कौन सी बुरी है। पंडित हृदय नाथ कुंजरू ने मुझसे खुद कहा कि जो दलील तुमने पेश की वह बात बिलकुल सही है, लेकिन चूंकि एलेक्शन कमिश्नर साहब चाहते हैं कि एलेक्शन जल्द हो जाय इसलिए लिस्टों के शाया करने में मुश्किल होगी। तो यह बुनियादी चीजें हैं। प्रजातंत्र में इन बुनियादी उसूलों को आप तोड़ नहीं सकते हैं इस बहाने से कि जल्दी चुनाव हो जायं। मैंने पंडित कुंजरू से भी अर्ज किया और आज, श्रीमन, इस भवन में भी इसी सिलसिले में कहना चाहता हूं कि आखिर फाइनल से (अन्तिम निर्णय) तो उस कमेटी या पार्लियामेंट के हाथ में होगा और उसके बाद एसेंट

(अनुमति) प्रेसीडेंट देगा, तो फिर एलेक्शन के कमिश्नर जो प्रोपोजल्स (सुझाव) कांस्टीट्यु-एंसीज के बारे में हों उनके शाया कर देने में क्या हर्ज है। उनके ऊपर जो ऐतराजात आयें उनके ऊपर गौर करके जो वह चाहेंगे फैसला कर देंगे। वह सब को मंजूर होगा। लेकिन एक मर्तबा जनता के सामने और हर पार्टी के सामने यह तो हो जाय कि फाइनल प्रोपोजल्स (अन्तिम सुझाव) हैं क्या। इस बुनियादी उसूल को अगर तोड़ा जाता है तभी ऐतराज होता है। इसका सवाल नहीं है कि अच्छी हैं या बुरी। मुमकिन है कि इस की अच्छी बन गयी हों और इस की बुरी बन गयी हों। इस की अबकी मर्तबा अच्छी हैं और पिछली वाली नहीं अच्छी थीं। यह तो होता रहेगा। लेकिन फाइनेलिटी (अन्तिम रूप) तो उसी वक्त हो सकती है जब कि एक मर्तबा जो एलेक्शन कमिश्नर के जो फाइनल प्रोपोजल्स हों वे शाया हों। हम तो यह समझते थे कि ये फाइनल प्रोपोजल्स हैं और इसीलिए हमने उनके ऊपर एतराजात किए। उन एतराजात की बिना पर अगर कंस्टीटुएंसीज बदली जाती तो हमको कोई एतराज नहीं होता क्योंकि जो हमको कहना था वह कह दिया और जिसको फैसला करना था उसने फैसला कर दिया। लेकिन एतराज जो है वह इस बात का है कि बगैर शाया हुए दूसरी लिस्ट बन गयी। मैंने जो तवज्जह दिलायी थी वह इसीलिए दिलायी थी, श्रीमन्, कि अब भी अगर एलेक्शन करना है, और मैं दिल से चाहता हूं कि अक्तूबर और नवम्बर में एलेक्शन जरूर होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से यह ताना बाना और ढांचा चल रहा है इससे शक होता है कि आप एलेक्शन नहीं कराने वाले हैं। आपने पहले एलेक्शन क्यों नहीं कराया और पहले अच्छी फेहरिस्त क्यों नहीं बनवायी? अब चार महीने के अन्दर फिर वैसी परिस्थिति हो जायगी। अगर्चे सरकार की नीयत ठीक है और वह वाकई में चुनाव कराना चाहती है और यह भी चाहती है कि इलेक्शन फेयर ठीक और स्वतन्त्र हों, किसी को शिकायत न हो, तो वैसा ही ढांचा पड़ जाता है। आज अक्तूबर और नवम्बर में एलेक्शन की बात कही जाती है। अगर्चे डिलिमिटेशन जिस तरह से चल रहा है वैसा ही चलता रहा फिर विरोधी-दल आवाज उठायेंगे कि यह तो बड़ा गलत है तो फिर यह दलील पेश की जायगी कि साहेब, आप ही तो कहते हैं कि चुनाव न हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि विरोधी दलों का इस बात का मौका ही न दिया जाय कि वह इस तरीके की आवाज उठायें। आप सही एलेक्टोरल रोल्स और डिलिमिटेशन आफ कंस्टीटुएंसीज व एलेक्शन्स के लिए पक्की तारीख नियत कर दें। अगर्चे सही वक्त पर चुनाव नहीं होते हैं तो वह एक न एक रोज खराबी जरूर पैदा कर देता है। जैसा मैंने पहले बतलाया, सेंसस की बात तो शुरू हो गयी और अभी मुख्य मंत्री जी ने यह फरमाया कि जो एलेक्टोरल रोल्स बनेंगे वह म्युनिसिपैलिटीज में भी काम आवेंगे, यह इलेक्टोरल रोल्स जो अभी तक बने थे, जो सप्लीमेंटरी लिस्ट बनी थी वह सब नाकारा हो गयी। पहले तो यह कहा जाता था कि १९४९ ई० के मार्च तक जो लोग एडल्ट (वयस्क) होंगे वही वोटर होंगे। करोड़ों आदमी फिर हो जायगा। तो क्या मतलब यह है कि इस सेंसस के बाद अब फिर से एलेक्टोरल रोल्स बनेंगे। अगरचे यह बात ठीक नहीं है तो जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि यही एलेक्टोरल रोल्स म्युनिसिपैलिटी में भी काम आ जायंगे तो मैं तो इससे यह नतीजा निकाल सकता हूं कि फिर से एलेक्टोरल रोल्स बनेंगे। अगर फिर से बनेंगे तो कब शाया होंगे और उनके ऊपर एतराजात कब तक मांगे जायंगे? डिलिमिटेशन आफ कंस्टीटु-एंसीज कब तक होगा? इन सब चीजों के लिए एक टाइमटेबिल तो फिक्स हो जाना चाहिए। मैं तो जो कुछ भी शुरू से कहता रहा हूं वही कहता चला आया हूं। मैं बजट के मौके पर बतलाऊंगा कि मैंने जो कहा है वह सही है या नहीं और आपने क्या क्या तब्दीलियां कागजों में कीं। इस वक्त उस लम्बी बहस में मैं नहीं जाना चाहता। काम में देर करने से न आप को तशफ्फी होगी और न मुझको होगी। इसलिये मैंने जो कटौती का प्रस्ताव दिया था वह इस नजर से दिया था कि मैं पबलिक ओपीनियन इस तरफ फोकस करूं कि अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर में जो चुनाव की बात हो रही है

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

वह जरूर हों और उसके लिए एक टाइम टेबिल अभी से पक्के तौर से निर्धारित हो जाना चाहिए।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--हमारी दिली ख्वाहिश है कि नवम्बर दिसम्बर में चुनाव हो जायं और हमारी गवर्नमेंट की ख्वाहिश थी कि मार्च और अप्रैल में ही हो जाते। हम लोगों ने जहां तक हो सकता था उसकी कोशिश की चाहे पालन जी समझें या न समझें। मगर हमारी इच्छा थी कि अप्रैल में चुनाव जरूर हो जाने ताकि उसके बाद जिनको भी काम करना हो वही दिल लगा कर काम करें और रात-दिन यह चुनाव की बात न रहे। मगर वह नहीं हो पाया। अब नवम्बर दिसम्बर का जिक्र है। मुझे अफसोस होगा अगर नवम्बर और दिसम्बर के चुनाव किसी वजह से रुक जायं। क्योंकि इससे एक बदमजगी भी आती है और काम में बजाय तबियत लगने के हर एक की तबियत चुनाव की तरफ खिंचती है। इस लिए चुनाव की चर्चा होने के बाद उसका हो जाना ही अच्छा है।

जहां तक डिलिमिटेशन आफ कंस्टीटुएंसीज की बात है, मैं चाहता हूं कि सही तरीके पर कंस्टीटुएंसीज बनें और उनमें सिवाय इसके कि सही ढंग की कांस्टीटुएंसीज बनें और किसी बात का लिहाज किसी की तरफ से न हो। इसी तरह से मैं यह भी चाहता हूं कि एलेक्टोरल रोल्स सही बनें, और उनमें कहीं पर भी कोई गलती न रहे इसकी पूरी कोशिश की जाय।

जहां तक कि म्युनिसिपैलिटीज के एलेक्शन का सवाल है वह बिलकुल जो इसकी फेहरिस्तें बनेंगी उन्हीं की बुनियाद पर हो यह तो मैं नहीं कहता लेकिन मेरा यह ख्याल है कि मरदुमशुमारी के बाद जो लिस्टें बनेंगी उनसे म्युनिसिपैलिटीज के एलेक्टोरल रोल्स को सही तरीके पर बनाने में काफी मदद मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११, मदख उपमद (ग) "विधान मंडलों के निर्वाचन के लिए" के अधीन १०,००,००० रुपया की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन कमिश्नर और जिला प्रशासन छोड़ कर के अन्तर्गत १०,२२,६०० रुपयों की अनुपूरक मांग, सन १९५०-५१ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--समान्य प्रशासन (कमिश्नर और जिला प्रशासन)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--समान्य प्रशासन (कमिश्नर और जिला प्रशासन) के अन्तर्गत २,११,१०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष--इसमें राजपाल महोदय की सिफारिश है?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं। इसकी तफसील भी, यहां जो याददाश्त है, उसमें दी हुई है। यह बहुत छोटी सी रकम है। लिहाजा मैं ज्यादा समय लेना मुनासिब नहीं समझता।

श्री रामकुमार शास्त्री--मैं मद ख, उपमद (क) (४) प्रासंगिक व्यय के अधीन यह प्रस्ताव करता हूं कि एक रुपए की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य यह है कि इस संबंध में सरकार की नीति पर वादविवाद किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार में न जा करके सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कर्मचारियों की तनख्वाहों में महान अन्तर है उस तरफ सरकार का ध्यान इस आशय से जाना चाहिए कि इस आर्थिक संकट के युग में अगर इतना बड़ा अन्तर रहेगा तो जो लोग कार्य कुशलता से इस सरकार का कार्य करना चाहते हैं वह न कर सकेंगे।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जो बात रामकुमार जी कह रहे हैं वह मैं यह तो नहीं कहता कि वक्त हो नहीं है, मगर इस अनुदान से संबंध नहीं रखती। तो अगर कुछ हफ्ते और इंतजार कर लें तो उनको भी कहने का मौका मिलेगा और हमको भी मिलेगा। मगर इसमें नहीं आता।

श्री रामकुमार शास्त्री--तो मैं वापस लिए लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान सं० १२--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन (कमिश्नर और जिला प्रशासन) के अन्तर्गत २,११,१०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०–५१ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक २८–जेल और वन्दी वस्तियां

माननीय श्री गिरधारी लाल (मादक कर मंत्री)--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं० १५--लेखा शीर्षक २८--जेल और वन्दी बस्तियों (convicts settlements) के अन्तर्गत ५३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०–५१ ई० के लिए स्वीकार की जाय। इसका पूरा साहित्य इसमें दिया हुआ है। इसलिए मैं सदन का इस विषय में कोई खास समय नहीं लेना चाहता।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी--अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि एक रुपये की कमी की जावे और उसका उद्देश्य यह है कि सरकार का ध्यान जेल व्यवस्था की ओर दिलाया जाय। मैं बहस तो नहीं करूंगी लेकिन इसी विषय पर जिस पर चर्चा हुआ है और इसी से संबंधित दो-चार बातें आपके सामने कहना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेंटरी ग्रांट इससे पहले इस भवन में पेश हुई थी तो हम सभी इसको स्वीकार करते थे सप्लीमेंटरी ग्रांट का आना ही खुद एक दोष नहीं माना जाना चाहिए और बड़ी-बड़ी सरकारों के काम को चलाने के लिए ऐसा करना बहुत हद तक जरूरी होता है और उसके बिना काम चलता नहीं। लेकिन एक उसूल मान लिया गया था जिन उसूलों पर यह हाउस ऐक्सेप्ट (स्वीकार) करे कि इन पर खर्च किए जायं, अगर इनसे बाहर जायं तो उनका विरोध करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। इस अनुदान में आपने देखा होगा कि जो रुपया खर्च हुआ है वह एक हमारे जेल के कर्मचारी के ऊपर विदेश भेज कर उन्हें कोई खास शिक्षा देने के लिए वह खर्च किया गया। पारसाल भी आपने देखा होगा कि इस मद पर एक ४ हजार की रकम स्वीकार करके आपने एक पीनैलाजिकल कानफ्रेंस को और आप इस साल इस मद को खर्च करके एक डा० राज नाम के एक सुपरिटेंडेंट हैं उन्हें आपने विशेष शिक्षा के लिए बाहर भेजा। बार बार इस भवन से यह आवाज हर तरफ से आई कि आज कल की आर्थिक कठिनाई के समय इन सब खर्चों को कम करना ही चाहिए और उनके बिना काम अगर चले तो चलाना चाहिए। हम लोग उनमें से नहीं हैं जो इसका विरोध करते हों कि यहां से बाहर जा कर कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करनी

[श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी]

चाहिए और उसको करना ही खराब है। लेकिन अगर उससे हमारी जेलों के चलाने में कोई फौरन लाभ न हो तो उसको नहीं उठाना चाहिये। यह सिद्धांत सरकार ने भी माना। चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के लोग हों सभी ने इस बात को आप के सामने पेश किया लेकिन इसके बावजूद अगर खर्चा हुआ और हो जाने पर मैं उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि यह खर्चा हो ही गया। लेकिन इसी सिलसिले में एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। जब यह डा० राज महोदय हमारी फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के सुपरिन्टेंडेंट थे। मैं समझती हूं कि उस छोटी सी घटना का इस भवन में उल्लेख होना चाहिए।

आप सब जानते हैं कि चार-पांच साल से मैं फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद जनरल कास्टीटुएंसी (सामान्य निर्वाचन-क्षेत्र) से आप के भवन में सदस्य हूं। आप जानते हैं, मुझे स्वयं जेल में रहने से जितना अनुभव है, और इस जेल के निरीक्षण करने से जितना अनुभव हुआ, उसके बारे में मैंने यहां सवाल जवाब भी किए और बजट के जमाने में भी पेश किया, मुझको किसी हद तक इस विषय से रुचि है। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ जब मैं यहां से फर्रुखाबाद गयी और फतेहगढ़ सेंट्रल जेल देखनी चाही। यह जेल आपके प्रान्त में सब से बड़ी जेल है। उसमें एक किस्म के राजनीतिक कैदी रखे जाते हैं। जब आर एस० एस० का आन्दोलन हुआ और जब कम्युनिस्ट मूवमेंट (आन्दोलन) हुआ तब बहुत से आर० एस० एस० और कम्युनिस्ट कैदी थे। राजनीतिक कैदियों के साथ काफी टैक्ट (कौशल) की जरूरत होती है। आपको याद होगा कि जब कोई आदमी हर साल जेल का निरीक्षण करता है तो एक रिपोर्ट दिया करता है। मैंने भी एक रिपोर्ट दी। इन कम्युनिस्टों की लम्बी-चौड़ी बहसों को हमने सुना कि हम बिलकुल सरकारी हो गए हैं। उनकी बहसों को सुन कर मैंने उनको याद दिलाया कि वह खुद पहले क्या किया करते थे। वह खुद पहले सरकार की मदद किया करते थे, जब हम जेल में थे। बहरहाल उस अनुभव को सामने रख कर जो छोटे छोटे सुधार होने चाहिए, जिससे किसी को विरोध नहीं हो सकता, जैसे पढ़ने-लिखने का इंतजाम होना चाहिए, अगर कोई बाहर सोना चाहे तो उसके लिए चारपाई का इंतजाम होना चाहिये, इंटरव्यु (भेंट करने) की कठिनाई दूर हो जानी चाहिए, ये दो-चार बातें मैंने उस रिपोर्ट में लिखी। इसके पांच-छः महीने के बाद जब मैं वापस गयी और जेल जाना चाहा तो कलेक्टर साहब ने सुपरिटेंडेंट साहब को फोन किया। उनकी तरफ से जवाब मिला कि हमें बड़ा अफसोस है कि श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी को यहां आने नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से हिदायत आ चुकी है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और कलेक्टर साहब को खुद ताज्जुब हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि आई० जी० के दफ्तर से लिख कर गया था। जो मैंने इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी थी उसका जवाब दिया और आखिर में लिखा कि जेल मैनुअल के अनुसार कोई स्त्री जा नहीं सकती। इसलिए श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी को जाने नहीं देना चाहिए और डाक्टर राज महोदय, उस वक्त वहां पर सुपरिटेंडेंट थे। वह काफी नये ख्यालात के आदमी हैं। वह जेल रिफार्म्स (सुधार) के बारे में काफी बातें किया करते थे। उन्होंने कोई और जवाब नहीं दिया है कि वह यहां कि एम० एल० ए० हैं, पांच साल से इस काम को करती आयी हैं। तब जब कलेक्टर साहब ने कहा कि मुझे जो अख्तियारात हैं और सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि मुझे जो अख्तियारात हैं उसके बल पर आप जाइए। मैंने सोचा कि कुछ गलती हुई होगी, मुझे कुछ करना नहीं चाहिए और मैं गयी। फिर मैंने जेल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में लिखा और बतलाया कि यह जनरल कांस्टीचुएंसी है और मैंने अपने कर्तव्य को निभाया है उसको कैसे रोका जा सकता है। मैंने यह भी लिखा कि जब कोई कर्मचारी को कोई बात नापसंद आती है तो किसी जेल रूल का हवाला दे कर अड़ंगा डालना चाहते हैं फिर यहां पर लखनऊ में आना हुआ। इत्तफाक से आई० जी० साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कोई गलती हो गयी होगी। फिर दोबारा जब मैं गयी तो भी वह गलती

सुधरी नहीं थी। तो मैं दुर्भाग्यवश माननीय मंत्री साहब के यहां गयी और उनसे मैंने कहा कि इस बात को आप ठीक कर दें क्योंकि यह कैसी गैरजरूरी चीजें मालूम होती हैं। मगर इसकी संभावना नहीं थी लेकिन यदि मैं आज मिनिस्टर होती तो आपको शायद मेरे जेल को देखने पर एतराज नहीं होता। अगर रक्षा का सवाल है तो आज हर एक मिनिस्टर को जितने सिक्योरिटी मेजर्स (रक्षा प्रबन्ध) की जरूरत है उतनी इस पर्दानशीं औरतों को हमारे यहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर अगर उनको सिक्योरिटी मेजर्स की जरूरत है उसी तरफ से स्त्रियों के लिए भी सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड किया जा सकता है बजाय इसके कि यह कह दिया जाय कि नहीं देख सकतीं। बहरहाल, मैं उनके पास पहुंच चुकी थी और वह कोई फाइल मंगवा चुके थे। वह बात वहीं रही और तब से ऐसा फ्रंट बना और तरह तरह की बातें कही गयीं कि औरतों और मर्दों के इक्वल राइट्स (समान अधिकार) हैं और कोई स्त्री मेल वार्ड को नहीं देख सकती है और न कोई मेल स्त्रियों के कम्पार्टमेंट (भाग) में जा सकता है इस तरह की दलीलें दी गयीं।

आज मैंने जो कटौती पेश की है वह इसीलिए है कि सरकार की तरफ से एक नीति की घोषणा हो जानी चाहिए। सरकार यह साफ साफ बतायें कि क्या जेल मैनुअल्स के कायदे बने रहेंगे। मैं जानता हूं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट जेल्स जो हैं उनमें स्त्री जेल विजिटर्स हैं लेकिन सेंट्रल जेल्स हैं या और और बातें हैं उनके लिए क्या यह नियम बने रहेंगे। तो उसकी घोषणा हो जानी चाहिए और यह न हो कि हम भूल में पड़े रहें। अगर हमें ऐसा मालूम हो तो हम उपाय बाद में निकाल सकते हैं। आजकल के दिनों में असेम्बली भवन ही ऐसा स्थान है जहां हम अपने अख्तियारात के लिए सुधार करवा सकते हैं। इसे छोटी बात न समझना चाहिए। इन्हीं छोटी–छोटी बातों से बड़े बड़े आन्दोलन बनते हैं और छोटे आन्दोलन भी बनते हैं और लोग इन अख्तियारात को हासिल कर लेते हैं। इसलिए मैं इस कटौती के जरिए से यह चाहती हूं कि इसके बारे में सरकार अपनी नीति साफ करे। मैंने इसके बारे में खत में लिखा था लेकिन उनका जवाब भी साफ नहीं मिला। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस भवन में इस बात की घोषणा हो जाय कि अब जब हम लोगों ने कांस्टीट्यूशन (संविधान) में एडल्ट फ्रेंचाइज देकर स्त्रियों को (वयस्क मताधिकार) बराबरी का हक दिया और अब जब उन्हें एक मिनिस्टर की हैसियत से या एम० एल० ए० की हैसियत से या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की हैसियत से या एक नागरिक की हैसियत से एक फर्ज को पूरा करना है तो क्या उस हालत में वे ही पुराने कायदे और कानून लागू होंगे जिससे वे अपने फर्ज को पूरा नहीं कर सकती हैं। आप जानते ही हैं कि हमारे इसी भवन में हमारी एक काबिल मिनिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित थीं जिनकी तारीफ और प्रशंसा हमारे खुद मंत्रिमंडल ने की है और इतना कर चुकी हैं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने बजट स्पीच में उनके नाम का उल्लेख किया कि उन्होंने बहुत बड़ा काम राजदूत की हैसियत से वाशिंगटन में किया और सब लोग कहते हैं कि स्त्रियां बड़ी खराब डिप्लोमेट्स होती हैं इसलिए डिप्लोमेट की जगह उनको नहीं देना चाहिए लेकिन हमने देखा कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने किस खूबी के साथ उस काम को किया है और इसे हमारे मंत्रिमंडल ने माना है। इसलिए मैं यह चाहती हूं कि उसकी नीति की घोषणा हो जानी चाहिए कि क्या वह चाहती है कि यह बात हो तब फिर उसी के अनुसार हमारा अपना काम होगा और इसीलिए मैं खास तौर से डा० राज का नाम ले आयी थी। मैं समझती हूं कि उनका कर्तव्य था कि वे एक नोट लिखते कि फलां फलां एम० एल० ए० हैं और वह आयीं थीं बजाय इसके कि उन्होंने मुझको इस तरह से परेशानी में केवल माडेल जेल, लखनऊ का सुपरिटेंडेंट होने के लालच में डाल दिया इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाती हूं और उम्मीद करूंगी कि इस विषय में सरकार अपनी नीति की घोषणा इस भवन में कर देगी।

श्री सुल्तान आलम खां--जनाब स्पीकर साहब, जो कटौती का प्रस्ताव इस वक्त हमारे सामने है उसके ऊपर श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी साहबा ने एक मुदल्लल तकरीर हमारे सामने की है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मसला उन्होंने इस भवन के सामने उठाया है वह बहुत जरूरी मसला है। मुझे भी फर्रुखाबाद जिले से इस भवन में आने का मौका मिला है। इसलिये मैं भी यह चाहता हूं कि इसके मुताल्लिक चंद बातें आपके सामने अर्ज कर सकूं। इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने अभी हमारे सामने कहा है वह बहुत ही गौर तलब है। आजकल के जमाने में जब जम्हूरियत का दौरदौरा है, जब नया कांस्टीट्यूशन लागू हो गया है तो इस किस्म का कोई इम्तयाज उठाना औरत मर्द के मुताल्लिक हकीकतन मैं समझता हूं कि यह गैर जरूरी चीज है।

जहां तक जेल के मुआइना करने का ताल्लुक है तो एक मर्द भी उसी तरीके से मुआइना कर सकता है और एक औरत भी उसी तरीके से मुआइना कर सकती है। खास तौर से जब कि श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी फर्रुखाबाद जिले से नुमायन्दा हो कर यहां पर आयी हैं। वह उस नशिस्त से नहीं आयीं जोकि औरतों के लिए रखी गयी हो बल्कि वह जनरल नशिस्त से आयीं हैं ऐसी सूरत में अगर कोई तफरीक बरती जाती है तो एक मेम्बर जो उस हल्के से आया है उसको इस बात का मौका नहीं मिल सकता है कि वह जेल के अन्दर जा कर कैदियों की दुश्वारियों और दिक्कतों को देखें और गवर्नमेंट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर सके। मैं समझता हूं कि अगर इस तरीके के कोई रूल्स हैं तो वह पुराने जमाने की यादगार हैं और उनको तब्दील करने की निहायत जरूरत है। अगर जेल के किसी आफिसर की बदगुमानी से ऐसी चीज हो गयी है तो यह निहायत ही अफसोसनाक बात है और मुझे यकीन है कि मिनिस्टर साहब इस पर गौर फरमायेंगे और आयन्दा ऐसी चीज नहीं होगी।

इसके अलावा एक चीज मुझे और अर्ज करना है। वह यह है कि मैं नहीं जानता कि जेल के सही कवायद क्या हैं। मुझे भी एक मर्तबा खुद इत्तफाक हुआ कि मैं फतेहगढ़ जेल में मुआयना करने के लिए गया था। वहां पर कम्यूनिस्ट और दीगर डिटेन्यूज मौजूद थे। मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि उनको जा कर देखूं। लेकिन जेलर साहब ने कहा कि आपको डिटेन्यूज को देखने की इजाजत नहीं मिल सकती है। मैंने कहा कि आखिर क्या दिक्कत और दुश्वारी है। मैं इस जेल का विजिटर हूं और इस असेम्बली का मेम्बर भी हूं। इसीलिए मैं समझता हूं कि मुझे हक हासिल है कि मैं उनको जा कर देखूं। इस पर भी उन्होंने इसरार किया और कहा कि डिटेन्यूज को नहीं देख सकते हैं। मैंने कहा कि अगर आप लिख कर देंगे तो मैं रुक जाऊंगा और इस मामले को आगे बढ़ाऊंगा। इसके बाद वह गए और अपने किसी आफिसर या किसी साथी से मशविरा किया और आखिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपकी ऐसी ही ख्वाहिश है तो चल कर देख लीजिए। इसके बाद मैं गया और उनको देखा और अपना मुआयना लिखा। लेकिन ख्याल पैदा हुआ कि आखिर सही कवायद क्या है और यह मालूम होना चाहिए कि जो विजिटर जाता है उसको मालूम होना चाहिए कि उसको क्या अधिकार है और क्या हक हासिल है और कहां तक वह देख सकता है। मैं समझता हूं कि इसकी सफाई देनेकी काफी जरूरत है और जब विजिटर जाता है तो उसको पूरा मौका दिया जाय कि वह हर कैदी से मिल सके ख्वाह वह डिटेन्यू हो, सिक्यूरिटी प्रिजनर हो, अखलाकी जुर्म के कैदी हो या पोलिटिकल प्रिजनर (राजनीतिक-बन्दी) हो, उनको देखने का हर एक विजिटर को और खास तौरसे जो लेजिस्लेचर का नुमायंदा है उसको हक होना चाहिए कि वह हर कैदी से मिल सके और उसके दुख दर्द को सुन सके और कोई अगर रिपोर्ट दे सकता हो तो देने का हक होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ज्यादा मुनासिब तो यह होगा कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में एक मुकम्मल याददाश्त तैयार कर ले और उसमें यह तमाम चीजें दर्ज हों और जेल के आफिसरान के पास उनका सरक्यूलेशन हो जाय

और विजिटर्स के पास भी उसकी कापी भेज दी जाय ताकि उसको मालूम हो जाय कि उसके यह हक हैं और उसके यह फरायज हैं।

इसके अलावा एक मर्तबा ऐसी ही दिक्कत पैदा हुई थी । मैं समझता हूं कि एक मर्तबा मैंने यह महसूस किया था और यह सवाल पैदा हुआ था कि जो रोस्टर बनाया जाता है उसको शायद कमिश्नर साहब लिखते हैं और जिले के जो एम० एल० ए० होते हैं और जो विजिटर्स होते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम बना देते हैं कि फलां महीने में फलां मेम्बर मुआयना करें। और ऐसी भी बाज मर्तबा दिक्कतें सुनने में आई थीं कि उस प्रोग्राम के अलावा कोई विजिटर जेल को देखना चाहे तो उस पर एतराज किया गया और कहा गया कि उसे उस प्रोग्राम के मुताबिक जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि रोस्टर की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त फरमा रहे हैं कि वह रोस्टर खत्म हो गया लेकिन इस साल का रोस्टर मेरे पास मौजूद है जो आया था और उसमें लिखा हुआ कि फलां मेम्बर फलां महीने के अन्दर जेल को देखने जायगा। मैं समझता हूँ कि इसकी अब कोई जरूरत बाकी नहीं रही है। हर जेल के विजिटर को हक होना चाहिये कि वह जिस वक्त जाना चाहे जा सके और जेल का मुआइना कर सके और जेल के मातहत जितनी फैक्टरियां हैं उनका भी मुआइना कर सके और हर कैदी से मिल सके, उसकी जो दुश्वारियां और दिक्कतें हों उनको गवर्नमेंट की नोटिस में ला सके। एक चीज और भी मुनासिब होगी। वह सुझाव भी मैं गवर्नमेंट के सामने पेश करता हूँ। आम तौर पर जेल देखने के बाद विजिटर एक मुआइना लिखता है और उसको लिखने के बाद वहां छोड़ देता है। वह मुआइना गालिबन इंसपेक्टर जनरल के यहां आता होगा या नहीं मालूम गवर्नमेंट के पास भी आता होगा, लेकिन यह इल्म नहीं होता कि उस मुआइना पर कहां तक अमल किया गया, किस चीज पर अमल किया गया, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर अमल नहीं किया गया। मेरा ख्याल है जो कुछ अमल उस पर किया जाता है उसके मुताल्लिक एक इत्तला मेम्बरान को भेज दी जाया करे तो ज्यादा मुनासिब होगा। इससे उसे मालूम हो सकेगा कि जो सजेशन उसने दिया था वह कहां तक कारआमद था, किस बात पर एक्शन लिया गया और कौन सी ऐसी चीज उसके पावर के बाहर थी जिस पर अमल नहीं हुआ। इसकी इत्तला अगर उसको होगी तो आइंदा मुआइना लिखने में उसे सहूलियत होगी। मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री साहब इन बातों पर जरूर गौर फरमायेंगे और जरूरी हिदायतें इसके मुताल्लिक निकाल देंगे।

माननीय श्री गिरधारी लाल---माननीय अध्यक्ष जी, जेल के विषय में इस वक्त खासतौर से दो बातें रक्खी गई हैं--- एक तो यह कि विशेष में यहां के सरकारी कर्मचारी शिक्षा के लिये या विशेष ट्रेनिंग के लिये आज कल के समय में बाहर न भेजे जाने चाहिये। तो जहां तक इस चीज का सम्बन्ध है इसमें हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया के साथ पूरा-पूरा सहयोग देना चाहिये। वैसे यह हमारे लिये खुशी की बात है कि हर स्टेट से इस प्रकार के नाम मांगे गये थे और फिर हमारी ही स्टेट के डाक्टर राज का नाम छांटा गया जो यहां से बाहर भेजे गये। लेकिन यह सब नीति गवर्नमेंट आफ इंडिया की बनाई हुई थी और उसमें हमें पूरे तौर से सहयोग देना था। दूसरी बात खास बात नान--आफिशियल (असरकारी) विजिटर्स के सिलसिले में कही गयी। श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने यह प्रश्न मेरे सामने पहले भी रक्खा था लेकिन हम लोगों के सामने ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज (प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयां) है जो मैंने उनको साफ तौर से बतलाई। जो पुरुषों के वार्ड हैं उनमें सिर्फ पुरुष ही जाकर निरीक्षण कर सकेंगे और जो स्त्रियों की जेल हैं उनमें सिर्फ स्त्रियां ही जाकर निरीक्षण

[माननीय श्री गिरधारी लाल]

करेंगी। इस मसले को हमने सोचा और सोचने के बाद, साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज का भी ख्याल रखते हुए ताकि शासन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, हम उसी ख्याल पर स्थिर रहे कि पुरुषों को केवल पुरुष और स्त्रियों को केवल स्त्रियां ही निरीक्षण कर सकेंगी। दूसरी बात खास सुल्तान आलम खां साहब ने इंस्पेक्शन (निरीक्षण) के विषय में कही। उस बात का ख्याल रखना मैं समझता हूँ मुनासिब है और इन्स्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स को उस बात की इत्तला जरूर देना चाहिये जिस बात की पूर्ति हुई हो। इसकी मैं कोशिश करूँगा कि इसकी इत्तला उनको मिल जाया करे। रोस्टर के विषय में एक बात कही गयी। शुरू-शुरू में रोस्टर का कोई नियम नहीं था लेकिन बहुत से जिलों में इन तीन-चार बरस के दौरान में ५०, ५० और ६०, ६० नान-आफिशियल विजिटर्स की नियुक्ति हो गयी। इससे जेल के प्रबन्ध में कुछ दिक्कत पड़ती थी, इसलिये नान-आफीशियल विजिटर्स भी आते रहें और जेल का काम भी अच्छी तरह से चलता रहे उसके लिये एक रोस्टर रखा गया था इसका यह मतलब नहीं है कि नान-आफीशियल विजिटर्स जो वहां जाना चाहें वे वहां नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ इसको सब सदस्य समझ गये होंगे और इस मांग को अब स्वीकार करेंगे।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने आज नियमों की बात कह कर बड़ी दृढ़ता से कहा कि विचार करने के पश्चात् भी वे इसी बात पर स्थिर हैं। लेकिन क्या पुराने नियम इस भांति के नहीं थे, फिर अभी ये नई चीज क्यों आई जब कि पिछले तीन वर्षों से यह बात नहीं थी। इसके अलावा जो उन्होंने यह चीज कही है क्या वह उनकी स्वयं की राय है या कि पूरे मंत्रिमंडल की यह राय है। अब जब कि ऐडल्ट फ्रेंचाइज (वयस्क मताधिकार) में औरतों के लिये अलग सीट नहीं है तो जो भी स्त्री एम० एल० ए० आयेंगी तो क्या वे उन्हीं जेलों का निरीक्षण कर सकेंगी जो जेल स्त्रियों के लिये हैं और पुरुष केवल पुरुषों की जेलों का ही निरीक्षण कर सकेंगे। अगर इसकी घोषणा वे कुछ जोरदार शब्दों में कर दें तो ज्यादा सहूलियत होगी और मुनासिब होगा।

माननीय श्री गिरधारी लाल—मैंने जो बात कही वह सिर्फ मेरी ही राय नहीं बल्कि पूरे कैबीनेट की है। जब दूसरा चुनाव होकर आयगा तो जो आप लोग तय करेंगे और निर्णय करेंगे उसके अनुसार ही नियम बना कर चला जायगा।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना जो मत था वह साफ नहीं हुआ इसलिये मैं पसन्द करूँगी कि इस चीज को किसी और जगह पर बातें करके साफ कर लूं। अतः इस आश्वासन को अपने दिल में रख कर इस कटौती को वापस लेती हूँ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री रामकुमार शास्त्री—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि "मद ग—इंगलैण्ड में व्यय के अधीन १ रुपया की कमी की जाय।

कमी करने का उद्देश्य—इस बात पर विचार किया जाय कि हवाई जहाज से जाने की क्या आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, पुराने जमाने के जेलखाने का इतिहास हम लोग कम से कम अच्छी तरह से जानते हैं जो कि वहां से लौट कर यहां आये हैं। पुराने जमाने में जेलों में ऐसे लोग रहा करते थे, जिनके अधीन कि वहां का काम होता था, उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। अगर हमारी सरकार ने इस बात की व्यवस्था की है कि कुछ ट्रेन्ड व्यक्ति आकर जेलखानों का संचालन करते रहें तो इससे

जन-साधारण को लाभ होगा और जो सरकार चल रही है वह तहजीबयाफ्ता सरकार कहलायेगी। हमने देखा है कि ऐसे कर्मचारी जेलखानों में रहते हैं जो साधारण मनुष्य का सा तो कौन कहे अमानुषिक व्यवहार कैदियों के साथ किया करते हैं। चाहे बाहर के उनके साथ हो लोग क्यों न हों अगर वह जेलखाने में पहुंच गये तो उनके साथ ऐसा व्यवहार होता था कि जिसे सहना असहनीय होता था। लोग क्रिमिनल्स की भांति व्यवहार करते थे। इस वास्ते सुधार के भाव से इस सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि माडल जेल में काम करने वाले जो उच्च वर्ग के अधिकारी हैं वे अपने देश और विदेशों में भी जाकर इस बात का ज्ञान प्राप्त कर लेवें कि वहां के उच्च कर्मचारी किस तरीके से कैदियों के साथ व्यवहार करते हैं। इसी अभिप्राय सुपरिंटेंडेंट से मेरे ख्याल में सरकार ने भी डाक्टर ए० एस० राज को जो लखनऊ माडल प्रिजन के हैं बाहर भेजा था। मुझे निहायत खुशी हुई, जैसा कि ग्रांट नं० १५, जेल और बन्दी बस्तियां ——क——जेल——ड——सेंट्रल जेल का जिक्र कर देते हुए पूरे तौर पर लिखा हुआ है कि किन भावनाओं से प्रेरित होकर इस सरकार ने उनको भेजा था। तो मतलब इससे जाहिर हो जाता है कि बहुत जरूरी काम के सिलसिले में वे भेजे गये थे और उनके सामने अवधि भी थोड़ी ही थी, इसलिये सुविधायें देना भी सरकार ने मुनासिब समझा कि उनको इस थोड़ी सी अवधि में अच्छे प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हर प्रकार की सुविधायें देनी चाहिये। कम अवधि होने की वजह से सरकार ने उनको हवाई जहाज से भेजना उचित समझा, ठीक है। सरकार ने उनको भेजा और जरूरी ज्ञान प्राप्त करने के लिये भेजा, मगर जो ज्ञान प्राप्त करके वे लाये उसको तो समय ही बतलावेगा कि वे क्या ज्ञान प्राप्त कर के लाये हैं? अभी उस सम्बन्ध में विचार करने या बहस करने का कोई समय नहीं है और मेरे सामने ऐसे आंकड़े या तजुर्बे भी नहीं हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जरूर यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि इस मितव्ययता के युग में जब कि कौड़ी कौड़ी और एक एक पैसे की तरफ हमारी निगाह हो बाहर जाने के लिये जैसा कि कहा गया है कि २६ जून से १४ जुलाई तक का ट्रेनिंग का वक्त रहा और उनको जल्दी ही जाना था इसलिये हवाई जहाज से भेजा गया, मगर आने के लिये उनको क्या उजलत थी कि आते वक्त भी वे हवाई जहाज से ही आये? उसका मतलब यही है कि एक जमाना था जब कि इंसपेक्टर जनरल आफ प्रिजन के दफ्तर में १४–१५ आदमी काम करने वाले थे मगर वे बहुत ऊंचे दर्जे का काम करते थे, लेकिन आज जब इतना लम्बा–चौड़ा स्टाफ हो गया है, तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि एफिशिएंटली (क्षमता के साथ) काम क्यों नहीं हो पाता। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि काम बढ़ गया हो लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बहुत नम्रता–पूर्वक इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर वे माडल जेल को देखें तो खुद उन्हें यह तजुर्बा होगा कि जैसे माडल पुलिस स्टेशनों में कमी दिखाई देती है वैसे ही उसमें भी कमी है? वैसे तो माडल जेल को सेल्फ सपोर्टिंग (स्वावलम्बी) कहा जाता है मगर यदि वे छानबीन करें तो मैं क्या कहूँ वे खुद जान सकते हैं कि असलियत क्या है। इसलिये इस कटौती के द्वारा चूंकि यहां माडल जेल का भी जिक्र है, अगर वे उसे देखें तो उन्हें पता चल जायगा कि उनकी तरफ देख-रेख करने की कितनी आवश्यकता है। और जैसी सरकार की भावना अच्छी रही है कि उसके ऊंचे प्रकार के कर्मचारी यहीं ट्रेनिंग न पाकर विदेशों में जायं और थोड़ी अवधि में भी उच्च ज्ञान प्राप्त कर लावें और उनको इतनी सुविधायें दी जावें जिससे वे वहां से तजुर्बा हासिल करके लावें और उस तजुर्बे के हासिल करने का नतीजा यह हो कि आइडिअल और आदर्श जेल की मांग पूरी हो जाय।

जिस मकसद से आपने इतने आदमियों को आई० जी० के दफ्तर के अन्दर लगाया है, अगर वह पूरा नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि यह ठीक

[श्री रामकुमार शास्त्री]

नहीं है। हमने पुराने इंसपेक्टर जनरल प्रिजन की देखरेख में काम होते देखा है, जितना संयम उस समय था अगर आज कल के संयम से मुकाबिला करें तो मैं क्या बता सकता हूँ खुद माननीय मंत्री महोदय ही बतला सकते हैं। आज हमारी सरकार को एक एक पैसे को बचाने का उपाय ढूंढ़ना है तब डाक्टर राज को हवाई जहाज से आने की क्या आवश्यकता थी? वे तो पानी के जहाज से भी आ सकते थे। ऐसे प्रदेश के लिये जो कि कृषि प्रधान देश हो, जहां के लोग मुसीबतों से अपनी जिन्दगी बसर करते हैं और जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसे टैक्स रूप में दे देते हैं वहां फिजूल खर्च करना उचित नहीं। अध्यक्ष महोदय, जो शिक्षित देश हुआ करते हैं वहां के लोग अपने फायदे के लिये डाइरेक्ट टैक्स दिया करते हैं और जहां के लोग शिक्षित नहीं होते वहां पर इन्डाइरेक्ट टैक्स लिया जाता है। जब अपने देश की आर्थिक स्थिति खराब है, परेशानी है, दुश्वारी है तो हमको कोई विलासता की जिन्दगी तो बसर करना नहीं है हमें तो अपनी आवश्यकतायें पूरी करनी हैं और वह मितव्ययता के साथ। अगर उनके आने में २, ४, १० रोज ज्यादा ही लग जाते तो कोई खास नुकसान नहीं हो सकता था। इसलिये इस कटौती के प्रस्ताव के द्वारा मेरा यही मतलब था कि जब हमारी माली हालत इस तरह से तंग है तो इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूँ कि इस तरह फैयाजी से खर्च नहीं करना चाहिये।

माननीय श्री गिरधारीलाल--श्रीमान् जी, अभी जो माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि डा० राज को बजाय पानी के जहाज के हवाई जहाज से जो भेजा गया उसमें कम से कम १,२०० रुपये ज्यादा खर्च हुये। दरअसल इस बात को देखकर हर एक आदमी को यह ख्याल हो सकता है। जो भावना आपकी है, वही भावना हमारी और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी है। उसी ख्याल को सामने रखते हुये हमें किफायतसारी हवाई जहाज से भेजने में मालूम हुई। जिस वक्त इस हिसाब को आप देखेंगे तो मालूम हो जायगा कि आने-जाने में ३५ दिन लगे और उसमें ७०० रुपया तो डा० राज की तनख्वाह है और उनकी गैरहाजिरी में वहां एक आदमी रखना पड़ता तो उसमें ५८३ रुपया खर्चा पड़ता। इस वास्ते सब मिला कर कुल १,३०० रुपया खर्च होता था जब कि हवाई जहाज से जाने में सिर्फ १,२०० रुपये पानी के जहाज से ज्यादा खर्च हुये। इसमें समय की बचत भी हुई और पैसा भी कम लगा। इन सब बातों को देख कर उनको हवाई जहाज से भेजा गया। मैं समझता हूँ कि इस बात को जानकर वह सन्तुष्ट हो गये होंगे और अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री--मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक २८--जेल और बन्दी बस्तियों (convicts settlements) के अन्तर्गत ५३,९०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान सं० ९--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९--ख-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

श्री लताफत हुसैन (माननीय निर्माण मंत्री के सभा सचिव)--मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या ९-लेखा शीर्षक १७, १८ और १९--ख--राजस्व से किये जाने

वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत २,२६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०–५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

जनावआली, रामपुर के मरजर (विलीन) होने के बाद वहां की कैनाल की जो कंडीशन्स (दशा) थीं उनको स्टैंडर्ड पर लाने के लिये और उनको इम्प्रूव (सुधार) करने के लिये इसकी जरूरत हुई। तफसील इसमें दर्ज है। दूसरा आइटम एक बन्धी का है जिससे ५ हजार एकड़ में आबपाशी बढ़ाने का इन्तजाम है। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह जरूरी है और यह भवन इस मांग को स्वीकार करेगा।

श्री सुदामा प्रसाद—अध्यक्ष महोदय ......

श्री लताफत हुसैन—जनाबवाला, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर (वैधानिक आपत्ति) रेज करना (उठाना) चाहता हूं और वह यह है कि यह कटमोशन इन आर्डर (नियमित) नहीं है क्योंकि जो मांग की गई है वह रामपुर और आजमगढ़ के जिलों के लिये है और गोरखपुर का जिला इससे कवर नहीं होता है। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह कटौती पेश नहीं हो सकती।

माननीय अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इस आपत्ति का जवाब न दे सकेंगे। जब पूरा बजट आवेगा उस वक्त आपको इस तरफ तवज्जह दिलाने का पूरा मौका होगा। इसलिये इस वक्त मैं उसकी इजाजत न दूंगा।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९—ख राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत २, २६, १०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०–५१ ई० के लिये स्वीकर की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २९—पुलिस तथा अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग—(वाहन विभाग)

माननीय श्री लालबहादुर (पुलिस मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, ...

श्री गंगा सहाय चौबे—यदि पुलिस और वाहन दोनों एक ही साथ लिये जायं तो समय बच जायगा।

माननीय अध्यक्ष—क्या इस पर किसी को आपत्ति है कि पुलिस और वाहन एक साथ ही लिये जायं। माननीय सदस्य कानपुर के विषय में एक एडजर्नमेंट मोशन लाये थे और वह कुछ कहना चाहते थे।

(किसी ने आपत्ति नहीं की।)

माननीय श्री लालबहादुर—यदि उनको वाहन से दिलचस्पी है तो मैं जरूर पेश कर दूंगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २९—पुलिस के अन्तर्गत ३०,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०–५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग —(वाहन विभाग) के अन्तर्गत २८, ६२, २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०–५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी ने ऐसा नहीं बताया कि महामान्य राज्यपाल ने इन मांगों की सिफारिश की है या नहीं।

माननीय श्री लाल बहादुर—जी हां, इन दोनों के लिये महामान्य राज्यपाल की सिफारिश है। मुझे खेद है कि मैं उसके बारे में कहने से भूल गया।

श्री खुशवक्त राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह भी पूछ लिया जाय कि महामान्य राज्यपाल की सिफारिश एक्सेस डिमान्ड)अतिरिक्त मांग) के लिये है या अनुपूरक मांग के लिये भी है।

माननीय अध्यक्ष—यह सवाल तो वही है और आप इसे पहले उठा चुके हैं और मैं भी इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दे चुका हूं। इस रुपये की महामान्य राज्यपाल ने सिफारिश की है और जैसा कि मैंने कहा कि अगर यह एक्सेस मांग है तो प्रोसीजर में मुझे एक ही तरीका अख्तियार करना है। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं मालूम होती, हां, अगर प्रोसीजर से कोई फर्क होता तो अवश्य उसको तै करने की कोशिश करता। यह तो वही आपत्ति है जो आप पहले दिन दो मर्तबा उठा चुके हैं और उस पर मेरा निर्णय वही है और मुझे उसमें कोई राय बदलने की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री खुशवक्त राय—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं और वह यह कि जिन-जिन डिमांड्स में कन्टिन्जेंसी फंड (आकस्मिक निधि) से रुपया लिया गया है उन सब में मैं इस चीज को पेश करना चाहता हूं। मगर एक बात मैं सिर्फ आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं और वह यह है कि उस दिन बोलने के बाद मैंने यह कोशिश की कि कांस्टीटयुएंट असेम्बली (संविधान सभा) की जो डिबेट्स हैं उनमें जरा देखूं तो मैंने देखा कि वहां पर इस पर बहस हुई थी। हालांकि उस बहस को मैं यह नहीं समझता कि इस काम के लायक है लेकिन जो आब्जर्वेशन्स (विचार) डाक्टर अम्बेदकर ने एक्सेस ग्रांट के बारे में किये थे उसके बारे में मैं चाहता हूं कि पांच. छः लाइनें आपको पढ़ कर सुना दूं। यह कंस्टीटुएंट असेम्बली डिबेट्स के वाल्यूम ८ दिनांक १० जून सन् १९४९ में दिया हुआ है। उसमें डाक्टर अम्बेदकर साहब ने यह कहा है कि—

"There is nothing else in the idea of excess grant and I would like to read to the members of the House paragraph 230 from the House of Commons Manual of Procedure for Public Bills. This is what pragraph 230 says:—

"An excess grant is needed when a department has by means of advances from the Civil Contingencies Fund or the Treasury Chest Fund or out of funds derived from extra receipts or otherwise spent the money on any service during any financial year in excess of the amount granted for that service and for that year.

"Therefore, there is nothing very strange about it. The only thing is that when there is a supplementary estimate the sanction is obtained without excess expenditure being incurred. In the case of excess grant the excess expenditure has already been incurred and the executive comes before Parliament for sanctioning what has already been spent."

(अतिरिक्त अनुदान के अर्थ में इसके सिवाय और कुछ नहीं है और मैं सदन के सदस्यों को 'हाउस आफ कामन्स मैनुअल आफ प्रोसीजर फार पब्लिक बिल्स' का पैरा २३० पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पैरा २३० इस प्रकार है:—

"अतिरिक्त अनुदान की उस समय आवश्यकता पड़ती है जबकि कोई विभाग, किसी आर्थिक वर्ष में किसी सेवा पर उस वर्ष के लिये और उस सेवा के

लिये स्वीकृत धनराशि से अधिक रुपया, सिविल आकस्मिक निधि से या ट्रेजरी चेस्ट फण्ड से या अतिरिक्त आय द्वारा निर्मित निधि से अग्रिम धनराशि देकर या अन्य प्रकार से खर्च कर चुकता है।"

इसलिये इसमें कोई विचित्र बात नहीं। बात केवल यह है कि जब कोई अनुपूरक अनुमान होता है तो कोई अतिरिक्त खर्चा किये बिना स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है। अतिरिक्त अनुदान के विषय में तो अतिरिक्त खर्चा पहले ही किया जा चुका है और कार्यकारिणी इसलिये पार्लियामेंट के सामने आती है कि उस रकम की स्वीकृति दे दे जो पहिले ही खर्च हो चुकी है।)

तो मुझे फिर यही निवेदन करना है हुजूर के सामने कि ये जितनी ग्रांट्स हैं जिनमें कंटिन्जेंसी फंड से रुपया लेकर खर्च कर दिया गया है वे सब एक्सेस ग्रांट्स हैं और उसी के लिये महामान्य राज्यपाल की सिफारिशें भी आनी चाहिये कि वह सिफारिश अनुपूरक या एक्सेस ग्रांट के बारे में करते हैं। इसके बारे में मैं बहुत विस्तृत रूप से उस दिन बता चुका हूं और आज फिर उन बातों को दोहरा कर मैं आपका और इस सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। मगर मेरा कहना यह है कि ये एक्सेस ग्रांट्स हैं और इसी के लिये सिफारिश आनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं उस पर माननीय वित्त मंत्री विचार कर लेंगे और अगर कोई गलती होगी तो आयन्दा उसको ठीक कर लेंगे।

(इस समय १ बज कर ३ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

माननीय श्री लाल बहादुर--मैं दोनों अनुपूरक मांगें उपस्थित कर चुका हूं। उसमें मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है।

श्री सुदामा प्रसाद--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन ३०,००० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य है पुलिस के कार्यों की आलोचना करना।

श्रीमन्, प्रत्येक देश में शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। हरएक व्यक्ति के जीवन और माल तथा सम्पत्ति की रक्षा की जिम्मेदारी भी उसी पर होती है। हम अगर गौर से देखें तो हमारे प्रान्त में पुलिस इस काम में सफल नहीं रही है। आज भी चारों तरफ डकैतियों और चोरियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमें मालूम हुआ है कि इसको दबाने के लिये सरकार की तरफ से यह आदेश हुआ है कि जिस थाने में या जिस सब-इन्सपेक्टर के यहां चोरी या डकैतियों की संख्या अधिक पाई जायगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। हमने एक सब-इन्सपेक्टर से बातचीत के दौरान में यह सुना, उसने बताया कि क्राइम्स (अपराध) से बचने के लिये हमें कोई साधन मिलने चाहिये, हमें कोई ताकत मिलनी चाहिये। यह जो हमारी संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है उससे तो हमें मजबूती नहीं मिल रही है। आजकल जो क्राइम्स को दबाने की बात कही जा रही है इससे तो हम यही कह सकते हैं कि क्राइम्स नहीं दबाये जा रहे हैं बल्कि उनकी संख्या दबाई जा रही है। आजकल सब-इंस्पेक्टर्स चोरी और डकैतियों की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखते हैं। इसलिये ऐसा नहीं करते हैं कि यदि उनके यहां संख्या बढ़ गई तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। यह बड़ी हास्यजनक बात है कि क्राइम्स को दबाने के लिये पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती ताकि पुलिस कोई कार्यवाही

[श्री सुदामा प्रसाद]

न करें। उसकी संख्या इस तरह घटा कर हम इस प्रान्त की सुव्यवस्था और शान्ति को इस तरह दिखा सकते हैं कि क्राइम कम हो रहा है। इस सम्बन्ध में श्रीमन् के द्वारा माननीय पुलिस मंत्री से यह कहूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें कि यह जो थानों में रिपोर्ट कम दिखाने की चेष्टा की जाती है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय न कि उनका नम्बर कम किया जाय।

दूसरी बात हमें यह कहनी है कि जब पहले पहल हमारी कांग्रेस की हुकूमत आई उस समय यह प्रयत्न किया गया था कि थानों में रिपोर्ट बगैर किसी पैसे के या बगैर किसी चीज को लिये ही लिखी जाय। कुछ समय तक तो यह अवस्था ठीक चली मगर आज हम देखते हैं और हमारा अनुभव यह है कि १०० में दो एक ही रिपोर्ट ऐसी होती हैं जो बगैर पैसे की लिखी जाती हों। वह भी यदि किसी अफसर की या लेजिस्लेचर के मेम्बर की हो तो बिना कुछ दिये लिखी जाती है। ९८ फीसदी जो थानों में रिपोर्ट अब लिखी जाती हैं उन पर पैसे लिये जा रहे हैं। इसके अलावा जो आजकल पुलिस का रवैया है वह कुछ अच्छा नहीं है। आज भी गांवों में पुलिस वही काम करती है जो '४७ से पहले करती थी। आज भी गरीब दबाये जा रहे हैं। आज भी पैसा लेकर पुलिस संगीन से संगीन केसेज को छोड़ देती है। हम इस तरफ माननीय पुलिस मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हैं कि हमारे ही गोरखपुर जिले में महराजगंज तहसील में इस वर्ष ३-४ खून हुये। वहां की पुलिस मर्डरर्स (हत्यारों) से मिली हुई थी। बहुत बार हमने चेष्टा की कि मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलायें और यहां से कुछ आदेश भी हुए, लेकिन पुलिस के अभियुक्तों से मिल जाने की वजह से वह केस खराब हो गये और जो मरडरर्स थे वह सब छूट गये। मैंने स्वयं कई बार देखा कि मर्डरर्स से पुलिस बात चीत कर रही है और उनको फाइल दिखा रही है। यह सब बातें इस बात की द्योतक हैं कि यह जो शान्ति की व्यवस्था है वह इस तरह से ठीक नहीं हो सकती है। जो हम सोचते हैं, जो हम एक आदर्श रखते हैं उस आदर्श का प्रतिपालन इस तरह से होना एक हास्यजनक बात है।

एक बात और है और वह यह है कि इन्वेस्टिगेशन विभाग, जो क्राइम्स का इनवेस्टिगेशन करता है और जो क्रिमिनल्स को पनिश करने (अपराधियों को दंड देने) का इन्तजाम करता है, वह अवस्था भी ठीक नहीं है। थानेदार किसी एक केस की जांच करके या अभियोग लगा करके कोर्ट में भेज देता है, लेकिन वहां कोर्ट इन्सपेक्टर्स के पास इतनी फुर्सत नहीं रहती है कि वह उस फाइल को देख सकें और ठीक से उसकी पैरवी कर सकें। परिणाम यह होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वह अच्छे-अच्छे लाइयर्स को रख करके बच जाते हैं। बहुत से केसेज में ऐसा होता है कि स्वयं कोर्ट इन्सपेक्टर्स या सब-इंसपेक्टर्स उनसे मिल कर और उनसे पैसा लेकर उनको छोड़ देते हैं। जो मैंने उपर्युक्त सारी बातें कहीं हैं वह इस बात की द्योतक हैं कि जो हमने एक आदर्श बनाया था कि हमारे प्रान्त की पुलिस एक आदर्श पुलिस होगी, उसमें ईमानदारी से काम करने की भावना होगी, उसके चिन्ह बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मैं यह मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस संबंध में बतायें कि इन सब चीजों को दूर करने के लिए कौन सी व्यवस्था हो रही है या उनको कैसे दबाया जा सकता है।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अभी मेरे लायक दोस्त सुदामा प्रसाद जी ने कटौती के जरिये से अपने ख्यालात का इजहार किया है उसी तरह का मेरा भी कटौती का प्रस्ताव है। मैंने यह मुनासिब समझा कि मैं भी अपने ख्यालात का इजहार करूं। जहां तक हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली का प्रश्न है, मैं इस बात को कहने में कोई पसोपेश नहीं करता कि साधारणतया हमारे देश में और स्टेटों के जो कारनामें हैं और खास तौर पर पुलिस विभाग के, उनको दृष्टि में रखते हुए हमारे सूबे को इस बात का फख्र है कि हमारे जैसा आदर्श और अच्छा इन्तजाम और किसी स्टेट में पुलिस विभाग का भी नहीं है।

पुलिस मंत्री जी की कार्यप्रणाली जहां तक कि उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता, निष्पक्षता और कार्यकुशलता का प्रश्न है, हमारे देश में जाहिर है, लेकिन यह सब होते हुए भी कोई ऐसी बात नहीं है कि यह कहा जाय कि सभी व्यवस्थायें ठीक हो गयी हैं और अब कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। पुलिस विभाग के मंत्री महोदय से मेरा यह नम्र निवेदन है कि पिछले मौकों पर जब कोई ऐसी बात कही गयी थी तो यह आश्वासन मिला था कि उसके करने की कोशिश की जायगी, लेकिन वह चीज नहीं हुई और उस पर मुनासिब तौर पर ध्यान नहीं दिया गया। वह खास बात यह है कि जहां तक सी० आई० डी० का सवाल है वह तो प्रान्त के अन्दर जरूर अपना काम ठीक ढंग से करता है, लेकिन जहां तक जिले का सवाल है वहां जो कुछ कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस स्टाफ के तौर पर रखे गये हैं वह बिल्कुल बेकार हैं। प्रबन्ध तो यह होना चाहिये कि पुलिस विभाग की बुराइयों पर नजर रखने के लिये सी० आई० डी० और डी० आई० एस० का कड़ा नियंत्रण होना चाहिये और देश के और मामलों की तरफ उनका ध्यान होते हुए पुलिस विभाग के कर्मचारियों की तरफ भी उनकी नजर होनी चाहिये और उनको देखना चाहिये कि आया वह पुलिस विभाग के कर्मचारी जिनको एकमात्र जनता का रक्षक मुकर्रर किया गया है कहीं भक्षक तो नहीं बन रहे हैं। मेरा यह ख्याल है कि यह ऐसी बात नहीं कि जो हमारे माननीय मंत्री जी की समझ में न आवे। मेरा तो ऐसा ख्याल और विश्वास है कि जितना हम, लोग जानते हैं उससे वह कम नहीं जानते। वह ऐसे अंग्रेजी जमाने के पुलिस मंत्री नहीं हैं कि जिनको अपने घर का हाल न मालूम हो और वह खाली अफसरों के लिखे हुए कागजों पर महज दस्तखत करने वाले हों और उन्हीं के इशारे पर चलने वाले हों मेरा यह दावा है और इसीलिये मैंने पहले कहा कि हमारी सरकार और हमारे प्रान्त का पुलिस विभाग बदरजहा दूसरे स्टेटों से अच्छा है तो इसके लिये तो हम बराबर बधाई देते हैं। मैं उन बातों को बार-बार दोहराना नहीं चाहता जो मेरे भाई सुदामा प्रसाद जी ने कही हैं। वह बातें बिल्कुल सही हैं। यह ठीक है कि ९५ फीसदी पुलिस विभाग के कर्मचारी, मेरा मकसद यह नहीं है कि बड़े-बड़े अफसरान, थानेदार और हलका इंसपेक्टरान रिश्वत लेते हैं और जब रुपया लेते हैं तो यह एक तरह की ईमानदारी ही हुई कि जिससे रुपया लिया गया उसका काम किया जाय चाहे रुपया देने वाला चोर हो, डाकू हो या बदमाश हो, उसकी मदद करनी ही पड़ती है। मेरा दावा है कि प्रजातन्त्र के युग में कोई भलामानुस रुपया नहीं देगा, वही देगा जो चोर होगा या बदमाश होगा, डाका डालने वाला होगा या जुआरी होगा। मैंने तो गुजिश्ता बजट के सिलसिले में पहले भी कहा था और मैं आज उसको फिर भी कहता हूं कि सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि पुलिस विभाग में ईमानदार आदमी को ऊपर उठने का मौका नहीं मिलता। अगर कोई सब इंसपेक्टर या थानेदार ऐसा हौसला करता है कि जो धर्म और ईश्वर को साक्षी मानकर ईमानदारी और सच्चाई पर काम करने की शपथ लेता है, बड़ी मुसीबत उसके सामने होती है। और उसका हौसला पस्त किया जाता है। उसका आमालनामा खराब हो जाता है और वह तरक्की नहीं कर सकता है। तो मैंने बार-बार कहा कि एक लिस्ट ऐसे ईमानदारों की कांफीडेंशियल बना ली जाय और इंस्पेक्टर जनरल महोदय इस को जरूर बनवायें। इसे आम तौर से जाहिर रखने की जरूरत नहीं है। कम से कम मंत्री महोदय को मालूम हो जाय कि जिलों में कितने अफसर हैं जो रिश्वत नहीं लेते। सच्चाई के साथ काम करते हैं। जो लोग ऐसे मिलें उनको प्रोत्साहन दिया जाय तभी पुलिस विभाग में ज्यादा ईमानदार पैदा होंगे और यह रपट न लिखना और तमाम चीजों को, जो हमारे मित्र सुदामा प्रसाद जी ने कही हैं वे सही हैं, उनको मैं दुहराना नहीं चाहता। मैं फिर निवेदन करूंगा कि आज अगर ज्यादा नहीं तो पांच प्रतिशत तो ईमानदार जरूर हैं, उनके लिये मैं चाहता हूं

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

और कहता हूं कि जो एक पैसा रिश्वत नहीं लेते, आज के जमाने में वह पूजा करने के योग्य हैं यानी पूज्य हैं और जो भी प्रोत्साहन उन्हें दिया जाय वह थोड़ा है। ऐसे लोगों को ऊपर उठाना हमारे देश में सच्चाई की तरफ ले जाने के लिए एक सुगम रास्ता रहा है और आगे भी इसी से देश तरक्की करेगा। जिस विभाग में सच्चे और ईमानदारों को जलील होना पड़े उसमें सच्चाई और ईमानदारी कैसे टिक सकती है।

दूसरे यह जो डी० आई० एस० है उसको जरा बढ़ाया जाय। उसमें बड़े-बड़े अफसरों को मुकर्रर किया जाय और उनकी ड्यूटी हो कि पुलिस विभाग पर कड़ी नजर न रखें। रिश्वतखोरों पर मुकदमा चलाये जायं तब रिश्वत कम होगी। मेरा ख्याल है कि मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल की भी ऐसी ही प्रबल इच्छा है कि जैसी कि हमारे मंत्री महोदय इच्छा रखते हैं कि हमारे पुलिस विभाग में जिन लोगों को रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वह भक्षण करने का काम न करें और उनमें भ्रष्टाचार न हो। हमारे इंस्पेक्टर जनरल ने एक मर्तबा कहा है कि नैतिक उत्थान के लिए धर्म युद्ध आवश्यक है और एक सेकुलर गवर्नमेंट में जहां धर्म का नाम लेना बेकायदा कहा जाता है, वहां इस प्रदेश के इंस्पेक्टर जनरल का यह कहने में न हिचकना कि नैतिक उत्थान के लिए धर्म युद्ध आवश्यक है कितनी प्रसन्नता की बात है। ऐसे ही व्यक्ति पूज्य होते हैं। उनके संबंध में ही कहा जा सकता है कि उनके दिल में एक लगन है कि हम अपने प्रदेश में पुलिस विभाग से भ्रष्टाचार दूर करें। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सी० आई० डी० और डी० आई० एस० में ऐसे ऊंचे ऊंचे अफसर मुकर्रर किये जायं जो लोग भ्रष्टाचार को दूर करें। परित्राणाय साधूनाम्, विनाशाय च दुष्कृताम्। तभी हमारा देश ऊपर उठेगा।

श्री गंगासहाय चौबे--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसमें कटमोशन था। लेकिन मैं इस सिलसिले में अपनी बात कह रहा हूं। मुझे पुलिस और वाहन दोनों विभागों के संबंध में कुछ कहना है। इस लिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि कुछ वक्त की मेरे साथ रिआयत कर दी जाय। पुलिस के संबंध में अभी मेरे दो साथियों ने कहा। मेरा निवेदन यह है कि जब तक मारल स्टैंडर्ड (नैतिक स्तर) ऊंचा नहीं उठेगा तब तक सुधार नहीं हो सकता। हर एक सुधार की बुनियाद चरित्र है। लेकिन इधर जो रफ्तार हमने देखी उसमें हमें कुछ ऐसा लगा कि हमारे यहां सरकार चरित्र के ऊपर उतना ध्यान नहीं देती जितना और बातों पर देती है। हम यह कहते हैं कि चरित्र के मामले में कांग्रेस वाले भी छोड़ दिये गये हैं। मैं एक मिसाल दे कर आगे बढ़ूंगा। सरकार ने पी० आर० डी० (प्रान्तीय रक्षा दल) का मुहकमा खड़ा किया था और पी० आर० डी० में अधिकतर कांग्रेस के स्वयंसेवक जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पूरा-पूरा सहयोग दिया है, शरीक हुए थे, लेकिन जब कि पुलिस का और उनका आमना सामना काम करने में हुआ और उन्होंने इस तरह की हरकतों को रोका जोकि अवाम के खिलाफ थीं तो उनका दरजा नीचा होगया। हमें पता चला है कि पी० आर० डी० के खिलाफ जो रिपोर्ट जाती है वह ठीक नहीं दी जाती। कुछ दिनों पहले तो पी० आर० डी० को पुलिस के मातहत कर दिया गया था लेकिन अब अलहदा कर दिया गया है। हमने देखा है कि पी० आर० डी० वालों के ट्रांस्फर अब इधर उधर हो रहे हैं। आज की जैसी हालत है जिसमें मकान मिलते नहीं और दूसरी मुसीबतें आती हैं उसमें जितना थोड़ा पैसा उनको मिलता है उसमें उनकी गुजर नहीं होती। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन चरित्रवान लोगों को प्रोत्साहन देने की जरूरत नहीं समझी गई। उसी का यह परिणाम है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अभी जिन साहबान ने पुलिस की रिपोर्ट न लिखने की बात कही है मैं उसकी ताईद करता हूं लेकिन उसी के साथ-साथ उसका कारण भी बतलाना चाहता हूं। मैं ऐसे पुलिस वालों को भी जानता हूं जिनकी ईमानदारी में

कोई शक नहीं है और उन्हीं ने यह बताया कि पुलिस का ढर्रा बदल गया। अब वह रिपोर्ट लिखाने वालों से रिश्वत कम लेती है और जो लोग जुर्म करते हैं उनसे रिश्वत ज्यादा लेती है। इस तरह से सारा किस्सा उलट गया। मैं मिसाल के लिए बतलाता हूं कि मैं १२ दिसम्बर को अपनी कांस्टीट्यूयेंसी में गजनेर गया हुआ था। वहां ९ दिसम्बर को, दिन में, जब बाजार लगी हुई थी और जबकि सरकिल इंस्पेक्टर खुद वहां पर थे कत्ल हो गया और उस कत्ल का पता अभी तक नहीं लगा। इसी तरह १० तारीख को एक वारदात हुई। ११ तारीख को २ वारदातें हुई और ११ और १२ तारीख की बीच की रात को ४ वारदातें हुई और जिस गांव में ठहरा हुआ था खुद उन्हीं मेरे दोस्त के यहां डाका पड़ा। सबेरे ४ बजे जब सब लोग जगे। पुलिस भी वहां जल्द पहुंच गई थी। मालूम हुआ कि वे दो परातें बड़ी बड़ी ले कर भागे हैं जो छिपाई नहीं जा सकती, लेकिन यह सब होते हुए भी पता नहीं लगा कि बदमाश कौन थे, और कहां गये? मेरा निवेदन यह है कि यह सब हालत है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि पता नहीं लगा। पता तो लगता है लेकिन पता लगाने की नीयत नहीं है। इसी तरह का एक वाकया रूरा का है। वहां पर भी जिनकी चोरी हुई और जिन्होंने उसकी तहकीकात की मांग की उन्हीं पर दफा १०७ का मुकदमा चलाया जा रहा है।

मेरा तो यह कहना है कि आप को कैबिनेट के मेम्बरान में से ऐसे हैं जो बदमाशों को जानबूझ कर आगे बढ़ाते हैं और अधिकारियों से उन्हें समर्थन दिलाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि आप के ही बीच से इस तरह के इंस्ट्रक्शंस (अनुदेश) पहुंचते हैं और उन लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जिनके चालचलन अच्छे नहीं हैं। अगर आप खुफिया रिपोर्ट तलब करेंगे तो आप को पता लग जायगा और हमारे यहां के कांग्रेस प्रेसीडेंट को धमकी दी गयी कि तुमने फलां आदमी को क्यों नहीं चुनने दिया और इस तरह की बातें होना ठीक नही हैं। इसी तरह से आगरा जिले के बाह तहसील के मान सिंह डाकू का किस्सा है। मुझे पता लगा है कि इमदाद मिलती है और पुलिस से इमदाद मिलती है। मैंने यह थोड़ी सी बात पुलिस के संबंध में कही है। अगर वह चाहेंगे तो जितनी इंफार्मेशन (सूचना) मेरे पास है उन्हें मैं वह सब बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वे इस पर गौर करेंगे।

मैं अब दूसरे विषय पर आता हूं उसके लिए मैंने आज सुबह ऐडजर्नमेंट मोशन पेश किया था और मेरा सौभाग्य था कि माननीय स्पीकर साहब ने कृपा करके यह कहा था कि आज उस संबंध में इस वक्त उस बात को कह सकूं। कानपुर में ९ दिसम्बर से एक झंझट चल रहा है, डेडलाक क्रियेट है। श्रम मंत्री ने कल कहा था कि इल्लीगल (अनियमित) स्ट्राइक है, आज भी कहा कि इल्लीगल स्ट्राइक है। मेरा दावा यह है कि स्ट्राइक लीगल है, इल्लीगल नहीं है क्यों कि मैंने, वहां डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब से जो वहां मौजूद हैं, इस बात की दरख्वास्त की थी कि अगर आप इस इल्लीगेलिटी के ऊपर किसी वर्कर को, यूनियन को जरा सी कोई पनिशमेंट (दंड) दे दें तो हमारा काम बन जाय। हम स्ट्राइक वापस ले लेंगे। वह इस पर तैयार नहीं हुए, इस लिए कि स्ट्राइक लीगल है, इल्लीगल नहीं है। उनकी इस तरह की इन्क्वारी की और कोई वजह नहीं है क्योंकि जब तक किसी के खिलाफ ऐक्शन न लिया जाय तब तक हाई कोर्ट में हम रिट आव मेंडमस मूव नहीं कर सकते। इस लिए यह कोशिश की गयी कि डेडलाक जैसा का तैसा रखा जाय, जबान से कहते रहे कि इस्ट्राइक इल्लीगल है लेकिन इस इल्लीगेलिटी का कोई रिकग्निजशन नहीं लेंगे। इस लिए मैं कहता हूं कि स्ट्राइक इल्लीगल नहीं है। इस समय हालत यह है कि स्ट्राइक नहीं है, खत्म हो गई और अगर स्ट्राइक थी तो मैं कहता हूं कि स्ट्राइक नहीं थी, डेडलाक था। बहरहाल जो कुछ था अगर स्ट्राइक थी तो खत्म हो गयी। वर्कर्स काम पर गये, लेकिन अधिकारियों ने उनको काम पर वापस

[श्री गंगा सहाय चौबे]

लेने से इंकार कर दिया। इस वक्त लाक आउट है। मैं कहता हूं कि यह लाक आउट इल्लीगल है। इस रूप में कि जिस तरह से स्ट्राइक करने के लिए वर्कर को नोटिस देने की जरूरत है उसी तरह से इम्पलायर को भी जरूरत है कि लाक आउट करने के लिए नोटिस दे, लेकिन नोटिस नहीं दिया गया और बिना नोटिस के इल्लीगल लाक आउट कर दिया। ३, ४ दिन से यह है। यह देख कर दरअसल मुझे बड़ी हैरत हुई। उस दिन मंत्री महोदय ने उदारता पूर्वक उस झंझट को खत्म किया और मैं समझता था कि झंझट खत्म हो गया। मैंने स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें वर्कर्स और मंत्री महोदय दोनों को ही बधाई दी थी कि इतनी जल्दी झंझट खत्म हो गया। लेकिन मुसीबत यह है कि कानपुर जब पहुंचा तो देखा कि माननीय मंत्री के झंझट खत्म करने के बाद भी वहां के अधिकारी झंझट खत्म नहीं करना चाहते हैं और वह झंझट चल रहा है। परसों सबेरे हम सब लोग वहां पहुंचे थे। वर्कर्स वहां थे और जिनके जरिये बातचीत हुई थी। श्री सूरज प्रसाद जी अवस्थी और श्री राजा राम शास्त्री, दोनों मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। स्ट्राइक खत्म हो गयी, सब वर्कर्स काम पर गये और हमने कहा कि शान्तिपूर्वक काम करो। यदि गड़बड़ी हुई तो हम लोग एक्शन लेंगे, लेकिन बवजूद इसके उनको लौटा दिया गया कि जब तक यह लिख कर न देंगे कि अनकंडीशनल (बिना शर्त) वापस आ रहे हैं तब तक काम पर नहीं लिए जायंगे। मैं नहीं समझ पाया कि इस तरह की बात किस तरह से पैदा हो गयी। यहां तो यह यकीन हो गया था कि सहूलियत के साथ मामला खत्म हो गया। लेकिन फिर यह जिद मेरी समझ में नहीं आई। जो बात हुई है वह या तो फारमल (औपचारिक) है या इनफारमल (अनौपचारिक) थी। यह नहीं हो सकता कि इसे फारमल माना जाय और न इनफारमल माना जाय। बहरहाल जो कुछ भी हो, जिद पर अधिकारी कायम हैं। मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें कि अधिकारियों को इस तरह की जिद चलाना ठीक नहीं है। कारण मैं जानता हूं। कारण यह है कि ये अधिकारी वे हैं जिन्होंने कांग्रेस रेजीम में अभी काम करना शुरू किया है लेकिन दरअसल वे कांग्रेस के आधार भूत सिद्धान्तों को नहीं जानते। उन्होंने बराबर उस रिजीम में काम किया है जिसमें पब्लिक की बात मानना हेठी समझी जाती थी। उस मनोविज्ञान के कारण उनको समझ में यह बात नहीं आती कि पब्लिक को तकलीफ होती हो तो क्या करे। उनको समझ में नहीं आता कि कर्मचारी भी उन्हीं की तरह के आदमी हैं। उसी तरह की उनकी भावनायें हैं जिनकी कद्र होनी चाहिए। मैं क्या करूं मजबूरी है और जब इस तरह की बात कहूं तो अधिकारियों को बुरा लग जाता है और अब भी कहते हैं कि हम सख्त बात कह देते हैं। कांग्रेस के रिजीम में किसी दूसरी तरह से काम होता था। लेकिन मजबूरी है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से यह जबर्दस्ती स्ट्राइक चलाया गया तो खत्म हो जाने के बाद जबर्दस्ती लाक आउट चलाया जा रहा है जिसकी जिम्मेदारी अधिकारियों पर है। इस तरह से जबर्दस्ती यह बात लिखाकर दें। यह मेरी समझ में नहीं आया।

आप की मार्फत मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर रोडवेज कर्मचारियों का जो यूनियन है यह आई० एन० टी० यू० सी० से एफिलियेटेड है और उसको सरकार की मान्यता प्राप्त है और जो समझौता हुआ था वह भी उनकी राय से ही हुआ था। यह भी मैं आप से कह दूं कि परसों जो झंझट हुआ उस वक्त भी आई० एन० टी० यू० सी० के मंत्री हमारे साथ थे। उन्होंने कुछ खुद कहा था कि जो कुछ यह हो रहा है नामुनासिब हो रहा है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी यह सब कुछ हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह हालत है कि सरकार से मान्यता मिले या न मिले अधिकारी नहीं मानेंगे तो मान्यता मिलना या न मिलना बेकार है। मैं समझता हूं कि जब ऐसा हो जायगा तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा।

मुझे इस बात के लिए भी अफसोस हुआ कि इस संबंध में जो लोग पकड़े गये थे उन्हें सी क्लास दिया गया और कुछ लोगों को बी क्लास मिला, लेकिन जिनको बी

क्लास मिला था लाक आउट होने पर उनको भी सी क्लास में कर दिया गया। यह बात अच्छी नहीं है। न तो यह बात हमको ही शोभा देती है और न सरकार को ही शोभा देती है अगर हम इसको बरदाश्त कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि जरा सी बात में ऐसी परिस्थिति आ जाय कि इस साधारण से दृश्य से ऐसा झगड़ा उठ खड़ा हो जो प्रांत व्यापी हो और हजारों आदमी खामख्वाह झंझट में फंस जायं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हालत अद्भुत है। यूनियन के अधिकारियों के नाम का दुरुपयोग करके आप के अफसरों द्वारा झूंठा तार दे दिया जाता है। मेरठ में भी यहां के कारण स्ट्राइक हुआ था तो हमारे प्रेसीडेंट के नाम से झूंठा तार दिया गया कि कानपुर में स्ट्राइक वापस हो गया। यह ९ जनवरी की चिट्ठी है। इसके बाद तार दिलवाया गया। इस तरह से वहां का स्ट्राइक वापस हुआ। लेकिन मैं यह कहता हूं कि यह तो जालसाजी है, धोखादेही है।

दूसरी बात यह है कि हमारी यूनियन का सेक्रेटरी एक स्टूडेंट है उसको कालेज से निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि इस तरह से जो सब-डिपो हैं वहां तार दिये जाते हैं और इस तरह से झूंठी सच्ची बातें कह दी जाती हैं जिससे कंफ्यूजन क्रीयेट हो जाता है। लड़ाई लड़ने में कोई हर्ज नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ना भी जानते हैं लेकिन लड़ाई में कुछ फेयरनैस तो होनी ही चाहिये। अगर इस तरह की हरकात होती रहीं कि मैं आपकी तरफ से झूंठ सच कुछ भी कह दूं और आप मेरी तरफ से कुछ भी झूठ सच कह दें तो यह लड़ाई नहीं हुई बल्कि इसका नाम तो एक भयंकरता होगी।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि स्ट्राइक अललटप नहीं हुआ। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर वह इंक्वायरी करायेंगे तो उनको मालूम होगा कि उनके आदमी इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये। लेकिन मुसीबत तो यह है कि वही अधिकारी हैं और उन्हीं के पास इंक्वायरी के लिये मामला जाता है जिनके कि खिलाफ शिकायतें होती हैं। जब हम दुहराते हैं तो इस तरह के झंझट में फंसा कर मजबूर कर दिये जाते हैं जिसे चाहे स्ट्राइक कहें चाहे लाक आउट कहें। कुछ समझ में नहीं आता है।

मैं थोड़े से में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं जिसके तारतम्य से आप समझ लें कि किस तरह की बात हो रही है। मैं आपसे कहता हूं कि कानपुर में एक गणेशदत्त शर्मा हैं ये कैशियर हैं इन्हीं शर्माजी ने नेगी साहब को जिनको पहिले जब वे शूगर में थे २५० रु० की रिश्वत के बारे में सजा कराई थी, उन्हीं की उन्होंने सिफारिश की कि उन्हें ट्रेजरर बना दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि एक आदमी किसी को एक जगह तो सजा कराये और दूसरे स्थान पर उसी की ईमानदारी का सर्टिफिकेट देकर ओहदेदार बना दे इसमें कौनसा कारण है। लिहाजा जो कुछ बात है वह यह है उसको मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं।

हड़ताल के दिनों में लोगों से २४ घंटे काम कराया गया, यह भी मेरी समझ में नहीं आया कि किस फैक्ट्री रूल में यह है कि किसी को २४ सों घंटे काम करने के लिये मजबूर किया जाय और उसके खर्च के लिये पूरी और मिठाई के लिये हजारों रुपये खर्च कर दिये जायं। अब न जाने कैसे और कहां से उसका पेमेंट किया जायगा। इस तरह से ये सब चीजें हो रही हैं मुझे मालूम है कि ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर से एक मामले में पूछा गया कि उस आदमी को प्रमोशन क्यों दिया गया जब कि वह उसका हकदार नहीं था लेकिन इस हुक्म को भी नहीं माना गया, उस साधारण अधिकारी ने उसके उस हुक्म को नहीं माना। एक और साहब हैं जो पढ़े-लिखे नहीं हैं और असिस्टेंट बुकिंग क्लर्क हैं। महीने में एक दिन आते हैं, उसी दिन उनको तनख्वाह भी मिल जाती है फिर २९ दिन उनको आने की जरूरत भी नहीं है। इस किस्म की हरकतें इस विभाग में हो रही हैं। मैं चाहता हूं, मंत्री महोदय, इस बात पर ध्यान दें और जिस तरह से उन्होंने हड़ताल को समाप्त कराया उसी तरह से अब इस लाक आउट को भी समाप्त करें और एक इम्पार्शियल

[श्री गंगा सहाय चौबे]

ट्रिब्यूनल बैठावें। इस तरह से उनको लाखों रुपये का फायदा हो सकता है और जो अंधाधुंधी और चोर बाजारी चल रही है वह बंद हो जायगी। वहां अधिकारियों को ऐसे बड़े अधिकार मिले हुये हैं कि जो चाहें वह करें। मैंने बजट पर बोलते हुये निवेदन किया था कि इस विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर महोदय हैं जब उनकी हालत यह है कि एक समझौता होता है, १० महीने तक उसके बारे में कुछ नहीं करते और फिर १० महीने बाद कहते हैं कि हम उस समझौते को वापस लेते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि मातहतों की तो हालत ही क्या होगी। इससे तो यही नतीजा निकल सकता है कि उनकी बदौलत विभाग का सत्यानाश ही होने वाला है, मैं चाहता हूं कि इस सत्यानाश को रोका जाय। आपकी एक स्टेशन वैगन को एक लोकल अधिकारी ने तोड़ दिया हुक्म हुआ कि उसकी मरम्मत का ३०० रुपया उससे वसूल कर लिया जाय, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि यह सब सरकारी पैसे से हो रहा है। इस समय इतना वक्त नहीं कि पूरी डिटेल में सारी बातें यहां पर कही जा सकें, लेकिन अगर आप हमें मौका दें, जांच करायें, तब हम सारी बातों को जांच कमेटी के सामने रख सकते हैं। आपने ट्रान्सपोर्ट के अधिकारियों को खुला लाइसेंस दे रखा है, प्रोटेक्शन के नाम पर उससे प्रोटेक्शन होने वाला नहीं है, इन बातों से इन लोगों की भलाई भले ही हो लेकिन इससे गवर्नमेंट की प्रेस्टीज को धक्का ही लगेगा और अवाम को इससे तकलीफ होती है।

मैं इन चीजों को कहां तक गिनाऊं, मैं चाहता था कि इन बातों को दूर करने के लिये आप कोशिश करेंगे। हालत यह है कि आपके यहां जिन लोगों को अधिकार नहीं है वे एडवांस रुपया ले लेते हैं और आठ-आठ दस-दस महीने तक अपने पास रखे रहते हैं, उनका कुछ करते नहीं। इस तरह की बातों से आपकी प्रेस्टिज नहीं बढ़ सकती है। इसलिये मेरा निवेदन यह है और मैं यह चाहता हूं कि आप इन सब बातों पर विचार करने की कोशिश करें और इस कटमोशन को पेश करते हुए मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ट्रांसपोर्ट के मामले में एक इनक्वायरी कमेटी बिठावें और इनक्वायरी कमेटी बिठाने के बाद आपको इस तरह के सबूत मिलेंगे कि किस तरह से ये कर्मचारी लोग, जो कि सब से बड़े ऊंचे-ऊंचे आफिसर हैं इन्होंने कोशिश करके मुसलसल चोरी का जरिया बना लिया है। और उनके नीचे जो अधिकारी लोग हैं उनमें अगर कुछ ईमानदार निकले और उन्होंने पोल खोलने की कोशिश की तो उनको फौरन ऐसी मुसीबत में डाल दिया जाता है कि वे बेचारे कुछ कहने से मजबूर हो जाते हैं या अगर कुछ कहते हैं तो उसके लिये इस तरह की बातें कह दी जाती हैं कि इसको इस मामले में यह सजा मिलने वाली थी और इसी वजह से इसने ऐसी गलत बात कही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी बातें इस तरह की कही जाती हैं वे सही नहीं होतीं बल्कि सीधी सादी बात तो यह है कि इस डिपार्टमेंट ने मुसलसल इस तरह से चोरी करते रहने का एक जरिया बनाया है। दूसरी तरफ कर्मचारी ऐसी मुसीबत में हैं कि वे क्या करें। उनमें कुछ भले आदमी हैं जो कहते भी हैं तो उनकी बात का कोई खयाल नहीं किया जाता। आपके यहां के ड्राइवरों को मिलता था २०--२--६० और २० रु० एलाउन्स मिला कर ६० रु० मिलता था लेकिन आपने उनकी गरीबी और मुफलिसी से भी फायदा उठाने की कोशिश की। अब आपके यहां ड्राइवर और क्लीनर को ४५-३-७५ मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि आप जरा गौर करें कि गवर्नमेंट सब से बड़ी इम्पलायर है और यह गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट होने के नाते और गांधी जी का नाम लेने के नाते एक आदर्श इम्पलायर की तरह से अपने को रिप्रेजेंट करती है और अगर उसकी हालत यह हो जाय कि एक आर्डिनरी इम्पलायर से भी वह नीचे गिर जाय तो यह बड़े ही अफसोस की बात होगी। मैं आपको बतलाऊं कि आपके यहां इस तरह की हालत है। कंडक्टर तो पढ़ा लिखा आदमी होता है और ड्राइवर टेकनिक जानता है। वे कोई अनारी आदमी नहीं होते हैं लेकिन इनको जितना आप देते हैं उसके सवाई से ज्यादा कानपुर के कारखानों में इनको मिलता है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इस तरह से उनकी गरीबी से फायदा उठा कर उनको भूखों मार कर आप अपने डिपार्टमेंट का काम अच्छी तरह से चला सकते हैं ?

इसी तरह से मैं आपको बतलाऊं कि आपके डिपार्टमेंट में किसी कानून कायदे की बात नहीं मानी जाती बल्कि वहां दस्तूर यह है कि गैर-कानून ही वहां का कानून है। तो यह अतिशयोक्ति न होगी कि वहां महीनों बरसों गुजरने के बाद भी लोगों का पेमेंट नहीं किया गया, उनकी तनख्वाहें रोक रक्खी गयीं और अब कहा जाता है कि ८, १० दिन में हिसाब कर दिया जायगा। अब आप सोचें कि उनके लिये वेजेज ऐक्ट लागू होता है या नहीं। अगर वेजेज ऐक्ट अप्लाई (लागू) किया जाय तो फिर क्या होगा? आपका डिपार्टमेंट कोई कानून नहीं बरतता, यह वहां के कर्मचारियों के ऊपर है कि वे जिस तरह से चाहें अपने यहां कानून का इस्तेमाल करें जिसे मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है और इसे दूर होना चाहिये। यह कितने ताज्जुब की बात है कि आज तीन वर्ष हो गये लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में होते हुए भी उनको गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं समझा जाता। फैक्टरी ऐक्ट में जितनी डिसए'बल बातें हैं वे तो उन पर लागू की जाती हैं, लेकिन जो फेवर की बातें हैं वे उन पर लागू नहीं की जातीं। और मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेंट के लिये शोभनीय नहीं है। अगर किसी आदमी से अधिकारी नाराज होते हैं तो पहरेदार को कह कर के उसे १० दिन तक घुसने नहीं देते और ग्यारहवें दिन आने पर कह देते हैं कि तुम इतने दिन ऐब्सेंट (अनुपस्थित) रहे इसलिये तुम निकाल दिये गये। इस तरह से आपकी मरहठी चल रही है और मैं समझता हूं कि इस तरह की मरहठी न चलनी चाहिये (हंसी)। खैर, खेर साहब मरहठी शब्द से नाराज हो रहे हैं इसलिये मैं उसे वापस लेता हूं। उससे मेरा मतलब यह था कि यह जो आपकी घिसघिस चल रही है, यह जो अनियमितता चल रही है यह किसी के लिये भी शोभनीय नहीं है। इसी तरह से तनख्वाह का हिसाब, छुट्टी का हिसाब कोई भी किसी तरह का हिसाब नहीं है। हमने भी पढ़ा था जो हमारे माननीय मंत्री ने एक बार कहा था कि रोडवेज में बड़ी सुविधा है। जितने जोन को मैं जानता हूं उसमें तो वहां पर ऐसी सुविधा नहीं है और न कोई रेस्ट हाउस ही है। उन्होंने कहा था कि बहुत सस्ता रेट है। मैं आपसे क्या बताऊं वह सस्ता रेट यह है कि रेलवे के इन्टरक्लास में १ रुपया १३ आना लगता है, लेकिन रोडवेज में लखनऊ से कानपूर जाने के लिये १ रुपया १४ आना से कम का टिकट नहीं है। यह सस्तापन है और यह तो इन्टरक्लास की बात है। तीसरे दर्जे का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर भी यह कहना कि सस्ता है बड़ी सुविधा है समझ में नहीं आता है। अब इस तरह से.......

माननीय श्री लाल बहादुर—डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जो बहस श्री गंगासहाय जी कर रहे हैं वह अगर जनरल बजट के वक्त होती तो ज्यादा मुनासिब था वह शायद कोई भी मसला ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसको वह न कहें। अगर वह यह प्रयत्न करें कि अपने को अनुदान की कटौती तक ही सीमित रखें तो ज्यादा उचित होगा।

उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह अनुदान तक ही अपने भाषण को सीमित रखें।

श्री गंगासहाय चौबे—मैं बहुत सी बातें कह गया और माननीय मंत्री जी को ऐसा लगा कि मैं दूर चला गया। मैं उनसे बतला रहा था और फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में वह एक इन्क्वायरी करें और तब यह सब मामला साफ हो जायगा और सब बातें रोशन हो जायंगी। इसके बाद मैं फिर वहीं पर आता हूं कि आपने एक जिच की हालत पैदा कर दी है जिससे वहां के कर्मचारी...............

श्री कृष्ण चन्द्र—माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं और वह कटौती का प्रस्ताव पुलिस के सम्बन्ध में है। तो उस कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुये क्या माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि वह पुलिस के अलावा वाहन विभाग पर भी बोल सकें?

उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि यह दोनों ही मांगे साथ-साथ पेश हैं और सहूलियत के लिये इन दोनों को साथ पेश कर दिया गया था।

श्री कृष्ण चन्द्र--मांग तो दोनों पेश हैं लेकिन कटौती का प्रस्ताव जो है वह पुलिस के सम्वन्ध में है। जब वह कटौती खत्म हो जाती तब वाहन विभाग पर वह बोल सकते थे।

श्री गंगा सहाय चौबे--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रोफेसर साहब को यह बताना चाहता हूं कि सबेरे जब मैंने अपना एडजर्नमेंट मोशन पेश किया था तो मुझे स्पीकर साहब ने इस बात की इजाजत दी थी कि मैं इस कट मोशन पर बोलते हुये अपनी बात कहूं। इसलिये मैं अब आपके सामने यह कह रहा हूं कि कानपूर रोडवेज में एक जिच क्रियेट (उत्पन्न) हो गई है। आप उसको इल्लिगल कहते हैं जो कि नामुनासिब है और आपके अधिकारियों की ओर से एक लाक आउट कर दिया गया है जो इल्लिगल है जिसके कारण सारे कर्मचारियों में एक मुसीबत की परिस्थिति पैदा हो गई है। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन यह है कि किसी तरह से कृपा करके इस जिच को दूर करें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें प्रेस्टिज का सवाल हो या वे लोग कोई ट्रबुल क्रियेट करना चाहते हों वह तो आपके अनुग्रहीत होंगे यदि आप इस दिक्कत को हल करने की कृपा करें, इसमें उनकी मेहरबानी होगी और उसके साथ ही साथ उन पर चारों तरफ से धन्यवाद मिलेगा और साथ ही कर्मचारी भी मुसीबत से बच जायंगे और काम भी ठीक तरह से चलने लग जायगा। मैं इतने निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और मुझे खुशी है कि उस दिन हमारे शास्त्री जी भी मौजूद थे और परसों भी वह गवाही के रूप में मौजूद थे और जो कुछ वहां हुआ वह सब जानते हैं।

श्री बादशाह गुप्त--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आज जो पुलिस सम्बन्धी अनुदान के ऊपर हमारे सदन ने नुक्ताचीनी की है वह तो स्वाभाविक ही है। हमारे प्रदेश में जितने भी विभाग हैं उनमें से दो विभाग मुख्य रूप से ऐसे हैं जिनका सीधा सम्बन्ध जनता से पड़ता है और यह दो विभाग हैं, एक तो पुलिस का विभाग और दूसरा खाद्य का विभाग, सप्लाई डिपार्टमेंट। पुलिस विभाग जिसके कि सम्बन्ध में इस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें मोटे तौर पर सब ओर से गड़बड़ियां नजर आ रही हैं और चूंकि इस का सीधा सम्बन्ध प्रत्येक व्यक्ति से है इसलिये इसमें सुधार होना बहुत ही आवश्यक है। आज के जमाने में बड़ी कठिनाई से लोग-बाग गुजर कर पाते हैं, हर चीज की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं और जितने पेशे हैं वह भी अच्छी तरह से चल नहीं रहे हैं क्योंकि कंट्रोलों की बहुत ज्यादा भरमार है। जो नौजवान मुल्क में पैदा होता है वह बड़ा होने पर गुजर बसर का कोई सुगम रास्ता ढूंढता है और अगर वह कोई सही रास्ता नहीं ढूंढ पाता है तो वह नौजवानी के किसी रंग में रंगकर देखता है कि पैसा कैसे सुगमता से पैदा हो सकता है। अरसे से मिस्त्री लोग जगह बजगह बसते आये हैं और वह हर तरह के हथियार हमेशा से बनाते रहे हैं। वह लोग अंग्रेजों के जमाने तक में अग्निअस्त्र बनाते रहते थे और उनको चोरों और डाकुओं को बेचा करते थे और उनका वही सिलसिला आज भी चालू है। उनकी जो अस्त्रशस्त्र बनाने की योग्यता है उसकी ओर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया और न उससे लाभ उठाने का ही कभी प्रयत्न किया है। आज भी यह देखने में आता है जो लोग लाइसेंस प्राप्त कर के हथियार लेना चाहते हैं वह ९००, १००० या १२,००० रुपया देकर विदेशी हथियार खरीद पाते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने कभी इस प्रकार का प्रयत्न नहीं किया कि वह अपने कारखानों में इस प्रकार के अस्त्र बनवाने का प्रबन्ध करे और जनता को लाइसेंस देकर हथियार सस्ते दामों पर दिये जायं। इस तरह से लाखों की सम्पत्ति बाहर जाने से रुक सकती है। ऐसे मिस्त्री बराबर काम चालू किये हैं और उसके फलस्वरूप देश में बदमाशों को सस्ते मूल्य पर हथियार मिल जाते हैं और अच्छे आदमियों को वह नहीं मिल पाते, क्योंकि एक तो उनकी कीमत बहुत ज्यादा है और उनके मिलने में भी बहुत बड़ी कठिनाई होती है। जब कभी कोई पुरुष दरख्वास्त देता है कि हमको हथियार दिया जाय तो उस को देने के लिये उचित दृष्टिकोण हमारे अधिकारी वर्ग का नहीं रहता। हमारे विचार में हथियार देने की कसौटी यह रखना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति ऐसा भला है या नहीं कि उसको अगर हथियार दे दिया जाय तो वह उसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा। मगर आज जिस दृष्टिकोण से वह दिये जाते हैं उनमें यह पूछा जाता है कि तुमको विशेष रूप से उसकी क्या आवश्यकता है और दूसरी बात यह पूंछी जाया करती है कि आया उस गांव के रहने वालों के पास हथियार

हैं कि नहीं जिसके कारण इस बात का निर्णय किया जा सके कि हथियार उसको देना आवश्यक है कि नहीं। फल यह होता है कि इन दो आधारों को ले कर जितनी भी दरख्वास्तें लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये लोग देते हैं वे अधिकांश में खारिज होती रहती हैं और भले आदमियों के पास हथियारों की कमी रहती है और बदमाशों के पास बहुतायत रहती है। फल यह होता है कि सब जगह गड़बड़ी मची रहती है और परिस्थिति काबू में नहीं हो पाती।

एक बात की ओर मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में केवल पांच जगहों की रिपोर्ट लेनी पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, सब डिवीज़नल आफिसर से और तहसीलदार से और पुलिस के डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस से और थानेदार से। इन पांच जगहों से रिपोर्ट लेने में कई कई वर्षों का समय लग जाता है। मेरा निवेदन यह है कि जहां कहीं भी देरी होती है उससे करप्शन (भ्रष्टाचार) बढ़ता है। जहां कहीं भी किसी काम के करने में, कर्त्तव्य के पालन करने में, ज्यादा देर होती है वहां जो प्रार्थी होता है वह रिश्वत देने के लिये मजबूर हो जाता है। यदि इस तरह के नियम बनाये जायं कि हर एक शख्स अधिक से अधिक दस या पन्द्रह दिन में रिपोर्ट देने के लिये मजबूर होगा तो न इतनी देरी हो और न रिश्वत देने के लिये ज्यादा लोग मजबूर हों। इस तरीके से भ्रष्टाचार फैलने में बहुत कमी की जा सकती है।

इसके बाद दूसरी जो दिक्कत पैदा होती है वह यह है कि बदमाश ज्यादा तादाद में होने के कारण बदमाशियां करते हैं और जब कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है तो रिपोर्ट लिखी नहीं जाती। कहा यह जायगा कि हमने एक रास्ता बताया है कि अगर थाने में रिपोर्ट न लिखी जाय तो पुलिस सुपरिटेंडेंट को एक रजिस्ट्रीशुदा दरख्वास्त भेज दी जाय और वह रिपोर्ट के तरीके पर काम करेगी। मगर आप यह भूलते हैं कि जो भी शख्स इस हथियार को इस्तेमाल करता है अपने को खतरे में डालता है। जब कभी भी कोई शख्स किसी दरोगा के खिलाफ सुपरिण्टेंडेंट को लिखता है तो उसका तरीका जांच का यही रहता है कि सुपरिन्टेंडेंट महोदय उसी थानेदार से उसके ऊपर रिपोर्ट लेते हैं जिसके खिलाफ यह शिकायत की गयी है। वह थानेदार और चिढ़ जाते हैं और उस मामले में नहीं तो किसी दूसरे मामले में उसको फंसा देते हैं और जिस मामले में वे लिखते हैं हर तरीके से उसके खिलाफ ही लिखते हैं। फलतः जनता को इससे कोई आराम नहीं पहुंच पाता।

इसके बाद, श्रीमान् जी, मैं आपका ध्यान अदालती कार्यवाही की तरफ दिलाना चाहता हूं। किसी भी जिले में आप जायें और अगर आप यह पूछने की कोशिश करें कि क्रिमिनल प्रैक्टिस में कौन होशियार वकील है तो हर आदमी उन्हीं वकीलों को बतायेगा जिनका पेशा बदमाशों को छुड़ाने का है। गवर्नमेंट प्लीडर कहीं पर भी शोहरतमन्द नहीं पाये जायंगे। जो छुड़ाने वाले वकील हैं वही होशियार बताये जायंगे। उनको अधिक तजुर्बा होता है और वे पैसा भी अधिक कमाते हैं। इसी तरीके से जो एस० पी० ओज़० हमारे यहां मुकर्रर किये जाते हैं वे उसी श्रेणी में आते हैं जो कम पैसा पैदा करते हैं, कम तजुर्बेकार होते हैं और कम योग्यता रखते हैं। ऐसे एस० पी० ओज़० जब कभी अदालत में जाते हैं तो न तो ठीक ढंग से वे मामले को रख पाते हैं और न कामियाबी के साथ किसी मुकद्दमे की बहस कर पाते हैं। फल यह होता है कि जो बदमाश पकड़े जाते हैं उनके भी मुकद्दमे ठीक ढंग से पैरवी न होने के कारण जल्द छूट जाते हैं। इसका फल यह होता है कि बराबर बदमाशियां बढ़ती रहती हैं। मेरा सुझाव है कि ये जो एस० पी० ओज० हैं वे ज्यादा योग्य आदमियों में से छांट कर रखे जायं। २५० रुपये जो उनको तनख्वाह के दिये जाते हैं यह मैं समझता हूं कि बिलकुल गैर मुनासिब है। इंतजाम करने के लिये तजुर्बेकार व्यक्ति होने चाहियें।

दूसरी बात यह है कि एस० पी० ओज० अधिकतर जहां के रहने वाले हैं उसी जिले में वे काम करते होते हैं यानी वहीं रख लिये जाते हैं। अपने घेरघिराव के कारण वे अक्सर ठीक तरह से पैरवी नहीं करते हैं। रिश्वत तक ले लेते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह

[श्री बादशाह गुप्त]

एस० पी० ओज० आम तौर पर दूसरे जिलों में भेज दिये जायं तो उनकी घिरावट कम हो। इससे रिश्वतवाला मामला कम होगा।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो निरोधक यंत्र कानपुर और लखनऊ के लिये खरीदे हैं। पहले दोनों जगह की म्युनिसिपैलिटियां उनकी मालिक थीं। सरकार ने उनको लिया और १ लाख ३४ हजार रुपया उसमें लगाया। यह नहीं पता चला कि सरकार का इस बारे में उद्देश्य क्या था। उसने क्यों उनको खरीदा? क्या उनका इस्तेमाल लखनऊ और कानपुर म्युनिसिपैलिटियों के ही अन्तर्गत करने का था। क्या सरकार का इरादा इनको किन्हीं और क्षेत्रों में प्रयोग करने का है? मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर प्रकाश डाले कि वे किस उद्देश्य से खरीदे गये हैं। यह भी बताया जाय कि जब से वे खरीदे गये हैं तब से वे कानपुर और लखनऊ से बाहर कहां-कहां प्रयोग में लाये गये हैं।

श्री राजाराम शास्त्री--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस समय पुलिस और वाहन विभाग के बारे में संयुक्तरूप से विचार हो रहा है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जहां तक इन विभागों के जनरल डिस्कशन (सामान्य विवाद) का ताल्लुक है, आम बहस का सम्बन्ध है, वह तो जब बड़ा बजट पेश होगा उस मौके पर विस्तार के साथ कुछ कहा जा सकेगा। जो मसला पेश है उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे भी देहातों में जाने का मौका मिलता है। मैं मंत्री जी की सूचना के लिये केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप के भाषण में जो भावना है और जो आप इस बात पर जोर देते हैं कि पुलिस जनसेवक बने वह बात पुलिस में जितनी आनी चाहिये नहीं आ रही है। हर जनता यह महसूस करती है कि पुलिस के रवैये में बिलकुल रत्तीभर भी फर्क नहीं आया है। यह ठीक है कि माननीय पुलिस मंत्री से पुलिस के रवैये में फर्क आ गया हो मगर मैं यह कहता हूं कि ये चीजें ऐसी नहीं हैं कि पुलिस के रवैये में एक या दो ही दिन में फर्क आजाय।

पुलिस की शिक्षा विदेशी हुकूमत में लगातार वर्षों तक चली और एक खास उद्देश्य को लेकर उनका शासन होता था। उस स्कूल की शिक्षा पा करके उनके सारे जीवन में जो दृष्टिकोण बना वह जल्दी बदल नहीं सकता लेकिन मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि पुलिस के अधिकारियों को अगर यह विश्वास हो जाय कि समय के साथ अगर वह अपने दिमाग का परिवर्तन नहीं करते तो वह नहीं चल सकते। तो जिस तरह से आज उनको खुली छूट मिली हुई है और जिस तरह से वह महसूस करते हैं कि उनको इसकी खुली छूट मिली हुई है कि वह जिसके साथ जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, यह चीज कम हो जायगी। माननीय मंत्री जी जिस वक्त ऐसे अफसरों के सम्बन्ध में बात कहते हैं, मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि नीचे के जो लोग हैं जिनका सीधा सम्बन्ध जनता से है, उनसे जनता सन्तुष्ट नहीं है। मेरा ऐसा ख्याल है कि जिस किसी शख्स ने, चाहे किसी शहर का हो, चाहे किसी गांव का हो, अगर पुलिस में जाकर कोई रिपोर्ट लिखा दी, या किसी ने बदमाशी की हो और उसको पकड़वाने की कोशिश कर दी, और पुलिस अगर उस बदमाश को पकड़ना न चाहे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिसने शिकायत की है वह बेचारा मुसीबत में पड़ जाता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस राज्य में पुलिस जिसके खिलाफ हो जाय उसकी खुदा ही हिफाजत करे तो करे, हमारे मिनिस्टर साहब भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकते हैं। आप बड़ी कोशिश करेंगे, तो आर्डर भेज देंगे और जितना फाइलों का काम है उसको करेंगे, लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि जिस व्यक्ति को रोजमर्रा पुलिस से पाला पड़ता है उसकी वही हालत होती है कि पानी में रहना और मगर से बैर रखना। हजार कायदे कानून बनें, लेकिन पुलिस जिसको तबाह करना चाहे उसको तबाह करके छोड़ सकती है। पुलिस एक मुकद्दमा चलायेगी, अगर उससे वह आदमी बच गया, तो दूसरा मुकद्दमा वह चलायेगी और दूसरे से भी बच गया तो तीसरा मुकद्दमा चलावेगी। मेरे सामने भी बहुत से ऐसे ऐसे वाकयात आये हैं कि जिन लोगों ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी और पुलिस को चुनौती दी कि तुम जितना चाहो जुल्म करो लेकिन जो सच्ची बात है उसके लिए हम लड़ते ही रहेंगे, अन्त में वह भी इतना पस्त

हो गये कि उन्होंने डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी लिखा और हमको भी लिखा कि हमारी जिन्दगी बिलकुल तबाह हो गयी है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक यह तक रवैया बदलेगा। मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि छोटी-छोटी चीजों में बाज दफा पुलिस बहुत सरगर्मी दिखा देती है, लेकिन जो ऐसे वाकयात होते हैं जिनमें पुलिस को सरगर्मी दिखाना चाहिये उनमें वह सरगर्मी नहीं दिखायी पड़ती है। नतीजा यह होता है कि लोगों के दिल में यह बात पैदा होती है कि बड़ों को बहुत छूट मिलती है लेकिन जो छोटे होते हैं उनको नाना प्रकार के जुर्मों में फंसाया जाता है। जब मैं जेल का मुआयना करने जाता हूं तो यकीन मानिये कि बहुत से आदमी सामने खड़े होकर आंसू बहाने लगते हैं। बहुत से यह कहने लगते हैं कि हमारी जिन्दगी ऐसी हो गयी है कि जेल के दर्वाजे के बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, जहां बाहर निकलते हैं फौरन ही १०९ और ११० में फिर बन्द कर दिये जाते हैं और साल–साल भर से पड़े हुये हैं लेकिन पेशियां ही नहीं होती हैं। उनकी समझ में ही नहीं आता है कि किस से शिकायत करें।

अक्सर मैं सुना करता हूं कि सरकार का हुक्म हो गया है कि अब ज्यादा दिन तक मुकदमें नहीं चलेंगे जल्द से जल्द उनका फैसला हो जायगा लेकिन मैं थोड़े दिन पहले कानपुर की जेल में मुआयना करने गया तो मैंने देखा कि १२,१२ और १३,१३ महीने से लोग बन्द हैं लेकिन उनकी पेशियां नहीं होती हैं। मैं यह जानता हूं कि माननीय मंत्री जी के हृदय में बहुत कुछ भावनायें हैं कि पुलिस विभाग को रास्ते पर ला करके जनता की सेवा करें और पुलिस को जनता का रक्षक बनायें लेकिन असल वाकया यह है कि इसमें कामयाबी मिल नहीं रही है। अब मैं सोचता हूं कि क्या किया जाय। जैसा अभी चौबे जी ने कहा ठीक है मेरा भी ऐसा विश्वास है कि मिनिस्टर साहब भी कोई जादू नहीं कर सकते हैं। हम इन पुलिस वालों को क्या कहें। देश में जो हालत आज सब छोटे बड़ों की हो रही है उसको देखते हुये इन बेचारे पुलिस वालों को क्या कहा जाय कि यह ऐसे हैं यह वैसे हैं।

हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मिनिस्टर से लेकर चपरासी तक हम जो सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं खुद हमारा यहां तक कि जब तक पूरे राष्ट्र के चरित्र का निर्माण नहीं होता है तब तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम चाहे कितना ही एक दूसरे को बुरा कहें चाहे हम कितनी ही एक दूसरे की आलोचना करें लेकिन उससे काम बनता हुआ नजर नहीं आता है। अब हम को सोचना यह है कि एक गाड़ी की पटरी बनी हुई है और उस पर गाड़ी दौड़ती चली जा रही है। अब उससे जो भी नतीजे हों वह हो सकते हैं। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि क्या कोई तरीका ऐसा समझा जा सकता है जिसकी वजह से जो शिकायतें होती हैं जनता की रक्षा हो नहीं पाती वह की जा सके। तरीका एक यह भी हो सकता है कि जगह जगह पर जहां कहीं भी कोई वाकयात हों जहां कहीं कोई पुलिस आफिसर किसी बेगुनाह को फंसाता है अदालत में अगर वह बेगुनाह साबित होता है और किसी तरह से उन पुलिस के अफसरों को डर हो कि अगर हमने बेगुनाह इनसान को फांसा तो हमारे ऊपर कार्यवाही हो सकती है तो मेरा अपना ख्याल है कि शायद बेगुनाहों को फांसते हुये उन्हें डर हो। लेकिन फिर उसका नतीजा यह निकल सकता है कि माननीय मंत्री समझ सकते हैं कि कल यहां गुनाह भी होते रहेंगे, बुरे काम होते रहेंगे तो भी बहुत से अफसरान हाथ खींचे रहेंगे और कहेंगे कि गवर्नमेन्ट और मिनिस्टर साहब संभालें, हमसे यह काम नहीं हो सकता तो ऐसी मुसीबतों में हमारा राज–पाट हो रहा है। मैं समझता हूं कि जो हालात हैं उनके बीच से तो हमको काम करना ही पड़ेगा।

मेरा यह ख्याल है कि अगर इस पुलिस विभाग के साथ साथ जिस तरह से और विभागों में कुछ ऐडवाइजरी कमेटीज वगैरह बन गयीं और यह कोशिश की जाती है कि अगर किसी विभाग में कोई खराबी हो तो उसको दुरुस्त करने की

[श्री राजाराम शास्त्री]

कोशिश की जाय हालांकि हमने कितनी तरक्की की यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अगर किसी विभाग के लोगों को यह मालूम हो जाय कि दूसरे लोग भी साथ में हैं। अगर गलती करेंगे तो उसकी निगरानी हो सकती है तो मेरा ख्याल है कि शायद इसमें हम कुछ तरक्की कर सकते हैं। मगर ऐडवाइजरी कमेटियां बन जायं तो भी खतरे की बात है कि आजकल ऐडवाइजरी कमेटियों की जो हालत होती है वह सबको मालूम है। अगर लोग कहीं कहने लगें कि पुलिस के अफसरान करें तो करें जो उनको ऐडवाइज करने (मंत्रणा देने) वाले हैं वह कहीं चौपट करने वाले न हो जांय। मैंने जैसा कहा कि बीमारी है यह मान लिया कि वह है लेकिन इलाज तो करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री दूसरे विदेशों की बातें पढ़ते रहते हैं और अपने विभाग में भी काफी इस तरह की चीजें लाने की कोशिश करते हैं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप के विचार में, आपके भाषणों की भावनाओं में और आप के विभाग के कारनामों में और उनका जनता पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें जमीन आसमान का अन्तर है। आप संतुष्ट होकर न बैठें क्योंकि जनता असन्तुष्ट है। इसको आप अच्छी तरह से महसूस कीजिये। अगर ये असन्तोष मिट जायं तो मैं आप से कहता हूं कि जितनी भी आप प्रशंसा करना चाहें अपने अफसरान की करें मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं भी समझता हूं कि हमको जिन लोगों से काम लेना है उनकी प्रसंशा करनी चाहिये। कोई भी सरकारी अफसर या पुलिस का अफसर अगर अच्छा काम करता है, गुनहगारों को पकड़ता है, डकैतियों को कम करता है, चोरियों को कम करता है या अपनी जान को खतरे में डाल कर जनता की सेवा करता है और पुलिस के मिनिस्टर उसकी तारीफ करते हैं तो यकीन मानिये उस तारीफ में मैं पूरी तरह से साथ हूं। लेकिन इतनी दरख्वास्त करूंगा कि हम लोग जनता के बीच में जाते हैं जनता की मुसीबतों को सुनते हैं उनकी कोई बात आप के सामने कहते हैं तो आप महसूस कर लीजिये कि जितना आप समझते हैं कि यहां की जनता सन्तुष्ट है उतनी वह नहीं है। आप को कोई न कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे पुलिस का सुधार हो सके।

एक खास बीमारी और पैदा हो रही है। बड़े अफसरान के लिये मैं नहीं कहता लेकिन एक आध जगह जो वाकयात मेरे सामने आये तो मैं हैरान रह गया। अभी थोड़े दिन हुये कानपुर में एक वाक्या हुआ कि एक पुलिस के अफसर पहुंचे एक मकान खाली कराने के लिये। मामूली सी कोई झोपड़ी थी एक मजदूर की, वहां पहुंचे और कहा कि निकल जाइये। मजदूर काम पर गया हुआ था वहां पर सिर्फ उसके बीबी बच्चे थे। उसी वक्त हुक्म हुआ कि खाली कर दो। उसी वक्त कोई सोशलिस्ट महाशय वहां पहुंच गये। उन्होंने उस पुलिस अफसर साहब से कहा कि इतनी सख्ती क्यों करते हो ? इसी पर आप यकीन मानिये कि उन महाशय जी को इतनी पिटाई हुई कि क्या कहा जाय। उनसे कहा गया कि हम इन्तजाम करते हैं तुम सलाह देने वाले कौन ? नतीजा यह है कि उनकी पिटाई हुई और जब वह मेरे पास पहुंचे तो मैं उच्च सरकारी अफसर के पास गया। उच्च सरकारी अफसर ने दारोगा जी को टेलीफोन किया कि कल जो वाक्या हुआ था वह क्या हुआ तो वह कहते हैं कि "कल का वाक्या वह सोशलिस्ट वाला ? वह तो सोशलिस्ट पार्टी के आदमी का था।" तो मैं तो वहां बैठा हुआ था। मेरे सामने ही सरकारी अफसर ने उनको डांटा कि चाहे सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो लेकिन जहां तक गलती का ताल्लुक है आप को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये। अगर सोशलिस्ट कोई बात करे तो क्यों आप इस तरह से पेश आते हैं। हमारे सामने तो उन्होंने सब-इंस्पेक्टर महोदय को जितना डाट सकते थे उतना डाटा।

मैं पूछता हूं कि यह जो बीमारी पैदा हो रही है कि सोशलिस्ट है इस लिये उसको कोई मौका ही नहीं है। अगर सलाह दे तो खूब पिटाई करो और नीचे के अफसर यह समझें कि जितनी सोशलिस्टों की पिटाई हो उतना ही ऊंचे अफसर और मिनिस्टर साहब खुश होंगे। तो यह भावना दूर की जाय चूंकि राज्य कांग्रेस का है और सोशलिस्ट

चूंकि कांग्रेस राज्य में गड़बड़ करना चाहते हैं इसलिये नीचे के अफसर यह समझते हैं कि जितना सोशलिस्टों को दबाया जाय उतना ही अच्छा है और उतना ही हमारे अफसर खुश होंगे। होना यह चाहिये कि जो बात सही है उस को सही ढंग से करो। यह भावना बदल दी जाय कि अगर कोई कांग्रेसी गलत काम करता है तो उसकी पीठ ठोकी जाय। देहातों में कितने ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी वजह से सरकारी अफसर कहते हैं कि मेरे लिये काम करना नामुकिन हो रहा है। कोई एम० एल० ए० है कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं, कोई जिला कांग्रेस कमेटी का प्रेसीडेंट है। हमेशा सरकारी अफसरों पर प्रभाव डाला करते हैं कि राज्य हमारा है और तुम को हमारी सलाह से चलना पड़ेगा। एक का कहना मानें, दो का कहना मानें हजारों हैं किस-किस का कहना मानें। जिस को देखो गांधी जी और जवाहर लाल बन रहा है। अगर इस तरह से भावना पैदा हो गई तो हवा खतरनाक है और हमारे देश में कभी प्रजातन्त्र फलफूल नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ संक्षेप में कहा है उस पर मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

साथ ही इस विभाग के साथ ट्रांस्पोर्ट (वाहन) विभाग भी है। इसके बारे में भी दो एक बातें कहना चाहता हूं। हमारे अर्थ मंत्री महोदय हमेशा अपने भाषणों में इस बात पर जोर दिया करते हैं कि कानूनी न्याय पर इतना ध्यान न देना चाहिये, सामाजिक न्याय पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि हुकूमत कानूनी न्याय की अपेक्षा सामाजिक न्याय की तरफ ज्यादा ध्यान दे। यकीन मानिए कि बाज मौके ऐसे आते हैं कि शिक्षा तो देना दूर रही सारा विभाग इसी में लग जाता है कि यह बात कानूनी है या गैर कानूनी। और अगर कानूनी है तो कुछ भी नहीं होना चाहिये। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर यह भावना आ जाता है तो मैं बाज वक्त सोचा करता हूं कि एक तरफ जनता की भलाई है और दूसरी तरफ कानून है। मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि किसी ने कोई काम कर दिया तो उसको तय करने का एक सरकारी तरीका यह है कि चूंकि इसने गलती की है इस वजह से हम बात नहीं करते हैं। और तरीका कांग्रेसी है। हमारे पास आज तक कोई कानून नहीं रहा। लेकिन हमने हजारों समस्याएं हल कीं। हम उनके पास जाते थे, कुछ उनकी सुनते थे कुछ अपनी कहते थे। मैं बताऊं ट्रांस्पोर्ट में २४ दिन तक जो हड़ताल चली और चल रही है मैं बिलकुल चुप रहा इस मामले में। लेकिन मैं यह महसूस करता था कि अगर एक रोज मिनिस्टर साहब और यूनियन की बातचीत हो जाय तो दो घंटे में यह स्ट्राइक खत्म हो जाय। लेकिन कुछ हमारे यूनियन के लीडरों के दिल में यह था कि अगर मिनिस्टर साहब हमको बुलाएं नहीं तो हम बात कैसे करें और मिनिस्टर साहब सोचते थे कि एक तो ऐसा काम किया और दूसरे कोई बात करना चाहे तो हम करें। बिना बुलाए आते नहीं थे और कोई बात न करे तो बात कैसे करें। तो फिर सूर्यप्रसाद अवस्थी और मैं बीच में पड़े। देखिए इतना जनता का नुकसान हो रहा है, इतने वक्तव्य लीडरों के निकले, हाउस में ऐडजर्नमेंट मोशन पेश होता है तो भले आदमी का कर्तव्य होता है कि अगर कोई गुत्थी फंस भी जाय तो उसको छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिये। लेकिन मुझे खुशी है कि उस रोज यूनियन के पदाधिकारियों और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के बीच में जो बातचीत हुई आपको जानकर खुशी होगी कि इतनी लम्बी-चौड़ी स्ट्राइक जो इतने रोज से फंसी हुई थी एक घंटे की बातचीत के अन्दर उस सब मामले का खात्मा हो गया और मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया कि हमारी और आप की बातचीत है कल सुबह तब हो जब हड़ताल खत्म हो जाय।

हम सब लोग १० बजे रात की गाड़ी से कानपुर गये और तब सुबह हुई जब मिनिस्टर साहब की बात को मान कर हड़ताल खत्म कर दी गई। लेकिन

[श्री राजाराम शास्त्री]

जरा देखिये माननीय श्रम मंत्री जी यह कहा करते हैं कि स्ट्राइक गैर कानूनी है और मजदूर जो हड़ताल कर रहे हैं वह गैर कानूनी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो चीज वहां चल रही है। यकीन मानिये कि कर्मचारियों ने तो हड़ताल खत्म कर दी लेकिन आज आप देखिये कि चाहे सरकार का कहना माना जाय या न माना जाये, लेकिन वहां आज भी सब मामला घपले में पड़ा हुआ है। मिनिस्टर साहब ने मिलकर सब मामला तय कर दिया लेकिन वहां के मैनेजर साहब कहते हैं कि जब तक ऊपर से लिखा हुआ नहीं मिलता कि हड़ताल खत्म हो गई तब तक हम तुम लोगों को काम पर नहीं ले सकते, और अगर लेंगे तो सिर्फ इस शर्त पर कि जब सारे कर्मचारी यह लिखकर दे दें कि हम बिला कंडीशन के आत्मसमर्पण करते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि मिनिस्टर साहब से बातचीत हो गई कि हड़ताल खत्म हो जाय और हड़ताल खत्म होती है कर्मचारियों की तरफ से लेकिन उनके नीचे के अधिकारी हड़ताल को खत्म नहीं करना चाहते। यह मेरी समझ में नहीं आया। गंगासहाय जी चौबे, श्री सूर्यप्रसाद जी अवस्थी और मैं तीनों के तीनों सारे के सारे कर्मचारियों को ले कर वहां गये लेकिन मैनेजर साहब ने कहा कि नहीं हड़ताल चल रही है। मैं खुद सब कर्मचारियों को लेकर कारखाने के अन्दर घुस गया और वहां सब आदमियों को खड़ा कर दिया और मैनेजर साहब से कहा कि हड़ताल खत्म हो गई अब आप काम कीजिये। उन्होंने कहा कि आप की हड़ताल खत्म हो गई लेकिन मिनिस्टर साहब से हमसे क्या मतलब हमारे इमीडियेट आफिसर जब तक लिख कर नहीं भेज देंगे तब तक हम किसी से काम लेने को तैयार नहीं हैं। अब आप तमाशा देखिये कि कारखाने के बाहर यूनियन का रजिस्टर रखा हुआ, लेकिन जाते हैं यूनियन का रजिस्टर भरते हैं लेकिन सरकार बहादुर अभी तक काम पर लेने के लिये तैयार नहीं है। कहने के लिये तो सामाजिक न्याय बहुत अच्छी चीज है लेकिन अब क्या किया जाय। लोग हाथ जोड़ते है, कि काम दिया जाय। हमारी हड़ताल खत्म हो गई मिनिस्टर साहब से बात हो गयी।

मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि आपको इस मामले को देखना चाहिये। मैं जानता हूं कि जिस वक्त यह मामला चल रहा था आप फैज़ाबाद में चुनाव का जो मामला था वहां चले गये थे। मैं जानता हूं कि वह जरूरी चीज थी, आप जरूर फैज़ाबाद के चुनाव में जाते लेकिन किसी ने उस सिलसिले में हुक्म नहीं दिया कि अब बात चीत हो चुकने के बाद हड़ताल खत्म हो गई है। इसकी जिम्मेदारी अब हड़तालियों की नहीं है। कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे तब आप कहते थे यह गैरकानूनी है लेकिन अब आज सरकार इस हड़ताल को चला रही है और इस लाकआउट को चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर है। कानूनी दांव-पेंच में फंसा कर इस मामले को रोक रखना मै समझता हूं कि अनुचित है। कानून जनता की हिफाजत के लिये है लेकिन कानून की दलदल में फंस करके विभाग जनता की सेवा न कर सके मैं समझता हूं कि यह गलत बात है।

दूसरी बात जिसकी ओर में आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वह यह है कि बहुत से फंडामेंटल सवाल इस हड़ताल के अन्दर आ गये हैं। हुकूमत हमेशा यह कहा करती है जब कहीं मजदूर और मालिकों में झगड़े हुआ करते हैं कि दोनों के मसले हल नहीं होते हैं इसलिये पंचायत से मसला हल करा लो लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि अगर आपके यहां के कर्मचारी इस सरकार से कहते हैं कि हमारे और हमारे विभाग में लड़ाई होती है तो हमारी कहीं पंचायत करा दीजिये जिससे मसला तय हो जाय तो उसके लिये उचित नहीं समझा जाता है। जिस बात के लिये सरकार रोज लड़ती है कि तुमको जबरजस्ती पंचायत को मानना पड़ेगा और हड़तालियों और आपस में पंचायत से मसले को हल करो लेकिन सरकार और उनके विभाग के कर्मचारी में जब झगड़ा होता है और जब कर्मचारी यह मांग करते हैं कि हमारे लिये एक पंचायत बना दो उसमें फैसला हो जाय

हमारा विभाग सही है या हम सही हैं जिससे सब मसला तय हो जाय। लेकिन सरकार की अपनी मुसीबतें हैं। सरकार की मुसीबतें तो यह हैं कि कायदे कानून तो अंग्रेज बहादुर बनाकर छोड़ गये हैं वह बदल पा नहीं रहे हैं। सरकारी मुलाजिमों के लिये पंचायत का तरीका नहीं हुआ करता है। गवर्नमेंट के हुक्म ऊपर से चलेंगे और इसको मानने के लिये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलना पड़ेगा। जैसे किसी डंडे को रस्सी से बांध दिया जाय और कहा जाय कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलो। ऊपर से हुक्म गया अगर कर्मचारी मान लें तो ठीक वरना प्रापर चैनेल चलेगा। आज भी जब हुकूमत निजी कारखाने वालों से यह कहती है कि अपना फैसला पंचायत से तय करा लो तो अगर सरकारी कर्मचारियों को कोई शिकायत है तो क्या आपही उनका फैसला करेंगे यानी जो तकलीफ दे वही फैसला करे। यह तो बड़े तमाशे की बात है कि वही जज बन जाय और वही मुजरिम बन जाय। अगर किसी सरकारी आफिसर के खिलाफ शिकायत है तो किसी दूसरे सरकारी आफिसर को भी पंच मानने को तैयार हैं।

हम लोग कह रहे थे कि इस मामले को लेबर कमिश्नर साहब के पास भेज दो लेकिन सरकार अंग्रेजी कानूनों से बंधी हुई है और उनके बाहर जाने को तैयार भी नहीं है। दूसरे जब सरकार के यह कानून बनाये हुये हैं और वह अगर मेहनत लेती है तो वक्त पर तनख्वाह भी तो दे। आज कितने दिनों से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बाकी थी। इसलिये वह लड़ गये। लेकिन सरकार की मंशा तो यह है कि पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट नहीं है इसलिये जब चाहे वह तनख्वाह बांटे जब चाहे न बांटे लेकिन हमें बड़ी भारी खुशी है कि हड़ताल के होते ही एरियर्स के लिये पंच बन गये और अब जल्दी ही पेमेंट हो जायगा। अगर हड़ताल न हुई होती तो सामाजिक न्याय का गला घुटता रहता और सरकारी कर्मचारी बिचारे मरते रहते लेकिन तनख्वाह न मिलती। हड़ताल होते ही जल्दी इंतजाम किया गया और एरियर्स का मामला भी जल्द तय हो जायगा। लेकिन पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट क्यों नहीं लागू करते उसमें ऐसी क्या खास परेशानी है। यही तो है कि सरकार वक्त पर तनख्वाह बांट दे। इससे सरकार कैसे इंकार कर सकती है जब आप मेहनत ले सकते हैं। अभी उस दिन श्री चरण सिंह जी ने यह बात कही थी कि सरकारी कर्मचारी २४ घंटे का नौकर है क्या शान की बात थी लेकिन जब तनख्वाह देने का वक्त आया तो सरकारी कर्मचारी हैं इसलिये पंचायत में नहीं जा सकते हैं और तनख्वाह भी नहीं मांग सकते हैं लेकिन काम लेते ही हैं जब सरकार के पास पैसा आ जायेगा तो दे देंगे लेकिन तुम लड़ नहीं सकते हो। नहीं साहब कांग्रेस की हुकूमत में यह नहीं कर सकते हो। दूसरों के लिये कानून बनाते फिरते हो अपने लिये क्यों नहीं बनाते। आप गौर कीजिये कि दूसरों के लिये कानून है कि आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते हो लेकिन " दिया तले अंधेरा " आप जितना चाहे काम ले लें। आपके लिये कोई कानून नहीं है। दूसरों के लिये कानून है लेकिन आपके हाथ खुले रहें क्योंकि आप जनता के सेवक हैं फिर कानून बनाने की क्या जरूरत है सरकार तो किसी भी कानून के लिये तैयार नहीं है। इसके अलावा ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है इसकी वजह से अगर कोई मिनिस्टर चाहे कि तनख्वाह बहुत दिनों तक न बंटने से झगड़े होते हैं, पंचायत से फैसला हो और अगर ज्यादा काम होता है तो फैक्टरी ऐक्ट होना चाहिये, इसलिये अगर कोई मिनिस्टर इन बातों को सोचे भी तो जब तक पूरा कैबिनेट फैसला न कर ले वह अपने विभाग में कुछ नहीं कर सकता है जब तक हुकूमत सारे विभागों के लिये कोई कानून लागू न कर ले तब तक किसी एक विभाग पर वह लागू नहीं हो सकता है और एक विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह वक्त पर नहीं दे सकता है, वक्त पर काम नहीं कर सकता है, अगर मुकद्दमा चले तो वह पंचायत में नहीं जा सकता है।

[श्री राजाराम शास्त्री]

मैं चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (परिवहन आयुक्त) साहब इसको देखें कि और डिपार्टमेंट्स का तो पता नहीं चलता है लेकिन आपके विभाग को बहुत सी चीजें पब्लिक के सामने आगई हैं। और विभाग तो ऐसे हैं जो खर्चा करना जानते हैं लेकिन आप का विभाग ऐसा है जो मुनाफा करता है। कई बार आपने भवन में कहा है कि जब से हमारे हाथ में ट्रांसपोर्ट विभाग आया, बसों का इंतजाम आया तब से लाखों रुपये की आमदनी होती है। यह न समझिये कि पद्मपत्त सिंहानिया और टाटा, बिरला ही एम्पलायर हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब भी एम्पलायर हैं। खुद कई बार आपने बतलाया कि हमारे विभाग में मुनाफा हुआ लेकिन ऐसा न हो कि मुनाफा ही मुनाफा कमाते रहें और नीचे के लोगों को तनख्वाह तक न मिल पाये। एक बात में मैं तारीफ करूंगा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर (परिवाहन मंत्री) साहब की, यह कहना कि किसी की गरीबी की तरफ ध्यान नही, हड़तालों का उनपर असर नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। बजट जो पेश किया गया है उसमें दिया हुआ है कि बस क्लीनर्स जो रात में काम करते हैं उनको ६ आने पैसे मिलते थे रात के भत्ते के और दूसरों को मिलते थे १० आने। कुछ दिन तक यह कमी चली। फिर लोगों में कानाफूसी हुई, हड़ताल की बात चली, आन्दोलन की आवाज उठना शुरू हुई। लिहाजा मिनिस्टर साहब का ध्यान गया और इसमें लिखा हुआ है कि लोगों में आन्दोलन न बढ़े इसलिए सरकार ने यह मुनासिब समझा कि ६ आने से तरक्की करके १० आने कर दिया जाय। बहुत तरक्की हुई यह मैं मानता हूं लेकिन इसमें जो पुट लगा हुआ है आन्दोलन के डर का, हड़ताल के डर का, यह न होता तो क्या क्लीनर साहब के ६ आने ही बने रहते। इसके मानी यह हैं, श्रम मंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दोनों ही इस बात को मानेंगे कि हड़ताल का कुछ न कुछ असर जरूर होता है। गलती कभी हो जाती है जब मुसीबत बढ़ जाय और कानून हिफाजत न कर पाये, कर्मचारी किसी तरह से गैरकानूनी हड़ताल कर दें, जिसे आप गैरकानूनी कहते हैं, इसे मैं मान सकता हूं।

एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं, श्रम मंत्री और आपका दोनों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप का विभाग है आप हमें यह बात बतलाइये कि आप जब सामाजिक न्याय की बात कहते हैं, कभी आप ने इस पर गौर किया जिन सरकारी अफसरों को आप नियुक्त करते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रियबुनल (औद्योगिक न्यायाधिकरण) का जज होता है, ३ हजार तनख्वाह आप उसे देते हैं और उसके चपरासी को २५ रुपया तनख्वाह देते हैं और तरक्की है ८ आने साल। बढ़ते-बढ़ते वह २५ से ३० रुपये तक पहुंच जायगी और बाकी सारी जिन्दगी में वह इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ३ हजार एक तरफ २५ रु० एक तरफ। इस बीच में सरकार कहती है कि सामाजिक न्याय हो। ट्रांसपोर्ट की मांग पेश की गयी। मोटर वेहिकिल आफिसर साहब की तनख्वाह २५० रु० से शुरु होगी और बढ़ते बढ़ते ८५० रु० तक पहुंचेगी लेकिन चपरासी जो है उसकी तनख्वाह २५ रु० से शुरू होगी और ८ आने हर साल तरक्की होगी और बढ़ते-बढ़ते वह ३० रु० तक पहुंचेगी।

हम सोचते हैं आखिर को मान लीजिये ५० बरस में हिन्दुस्तान में आपका ही राज्य बना रहा और यही सामाजिक न्याय करते रहे और यही ८ आने साल बढ़ता रहे तो जरा सोचिये कि आज कल के इस मंहगाई के जमाने में कानपुर और लखनऊ ऐसे शहरों में चपरासी के भी बीबी और बच्चे होंगे वह किसी मकान में रहता होगा, उसकी भी कुछ मुसीबतें होंगी। आप कभी तो ख्याल कीजिये कि भले ही मंहगाई का भत्ता और दूसरी चीजों के नाम पर आप कुछ दे दें लेकिन मेरा विश्वास है कि आगे हिन्दुस्तान में गरीब लोगों का जो आन्दोलन होगा वह पहले इस बात के लिए होगा कि गरीबों को पहले गुजारे लायक तनख्वाह मिलना चाहिए। जिस किसी के बाल-बच्चे, बीबी और मकान हैं पहली चीज यह होना चाहिए कि जब उसकी अपनी जिन्दगी बसर करने

लायक पैसा मिल जायगा तब उसके बाद में आप को मोटरें मिलेंगी, उसके बाद में बंगला मिलेगा, उसके बाद किसी अफसर को ३ हजार तनख्वाह मिलेगी।

गांधी जी का यह आदर्श कभी नहीं रहा है कि एक तरफ एक इंसान ३० रुपया में जिन्दगी बसर करे और दूसरी तरफ बजट में मैं देखता हूं कि मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब और कोई बड़े सरकारी कर्मचारी बिना शिवरलेट स्टैंडर्ड कार के कदम नीचे नहीं रख सकते। फलाने बंगले से कम में वह रह नहीं सकते, यह चीज हिन्दुस्तान में कुछ दिन भले ही चलती रहे लेकिन एक दिन देश की जनता में आन्दोलन इसके लिए होगा और तभी वह सुखी हो सकती है, तभी यह सामाजिक न्याय होगा कि पहिले गरीबों को खाना मिलना चाहिए। जिसकी बदौलत लाखों रुपया मिनिस्टर साहब कमाते हैं, मिनिस्टर साहब कमाते हैं यानी उनका विभाग कमाता है तो वह रुपया अपने क्लीनर, चपरासी और कंडक्टर की बदौलत ही कमाते हैं, उन्हीं की बदौलत यह विभाग उनका चमक रहा है। आप को उनकी रोटी और उनके प्रति जो सामाजिक न्याय है उसका ध्यान आप को रखना होगा।

श्रम मंत्री जी भी सामाजिक न्याय के पक्षपाती हैं, गुप्ता जी भी सोशलिस्ट हैं, सब के सब सोशलिस्ट विचारों के हैं फिर मैं समझता हूं कि वे इस बात को समझेंगे कि गरीब लोगों की क्या हालत है और बड़े-बड़े अफसरान उनके ऊपर पनप रहे हैं, यह चीज मुनासिब नहीं है। इसके बाद अगर कोई लड़ता है, झगड़ता है, हाउस में सवाल उठाता है, मामला इल्लीगल (अवैध) है कह कर पकड़ लिया जाता है और पकड़ कर अगर आप उसे जेलखाने पहुंचाते हैं तो उसे "सी" क्लास में डाल दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि अगर आप के कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो आप उसे निश्चित रूप से अच्छा स्टेटस दें क्योंकि उनकी वह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है वह उसके अधिकारों की लड़ाई है। जब वह अपने अधिकारों में इंसाफ पाने के लिए जेलखाने जाता है तो उसको ऊंचा स्टेटस मिलना चाहिए। यह नहीं कि जब वे भूख हड़ताल करें तब कहीं जा कर उन्हें "बी" क्लास मिले। इस स्ट्राइक में भी यही हुआ। उसमें जब भूख हड़ताल की नौबत आयी तभी उसके स्टेटस के बदलने की नौबत आयी।

जहां तक पुलिस विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग की और शिकायतों का ताल्लुक है वह भी जब मौका आयेगा तो मैं उनको भी बताऊंगा लेकिन इस वक्त अगर समझदारी से काम लिया गया होता, समझदारी से मेरा मतलब दोनों ओर की समझदारी से है, तो समस्या इस तरह से न उलझती लेकिन जिस आधार पर यह लड़ाई लड़ी गयी वह आधार जायज था। अब जब कि वह हड़ताल समाप्त हो गयी है मैं माननीय मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि वे निश्चय रूप से इस हड़ताल को समाप्त करा दें। इसमें सरकार की इज्जत का सवाल है। अब यह नहीं होना चाहिए कि सरकार की तरफ से यह हड़ताल चल रही है और जिन लोगों की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं उन बातों पर आप ध्यान दें, जनता की मुसीबतों को दूर करें और उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करें।

श्री गोविन्द सहाय--माननीय अध्यक्ष महोदय, भवन में यह एक नियम सा हो गया है कि किसी बात की समालोचना करने में किन बातों की जरूरत है या किन बातों की जरूरत नहीं है, इसी बात की ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन अब उसका असर ऐसा हो गया है कि जिन लोगों के बारे में वे बातें कही जाती हैं उनको भी उसका अहसास नहीं रहा है और कुछ बातें लोग आदतन ही कह दिया करते हैं। मैं जानता हूं कि पुलिस एक ऐसा मुहकमा है जिसके बारे में बहुत आसानी से समालोचना की जा सकती है उसके खिलाफ काफी वाकआत कहे जा सकते हैं। उनकी कमियों को बयान करना अनप्लेजेंट काम है। मैं उस पर आज दूसरे ही दृष्टिकोण से विचार करने जा रहा हूं।

[श्री गोविन्द सहाय]

मैं यह माने बिना नहीं रह सकता कि शुरू में पुलिस विभाग ने बड़ी ईमानदारी और हिम्मत के साथ काम करना चाहा और उस वक्त सूबे के अन्दर जो वाकयात थे उनके अन्दर उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया, इसके लिये मुझे उसकी प्रसंशा करनी पड़ेगी। उसके बाद हालत ज्यादा बिगड़ती गयी और जैसा कि समूचे समाज में जिसे करप्शन कहा जाता है या गिरावट कही जाती है, तो वह चीज पुलिस के अन्दर भी पूरे तौर से व्यक्त हुई। इसलिये उन तमाम बातों पर ज्यादा जोर देने के बजाय, कैसे वे चीजें दूर की जा सकती हैं उसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहता हूं। मेरे ऊपर असर यह है कि पुलिस विभाग के अन्दर के लोगों से या जितने भी पुलिस वालों से मुझे मिलने का मौका मिला, कुछ तो सीधे मिल जाते हैं कुछ चुपके से मिल जाते हैं तो एक बात जो मैं पा रहा हूं वह यह है कि उनके अन्दर इनसिक्यूरिटी है। वह पुलिस विभाग का आदमी जिसके ऊपर काम करने की जिम्मेदारी होती है, अगर उसके अन्दर स्लैक्नेसन हो, अगर वह हिल सा गया हो और यह महसूस करता हो कि हम अपनी जगह पर सुरक्षित नहीं हैं तो फिर समाज का काम कैसे चल सकता है। कल ही एक जिले में मुझे एक डी० एस० पी० मिले, आते ही उन्होंने कहा कि आपसे मिलने की मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरह से मैं आपसे मिलता लेकिन डर लगता था। मेरा ट्रांसफर परसों हो गया था, कल कैंसिल हो गया। तो आज इस तरह से पुलिस वालों के अन्दर इन सिक्योरिटी हो गयी है। उनका मोरेल गिर गया है।

मुझे एक सी० आई० डी० के उच्च अधिकारी मिले जिनका कहना था कि अगर करप्शन (भ्रष्टाचार) के सिलसिले में कोई फाइल गवर्नमेंट के पास भेजता हूं तो वे महीनों तक गवर्नमेंट के पास ही रखी रह जाती हैं और जब वहां से कोई जवाब नहीं आता है तो मैं समझ लेता हूं कि गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती कि करप्शन दूर हो और इस पर कोई ऐक्शन लिया जाय। यह कहां तक ठीक है इसके बारे में मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता लेकिन आज पुलिस आफीसरान के अन्दर भी ऐसी बातें पैदा हो गयी हैं और यह जानी हुई बात है कि उसका असर पुलिस डिपार्टमेंट पर और साथ ही साथ समाज पर भी पड़ सकता है। और जगह की बात को मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन मैं अपने जिले की बात कहता हूं। वहां के एस० पी० बड़े ही सेंसिबिल आफिसर हैं। वे बड़े अच्छे काम करने वालों में हैं। पिछले दिनों उन्हें यह ख्याल हुआ कि शायद गवर्नमेंट उनसे कोई पोलिटिकल काम कराना चाहती है। दौरे हुए, काफी दौरे हुए और उस दौरे में जिस मीटिंग में मैं बोलने वाला था वहां पर एस० पी० साहब घोड़े पर चढ़ कर गये और उन्होंने वहां कह दिया कि अगर कांग्रेस डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से भी कोई मेम्बर बोलना चाहे तो तुरन्त वायर काट दो। तो जब सर्विस वालों की यह बात है तो फिर औरों के मुताल्लिक क्या समझा जा सकता है?

दूसरी तरफ पब्लिक में पान वाले से लेकर कैपिटलिस्ट तक, सोसाइटी के अन्दर जितने लोग भी हैं सब का यह यकीन है कि कोई भी काम बगैर सिफारिश के नहीं हो सकता है। जब सोसाइटी का मारेल गिर जाता है तो यकीनन लोगों का मारेल भी गिर जाता है। यहां पर लेक्चर देकर करप्शन को दूर करने की चाहे जितनी भी बातें करें लेकिन किसी लेक्चर देने से या एक दूसरे की नुक्ताचीनी करने से न तो करप्शन दूर हो सकता है और न किसी का चरित्र सुधर सकता है। आज तो हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हम सही तौर पर जस्टिस नहीं कर रहे हैं और सिस्टम के अन्दर कमी रहने की वजह से आज इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, और इसीलिये हमें पुलिस के अन्दर, जो रिपोर्टिंग और इनवेस्टीगेशन का ढांचा है उस ढांचे को ही बदलना चाहिये। इस बात से सन्तोष नहीं कर सकते हैं कि कानूनी तरीके से जो

रिपोर्ट लिखी गयी है उससे पता चल जायगा कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। आज क्राइम्स बढ़ने की काफी वजह है और जब तक आप ऐडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को, इकनामिक ढांचे को नहीं बदलते हैं, आप लाख कोशिश करें आप इस चीज को नहीं बदल सकते। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि पुलिस डिपार्टमेंट को सिम्पलीफाई किया जाय, उसको सादा बनाया जाय जिससे लोगों में इत्मीनान पैदा हो और जनता यह समझे कि पुलिस हर शख्श के लिये अच्छा है।

दूसरी तरफ पी० आर० डी० का काम जिस वक्त शुरू हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त उसमें आने के लिये लोगों में बहुत उत्साह था, लोगों को उसके अन्दर आकर काम करने की तमन्ना थी और हमारे नवयुवकों का यह इरादा था कि उसके अन्दर जाकर हम देश-सेवा कर सकते हैं लेकिन यह सही है कि अब लोगों में उतना उत्साह नहीं है। आज पी० आर० डी० और पुलिस वालों में कंफ्लिक्ट (संघर्ष) भी पैदा हो गया है। दोनों मुख्तलिफ जमात के मालूम पड़ते हैं और वे एक दूसरे से अलग ही रहना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हमें सोच समझ कर कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये क्योंकि एक केडर के अन्दर एक नया केडर हो और उसमें फर्क पैदा हो जाय ठीक नहीं होगा।

जब तक नयी प्रेरणा न हो, नया जोश न हो तब तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का खास कर पुलिस डिपार्टमेंट का किसी तरह से सुधार नहीं हो सकता है। कुछ चर्चा की जाती है कि साहब अब कांग्रेस इससे वाकिफ नहीं है मैं पुलिस को दोष नहीं दे सकता क्योंकि जब कांग्रेस ही अपनी बातों को भूल जाती है तो पुलिस उन बातों को याद रखे यह एक नामुमकिन बात है। पुलिस के लिये तो उस पार्टी से जो पावर में है असर पड़ना मुनहसर है। उस पार्टी के ऊपर ज्यादा मुनहसर होता है जो पावर में होती है कि वह पार्टी कहां तक इन्टरफियर करती है और कहां तक उनके कामों में दखल देती है वह पार्टी सर्विसेज के साथ किस तरह का बरताव करती है इस बात के ऊपर ही सर्विसेज का मारेल बनता या बिगड़ता है। मैं इस बात को कहता हूं कि शुरू में इस उसूल को निभाने की काफी कोशिश की गई। गवर्नमेंट की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वह हमारे ग्रिप से निकलते जा रहे हैं। हमको उन पर अमलन् तरीके से सोचना चाहिये और सोच-विचार करके ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर और खासकर पुलिस के अन्दर ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी और एफिशिएन्सी लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिये। आम आदमी इस बात को महसूस करे कि पुलिस हमारी प्रोटेक्टर (रक्षक) है। पुलिस की तादाद हमारे प्राविन्स में कोई ज्यादा नहीं है। नाकाफी पुलिस हमारे पास है। इसकी वजह साफ है कि हम ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। जब बजट के मौके पर रुपया मांगने का वक्त आता है तो चारों तरफ से समालोचना होती है। मेरे ख्याल से हमारे यहां करीब ६ करोड़ की आबादी में ५५ हजार के करीब सब कानिस्टेबिल वगैरा मिलाकर हैं। नामुमकिन है कि लोग जहां पर क्राइम करने पर उतारू हों वहां पर इतनी पुलिस अपने काम में कामयाब हो सके। लोग कानून तोड़ते हैं लेकिन पुलिस विभाग उनको पकड़ नहीं पाता है तो इन इंप्रैक्टिकेबिल (अव्यावहारिक) बातों के करने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि उसकी जड़ को न पकड़ा जाय। अगर पब्लिक का ही मारेल ऊंचा नहीं होगा तो आप लाख कोशिश करें इन हालत पर काबू पाना मुश्किल है। जो नई-नई रिसर्च आजकल के जमाने में हो रही है तो उनको हमें अपने यहां भी करना है। तभी हम कुछ कर सकते हैं और फायदा भी हासिल हो सकता है। वैसे तो पुलिस के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है क्योंकि पुलिस का ऐसा मुहकमा है कि जो बहुत तरह से बदनाम है लेकिन हमको दूसरी बातों पर जाने के बजाय जो सही बात हों और जिनसे

[श्री गोविन्द सहाय]

कुछ नतीजा निकल सकता हो और जिनको हम अपने यहां क्रियात्मक रूप से कर सकते हैं उन पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है।

अब मैं कुछ ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। मैं उन लोगों में से हूं जिनका यह यकीन है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के साधन हों। जो इंडस्ट्रीज हैं उनको स्टेट को लेना चाहिये लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी सोचता हूं कि जिस तरह से अनप्लान्ड स्कीम हमारी स्टेट की है और जिस तरह से वह यह काम कर रही है उसमें बजाय किसी लाभ होने के मुझे डर है कि कहीं थोड़े दिनों के बाद लोग इस नेशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) के खिलाफ ही न हो जायं क्योंकि अगर हम इसको इसी सूरत में रखते हैं तो जो हमने अपना पहला एक्सपेरीमेंट किया है उससे चाहे कुछ मुनाफा ही दिखाई देवे लेकिन वह आखिर में एक डिजास्टर (विनाश) ला सकता है। मैं कोई इसका एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) तो नहीं हूं और सही बात यह है कि इस सदन में बोलने के लिये कोई ज्यादा पढ़ने-लिखने की भी जरूरत नहीं है लेकिन आमतौर पर लोग जिस किस्म की बात करते हैं उसमें ज्यादा गहराई तक बातें नहीं नजर आती हैं। जिस तरह से हम चल रहे हैं उसमें हमको कोई कामर्स बेसिस (व्यापारी ढंग) नहीं दिखाई देता है न मुझे उसमें कोई ऐसी स्प्रिट ही दिखाई देती है जिससे यह मालूम हो सके कि स्टेट कोई किसी तरह से अपना इन्टरप्राइज करने जा रही है। लोगों के अन्दर यह बात पैदा होनी चाहिये कि स्टेट जो तजुर्बा कर रही है उससे गरीबों का और जनता का फायदा है और इससे जनता का हित होता है और उनको तरक्की इससे होने वाली है। लेकिन हमने जो यह एक्सपेरीमेंट किया उससे यह बात नहीं दिखाई देती है कि उससे कोई लाखों आदमियों का फायदा होगा। शुरू में जिस वक्त यह बसेज सर्विस चलाई गई तो लोग बहुत खुश हुये और कुछ दिनों तक आराम भी मिला लेकिन इसके बारे में फिर लोगों को शिकायतें शुरू हुईं। नेशनलाइजेशन का उसूल यह है कि जितने लोग उस काम की तरफ आकर्षित हों और उस काम को करना चाहें उनको वह काम करने दिया जाय और स्टेट उनके लिये कोई काम सोचे। स्टेट की यह जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वह उनको कोई दूसरा रूट (मार्ग) दे। मुझे यह बताया गया कि इस बात को यहां पर भी कोशिश हो रही है कि जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं उनको कोई रूट दिये जायेंगे। तो यह कोशिश जरूर होना चाहिये। आज कल असन्तोष कुछ अधिक बढ़ रहा है हालांकि शुरू में ऐसी बात नहीं थी।

कानपुर के रोडवेज के स्ट्राइक का ही सवाल है। उसके बारे में जो कुछ मुझे मालूम है मैं उसके मेरिट्स या डिमेरिट्स में न जाऊंगा और न यही कहूंगा कि वह लीगल है या नहीं है। न मुझे कोई लेबर के मामलात में ज्यादा वाकफियत ही है। लेकिन वहां के लोग मुझसे मिले और उनसे मुझे वहां के हालात कुछ मालूम हुये। गवर्नमेंट का या किसी भी एम्प्लायर का यह फर्ज है कि वह अपने काम करने वालों को मिनिमम (न्यूनतम) सुविधायें जो जरूरी हैं वह जरूर दें ताकि लोगों में एक सिक्योरिटी की भावना रहे और वह काम अच्छी तरह से करें। या तो गवर्नमेंट अपने तरीके पर उन लोगों से काम ले या एक कार्माशियल तरीका उन के साथ अख्तियार करे लेकिन अगर वह उन दोनों चीजों को मिलाती है तो दोनों के जो खराब नतीजे हैं वही लोगों को मिलते हैं। अगर वह लोग आप से मजदूरों के हक चाहते हैं तो आप कहते हैं कि वह गवर्नमेंट एम्पलाई हैं। लेकिन अगर वह कहते हैं कि हम को भी गवर्नमेंट सरवेंट्स की सी सहूलियत दो तो हम उस के देने से भी बचना चाहते हैं।

स्ट्राइक वैसे कोई अच्छी चीज नहीं है, मुमकिन है कुछ लोग शौक में करते हों लेकिन वह मजदूरों के लिये बहुत मंहगा पड़ता है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट समझती है कि उनकी मांगें ठीक हैं और अगर वह प्रेस्टीज की वजह से उन को नहीं मानती तो यह कोई उचित बात नहीं है। बाकी स्ट्राइक को गवर्नमेंट तो क्या कोई भी कैपिट-लिस्ट तक फेल कर सकते हैं क्योंकि मजदूरों के पास इतनी ताक़त नहीं है कि वह ज्यादा

दिन तक स्टैंड कर सकें और जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही के मुकाबले में उन का स्ट्राइक फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट के मुकाबले में तो वह कभी भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। लेकिन सवाल यह होता है कि हमारे जो एम्पलाई या काम करने वाले हैं और अगर उन्हें नेशनलाइजेशन से दिलचस्पी नहीं होती है उसको अपना काम नहीं समझते हैं और अपने को मजदूर या सरकारी मुलाजिम नहीं समझते हैं तो इस सब का असर बहुत खराब असर हमारी कुल पालिसी पर और हमारे काम पर पड़ता है और फिर वह अन्दर से सैबोटेज (उखाड़ पैदा) कर सकते हैं। इसलिये मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह एम्पलाईज में अन्दर से गुन्जाइश पैदा करें और एक मसालहत के साथ उनसे काम लेना चाहिये, इसी से ज्यादा फायदा हो सकता है। उनमें एक लगाव और अपना समझने की भावना होना जरूरी है और इससे आप को कामयाबी भी होगी और आप की आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिये मैं बगैर स्ट्राइक के मैरिट्स में जाये हुये या उसकी लीगैलिटी या इल्लीगैलिटी में न जाकर इतना ही कहूंगा कि चूंकि उनमें से कुछ लोग मेरे पास कई मर्तबा आये और मैंने भी माननीय मंत्री जी को दो तीन बार टेलीफोन किया लेकिन चूंकि हमारे पुलिस मिनिस्टर साहब जरा मशगूल ज्यादा रहते हैं इस वजह से उनसे बातचीत न हो सकी। मैं यहां पर इतना कहना चाहता हूं कि इसमें कोई गवर्नमेंट के प्रेस्टीज की कोई ऐसी बात नहीं है और स्ट्राइकर्स के साथ एक आनरेबिल तरीके से समझौता हो सकता है और उनको ऐसा मौका दिया जा सकता है कि जिस से उन लोगों को ऐसा ख्याल न हो कि उनको जलील किया जा रहा है या उनकी बेबसी से फायदा उठाया जा रहा है।

पुलिस के बारे में भी मेरा ख्याल है कि उनके साथ भी हमारा रवैया रचनात्मक होना चाहिये क्योंकि स्टेट की सिक्योरिटी इस विभाग पर ही मुनहसिर है। बाकी समालोचना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अगर उसके साथ ही हम कुछ सुझाव भी दें तो ज्यादा अच्छा है। मैं भी अनकरीब जो कुछ मेरे दिमाग में है उन तमाम सुझाओं को उन के पास भेजने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं यह फिर कहूंगा कि आप अपनी पुलिस में एक कानफिडेंस (विश्वास) पैदा कीजिये और उनको सिक्योरिटी दीजिये और उनका प्रोटेक्शन का रवैया रखिये और जब तक वह अपने को महफूज नहीं पाते हैं तब तक जरा उनसे ज्यादा उम्मीद करना ठीक न होगा।

(इस समय ४ बजे माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आज सभी कहते हैं कि करप्शन तमाम फैला हुआ है और एक हवा खराब हो गई है कि करप्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन करप्शन कहां है कौन करता है, हर शख्स दूसरों को कहता है और इस तरह से हवा का बिगड़ना बहुत खराब होता है। आप को उस के वजूहात में जाना चाहिये और देखना चाहिये कि क्या कारण है कि मिनिमम पे मिलती है या नहीं मिलती, वह सहूलियत मिलती है या नहीं कि जो ग्रोथ (उन्नति) के लिये जरूरी हैं और वह अपने को महफूज समझते हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से भी कम से कम दखल पुलिस के काम में होना चाहिये। इधर कुछ दिनों से यह रुझान बढ़ता जा रहा है। मैं नहीं जानता कि किसी के इशारे पर बढ़ रहा है। मैं ऐसा मान भी नहीं सकता कि कोई ऐसा करेगा। लेकिन पुलिस वालों में स्वयं इस बात का एहसास बढ़ जाता है कि हमसे पारटी लाइन्स पर काम कराने की कोशिश की जाती है। अभी कल का जिक्र है कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेट्री श्री काला वेंकटराव मुरादाबाद गये थे उनसे इसी बात की शिकायत की गयी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हमको दखल देना चाहिये। नतीजा यह होता है कि सोशलिस्ट कहते हैं कि कांग्रेसवाले दखल देते हैं और कांग्रेस वाले कहते हैं कि सोशलिस्ट करते हैं तो एक एटमास्फियर (वातावरण) ऐसा बिगड़ता चला जाता है, ऐसा मेरा ख्याल है। अगर ऐसी बात है तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिये और

[श्री गोविन्द सहाय]

मुझे उम्मीद है कि आनरेबिल मिनिस्टर इस तरफ जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि यहां डेमोक्रेसी का एक नया एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) है और आज अगर हमने अपनी सर्विसेज को और खास तौर से पुलिस को इस बात से नहीं बचाया तो जो आने वाला इतिहास है वह हमको इसके लिये माफ नहीं करेगा कि हमने तंगनजरी में पुलिस वालों को पार्टी पालिटिक्स में खींचा। ऐसी चीज मुल्क के लिये खतरनाक होती है। इसलिये मुल्क की भलाई के ख्याल से मैं यह चाहूंगा कि हम जो सजेशन्स (सुझाव) रखें वे इस किस्म के हों जिससे स्टेबिलिटी (स्थिरता) बढ़े और जिससे कम से कम सर्विसेज जो हैं, खासतौर से पुलिस के अन्दर इत्मीनान बढ़े और वे समाज के एक अंग बनें और समाज का उसमें विश्वास बढ़े।

श्री ई० एम० फिलिप्स--स्पीकर महोदय, वक्त की तंगी की वजह से मैं कोई ज्यादा लम्बी स्पीच नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो चन्द जरूरी बातें हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जह दिला दूं। यहां एक्सपर्ट राय उस तरफ की है। लाक अप का तजुर्बा आप लोगों को है, मुझे तजुर्बा यह है कि बन्द करता रहा या देखता रहा और आपको तजुर्बा यह है कि उसको भुगता और तब भी आज की तारीख में अगर आप जाकर देखें तो आप के लाक अप में इतनी कम जगह है कि जिसकी वजह से मुल्जिमान तकलीफ में रहते हैं। इस बात के ऊपर आपको मुबारकबाद देता हूं कि एक लाक अप की तरफ आपने तवज्जह की है। हुजूरवाला, यह चीज तो पुलिस में भी पेश हो गयी थी और वहां गवर्नमेंट ने यह वादा किया था वह उनको देखेगी मगर आज भी हम अपने को उसी जगह पाते हैं जहां दो साल पहले थे।

दूसरी बात यह कि आपने यह वादा किया था कि हम पुलिस में कंस्ट्रक्टिव वर्क (रचनात्मक कार्य) शुरू करेंगे और पुलिस को लेक्चर देंगे कि तुम में वह सेंस आफ ड्यूटी (सेवाभाव) आना चाहिये जो कि मुल्क के हर बशर को होनी चाहिये। लेकिन अभी तक आपका वह काम शुरू नहीं हुआ। बात तो पैदा ही नहीं हो सकती जब तक काम न शुरू किया जाय। आज की तारीख में भी हमको यह शिकायत है कि पुलिस में वह भावना नहीं पैदा हुई कि वे अपने दिल में यह कहें कि हमको यह काम जिम्मेदारी के साथ करना चाहिये और यह समझें कि हमको खाना-पीना तक हराम है जब तक इस जिम्मेदारी को खत्म न कर लें।

इसी के साथ साथ मैं यह कहूंगा कि यहां कुछ लोगों ने जिमनी तरीके पर या खुले तरीके पर यह कहा कि पुलिस में करप्शन है। इसके मुताल्लिक मैं यह कहूंगा कि पुलिस डिपार्टमेंट की आज भी तनख्वाहें इतनी कम हैं, और टी० ए० इतना कम मिलता है कि वे बेचारे गवाहों को लाते हैं, साल साल भर से मुकद्दमे पड़े हुये हैं, उनको इस कदर रुपया खर्च करना पड़ता है लेकिन इसके मुताल्लिक उनको काफी तरीके से पेमेंट नहीं किया जाता है।

इसके बाद मैं दूसरी तरफ चला जाता हूं। ट्रांसपोर्ट के मुताल्लिक चन्द अल्फाज में मैं सिर्फ यह कहूंगा कि आपके यहां जो ऐडहाक कमेटी बैठी उसकी रिपोर्ट को आपने बलायेताक रख दिया है। जो कुछ आपने ऐक्ट अब तक पेश किया वह सिर्फ लिफाफे में या यों कहना चाहिये कि मखमल चढ़े तकिये को आप दिखा रहे हैं, लेकिन उसके अन्दर जो चढ़ा हुआ है उसे हम खूब जानते हैं। मैं यह चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप इस पर गौर करें कि आपका डिपार्टमेंट कामर्शल हेंड्स पर चल रहा है कि नान-कामर्शल हेंड्स पर। इस बात को अच्छे तरीके से एग्जामिन (जांचना) करना है कि यह डिपार्टमेंट किस तरीके पर चलाना है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह से चलायें या कामर्शल तरीके पर। इस तरफ आपकी तवज्जह होने की सख्त जरूरत है। मैं कुछ ज्यादा इसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं समझता हूं, बल्कि मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आप एक कमेटी बिठला दें जो इसमें यह देखे कि असल बात क्या है। यह भी देखना चाहिये कि कहां कहां तलवार या कुल्हाड़ी लेकर कम करना है या इजाफा करना है।

माननीय श्री लाल बहादुर-- स्पीकर महोदय, मैं पुलिस के सम्बन्ध में इस समय कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। समय भी कम है और यह विषय भी ऐसा है जिस पर मैं अपनी राय एक बार नहीं अनेक बार जाहिर कर चुका हूं और इस हाउस के मेम्बरान भी ऐसा कर चुके हैं। मुझे इस बात की खुशी हुई कि आज इस हाउस में दो या तीन माननीय सदस्यों ने उन दिक्कतों को महसूस किया जो आज की हालत में, आज के समाज की स्थिति में, पुलिस के सामने हैं या पुलिस को उन दिक्कतों को उठाना पड़ता है। श्री राजारामजी ने और श्री गोविन्द सहायजी ने इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रक्खा कि जो दिक्कतें वे पेश करते हैं उनको हल करने का क्या रास्ता हो सकता है। इस पर ज्यादा सोचना चाहिये और कुछ उन्होंने अपनी राय भी जाहिर की। श्री गोविन्द सहायजी ने भी बहुत मुनासिब बात कही कि जिस वक्त हम पुलिस की या उसके इन्तजाम की एक ऐसी क्रिटिसिज्म (आलोचना) करते हैं तो उसका सारे समाज पर बुरा असर पड़ता है, अव्यवस्था फैलती है और बदमजगी बढ़ती है। वह क्रिटिसिज्म किसी तरह से न पुलिस के लिये फायदेमन्द है और न समाज के लिये ही। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह भवन इस बात पर ध्यान रक्खे कि पुलिस के कामों को बदलने में, उनकी खराबियों को दूर करने में, वह कमी न करे। हमें यह समझना चाहिये कि पुलिस की तरफ से गलतियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, उनमें कमियां हैं। मगर यह समझना कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं देती या अफसरान इस तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसी बात नहीं है। पुलिस के दिमाग को नया बनाना एक कालोसल टास्क (दुस्तर कार्य) है। यह कितना बड़ा काम है यह सोचने की जरूरत है। समाज की स्थिति का भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिये मैं समझता हूं कि लेजिस्लेचर के माननीय सदस्य (लाउड स्पीकर फेल हो जाने की वजह से माननीय मंत्री कुछ समय तक रुके रहे।)

माननीय सदस्यों की जो राय हुआ करे उसको उन्हें तो कम से कम सारी बातों को देख करके ही जाहिर करना चाहिये और जैसा मैंने कहा कि उन्हें हक है कि वह जितनी कड़ी टीका–टिप्पणी करना चाहें करें, लेकिन अगर सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन को उनकी टीका–टिप्पणी से धक्का लगता हो तो मैं समझता हूं कि उस टीका–टिप्पणी का कोई नतीजा नहीं होगा। क्राइम के बारे में यह बात कही गयी कि क्राइम बढ़ रहे हैं और यह कहा गया कि जुर्मों को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि बहुत सी बातें इंटर कनेक्टेड (परस्पर संबंधित) होती हैं। इस हाउस में बड़े जोरों से कहा गया कि जुर्मों को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है, थानेदारों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है। यह भी कहा गया कि अगर किसी थाने में जुर्म बढ़े तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय। मैं यह समझता था कि जब माननीय सदस्यों की इस सिफारिश पर कार्यवाही की जायगी तो कुछ टेंडेंसी कंसीलमेंट और सपरेशन (प्रवृत्ति छिपाने और दबाने) की तरफ होगी। इसका अन्दाजा मैंने पहले ही कर लिया था और इस अन्दाजा करने के बाद मैंने जरूर इस तरह की हिदायतें दीं कि उन थानेदारों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये जिनके यहां काफी बद इन्तजामी हो, स्लैक्नेस हो, जुर्म बढ़ रहे हों। मगर मैंने इसका ध्यान रक्खा था और अब भी रखता हूं कि अगर उनकी टेंडेंसी छिपाने की तरफ या सपरेशन की तरफ होती है तो हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे, और इस तरह के हमने आदेश भी भेजे हैं। मैं श्री सुदामा प्रसाद जी से कहना चाहता हूं कि अगर वह दो, चार या छः केसेज भी इस तरह के देदें जिनमें छिपाने या दबाने की कोशिश की गयी हो या थाने में लिखे न गये हों, तो हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। मैं उनसे यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि अगर वह दो चार या छः केसेज बतायेंगे, तो जो कार्यवाही वह मुनासिब समझेंगे वही मैं करूंगा। एक नहीं कई

[माननीय श्री लाल बहादुर]

मेम्बरों से मैं कह चुका हूं कि मेहरबानी करके एक दो ऐसे केसेज दीजिये ताकि हम जांच कर सकें। मैं यह नहीं कहता कि सपरेशन या कंसीलमेंट नहीं होते, लेकिन जितनी कार्यवाही हम बगैर आपके कहे हुये कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी चीज पर ऐक्शन लें तो आप दो, चार, छः केसेज बतलाइये और अगर आप को कांफीडेंस में ले करके हम उनपर कार्यवाही न करें तब आपको एतराज करने का मौका हो सकता है। मैं पूरी कार्यवाही में आप को कांफीडेंस में लेने के लिये तैयार हूं और जो सजा आप मुनासिब समझेंगे वही दी जायगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह की बातें यहां कही गयीं उनको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। बड़े बड़े डाकुओं के गैंग्स पकड़े जायं,जो पांच पांच छः छः वर्ष से काम कर रहे थे और जिनके नाम बीस बीस कत्ल दर्ज थे उनको पकड़ा जाय, बीरे को फांसी दे दी जाय, वीरेन्द्र सिंह को गोली मार दी जाय और ऋषिपाल को पकड़ा जाय, फिर भी अगर आप यह कहें कि डकैतियां बढ़ रही हैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं आप से दावे के साथ कहता हूं कि सन् १९४९ के मुकाबिले में सन् १९५० में ५०० डकैतियां कम हुई हैं। मुमकिन है कि कहीं दो चार गलतियां हो गयी हों और उन गलतियों को मानने में मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर किसी चीज की हद होनी चाहिये। फैक्ट्स सामने हैं। गैंग्स पकड़े जाते हैं, १२-१२, १५-१५, की तादाद में, जिलों में खुशिया मनाई जाती हैं और यह कहा जाय कि डकैतियां बढ़ रही हैं तो उसे मैं कैसे मान लूं जब मेरे सामने चीजें नहीं लाई जातीं। एक एक इलाके में गांव पंचायतें हैं, कांग्रेस की पंचायतें हैं, पोलिटिकल पार्टीज दूसरी काम करती हैं, हमारे सब अपोनेंट्स (विरोधी) काम करते हैं और कहा जाता है कि सपरेशन होता है, कंसीलमेंट होता है। मैं कहता हूं कि नामुमकिन है कि पुलिस इस तरह से क्राइम्स को दबा सके जिस तरह से यहां पर पेश किया जाता है। मगर पुलिस में थोड़ा सा कनसीलमेंट १०, १५,२० फीसदी हो सकता है, यह आप कह सकते हैं। कांग्रेस मिनिस्ट्री के पहले ३० परसेन्ट होता था यह पुलिस के लोग या जो उससे ताल्लुक रखते हैं वह बतलाते हैं, लेकिन उसको बराबर कम करने की, दबाने की, काटने की तरफ प्रवृत्ति है और अगर उससे नहीं होता है तो हमारे नोटिस में लाइये, मैं उसपर कारंवाई करने के लिये तैयार हूं।

पुलिस के बारे में बहुत सी बातें कहा गईं, अगर एक एक पर जाने लगूं तो बड़ा वक्त लगेगा। अब मैं थोड़े से शब्दों में ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ अपनी राय देना चाहता हूं।

श्री ई० एम० फिलिप्स--मैं एक सवाल सिर्फ लाक अप के बारे में करना चाहता हूं।

माननीय श्री लाल बहादुर--लाक अप को ठीक करने की बात बजट में रक्खी गयी। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हमें रुपया और दें पुलिस के लिये तो एक नहीं सैकड़ों लाकअप बन जायं। लेकिन यहां पर पुलिस का बजट बढ़ाने पर जो आपकी तरफ से हमें बातें सुनने को मिलती हैं उन्हें हम कैसे बरदाश्त करें। पुलिस के बजट में तो आप एक पाई बढ़ाना नहीं चाहते लेकिन लाकअप नये बन जाने चाहिये, फोरेंसिक लेबारेटरीज कायम हो जानी चाहिये, फोटोग्राफी का अच्छा इन्तजाम होना चाहिये, म्यूजियम ठीक होना चाहिये, क्राइम रेकार्ड सेक्शन ठीक तरह से चलना चाहिये और सी० आई० डी० की ट्रेनिंग के लिये लोगों को इंगलैंड और अमेरिका भेजना चाहिये, यानी रिफार्म्स का कोई अन्त नहीं। हर रिफार्म्स कीजिये मगर बजट में रुपया न बढ़े। मैं कहता हूं कि मैंने एक एक रिफार्म के बारे में स्टडी की और उस हदतक जहां तक बजट हमें अलाउ करता है हम उसको करने की कोशिश करेंगे लेकिन एक तरफ मैं आपसे इन चीजों की मांग करूं और आपको पैसा देने की कोशिश न करूं तो कैसे वह इन्तजाम चल सकता है। आप देखिये पुलिस बजट में कोई खर्चा नहीं है। ८०-९० फीसदी रुपया तनख्वाहों में जाता है। तो जहां ९० फीसदी तनख्वाह पर

जाय वहां १० फीसदी में हमसे यह उम्मीद की जाय कि इन सब इन्तजामात को चला सकें तो वह कैसे ममकिन हो सकता है। १० फीसदी में हमारे और भी सामान आते हैं, विहिकिल्स हैं, पेट्रोल है किस चीज को काटें जिससे रिफार्म में पैसा लगे ? फिर भी अगले बजट में मैं पेश करूंगा, अगर हम पुलिस बजट को बढ़ाना चाहें तो मेहरबानी करके एतराज न करें। आप फाल्स एकोनोमी पर जा रहे हैं। आप जब चाहते हैं कि हम पुलिस के बजट में कोई नई चीजें लायें जिससे हम रिफार्म कर सकें और उसके लिये रुपया आप मंजूर करें तो उससे पुलिस का फायदा होगा, स्टेट का फायदा होगा और सबका फायदा होगा तो जनरल बजट के वक्त इसका ख्याल रखें। लाकअप के बारे में मामूली तौर पर जो इन्तजाम हम कर सकते हैं पुलिस के अन्दर वह हमने किया। मैं सवा सौ मील के फासले पर एक देहात में गया तो पहली जो चीज मैंने वहां देखी वह वहां का लाकअप था कि रात के वक्त वहां का कैसा हाल है। अब जो भी रहा हो मगर फिर भी मैंने देखा कि उनको जो हमारी उनको ताकीद की गयी थी उन्होंने वैसा इंतजाम कर रखा था। मिसाल के लिये मामूली बात है कि कोई यूरिनल नहीं होता था। उसी फर्श को बरबाद करते थे और उसी गन्दगी में क्रिमनल्स या अन्डर ट्रायल आदमी पड़े रहते थे। मगर उसमें यूरिनल का माकूल इन्तजाम था और पानी का भी इन्तजाम था। वैसे मामूली तौर पर गांव में नाली बनी रहती है उसी का हर लाकअप में इन्तजाम कर लिया गया। उसको आप कहीं भी देख सकते हैं। मगर हम चाहते हैं कि उसको जेल के ढंग का बनाएं। पैसा भी इतना खर्च नहीं होता, होता जरूर है, मगर वह एक नीट और क्लीन तरीका है। लेकिन चाहें कि हम सैकड़ों बनावें तो उसके लिए पैसा चाहिए। फिर भी हम इस प्रयत्न में हैं कि जितना हम सुधार कर सकेंगे उतना करेंगे।

ट्रांस्पोर्ट के बारे में श्री गंगा सहाय चौबे तथा श्री राजाराम शास्त्री जी ने जो कहा, मैं उनके संबंध में सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अफसोस है कि रोडवेज वर्कर्स और उनके लीडर्स ने यह मुनासिब समझा कि उस छोटे से मसले पर जो महोबे में पैदा हो गया इसलिए स्ट्राइक की शुरूआत हो गयी। एक आदमी का ट्रांस्फर हुआ, उसके ऊपर कुछ जांच-पड़ताल हुई, उस पर महोबे में स्ट्राइक हुआ और वहां से बढ़ कर कानपुर में चला आया। उसके बाद बहुत लम्बी चौड़ी मांग पेश की। जितने बड़े २ बेसिक सवालात थे सब को रखकर एक मांग पेश की गयी। खैर मैं आठ दस दिन के लिये बीच में बाहर था। वह स्ट्राइक चला। हमारे डिप्टी ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर रोडवेज ने बराबर इस बात की कोशिश की कि बातचीत करके किसी तरह से मामला तय हो जाय और मैं उनको इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने निहायत अच्छी तरह से इस मामले को यूनियन के लीडरों के साथ हैंडिल करने की कोशिश की। उसके बाद भी हमारे यूनियन के लीडर्स ने स्ट्राइक को काल आफ बन्द करना मुनासिब नहीं समझा। श्री राजा राम शास्त्री जी ने और भाई सूर्य प्रसाद अवस्थी ने हम से कहा कि आपको मिलना चाहिए। अगर आप यूनियन के लीडरों से बात करें तो मामला तय हो सकता है। मैंने कहा कि उनसे मिलने में कभी इनकार नहीं है। वह आएं, मिलें। मैं बातचीत करने के लिये तैयार हूं। श्री राजाराम शास्त्री जी और अवस्थी जी ने उनको बुलाया। मैंने बातचीत की। मैंने उनसे शुरू में ही कहा, शुरू में कहा या बीच में कहा यह मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने सफाई के साथ कहा कि मैं आप से सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके जाइये, कल स्ट्राइक को बन्द करवा दीजिये। उसके बाद तशरीफ ले आइये। फिर हम बातचीत करेंगे और फैसला करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि चूंकि आप आ गये हैं और बातें करना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है। आप बात कर लीजिए। तो जो बातें उन्होंने कहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक दो बातें जो मेरी तबीयत के बिलकुल खिलाफ थीं उनको मैंने महज इस वजह से मंजूर किया कि वर्कर्स को ज्यादा नुकसान पहुंचे यह मैं कभी बरदाश्त नहीं कर सकता और अगर यूनियन के लीडर किसी चीज में अपनी शान समझते हों तो मैं इस

[माननीय श्री लाल बहादुर]

इशू पर उनसे कोई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता और वर्कर्स में कोई कान्फीडेंस बढ़ाने की बात मेरे जरिये से हो सके तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। इसलिये मैंने उन बातों को माना जिनके उसूलन मैं खिलाफ था। मैंने उनसे कहा कि मैं इस चीज को उसूलन ठीक नहीं समझता हूं। लेकिन आप चाहते हैं तो मैं इसको मानता हूं। उसके बाद वे चले गये। अब जब कि मैं आशा करता था कि यह स्ट्राइक बिलकुल खत्म हो जायगी तो वहां यूनियन के लीडरों ने कानपुर में जाकर अनकांडीशनल और कंडीशनल स्ट्राइक का झगड़ा पैदा कर दिया। उनकी तरफ से एक अंदेशा पैदा किया गया कि हमारे डिप्टी ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर ने बराबर कहा कि स्ट्राइक अनकंडीशनली विथड्रा (बिना शर्त के समाप्त) होगी। अनकांडीशनली विथड्रा करने में यह डर हो सकता है कि वर्कर्स को विक्टिमाइज किया जायगा, उनको सजा दी जायगी, बरखास्त किये जायेंगे, इस सबसे बड़ी परेशानी के कारण कि अनकांडीशनली विथड्रा करने में उनको सजा मिलेगी, वह विथड्र करने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने इस बात का उनको इत्मीनान दिलाया था कि किसी तरह का विकटिमाइजेशन इस ईशू पर नहीं होगा कि किसी ने स्ट्राइक में हिस्सा लिया है। इस सवाल पर कि किसी ने स्ट्राइक में हिस्सा लिया किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन और चीजों पर जैसे कि किसी ने गाड़ी डैमेज कर दी, गाली गलौज की या धूल डाली उसपर हम जरूर ऐक्शन लेंगे। उसपर उन्होंने कहा कि यह भी न हो। और यह कहा कि मुमकिन है कि किसी के साथ ज्यादती हो। तो मैंने यह कहा किसी के साथ ज्यादती न हो उसके लिये हम उन्हें चार्जशीट देंगे और अपना जवाब दे सकेंगे। और अगर आपको और शक है तो उसके लिये मैं एक एक केस को खुद देखूंगा और मैं खुद तय करूंगा कि इसमें क्या किया जाय और यह देखूंगा कि किसी किस्म का कोई विकटिमाइजेशन तो नहीं हो रहा है। यह भी मैंने कहा कि अगर इस पर किसी को अफसोस हो तो उस पर भी हम विचार करने के लिये तैयार हैं। इस पर उन्होंने भी कहा कि इसमें उन्हें अब कोई शिकायत नहीं है। और उन्होंने कहा कि वहां पर जाकर वह स्ट्राइक को विथड्रा कर लेंगे। लेकिन वहां पर पहुंचकर वह कंडीशनल और अनकंडीशनल विथड्राअल का कानूनी पेंच पैदा करते हैं। इस कानूनी पेंच में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं। और इसीलिये मैंने निहायत मित्रभाव से उनसे सारी बातें की थीं। लेकिन मुझे इस बात का रंज है कि उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। कहते हैं कि उन्होंने स्ट्राइक विथड्रा कर ली, लेकिन डेढ़ सौ वर्कर्स अब भी अलग हैं। यूनियन का रजिस्टर रखा हुआ है बिलकुल एक इंडिसिप्लिन का ऐटमास्फियर (अनुशासन का वायुमंडल) कायम कर रखा है। इस वास्ते मैं कहता हूं कि अगर वे इस चीज में कानूनी दांव पेंच में पड़ते हैं और हमको कानूनी दांवपेंच की दिक्कत में डालना चाहते हैं तो हम कभी इसमें कंसीड करने (मानने) के लिये तैयार नहीं हैं। अगर फ्रेंडली और फ्रैन्कली (मित्रता पूर्ण और स्पष्ट) तरीके पर बातें हो जायं और कानून से उनको और हमको दोनों को कोई मतलब न हो आपसी बातचीत पर सब बातें तय हो जायें तब तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन वह तो समझबूझ कर होशियारी के साथ अपनी बात को बन्द रखें और अदालत में पहुंच जायं, हाईकोर्ट में पहुंच जायं और गवर्नमेंट को फाल्स पोजीशन में डालें तो इस तरह की बातों के लिये हम हरगिज तैयार नहीं हैं।

श्री गंगाराम शास्त्री—आन ए प्वाइंट आफ इंफार्मेशन (मैं सूचनार्थ पूछना चाहता हूं।) मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि हड़तालियों ने या मजदूर लीडरों ने गैरकानूनी तरीके से हड़ताल को नहीं खत्म होने दिया या आपके मैनेजर साहब ने कहा कि हम जब तक अनकंडीशनल विथड्राअल नहीं होगा तब तक हड़ताल खत्म नहीं समझेंगे।

माननीय श्री लालबहादुर—जब यहां आने से पहले मैनेजर ने उनको लिखकर दे दिया और जब उन्होंने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से आने के पहले कहा था तो अब झगड़ा पैदा करने की जिम्मेदारी यूनियन पर है सरकार पर नहीं है। मैं अब भी कहता हूं कि सारे झगड़े को हटा दिया जाय और इसके कानूनी मसले में न पड़ा जाय, फ्रेंडली तरीके पर। अब भी ओपेन है,

कोई रुकावट नहीं है और मैं तमाम यूनियन के लीडरों से और लेबर लीडरों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त भी मसले को अगर सहूलियत से तय करना है तो वह आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हम अपना मैक्सिमम (अधिकतम सुविधा) दे चुके हैं और अपनी तबीयत के खिलाफ दे चुके। जो बातें उसूलन गलत थीं वह आपकी वजह से हमने मान लीं, लेकिन उसके बाद भी अगर फैसला आप नहीं करते हैं तो अब हम उसमें एक रत्ती सरेन्डर (झुकने) करने के लिये तैयार नहीं हैं। आप उसे करना चाहते हैं तो करिये। हम चाहते हैं कि वर्कर्स को परेशानी न हो, उनको तकलीफ न हो और डेढ़ सौ वर्कर्स जो बाहर हैं हम इस मुसीबत से उन्हें बचा सकें। यही हमारा निवेदन है।

श्री सुदामा प्रसाद––श्रीमान्, मैंने माननीय पुलिस मंत्री की बात को बड़े गौर से सुना। उनका ख्याल है कि जो मैंने कटमोशन के सिलसिले में बातें कही थीं वह कुछ लेक्चर की गरज से कही हैं। यह बात नहीं है बल्कि जो बातें कही गई हैं वह असलियत और सचाई से भरी थीं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि हमारा यह निजी अनुभव है कि हमारे गोरखपुर जिले में और खास तौर पर हमारी कांस्टीटुएंसी में इस साल जो डकैतियां और चोरियां हुई हैं वह पहले चार सालों के अनुपात से अधिक हैं। मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि जिन बातों की ओर मैंने उनका ध्यान दिलाया है वह उन बातों पर गौर करेंगे और उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि वे इस पर विचार करेंगे, मैं उसका स्वागत करता हूं। और मैं यकीन दिलाता हूं कि जो मैंने कहा है उसको मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने सही रूप में रख दूंगा और चूंकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे उनकी तरफ ध्यान देंगे, जो बातें होंगी उनको सख्ती के साथ दूर करेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैं इस आश्वासन पर अपना कटमोशन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

माननीय अध्यक्ष––अब साढ़े चार बज गये हैं और बहस का वक्त खत्म हो गया है। इसलिये पहले मैं इन दोनों अनुदानों पर सदन की राय लूंगा। इसके बाद बाकी अनुदानों को सदन की राय के लिये पेश करूंगा।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६––लेखा शीर्षक २९––पुलिस के अंतर्गत ३०,००० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०––५१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०––लेखा शीर्षक ४७––विविध विभाग, वाहन विभाग के अंतर्गत २८,६२,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०–५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८––लेखा शीर्षक ३७––शिक्षा

माननीय अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८––लेखा शीर्षक ३७––शिक्षा के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०––५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९––लेखा शीर्षक ३८––चिकित्सा

माननीय अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९––लेखा शीर्षक ३८––चिकित्सा के अंतर्गत ४४,२०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०––५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३९--जन-स्वास्थ्य

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३९--जन स्वास्थ्य के अंतर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०--५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि (कृषि सम्बन्धी विकास और खोज)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि (कृषि संबंधी विकास और खोज) के अंतर्गत ५१,००० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०--५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२--लेखा शीर्षक ४०--कृषि (कृषि इन्जीनियरिंग और उपनिवेशन)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--लेखा शीर्षक ४०--कृषि (कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन) के अंतर्गत १,२२,५०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०--५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--पशु-चिकित्सा

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--पशु चिकित्सा के अंतर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०--५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक ४१--विद्युत् योजनाओं पर व्यय

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक ४१--विद्युत् योजनाओं पर व्यय के अंतर्गत १०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०--५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग और ४४--उड्डयन

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग और ४४--उड्डयन के अन्तर्गत १३,६०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०--५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग (श्रम)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग (श्रम) के अन्तर्गत १,४६,२०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०--५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य--निर्माण कार्यों पर लागत

माननीय अध्यक्ष----प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य-निर्माण कार्यों पर लागत (सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये

जाते हैं) के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०—५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क कोष से वित्तीय सहायता

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क कोष से वित्तीय सहायता (यातायात का सुधार) के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०—५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य—सहायक अनुदान

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य-सहायक अनुदान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०—५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५—क—लेखा शीर्षक ५४—क—प्रादेशिक और राजनीतिक पेन्शनें

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—क—लेखा शीर्षक ५४—क—प्रादेशिक और राजनीतिक पेन्शनों के अन्तर्गत ४,९९,८०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०—५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय के अन्तर्गत २,२६,७०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०—५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०—५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों के पूंजी का लेखा

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों के पूंजी का लेखा के अन्तर्गत ७५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०—५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७--लेखा शीर्षक ८२--राजस्व लेखे के बाहर दूसरे प्रान्तीय निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा (कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता और पुनर्वासन योजनाओं पर पूंजी की लागत)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७-लेखा शीर्षक ८२-राजस्व लेखे के बाहर दूसरे प्रान्तीय निर्माण कार्यों का पूंजी--लेखा (कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता और पुनर्वासन योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत २,७२,१०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०--५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०-लेखा शीर्षक-द-प्रान्तीय सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०-लेखा शीर्षक-द--प्रान्तीय सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत ४,००० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०--५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक त--जमा और अग्रऋण

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१-लेखा शीर्षक त-जमा और अग्रऋण के अन्तर्गत ३,००० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०--५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) को उपस्थित करने की इजाजत चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसके लिये किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री खुशवक्तराय--उसको पढ़ने का मौका तो दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष--मैं एक बात माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यह जो विधेयक उपस्थित किया गया है वह गजट में छप चुका है अथवा नहीं?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गवर्नर महोदय की स्वीकृति इसके लिये ले ली गई है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को उपस्थित करने की अनुमति दी जाय।

माननीय अध्यक्ष--क्या सदन की अनुमति है कि यह विधेयक उपस्थित किया जाय।

(कोई आपत्ति नहीं की गई।)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल) आपकी आज्ञा से उपस्थित करता हूं।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल) पर विचार किया जाय।

मैं इसके बारे में इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं इस सदन का कृतज्ञ हूं कि जिस रूप में यह बजट पेश हुआ था उसमें कोई संशोधन न करते हुये वैसे ही पास कर दिया गया है। अब यह ऐप्रोप्रियेशन बिल आपके विचार के लिये प्रस्तुत है। इस पर विचार करने में कोई दिक्कत न होगी क्योंकि उसमें वही मांगें हैं जो सदन ने स्वीकार की हैं। आशा है सदन इसको स्वीकार कर लेगा।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल के ऊपर कुछ कहना नहीं है और पहिले से भी यही तय था कि इस पर कोई मुबाहिसा नहीं होगा लेकिन मैं दो लफ्ज लेबर (श्रम) वाली बात पर कहना चाहता हूं और अभी वक्त भी ३५ मिनट का बाकी है लिहाजा मैं ज्यादा वक्त न लेकर २-४ मिनट में ही अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैंने लेबर के सिलसिले में बजट में एक ऐसी बात देखी जिससे यह पता चलता है कि इस सरकार की साख्त कैसी है, कैसे उसका काम चलता है, कितना गरीबों का इस सरकार को ख्याल है उससे यह पता चलता है। इसमें मैंने देखा कि ३ हजार रुपया तनख्वाह चेयरमैन की रखी गई है और उसके बाद नीचे एस्टेबलिशमेंट की मद है उसमें आर्डरली की तनख्वाह २५-३० रु० रखी गई है आज के युग में चपरासी को २५ रु० मिलें और आठ आना साल तरक्की देकर १० सालों में ३० रु० कर दिये जायं तो इस ३० रु० को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इससे यह समझ में आया कि यह सरकार जो यह कहती है वह लोगों को उठाना चाहती है, उससे वह क्या करना चाहती है। हमारे माननीय पुलिस मंत्री जोर देते हैं कि हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं आप रुपया तो दें, हम तो काम करने को तैयार हैं। हम लाक अप बनवा दें। आप कहते हैं लेकिन रुपया कहां से आये। लेकिन रुपया आवे कहां से? तीन तीन ढाई ढाई हजार रुपया और उसमें आप कोई किसी तरीके का रिस्क नहीं लेने को तैयार, खतरा उठाने को नहीं तैयार। उसी तरीके से कोई नई पोस्ट भी आप कायम करते हैं तो उनकी भी तनख्वाह वैसी ही रखते हैं जैसा कि और अहलकारों को देते हैं। खैर, वह आप देवें लेकिन मैं तो उसका सख्त मुखालिफ हूं। हम तो समझते हैं कि जो नई तकर्रुरी हो कम से कम उनके लिये वह रेट न लगाया जाय। जब २५ रु० आज के युग में जो मैं समझता हूं कि कोई भी नौकर आज इतने पर नहीं रहना चाहेगा क्योंकि २५ रु० में तो एक आदमी खा-पी नहीं सकता है। तो यह साफ है कि सरकार जिस नीति से काम कर रही है उस पर यदि हम लोग कोई लांछन लगाते हैं कि यह गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है और इसका कोई भी ताल्लुक गरीबों से नहीं है तो हम से कहा जाता है कि हम तो लफ्फाजी करते हैं, हवा की बात करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे बढ़ कर कोई और नमूना हो ही क्या सकता है। जहां तक सप्लीमेंटरी ग्रांट की बात है मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे कम से कम इस बात की तरफ तवज्जह करेंगे कि तीन हजार के बदले अगर उनको दो हजार या पन्द्रह सौ रु० देकर जो रुपया बचा लें उनसे इन गरीब चपरासियों और चौकीदारों की और जो साइक्लोस्टाइल मेकेनिक्स हैं जिनकी भी तनख्वाह २५-१/२-३० है जो ५ वर्ष में जाकर ३० होता है, दे दें तो बड़ा अच्छा होगा। एक शब्द में और कहना चाहता हूं कि यह एप्रोप्रिएशन बिल कहा गया है मगर कंटिंजेंसी फंड से रुपया निकाल कर खर्च कर लिया गया है तो फिर यह एप्रोप्रिएशन बिल कैसे हुआ, यह तो मिस एप्रोप्रिएशन बिल हुआ। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह एप्रोप्रिएशन बिल नहीं है बल्कि मिस एप्रोप्रिएशन बिल है।

श्री खुशवक्त राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि जब जब इस भवन में ऐसे ग्रांट्स पेश होते रहे हैं जिसमें कंटिंजेंसी फंड से रुपया निकाल कर खर्च किया गया है तब तब मैंने एतराजात किये। अब उसी सम्बन्ध में बल्कि यह कहिये कि उसी दृष्टिकोण से मैं इस विधेयक की बात करता हूं और उसको पढ़ने के बाद मैं समझता हूं कि आज के दिन भी आपने मेरी वैधानिक आपत्ति पर जो निर्णय दिया था उसका पालन नहीं किया गया है। आप देखेंगे कि इसके प्रिएम्बिल में यह दिया हुआ है कि ३१ मार्च, सन् १९५१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कुछ और धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, समय नहीं है, नहीं तो मैं आपके सामने वे सब ग्रांट्स ठीक से बतला सकता हूं कि कहां कहां कंटिंजेंसी फंड से रुपया निकाला गया और फिर उसे खर्च किया गया। परन्तु यहां तो आपने देखा ही होगा कि बहुत जगह यह लिखा हुआ है कि कंटिंजेंसी फंड से रुपया निकाल कर खर्च हुआ है। अब अगर रुपया खर्च हुआ तो वह तो व्यय हो चुका, अब तो व्यय का कोई सवाल ही नहीं है। होना यह चाहिये था कि इस प्रिएम्बिल में कि जो व्यय हो चुका है, जो कंटिंजेंसी फंड से रुपया निकाल कर खर्च हो चुका है उसे पूरा करने के लिये यह विधेयक लाया जाता है।

[श्री खुशवक्त राय]

पार्ट यह है और पार्ट नये खर्चों के लिये। कहीं पर कांसिलेडिटेट फंड से रुपया लेकर व्यय करना है और कुछ इसलिये कि कंटिंजेंसी फंड से निकाल कर व्यय कर दिया है उसे पूरा करने के लिये यह विधेयक ला रहे हैं। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कंटिजेंसी फंड से रुपया निकाल कर जो आपने खर्च कर दिया है उसको देखने से यह मालूम पड़ता है कि वह रुपया उसमें वापस जायगा या नहीं। सवाल यह है कि जो रुपया उसमें से निकाल कर खर्च किया गया था वह उसमें वापस जायगा या नहीं।

आप देखेंगे कि आर्टिकिल २८३ जो कांस्टीटयूशन की है उसके मातहत जरूरी था कि कंटिजेंसी फंड से रुपया निकालने के बारे में नियम बनाये जायं और वे नियम बनाने का अधिकार इस भवन को है। जब तक यह भवन यह नियम नहीं बनायेगा तो उस समय तक के लिये गवर्नर साहब बना सकते हैं या उसमें दिया हुआ है। मैंने आज फाइनेन्स डिपार्टमेंट से दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि अभी तक वह नियम नहीं बने हैं। किस तरह से कंटिजेन्सी फंड से रुपया निकाला जाय और किस तरह से उसमें जमा किया जाय यह नियम नहीं बनाये गये हैं, हालांकि उसको साल भर बीत गया है। जो मैंने इस सिलसिले में बहस की थी तो उस समय का था कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट यह नहीं समझता है कि वे नियम जरूरी हैं या नहीं। साथ ही में यह भी जानना चाहता हूं कि कंटेन्जेन्सी फंड से जो रुपया निकाला गया है वह कभी भी वापस होगा या नहीं। जब पारसाल वह कंटिन्जेन्सी फंड ऐक्ट पास हुआ था तो उसके आखिर में दिया हुआ है कि उसके अन्तर्गत नियम बनाये जायेंगे लेकिन उसकी व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी और वे नियम अभी तक नहीं बन सके हैं। अब यह सवाल पैदा होता है कि आपने कंटेन्जेन्सी फंड से रुपया तो निकाल कर खर्च कर दिया है और फिर भी रुपया चाहते हैं तो फिर भी वह जमा होगा या नहीं। यह बात ऐसी है जो मुझको बहुत खटकती है। अगर कोई नियम होता तो उसके मातहत वह रुपया वापस उसमें जा सकता था लेकिन जब कोई नियम नहीं है और दोबारा चाहता हूं वह मुझे इस बात को समझा दें। मैं आशा करता हूं कि इस कठिनाई को माननीय मंत्री जी दूर करने की कृपा करेंगे।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, हमारे भाई खुशवक्त राय जी ने जो यह कानूनी सवाल उठाया है उसके संबंध में आपने पहले भी ही फरमाया था कि मैं उनकी बाबत गौर करूंगा। अभी खुशवक्तराय जी ने जो कहा है मैं उसके मुताल्लिक देखूंगा कि इसमें क्या कानूनी दिक्कत रह गई है और कौन लफ्ज आना चाहिये था और कौन नहीं आना चाहिये था। जहां तक कंटिन्जेन्सी फंड की बात है उसके अन्दर यह भी था उसका रुपया रिकुप हो जायगा। इस वास्ते वापस होने की तो कोई बात नहीं है। जहां तक रूल्स बनाने की बात है मैं उसके बारे में देखूंगा कि इसकी जरूरत है या नहीं।

इस वक्त जो श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने लेबर ट्रिब्यूनल का सवाल उठाया मैं सिद्धान्ततः उनमें से बहुत से सहमत हूं। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि जो सवाल आपने उठाया है वह बहुत बड़ा सवाल है। इसको उठाने का शायद यह वक्त नहीं था। अगर इस लेबर ट्रिब्यूनल के सिलसिले में जो चपरासी रखे गये हैं और उन चपरासियों की तनख्वाह कम है तो वह महज इन चपरासियों की तनख्वाह कम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जितने गवर्नमेंट के चपरासी हैं सब की कम तनख्वाह है। यह बहुत बड़ा सवाल है और अगर हमारे सूबे की फाइनेन्स इस बात की इजाजत दे तो यह सवाल गौर करने के लायक हो सकता है और हम उनको लिविंग वेज दे सकते हैं और हर एक को दे सकते हैं लेकिन जो हालात हैं वह आप लोग भी जानते हैं। मैं तो यहां पर बहुत पहले इस बात को मूव कर चुका हूं कि यहां पर कैपिटलिज्म को खत्म करना चाहिये और जब तक यह कैपिटलिज्म खत्म नहीं होगा तब तक उसका इन्तजाम पूरा नहीं होगा। जहां तक आपने व्यवस्था की बात कही मैं उसके बारे में कोशिश करूंगा। और बाकी इस ट्रिब्यूनल की ३ हजार और २ हजार की बात है वह हमारे साथ की बात नहीं है और इसमें हमारी मजबूरी है। जो चीज अब हो चुकी है उसके मुताबिक हमको करना पड़ता है।

और उस ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन होंगे वह कमिश्नर के दर्जे के ही होंगे। साथ ही मैं यह भी अर्ज कर दूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के जो २ कानून लेबर के सिलसिले में आ रहे हैं अगर वह आ गये तो यह हो सकेगा कि वह हाईकोर्ट के जज हों या उस पद के अधिकारी हों। इन हालात में इस वक्त में मजबूर हूं और मुझे आशा है कि सदन में इसको पास होने में कोई दिक्कत न होगी।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक† (एप्रोप्रिएशन बिल) पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना, धारायें और अनुसूची

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए कुछ और धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१--यह अधिनियम १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५०-५१ के लिए १,११,४३,८०० रु० का दिया जाना।

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं के सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल जोड़ १,११,४३,८०० रु० (एक करोड़ ग्यारह लाख, तैंतालीस हजार, आठ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
	क--राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) वाले व्यय	रु०	रु०	रु०
५	वन (फारेस्ट) ..	२,६५,०००	..	२,६५,०००
९	राजस्व (रेवेन्यू) में से किये जाने वाले सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य ..	२,२६,१००	..	२,२६,१००

†उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये देखिये नत्थी 'क'

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज़ ऐन्ड पर्पजेज़)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
	..	रु०	रु०	रु०
१०	सिंचाई (इरिगेशन) और जल-विद्युत् अधिष्टान (हाइड्रो एलेक्ट्रिक इस्टेब्लिशमेंट) सम्बन्धी परिव्यय ..	२,००,०००	..	२,००,०००
११	सामान्य प्रशासन के निमित्त होने वाले परिव्यय ..	१०,२२,६००	१३,०००	१०,३५,६००
१२	कमिश्नरों और जिला प्रशासन सम्बन्धी (एडमिनिस्ट्रेशन) परिव्यय ..	२,११,१००	..	२,११,१००
१५	जेल	५३,९००	..	५३,९००
१६	आरक्षक (पुलिस) ..	३०,०००	..	३०,०००
१८	शिक्षा	५००	..	५००
१९	चिकित्सा (मेडिकल) .	४४,२००	..	४४,२००
२०	लोक स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) ..	१००	..	१००
२१	कृषि-सम्बन्धी विकास और खोज (ऐग्रिकल्चरल डेवलपमेंट ऐन्ड रिसर्च) ..	५१,०००	..	५१,०००
२२	कृषि इन्जीनियरिंग और उपनिवेशन (ऐग्रिकल्चरल इन्जीनियरिंग ऐन्ड कालोनाइजेशन) ..	१,२२,५००	..	१,२२,५००
२४	पशु चिकित्सा (वेटिरिनरी) ..	३००	..	३००
२५	विद्युत् योजनाओं पर व्यय ..	१००	..	१००
२८	उद्योग-धन्धे (इन्डस्ट्रीज़) और विमान चालन (एविएशन) ..	१३,६००	..	१३,६००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पज़ेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
		रु०	रु०	रु०
२९	श्रम (लेबर) ..	१,४६,२००	..	१,४६,२००
३०	परिवहन (ट्रांस्पोर्ट) विभाग ..	२८,६२,२००	..	२८,६२,२००
३१	राजस्व (रेवेन्यू) की सहायता से किये जानेवाले लोक निर्माण कार्यों (पब्लिक वर्क्स) पर होने वाला व्यय ..	३००	..	३००
३२	संचार (कम्युनिकेशन्स) सम्बन्धी सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित)	१००	..	१००
३४	असैनिक निर्माण कार्यों के निमित्त सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ सिविल वर्क्स) ..	१००	..	१००
३५-क	प्रादेशिक (territorial) और राजनीतिक पेंशनें ..	४,९९,८००	..	४,९९,८००
३८	प्रकीर्ण परिव्यय (मिसलेनियस चार्जेज़)	२,२६,७००	..	२,२६,७००
३९	असाधारण परिव्यय (एक्स्ट्रा-आर्डिनरी चार्जेज) .	१००	..	१००
	जोड़ 'क' ..	५९,७६,५००	१३,०००	५९,८९,५००
	ख—राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर अभिपूंजी व्यय (कैपिटल एक्सपेन्डीचर)—			
४२	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई और जल विद्युत् कार्यों (हाइड्रो-एलेक्ट्रिक वर्क्स) का निर्माण (कन्सट्रक्शन) ..	४८,००,१००	..	४८,००,१००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
		रु०	रु०	रु०
४५	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर असैनिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर धन प्रयोग (आउटले) ..	७५,१००	..	७५,१००
४७	सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), शरणार्थियों के साहाय्य और पुनर्वासन (रिलीफ ऐन्ड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर अभिपूंजी प्रयोग (कैपिटल आउटले)	२,७२,१००	..	२,७२,१००
	जोड़ 'ख' ..	५१,४७,३००	..	५१,४७,३००
	ग—ऋणों और अग्रऋणों (लोन्स ऐंड ऐडवान्सेज का, प्रदान (डिसबर्समेंट)			
५०	ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण (एडवान्सेज) ..	४,०००	..	४,०००
५१	बिना ब्याज वाले (इन्टरेस्ट फ्री) अग्रऋण (ऐडवान्सेज) ..	३,०००	..	३,०००
	जोड़ 'ग' ..	७,०००	..	७,०००
	कुल जोड़ ..	१,११,३०,८००	१३,०००	१,११,४३,८००

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १, २, ३, अनुसूची और प्रस्तावना इस विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक (ऐप्रोप्रिएशन बिल) स्वीकार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष-----प्रश्न यह है कि सन् १९५१ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक (ऐप्रोप्रिएशन बिल) स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे पूर्वान्ह तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१५ जनवरी, सन् १९५१ ई०

नत्थी 'क'

सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

संविधान के अनुच्छेद २०४ के साथ पठित अनुच्छेद २०५ के अनुसार विधान सभा द्वारा पूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मंडल में एक विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत पूरक अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित पूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है उसका विनियोग उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से हो सके।

सम्पूर्णानन्द,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—२११ एल० ए०—१९५१—३६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १६ जनवरी, सन् १९५१ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१४३)

अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
असगर अली खां, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रज़ा खां, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
कुंज बिहारी लाल शिवानी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
केशव गुप्त, श्री
खान चन्द गौतम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपालनारायण सक्सेना, श्री
गोविन्दवल्लभ पंत, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरणसिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगुल किशोर, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिकाप्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
परागी लाल, श्री
पूर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण , श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फजलुर्रहमान खां, श्री

फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भाग्त सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुकुंदलाल अग्रवाल, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद रजा खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशरण सिंह, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लाखन दास जाटव, श्री
लालबहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टंडन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटन राम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्याधर बाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकरदत्त शर्मा, श्री
शिव कुमार मिश्र, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामा चरण बाजपेई शास्त्री, श्री
श्रीचन्द सिंहल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद अहमद ,श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द,माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुदामा प्रसाद, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

बस्ती जिले में राजनीतिक पीड़ितों को आर्थिक सहायता

*१--श्री राम कुमार शास्त्री--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कितने राजनीतिक पीड़ितों ने आर्थिक सहायता के लिए दरख्वास्तें दी थीं और उनमें से कितनों की दरख्वास्तें स्वीकार की गई ?

श्री चरण सिंह (माननीय मुख्य मंत्री के सभासचिव)--बस्ती जिले से कुल ४८ दरख्वास्तें आईं जिनमें से १२ निश्चित समय के बाद प्राप्त हुईं। कुल १४ दरख्वास्तें सरकार द्वारा स्वीकृत की गईं, इनमें से १० में पेंशन और ४ में एकमुश्त रकम दी गई।

*२--श्री रामकुमार शास्त्री--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उन सज्जनों का क्या नाम है जो बस्ती जिले में सरकार से पेंशन पा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह--माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है वह उनके पास भेज दी जायगी।

श्री राम कुमार शास्त्री--यह सूचना कब तक आ जायगी ?

श्री चरण सिंह--सूचना मेरे पास मौजूद है। यह कुछ बहुत मुनासिब नहीं समझा गया कि उन लोगों के नाम इस तरीके से प्रकाशित किए जायं। गवर्नमेंट को इसमें कोई बात छिपाना नहीं है और आप जब चाहें मुझसे नाम मालूम कर सकते हैं।

*३--५--श्री रामकुमार शास्त्री--[स्थगित किए गए।]

खतीमा पावर हाउस हाइडल प्रोजेक्ट से बिजली तैयार करने की लागत

*६--श्री गोपाल नारायण सक्सेना (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि खतीमा पावर हाउस हाइडल प्रोजेक्ट बिजली तैयार करने की लागत का कुल कितना तखमीना है ?

श्री लताफत हुसैन (माननीय निर्माण मंत्री के सभासचिव)--खतीमा पावर हाउस योजना का जेनरेशन पार्ट (उत्पादन भाग) की लागत का अनुमान लगभग ७२०.८८ लाख रु० है।

*७--श्री गोपाल नारायण सक्सेना (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस तखमीने के अनुसार एक यूनिट बिजली के तैयार करने में क्या लागत आयेगी ?

श्री लताफत हुसैन--१ पाई फी यूनिट।

*८--श्री गोपाल नारायण सक्सेना (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि यह काम ३ साल में पूरा हो जाना चाहिए था ?

श्री लताफत हुसैन--जी हां प्रारंभ में ऐसा ही अनुमान था।

*९--श्री गोपाल नारायण सक्सेना (अनुपस्थित)--यदि हां, तो अब इतनी देर क्यों लग रही है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ६-७ श्री रामकुमार शास्त्री ने पूछे।

श्री लताफत हुसैन--इस काम में कई ऐसी टेक्निकल कठिनाइयां आईं जिसका अन्दाजा पहिले नहीं किया जा सकता था। पानी के नल को करीब ७० फिट नीचे गिराना और उसको काफी समय तक सूखा रखना पड़ा ताकि पावर हाउस की नीवें सूखी हालत में पड़ जायं। ऐसी समस्या बड़े-बड़े विदेशी मुल्कों में भी कभी पहले नहीं आयी और इसको हल करने में नए तरीके काम में लाने पड़े जिसमें २ वर्ष लग गए। देश के बटवारे के समय साम्प्रदायिक दंगों के कारण ठेकेदार कार्य को अपूर्ण छोड़ गए जिससे काम को फिर से शुरू करने में भी बहुत समय लग गया। सामान और मशीनों इत्यादि के एकत्रित करने में रेल से यातायात में भी कठिनाइयां हुईं।

विभिन्न क्षेत्रों में नहर द्वारा सिंचाई

*१०--श्री त्रिलोकी सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रुहेलखंड, शाहजहांपुर, सीतापुर और बाराबंकी डिवीजन में रबी, सन् १९४८-४९ में कितने रकबे की आबपाशी नहर से हुई ?

*११--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उन्हीं डिवीजंस में सन् १९४९-५० में कितने रकबे की आबपाशी हुई ?

*१२--क्या सरकार पिछले ८ साल के अन्दर उन डिवीजन्स में जितने रकबे की आबपाशी हुई उसके आंकड़े देने की कृपा करेगी ?

श्री लताफत हुसैन--नक्शा (स्टेटमेंट) मेज पर रक्खा है जिसमें हेलखंड शाहजहांपुर, सीतापुर और बाराबंकी डिवीजन में पिछले ८ साल में नहर से हुई आबपाशी के रकबे के आंकड़े दिए हैं जिनमें ४८-४९ और ४९--५० साल शामिल है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४० व १४१ पर)

अतारांकित प्रश्न

१--२--श्री बादशाह गुप्त--[स्थगित किए गए।]

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

इस संबंध में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि प्रवर समिति ने इस विधेयक में तीन-चार संशोधन किए हैं। दो-तीन तो छोटे हैं और एक बड़ा महत्वपूर्ण है और मेरा निवेदन है कि वह बहुत ही उपयोगी संशोधन है। छोटा संशोधन तो यह है कि धारा ४ में जहां यह लिखा गया था कि श्रमिकों के लिए मकान बनाने का अधिकार किसी लोकल बाडी (स्थानीय संस्था) को दिया जाय या किसी फैक्ट्री के प्रोप्राइटर या ओनर को दिया जाय तो प्रवर समिति ने उसमें यह जोड़ दिया है कि अगर कोई हाउसिंग सोसायटी कोआपरेटिव के ढंग पर बनायी जाय तो उसको भी अधिकार दिया जाय।

दूसरे इस धारा में जहां कल्याण खाते में वेलफेयर एकाउंट कल्याण संबंधी हिसाब का जहां जिक्र है उसमें यह था कि किन-किन कामों में वेलफेयर के लिए रुपया लिया जा सकता था। जहां

नोट--तारांकित प्रश्न १०-१२ श्री रामकुमार शास्त्री ने पूछे।

लाइब्रेरी का जिक्र है वहां वायरलेस का भी इसके अन्दर जिक्र कर दिया गया है। एक चीज उन्होंने यह जोड़ दी है, और यह है बहुत अच्छी। पहले यह था कि आडीटर को रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आए उन्होंने यह जोर दिया है कि ऐडवाइजरी कमेटी के पास भी एक कापी जाय। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो उन्होंने किया है, वह है धारा ११ में। उसमें यह दिया हुआ था कि जो हाउसिंग बोर्ड होगा वह उन शर्तों को निश्चित कर देगा जिनपर मजदूरों को मकान दिए जायं और किन-किन शर्तों पर खाली कराए जायं। प्रवर समिति ने एक और बहुत उपयोगी चीज और जोड़ दी है कि अगर कोई शख्स मजदूर न रहे तो उसके संबंध में इस समय नियम यह है कि कारखानों के पास स्टैंडिंग आर्डर्स होते हैं जिनके मुताबिक वे खास-खास शर्तों पर मजदूरों को बरखास्त कर सकते हैं। मामूली तौर से जो विधेयक हमने यहां पेश किया था उसमें यह होता कि अगर कोई कारखाना किसी मजदूर को बरखास्त कर देता तो हाउसिंग बोर्ड उससे मकान खाली करा लेता था। हाउसिंग कमेटी ने जोड़ा है कि आम तौर से हमारे यहां अपील करने के नियम हैं और उनके लिए मियाद भी होती है। उन्होंने रखा है कि जितने दिनों तक अपील की मियाद रहे उतने दिनों तक ही मकान खाली न कराया जाय बल्कि उसके बाद ७ दिन तक मकान खाली न कराया जाय। अगर किसी मजदूर ने अपील नहीं की तो मकान खाली कराया जा सकता था और अगर किसी ने अपील कर दी तो जब तक उसकी अपील चलती रहती है उससे मकान खाली नहीं कराया जा सकता। यह बहुत ही उपयोगी चीज प्रवर समिति ने जोड़ी है। इसके अलावा जिस रूप में हमने विधेयक रखा था उसी में उन्होंने परिवर्तन करके यहां भेजा है। मैं आशा करता हूं कि सदन को इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा धारायें १--१४

शक्कर और चालक मद्यसार (पावर अल्कोहल) उद्योगों के श्रमिकों के कल्याण की उन्नति और उनके लिए गृह निर्माण तथा चिकित्सा सेवाओं की योजनाओं के लिए द्रव्य की व्यवस्था के उद्देश्य से धन प्राप्त किया गया है और इस के बाद भी प्राप्त किया जायगा;

और यह उचित और आवश्यक है कि एक निधि की स्थापना की जाय और उसके प्रचालन के लिए उपर्युक्त साधन की व्यवस्था की जाय;

इसलिए निम्नलिखित विधान (ऐक्ट) बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार और आरम्भ।

१--(१) इस विधान का नाम उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग, श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधान (ऐक्ट) १९५० ई० होगा। [उत्तर प्रदेश शुगर ऐन्ड पावर अल्कोहल इन्डस्ट्रीज लेबर वेलफेयर ऐन्ड डेवलपमेंट फन्ड ऐक्ट, १९५०]।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत किया जाय।

परिभाषायें

२--इस विधान में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर :--

(क) "परामर्श समिति" का तात्पर्य उस परामर्श समिति से है जो धारा १२ के अधीन संगठित की जाय;

(ख) "केन्द्रीय सरकार" का अर्थ वही होगा जो जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७, में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है;

(ग) "कमिश्नर" का तात्पर्य धारा १३ के अधीन नियुक्त लेबर वेलफेयर कमिश्नर से है और उसके अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकारी हो सकता है जो कमिश्नर द्वारा इस विधान के अधीन उसके कार्यों को करने के लिए लेख में अधिकृत किया जाय;

(घ) "फैक्ट्री" का अर्थ वही है जो उसे फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८, में दिया गया है;

(ङ) "निधि" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (यू० पी० शुगर ऐन्ड पावर अल्कोहल इन्डस्ट्रीज लेबर वेलफेयर ऐन्ड डेवलपमेंट फन्ड) से है;

(च) "गृह निर्माण मण्डल" का तात्पर्य ऐसे श्रमिक गृह निर्माण मण्डल (लेबर हाउसिंग बोर्ड) से है जो धारा १० के अधीन संगठित किया जाय;

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस विधान के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है; और

(ज) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना।

३—(१) राज्य सरकार द्वारा एक निधि स्थापित की जायगी जिसका नाम उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग समिति कल्याण और विकास निधि (यू० पी० शुगर ऐन्ड पावर अल्कोहल इन्डस्ट्रीज लेबर वेलफेयर ऐन्ड डेवलपमेंट फन्ड) होगा।

(२) यह निधि भारत के रिजर्व बैंक में नियत रीति से, या राज्य सरकार की अनुज्ञा से किसी अनुसूचित (शेड्यूल्ड) बैंक में रखी जायगी।

(३) ऐसे सब द्रव्य जो प्राप्त किये जा चुके हैं या जो प्राप्त किये जायेंगे या जो निधि के लिए या उसकी ओर से दिये जायेंगे, ऐसे संग्रहीताओं (कलेक्टिंग एजेन्सीज) द्वारा जो नियत किये जायं, निधि के खाते में भारत के रिजर्व बैंक, कानपुर, में या किसी अनुसूचित (शेड्यूल्ड) बैंक में, जैसी भी दशा हो, जमा किये जायेंगे।

(४) इस निधि के तीन अलग-अलग खाते होंगे :—

(क) गृह निर्माण खाता (हाउसिंग एकाउन्ट),

(ख) सामान्य कल्याण खाता (जेनेरल वेलफेयर एकाउन्ट),

(ग) विकास खाता (डेवलपमेंट एकाउन्ट)।

(५) प्रत्येक खाते में निम्नलिखित जमा होगा :—

(क) ऐसा धन जो निधि के आगमों (रिसोर्सेज) में से, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा खाते में रक्खा जाय;

(ख) कोई अनुदान (ग्रान्ट) जो उसके लिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाय;

(ग) कोई अंशदान (कन्ट्रीब्यूशन) जो उसके लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिया जाय; और

(घ) कर (चार्जेज) शुल्क (फीस) या दूसरे द्रव्य जो ऐसे खाते में उस रीति से दिये जायं या देय हों जो नियत की जाय।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गृह निर्माण खाते में निम्नलिखित भी जमा किया जायगा :--

(१) किराया, यदि कोई ऐसे खाते के हिसाब से बनाये गये गृह निवास (हार्उसिंग एकोमोडेशन) से प्राप्त किया जाय;

(२) गृह निर्माण मण्डल से प्राप्त कोई और द्रव्य।

(६) ऐसे दूसरे सब धन जो निधि के लिए या निधि के हिसाब में प्राप्त हों, नियत रीति से उपर्युक्त खातों में से प्रत्येक में विभक्त किये जायेंगे और जमा किये जायेंगे।

प्रयोजन जिसके लिए कोष उपयोग में लाया जा सकता है।

४--(१) शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग के श्रमिकों के कल्याण की उन्नति, उनके लिये गृह निर्माण, चिकित्सा सेवाओं का प्रबन्ध और साधारणतया शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग के विकास की उन्नति से सम्बन्ध रखने वाली योजनाओं में व्यय के लिए निधि का उपयोग किया जायगा।

(२) उक्त निदेशों की व्यापकता को बाधित न करते हुए निधि के प्रत्येक खाते का धन नीचे लिखे कार्यों में लगाया जा सकता है :--

(क) गृह निर्माण खाता--

(१) शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग के श्रमिकों के लिए गृह निवास बनाने, सुरक्षित रखने और उनकी मरम्मत करने का व्यय और इस सम्बन्ध में सेवा और सुविधाओं की व्यवस्था;

(२) खण्ड (१) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए योजनाओं की तैयारी का और उस प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी भूमि की प्राप्ति या सम्पत्ति के क्रय का व्यय;

(३) खण्ड (१) और (२) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए गृह निर्माण मण्डल द्वारा स्वीकृत योजना की सहायता में, शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरी के स्वामी, एजेन्ट या मैनेजर को या किसी स्थानीय आधिकारिक (लोकल अथारिटी) या गृह निर्माण संस्था (हार्उसिंग सोसाइटी) को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के अधीन धन का अनुदान;

(४) गृह निर्माण मण्डल के सदस्यों का भत्ता (एलाउन्स) यदि कोई हो, और वे धनराशियां जिनका उपधारा (१) के अधीन खाते से व्यय किया जा सकता हो (डेबिटेबिल टु दी एकाउन्ट);

(५) और कोई व्यय जिसे राज्य सरकार निधि के गृह निर्माण खाते में से करने का आदेश दे।

(ख) सामान्य कल्याण खाता––

१––शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग के श्रमिकों के लाभ के लिये ऐसी योजनाओं के सम्बन्ध में व्यय जो निम्नलिखित के सम्बन्ध में हों––

(१) स्वास्थ्य और सफाई की उन्नति, बीमारियों का रोकना, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, प्रसूति सहायता (मैटरनिटी) और वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं की उन्नति और ऐसे शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरियों में चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था और प्रबन्ध जिनके स्वामियों को उपधारा (३) के अधीन कोई सहायता का अनुदान नहीं मिलता हो, उद्योग सम्बन्धी सफाई (हाइजीन) की उन्नति और सामाजिक चिकित्सा-सम्बन्धी खोज का कार्य;

(२) जल की व्यवस्था और धोने की सुविधा और इस सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था और सुविधाओं की उन्नति;

(३) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की, जिसके अन्तर्गत पुस्तकालय वाचनालय और जनता को सुनाने का बेतार का यन्त्र (Community wireless listening) भी है, व्यवस्था और उन्नति;

(४) जीवन के स्तर की (स्टैन्डर्ड आफ लिविंग) उन्नति जिसके अन्तर्गत पौष्टिक पदार्थ, सामाजिक दशा का सुधार, और आमोद विनोद (रिक्रिएशनल) की सुविधाओं की व्यवस्था भी है;

(५) काम पर आने जाने के लिए वाहन (ट्रांसपोर्ट) की व्यवस्था।

२––परामर्श समिति के सदस्यों का भत्ता, यदि कोई हो, और वे धनराशियां, जिनका उपधारा (१) के अधीन खाते से व्यय किया जा सकता हो;

३––और कोई व्यय जिसे राज्य सरकार निधि के सामान्य कल्याण खाते में से करने का आदेश दे।

(ग) विकास खाता––

(१) शक्कर, मद्यसार और उनसे बनी हुई अन्य वस्तुओं के बनाने से सम्बन्ध रखने वाले विशेष शिक्षा (टेक्निकल एजुकेशन) या शिक्षण (ट्रेनिंग) के लिए सुविधाओं की व्यवस्था का व्यय। उक्त शिक्षा या शिक्षण के अन्तर्गत ईख को पैदा करने और दोनों उद्योगों के उपोत्पादों (बाई प्राडक्ट्स) के उपयोग की शिक्षा और शिक्षण भी है;

(२) ईख के पैदा करने और उपर्युक्त वस्तुओं के बनाने (मैनुफैक्चर) और उपयोग करने से सम्बन्धित खोज काय में सब प्रकार की सुविधा देने का व्यय, जिस के

अन्तर्गत अग्रिम और (पाइलट ऐण्ड लार्ज स्केल ट्रायल्स) का व्यय है;

(३) सामान्य रूप से शक्कर और मद्यसार के उद्योगों के विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था का व्यय और ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण और सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था भी होगी।

(३) उपधारा (२) में किसी बात के रहते हुए भी, राज्य सरकार निधि के सामान्य कल्याण खाते में से, शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरियों के ऐसे स्वामियों को, जो अपने फैक्टरी में, नियुक्त श्रमिकों के लाभ के लिये नियत स्तर की चिकित्सा सेवाओं का कमिश्नर के सन्तोषप्रद रूप में प्रबन्ध रखते हैं, वार्षिक सहायक अनुदान दे सकती है। किन्तु फैक्टरी के स्वामी को देय अनुदान की मात्रा का निर्धारण नियत आधिकारिक नियत रीति से समय-समय पर करेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरियों के स्वामियों द्वारा स्थापित चिकित्सा सेवाओं के सम्बन्ध में यदि किया हुआ व्यय नियत आधिकारिक के अवधारण के अनुसार नियत धनराशि से कम हो तो उक्त चिकित्सा सेवाओं के सम्बन्ध में कोई सहायक अनुदान देय न होगा।

५—(१) निम्नलिखित व्यय निधि में से हो सकेगा :— निधि से व्यय

(क) धारा ४ में लिखित प्रयोजनों में से किसी के सम्बन्ध में किया हुआ समस्त व्यय;

(ख) निधि के प्रशासन का व्यय और कमिश्नर, इन्स्पेक्टरों, वेलफेयर आफिसरों और ऐसी योजनाओं के निरीक्षण और कार्यान्वित करने के लिए, जिनका निधि से व्यय दिया जाता हो, नियुक्त दूसरे कर्मचारियों का वेतन और भत्ता, यदि कोई हो।

(२) वह व्यय जो निधि में डाला जायगा, निधि के प्रत्येक खाते में ऐसी रीति से बांटा जायगा जो नियत की जाय।

(३) राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह इसका निर्णय करे कि कोई विशेष व्यय निधि के गृह निर्माण खाते में या सामान्य कल्याण खाते में या विकास खाते में डाला जा सकता है या नहीं और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(४) नैत्यक (रुटीन) या आवश्यक प्रकार के व्यय के अतिरिक्त निधि से किसी अन्य प्रकार के व्यय करने से पूर्व, राज्य सरकार या गृह निर्माण मण्डल, जैसी भी दशा हो, परामर्श समिति से परामर्श कर लेगी।

(५) राज्य सरकार समय-समय पर निधि से किसी प्रकार के व्यय के सम्बन्ध में ऐसे आदेश देगी जिसे वह उचित समझे।

६—निधि का प्रबन्ध, प्रशासन, नियन्त्रण और रक्षा एवं उसका उपयोग और उसमें से भुगतान, राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार होगा। कोष का प्रशासन और प्रबन्ध।

७—निधि के हिसाब की जांच प्रति वर्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायगी जो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किया जाय और उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार और परामर्श समिति के पास भेजी जायगी। हिसाब की जांच।

लेखा परीक्षक (आडिटर) की रिपोर्ट पर निधि का प्रबन्धक आधिकारिक विचार करेगा और उस पर जो कार्य किया जायगा उसकी सूचना राज्य सरकार को दी जायगी।

हिसाब और व्यय का प्रकाशन।

८--राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में निधि में से प्राप्त होने वाले द्रव्य तथा किये जाने वाले व्यय के अनुमानित लेख (एस्टिमेट) प्रकाशित करेगी और इसके साथ निधि के द्रव्य से पूर्व वर्ष में किये हुए कार्यों के हिसाब का ब्योरा और रिपोर्ट भी प्रकाशित करेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब निधि प्रथम बार संगठित की जाय तो इस प्रकार के प्रकाशन में ऐसे संगठन के बाद के जून के महीने तक या जून भर तक विलम्ब हो सकता है।

कोष के द्रव्य का विनियोजन।

९--राज्य सरकार समय-समय पर निधि के किसी भाग का केन्द्रीय सरकार की सिक्योरिटी या किसी अन्य सिक्योरिटी में अथवा किसी बैंक में स्थायी जमा (फिक्स्ड डिपाजिट) के रूप में जैसा वह उचित समझे, विनियोजन कर सकती है और ऐसे विनियोजनों का निस्तार (डिस्पोज़ल) कर सकती है अथवा उसे उसी प्रकार के दूसरे विनियोजनों में परिवर्तित कर सकती है।

उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार श्रमिक गृह-निर्माण मंडल।

१०--(१) शक्कर और चालक मद्यसार उद्योगों के श्रमिकों के निमित्त उपयुक्त गृह निवास की व्यवस्था के लिए और इस विधान (ऐक्ट) के अधीन गृह निर्माण मंडल के दूसरे कार्यों के करने के लिए निधि के गृह निर्माण खाते से द्रव्य पाने वाली योजनाओं को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से तैयार करने और कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार श्रमिक गृह निर्माण मण्डल (यू० पी० शूगर ऐन्ड पावर अल्कोहल लेबर हाउसिंग बोर्ड) संगठित करेगी।

(२) गृह निर्माण मंडल का सभापति कमिश्नर होगा और उसके दूसरे सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उनकी संख्या उतनी होगी और वे उस प्रकार चुने जायेंगे जो नियत किया जाय।

(३) गृह निर्माण मंडल सतत अनुक्रम वाली (हैविंग परपीचुअल सक्सेशन) एक निगमीकृत (कारपोरेट बाडी) संस्था होगी जिसका नाम उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार श्रमिक गृह निर्माण मंडल (यू० पी० शूगर ऐंड पावर अल्कोहल लेबर हाउसिंग बोर्ड) होगा। इस संस्था की एक सामान्य मुद्रा (कामन सील) होगी और इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार होगा और उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी (स्यू) और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा (बी स्यूड)।

(४) केवल इस कारण से कि गृह निर्माण मंडल में कोई पद रिक्त है या उसके संगठन में कोई त्रुटि है, गृह निर्माण मंडल द्वारा किये गये किसी कार्य पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

गृह निवास के उपभोग के प्रतिबन्ध।

११--(१) निधि के गृह निर्माण खाते के द्रव्य से सम्बन्ध रखने वाले किसी गृह निवास का किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग सदैव ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहेगा जो ऐसे निवास के उपभोग के सम्बन्ध में नियत किये जायं।

(२) ऐसे निवास के उपभोग करने से पूर्व उस व्यक्ति को उपधारा (१) में उल्लिखित शर्तों की एक प्रतिलिपि दी जायगी और यदि वह ऐसा चाहे तो उसे उक्त शर्तें ऐसी भाषा में समझा दी जायंगी जिसे वह समझता हो, और

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए ऐसी रीति से, जिसे वह अत्यन्त उपयुक्त समझे, गृह निर्माण मंडल ऐसे परिवर्तनों को प्रकाशित करेगा जो उक्त शर्तों में समय समय पर किये जायं।

(३) यदि गृह निर्माण मंडल के मत में कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे निवास का उपभोग करता हो, उपधारा (१) में उल्लिखित शर्तों में से किसी का अनुपालन न करे, या करना छोड़ दे तो गृह निर्माण मंडल लिखित सूचना द्वारा उसे इस बात का आदेश दे सकता है कि वह ऐसे दिनांक को या ऐसे दिनांक से पूर्व जो नोटिस में निर्दिष्ट हो और जो नोटिस की तामील से तीस दिन से कम न हो, निवास को छोड़ दे और इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक के बाद ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके किसी अधीनस्थ किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे निवास का उपभोग अवैध होगा और ऐसा व्यक्ति या उसके अधीनस्थ ऐसे निवास से, किसी अन्य रीति के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में गृह निर्माण मंडल द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर निकाले जा सकते हैं और तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या इस प्रकार का अधिकृत दूसरा मैजिस्ट्रेट उस निवास से उक्त व्यक्ति या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों को निकाल सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) के अधीन नियत शर्तों में इस विषय में किसी बात के रहते हुए भी, किसी फैक्टरी में नियुक्त व्यक्ति, जो किसी निवास का उपभोग कर रहा हो, नौकरी से बरखास्त होने या हटाये जाने पर उस निवास से नहीं निकाला जायगा जब तक कि उस अवधि के बाद सात दिन न बीत जायं जो उसके इस प्रकार बरखास्त होने या हटाये जाने से उत्पन्न औद्योगिक झगड़े (इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट) के, औद्योगिक झगड़ों के निर्णय से सम्बन्धित विधि के अनुसार, निवेदन करने (रेफर) के लिए निर्धारित हो और यदि उस झगड़े का इस प्रकार निवेदन (रेफरेंस) कर दिया गया हो तो जब तक कि उसका अन्तिम रूप से निबटारा न हो जाय।

(४) उपधारा (३) के अधीन ऐसे व्यक्ति या उसके अधीनस्थ को निकलते समय मैजिस्ट्रेट निवास को खाली कराने के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(५) ऐसे निवास के उपभोग के सम्बन्ध में ऐसे दर से किराया (रेन्ट) देय होगा जो नियत किया जाय :

किन्तु यह प्रतिबन्ध है कि गृह निर्माण मंडल, उपधारा (१) में उल्लिखित शर्तों के सदैव प्रतिपालन के अधीन पूरे नियत किराये की या उसके किसी भाग की छूट दे सकता है :

और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जो प्रथम प्रतिबन्ध के अधीन छूट के कारण कोई किराया न देता हो या कम किराया देता हो, गृह निर्माण मंडल को यह विश्वास करने का आधार हो कि ऐसे व्यक्ति ने उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया है तो वह लिखित नोटिस देकर ऐसे व्यक्ति को यह आदेश देगा कि वह नोटिस की तामील से सात दिन की समाप्ति से ऐसे निवास के लिए जिसे वह उपभोग में लाता हो, पूरे नियत दर से किराया दे।

(६) पूर्वोक्त निवास के उपभोग के सम्बन्ध में देय सभी किराया चाहे वह पूरे नियत दर से हो या कम दर से, भूमि की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जायगा।

परामर्श समिति।

१२—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, एक परामर्श समिति संगठित कर सकेगी जो ऐसे मामलों में परामर्श देगी जिनके सम्बन्ध में इस विधान के अधीन राज्य सरकार या गृह निर्माण मंडल को उससे परामर्श करना आवश्यक है, या किसी ऐसे अन्य मामले के विषय में जिसका सम्बन्ध इस विधान के प्रशासन से हो और जिसे राज्य सरकार समिति के पास परामर्श के लिए भेजे।

(२) परामर्श समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उनकी संख्या उतनी होगी और वे उस रीति से चुने जायेंगे जो नियत की जाय:

किन्तु यह प्रतिबन्ध है कि परामर्श समिति की सदस्यता में सरकार, शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरियों के स्वामियों और उनमें नियुक्त श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी।

(३) परामर्श समिति का सभापति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा।

अधिकारियों की नियुक्ति और शक्ति।

१३—(१) निधि के द्रव्य से चलायी हुई योजनाओं की परीक्षा और उनको कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार एक लेबर वेलफेयर कमिश्नर और उतने इन्स्पेक्टर, वेलफेयर आफिसर और दूसरे कर्मचारी नियुक्त करेगी जिसे वह उपयुक्त समझे।

(२) इस प्रकार नियुक्त किया हुआ प्रत्येक व्यक्ति इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में एक जन सेवक (पब्लिक सर्वेन्ट) समझा जायगा।

(३) निधि के द्रव्य से चलायी हुई योजनाओं की निरीक्षा या उनको कार्यान्वित करने के प्रयोजन से, कमिश्नर, इन्स्पेक्टर या वेलफेयर आफिसर ऐसी सहायता के साथ जिसे वह उचित समझे, सभी उपयुक्त समय पर आवश्यकतानुसार किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है और वहां पर अपने कर्त्तव्य के उचित पालन के लिए कोई आवश्यक कार्य कर सकता है।

नियम बनाने का अधिकार।

१४—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और पूर्व प्रकाशन के प्रतिबन्ध के अधीन, इस विधान के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए, इस धारा के अधीन बनाये हुए नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :—

(१) गृह निर्माण मंडल का संगठन, उसके सदस्यों के चुनने की रीति, उसके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि और उनको देय भत्ता, यदि कोई हो, और वह रीति जिसके अनुसार गृह निर्माण मंडल अपना कार्य करेगा और उसके अधिवेशन की इयत्ता (कोरम) के लिए सदस्यों की आवश्यक संख्या;

(२) गृह निर्माण मंडल द्वारा रखे जाने वाले हिसाब के खाते और उसके द्रव्य सम्बन्धी अनुमानित लेखों और हिसाब के विवरण के फार्म;

(३) परामर्श समिति के संगठन, उसके सदस्यों के चुनने की रीति और उनके कार्यकाल की अवधि और उनको देय भत्ता, यदि कोई हो, और वह रीति जिसके अनुसार परामर्श समिति अपना कार्य करेगी;

(४) निधि के गृह निर्माण खाते, सामान्य कल्याण खाते और विकास खाते में उस व्यय का विभाजन जो निधि के प्रशासन और इस विधान के प्रयोजनों के लिए नियुक्त कमिश्नर इन्स्पेक्टर, वेलफेयर आफिसर और दूसरे कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के सम्बन्ध में किये जायं,

(५) धारा ४ की उपधारा (२) के प्रयोजनों के लिए शक्कर और चालक मद्यसार उद्योगों के स्वामियों द्वारा व्यवस्थित चिकित्सा सेवा के स्तर (स्टैन्डर्ड) और उन चिकित्सालयों तथा अन्य स्थानों की निरीक्षा और देखभाल जहां पर ऐसी सेवाओं की व्यवस्था की गयी हो;

(६) शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरियों के स्वामियों द्वारा सहायक अनुदानों के लिए प्रार्थना पत्र, और वह आधिकारिक जिसको और वह रीति जिसमें इस प्रकार के प्रार्थना पत्र दिये जायेंगे और वह ब्यौरे जो इस प्रकार के प्रार्थना पत्र में दिये जायेंगे;

(७) स्थानीय आधिकारिक (लोकल अथारिटी) गृह निर्माण संस्था या शक्कर या चालक मद्यसार फैक्टरियों के स्वामी, एजेन्ट या प्रबन्धक को निधि के सामान्य कल्याण खाते से दिये जाने वाले द्रव्य के अनुदान के सम्बन्ध में शर्तें;

(८) निधि के गृह निर्माण खाते से व्यवस्थित गृह निवास के किराये की दर;

(९) निधि के द्रव्य से चलायी हुई योजनाओं की निरीक्षा और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये नियुक्त इन्स्पेक्टर, वेलफेयर आफिसर या दूसरे अधिकारियों द्वारा सेवा और उनके कर्तव्यों की शर्तें;

(१०) कमिश्नर के कर्त्तव्य और कार्य;

(११) शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरियों के स्वामियों, एजेन्टों और मैनेजरों द्वारा गणना सम्बन्धी (स्टैटिस्टिकल) या अन्य सूचना का दिया जाना और इस खंड के अधीन बने हुए नियमों के अनुपालन न करने के लिए अर्थ दण्ड जो दो सौ रुपये से अधिक न हो; और

(१२) ऐसे मामले जो नियत करने को हैं या जो और नियत किये जायं।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १ से धारा १४ तक जितनी धारायें हैं और प्रस्तावना इस विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५० ई० का कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन) (कार्यवाही वैधीकरण) विधेयक

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० के कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन) (कार्यवाही वैधीकरण) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

मुझे इस बिल के संबंध में भवन को कोई विशेष सूचना नहीं देना है। इस संबंध में एक आर्डीनेंस जो जारी हुआ था वह भवन के सामने रख दिया गया था और उस पर थोड़ी बहुत इस भवन में चर्चा भी हुई थी। सन् १९४७ में कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड के संबंध में एक आर्डिनेंस जारी किया गया था कि जो ८ मेम्बर सरकार के द्वारा नामजद किए जाते हैं वह १६ कर दिए जायं क्योंकि वहां के प्रेसीडेंट ने कहा था कि जनता का सम्पर्क बढ़ाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इस प्रकार एक आर्डिनेंस के द्वारा ८ के १६ मेम्बर कर दिए गए और ८ नए मेम्बर नामजद भी कर दिए गए। उसके बाद एक बिल बना लेकिन उस बिल में यह नहीं लिखा गया था कि वह तुरन्त लागू किया जायगा बल्कि यह लिखा था कि जब सरकार चाहे तब लागू करे। उस बिल पर अमल करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ८ के १६ मेम्बर आर्डिनेंस के द्वारा ही बन चुके थे लेकिन दफ्तर की गल्ती से नोटिफिकेशन नहीं निकला। जब बोर्ड की मियाद बढ़ाने का वक्त आया तब वह खामी नजर में आयी कि नोटिफिकेशन नहीं निकला है। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि जो कार्यवाही हो चुकी है उसका वैधीकरण किया जाय और उस गल्ती को दूर करने के लिए ऐसा विधेयक लाया जाय जिसमें यह रक्खा जाय कि जब से वह ऐक्ट पास हुआ है तब ही से लागू समझा जाय। इस प्रकार का यह विधेयक है। मुझे आशा है कि भवन इस पर विचार करेगा।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन) (कार्यवाही वैधीकरण) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा धारायें १—४

"कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन) ऐक्ट, १९४७" में "कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन) (वैलिडेशन आफ प्रोसीडिंग्स) आर्डिनेंस, १९५०" द्वारा कुछ संशोधन किए गए थे।

उक्त अध्यादेश (आर्डिनेंस) के स्थान पर विधान मंडल द्वारा एक अधिनियम का बनाया जाना आवश्यक है;

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—(१) इस अधिनियम का नाम "१९५० ई० का कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन) (कार्यवाही वैधीकरण) अधिनियम" होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा।

२—कानपुर अर्बन एरिया डेवेलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन) ऐक्ट, १९४७ की, जो आगे चल कर इसी अधिनियम में "मूल अधिनियम"

कहलायेगा, धारा १ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(2) It shall be deemed to have come into force on the date it was first published in the official Gazette."

३—संदेहों को दूर करने के अभिप्राय से एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि १२ जनवरी, १९४८ से लेकर इस अधिनियम के प्रारंभ तक किसी आधिकारिक (authority) द्वारा मूल अधिनियम (ऐक्ट) के अधीन या अनुसार जितनी आज्ञायें दी गयीं हों, कार्य या कार्यवाहियां की गयीं हों, निर्देश निःसारित किए गए हों, या अधिक्षेत्र प्रयोग में लाये गए हों वे सब, मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (२) में, जैसी कि वह उपर्युक्त अध्यादेश (आर्डिनेंस) के प्रचारित होने के पूर्व थी, किसी बात के रहते हुए भी, उसी प्रकार ठीक और वैध माने जायंगे, मानों इस अधिनियम द्वारा संशोधित ही मूल अधिनियम के अधीन या अनुसार उक्त आज्ञायें दी गयीं थीं, कार्य या कार्यवाहियां की गयीं थीं, निर्देश निःसारित किए गए थे या अधिक्षेत्र प्रयोग में लाए गए थे।

४—कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन) (वैलिडेशन आफ प्रोसीडिंग्स) आर्डिनेंस, १९५०, एतद्द्वारा निर्वातित किया जाता है (is hereby repealed), उसे यूनाइटेड प्राविंसेज जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४, की धारा ६ और २४ के निदेश उसी प्रकार लागू होंगे मानो उक्त अध्यादेश (आर्डिनेंस) एक ऐसा अधिनियम (ऐक्ट) रहा हो जिसे किसी यूनाइटेड प्राविंसेज अधिनियम (ऐक्ट) ने निर्वातित (repeal) किया हो।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १, २, ३ और ४ यह सब धारायें और प्रस्तावना इस विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० का कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन) (कार्यवाही वैधीकरण) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० का कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन) (कार्यवाही वैधीकरण) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५० ई० का यू० पी० मेंटिनेन्स आफ पब्लिक आर्डर (निवर्तन) विधेयक

माननीय श्री लालबहादुर (पुलिस मंत्री)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० के यू० पी० मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (निवर्तन) विधेयक पर विचार किया जाय।

माननीय स्पीकर महोदय, मुझे इस पर कुछ विशेष कहना नहीं है और न मैं इसका कोई खास क्रेडिट ही लेना चाहता हूं कि मैंने इस बिल को हाउस के सामने रखा है, मगर इतना जरूर है कि गवर्नमेंट ने यह मुनासिब समझा कि अगर हम इस ऐक्ट के बगैर इस वक्त काम चला सकते हैं तो इसे इस हाउस से रद्द करा लेना मुनासिब होगा और इसी लिए यह बिल इस हाउस के सामने रखा गया है। मैं समझता हूं कि पूरा हाउस इससे इत्तिफाक करेगा कि इसे रद्द किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के यू० पी० मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (निवर्तन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा धारायें १ और २

यू० पी० ऐक्ट, सं० ४, १९४७। यह उचित और आवश्यक है कि यू० पी० मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (टेम्पोरेरी) ऐक्ट, १९४७ ई० को निर्वातित किया जाय।

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम १--इस अधिनियम का नाम, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर ऐक्ट का (निवर्तन) अधिनियम होगा।

यू० पी० ऐक्ट, सं० ४, १९४७ का निवर्तन २--यू० पी० मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (टेम्पोरेरी) ऐक्ट, १९४७ एतद्द्वारा निर्वातित किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १, धारा २ और प्रस्तावना इस विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री लालबहादुर--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० के यू० पी० मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (निवर्तन) विधेयक को पारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० का यू० पी० मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (निवर्तन) विधेयक पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५० ई० का मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) विधेयक

माननीय श्री लालबहादुर--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० के मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

माननीय स्पीकर महोदय, यह अमेंडमेंट जो मैं पेश कर रहा हूं उसमें दफा ६४ (ए) को रद्द करने की बात है और वह इस ख्याल से करना पड़ा है कि एक तरह से इस ६४ (ए) की वजह से तीन अपीलें हो जाती हैं। पहली अपील, आर० टी० ए० की अपील पी० टी० ए० को होती है, उसके बाद पी० टी० ए० की अपील ट्राइबुनल को जाती है। और ६४ (ए) में इस बात का हक रह जाता है कि अगर गवर्नमेंट में कोई अपील करना चाहे तो कर सके। ये कई अपीलें हो जाती हैं जिसकी जरूरत भी नहीं। लेकिन साथ ही इस तरह की अपील गवर्नमेंट को सुनने में काफी दिक्कतें भी होती हैं। वक्त भी लगता है। इसलिए मुनासिब यह मालूम हुआ कि दो अपीलें काफी हैं, आर० टी० ए० की अपील पी० टी० ए० को और पी० टी० ए० की अपील ट्राइबुनल में। मैं समझता हूं कि कोई मिनिस्टर जज की तरह बैठ कर अपीलें सुनें यह काफी दिक्कत तलब बात है और मिनिस्टर को भी इम्बैरेस्ड पोजीशन में डालना है। इस वास्ते कि देर भी न हो और काम भी जल्दी हो। इसलिए यह ६४ (ए) को डिलीट (रद्द) करने की बात पेश की गयी है। काउंसिल ने इसको मंजूर किया और इसे उसूलन भी ठीक समझा। मैं समझता हूं कि यह हाउस भी इसे मंजूर करेगा।

श्री असरार अहमद खां—जनाबवाला, हमारे वजीर साहब ने जो ६४ (ए) के खातमे की वजह बतायी है उसके अन्दर एक खास वजह उन्होंने यह बतायी कि उनको सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इस दफा के जरिए से तीन अपीलें हो जाती हैं।

अब हमको देखना है कि इस ऐक्ट की वर्किंग के अन्दर जब कि तीन अपीलों का मौका था तब लोगों को इम्बैरेसमेंट होता था या नहीं। जब आप इस दफा को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, सिर्फ दफा ७१ का प्राविजन रक्खेंगे तो इस दफा ६४ (ए) में जो चीज है वह किसी तरह से पूरी नहीं होती। मिनिस्टर साहब के वास्ते कोई जुडीशियल फाइंडिंग नहीं है जिससे अपील सुनने के मौके पर कोई नागवारी का सवाल पैदा हो। इसके बर-खिलाफ अगर मिनिस्टर साहब आर० टी० ए० या पी० टी० ए० की अपील सुनें तो उनको यह अन्दाजा हो सकता है कि उनके डिपार्टमेंट ने या सुबार्डिनेटस ने क्या-क्या गलतियां की हैं जिनकी वजह से पब्लिक को दिक्कतें होती हैं। अगर इस किस्म की दफा एक कलम मंसूख कर दी गयी तो मुझे यकीन है कि पब्लिक को ज्यादा तकलीफ हो जायगी। हमारे सामने आज भी इस किस्म की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। उनका जिक्र ईमानदारी के साथ किया जा सकता है। अब तक जो आप का अपीलों का तरीका था वह भी अपनी जगह पर इतना नाकाफी था कि उससे भी लोगों को सही तरीके से इंसाफ नहीं मिल पाता था। अब हाईकोर्ट के बाज अहकामात के बाद इस किस्म की सूरत पैदा हो गयी है कि आप की वे अथारिटीज जिनके सामने आर० टी० ए० की अपीलें आया करती थीं सस्पेंड हो गयी हैं। मैं नहीं समझता कि यह सस्पेंशन कितने अर्से तक जारी रहेगा और जिन लोगों की अपीलें पड़ी हुई हैं उनको कब इंसाफ मिल सकेगा। यह तो ज्यादती की चीज होगी। आप रोडवेज को एक तरह से पापुलराइज और मोनोपलाइज करने जा रहे हैं, सब लोगों के लाइसेंस खत्म कर रहे हैं, लेकिन जहां लोगों को लाइसेंस मिल सकते हैं उनके वास्ते सिर्फ एक यही अपील का प्राविजन था। अगर इसको भी खत्म कर दिया जाय और कोई दूसरा पैरेलल प्राविजन न किया जाय, तो यह उनके साथ बड़ी ज्यादती होगी।

मैं जनाब वजीर साहब से फिर अर्ज करूंगा कि कब्ल इसके कि इस ऐक्ट को इस तरह से लाया जाय मुनासिब यह था कि दफा ७१ जिसका हवाला उन्होंने दिया, उसके मातहत की कार्यवाहियां मुमकिन हो सकती हैं, उसकी वर्किंग के ऊपर भी गौर फरमा लिया होता कि आया इस दफा के निकल जाने के बाद वह सहूलियतें इस दफा से पब्लिक को रहती हैं या नहीं। अगर वह आसानियां पब्लिक को सहूलियत नहीं देतीं तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि आप इस तरह से क्यों दफा ६४ को खत्म कर दें। मैं इन चन्द अल्फाज के साथ उम्मीद करूंगा कि वजीर साहब इस पर गौर करेंगे और कम से कम इसमें पब्लिक की सहूलियत के वास्ते कोई सही प्राविजन जरूर पैदा करेंगे।

श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी—जनाब स्पीकर साहब, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो बिल जनाब वजीर साहब ने अभी पेश किया है और जो दलायल उसके मुताल्लिक दिए हैं वह बिल्कुल काफी नहीं है जिससे यह फैसला किया जा सके कि वाकई इसका हज्ब करना जरूरी है। मैं यह समझता था कि कम से कम इस ऐवान को बतायेंगे कि जब से यह कानून बना उस वक्त से गवर्नमेंट के सामने कितनी अपीलें इस दफा की तहत में आयीं और कितना वक्त जनाब वजीर साहब का उनके फैसले करने में खर्च हुआ। इसी के साथ-साथ अगर यह भी इरशाद होता कि ट्रिब्यूनल के सामने कितनी अपीलें हुईं और इन दोनों का जो गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुईं क्या तनासुब है तो मेम्बरान साहबान को यह राय कायम करने में बड़ी आसानी होती कि हकीकत में इस दफा को कायम रखने की जरूरत है या नहीं। उसी के साथ-साथ मैं यह भी दरियाफ्त करना चाहता हूं कि यह दफा जब लायी गयी थी तो किस ख्याल से लायी गयी थी और उस वक्त इसको कानून में रखने की क्या जरूरत महसूस की गई और आया खुद इस जरूरत को महसूस किया गया था या किसी और जगह के कानून की नकल थी। अगर खुद जरूरत महसूस की गई थी तो वह आज जरूरत क्यों बाकी नहीं रही और अगर किसी और जगह के कानून की नकल थी तो यह क्यों कर महसूस किया गया कि वहां जरूरत

[श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी]

है लेकिन तजुर्बे से यह महसूस हुआ कि यहां उसकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ-साथ मुझे यह भी इरशाद करना है कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि किस तौर से वजीर साहब की पोजीशन का इम्बैरेस्मेंट होता है। इंसाफ करने वाले का कभी इम्बैरेसमेंट नहीं होता। दूसरे यह कि गवर्नमेंट के पास अख्तियार रहने का अवाम को और बिलखसूस उन लोगों को जिनको कि इससे ताल्लुक है उनको इत्मीनान और कांफीडेंस रहता है। अगर इस दफा को उड़ा दिया गया तो वह जो कांफीडेंस है और इत्मीनान है वह जायल हो जायगा। तो क्यों ऐसी बात की जाय जिससे उनका कांफीडेंस जायल हो। और यह इरशाद कि तीन अपीलें हो जाती हैं, इसलिए इसकी तरफ तवज्जह की गई तो उसके मुताल्लिक तो मैं यह कह सकता हूं कि मुख्तलिफ कवानीन ऐसे हैं जिनमें तीन अपीलें होती हैं और महज तीन अपीलें होने से किसी दफा को हज्व नहीं किया जाता है कि दो ही रह जायं। कल को यह भी कहा जा सकता है कि दो अपीलें हैं इसलिए एक ही रह जाय। जब एक दफा अपील हो गयी तो दूसरी अपील की क्या हाजत है। तो इस तरह से हाई कोर्ट में बराहरास्त अपील की जाय। तो जो अपीलें जजेज के यहां होती हैं उनके लिए जरूरत बाकी नहीं रहती। अगर अदादोशुमार मुहइया किए जायं तो बहुत कम ऐसी तादाद होगी जो अपीलों की सूरत में पेश हो सकें। क्या हर्ज है कि अगर इसको बाकी रखा जाय और उड़ाया न जाय। अगर इसको बाकी रखें तो लोगों को इत्मीनान बाकी रहता है और इसलिए मेरे ख्याल में इसका इसमें रखा रहना निहायत जरूरी है। मैं समझता हूं कि मैंने जो यह अपनी बात पेश की है वजीर साहब फिर इसके ऊपर गौर फरमायेंगे और जो राय उन्होंने कायम फरमा ली है उस पर नजरे सानी करेंगे। इसलिए कि यह जरूरी नहीं है कि एक मरतबे जो राय कायम कर ली जाय उसको मनवा लिया जाया करे जबकि यह महसूस हो रहा हो कि इसके कायम रहने में कोई नुकसान नहीं है।

श्री बादशाह गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के भाषणों को सुन कर मुझे आज एक नया स्वर इनमें सुनाई पड़ा है। अभी तक यह देखने में आता था कि जो कोई भी बात गवर्नमेंट की तरफ से रखी जाती थी आपोजीशन (विरोधी दल) की तरफ से आम तौर पर उसका विरोध ही होता था। मगर यह एक ऐसा मसला सामने आया है जिसमें कि अपोजीशन की तरफ से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट यह ताकत अपने हाथों में कायम रखे। यह तो बड़ी खुशी की बात है। मौजूदा जमाने को देखते हुए जब यह महसूस किया जा रहा है कि आम तौर पर जितनी भी कमेटियां हैं, जितनी भी अदालतें हैं और जितने भी दफ्तर हैं वह सब ऐसा महसूस करते हैं कि कोई भी भला आदमी और खास तौर से कोई कांग्रेस का आदमी या किसी पार्टी का कार्यकर्त्ता, जब उनके सामने कोई बात रखना चाहता है तो वह यह महसूस करते हैं कि उनके काम में दस्तअन्दाजी की जा रही है। ऐसी एक हवा फैली हुई है। ऐसे जमाने में यह एक मुनासिब ही तरीका है कि हम लोगों को इन सब कार्यकर्त्ताओं को एक ऐसा मौका मिलता रहता है कि जो गड़बड़ी ट्रांसपोर्ट के संबंध में होती है वह माननीय मंत्री महोदय के सामने रख सकने का जो अवसर अभी तक हमको मिला हुआ है वह न गया होता। जैसे मनुष्य के लिए पैरों का होना जरूरी है वैसे ही राज्य के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग बड़े महत्व का होता है। इस पर से अपना काबू हटाना ज्यादा मुनासिब बात नहीं जान पड़ती है। यह बात हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कही है कि समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इसकी जरूरत कैसे पेश हुई। तीन अपीलों के होने की कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती है जो अनहोनी हो और एक ही मिसाल पाई जाती हो।

माननीय अध्यक्ष--मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि ६४ (ए) में अपील है या निगरानी है। शायद गवर्नमेंट के यहां निगरानी है।

माननीय श्री लालबहादुर--जी हां, मैंने भी मंगवाया था और निगरानी का ही मामला है।

श्री बादशाह गुप्त--निगरानी में तो कानूनी मसले पर विचार किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट के वक्त खराब होने की गुंजायश नहीं है और इंसाफ करने के लिए और सही मामला जानने के लिए थोड़ा सा समय देना ही पड़ता है और इसी के लिए गवर्नमेंट को बनाया जाता है। इसलिए मैं भी इसी राय का हूं कि यह जो गुंजायश रखी गयी है इसको खत्म न किया जाय।

माननीय श्री लालबहादुर--माननीय स्पीकर महोदय, जो बातें कही गयीं उनमें उन बातों के लिहाज से कुछ वजन जरूर है। इस बिल को या अमेंडमेंट को ले आने की जिम्मेदारी मेरी है और इसमें किसी और की राय की बात नहीं है। मैंने तो यह समझा था कि आम तौर पर यह पसंद किया जायगा कि ऐसे मामले में मिनिस्टर अपने हाथ में अख्तियार न रखे। यह बात कही जाती है कि मामला जिसमें परमिट देने की या कैंसिल करने की बात हो तो उससे अगर सरकार हट जाय या सुबुकदोष हो जाय तो उसका स्वागत ही होना चाहिए था। मगर यह कहा जा रहा है कि मिनिस्टर को यह अख्तियार रखना चाहिए। इसको मैं कई वजह से जरूरी नहीं समझता हूं। एक तो यह मसला इतना अहम नहीं है, इतना बड़ा सवाल नहीं है कि जिसमें कि पी० टी० ए० में अपील हो, फिर ट्रिब्यूनल में अपील हो और इसके बाद गवर्नमेंट में निगरानी रहे। मामला एक मामूली सा हुआ करता है जिसमें परमिट देना या कैंसिल करना या सस्पेंड करना इसके बारे में फैसला करना होता है। उसके लिए मैं समझता हूं कि यह काफी है कि आर० टी० ए० की अपील पी० टी० ए० में हो और पी० टी० ए० की अपील ट्रिब्युनल में हो। ट्राय-बुनल जो कांस्टिट्यूट किया गया उसमें एक सेशन जज के स्टेट्स का हमारा जो जुडीशियल सेक्रेटरी होता है वह उसका मेम्बर इसीलिए खास तौर पर रखा गया कि जुडीशियल तरीके से वह चीजों को चला सके। दो आदमियों का ट्रिब्युनल मुकर्रर किया गया, इस लिहाज से कि पी० टी० ए० को मान लीजिये समझा जाय कि उसने आप्रेटर्स के इंट्रेस्ट में फैसला नहीं किया तो एक आजाद ट्रिब्युनल में जो दो आदमियों का है वहां अपील करने की गुंजायश है। वह फैसला कर सकता है। ऐसी सूरत में इस बात की आगे जरूरत नहीं रहती कि फिर उसकी सुनवाई के लिए एक मौका और हो।

जहां तक यह कहा गया कि कितने केसेज अब तक गवर्नमेंट के पास आये इसके बारे में मेरा कहना यह है कि इसका आना शुरू हुआ था। आज कल कानूनी बारीकियों में जाने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा पैदा हो गई है। अदालतों में ऐसे मामलों को ले जाया जाता है जिनको हम और आप पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अदालत में उनको ले जायंगे और वहां पर फैसला करायेंगे। यह अब शुरुआत हुई थी और गवर्नमेंट के पास निगरानी के लिए आना शुरू हुआ था। जैसे ही यह चीज शुरू हुई मैंने यह मुनासिब समझा कि इसमें कार्यवाही की जाय, क्योंकि यह बात आगे बढ़ती और इसमें मुझे कोई शक नहीं था कि एक नहीं बहुत से मामले गवर्नमेंट के पास निगरानी के लिए आते। क्योंकि जहां एक बार लोगों को जानकारी हो गयी कि यह बात गवर्नमेंट के पास जा सकती है तो फिर वह बात ज्यादा से ज्यादा तादाद में गवर्नमेंट के पास आती। मुझे यह मुनासिब मालूम हुआ कि ज्यादा उनपर सोच विचार करें और हम उनपर वक्त लगायें, लेकिन जब सैकड़ों आये तो यही बेहतर समझा कि हम जल्दी इस सिलसिले में यह अख्तियार हटा दें। मैं समझता हूं कि दूसरे भी इसे काफी समझेंगे कि ट्रिब्यूनल तक ऐसे मामलों के फैसले की बात रहे।

मैं मिसाल के लिए आपको बतलाता हूं कि अभी हमारे अम्मार अहमद साहब ने कहा कि जिनके परमिट सस्पेंडेड हो उनका क्या होगा ? उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। कुछ लोगों की परमिट्स को आर० टी० ए० ने कैंसिल किया, सस्पेंड किया। पी० टी० ए० में अपील दायर हुई, एस० टी० ए० के यहां अपील हुई। बीच में किसी साहब ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी कि एस० टी० ए० और आर० टी० ए० लीगली कांस्टिट्यूटेड नहीं हैं। इस पर हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर्स दिये कि एस० टी० ए० कोई फैसला न करे। एस० टी० ए० ने मुनासिब समझा कि हाई कोर्ट ने कांस्टिट्यूशन के मुताल्लिक शक जाहिर किया है, लिहाजा मैं फैसला नहीं करूंगा जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता। मैं समझता हूं कि एस० टी० ए०

[माननीय श्री लालबहादुर]

इसी केस में नहीं बल्कि और केसेज में भी जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता कार्यवाही करना रोक दिया और हाई कोर्ट के फैसले के बाद कार्यवाही करेगा। पहले तो यह सवाल उठा ही नहीं था, लेकिन जब सवाल उठा और अदालत ने राय जाहिर की तो उस पर एस० टी० ए० ने अमल किया। जिनके मामले पेंडिंग पड़े हैं उनके लिए हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते जब तक कोई फैसला अदालत की तरफ से नहीं हो जाता, उसके बाद ही एस० टी० ए० कार्यवाही शुरू करेगा। इन बारीकियों में जाने की वजह से काम में अड़चन पड़ती है यह माना लेकिन आपने जो यह कहा कि कितने परसेंट केसेज गवर्नमेंट के पास निगरानी के लिए आये, ट्राब्यूनल के पास ज्यादा जाते हैं, हमारे पास कम आते हैं, लेकिन हमारे पास आने वाले थे, बढ़ने वाले थे, इसी लिए यह सोचा कि इस तरह के काम में मिनिस्टर का हाथ डालना बहुत मुनासिब नहीं है।

मैं आप से यह भी कहता हूं कि मेरे पास जो भी मामले आये उन एक या दो तीन मामलात को देखने में काफी वक्त लगता है। आर० टी० ए०, पी० टी० ए० और ट्राब्यूनल के फैसलों को देखना पड़ता है, जो बयानात होते हैं उनको देखना पड़ता है, इसके बाद अपनी राय कायम करनी पड़ती है, क्योंकि जो भी चीज सामने आती है उसको बरायनाम डिटी करना तो होता ही नहीं। जो मामला भी सामने आता है उसकी स्टडी करने में काफी वक्त सर्फ करना पड़ता है। इसलिए यह काम इतना बड़ा काम हो जाता है जिसको कर के और कामों को सम्भालना बहुत मुश्किल हो जाता हैं। इसलिए यह मुनासिब है कि गवर्नमेंट जितनी दूर इन मामलात से रहे उतना ही अच्छा है और उसके दूर रहने से कोई हर्ज भी नहीं मालूम पड़ता और ऐसी सूरत में जब कि आर० टी० ए० के यहां, कमिश्नर चेयरमैन होता है तो और सिवाय आर० टी० ए० के और कोई अफसर उसमें नहीं होता है। पी० टी० ए० के यहां पी० टी० ए० कमेटी का चेयरमैन तो जरूर होता है लेकिन उसमें और भी नान आफिशियल्स उसके मेम्बर होते हैं। इसके बाद ट्रिब्युनल में होम सेक्रेटरी और जुडीशियल सेक्रेटरी होते हैं। इसलिए इन तीन एजेन्सियों में हो कर अगर कोई मामला आये तो मैं समझता हूं कि वह काफी है और काम भी उसके अधीन बहुत बड़ा नहीं है सिर्फ परमिट देना, रिन्यू करना और रेस्टोर करना व कैंसिल करना है। यह ६४ (ए) की दफा तो हमने महज एहतियातन रखी थी और वह इस लिए कि कोई सीरियस किस्म की गलती हो गई हो तो उसको ठीक किया जा सके, लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि जब लोगों ने इस चीज को इस्तेमाल करने का हक मालूम कर लिया तो अब बहुत से केसेज आयेंगे। इसलिए आज की फिजा और मौजूदा हालात में हमने यह महसूस किया और मुनासिब समझा कि यह चीज यहां न हो तो अच्छा है। मेरा ख्याल है कि इससे आपरेटर्स को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आशा है, मेम्बरान इसको महसूस करेंगे कि इसके हटाये जाने से कोई दिक्कत न होगी। ऐसी सूरत में इसको डिलीट करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इसको मंजूर करेगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा धारायें १ और २

१९३९ का ऐक्ट संख्या ४। क्योंकि कुछ प्रयोजनों के लिए मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में जहां तक वह उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, संशोधन करना आवश्यक है।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। १--(१) यह अधिनियम मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) अधिनियम, १९५० ई० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त लागू होगा।

२—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ ई० की धारा ६४-ए निकाल दी जायगी। १९३९ के ऐक्ट सं० ४ में से धारा ६४-ए का निकाला जाना।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १ व २ और प्रस्तावना इस विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री लालबहादुर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० के मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) विधेयक को, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) विधेयक को, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (निर्माण मंत्री)—जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेशीय सिंचाई संबंधी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय। यह तो मेम्बरान के इल्म में है कि.......

श्री अम्मार अहमद खां—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर (महोदय, मुझे वैधानिक आपत्ति है)। जनाबवाला, इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि दफा ७१ असेम्बली रूल और प्रोसीजर के मातहत मैंने कुछ कागजात इस सिलसिले में आनरेबिल मंत्री से मांगे थे . . . .

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। अगर आप उस प्वाइंट को नहीं उठाते तो भी मैं उसका जवाब जरूर ही देता। तो गवर्नमेंट ने एक आर्डिनेंस जारी किया था और उसमें कलक्टरों को आबपाशी कराने के अख्तियारात दिये गये थे उन सोर्सेज से जो कि गवर्नमेंट के नहीं हैं, प्राइवेट हैं, और जिसमें कोई शख्स एक दूसरे को पानी लेने से रोक सकता है। सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में, पिछली बरसात में बहुत सी जगहों में बारिश नहीं हुई और उसकी वजह से खुश्की बढ़ गई। कि रबी के सोविंग के वक्त जब कि पानी की अजहद जरूरत थी लेकिन उस वक्त भी बारिश नहीं हुई। तो उस वक्त उसकी जरूरत महसूस की गयी कि जिस तरीके से मुमकिन हो और जिस हद तक किया जा सकता हो उस हद तक आबपाशी का मौका लोगों को मिल जाय ताकि सोविंग वगैरह उसके जरिये से हो सके। जिलों में प्राइवेट बंधी हैं, प्राइवेट तालाब हैं या कोई इस किस्म के कुवें हैं जिनके थोड़े ही से आदमी मालिक हैं मगर ज्यादा आदमी उससे आबपाशी कर सकते हैं। मगर उनके पानी से और आदमी उससे जो नफा नहीं उठा सकते हैं उनको नफा उठाने का मौका देने के लिए आर्डिनेंस के जरिये से कलक्टर्स को दिये गये थे कि वे किसी दरख्वास्त के दिये जाने पर यह हुक्म दे दें

[माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम]

की जाय। और उसके साथ और जिन बातों को रक्खा गया था उनका भी थोड़ा सा बयान में कर दूंगा। मकसद इसका सिर्फ यह था कि इमर्जेंसी की हालत में वक्तीतौर पर इसकी अशद जरूरत है कि जल्दी के साथ उस काम को पूरा किया जा सके जिसके न पूरा होने से जो नुकसान पैदा होने वाला है वह नुकसान न होने पावे। इसी वजह से इसमें यह रखा गया कि अगर आज किसी ने कलेक्टर को दरख्वास्त दिया और यह कहा कि फलां तालाब से मुझे पानी लेने की इजाजत दी जाय और उस तालाब के मालिक को पहले इत्तिला दी जाय और उसकी एक तारीख मुकर्रर की जाय जिस तारीख पर आकर उसका मालिक उसके मुताल्लिक कुछ कहे, एतराजात पेश करे और उसे सुनने के बाद फैसला किया जाय और उस फैसला करने के बाद यह हुक्म हो कि आबपाशी कर ली जाय, या यह हुक्म हो कि न की जाय, तो इसमें इतना वक्त लग सकता है कि जिस वक्त पानी की जरूरत है वह जरूरत पूरी न हो सके और वह वक्त भी निकल जाय और खेती भी खराब हो जाय जब कि पानी मिलने से खेती बच सकती थी। तो इमर्जेंसी हाल्त मे इस जरूरत की वजह से ही कलेक्टर को यह अख्तियारात दे रखा गया था कि वह एकतरफा हुक्म सादिर करदे। वह खुद जांच कर के उसी वक्त एक तरफा फैसला कर दे, कि हां, इससे आबपाशी की जाय। और उसके बाद उन अशखास को जिनका उससे ताल्लुक है नोटिस दें जिससे उस नोटिस के जरिये से उनको मौका हो कि वह आकर कुछ कहना चाहें तो कहें और उसको सुनने के बाद जो कुछ मुनासिब हुक्म सादिर करना हो तो वह मुनासिब हुक्म सादिर किया जाय। तो चूंकि इस बात की जरूरत थी कि खेती के लिए पानी वक्त पर मिल जाय और उस वक्त पानी के मिलने में किसी किस्म की देर वाके न हो तो उस वजह से कलेक्टर को एक्स पार्टी (एक पक्षीय) हुक्म देने की पावर दी गयी। अगर एक्स पार्टी आर्डर की पावर कलेक्टर को न दी जाती तो असल मकसद जो इसका था वह फौत हो जाता और वह हासिल नहीं हो सकता था और न इस कानून के बनाने का ही फायदा हो सकता था। यह एक असल पार्ट था इस कानून का और इससे यह काम पूरा होता था। इस लिए इस आर्डर के जारी करने की पावर उसको दी गई और इससे काम लिया गया।

हमारे दोस्त अम्मार अहमद साहब ने एक खत तारीख ७ को भेजा और उसमें यह लिखा कि हम को यह इत्तलाआत् मंगा दो। वह इत्तलाआत् गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं थी उनके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ८ तारीख को लिखा गया और उनसे इसके मुताल्लिक मालूमात की गयी। उन्होंने पूछा था कि इससे कितनी आबपाशी हुई, कहां पर हुई, किस तरह से हुई, इस तरह की इत्तला उन्होंने मांगी थी। चुनांचे कलेक्टर साहेबान को उसके मुताल्लिक लिखा गया और अभी तक कोई इत्तला उनसे मौसूल नहीं हुई। लेकिन जहां तक इस कानून की असल जरूरत का ताल्लुक है उसको देखने के लिए और जांचने के लिए मैं यह अर्ज करूंगा कि इस कानून को जारी किया गया और कोई ऐसा केस पैदा नहीं हुआ, मैं यह कहता हूं कि इस तरह के केसेज हुए हैं, लेकिन मैं यह मान लेता हूं कि कोई केस पैदा नहीं हुआ। अगर कोई आदमी इस किस्म की दरख्वास्त कलेक्टर साहब के यहां न भी दे जोकि एतराज की बिना पर हो, लेकिन अगर इमर्जेंसी की हालत में इस किस्म का काम करें और लोगों को उससे फायदा उठाने दिया जाय तो इससे क्या दिक्कत पैदा होती है। कोई शख्स अगर उससे फायदा उठाता है तो उसके इन्तजाम के लिए ऐसी हालत में जैसी कि आज कल है कोई बेजा बात नहीं है। अगर उस मौके से कोई फायदा न उठाये तो इसके माने यह नहीं हो सकते कि उस कानून को बनाना गैर जरूरी है। वह तो ऐसी इमर्जेंसी की हालत के लिए है कि जिसमें गवर्नमेंट इस तरह की सहूलियत मुहैया करे। इसलिए वह किया गया। मेरे दोस्त ने जो मालूमात चाहीं उसके मुताल्लिक जैसा मैंने अर्ज किया या कलेक्टर को तो सिर्फ एक्स पार्टी आर्डर देने की पावर दी जो किसी भी फसल को बचाने के लिए जरूरी थी और बाकी जो रेट वगैरह

का मामला है, या एतराज होने की बात है, या उसके मुताल्लिक खिलाफ वरजी करना जो कि कलेक्टर के अहकामात के मुताल्लिक हैं उन सब के लिए दफा हैं। उसके मुताल्लिक उसमें लिखा हुआ है। एक क्लाज उसमें यह भी है कि इस कानून का नफाज सिर्फ अप्रेल तक है। इस बीच के वक्त के लिए कलेक्टर को यह पावर दी गयी थी कि जिससे किसी खेत को नुकसान न पहुंचे और वह सूखने न पाये। इस वक्त कलेक्टर को जो पावर दी गयी है वह अगली फसल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इन सब बातों से यह मतलब जरूर निकल सकता है और यह बात साफ कायम होती है कि खास इमर-जेंसी (आकस्मिक संकटकाल) की हालत में इस किस्म की कार्यवाही की गई थी और उसमें कलेक्टर साहब को एक्स पार्टी आर्डर देने की पावर दी गई थी। इसमें सब बातों का लिहाज रखा गया था और मैं यह समझता हूं कि किसी को इसमें कोई एतराज की गुंजायश नहीं हो सकती क्योंकि इससे सब लोगों का फायदा है। अगर किसी आदमी को पानी की जरूरत हो तो उसमें कोई देर न हो। इस लिए मैं उम्मीद करता हूं कि मेम्बर साहबान इन सब बातों की तरफ अपनी तवज्जह फरमायेंगे।

श्री सुलतान आलम खां—जनाब स्पीकर साहब, जो बिल इस वक्त हमारे सामने है वह बजाहिर एक मासूम सा बिल मालूम होता है लेकिन उसूली हैसियत से इसकी बड़ी अहमियत है। मैं गवर्नमेंट की उस ख्वाहिश का एहतराम करता हूं जिसके मातहत वह चाहते हैं कि मशरिकी अजला में और उन मुकामात में जहां बारिश नहीं हुई है वहां आब-पाशी के जराए फराहम कराये जांय। लेकिन इसके साथ-साथ उनकी दुश्वारी का दूसरा रुख भी देखना है और वह यह कि जो कानून भी हम बनायें उसके जरिये से जो कुछ भी आसानियां हम फराहम करें उससे किसी दूसरे को तो तकलीफ नहीं पहुंचती और दूसरे के हकूक पर कोई दूसरा असर नहीं पड़ता। मैं महसूस करता हूं कि इस बिल को बनाते वक्त उस चीज को नजर अन्दाज कर दिया गया है और एक तरफ का अगर ख्याल किया गया है तो दूसरी तरफ या तो नजर ही नहीं पहुंची या कोशिश ही नहीं की गई। जनाब वाला, सवाल यह है कि जो शख्स कुंए से आबपाशी करता है और जिसके बड़े-बड़े जाती कुएं हैं या उसके कोई दूसरे जाती आबपाशी के जराये हैं उस का यह मुसल्लमा हक है कि वह उनसे अपनी जरूरत के मुताल्लिक फायदा उठा सके और अगर कोई ऐसा कानून पास किया जाता है कि उसकी जरूरत और आराम का ख्याल न रख कर दूसरों को फायदा पहुंचाया जाता है तो वह एक बुनियादी उसूल पर ही एक तरह की चोट है। इसका असर न सिर्फ जमींदार ही पर पड़ेगा बल्कि ज्यादा सूरतों में काश्तकार पर ही इसका असर पड़ेगा क्योंकि आम तौर पर जिन लोगों के पास आबपाशी का जरिया होता है वह अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए होता है और उन लोगों के पास जो कुछ पानी बचता है उससे हमेशा उन लोगों की जरूरत पूरा करने की कोशिश की जाती है कि जिन के पास पानी नहीं है या पानी की कमी है क्योंकि जिनके पास पानी ज्यादा है वह उसे खामख्वाह अपने पास क्यों रक्खेगा। देहातों में यह दस्तूर है कि जिनके पास रिजरवायर है या बडे पक्के कुवें हैं यह जो पानी किसी तरह से बचा पाते हैं तो वह आबपाशी पर दूसरों को पानी दे देते हैं औरवह दूसरों की जरुरत पूरी कर देते हैं और यह भाई चारे का तरीका देहात में बरसों से चला आ रहा है और एक इतमिनानबख्श तरीके से चला आ रहा है उसमें कोई नई सूरतें या नया प्रीसीडेंट (दृष्टान्त) कायम करना मुनासिब नहीं है।

आज कुयें से पानीलेने के हक का सवाल है कल किसी दूसरी चीज का सवाल हो सकता है और परसों किसी तीसरी चीज का सवाल हो सकता है। यह जरूर है कि पिछले मौकों पर लोगों के घर मोटर मकानात वगैरह इस्तेमाल किये गये लेकिन तवारीख में यह पहला मौका है कि आबपाशी के पानी को हम कंट्रोल कर रहे हैं। देखना यह है कि यह प्रीसीडेंट कहां तक मुनासिब और सही है। मैं समझता हूं कि बराहेरास्त अब इसका असर काश्तकारों पर पड़ेगा और हमारा जो मकसद है कि काश्त खराब न हो या ग्रो मोर

[श्री सुल्तान आलम खां]

फूड का फन्कशन खराब न हो उस पर बराहेरास्त इसका एडवर्स एफैक्ट (उलटा प्रभाव) होने का अन्देशा है। जिन्होंने आबपाशी के अपने जरिये पैदा किये उनकी मर्जी के खिलाफ बगैर उनकी इजाजत लिए हुए, बगैर उनकी जरूरत को देखते हुए उनके उन जरायों को आप दूसरों के इस्तेमाल में देते हैं तो इससे बड़ा डिसएप्वाइंटमेंट (नैराश्य) होगा और आप का जो ग्रो मोर फूड का मकसद है वही खत्म हो जायगा।

जनाब वाला, मैं बिल की चन्द बातों की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि दफा ३ के पढ़ने के बाद मालूम होगा कि उसके जरिये से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कतई अख्तियार है कि जिस वक्त भी उसके पास दरख्वास्त पहुंचे कि उसको फलां शख्स के कुयें में से पानी दिलाया जाय तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आर्डर्स पास कर देगा और उस शख्स को उस वक्त इस बात का मौका भी नहीं होगा कि वह आकर अपनी जरूरत को बतला सके। उसके बाद यह प्रोसेस होगा कि उसको नोटिस दिया जायगा और नोटिस के ऊपर जो शख्स इंटरेस्टेड (संबंधित) होगा उसको उज्रदारी करने का मौका होगा फिर यह सुनी जायगी। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो उस हुक्म में कोई तरमीम की जा सकती है। जाहिर है कि ऐसे तमाम कामों में जैसा कि हम रोज देखते हैं काफी मुद्दत की जरूरत होगी और उसका नतीजा यह होगा कि इस अर्से में उस एक्स पार्टी आर्डर (एक पक्षीय आदेश) के मातहत उस शख्स की फस्लें आबपाशी से रह जायंगी जिस शख्स ने रुपया खर्च करके कुंआं तैयार किया है और दूसरे लोग उससे नफा उठा सकेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्याद कोई नामुनासिब बात नहीं हो सकती कि जिस शख्स की मिल्कियत है, जिस शख्स ने पैसा खर्च करके कुंआं बनवाया है उसकी जरूरत पर दूसरे की जरूरत को तरजीह दी जाय। इस लिए एक्स-पार्टी तरीके पर हुक्म देने का जो प्राविजन इसमें रखा गया है, मैं समझता हूं कि यह किसी सूरत से मुनासिब नहीं है। अगर सरकार को यह बिल बनाना ही है तो इस बात का पहले ही फैसला होना चाहए कि उसका कितना स्पेयर पानी है और वह किसको दिया जा सकता है। यह पता लगाने के बाद वह स्पेयर पानी किसी को दिया जाय। लेकिन बगैर मशविरा एक शख्स आता है, दरख्वास्त दे देता है, सही या गलत चाहे जो ऐलीगेशन उसमें लिख दे और दूसरे शख्स का पानी उसको दे दिया जाय और उसके बाद नोटिस निकले और वह अपनी वजूहात बतलाता है, तब तक फस्ल का मौका निकल जाय और उसकी फस्ल आबपाशी के बगैर रह जाय। तो मैं समझता हूं कि एक्स-पार्टी का जो इसमें प्रोवि-जन है वह किसी सूरत से मुनासिब नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि इसमें एक हुक्म डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का होगा। सही है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का हुक्म होना चाहिए। लेकिन जो कोई भी कानून बनाता है और जिसमें एक आर्डर पास किया जाता है और वह आर्डर ऐसा हो कि जिसके जरिये लोगों के आराम और तकलीफ का फैसला किया जाने वाला हो और जिसमें पैनाल्टि (दण्ड) भी प्रोवाइड की गयी हो कि उस आर्डर को तोड़ने के ऊपर तीन महीने की कैद भी दी जा सकेगी तो जाहिर है कि क्रिमिनल आफेंस करार दिया गया, तो फिर उसकी अपील के लिए भी प्राविजन होना चाहिए। मगर हम इस बिल को देखते हैं तो मुझे मालूम होता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का आर्डर फाइनल है, उसकी कोई अपील किसी जगह नहीं होगी। जनाबवाला, ऐसा हुक्म किसी को दिया जाय जिसके मातहत तीन महीने की कैद भी दी जा सके और उसको यह भी हक न हो कि वह उसकी अपील कर सके, मैं समझता हूं कि आज कल मुहज्जब दुनिया के कानून बनाने के जो उसूल हैं उनसे किसी सूरत से भी यह मिलता जुलता नहीं है।

इस बिल में और भी कई ऐसी चीजें हैं जो उसूलन मुनासिब नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके लिए मुनासिब मौका वही होगा जिस वक्त इस बिल की एक एक दफा हमारे सामने आयेगी। लेकिन खासतौर पर अपील के सिलसिले में मैं जरूर कहूंगा कि

इसमें अपील का प्राविज़न होना चाहिए। यह एक बड़ा नुक्स इसमें रह गया है। दूसरा नुक्स, जो मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूं, वह इसमें यह है कि एक्स पार्टी आर्डर नहीं होना चाहिए। मैं तो यही अर्ज़ करूंगा आनरेबिल मिनिस्टर साहब से कि इस बिल की कतई ज़रूरत नहीं है। इसको आप वापस ले लीजिये। बजाय इसके कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट स्टाफ़ और डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स को यह आर्डर दें कि जहां-जहां इस किस्म की ज़रूरत पेश आयी हो वे दौरा करें, मुकामात पर जायें और काश्तकारों को परसुएड करें (मनायें) कि जिसके पास स्पेयर पानी हो वह दूसरों को दे दे मैं समझता हूं काश्तकारों का जो उसूल है, वह कभी इससे इन्कार नहीं करेंगे लेकिन इस किस्म का एक बिल बना देना इन्फ्रिन्जमेंट (तोड़ना) है उन बुनियादी उसूलों का है।

इसके अलावा, जनाबवाला, जहां तक मैंने इस बिल के एम्स और आब्जेक्ट्स (उद्देश्य और कारण) को पढ़ा है मुझे यह मालूम होता है कि इस किस्म का सवाल अगर कहीं पैदा हुआ है तो वह सिर्फ चन्द मशरिकी जिलों में। लेकिन हमने जो बिल बनाया है उसे पूरे सूबे में लागू कर दिया गया है। इसके मानी यह हैं कि अगर किसी शख्स को यह पता लग जाय कि ऐसा बिल है और उसके कुयें में पानी है तो वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देगा और उससे एक हलचल पैदा हो जायगी। अगर इस बिल का निफाज़ करने की ज़रूरत थी तो सिर्फ उतने ही हिस्से के लिए इसे रखना चाहिए था जहां कि इसकी ज़रूरत थी। आपने अपनी स्पीचेज़ में खुद कहा है कि सिर्फ मशरिकी अज़ला में इसकी ज़रूरत महसूस हुई है। इस लिए वहीं के मुकामों के लिए इसको रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इस मसले पर काफी गौर करेगी क्योंकि यह बहुत ही बुनियादी मसला है। अगर यह सोचा जाय कि जमींदारों पर ही इसका असर पड़ेगा तो यह गलत है। इसका असर काश्तकारों पर भी पड़ेगा। हर गांव में हर जगह पार्टीबन्दियां होती हैं। एक शख्स जाकर दरख्वास्त देगा कि फलां शख्स के कुवें में पानी है, मुझे दे दिया जाय, तो एक्स-पार्टी आर्डर हो जायगा। इससे बड़ी दिक्कतें पैदा हो जायेंगी। खूब मुकद्दमेबाजियां बढ़ेंगी और सिरफुटव्वल होगी। जैसा मैंने पहले अर्ज किया, गवर्नमेंट की ख्वाहिश का मैं एहतराम करता हूं कि वह लोगों की आबपाशी बढ़ाना चाहती है। तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख नहीं देखना चाहिए। जहां आप एक दिक्कत हल करते हैं वहां दस और नहीं पैदा करना चाहिए। हम बहुत बड़े पैमाने पर ग्रो मोर फूड के सिलसिले में लोगों को तकाबियां दे रहे हैं और मदद दे रहे हैं। एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिस के ज़रिये से प्रायोरिटी के तौर पर उन लोगों को पहले रख लिया जाय जहां इस किस्म की ज़रूरत है। उन लोगों को आबपाशी के ज़रिये मुहइय्या किये जायं। यह तरीका सही नहीं है कि एक शख्स से कोई चीज़ हासिल करके दूसरे को दे दी जाय। यह नहीं होना चाहिए कि टू रौब पिटर टू पे पाल (एक से लेना दूसरे को देना) इसलिए यह कोई अच्छा बिल नहीं है। अगर इसे रखना ही जाता है तो इसके अन्दर एक्स-पार्टी आर्डर के मुताल्लिक और अपील के मुताल्लिक भी रखना चाहिए और सिर्फ ईस्टर्न अज़ला के लिए ही इसे रखना चाहिए।

श्री भगवानदीन मिश्र--अध्यक्ष महोदय, जो बिल सिंचाई के संबंध में सरकार के द्वारा सदन के सामने उपस्थित किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अभी अभी अवर्षण काल में जो पिछला सूखा पड़ चुका है तब इस बिल की इतनी बड़ी आवश्यकता प्रतीत हुई कि फसल को पूरा लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का कानून बनाया जाय। कई प्रकार के जलाशय, तालाब और कूले मौजूद हैं जिन पर कहीं तो बड़े लोगों ने अधिकार जमा रक्खा है और कहीं जलाशयों को लेकर मछली या सिंघाड़ा या और किसी चीज के लिए पानी को रोक देते हैं। ऐसी अवस्था में प्रायः वे किसान जो साधन नहीं रखते हैं अगर यह चाहें कि हम इस जलाशय से पानी ले लें तो वे नहीं ले सकते हैं। ऐसे लोग जिनके अधीन वह जलाशय हैं या जिन्होंने किसी तरह जबरदस्ती अपने बल से कब्जा कर रक्खा है वे छोटे लोगों को पानी नहीं लेने देते। गोरखाली से निकली हुई जो कूले हैं और जहां

[श्री भगवानदीन मिश्र]

केवल धान की फसल होती है वहां जितने भी साधारण किसान थे उन्हे आमतौर से पानी नहीं मिल सका। जो वहां बड़े-बड़े ठेकेदार लोग थे या बड़े-बड़े लोग थे उन लोगों ने जबरदस्ती उन पर कब्जा कर लिया और अपना धान किसी तरह से सींचा परन्तु दूसरों को सींचने का मौका नहीं दिया। इस प्रकार की कठिनाइयां बराबर हुआ करती हैं, यहां तक कि एक तालाब से मैंने स्वयं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख कर यह जो आर्डिनेंस जारी था, इसके आधार पर किसानों को पानी लेने की सुविधा प्रदान करायी थी। ऐसी अवस्था में ऐसे कानून की बड़ी आवश्यकता है। हमारे कैप्टेन साहब कहते हैं कि जिसने अपना कुआं बनवा रखा है उसको सब से पहले सुविधा न देकर दूसरों को आज्ञा दे देना उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जिला मैजिस्ट्रेट को जो यह अधिकार इस कानून में दिया जाता है वह किसी साधारण आदमी को अधिकार नहीं दिया गया है। जिला मैजिस्ट्रेट पहिले यह देखेगा कि प्रार्थी किस जगह से पानी लेना चाहता है, वह कोई सार्वजनिक जगह है, तालाब है, कूल है या किसी का प्राइवेट बनवाया हुआ कुआं है। यदि ऐसी चीज उसके सामने होगी कि किसी का प्राइवेट बनवाया हुआ कुआं है, तो यह देखना उसके लिए आवश्यक होगा कि आया जिसने उस कुयें का निर्माण कराया है उसकी आवश्यकता पूरी हो चुकी है या नहीं। यदि कोई सार्वजनिक स्थान होगा और कोई व्यक्ति किसानों को रोक करके स्वयं अपना ही कार्य निकालना चाहता होगा, तो कलेक्टर को यह अधिकार होना स्वाभाविक है। इसके अन्दर जो यह बात कही गयी है कि दूसरी पार्टी को समय न देकर अगर कलेक्टर चाहे तो पहले ही आज्ञा जारी कर सकता है और बाद में उस व्यक्ति को नोटिस दे सकता है। सिंचाई का काम ऐसा नहीं है कि नोटिस बाजी में दो तीन महीने निकाल दिए जायं और जिस फस्ल को जो जायदा पहुंचाने वाला है वह खत्म हो जाय। इसलिए इस धारा का होना आवश्यक है जिसके आधार पर जिला मैजिस्ट्रेट को पूरा अधिकार रहे कि अगर प्रार्थी ने ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया है कि वह सिंचाई करके फस्ल को फायदा पहुंचाना चाहता है तो जिला मैजिस्ट्रेट उसको मौका देदे और उसकी सूचना रोकने वाले को दे दे कि प्रार्थी को यह अधिकार दिया जाता है कि वह सिंचाई का काम पूरा कर ले। बाद में जिला मैजिस्ट्रेट उचित समझे तो वह अपनी आज्ञा में परिवर्तन भी कर सकता है। इस तरह की योजना इस विधेयक में रक्खी गयी है। आजकल प्राय: कहीं तो ज्यादा वर्षा से और कहीं सूखा पड़ने की वजह से फसल को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसी अवस्था मे ऐसे कानून के जरिए जनसाधारण को और उन किसानों को, जिनके पास अभी तक अपने निजी सिंचाई के साधन नहीं हैं, उनके लिए ऐसे तालाबों से, ऐसे जलाशयों से, ऐसे रिजरवायर्स से और ऐसे कूलों से, जो प्राकृतिक रूप से बहा करते हैं, सिंचाई की सुविधा देना परम आवश्यक है। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अम्मार अहमद खां—जनाबवाला, कब्ल इसके कि मैं इस बिल की बाबत कुछ अर्ज करूं मैं उस सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहूंगा कि जो मेरे प्वाइंट आफ आर्डर (वैधानिक आपत्ति) के जवाब में हमारे वजीर साहब ने फरमाया कि जो कागजात और जो मालूमात मैं उनसे असेम्बली रूल्स की दफा ७१ के मातहत हासिल करना चाहता था वह मुझे इस बिना पर हासिल नहीं हो सकीं कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मालूमात के लिए इत्तिलायें भेजी लेकिन वह वहां से अभी तक नहीं आयीं। हमारे मिनिस्टर साहब का इस बिल से कुछ ज्यादा ताल्लुक नहीं है लेकिन जब मिनिस्टर इंचार्ज इस वक्त मौजूद नहीं हैं तो मैं उनसे ही यह चीज अर्ज कर सकता हूं कि उसमें कुछ ऐसी इत्तिलात थीं जिनको जिला से मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। उनको इत्तला के लिए मैं अपने खत का हिस्सा अर्ज करूंगा जिसमें कि ......

"How many eastern and submontane districts of the State of Uttar Pradesh are likely to be benefitted by the passage of this Bill?

(इस विधेयक के पारण से उत्तर प्रदेश राज्य के कितने पूर्वी और तराई के जिलों को लाभ पहुंचने की संभावना है?)

यह इस किस्म को चीज थी कि जब तक यह इत्तलाआत आपके पास न आ जाये और आपको मुख्तलिफ अजला से यह इत्तिला न हो जाय कि बाज-बाज अजला में ऐसी हालतें रुनुमा हो गयी हैं जिनसे आपके वास्ते यह चीज पेश करना लाजिमी और जरूरी है, उसके पहिले कोई कानून, ख्वाह आर्डिनेंस या बिल आप नहीं ला सकते थे। जनाबवाला, इसके अलावा दूसरी चीज यह भी है कि हमारी हुकूमत के पास इस किस्म की इत्तलाआत फराहम करने के मुख्तलिफ जराए हैं। अगर वाकई में असेम्बली का अहतराम हमारे वजरा और हुकूमत को महसूस होता तो ७-८ दिन के अन्दर आ सकती थीं और हुकूमत के पास ऐसे भी जराए हैं कि वह इत्तलाआत एक दो दिन के अन्दर आ सकती थीं। अगर हमारे रूल्स एंड प्रिविलेजेज के अन्दर यह चीज है और उसके बाद भी हम लोगों को उनका फायदा हासिल करने का मौका न मिले तो हमको कोई चाराकार नहीं रहा सिवाय इसके कि हम स्पीकर से ही अर्ज करें कि जब हमने एक इत्तला हुकूमत को बरवक्त दी और हुकूमत उसको नहीं पहुंचा सकी तो क्या हुकूमत के वास्ते यह माकूल तरीका है कि वह एक बिल को हमारे सर के ऊपर लाकर रखे और हमको मजबूर किया जाय कि हम उसको कंसीडर (विचार) करें। जनाबवाला, अगर इसी किस्म की चीजें होती रहेंगी तो जितने रूल्स आफ प्रोसीड्योर बनाए गए हैं उनका कोई मकसद और मतलब नहीं होगा और न उनसे अपोजीशन या ट्रेजरी बेंचेज को कोई फायदा होगा, बल्कि वह एक ऐसी गलत चीज हो कर रह जायगी जिसकी हिफाजत या चाराकार बजुज इसके और कोई न होगा कि आप से ही अर्ज किया जाय कि आप गवर्नमेंट से मालूम करें कि जब तक यह इत्तलाआत हमको बहम नहीं पहुंचायी गयी तो क्यों इस बिल को आज के एजेंडे पर लाया गया। कल, परसों, पहले रोज रख सकते थे। बहरहाल जहां तक हम लोगों को मालूम हुआ है अभी तक यह असेम्बली १८-१९ तक चल रही है। उसके बाद भी यह बिल रक्खा जा सकता था अगर उनके पास इत्तलाआत नहीं थीं। जनाबवाला, अब कब्ल इसके कि मैं बिल के ऊपर कोई चीज अर्ज करूं, मैं फिर जनाब को वसातत से जनाब वजीर साहब से अर्ज करूंगा कि देखने में यह बिल बहुत मामूली सा है, लेकिन जिस किस्म की इब्तिदा आपने की है और जिसकी पहले आपकी जानिब से शुरू हुई है उससे अन्देशा है कि जिसकी इब्तिदा का यह हाल है उसकी इन्तहा कहां जाकर होगी। आपने नेशनलाइजेशन आफ जमींदारी के साथ-साथ पानी का नेशनलाइजेशन जो शुरु किया है मुमकिन है कि आइंदा आप हवा पर भी हवाबन्दी का इरादा फरमायें और यह सिलसिला इतना लम्बा पहुंचे कि इंसानी जिन्दगी वबाल हो जाय। आप यही कहेंगे कि ३-४ महीने के लिए होगा, मैं तो जनाब वजीर साहब से अर्ज करूंगा कि अगर उनके पास अभी तक इत्तला नहीं आई है तो फिर दोबारा लिखें और इत्तला जब आ जाय तब हमको इस भवन के अन्दर मौका दें कि हम उन इत्तलाआत की रोशनी में देख सकें कौन-कौन अजला में वह जरूरत पैदा होती थी और कौन कौन में नहीं। मैं जनाबवाला से पहले यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब मुझे इन बातों का इल्म हो जाय उसके बाद जब जनाबवाला फरमायें तो मैं कुछ कहूं।

माननीय अध्यक्ष--जहां तक मुझे मालूम है माननीय मंत्री को आपने लिख कर भेजा होगा, मुझे तो कोई इत्तला नहीं दी कि आप कोई कागजात चाहते हैं। आप जिस रूल का हवाला दे रहे हैं उसमें मुझे आपने बीच में कभी नहीं डाला।

श्री अम्मार अहमद खां--जनाबवाला, आप का जो हुक्म होगा उसकी पाबन्दी करने के वास्ते ....

माननीय अध्यक्ष--नहीं, अगर मुझे पेश्तर इत्तला होती कि कोई कागजात ऐसे हैं जो उन्हें भेजने चाहिए तो मैं कोशिश करता, मगर आप इस बिल के पेश करने से पहले मेरी तवज्जेह इस तरफ दिलाते। उस हालत में मुमकिन था कि मैं यह कहता कि इस

[माननीय अध्यक्ष]

वक्त यह न पेश हो। और मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जो सूचना जिलों के मुताल्लिक माननीय सदस्य चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि कौन कौन अजला को इस बिल से फायदा पहुंचेगा तो वह इत्तला तो आप आसानी से दे सकेंगे?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाब से सिर्फ यह अर्ज करूंगा कि जिस ल पर यह रिलाई करते हैं वह तो जहां तक मैं समझता हूं आलरेडी एग्जिस्टिंग पेपर्स पर अप्लाई करता है। कोई पेपर्स तो एग्जिस्टिंग हैं नहीं। मैंने वही अर्ज किया कि मंगवाये गए हैं पेपर्स, वे आये नहीं हैं। बाकी जो उन्होंने लिखा है उसका तो सिर्फ अक्ल से जवाब दिया जा सकता है और कहीं से जवाब की जरूरत नहीं है।

यह एक सवाल है और उसका जो जवाब हो सकता है वह यह है:

"How many eastern and submontane districts of the State of Uttar Pradesh are likely to be benefitted by the passage of this Bill?"

(इस विधेयक के पारण से उत्तर प्रदेश राज्य के कितने पूर्वी और तराई के जिलों को लाभ पहुंचने की संभावना है?)

माननीय अध्यक्ष--तो यह तो गालिबन जैसी भी इत्तला गवर्नमेंट दे सकती थी वैसी मिल गयी।

श्री अम्मार अहमद खां--जनाबवाला, इस सिलसिले में और कुछ अर्ज किए हुए बगैर असली बिल की तरफ आना चाहूंगा और आइंदा से एहतियात रखूंगा कि जो चीज गवर्नमेंट से मांगू जनाब की ....

माननीय अध्यक्ष--कम से कम मुझे इत्तला होनी चाहिए। अगर इस सिलसिले में मुझसे मांगा जाय और गवर्नमेंट को कापी भेज दें तो बहुत सहूलियत रहती है।

श्री अम्मार अहमद खां--जनाबवाला, हमारी हुकूमत ने जो इस वक्त बिल हमारे सामने पेश किया है उसको एक आर्डिनेंस की सूरत में लाकर सब से पहले सूबे के अन्दर लागू किया था। आर्डिनेंस सूबे में किन हालत में लाये जाते हैं और उनकी क्या अहमियत होती है और किस किस्म की जरूरत होती है इसकी बाबत इस मौके पर ही नहीं पहले बहुत से मवाके पर मुख्तलिफ तरीके से इजहारे राय किया गया है। जब कि हुकूमत एक कानून को असेम्बली से पास करवाने का मौका रखती है, उस वक्त आर्डिनेंस के जरिए से किसी कानून को लागू करना एक मुतमद्दन और डेमोक्रैटिक सरकार के लिए निहायत नाजेबा है। हमारे असेम्बली का सेशन अक्तूबर में खत्म हुआ। हमारे वजीर साहब ने फरमाया कि सितम्बर और अक्तूबर में बारिश न होने की वजह से इस किस्म का आर्डिनेंस जारी करना पड़ा। मैं इस सिलसिले में अर्ज करूंगा कि सितम्बर में बड़े हिस्से तक हमारी असेम्बली का बराबर इजलास होता रहा और अक्तूबर में भी आधे से ज्यादा वक्त तक असेम्बली बराबर बैठती रही। लेकिन उस वक्त इस किस्म की कोई चीज एसेम्बली के सामने नहीं आयी, वरना अगर वाकयी में इतनी जरूरत थी तो कोई वजह नहीं थी कि असेम्बली का इजलास एक दो दिन के लिए और ज्यादा बढ़ा कर इस कानून को भी पास न करवा लेते। यह हुकूमत के वास्ते सिर्फ उन हालात में जायज औ मुनासिब हो सकता है जिस वक्त असेम्बली का सेशन हाल में न हुआ हो या असेम्बली का सेशन जल्द होने की उम्मीद न हो। लेकिन ऐसी सूरत में जैसा कि मैंने अर्ज किया हुकूमत के वास्ते बहुत आसानी के साथ मौका था कि इस कानून को पास करवा लेती। इसके ऊपर, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, अब भी हम

अपना इजहार नापसंदगी करते रहेंगे। मैं समझता हूं कि अब हुकूमत के वास्ते ज्यादा मौका नहीं है कि वह बराबर आर्डिनेंस लाती रहे और फिर इस किस्म के कवानीन पास करवाए।

इस बिल के अन्दर जो सब से बड़ी ताज्जुबखेज बात मालूम होती है वह यह है कि, जैसा कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजंस (उद्देश्य और कारणों का विवरण) में लिखा हुआ है, मैं आपकी इजाजत से उसका तरजुमा पढ़ना चाहता हूं।

"Owing to failure of September-October rains there is apprehension of scarcity conditions in the State particularly in the eastern and submontane districts . . ."

(गत सितम्बर-अक्तूबर में अनावृष्टि के कारण इस राज्य में, विशेषकर उसके पूर्वीय और तराई वाले जिलों में दुर्भिक्ष की बड़ी आशंका है . . .)

इससे साफ जाहिर होता है कि ईस्टर्न और सबमांटेन डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर ही इस की जरूरत है। ऐसा अन्देशा हो सकता है कि बारिश की कमी की वजह से जहां पर ज्यादा तर जराए आबपाशी कुएं और तालाब हों, अगर वहां के लिए कोई प्राविजन न रखा जाय तो मुमकिन है कि फसल को नुकसान पहुंचे। लेकिन यह चीज मालूम तब होती जब कि सिर्फ ईस्टर्न और सबमांटेन डिस्ट्रिक्ट्स तक ही इसका इतलाक होता। लेकिन इस कानून का इतलाक पूरे सूबे पर है। जहां तक मैंने ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स को देखा है कोई तालाब ऐसा नहीं है जहां से लोग अब तक आबपाशी न करते हों और जहां तक मेरी इत्तला है वहां इस कानून का इतलाक ही नहीं होगा। फिर तमाम सूबे के अन्दर इस कानून को जारी करने का क्या मकसद है? मैं तो यह समझता हूं कि इस कानून का एतलाक सिर्फ उन्हीं जिलों में होना चाहिए था जो जरूरतमंद हैं और जहां जरूरत नहीं है वहां के लिए इस किस्म के अख्तियारात हुकूमत को दे देना मैं समझता हूं कि इंसान की आजादी और बुनियादी हकूक पर इतना गलत असर डालेगा जिसका नतीजा मेरी समझ में नहीं आता। अब जब कुछ बारिश भी हो चुकी है और हुकूमत का मकसद तो किसी हद तक पूरा हो चुका होगा उस वक्त उसको यह साबित हो जाना चाहिए कि आया किन-किन अजला में यह कानून काम में लाया जाय और किन-किन अजला में नहीं। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में जितने वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब को इस कानून से मुस्तस्ना कर देना चाहिए। अगर इस कानून से वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का एतलाक रखा गया तो इसके मिसयूज (दुरुपयोग) होने का इम्कान है।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में यह कानून किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा?

श्री अम्मार अहमद खां--कुओं के लिए।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--प्राइवेट कुओं के लिए क्या?

श्री अम्मार अहमद खां--जी हां। मैं समझता हूं कि शायद वजीर साहब अब मुतमईन हो गए होंगे कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इस कानून को नहीं लागू करना चाहिए।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--मैंने और खिलाफ होने के लिए यह बात पूछी थी।

श्री अम्मार अहमद खां--अब अगर आप और साफ करने के लिए और मुखालिफत करने के लिये और कुछ जानना चाहेंगे तो मैं हाजिर हूं और आप इससे इत्मीनान रखें। हमारी हुकूमत जिस तरीके से एक कानून पास करती है और फिर उसके अन्दर भी यह रखती है कि जो कुछ इस कानून के अन्दर हमने किया हो या हमसे भूल चूक हो गयी हो या हमारे

[श्री अम्मार अहमद खां]

आफिसरों से हो गयी हो या आइंदा होने वाली हो जो कुछ हमने या हमारे अधिकारियों ने किया हो उस सब के लिए फ्री लाइसेंस मिल जाना चाहिए और इस तरह से पिछले कानून के जरिए से किए गए कामों के लिए फ्री लाइसेंस लेना निहायत गलत चीज है। आप क्यों न इस पूरे कानून को पूरे तरीके से स्क्रुटिनाइज करें (जांचे) और उसके बाद बजाय इसके कि उसमें लूपहोल्स रखें उसको क्यों न ठीक कर दें। इसके अन्दर जैसा कि मेरे दोस्त सुल्तान आलम खां साहब ने कहा कि दफा तीन में ऐसा नश्तर है, ऐसा डंडा है जिसको जहां चाहे लागू कर दिया जाय। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को अख्तियार तभी होगा कि वह जहां चाहे लागू कर दे और चाहे जिसको दे और चाहे जिसको न दे। अगर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में लोग ट्यूबवेल्स के जरिए से अपने तालाबों और गड्ढों में पानी भर लेते हैं और अगर दफा तीन में यह सूरत ऐसी रहेगी तो यह पानी भी जो उसने अपने पैसे से जमा किया है उसके ऊपर भी इसका एतलाक होगा और यह ऐसी ज्यादती होगी जिसके लिए मैं क्या कह सकता हूं। मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह सही मानों में इंसाफ होगा। क्या आप किसी के खेत को बचाने के लिए यह गवारा कर सकते हैं कि दूसरे का खेत बरबाद हो जाय, तबाह हो जाय? उसी के साथ दफा २ में यह रखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हक होगा कि जहां चाहे जिस तरीके से चाहे उन रेट्स से पानी पहुंचाने के लिए प्राविजन कर दे। मैं खासतौर से यही मालूम करना चाहता था कि जिन-जिन अजला में यह काम लाया गया है वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कौन-कौन से तरीके से पानी की अदायगी का इंतजाम किया है और अगर उनकी पानी की अदायगी नहीं हुई है तो जैसा कि आप जमींदारी अबालिशन के सिलसिले में कर रहे हैं अगर उसी तरह का प्राविजन यहां पर भी रख दिया कि नालिश दायर करा कर कुर्की करा सकें तब तो इसी किस्म की ज्यादती होगी कि "जबरा मारे और रोने न दे।"

जनाबवाला, यह चीज तो मुनासिब नहीं मालूम होता है कि आप किसी शख्स को पानी दें उस सूरत में जबकि नकद रुपया देकर उसने पानी लिया हो और उसकी अदायगी के लिए आप कोई प्रावीजन नहीं रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके अन्दर उसी किस्म का प्रावीजन होना चाहिए जैसा कि और जराए आबपाशी का है। जैसा कि उन आबपाशी का महसूल लाजिमी और जरूरी होता है उसी तरह से इस आबपाशी का यह भी वसूल इसी तरीके से इन एडवांस (पूर्व कालिक) करें तो सही चीज हो सकती है। लेकिन यह कह देना कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जैसा चाहे तय कर ले निहायत गैर इंसाफाना और नामुनासिब है।

यह कानून एक बहुत छोटा सा मासूम और इन्नोसेंट मालूम होता है लेकिन अगर इसके फार रीचिंग अफेक्ट्स देखे जायं तो यह कम्युनिज्म की तरफ ले जाने की पहली सीढ़ी है जिस पर हुकूमत अपना पहला कदम रख रही है। क्या यह सही है कि किसी दूसरे की मेहनत का फायदा कोई तीसरा शख्स उठाये। यह नामुनासिब है। यही तरीका इसमें मौजूद है।

जनाबवाला, आपने इसकी दफा ६ के अन्दर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो आब्जेक्शन्स करने के लिए मौका दिया है और यह चाहा है कि पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एकतर्फा हुक्म जारी कर दे और फिर इसके बाद लोगों को आने के लिए नोटिस जारी करे और वह समाअत करके कोई मुनासिब फैसला दे तो क्या मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब से पूछ सकूंगा कि अगर पेश्तर पानी के या किसी और चीज के मुताल्लिक हुक्म हो चुका है और वह चीज खत्म हो गयी है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको मुआफिकत या मुखालिफत में अपना हुक्म देते हैं तो क्या माने रक्खेगा यानी उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

अभी अभी जनाब सुल्तान आलम खां साहब ने फरमाया है कि इस कानून की दफा ९ के बाबत अगर कोई शख्स हुक्म न माने तो इस कानून में आप सजा के अख्तियारात दे रहे हैं अगर किसी शख्स ने इस हुक्म की खिलाफवर्जी की। एक्स पार्टी का हुक्म उसको मालूम तक नहीं है कि उसके लिए ऐसा हुक्म हो चुका है तो आपने कोई प्राविजन इसमें ऐसा नहीं रखा है कि इस एक्स पार्टी के हुक्म हो जाने पर उसका इत्तला पहले उसको कर दी जाय और फिर भी अगर वह उस हुक्म का तामील न करे तो उसको सजा दी जा सकती है। बल्कि सजा देने के बारे में इस कानून में यह अल्फाज हैं कि अगर कोई शख्स इस हुक्म का तामील नहीं करेगा तो वह मुस्तौजिब सजा होगा।

गांवों में अफवाह फैल जाती है और कहीं-कहीं दुश्मनी और मुखालिफत होती है। अगर किसी शख्स ने यह गलत अफवाह उड़ा दी कि फलां शख्स से वह पानी लेगा और उसने मना किया क्योंकि जायज तरीके से उम्मीद करता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कभी भी ऐसा हुक्म नहीं दे सकता है तो आप उसको भी मुस्तौजिब सजा मानेंगे। "जहर दें और ताकीद हो कि पीना होगा" यही कहावत है जो यहां पर लागू होती है। आपने कोई प्रावीजन नहीं रखा है अगर आप किसी को सजा देने जा रहे हैं। अगर किसी अदालत ने गलत फाइंडिंग्स दे दी हैं तो आप उसके लिए अगर अपील करने का प्रावीजन रख देंगे तो अगर कोई शख्स नाकर्दा गुनाह होना अपने को समझता है तो वह अदालत में अपने गुनाह के बारे में चाराजूई कर सकता है।

जनाबवाला, इसके अलावा मैं समझता हूं कि अगर इंसाफ की बात देखी जाय तो यह प्रावीजन रखना बहुत ही मुनासिब मालूम होता है कि अगर कोई शख्स फ्राड (धोखे) से कोई ऐसा आर्डर हासिल कर ले तो उसके लिए सजा के लिए प्राविजन रखा जाता लेकिन आपने ऐसा कोई प्रावीजन नहीं रखा है। आपने मालिकाने तालाब के लिए तो ऐसा प्राविजन रखा है कि जो इस हुक्म को तामील नहीं करेगा वह मुस्तौजिब सजा होगा लेकिन आपने ऐसा कोई प्राविजन नहीं रखा है कि अगर कोई शख्स फ्राड करके या किसी तरह से गलत बयानी करके अहकामात हासिल कर लेता तो उसको उसके वास्ते आप कोई सजा देने जा रहे हैं। यह इस किस्म की चीज है कि आपका पैमाना और तराजू मुख्तलिफ बांटों के साथ तौला जायगा। एक जगह आपका इन्साफ दूसरे किस्म का मियार रखता हैं और दूसरी जगह दूसरी किस्म का। यह चीजें देखने में बजाहिर बहुत छोटी मालूम पड़ती हैं लेकिन उसका असर दूर तक होता है। आप इस तरह की चीजें जिस तरह से चाहें कर लें लेकिन आइंदा जमाना बतलायेगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं वह एक गलत तरीके से कदम उठा रहे हैं और इस गलत कदम से आप हमको ही नहीं बल्कि अपने को भी तबाही के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये तमाम चीजें इस किस्म की हैं। इसके बाद दफा १० में आपने हर किस्म की सेविंग करने की कोशिश की है और उस सेविंग रखने के बाद आपने उस ऐक्ट को रिपील फरमाया है। जब आर्डिनेंस आप रिपील करने जा रहे हैं और आर्डिनेंस रिपील हो जाने के बाद यह कानून हो जायगा तो यह मुनासिब और ज्यादा सही मौका है कि आप इस स्टेज पर इस कानून की जितनी खामियां हैं उनको दूर करें, अगर वाकई आप इसकी जरूरत समझते हैं। हालांकि मैं इस कानून की कोई जरूरत नहीं समझता, लेकिन जब यह कानून बन रहा है तो यह निहायत जरूरी है कि इस कानून की तमाम खामियां आप दूर करें और इसको इस तरह का बनावें कि कोई गलत इस्तेमाल उसका न हो सके, लोगों को बिला वजह तकलीफ न हो सके और जो आपका मकसद है वह मकसद भी आपका पूरा हो जाय। इस स्प्रिट (मनोभावना) के साथ आप इस कानून को लायें तो हर मेम्बर इस भवन का आपके साथ इश्तेराक करने को तैयार होगा लेकिन अगर मौजूदा सूरत में ही इसको पास किया जाता है तो मैं समझता हूँ

[श्री अम्मार अहमद खां]

कि आप अपनी तरफ से इसकी हमनवाई जरूर करा लें लेकिन हम लोग जिनका फर्ज है कि आपको सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करें, आपको सही तरीके की बातें बतलायें, कौन-कौन खामियां हैं उसे आपको बतलायें आपकी हमनवाई नहीं कर सकते। मैं इन चन्द अल्फाज के साथ जनाब वजीर साहब से अर्ज करूँगा कि वह ओपिन हार्टेडली (खुले हृदय से) इस क्रिटिसिज्म को वेलकम करें और जो जो खामियां हैं उनको पूरा फरमायें।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जनता के हित और खेती के हित के सम्बन्ध में यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो यह आश्चर्य की बात है। हमारे विरोधी पक्ष के श्री अम्मार अहमद साहब ने इस विधेयक के बारे में अपनी आपत्ति करते हुए ऐसी बातें कही हैं जिनको सुनकर केवल आश्चर्य होता है। मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि अभी भी हमारे इस प्रान्त में कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो जमीन पर क्या पानी पर भी पूर्ण अधिकार जमाये रखना चाहते हैं और आश्चर्य नहीं अगर हवा के सम्बन्ध में कोई कानून आये कि जनता खुली सांस ले, किसी प्रकार की रोक उस पर न रखी जाय तो शायद हमारा विरोध करने वाले, उधर बैठने वाले लोग वैसे विधेयक का भी विरोध करेंगे और खुली हवा में सांस लेना भी दूभर कर देंगे। जल एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना मनुष्य रह नहीं सकता, कोई प्राणी जीवित रह नहीं सकता, जिसके बिना खेत में अन्न पैदा नहीं हो सकता और अन्न के बिना प्राणी की रक्षा नहीं हो सकती। आज अन्न के लिये हम कितने दुःखी हैं, किस प्रकार से अन्न के लिये हमें दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। सिर्फ अन्न के संकट के कारण जनता में एक निराशा और एक बेचैनी है यह हमसे छिपा नहीं है। हमको तमाम उपायों से अन्न की पैदावार बढ़ाना है और उन सब बातों पर विचार करते हुए, पिछली बर्षाकाल में वर्षा की कमी के कारण, खेतों की सिंचाई न हो सकने के कारण यहां जो संकट का सामना जनता को करना पड़ा, उसके लिये सरकार की तरफ से आर्डिनेंस जारी किया गया और यही आर्डिनेंस जब इस विधेयक की शक्ल में इस भवन के सामने रखा गया तो उसका विरोध किया जा रहा है। श्रीमान् मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पानी तो एक ऐसी चीज है जिसकी प्रत्येक को आवश्यकता पड़ती है। उसके उपयोग करने का अधिकार तो हर एक को होना चाहिये और मौजूदा हालत में कहीं भी जल इकट्ठा हो, उसे उपयोग में लाने का हर किसान को पूर्ण अधिकार होना चाहिये। तालाब हो, कुआं हो, या जलाशय हो उसका पानी तो पूर्णरूप से प्रकृति प्रदत्त वस्तु है, नेचर ने उसे दिया है, उसका उपयोग होना चाहिये। जो अन्न कि उस पानी से होता है वह उसके काम ही नहीं आता बल्कि उससे देश की संपत्ति बढ़ती है, सभी लोग उससे लाभ उठाते हैं, उस अन्न का उपयोग सबके लिये होता है। किसान अन्न पैदा करता है केवल अपने लिये ही नहीं बल्कि इस अन्न पर प्रत्येक प्राणी का जीवन निर्भर करता है। चाहे वह जमींदार हो या पूंजीपति हो उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता अन्न की है। इसलिये इस विधेयक का हर एक को पूर्णरूप से स्वागत करना चाहिये और हर एक सदस्य से यही आशा भी होनी चाहिये, परन्तु उधर से इसका विरोध हुआ और संभव है कि उधर के बैठने वाले तमाम सज्जन इस चीज का विरोध करने की सोचते हों। कहा यह गया कि जो कम्युनिज्म बुरी चीज है, जिसको गवर्नमेंट भी बुरा समझती है यह उसी कम्यूनिज्म की तरफ बढ़ने का एक इशारा है, यह ऐसा कानून है जो कम्युनिज्म की ओर संकेत करता है। मेरा तो यह विचार है कि कोई कानून जिससे जनता की भलाई होती हो, कानून जिससे जनता को उचित अधिकार दिये जाते हों, अगर स्वीकार किया जाता है और उससे प्रत्येक वर्ग

के लोगों का कल्याण होता है और अगर इस तरह से करने को कम्युनिज़्म का आरोप लगाया जाता है तो इसके लिये मैं कहूँगा कि इस प्रकार के कम्युनिज़्म को स्वीकार करना चाहिये जिससे जनता का हित होता हो। इस कानून के विरोध करने से यही लगता है कि विरोधी पार्टी के लोग ऐसा पूंजीपति युग चाहते हैं जिसमें जमीन और पानी पर भी सार्वजनिक अधिकार न हो। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जमींदार साहबान का तो यह फर्ज था कि जितने भी कुयें, तालाब और जलाशय थे उनको किसानों के लिये खुला छोड़ देते और अधिक से अधिक कुयें और तालाब बना कर आबपाशी को बढ़ाते लेकिन आज इसके मुताल्लिक एक कानून जब कि सरकार की ओर से बनाया जा रहा है कि कुयें वगैरह जितने आबपाशी के साधन हैं अगर पानी के लिये किसी को जरूरत हो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी किसान को उनमें से सिंचाई करने का अधिकार दे सकता है, और कोई भी आदमी उसकी इजाजत से सिंचाई कर सकता है, तो इसका उधर से विरोध किया जा रहा है। मैं एक जहनियत की बात कहना चाहता हूँ कि इसका विरोध करने में कौन सी जहनियत काम कर रही है, कौन सा दिमाग काम कर रहा है जो इस प्रकार का विरोध किया जा रहा है ऐसे कानून का जो कि जनता और सब लोगों के हित का कानून है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि इस कानून में हर प्रकार से विचार किया गया है और जिसके अधिकार में वह जलाशय है उसका भी विचार इसमें रखा गया है। साफ कहा गया है कि जिसके अधिकार में उक्त जलस्रोत या जलाशय है उसकी खेतीबारी पर कोई अनिष्ट प्रभाव न पड़ेगा तब दूसरे को अधिकार दिया जायगा। तो जब जिसका अधिकार है उसकी खेतीबारी का लिहाज किया गया है और उसके बाद दूसरे व्यक्ति का खयाल किया गया है तब कोई आपत्ति कदापि न होनी चाहिये। और मछली वगैरह के बारे में भी विचार रखा गया है कि अगर पानी के कम हो जाने की वजह से मछली वगैरह का कोई नुकसान होता हो तो उसका भी विचार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कर लेगा। श्री अम्मार अहमद साहब अपना सर हिला रहे हैं लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि वे धारा ३ फिर से पढ़ लें जिसमें यह साफ लिखा हुआ है और यह भी कि यदि उक्त अनुज्ञा दी गयी तो उससे उस व्यक्ति की जिसके अधिकार में उक्त जलस्रोत या जलाशय है, खेतीबारी पर कोई अनिष्ट प्रभाव न पड़ेगा, तो उसे अधिकार होगा कि उक्त प्रार्थना-पत्र में दी हुई प्रार्थना को दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में ही स्वीकृत कर ले। तो पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्वयं इस पर विचार कर लेगा और उसे पहले मौका देगा कि वह अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे। लेकिन यह एतराज किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक्स पार्टी आर्डर कर देगा जोकि न होना चाहिये। मैं तो यह कहूँगा कि फसल के लिये सभी जानते हैं कि जब पानी की जरूरत हो तो फौरन ही पानी मिलना चाहिये क्योंकि उसके सूख जाने पर पानी बेकार हो जायेगा। "का वर्षा जब कृषि सुखाने"। कृषि के सूख जाने पर, फसल के सूख जाने पर पानी मिला तो क्या और न मिला तो क्या? इसलिये आज्ञा फौरन हो इसकी व्यवस्था की गई है। और अगर कहीं नोटिस जारी किया जाय, सम्मन भेजा जाय और उसके बाद जिसके अधिकार में वह जलाशय हो, वह आवे फिर वह एतराज पेश करे, एतराज के ऊपर बहस हो, और तब कहीं जाकर आज्ञा दी जाय तो इसमें काफी समय लग सकता है और इस तरह से फसल के बरबाद हो जाने का पूरा अन्देशा होगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कानून तो स्थायी होना चाहिये, हमेशा के लिये होना चाहिये क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि अक्सर जलाशयों में, कुवों में, तालाबों में और रिज़र्वायर्स में पानी रहता है लेकिन जिनके अधिकार में वह रहता है वे अनावश्यक रूप से पानी को पड़े रहने देते हैं और दूसरे किसानों को पानी नहीं लेने देते हैं। अगर लेने भी देते हैं तो नाजायज तौर पर, गलत तौर पर पानी की भी कीमत लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में यह कानून स्थायी होना चाहिये क्योंकि पानी जमा रहता है, पानी लेने में दिक्कतें

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

पैदा होती हैं और उन दिक्कतों की वजह से फसल की पैदावार कम होती है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि पानी प्राण है, पानी से अन्न होता है और अन्न ही से जीव बनता है, प्राणिमात्र की सृष्टि होती है इसलिये इस विधेयक का हमें स्वागत करना चाहिये। जो एतराजात किये गये हैं वे निर्मूल हैं और किसी प्रकार की कोई आपत्ति इसमें न होनी चाहिये। जहां तक फसलों के सींचे जाने का और ऐसी जरूरतों का सवाल है, पानी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध न होना चाहिये बल्कि इसको और वसीय बनाना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि भवन इसे स्वीकार करेगा।

श्रीमती इनाम हबीबुल्ला--जनाबवाला, मैं इस वक्त तकरीर करने वाली नहीं थी लेकिन जब मैं यहां आयी तो जो तकरीरें मैंने सुनीं उनको सुनने के बाद मुझे यह जरूर खयाल हुआ कि मैं भी अपने खयालात का इजहार आपके सामने कर दूं। यह बिल जो इस वक्त पेश है, वाकई जैसा कि सुल्तान आलम साहब ने कहा कि देखने में तो यह बहुत मामूली-सा बिल है लेकिन इसका असर बहुत जहरीला होगा। जिस वक्त मैं सोचती हूँ इस बिल के ऊपर तो मुझे खयाल आता है कि उधर की बेंचों पर बैठने वाले इधर वालों से जबर्दस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से यह आर्डिनेंस का खयाल पैदा हुआ। इन बेंचेज की तरफ से अच्छी भी बातें कही जाती हैं तो वे समझते हैं कि जरूर उसका इख्तलाफ किया जाय और उसकी मुखालिफत में जो कुछ हो सके कहा जाय। यह तो अजीब बात है अगर किसी ने अपना रुपया खर्च किया है तो उसने वह अपनी जरूरियात के लिये किया है और अगर कोई चीज बनवाई है तो उसने अपनी जरूरियात के लिये बनवाई है। तो उस पर आप जाकर जबरदस्ती कब्जा कर लें। इस आर्डिनेंस के जरिये से तय कर लिया जाय कि इससे दूसरे लोग भी फायदा उठायेंगे। तो यह तो एक बेइन्साफी की बात है। आपको तो पहले गांव में लोगों को एजुकेटेड (शिक्षित) करना चाहिये कि दूसरे लोगों की चीज से कैसे फायदा उठाया जा सकता है। आप अगर इस कदर इन बातों पर आ गये हैं कि इस तरह की बात सोचते हैं और दिन-रात तोते की तरह दरों चे शक रटा करते हैं तो आप उनकी पहले जहनियत तब्दील कीजिये। मैं आपसे यह कहती हूँ कि यह तो कोई इज्जत की बात नहीं है। पानी ऐसी चीज है कि जिससे हर एक शख्स को फायदा उठाना चाहिये। अगर किसी तालाब की बात है तो वह पानी भी जरूरत को पूरा करने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन अगर वह अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद उसके पास बचता है तब उसका इस्तेमाल दूसरों के लिये हो सकता है। हम सबको इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि उसका इस्तेमाल दूसरों के लिये भी हो। लेकिन आपको देहात के लोगों के अन्दर पहले तो इस तरह की आदत पैदा करनी चाहिये ताकि वह समझ कर काम करें और उससे किसी तरह का झगड़ा पैदा न हो न कि आर्डिनेंस के जरिये से। अगर कोई आदमी कुआं बनाता है तो वह अपनी जरूरत के लिये बनाता है और अपने खेत के लिये बनाता है और वह अपने खेतों में पानी सींचता है और अगर आप इस तरह से जबरदस्ती उसके कुयें से पानी लेने का अख्तियार देंगे तो उसको पानी नहीं मिल सकेगा जिसने कुआं बनाया है। इसका नतीजा यह होगा कि उसकी खेती बरबाद हो जायगी। इस तरह से यह भी हो सकता है कि आपस में मुखालफत पैदा हो जाय तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचेगा। इसलिये मैं आपसे यह कहती हूँ कि आपको तो पहले जहनियत पैदा करने की जरूरत है।

एकदम दुनिया में कोई काम नहीं हुआ करता। अगर इस तरह से गवर्नमेंट आर्डिनेंस निकालती है तो उसको चाहिये कि वह सब के लिये मुफ्त में कुयें बनवा दे। मैं यह नहीं कहती

कि इस तरह से गवर्नमेंट अपने पास से रुपया देकर बनवाये। कुछ अपने पास से रुपया खर्च करे और कुछ उन लोगों से लिया जाय जिनको पानी लेने की जरूरत हो, मगर गवर्नमेंट तो अपनी जेब से खर्च करना नहीं चाहती और दूसरे आदमी जो कुआं या तालाब बनवायें उनकी हर चीज में से हिस्सा लगवाने के लिये तैयार है। आप इस तरह से आर्डिनेंस के जरिये से लेना चाहते हैं जो कम्युनिस्ट हैं वे छीन कर लेना चाहते हैं तो इसमें क्या फर्क हुआ। आप भी उसी तरह से हर एक चीज में हिस्सा लेने के लिये तैयार हैं। अभी तक तो यह था कि किसी काम में आप कोई इस तरह का कदम उठाते डरते थे लेकिन अब आपने इस तरह से दूसरों की चीजों पर दांत लगाना शुरू कर दिया है और आप कहते हैं कि वह चीज ली जा सकती है और दूसरे लोग उससे फायदा उठा सकते हैं। यह मैं समझती हूं कि कोई इन्साफ की बात नहीं है और न यह उसूल की बात है। आपको किसी उसूल पर चलना चाहिये और जो उसूल आपने खुद बनाये हैं आप उन पर भी चलना नहीं चाहते हैं। जो चीज दूसरे की है उस पर आपको क्या अख्तियार हो सकता है। जिसने अपने लिये कुयें बनाये हैं उन पर आपको कब्जा करने का क्या अख्तियार हो सकता है। एक आदमी उससे फायदा उठाये और दूसरे को नुकसान पहुंचे यह तो कोई उसूली बात नहीं हुई।

मुझे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बड़ी हमदर्दी है। उन लोगों को अपने जिले का ख्याल करना पड़ता है और उनको जिले का काम चलाने के लिये ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अब तो आप उनसे १० गुना लगान वसूल कराने का काम भी लेते हैं और यह पानी का काम भी उनको सुपुर्द किया जा रहा है। आप नहीं जानते कि इसका नतीजा क्या होता है कि जब इतना काम आप एक आदमी के पास रख देते हैं तो उसको दूसरा काम करने की फुरसत नहीं मिलती। अगर कोई आदमी दरख्वास्त देता है तो वर्षों उसके लिये गुजर जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। आप तलाश कराइये तो दरख्वास्त का पता नहीं चलता है। आप मुद्दत तक अदालत का दरवाजा खड़खड़ाते रहिये लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इस तरह से लोग मुसीबत में गिरफ्तार हैं कि उनकी किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं होती है। तो अगर इतनी इतनी चीजों पर अगर ऐसा किया जायगा कि अगर किसी ने दरख्वास्त दे दी कि पानी दिला दिया जाय तो रुपया लगाने वाले ने चाहे जितना रुपया लगाया हो लेकिन उसको तबाह करके दूसरे को पानी दे दिया जायगा। इस तरह से आप एक को खत्म करके दूसरे को बना रहे हैं। यह चीज मुनासिब नहीं मालूम होती। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिये कि जिससे सब फायदा उठा सकें और किसी का नुकसान न हो। इसलिये मैं वजीर साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वह उसको वापस ले लें।

श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी—जनाबे सदर, इस बिल पर बहुत सी तकरीरें हो चुकीं लेकिन बावजूद इसके अभी इस बात की जरूरत महसूस होती है कि कुछ और अर्ज किया जाय। न मालूम ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ रही है या कोई स्टेट आफ एमर्जेंसी (संकट काल) पैदा हो गई है कि एक मार्शल ला की सूरत में हुक्म जारी कर दिया गया। अगर गौर से दफात को देखा जाय तो उसमें एक बड़ी फरागदिली की बुनियाद कायम की जाती है और अगर इस किस्म की चीज मंजूर की जाती है तो उसके साफ मानी यह हो जाते हैं कि अब किसी की कोई प्रापर्टी बाकी नहीं रह सकती। यह जमींदार और काश्तकार का सवाल हरगिज नहीं है और काश्तकार और जमींदार का सवाल तो अब खत्म हो चुका है और इसलिये बार-बार उसी को हर चीज में लाना या अदा करना किसी तरह से भी दुरुस्त या मुनासिब नहीं है बल्कि यह तो हकीकतन तमाम काश्तकारों की ही हकतलफी है। अगर किसी ने अपनी जरूरत के वास्ते खुद खर्च कर के कोई पानी का जखीरा जमा किया या कुआं बनवाया जिससे वह अपनी पैदावार को बढ़ा सके या समझ लीजिये कि कोई रिजरवायर या कोई आबपाशी का जरिया मुहैया किया सिर्फ इसलिये कि व

[श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी]

वक्त पर पानी इस्तेमाल कर सके और फर्ज कीजिये कि किसी उसके मुखालिफ ने कलेक्टर साहब के यहां उसको परेशान करने के लिये एक दरख्वास्त दे दी कि पानी दिलवा दिया जाय और कलेक्टर ने भी बगैर किसी तहकीकात के कि आया उसका इस पानी के देने से कोई नुकसान तो न होगा इजाजत दे दी और उसको खुद अपनी जरूरत के वक्त पानी न मिल सका तो यह कहां तक एक जायज और मुनासिब चीज होगी। फर्ज कर लीजिये कि किसी के पास १०० बीघा जमीन है और उसने उस १०० बीघा खेती के लिये ही अपनी जरूरत भर को पानी का जखीरा किया है और एक दूसरा शख्स है कि जिसने पेशबन्दी नहीं की और जो इतना होशियार नहीं है कि पहले से अपना कोई रिजरवायर या कुआं बनवा सके, उसने एक दरख्वास्त दे दी कि उसको पानी दिलवा दिया जाय और कलेक्टर साहब ने इजाजत दे दी कि पानी उसे दे दिया जाय। तो ऐसी हालत में जिसके पास पानी ज्यादा नहीं था और कुल उसके सौ बीघा के लिये ही काफी था, उसको उससे महरूम कर देना कहां तक इंसाफ और सही बात होगी।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

सन् १९५० ई० का शिक्षा विधेयक

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० के शिक्षा विधेयक की प्रवर समिति की रिपोर्ट उपस्थित करने की मियाद में जो १२ जनवरी को समाप्त होती थी, पांच दिन की वृद्धि कर दी जाय और वह १६ जनवरी कर दी जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के शिक्षा विधेयक की प्रवर समिति की रिपोर्ट उपस्थित करने की मियाद जो १२ जनवरी को समाप्त होती थी उसमें पांच दिन की वृद्धि कर दी जाय और वह १६ जनवरी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० के शिक्षा विधेयक की प्रवर समिति में जिसका निर्वाचन ११ अगस्त, सन् १९५० ई० को विधान सभा की बैठक में हुआ था, श्री दीनदयालु शास्त्री के स्थान पर श्री दीनदयालु शर्मा का नाम रख दिया जाय। इसका मतलब यह है कि मैंने उस दिन प्रस्ताव किया था कि श्री दीनदयालु शास्त्री चुने जायं, लेकिन किसी गलती से श्रीमान् के दफ्तर से या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम से आया वह श्री दीनदयालु शर्मा का नाम आ गया। कुछ भी गलती हो, मुझे अफसोस है कि शास्त्री जी यहां हैं नहीं, उनसे मांफी मांग लेता। लेकिन इसका तरीका यही हो सकता है कि सदन इसको मंजूर करले कि शास्त्री जी की जगह शर्मा जी का नाम रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष—मैं भवन की सूचना के लिये इतना कह देना चाहता हूं कि जिन लेखक की गलती से दूसरे सज्जन को कष्ट दिया गया उन्हें उचित दंड भी दे दिया गया है। अतः मैं भवन के सामने प्रश्न उपस्थित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के शिक्षा विधेयक की प्रवर समिति में जिसका निर्वाचन ११ अगस्त, सन् १९५० ई० को विधान सभा की बैठक में हुआ था श्री दीनदयालु शास्त्री के स्थान पर श्री दीनदयालु शर्मा का नाम रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५० ई० के शिक्षा विधेयक की प्रवर समिति की रिपोर्ट मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४२ पर)

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक

उपाध्यक्ष--अब कार्यक्रम के क्रम ८, माननीय निर्माण मंत्री के प्रस्ताव पर कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय, श्री उबैदुर्रहमान खां भाषण दे रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी--हुजूरवाला, मैं यह जरूरी समझता हूं कि अर्ज कर दूं कि हम लोगों का मतलब जो कि इस बिल के ऊपर अपने खयालात का इजहार कर रहे हैं हर्गिज नहीं है कि कोई बात हम ऐसी कहना चाहते हैं जिससे पैदावार को नुकसान पहुंचे या जो फायदा ख्याल में है और जो पेशे नजर है इस बिल से, उससे महरूम किया जाय, इस वास्ते कि यह हमारी भी ख्वाहिश है कि पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो, जो खेत बोये जायं उनमें पानी पहुंचे और वे सरसब्ज हों और किसी तरह से भी पैदावार को नुकसान न हो। लिहाजा यह न समझ लेना चाहिये कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं कि पानी अगर जायद है या दूसरे उससे फायदा उठा सकते हैं तो हम उसे किसी तरह भी महरूम करना चाहते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यह है कि जिस शक्ल में यह बिल पेश किया गया है वह किसी तरह से मुनासिब और मौजूं नहीं है। पहले यह एक आर्डिनेंस बनाया गया था और आज चूंकि आर्डिनेंस की मियाद खत्म हो रही है, लिहाजा यह बिल इस भवन के सामने लाया गया है।

इस ऐवान के अन्दर इसकी मंजूरी, जिस तरह से यह बिल पेश हुआ है उसी तरह दे दी गई, तो इसका मकसद यह होगा कि इसकी हर दफा से और इसके हर लफ्ज से इस ऐवान के तमाम मेम्बरों को इत्तिफाक है। लिहाजा यह हमारा फर्ज है कि जो इसमें खराबियां हैं उन्हें इस ऐवान के सामने पेश कर दें। इस गरज से हम लोग अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब यह बिल एक खास मुद्दत के लिये बनाया गया था तो अब जब कि वह हालात नहीं रहे, क्योंकि खुदा के फजल से बारिश होकर पानी की कमी खत्म हो गई है, तो इसकी क्या जरूरत है। इस कानून के अन्दर बहुत सी खामियां हैं जैसा कि मेरे पेशेरौ ने कहा।

एक बात इस बिल में यह भी मिलती है कि जहां इसमें सजा की मियाद मुकर्रर है, यानी तीन महीने, तो उसके साथ में जुरमाने की कोई हद नहीं है। इसके मानी यह हैं कि अफसर चाहे जितनी सजा जुरमाने की दे दे। ऐसा भी हो सकता है कि चाहे जितनी सजा दे दे और दोनों दे दे--कैद की भी और जुरमाने की भी। तमाम कानूनों के अन्दर यह चीज मौजूद है कि जहां कैद की मियाद मुकर्रर की जाती है वहां जुरमाने की तादाद मुकर्रर की जाया करती है, लेकिन जनाबवाला, इसके अन्दर लिखा है कि

"which may extend to 3 months or with fine or with both."

(वह तीन मास तक के कारावास या अर्थ-दंड या दोनों दंडों का भागी होगा।)

लेकिन यहां फाइन के लिये कोई कैद नहीं लगाई गई है। इसके अन्दर सबसे बड़ा नुक्स यह है कि बगैर किसी किस्म की तहकीकात के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक्स-पारटी हुकुम दे देगा। पहले यह तय कर लेना चाहिये कि जिसका पानी है उसके तो खेत नहीं सूख जायेंगे, आया उसकी खुद की जरूरत पूरी हो जाती है या नहीं। अगर उसके खुद के खेत सूख जायेंगे, तो दूसरे खेतों में हुकमन पानी दे देना कहां तक ठीक है? इससे आपस में दुश्मनी बढ़ेगी यकीनन एक किस्म की अदावत हो जायगी। उसके

[श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी]

अलावा एक बात यह है कि दफा १० के अन्दर यह इजाजत नहीं है कि उसकी कोई आगे कार्यवाही भी हो सके। इसके अन्दर लिखा है कि--

"No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted agianst any person for anything ..."

(किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक व्यवहार न प्रस्तुत किया जा सकेगा)

इस कदर इसको आम कर दिया गया है कि कोई कुछ करता रहे लेकिन किसी किस्म का मुकद्दमा उसपर नहीं होगा। वह कोई दादोफरियाद भी नहीं कर सकेगा। अगर किसी को नुकसान पहुंच गया है तो उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कानूनन यह हक हासिल होना चाहिये कि वह उसकी चाराजोई कर सके। यहां दफा १० के यह मानी होते हैं कि वह कोई अपनी दादरसी भी नहीं कर सकता। एक लफ्ज उसके बाद बढ़ा दिया गया है "which is in good faith" (सद्भाव से की गई) अगर वह कहीं चाराजोई करे तो उसको मौका है कि वह यह साबित करे कि जो कुछ भी हुआ है वह मेरे खिलाफ बदनीयती से हुआ है। सिर्फ एक लफ्ज बढ़ा देने के बाद आपने हर किस्म की चाराजोई से महरूम कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी सख्तियां करने की क्या हाजत पेश आई।

इस कानून से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अख्तियार है कि वह जिस शख्स को भी चाहे इसके अमलदरामद के लिये मुकर्रर कर दे। यह कोई कायदा नहीं रखा गया है और न कोई कैद ही लगाई गयी है कि वह अफसर किस हैसियत का होगा। यह बिल उस अफसर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद करता है। हो सकता है कि पटवारी को यह अख्तियार दे दिये जायं। अगर पटवारी को यह अख्तियार दे दिये गये तो क्या इमकान है कि वह उनका सही इस्तेमाल करेगा? पिछला तजुर्बा इस बात की शहादत देता है कि जब कभी भी उन लोगों को अख्तियारात मिले उन्होंने उनको सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया है। इस ऐवान के अन्दर मुताद्दिद बार इसकी शिकायत हो चुकी है। हर कानून का यह तरीका है कि इतने से कम अख्तियार वाले को इसका अमलदरामद करने का अख्तियार नहीं होगा। इसमें अगर हुजूरवाला दफा ७ का मुलाहिजा फरमायेंगे तो यह मालूम होगा कि जो मैं अर्ज कर रहा हूं वह सही है--

"The District Magistrate may from time to time declare by order in writing, the officers by whom and the local limits within which, all or any of the powers or duties conferred or imposed on him by this Act may be exercised or performed."

(डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि लिखित आज्ञा द्वारा समय-समय पर इस बात का प्रख्यापन करता रहे कि किन-किन अधिकारियों द्वारा और किन स्थानिक सीमाओं (लोकल लिमिट्स) के भीतर इस अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकार या अधिकारों का प्रयोग अथवा लगाये गये कर्त्तव्य या कर्त्तव्यों का पालन किया जा सकेगा।)

दूसरी बात हुजूरवाला यह मुलाहिजा फरमायें कि इसमें यह अल्फाज रक्खे गये हैं, "फ्राम टाइम टू टाइम" जब इसकी मियाद सिर्फ तीन महीने की रक्खी गयी है तो फिर "फ्राम टाइम टू टाइम" के क्या माने हैं। इसके माने यह हैं कि यह कानून हमेशा जारी रहेगा और जब जरूरत होगी तब इसकी तौसीय कर दी जायगी और उस वक्त यह अल्फाज काम आयेंगे। यहां अव्वल तो कोई कैद नहीं लगाई गयी है और दूसरे वक्त भी उसके अख्तियार में छोड़ दिया गया है, इससे यह ख्याल होता है कि हो सकता है कि जब यह मुद्दत खत्म होने लगे तो फिर इसकी तौसीय कर दी जाय।

ऐसी हालत में ऐसे कानून का, जिसके गलत इस्तेमाल होने का इतना एहतमाल हो और जिसकी दफात इतनी सख्त हो, नाफिज रहना और इस ऐवान से पास हो जाना कहां तक दुरुस्त हो सकता है। मैं यह समझता हूं कि यह हर मेम्बर का फर्ज है कि वह इन तमाम बातों की तरफ तवज्जह करे और अगर हकीकतन ऐसे कानून की जरूरत है तो ऐसा कानून पास करे और इसके अख्तियारात ऐसे लोगों को दे जो सही तौर पर उनका इस्तेमाल कर सकें ताकि किसी को नुकसान पहुंचने का अन्देशा न रहे। यों तो हर कानून में पहुंचने का अन्देशा रहता है लेकिन अगर नुकसान पहुंचने के मवाके कम से कम रहें तो ज्यादा बेहतर होगा।

इसके बाद आप दफा ३ के सब–क्लाज (३) के तीसरे हिस्से का मुलाहिजा फरमायें। उसमें यह रक्खा गया है :

"for any incidental and supplementary matters, which the District Magistrate thinks necessary."

(ऐसे प्रासंगिक और अनुपूरक विषय जिनकी व्यवस्था करना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आवश्यक प्रतीत हो।)

अब यह अख्तियार कितना वसीय हो गया है। सिर्फ उन्हीं चीजों पर महदूद नहीं रहा है जिनकी तारीफ कर दी गयी है और जिनको बता दिया गया है "फार वाटर रेट टु बि पेड (दिया जानेवाला जल–कर) और फिर दूसरी चीज जो है वह है 'for the construction of watercourses" (जल मार्गों के निर्माण के लिये)। इन चीजों पर मखसूस नहीं है बल्कि और अख्तियारात दिये गये हैं जिनका वह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी दफा ३ के सब–क्लाज २ (१) में एक और अजीब गरीब बात रक्खी गयी है। इसमें यह है :—

'for water-rate to be paid to the person in possession by the applican for the use of the water and the period during which it may be used ;"

(प्रार्थी द्वारा उस व्यक्ति को, जिसके अधिकार में प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित जलस्रोत या जलाशय हों, पानी के उपयोग के लिये दिया जाने वाला जल–कर और पानी का प्रार्थी द्वारा उपयोग में लाने की अवधि,)

वाटर रेट कोई नहीं मुकर्रर किया जा रहा है। वाटर रेट वह जब चाहेंगे मुकर्रर कर देंगे और जितना चाहेंगे उतना मुकर्रर कर देंगे। यह अख्तियार बहुत ही अजीब व गरीब है। हमारे दोस्त मौर्य साहब ने बहुत ही हैरत के साथ यह फरमाया कि वह लोग पानी बेचते हैं। जहां तक हम लोगों को इल्म है कुदरती पानी के अलावा जो भी पानी मुहैया करता है वह महसूल लेता है, मसलन नहर के पानी पर महसूल है, ट्यूबवेल के पानी पर महसूल है। अगर कोई रिजरवायर या कुआं बनवा करके जिनको पानी देता है उनसे महसूल वसूल करता है तो इसमें कौन सी नयी बात है। अगर यह उसूल एक दफा यहां तस्लीम कर लिया जाय कि जिस शख्स को पानी दिया जायगा, उससे महसूल नहीं लिया जायगा, तो बेशक मौर्य साहब का यह कहना सही हो सकता है कि जो पानी की कीमत लेते हैं वह बड़ा जुल्म करते हैं। जो चीज इस तरह साफ है उसके लिये अपनी दलील में यह कहना कि लोग पानी बेचते हैं कहां तक दुरुस्त हो सकता है। मैं किसी जुर्म करने वाले की वकालत करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। लेकिन जो जुर्म करें उन्हें सजा दी जाय, बिला वजह किसी को सजा देना कहां तक मुनासिब है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि क्या सूरत होगी पानी की और किस एतबार से पहले किसको दिया जायगा, दूसरा प्रिफरेंस (वरीयत) किसको दिया जायगा। जिस वक्त जी चाहा, जिस किसी को चाहा दे दिया चाहे दूसरे का नुकसान होता रहे और जिस तरह पर चाहे दे दिया, इन तमाम चीजों पर

[श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी]

आप अच्छी तरह से नजर डालें और इस वजह से मैंने आपके सामने हर नुक्स को जो मेरी समझ में आता था वह पेश कर दिया। मैं समझता हूं कि अगर कानून बनना जरूरी है तो उसकी इस्लाह होनी चाहिये, इस शक्ल में जिसमें कि यह पेश हो रहा है वह मुनासिब नहीं है। मुमकिन है वजीर साहब अपनी तकरीर में इरशाद फरमायें कि थोड़ी [illegible] के वास्ते है, इसमें रेशादवानी और दर्दसरी की क्या जरूरत है? लेकिन मैं अर्ज करूंगा निहायत अदब के साथ कि जब कानून साज मजलिस से तमाम सूबे के वास्ते कानून बनाये तो उसके तमाम पहलुओं पर नजर करनी चाहिये जो मुफीद हों और उनको हज्फ कर देना चाहिये जो उसमें मुजिर हों। अगर पहला कानून बड़ी जल्दी में और शिद्दत में बन गया था तो इस बिल में भी क्या उन्हीं अल्फाज की नक्ल की जाय? अगर किसी सूबे के खास हिस्से में इस किस्म की जरूरत पेश आई थी तो उसको महदूद किया जा सकता था। क्या जरूरत थी कि सारे सूबे के लिये बनाया जाय? अगर सारे सूबे के लिये हमेशा के लिये कोई कानून बनता है तो उसके लिये एक कमेटी बनानी चाहिये थी ताकि वह उन तमाम चीजों पर गौर करने के बाद कानून का मसविदा पेश करती, जिसका नतीजा यह होता कि उस कमेटी से जो कानून यहां इस ऐवान में आता उस पर इस ऐवान को उसके हर लफ्ज, हर दफा और हर दफा के टुकड़ों के ऊपर बहस करने का मौका मिलता और उनकी खराबियों पर जाने की जरूरत नहीं होती। इसलिये कि यह काम कमेटी का है लिहाजा इतने बड़े अहम कानून को जो एक नई चीज है उसको एक कमेटी के सुपुर्द कर देना चाहिये। अगर आपको ज्यादा जल्दी थी तो यह कह दिया जाता कि १२ दिन के अन्दर इसका मसविदा कमेटी तैयार कर दे। यह हुआ है कि एक-एक दिन में कमेटी ने तैयार कर दिया है, मगर एक नाकिस चीज को पेश करना और उसमें इस ऐवान की मंजूरी हासिल करना यह किसी हालत में मुनासिब नहीं है।

इन अल्फाज के साथ मैं वजीर साहब से आपकी वसातत से अर्ज करूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है मेहरबानी करके ठंडे दिल से उसपर गौर फरमायें और यह न समझें कि मैं उनके रास्ते में रोड़े अटका रहा हूं और मुखालिफत की गरज से मुखालिफत करता हूं। यकीन मानिये, अगर हम इसको मुफीद बनाना चाहते हैं और उन बेचारे लोगों को नुकसानात से महफूज रखना चाहते हैं जिनको बिला वजह इससे नुकसान पहुंचने का पूरा अहतमाल ह तो मेरी राय पर गौर कीजिये।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सरकार की तरफ से भवन के सामने पेश है उसका मैं स्वागत करता हूं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि मुखालिफ बेंचों के मेम्बरान इस बिल से क्यों परेशान हो रहे हैं। कुछ मेम्बरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और हमारे लायक दोस्त मौर्य जी ने उनको एक तसल्ली बख्श जवाब दिया। मैंने समझा कि उनकी परेशानियों में कुछ कमी हो जायेगी लेकिन वह मालूम होता है और भी ज्यादा बढ़ गयीं। मौर्य जी ने कहा कि उन्हें आश्चर्य होता है कि एक ऐसा बिल जिसके जरिये गल्ले के सम्बन्ध में एक बड़ी अहम समस्या जो आज हमारे सामने पेश है उसको हल किया जा रहा हो और लोगों को परेशानी हो। उनको इस बात का आश्चर्य हुआ। लेकिन मुझे अब कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि जिन बातों से खेती करने वालों को फायदा होता है उसी से इन तमाम मुखालिफ बेंच के मेम्बरान को परेशानी होती है। परेशानी किस बात की होती है? मैं जो कुछ समझता हूं, मेरे ख्याल में तो यह आता है कि सामने इस वक्त खाली चुनाव की बातें चक्कर मार रही हैं और जब देखते हैं कि सूबे में और खास तौर से हमारे देश में किसानों की तादाद ७५ और ८० फीसदी तक है, जब समझा जाता है कि खेती करने वालों के काम करना चाहते हैं तो स्वभावतः यह ख्याल पैदा होता है कि यह ८० फीसदी आदमी हमेशा सरकार के साथ चलेंगे। इसके अलावा और कोई बात नजर नहीं

आनी। तो मुझे यह निवेदन करना है कि यह ख्याल बहुत गंदा ख्याल है। हर घड़ी दिमाग के सामने इसी चीज को रखना यह बिलकुल ठीक नहीं है। कहा गया कि कहां ऐसा आदमी होगा जो आबपाशी के लिये पानी को रोकेगा। जब किसान चाहते हैं उनके लिये रास्ता खुला रहता है, पानी ले सकते हैं। फिर कानून बनाने की क्या जरूरत है। मैं समझता हूं कि अगर यह बात सही है कि कोई भी ऐसा शख्स हमारे देश में नहीं है जो तालाब, पोखरों और जलाशयों को आबपाशी के लिये रोके तो फिर कौन ऐसा आदमी होगा कहां ऐसा खेती करने वाला किसान होगा जो अदालत में जायगा। जब उसको पानी मरजी के मुताबिक आबपाशी करने के लिये मिल जायगा तो खामखा कौन दरख्वास्त देने जायगा। लेकिन बात यह है नहीं। रोकने वाले तमाम लोग मौजूद हैं। मैं एक ऐसे स्थान का रहने वाला हूं जो गल्ले की पैदावार में कमी का स्थान है। एक डेफिसिट एरिया है जो गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया आदि नामों से मशहूर है। अभी जो आखिर में सूखा पड़ा, सितम्बर और अक्तूबर तक और आजतक पानी नहीं बरसा, जिसकी वजह से किसानों की फसल धान की करीब-करीब रुपये में चौदह आने बरबाद हो गयी और रबी की फसल के लिये भी एक मुसीबत पैदा हो गयी। बिला खेतों के सींचे हुये रबी की बुवाई मुश्किल हो गयी। ऐसी हालत में भी मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे लोग निकले जिन्होंने अपने जलाशयों को रोका। कहीं पर मछली पालने का बहाना, कहीं पर किसी चीज का बहाना और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो यह बात कही जाती है कि कौन रोकेगा उस का मतलब यह है कि जो किसान उस पानी की लालच से बेगार करता रहा, हुक्म का पालन करता रहा उस को तो शायद इजाजत मिल जाय। लेकिन जरा भी अगर कोई हुक्म की तामील में गड़बड़ी हुई तो सबसे पहले किसान का पानी रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि खबरदार जाकर कह दो कि तालाब के किनारे अगर वह जायगा तो ठीक नहीं होगा। उसने हमारी बेगार नहीं की, हमारे हुक्म को नहीं माना। एक मुसीबत रहती है। किसी किसी को जरूर पानी लेने की इजाजत मिल जाती है लेकिन उन्हीं को जो दिन रात उनके गुलाम बने रहते हैं और जायज और नाजायज हुक्म को मानते रहते हैं तो उनको हुक्म मिल जाता है।

ऐसी हालत में मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि इन चार साल की मुद्दत में हमने जमींदारी खत्म कर दी है। इस दरमियान क्या मुसीबतें हुई यह जमींदार साहबान अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने सैकड़ों तालाबों, पोखरों और जलाशयों को नीलाम बोलकर काश्तकारों को बहकाकर और फुसलाकर और उनसे बड़ी-बड़ी रकमें नजराने में लेकर खेतों को बनाने के लिये उठा दिया। मेरा ख्याल तो यह है कि ७५ फीसदी तालाब, पोखरों और जलाशयों को उन्होंने नजराना लेकर खेत बनाने के लिये दे दिये और उनकी रसीदें काट दीं।

एक सदस्य--ग्रो मोर फूड के लिये।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--ग्रो मोर फूड का तो एक बहाना करते हैं। इस ग्रो मोर फूड का जो मकसद है वह यह नहीं है कि सिंचाई के काम आने वाले तालाबों और पोखरों के खेत बना दिये जायं यानी जिसकी वजह से २५ एकड़ खेतों की सिंचाई होती है वहां कुल एक एकड़ का ही खेत बने। इसका मतलब हमारे लायक दोस्त यह लगाते हैं यानी अर्थ का अनर्थ करते हैं। मैं अपने दोस्तों के लिये नहीं कहता कि उनकी बुद्धि तामसी है लेकिन मतलब यह है कि ग्रो मोर फूड का जो कानून बनाया है और जो सरकार ने स्कीम जारी की है उसका मतलब आपने यह लगाया कि जितने आबपाशी के जराये हैं उनको खेत बना दिया जाय और अपनी पाकिट को नजराने से गरम किया जाय।

हमारे पहले बोलने वाले महाशय कहते हैं कि सजा भी गजब की रखी गई है। जेलखाने की सजा तीन महीने की रखी गई है और जुरमाने की सजा तो कुछ नहीं रखी गयी। अरे भाई मैजिस्ट्रेट या हाकिम कोई ऐसा गंवार थोड़े ही होगा कि वह इतनी

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

भी समझ न रखेगा कि कितना जुरमाना करना चाहिये। अगर मोटा असामी होगा तो ज्यादा जुरमाना करेगा और रुपये वाला नहीं होगा तो थोड़ा कम होगा।

इन सब बातों का लिहाज रखते हुये मैं तो हमेशा इन मुखालिफ बेंचों के भाइयों से यही कहना मुनासिब समझता रहा हूं और कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं कि यह अपने दिमाग को ठीक क्यों नहीं कर लेते। आखिर इन किसानों के साथ ही तो इनको रहना है। क्या किसान नहीं जानते कि इनके क्या कारनामे हैं। अभी भी मौका था कि यह अपने रवैये को बदलते। जब सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज आती है तो इनको समझना चाहिये कि किन बातों का विरोध करना है और किनका नहीं करना है। बिल पास हो जायगा और हमारे भाई किसान सुनेंगे कि यह हमारे मेम्बरान यह बड़े बड़े साहबान असेम्बली में इस बात का विरोध करते हैं कि सरकार के यहां दरख्वास्त करके सिंचाई के लिये पानी ले सकें तो वह क्या कहेंगे, और क्या सोचेंगे और क्या समझेंगे। एक तरफ तो किसानों की हिमायत करना और यह कहना कि यह सरकार जो कुछ भी करती है वह किसानों के नुकसान के लिये करती है और दूसरी तरफ जब सरकार किसानों के हित के लिये कोई चीज पेश करती है तो मुखालिफत करना कि यह अजीब चीज है। तो मैं फिर अपने दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस चीज का विरोध अब न करें। आप खुशी से इस बात को मान लें जिससे खुशहाली हो और जो गल्ले की समस्या हमारे सूबे की सरकार के और हम सब के सामने है वह दूर हो।

पोखरा और तालाब ऐसी चीजें हैं जिसके लिये हमें बताने की जरूरत नहीं। लोग खुद जानते हैं कि एक आदमी जो पोखरा और तालाब खुदवाता है अपने पैसे से या अपनी मेहनत से खुदवाता है तो यह रस्म उसे पूरी करनी होती है कि मैं इसे सार्वजनिक काम के लिये समर्पण करता हूं और एक प्रतिज्ञा होती है कि अब यह हमारे अकेले का नहीं रहेगा बल्कि सबके लिये मैं इसको अर्पण करता हूं और अगर में इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो इसके लिये बड़ा अपराधी हूंगा।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--इसीलिये तो वीरेन्द्र शाह जी ने इसकी मुखालिफत नहीं की।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी-- वे तो धार्मिक आदमी हैं कैसे मुखालिफत करते।

श्री वीरेन्द्र शाह--क्या आप कृपा करके यह बतलायेंगे कि यह रस्म कहां पर चलती है।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--यह चीज आप कहिये कि रस्म नहीं होती लेकिन यह प्रतिज्ञा होती है कि यह सार्वजनिक चीज है और इससे आगे भी और चीजों पर भी होता है। हमारे यहां बाग खुदवाने पर यही रिवाज है या फल देनेवाली वस्तुयें है वह भी सार्वजनिक उपयोग के लिये मानी जाती थीं और वह बेंची नही जाती थीं लेकिन जब से अंग्रेजी राज्य में जमींदार साहबान और ताल्लुकेदार साहबान का दबदबा हमारे देश में कायम हुआ तब से ही यह मुसीबत आई और तब से हमारे देश का किसान तबाह हो गया और आज हमारे सामने यह हालत है कि हम दूसरे मुल्कों से खाना मंगवावें और दूसरे मुल्क हमें गल्ला दें। भगवान बुद्धि दे और यह उनकी समझ में आवे कि जिसमें हम लोग आगे चल कर खुशहाल हों और ऐसी चीजों का विरोध न हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी प्रार्थना सुनने के बाद हमारे मुखालिफ बेंचेज के कोई मेम्बर इस बात का विरोध न करेंगे इन शब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री साजिद हुसैन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक नई बात यह मालूम हुई कि बुद्धि का काइटेरियन (कसौटी) क्या है और वह यह है कि सजा की हद न बांधना। सजा जो दी जाय उसकी तादाद मुकर्रर न की जाय यह बुद्धि का क्राइटेरियन है। यह नई बात मालूम हुई। हम लोग जब तक जिन्दा हैं रोज नई बातें सुनते हैं, यह भी बात सुन ली।

अब यह बात देखिये कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसके मुताल्लिक यह कहना है कि सरकार का रवैया अब एक आदत की शक्ल में आ रहा है। वह यह कि पहले एक आर्डिनेन्स आता है, उसके बाद एक टेम्पोरेरी बिल आता है और उसके बाद एक एक्सटेंशन (समय वृद्धि) बिल आता है। यह तीन स्टेजेज हैं ताकि पब्लिक को इत्मीनान हो कि यह एक वक्ती बिल है। पहले आर्डिनेन्स हो गया क्योंकि जरूरत थी, फिर टेम्पोरेरी बिल आ गया, लेगलाइज (वैध) करने के लिये ताकि उससे किसी को एतराज न हो। उसके बाद उसका ऐक्सटेंशन हो गया यह कह कर कि इनप्रिन्सिपिल्स को तो हाउस मान ही चुका है, लिहाजा दो-चार महीने का एक्सटेंशन हो जाय। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी मेड ईजी प्रजातन्त्र का सरल रूप। अपने एक घरेलू तरीके से आप डेमोक्रेसी चला रहे हैं। इस सिलसिले में अगर कोई बात नुकायस के सिलसिले में कही जाती है तो (अशुद्धियों) उन डिफेक्ट्स पर गौर किया जाय। यह जिस तरह से हेपहजर्ड मैनर में कानून रखा जाता है। अगर उस पर एतराज किया जाता है तो कहा जाता है कि यह तो वक्ती है, इस पर जोर न दिया जाय। सवाल उसूल का है। अगर उसूल का सवाल उठाया जाता है तो ट्रेजरी बेंचेज से कुछ लोग खड़े हो गये और बजाय इसके कि उन एतराजात का जवाब दें, दुनिया भर के मोटिव्स, दुनिया भर की हिस्ट्रीज और तारीखें बयान करने लगते हैं। यह कौन सा तरीका है? कानून को हम ठीक बनाने के लिये बैठे हैं न कि सिर्फ वक्त काटने के लिये और १० रुपये रोजाना पैदा करने के लिये। टी० ए०, डी० ए० के लिये नहीं बैठे हैं बल्कि जो कानून हमारे सामने आये उसके नुकायस दूर करने की जरूरत है तो दूर कर दें। अगर पास करने की ही जरूरत नहीं है तो रिजेक्ट कर दें।

सबसे बड़ा सवाल इसमें यह आता है जो मुझे स्ट्राइक हुआ और जिसके मुताल्लिक मैंने माननीय मिनिस्टर आफ कम्युनिकेशंस से अर्ज किया। मगर उन्होंने उस पर तवज्जह नहीं की। वह सवाल यह था कि किसी के कंपाउंड के अन्दर कोई कुआं है तो वह तो ऐसी चीज है जो किसी के घर के अन्दर हुई और कोई एक्सेप्शन (अपवाद) ऐसा नहीं है कि वह कुआं भी उससे खारिज किया जाय। घर की औरतें अन्दर नंगी नहा रही हैं और लोग घुसे चले आ रहे हैं कि हमें तो खेत सींचना है। यह कहां की आजादी है, कहां की जनरोसिटी है, कौन सी फैयाजी है? मेरी समझ में तो यह चीज आती नहीं। यह तसलीम करता हूं कि जहां तक पैदावार का ताल्लुक है बिलकुल सही है। हमको पूरी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिये। अब रही यह बात कि अगर प्राइवेट प्रापर्टी है तो उसका मुआविजा मिलना चाहिये तो गवर्नमेंट जिस बिना पर कैनाल का मुआविजा लेती है उसी तरह से किसी के घर में या किसी किसान या जमींदार के खेत में तलैया या कुआं है वह किसी दूसरे को मुफ्त नहीं सींचने देता यानी अगर वह कोई मुआविजा चाहता है तो उसको भी मुआविजा मिलना चाहिये। यह क्या कि उसका जमींदार होना लाजमी है। ऐसी बात कही जाय जो हर चीज पर एप्लाई हो सके। लोग यह भी कोशिश नहीं करते समझने की कि हम क्या कह रहे हैं, उसमें सेन्स भी है या नहीं, किस तरह की क्या बात उड़ा रहे हैं। यह बात काश्तकार के लिये भी एप्लाई कर सकती है, जमींदार के लिये भी एप्लाई कर सकती है और गवर्नमेंट के लिये भी एप्लाई कर सकती है। अगर पानी का मुआविजा गवर्नमेंट न ले, लखनऊ में जो पाइप्स लगे हुए हैं उनसे जो पानी पीने को मिलता है, उसका टैक्स माफ कर दे, नहरों के पानी का टैक्स माफ कर दे तो दूसरों से भी मतालबा करें कि वे भी कुछ न लें। लेकिन जब एक उसूल खुद गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया और पानी के दाम वह लेती है तो अगर दूसरे लेते हैं तो क्या हर्ज है? अगर पानी की जरूरत है तो पानी दीजिये मगर उसके यह मानी नहीं हैं कि घर के अन्दर नाजायज तरीके से घुस कर पानी लीजिये। अब यह कह देना कि यह तो वक्ती है, इस पर ज्यादा जोर न दिया जाय एक अजीब सी बात है। हमारे सामने तो इस वक्त एक उसूल की बात है, अगर इस वक्त हम इस उसूल को मंजूर कर लेते हैं तो आयन्दा के लिये यह तो एक गलत बात हो जायगी। अगर प्राइवेट हाउसेज में कोई इस तरह की चीज हो तो उसको तो इससे मुस्तस्ना करना चाहिये। अगर किसी काश्तकार के ही घर में कोई कुआं है तो क्या त्रिपाठी जी उसके घर में जाकर पानी लेंगे? क्या इस चीज को उनकी गैरत एलाऊ करेगी? क्या ऐसी

[श्री साजिद हुसैन]

कोई सूरत इस बिल के अन्दर है ? अगर नहीं है तो हमें यह चाहिये कि उसको इस बिल में रखें। जब हम कोई कानून बनाते हैं तो हमें उसे हर तरह से कंपलीट बनाना चाहिये । मान लीजिये किसी की किसी से अदावत है और वह उसको ऐक्सप्लाइट (शोषण) करना चाहे, अगर वह इन अख्तियारात का मिसयूज़ करना चाहे तो उसके इस ऐक्सप्लाइटेशन को रोकने के लिये इसमें कौन-सी दफा है। यह नहीं होना चाहिये कि यहां से जल्दी में हम कोई चीज पास कर दें। बिलकुल आप तो यहां ग्रेट मुगल बन कर बैठ जायं, यह कौनसा तरीका है ?

हमारी सरकार का यह रवैया होता चला जाता है कि किसी बात को सुनना नहीं चाहती है, किसी की कोई बात बरदाश्त नहीं कर सकती है फिर वह डेमोक्रेसी चलाने के लिये यहां क्यों बैठी है ? वह क्यों नहीं डिक्टेटरशिप (एकसत्तावाद) का ऐलान कर देती ? जब तक वह इसका दावा करती रहेगी तब तक उसको ये बातें प्वाइंट आउट की जाती रहेंगी, ये कड़वी कड़वी गोलियां को उसके मुंह में रखा जायगा चाहे वह इन्हें उगल ही क्यों न दें। यह मेरे घर का मामला तो है नहीं, यह तो एक पब्लिक का काम है, पब्लिक का काम तो करना ही पड़ेगा, उनको जरा ठीक तरीके से काम करना चाहिये न कि इस तरह से मखौल उड़ाना। मेरा कल का एक खत 'पायोनियर' में छपा है उसमें मैंने दिखाया है कि जानवरों के सिलसिले में किस तौर से बंगलिंग की गई है गोया कि यह बताने की भी जरूरत है कि जानवर कौन है ? जानवर तो वह है ही उसको बयान करने की क्या जरूरत है। इस तरह के कानून बनाने में हर एक की बदनामी है। जब कोई ऐसा कानून हमारे भवन से बन कर निकलेगा तो उसमें गवर्नमेंट और अपोजीशन दोनों की बदनामी है सबकी उसके लिये जिम्मेदारी है, लेकिन जब हम कोई नुकायस पेश करते हैं तो हमारे मोटिव्स को खराब बताया जाता है। मान लीजिये जमींदार बुरे हैं मगर यह देखना चाहिये कि उनकी सलाह भी बुरी है या नहीं ? रावण ने भी जो सही बात कही उसको भी क्वोट किया जाता है तो अगर हम भी कोई विज़डम (समझ) की बात कहते हैं तो उसको आपको तस्लीम करना चाहिये। अगर आप हमको बुरा समझते हैं तो समझा कीजिये, लेकिन आप देखिये और अपने दिमाग को जुम्बिश दीजिये और अल्फाज को क्रिटिसाइज कीजिये। मैं भी इस बात पर तवज्जह नहीं करता कि ट्रेजरी बेंचेज की ओर से कोई शख्स क्या कह रहा है, बस इस बात का ख्याल करता हूं कि सेंस (उपयुक्त) कह रहा है या नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस चीज को सेलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेज दिया जाता। हमारे यहां से जो चीज निकलती है उसको कम्पलीट होना चाहिये चाहे वह एक दिन में थ्रेश आउट ठीक बनाना हो या १० दिन में, इसकी हमें कोई परवाह नहीं होनी चाहिये। मैं किसी चीज को भी इससे आगे ले जाने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री ई० एम० फिलिप्स—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं इस बात को कि जो तरीका इस ऐक्ट में रखा गया है उस तरीके से बिलकुल इत्तिफाक नहीं करता, इस वजह से मैं खड़ा हुआ हूं। गो इस बात को मैं महसूस करता हूं कि जहां तक हो सके पानी मुहय्या किया जाय और जहां तक हो सके इमदाद पानी की दी जाय। मैं यह सोचता था कि ये बुजुर्ग जो मेरे सामने बीच में बोल कर मुखील हो रहे हैं अपने तजुर्बे से यह दिखलायेंगे कि इस तरह से मेरे बाल धूप में नहीं सफेद हुए हैं। मगर मुझे सुन कर ताज्जुब हुआ जब इन्होंने उसका समर्थन करते हुए उसमें इतना भी नहीं कहा कि किस जगह पर क्या चीज दुरुस्त हो जाने की जरूरत है। मैं ठंडे दिल से इस बात को इनके सामने और आपके जरिये सारी सरकारी पार्टी के सामने रखना चाहता हूं कि जिस तरीके से यह ऐक्ट बनाया गया है कि बिना किसी मुस्तसनियात के यह चीज सामने आयी है तो इसे कम्युनिस्ट विचार से मिलाया जाय तो कहां तक मुआफिक है और कहां तक गैरमुआफिक है। कल को एक ऐसा ऐक्ट लाकर किसी चीज के ऊपर भी लागू किया जा सकता है तो बहुत ठीक है क्योंकि आज अगर पानी के मुताल्लिक ऐसा ऐक्ट आ सकता है और इस तरीके से बिना मुस्तसनियात के आ सकता है तो कल को गालिबन दूसरी बातें जो कम्युनिज्म के दरमियान जायज हैं वे भी आ सकती हैं। मुझे ऐसा इत्तफाक हुआ जब कि मैं

जर्मनी से रशिया के किनारे पहुंचा तो वहां पर मैंने यह सुना, मुझे तो सुन कर डर हुआ और मुझे यकीन नहीं हुआ कि रूस में ऐसी बातें हो सकती हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं वहां गया था, लेकिन जब मैंने स्टडी किया तो लोग कहते थे कि रूस में ऐसा सवाल उठा है कि बीबी में दूसरा कोई भी हिस्सा रख सकता है कि नहीं रख सकता है ? आपने इस ऐक्ट में ऐसी चीजें रखी हैं जिसमें तोड़ मरोड़ कर आप जो जी में आवे कर सकते हैं।

मैं इस चीज का समर्थन करता हूं कि पानी मुहय्या करना जरूरी है और इस बात की भी जरूरत है कि उसका इन्तजाम किया जाय। लेकिन इससे बेहतर तरीका होगा अगर यह ऐक्ट यह इजाजत दे कि गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अख्तियार दे कि वह नोटिफिकेशन के जरिये फलां फलां जगह के लिये पानी के लिये निगोसिएशन के जरिये इन्तजाम करे। अगर निगोसिएशन के जरिये इस बात का अख्तियार हो तो उसके मालिक को जायज तरीके से कम्पैनसेशन दिया जाता तो यह चीज बहुत सुन्दर हो सकती थी। और जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट निगोसिएशन के लिये बुलावेगा तो फिर कौन नहीं निगोसिएशन करना चाहेगा ? अगर इस तरह से काम किया जाता तो मैं समझता हूं कि इस तरह से बात की बात रहती और काम का काम हो जाता। मैं यह बतला सकता हूं कि क़ानूने कुदरत में भी मुस्तसनियात हैं जनाबेबन्दा, मगर इस ऐक्ट में तो यह एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई खड़े होकर बतलावे कि क़ानूने कुदरत में मुस्तसनियात नहीं हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको दिखला सकता हूं। किस तरह से किसी को ७ बच्चे पैदा होते हैं, किसी को तीन बच्चे पैदा होते हैं, किसी को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ? यानी उसमें भी मुस्तसनियात हैं लेकिन इस ऐक्ट में कहीं यह चीज प्रोवाइड नहीं की गयी है इसलिये कि इस वक्त जिस चीज को भी आप चाहें अपनी मेजारिटी के जोर पर पास कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमारे लायक दोस्तों ने कहा। तो फिर ठंडे दिल से आपको यह गौर करना चाहिये था कि आया ऐसी दिक्कतें भी मुमकिन हो सकती हैं कि इससे दूसरे के हक का एक्सप्लायटेशन किया जाय। इससे जमींदार भी परेशान हो सकते हैं और काश्तकार भी परेशान हो सकते हैं। मालूम होता है कि जमींदारों को परेशान करने के लिये ही यह कानून बनाया गया है। जब यह हो सकता है तो जमींदार भी काश्तकार को परेशान कर सकता है। तो इसके लिये इसमें कोई मुस्तसनियात नहीं है।

मैं यह कहता हूं कि आपको यह गलतफहमी नहीं होना चाहिये बल्कि यह बात सही है कि गवर्नमेंट का यह ख्याल कि वह पानी मिले और हर तरीके से मिले यह बिलकुल जायज है लेकिन यह तरीका जो अख्तियार किया गया है यह जरूर ऐसा है कि जिसमें ठंडे दिल से सोचकर इसमें कदम उठाने की जरूरत है और इसके अन्दर इस तरह की तरमीम करने की जरूरत है कि जिससे सहूलियत पैदा हो। मैं इन तजावीज को नहीं जानता लेकिन इसमें कुछ तरमीमें जरूर सामने आ रही हैं मगर मैं गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इसके मुताल्लिक कुछ कायदे जरूर बना दिये जायं और उन कायदों का इस तरीके से लगाव रखा जाय ताकि किसी तरीके से ज्यादती न हो सके जिसकी वजह से कि ऐसा अन्देशा है कि वह हो सकती है। उन कायदों के बन जाने से जो अन्देशा है वह दूर हो जायगा। वरना गवर्नमेंट बदनाम होगी। मैं तो आपके सामने सिर्फ सुझाव ही रख सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेंट बदनाम हो। मैं चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट भी उसी तरीके की समझी जाय जैसी कि इंगलैंड में है। तो गवर्नमेंट को इस तरह से कायदे बनाने चाहिये कि जिससे किसी को परेशानी न हो और वह उसको निभा सके। तो जितना हिस्सा मुझे खटकता है उसकी मैं मुखालफत करता हूं और आपकी उस तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि इसको दुरुस्त करने की जरूरत है।

श्री वीरेन्द्र शाह--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से इस भवन में जो बिल इर्रीगेशन के बारे में पेश है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि सरकार को अब ऐसा बिल यहां पेश करने की जरूरत नहीं मालूम होती। क्योंकि पानी का इन्तजाम जो हमारी सरकार करना चाहती है और जिस तरह से वह करना चाहती थी और वह हो रहा है वह तो हम लोगों को मालूम है लेकिन भगवान् की कृपा से जो अभी पानी

[श्री वीरेन्द्र शाह]

बरस गया है इसकी वजह से जो शंका थी वह बहुत दूर हो जानी चाहिये और अब ऐसे बिल के पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। फिर भी अगर सरकार ने यह बिल पेश किया है तो उसको इस तरीके से रखना था कि जिससे किसी को आपत्ति न होती। जिस तरीके से इस बिल को रखा गया है वह बहुत ही अन्यायपूर्ण है कि किसी की चीज पर कब्जा चाहे वह किसी जमींदार की हो या किसी काश्तकार की हो, तो मैं यह कहूंगा कि यह उसूल गलत है। हमारे देश में अन्न पैदा करने के लिये जिस तरीके से जितना भी कोई परिश्रम कर सकता है उतना उसको करना चाहिये। सिंचाई के मुताल्लिक मैं यह साफ बतलाना चाहता हूं कि सरकार का जो रवैया है और जिस तरीके से पानी नहरों में आज दिया जाता है वहां पर दिक्कत यह हो रही है कि जो मौजूदा सरकार का स्टाफ है वह पूरे पानी के देने का इन्तजाम नहीं कर पाता। मैं बुंदेलखंड की बात जानता हूं कि अगर वहां पर यह पानी न बरसा होता तो सरकार को मालूम हो जाता कि किस तरह से वहां पर पानी मिलता है। अगर किसी तरह से किसी आदमी ने पानी का इन्तजाम कर रखा है और वह अपने फार्म के लिये पानी का इन्तजाम करता है और उसकी सिंचाई करता है तो उसके लिये तो बड़ी मुश्किल हो जायगी कि जब उसको अपना पानी दूसरों को देना पड़ेगा। आपने इसमें यह तो नहीं रखा है कि जब वह अपनी जरूरत को पूरा कर ले तब दूसरों को पानी देवे। या जिस काम के लिये उसने कुआं बनाया है जब तक उसका काम न हो तो वह दूसरों को पानी कैसे दे सकता है। बगैर उसके जानकारी के अगर आप इस कानून के अन्दर ऐसा इन्तजाम करते कि जब वह अपना काम कर चुके तब दूसरों को पानी देवे और तब उस पानी का इस्तेमाल हो तब तो कोई उज्र की बात नहीं है। उससे पूरा सहयोग लिया जाना और उससे मिलकर काम ऐसा होना चाहिये लेकिन जिलाधीश को अधिकार देना कि वह जिस को चाहे पटवारी को या पतरौल को मुकर्रर करे और वह जो चाहें करें और अगर उनका हुक्म कोई न मानें तो उनको सजा हो और जुरमाना भी देना पड़े, तो यह बातें ऐसी हैं कि जिससे लोगों के दिल में शंका होती है और लोगों को भय होता है।

मेरी समझ में इससे कोई फायदा न होगा और किसी को ज्यादा पानी इन तरीकों से नहीं मिल सकेगा जब तक कि आप ऐसे तरीके अख्तियार नहीं करते हैं कि जिनके अख्तियार करने से आप को कामयाबी हासिल हो सकती है। जैसा कि मेरे मित्र ने अभी कहा कि आप जिलाधीश से कहते कि वह ऐसे लोगों की एक कांफ्रेंस बुलाते और उनसे कोआपरेट करके, उनसे मशविरा कर के मुनासिब तरीके से अपना काम निकालने की कोशिश करते तो आशा की जा सकती थी कि आपको वह लोग जितना पानी उनके पास ज्यादा होता जरूर देते और इसके अलावा आप अपनी गांव पंचायतों के जरिये से यह काम करा सकते थे लेकिन यहां तो सब काम सजा के डर से और हुक्म से और जुरमाने से करने की कोशिश की जाती है। मैं आप से कहता हूं कि इन तरीकों से दुनिया का काम नहीं चला करता जैसे कि हमारे त्रिपाठी जी ने कह डाला कि जब लोग कुयें बनवाते हैं तो वह सौगन्ध खाते हैं कि वह जनता के लिये बना रहे हैं। इस तरह से आप की इन बातों ही से लोगों को भय होता है कि आप सब चीजें पब्लिक की इसी तरह से बना देंगे। अगर कोई आदमी अपने फार्म के लिये कुआं बनवाता है और अगर सरकार या पब्लिक इसी तरीके से कुछ दिन उससे काम ले फिर तो वह पब्लिक वैल (कुआं) आप के कहने के मुताबिक हो ही जायगा। तो इन बातों से काम नहीं चलता और आमख्वाह लोगों के दिल में एक शंका और भय पैदा होता है। त्रिपाठी जी को शंका है कि वह चाहते हैं कि पूरब के जिलों के कुओं को इसी तरह से हड़प जायं और चाहते हैं कि इसी तरीके से उन पर भी कब्जा करें कि जिस तरह से जमींदारी पर कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि, जैसा कि मेरे दूसरे मित्रों ने अभी भवन के सामने अपनी बातें रखीं इसकी कोई जरूरत नहीं है और अब तो पानी भगवान ने दे दिया है और अगर सरकार को इंतजाम ही करना है तो वह इन संशोधनों को मान ले जो दिये गये हैं लेकिन अगर सरकार मैजारिटी की पावर (बहुमत की शक्ति) से इसको पास कराना चाहती है तो मुझे विश्वास है कि नहीं हो सकती है। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह मैं सोचने लगा कि मैं इस वक्त कुछ कहूं या न कहूं और वह इसलिये कि जिन साहबान ने कुछ इरशाद फरमाया था वह तो यहां से चले गये, एक-दो साहब बाकी हैं उनकी एक-दो बात का जवाब दे दूंगा, मगर उनके तशरीफ ले जाने से मैं यह समझा कि महज उनको कुछ कहना मकसूद था और न उनको जवाब सुनना मकसूद था, न किसी सही नतीजे पर पहुंचना मकसूद था और न यही मकसूद था कि बिल को पास होने से रोका जाय और वोट ही मुखालफत में दिया जाय और मालूम यह होता है कि कोई वाकई इसकी मुखालफत में नहीं है। तकरीरें होती रहीं, मैं सोचता रहा कि इस बिल में क्या ऐसी बात है कि जिसकी वजह से तकरीरों पर तकरीरें मुखालिफत में हो रही हैं लेकिन खैर अभी मेरे दोस्त राजा साहब ने अपनी तकरीर में उसका उकदा खोल दिया। उन्होंने फर्माया कि जमींदारी बिल में कुयें छोड़े गये हैं और अब इस तरीके से वे लिये जा रहे हैं, इसलिये इसके मुखालिफ हैं। मैं उन्हें यकीन दिलाऊं कि इस कानून के जरिये से जो कुयें किसी को दिये गये उनको लिया नहीं जा रहा है और किसी का भी कोई कुआं नहीं लिया जा रहा है।

हमारे फिलिप्स साहब ने यह फर्माया कि यह एक कम्यूनिस्ट तरीका है जो बहुत ही शर्मनाक है। उनको इस बात से इत्तिफाक है कि अगर किसी को पानी की जरूरत हो तो उसको पानी जरूर दिया जाय। यह नहीं मालूम कि उन्हें इससे भी इत्तिफाक है या नहीं कि अगर मेरे पास पानी है और वह पानी मेरी जरूरत से भी ज्यादा है और फिलिप्स साहब को जरूरत है पानी की और मैं अपने पास बावजूद ज्यादा होने के फिलिप्स साहब को नहीं देता तो फिलिप्स साहब यह मशिविरा देंगे या नहीं, क्या राय है उनकी मैं नहीं जानता, उन्होंने अपनी तकरीर में भी इस राय का इजहार नहीं फर्माया कि उस वक्त किसी तरीके से मुझको मजबूर किया जाय कि नहीं, कि तुम पानी दो और इस जरूरत को पूरा करो। फिलिप्स साहब की कुछ राय हो और मेरे दोस्तों की जो सामने बैठे हुये हैं कुछ राय हो, लेकिन मैं यह यकीन दिलाता हूं कि दुनिया की यह राय है, चाहे वह दुनिया कम्यूनिस्ट हो या कम्यूनिस्ट न हो, इस जमाने की हो या इससे पहले की हो या आइन्दा आने वाली हो, उसकी हमेशा यह राय रहेगी कि अगर किसी को पानी की जरूरत है और किसी के पास पानी अपनी जरूरत से ज्यादा है तो जरूर उससे पानी लेकर उसको दे दो। इससे तो इन्कार हो नहीं सकता। इस कानून में क्या है? इस कानून में कलेक्टर को जो अख्तियार दिया गया कि वह यकतरफा फैसला पहले कर दे, लेकिन उसके ऊपर एक शर्त रक्खी गयी है, उसके एक्स पार्टी फैसला करने पर भी एक शर्त लगा दी गयी है जिसकी तरफ मेरे दोस्त ने तवज्जह नहीं फर्माया। उसमें यह लिखा है --

"Whenever the District Magistrate receives an application for permission to use the water of any tank, reservoir, well, water course or other collection of water for irrigation, and is satisfied that it is expedient to grant the application, and the grant of permission will not adversely affect the cultivation of the person in possession of the source of supply or storage of water, he may pass an exparte order . . . ."

(यदि कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को प्रार्थना-पत्र देकर उससे सिंचाई के लिए किसी तालाब (टैंक), जलाशय (रिजरवायर), कुआं (वेल), जलमार्ग (वाटरकोर्स) या पानी के अन्य समाहार (कलेक्शन) से पानी लेने की अनुज्ञा (परमिशन) मांगे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह सन्तोष हो जाय कि उक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकृत कर लेना उपपन्न (एक्सपीडिएंट) है और यह कि यदि उक्त अनुज्ञा दी गयी, तो उससे उस व्यक्ति की, जिसके अधिकार में उक्त जलस्रोत या जलाशय है, खेती-बारी पर कोई अनिष्ट प्रभाव न पड़ेगा, तो उसे अधिकार होगा कि वह उक्त प्रार्थना-पत्र में दी हुई प्रार्थना को दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में ही स्वीकृत कर ले . . . .)

उसे अपनी तबियत में यह इत्मिनान कर लेना है आर्डर देने से पहले कि जिसका पानी लेकर दे रहे हैं उस पानी वाले को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। यह उसके ऊपर वाजिब कर दिया गया है इस कानून की रू से। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि एक्स-पार्टी आर्डर देने का जो हक उसे दिया

[माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम]

गया वह तो इसलिये दिया गया है कि जिस वक्त पानी की कमी होती है उस वक्त बहुत कम ऐसा होता है कि किसी किस्म का इन्तजार किया जा सकता हो। आज कलेक्टर के यहां दरख्वास्त दी, पंद्रह दिन तक इन्तजार किया कि वह कुछ कार्रवाई करके और किसी की रजामन्दी और गैर-रजामन्दी का हिसाब देख कर दे तो इतनी देर में तो उसका खेत चौपट हो जायगा। तो उस वक्त क्या हो? मैं जानता नहीं, फिलिप्स साहब ही अपने दिमाग में सोचें और इस बात का फैसला करें कि अगर आगरे में उनकी कोठी के करीब कहीं खेत हो और वे अपनी आंख से देखें कि ३,४,५ रोज के अन्दर अगर उसको पानी नहीं मिलता है तो वह खेती बिलकुल चौपट हो जायगी तो क्या कीजियेगा? खराब होने दिया जाय? अगर यही फैसला वह दे दें तो मैं मान लूं, लेकिन अगर किसी के यहां ज्यादा पानी हो तो कोई इन्सानी हमदर्दी से देखेगा, मुल्क के फायदे के लिहाज से देखेगा, भाई-चारे के लिहाज से देखेगा तो उसका फैसला तो यही होगा कि भाई, ऐसे वक्त में जरूर उस आदमी की मदद कर देनी चाहिये और उसको पानी दे देना चाहिये। उसे पानी देने का अख्तियार कलेक्टर को दे दिया गया है। उसके लिये यह वाजिब कर दिया गया है कि वह उसको नोटिस देकर और सब कार्यवाही करके यह देखे कि आगे को पानी दिया जाय या नहीं। इसमें मेरी समझ में नहीं आया कि कम्यूनिज्म की क्या बात है, नाइंसाफी, ज्यादती या बेइमानी की क्या बात है।

एक बात यह भी सुनने में आई प्राइवेट वेल (कुंआ) की किस कदर फारफेचेड (खींचतान का) ख्याल है इस बात के अन्दर कि जिसको कोई सुननेवाला यह नहीं कह सकता है कि यह हो सकता है यह कहा गया है कि अगर किसी के घर में कुआं हो तो क्या उसके घर में घुस कर या उसके घर में नाली बनाकर दूसरे को पानी दिया जायगा? हां, अगर दुनिया में किसी किस्म के ऐबसर्ड मानी लगाये जाते हों तो मैं अर्ज करता हूं कि किसी कानून का बनना भी बजा नहीं हो सकता है। सबको आजादी हो जानी चाहिये कि भाई, कुछ भी करो, कोई कैद नहीं है। इंसान को अपने दिमाग से एक माकूल मानी लगाने चाहिये। जिस कुयें से आबपाशी हो सकती है उसीसे तो मकसद हो सकता है। वह कुआं नहीं हो सकता है जो लखनऊ के पुराने शहर में लोगों के पानी पीने के लिये हो। वहां उससे आबपाशी नहीं हो सकती। मैं नहीं समझ सकता कि जिस शख्स के पास पानी ज्यादा है उससे लेकर जिसको जरूरत है उसे क्यों नहीं दिया जाय।

एक कैद कलेक्टर के ऊपर यह है कि जब वह एक्स-पारटी आर्डर देता है तो इसमें लिखा है कि—

"Before making an order under section 3 regard shall be had to the diminution of water and the damage to fish . . . ."

(इसके पूर्व कि धारा ३ के अधीन आज्ञा दी जाय, यह भी देख लिया जायगा कि उक्त आज्ञा के कारण कहां तक पानी के कम हो जाने और मछलियों को हानि पहुंचने की सम्भावना है. . . .)

पानी के घटने-बढ़ने का लिहाज किया जाय कि कमी की वजह से नुकसान तो होनेवाला नहीं है, इस बात का भी उसे आर्डर करते वक्त लिहाज करना होगा। दूसरी दफा यह कहती है कि जिसका पानी है उसकी जरूरत का लिहाज जरूर किया जाय और उसकी जरूरत को बगैर नुकसान पहुंचाये हुये अगर पानी बचे तो दूसरे को दे दे, फिर उसमें लिखा है कि—

"No order passed under this Act shall remain in force after the expiry of three months from the date of issue"...

(इस अधिनियम के अधीन दी गयी कोई भी आज्ञा अपने निःसृत होने के दिनांक से तीन मास के बाद सप्रभाव नहीं रह जायगी . . . .)

मेरे दोस्त हबीबुर्रहमान साहब ने फरमाया कि वक्तन-फवक्तन जारी रहेगा, मगर वह नौबत आयेगी कब? इसके अन्दर लिखा है कि जो हुक्म इसके मातहत दिया जायगा वह ६ महीने से ज्यादा रह नहीं सकता। यह कानून ३० अप्रैल सन् ५१ तक खुदबखुद खत्म हो जायगा। इसको यहां लाकर रिपील करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो आर्डर्स इसके अन्दर जारी होंगे वे ६ महीने के अन्दर खुदबखुद खत्म हो जायेंगे। वे मुकामात, जिनका इस्तेमाल बतलाया जाता है उनका इसके अन्दर आने का इमकान नहीं है। एक मेरे दोस्त फरमाते लगे थे कि पानी की तरह मुकर्रर नहीं की। सोचने की बात है कि मैं नहर निकालूं या ट्यूबवेल बनवाऊं, उनकी शरह मुकर्रर करना मेरे लिये मुमकिन है। लेकिन किसी का कहीं कोई तालाब है, किसी का कहीं कोई कुआं है, किसी का कहीं कोई छोटा सा रिजरवायर है, इस तरह मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ सूरतों से पानी लिया जायगा, तो फिर इन हालात में कोई रेट मुकर्रर कर देना कहां तक ठीक हो सकता है। अगर यह कहा जाय कि आगरा में एक रेट मुकर्रर कर दिया जाय, लखनऊ में एक रेट मुकर्रर कर दिया जाय मेरठ में एक रेट मुकर्रर कर दिया जाय और सहारनपुर में एक रेट मुकर्रर कर दिया जाय, यह ठीक नहीं होगा। सिवाय इसके और कोई बेहतर तरीका नहीं होता कि जिसके जरिये पानी दिलाया जाय, उन्हीं को इसका जज मुकर्रर कर दिया कि किस को कितना मुआविजा दिलवाया जाय। अगर कोई नहर निकाली जाय, तो उसका एक मुतिकाफि रेट मुकर्रर हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि मैं एक लम्बी-चौड़ी तकरीर करूं क्योंकि यह एक मामूली सी बात है और खुलासा सब का यह है कि यह बिल अप्रैल में खत्म हो जायगा। आर्डिनेंस की सूरत में यह कानून तो पहले ही नाफिज हो चुका है लेकिन किसी साहब ने कोई ऐसा केस नहीं बयान किया कि फलां जगह इसकी अप्लीकेशन गलत हुई है, किसी के प्राइवेट वेल को नुकसान पहुंचा है। जब अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई है तो मैं नहीं समझता कि जब यह बिल सिर्फ अगले तीन [illegible] गा तो इस दौरान में क्या तबाही आ जायगी, जिसकी वजह से इसकी मुखालिफत हो रही है।

श्री ई० एम० फिलिप्स--आप की इजाजत से मैं एक करेक्शन (शुद्धि) करना चाहता हूं। मैंने यह अर्ज किया था कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को यह पावर्स दी जाती हैं तो उनसे निगोशिएशन (बातचीत) करके इसको खत्म किया जाय बजाय इसके कि इसको इसी तरह से खत्म कर दिया जाय।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--वह तो सारा मामला टाइम (समय) का है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २

२--इस अधिनियम में "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २ इस विधेयक का अंश मान ली जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ३

सिंचाई के लिये पानी के उपयोग की आज्ञा

३--(१) यदि कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को प्रार्थना-पत्र देकर उससे सिंचाई के लिये किसी तालाब (टैंक), जलाशय (रिजरवायर), कुआं (वेल), जलमार्ग (वाटरकोर्स) या पानी के अन्य समाहार (कलेक्शन) से पानी लेने की अनुज्ञा (परमिशन) मांगे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह सन्तोष

हो जाय कि उक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकृत कर लेना उपपन्न (एक्सपीडिएंट) है और यह भी कि यदि उक्त अनुज्ञा दी गयी तो उससे उस व्यक्ति की, जिसके अधिकार में उक्त जलस्रोत या जलाशय है, खेती बारी पर कोई अनिष्ट प्रभाव न पड़ेगा, तो उसे अधिकार होगा कि वह उक्त प्रार्थना-पत्र में दी हुई प्रार्थना को दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में ही स्वीकृत कर ले और यदि उसकी आज्ञा को कार्यान्वित करने के लिये किसी अन्य आज्ञा की भी आवश्यकता प्रतीत हो तो उक्त आज्ञा भी दे दे।

(२) पूर्वोक्त निदेश की व्याप्ति को बाधित न करते हुये, उक्त आज्ञा द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :

(१) प्रार्थी द्वारा उस व्यक्ति को, जिसके अधिकार में प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित जलस्रोत या जलाशय हों, पानी के उपयोग के लिये दिया जाने वाला जल-कर (वाटर-रेट) और पानी का प्रार्थी द्वारा उपयोग में लाने की अवधि,

(२) जलमार्गों का निर्माण और उनके निर्माण के व्यय की अदायगी, या ऐसे कार्य का, जिससे उक्त जलमार्ग में कोई रुकावट पड़ सकती हो, निषेध (प्रोहिबिटिंग), नियमन (रेस्ट्रिक्टिंग), या सम्पादन (ड्राइंग),

(३) ऐसे प्रासंगिक (इन्सिडेन्टल) और अनुपूरक (सप्लिमेंटरी) विषय जिनकी व्यवस्था करना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आवश्यक प्रतीत हो ।

श्री वीरेन्द्र शाह--श्रीमान् जी, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन भवन के सामने पेश करना चाहता हूं कि धारा ३(१) की तीसरी पंक्ति से शब्द "कुआं (वेल)" निकाल दिया जाय और शब्द "पानी के अन्य" और शब्द "समाहार" के बीच शब्द "प्राकृतिक" रख दिया जाय।

श्रीमन्, जब इस बिल के ऊपर जनरल डिस्कशन हो रहा था, उस वक्त मैंने कहा था कि अब पानी की उतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत समझ करके सरकार ने इस बिल को पेश किया है। मैं यह चाहता हूं कि प्राइवेट वेल्स को इस बिल से निकाल दिया जाय क्योंकि जिनके वह वेल्स हैं उनको ही वह वेल्स पानी नहीं पहुंचा पाते हैं। इस तरह उनको ले लेने में सिवाय इसके कि एक झंझट पैदा हो और कोई लाभ नहीं हो सकता है। अब इतनी जरूरत भी पानी की नहीं है जितनी कि सरकार पहले समझती थी। मैं समझता हूं कि प्राइवेट वेल सिर्फ इसलिये बनाया गया है कि अपने फार्म में अधिक से अधिक पानी पैदा करने को उसको मौका दिया जाय कि जिससे वह अपना ध्यान अपनी सिंचाई और निजी खेती में लगा सके और देश की अधिक अन्न उपजाओ योजना में मदद कर सके। मैं श्रीमान् के जरिये मंत्री महोदय से विनय करूंगा कि हमारे संशोधन को स्वीकार करें क्योंकि अब वह बात नहीं रही जिसको सोचकर सरकार इस बिल को लाई थी।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम-- मैं तो जनाब वाला, अभी अर्ज कर रहा था कि पानी तो जब लिया जायगा कि जब यह मालूम होगा कि उसकी जरूरत ज्यादा है। यह इसमें लिखा हुआ है, सारा कानून ही प्राइवेट चीजों पर लागू होता है, चाहे वेल हो, चाहे टैंक हो। अगर वेल को मुस्तसना किया जाय तो टैंक को क्यों नहीं मुस्तसना किया जाय? किसी का टैंक हो सकता है, किसी की बन्धी हो सकती है। जितनी चीजों के जरिये आबपाशी होती है अगर प्राइवेट हों तो हर एक के ऊपर वह बात आती है जो प्राइवेट वेल के

ऊपर आतो है। जिसका प्राइवेट वेल है उसकी तो हिफाजत कर दो कि जितनी सिंचाई की उसको जरूरत है उसके ओवर ऐंड अबव किसी को पानी दिया जायगा। फिर इस (नाद) तरमीम की क्या जरूरत है?

श्री वीरेन्द्रशाह--मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद में फिर कहता हूं कि उस कुएं में तो इतना पानी नहीं होगा।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--नहीं होगा तो नहीं दिया जायगा। कलेक्टर देगा नहीं।

श्री वीरेन्द्र शाह--अब मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमान्, अब कोई जरूरत ही नहीं है तो उसको रखने से क्या फायदा। अगर नालियां बनाई जायंगी तो उसका इन्तजाम बिगड़ जायगा, उसको क्यों बिगाड़ते हैं? पानी की जरूरत हो तो आप लीजिये, लेकिन मैं तो समझता हूं कि पानी की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैंने तालाब नहीं रखा। तालाब में तो कर सकते हैं, कुओं में जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसको निकाल दिया जाय। इसमें कौन सी जिद की बात है?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम-- जरूरत न हो, हुजूर वाला, तो कानून क्यों बनाऊं। अगर कानून बनाऊं तो उसमें से मुस्तसना कर दिया जाय वेल को तो यह गैरमुमकिन है। मैं समझता हूं कि अभी कहीं जरूरत पेश आ सकती है। इसलिये दो-तीन महीने की और जरूरत है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ३ (१) की तीसरी पंक्ति से शब्द "कुआं (वेल)" निकाल दिया जाय और शब्द "पानी के अन्य" और शब्द "समाहार" के बीच शब्द "प्राकृतिक" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री विश्वनाथ राय-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा ३ (१) की छठी पंक्ति में शब्द "व्यक्ति" के बाद और शब्द "की" के पहले शब्द "या उन व्यक्तियों" जोड़ दिये जायं।

मेरा शाब्दिक संशोधन है। "उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों" का उसका रूप ऐसा हो जाता है। वास्तव में इस संशोधन से कोई अभिप्राय में अन्तर नहीं पड़ता बल्कि मेरी समझ से थोड़ी गलती विधेयक में मालूम हुई। उस व्यक्ति का मतलब होता है एक व्यक्ति इसलिये वहां "उन व्यक्तियों" कर दिया गया। मेरा मतलब यह है कि कहीं-कहीं तो जलाशय, पोखरे, तालाब, कुयें एक व्यक्ति के होते हैं और कहीं-कहीं कई व्यक्तियों के मिलकर हुआ करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक कुयें या तालाब के कई हिस्सेदार होते हैं तो "उस व्यक्ति" के रखने से कानूनी दिक्कत आगे चलकर न पड़ जाय और फिर जिस अभिप्राय से यह विधेयक पेश हुआ है वह शायद इसी उलझन से सफल न हो सके इसलिये मैंने यह शाब्दिक संशोधन इसमें रख दिया है। मान लीजिये कोई आदमी कुआं खुदवा देता है और बाद में उसके मर जाने पर उसके चार लड़के उसके हिस्सेदार हो सकते हैं और उसके मालिक हो सकते हैं। इसके विषय में अधिक कुछ निवेदन न करके मैं आपके द्वारा माननीय निर्माण मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस शाब्दिक संशोधन को वह स्वीकार करें।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--बात तो, जनाबवाला, यह ठीक है जो मेरे दोस्त ने कही। लेकिन उनकी इत्तिला के लिये यह बताऊं कि एक कानून होता है जिसको जेनरल क्लाजेज ऐक्ट कहते हैं। उस में लिखा है कि जहां एक को लिखा हो वहां सब शामिल समझे जायंगे। कानून में जमा करके परसन या परसन्स (व्यक्ति या व्यक्तियों) नहीं लिखा जाता है।

[माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम]

कानून में एक ही बयान किया जाता है। मैं अगर मर जाऊं और मेरे चार बच्चे मालिक हों तो कानून उसी तरीके से लागू हो जायगा जिस तरीके से मुझ एक पर लागू था। इसलिये इस तरमीम की जरूरत नहीं है और कानूनी इबारत के भी खिलाफ है। इसलिये मकसद तो हासिल है, इस तरमीम की जरूरत नहीं है।

श्री विश्वनाथ राय--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि निर्माण मंत्री ने इसका अभिप्राय समझाया है कि कानून में एक व्यक्ति के जहां लिखा है उस का अर्थ बहुवचन के लिये भी लिया जाता है। अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूं कि मेरे इस संशोधन की कुछ आवश्यकता नहीं है। मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री वीरेन्द्र शाह--श्रीमन्, इस संशोधन का केवल एक हिस्सा मैं पेश करना चाहता हूं दूसरा हिस्सा नहीं पेश करना चाहता।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि धारा ३ (१) में निम्नलिखित संशोधन किया जाय--

धारा ३ (१) की सातवीं पंक्ति में शब्द "खेतीबारी पर" और शब्द "कोई अनिष्ट" के बीच शब्द "या उसके अन्य विधिक हितों पर" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यह सिर्फ इतना है कि ऐसा रख देने से एक चीज साफ हो जायगी और हम समझते हैं कि सरकार इसको स्वीकार कर लेगी। इसमें हम यह चाहते हैं कि उसके और हित जो हैं उनको सामने रखते हुये सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी और हमारे संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--इस में जो हिफाजत उसकी की जा सकती थी और जो माकूलियत पर होनी चाहिये वह तो मौजूद है? ये अल्फाज बिलकुल गैर जरूरी हैं। मैं नहीं समझता कि इनके लाने का क्या जरूरत है?

श्री वीरेन्द्र शाह--हम तो यह समझते हैं कि जो चीज साफ नहीं है उसको साफ करने की कोशिश करनी चाहिये। लेकिन सरकार अपनी जिद्द पर कहती है कि यह साफ है। तो सिवा इसके कि मैं भवन के सामने रख दूं कि उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ी सी सफाई की जरूरत है कि इसको रखने से सरकार का कोई नुकसान नहीं होता। फिर भी सरकार इस को स्वीकार नहीं करती।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ३ (१) में निम्नलिखित संशोधन किया जाय:--

धारा ३ (१) की सातवीं पंक्ति में शब्द "खेतीबारी पर" और शब्द "कोई अनिष्ट" के बीच शब्द "या उसके अन्य विधिक हितों पर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्र शाह--श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा ३ (१) की पंक्ति ९ में शब्द "दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में ही" निकाल दिये जायं।

यह बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है कि किसी की नामौजूदगी में एकतरफा कार्यवाही हो जाय, प्रार्थना किसी आफिसर के सामने जाय और नामौजूदगी में ही कार्यवाही हो जाय, यह अन्यायपूर्ण बात है। फिर इस एकतरफा कार्यवाही में यह भी पता नहीं है कि किस अधिकारी को अधिकार दिया जाता है, वह पटवारी होगा या पतरौल होगा, वह ठीक से जांच करके न्यायपूर्वक कार्यवाही करेगा भी या नहीं। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि यह चीज यहां से निकाल दी जाय क्योंकि यह अन्याय की बात है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संशोधन को मान लेगी।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जनाब वाला मेरे दोस्त को यह आशा नहीं करनी चाहिये थी कि मैं इस संशोधन को मान लूंगा इसलिये कि मैंने अपनी तकरीर के शुरू में यह कहा था और यह अर्ज किया था कि एक्स पार्टी कार्यवाही करना ही तो इस कानून की जान है और अगर एक्स पार्टी कार्यवाही न की जाय तो यह कानून बनाना ही बेकार है। इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री वीरेन्द्र शाह--मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी अन्यायपूर्ण बात को हम मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ३ (१) की पंक्ति ९ में शब्द "दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में ही" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ--)

पक्ष में--३

ई० एम० फिलिप्स, श्री
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री

विपक्ष में--५२

अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
कुंजविहारीलाल शिवानी, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
नाजिम अली, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशरण, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सुदामा प्रसाद, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

श्री वीरेन्द्र शाह--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि धारा ३ (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय:--

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)--मैं आपकी आज्ञा से एक वैधानिक आपत्ति उपस्थित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि पहिले माननीय सदस्य को अपना संशोधन पेश कर लेने दिया जाय तो ठीक होगा।

श्री वीरेन्द्र शाह--धारा ३ (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी स्वीकृति तब तक नहीं देगा जब तक कि दूसरे पक्ष को भी जवाब का मौका न दिया गया हो।"

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो तरमीम मेरे मित्र ने पेश की थी इससे पहले कि शब्द "दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में ही" निकाल दिये जायं, उस पर इस सदन ने निर्णय दे दिया। अब यह जो तरमीम पेश की गयी है उसका भी आशय वही है जो पहली तरमीम का था। मैं समझता हूं कि दोबारा उसी प्रश्न को लाना नियम विरुद्ध मालूम होता है।

श्री वीरेन्द्र शाह--श्रीमान् मैंने जो पहला संशोधन रखा था उसमें कार्यवाही आफिसर करेगा लेकिन इस तरमीम में जिलाधीश को रखा है। वह अफसर का निर्णय होगा जब कि इसमें जिलाधीश का।

उपाध्यक्ष--अभिप्राय दोनों संशोधनों का एक है इसलिये इसे अनुचित समझ कर अस्वीकृत किया जाता है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि धारा ३ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारायें ४ तथा ५

पानी के उपयोग का परिक्रय (चार्जेज़)

४--इसके पूर्व कि धारा ३ के अधीन आज्ञा दी जाय, यह भी देख लिया जायगा कि उक्त आज्ञा के कारण कहां तक पानी के कम हो जाने और मछलियों को हानि पहुंचने की सम्भावना है और धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (१) के अधीन जल-कर (वाटर रेट) बांधते समय इस बात पर उचित ध्यान दिया जायगा।

जानकारी प्राप्त करने का अधिकार

५--धारा ३ के अधीन आज्ञा देने के निमित्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी को भी आज्ञा दे सकता है कि वह उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट आधिकारिक को निर्दिष्ट किये जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में, जो भी जानकारी उसे प्राप्त हो, उसकी सूचना दे।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ४ और ५ इस विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ६

६--धारा ३ के अधीन आज्ञा देने के बाद यथाशीघ्र डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्वार्थवान व्यक्तियों (पर्सन्स इन्टरेस्टेड) को स्वनिर्दिष्ट रीति से (इन सच मैनर ऐज ही मे डाइरेक्ट) उक्त आज्ञा की सूचना देकर उसके विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि प्राप्त आपत्तिपत्र की सुनवाई करने के पश्चात् चाहे उक्त आज्ञा को प्रत्यावर्तित (रिवोक) कर ले, चाहे उसे निरसित (रिसिन्ड) कर दे, चाहे उसके अतिरिक्त ऐसी अन्य आज्ञा दे जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

श्री वीरेन्द्र शाह—मैं श्रीमान् की आज्ञा से यह पेश करता हूं कि धारा ६ की पहली पंक्ति में शब्द "यथाशीघ्र" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह दिन के भीतर" रख दिये जायं। श्रीमान्, यह शब्द "यथाशीघ्र" रखने से यह होगा कि लोगों को सूचना नहीं मिलेगी और मैं समझता हूं कि अब इस बिल की कोई जरूरत भी नहीं रही लेकिन सरकार इसे पास करना चाहती है। हालांकि बारिश हो गयी है और ऐसा नहीं, है कि जिसके लिये सरकार "यथाशीघ्र" कार्यवाही करना चाहती है। १५ दिन रख दिये जायं तो लोगों को सूचना भी मिल जायगी।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—१५ दिन रखना चाहते हैं जिससे गरीबों का नुकसान हो ७ दिन में अगर कार्यवाही हो सके तो १५ दिन उसके लिये रखना चाहते हैं। यह अमेंडमेंट किसान का नुकसान करने के लिये रखा गया है मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, इसमें दिया हुआ है कि १५ दिन के अन्दर उसके मानी यह भी हो सकते हैं कि यथाशीघ्र या २-३ दिन में कर दिया जाय।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—१५ दिन का लेटीटचूड (प्रसर) देने से उसको बढ़ा देने का मौका मिल जाता है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ६ की पहली पंक्ति में शब्द "यथाशीघ्र" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह दिन के भीतर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ६ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ७

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधिकारों का प्रति निधायन।

७—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि लिखित आज्ञा द्वारा समय-समय पर इस बात का प्रख्यापन करता रहे कि किन-किन अधिकारियों द्वारा और किन स्थानिक सीमाओं (लोकल लिमिट्स) के भीतर इस अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकार या अधिकारों का प्रयोग अथवा लगाये गये कर्त्तव्य या कर्त्तव्यों का पालन किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ७ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ८

अधिनियम के अधीन दी गई आज्ञा की अवधि।

८—इस अधिनियम के अधीन दी गयी कोई भी आज्ञा अपने निःसृत होने के दिनांक (डेट आफ इशू) से तीन मास के बाद सप्रभाव नहीं रह जायगी।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ८ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ९

शास्ति (पिनैल्टी)

९—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा का उल्लंघन करेगा या उसके कार्यान्वित किये जाने में रुकावट डालेगा तो वह तीन मास तक के कारावास या अर्थ-दण्ड या दोनों दण्डों का भोगी होगा।

श्री वीरेन्द्र शाह--श्रीमान् जी, धारा ९ की तीसरी पंक्ति से शब्द "तीन मास तक के कारावास या" और शब्द "या दोनों दंडों" निकाल दिये जायं। श्रीमान् जी, इसमें जो यह दोनों सजायें और जुरमाना रखा गया है वह मेरी समझ में नहीं आया कि इतनी सख्ती क्यों रखी गई है। मेरी समझ में वह ऐसा अपराध नहीं है जिसकी सज़ा सरकार ने इस बिल में इतनी रखी है कि तीन मास की सजा हो और जुरमाना भी हो। मैं समझता हूं यह बहुत अधिक है। इसके लिये तो जुरमाना ही बहुत काफी था। आशा है सरकार हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी और इन शब्दों को निकाल देगी।

श्री सुलतान आलम खां--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो तरमीम मेरे दोस्त राजा साहब ने पेश की है, मैं उसकी ताईद करता हूं। इस दफा ९ में जो सजा मुकर्रिर की गई है उसकी तादाद तीन मास तक कैद की है और इसके अलावा जुरमाना भी रखा गया है वह इस जुरमाने की कोई तादाद भी मुकर्रर नहीं है कि वह जुरमाना किस हद्द तक होगा। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को जो अख्तियारात दिये जाते हैं वे एक हजार रुपये तक की सजा के हुआ करते हैं और अगर इससे ज्यादा अख्तियारात देने होते हैं तो गवर्नमेंट किसी मैजिस्ट्रेट को स्पेशली मुकर्रिर करती है और वह भी खास सूरतों में ब्लैक मार्केटिंग वगैरा के संगीन केसेज़ में ऐसे अख्तियारात दिये जाते हैं। लेकिन इस दफा के मातहत जो जुर्म होगा वह एक टैक्निकल (प्राविधिक) तरीके का जुर्म होगा और मैं समझता हूं कि इसमें जो जुरमाना होगा उसको अगर पेनेल्टी कहा जाय तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जुरमाने की कोई तादाद मुकर्रिर नहीं की गई इसलिये वह १० हजार भी हो सकता है, २० हज़ार भी हो सकता है और एक लाख भी हो सकता है। इसलिये जो भी कानून बनाया जाय उसके लिये जरूरी है कि जो सज़ा रखी जाय वह उस जुर्म की मुशाहबत के साथ साथ होनी चाहिये। जो जुर्म इसके मातहत होंगे वह एक टैक्नीकल तरीके के होंगे और वह एक तरीके से ब्रीच (भंग) होगी, इसलिये जुरमाने की तादाद मुकर्रिर की जानी चाहिये। हो सकता है जवाब में यह कहा जाय कि सजा और जुरमाना तो मैजिस्ट्रेट्स मुकद्दमे की सूरत को देखकर खुद करेंगे ही। यह सही है लेकिन फिर भी जो कानून हम बनाते हैं उसमें जुर्म की नवइयत को देखते हुए सज़ा रखनी चाहिये। इसका मंशा यही है कि मैजिस्ट्रेट को गाइडेंस (पथ-प्रदर्शन) मिले और वह एक उसूल, जोकि बनाया गया है, उसके बाहर न निकलने पावे। मैं समझता हूं कि इसमें जुर्माने की तादाद जो नहीं मुकर्रर की गयी है वह मुनासिब नहीं है। इसमें जुर्माने की कोई तादाद मुकर्रर हो जानी चाहिये और इसके अलावा जैसा कि राजा साहब ने फरमाया कि इसमें कैद की जो सज़ा रखी गई है मैं इसके भी खिलाफ हूं। कैद की सजा हरगिज नहीं रखनी चाहिये। इसलिये कि कैद की सजा किस सिलसिले में होगी? इस सिलसिले में होगी कि अगर कोई शख्स उस आर्डर के खिलाफ, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पास किया है, कोई बात करे, कोई ऐसी बात करे जिससे वह उस आर्डर को तोड़ता है तो उस वक्त उसको सज़ा दी जायगी। ज़रा आर्डर की नवइयत पर भी गौर फरमावें कि वह आर्डर क्या होगा? वह एक्स-पार्टी आर्डर होगा और वह आर्डर ऐसा होगा जिसके बारे में उस शख्स को कोई इल्म भी नहीं होगा कि अगर इस आर्डर को तोड़ा जायगा तो यह सजा होगी या कोई ऐसा आर्डर पास हो गया है। इस बिल के अन्दर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे यह मालूम हो सके कि यह सज़ा उस वक्त दी जायगी जब इस बात का सबूत मिल जायगा कि उस शख्स के इल्म में यह बात थी और वह जानता था और जान-बूझ कर उसने कायदे को तोड़ा है। तो ऐसी खामियां, ऐसे लूपहोल्स बिल के अन्दर और इस दफा के अन्दर रहते हुए भी आपने कड़ी से कड़ी सजा रखी है।

इस सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में यह पहला मर्तबा है और यह पहला बिल है जिसमें तीन महीने कैद की सजा दी जा सकती है, इतना जुर्माना किया जा सकता है, जिसकी कोई तादाद भी मुकर्रर नहीं है और उसके बावजूद अपील की भी कोई गुंजायश उसमें नहीं है। कोई भी ऐसा जुर्म नहीं होता, जिसमें अपील न हो। यह कानून और इंसाफ का मुसल्लमा उसूल है कि अगर कोई शख्स किसी अदालत में सजा पाता है तो उसे यह हक होना चाहिये कि वह अपने मुकद्दमे की अपील दूसरी जगह कर सके और लोगों का एतबार इंसाफ पर कायम रहे और वह उठने न पावे। लेकिन इसके अन्दर कोई प्राविज़न नहीं है जिसमें यह

पता चले कि जो सजा मिलेगी, जो जुर्माना होगा उसकी अपील भी कोई कर सकता है। ऐसी सूरत में जब कि अपील का कोई प्राविजन नहीं है तो मैं समझता हूं कि जेल की सजा रखना बहुत नामुनासिब है। कानून का यह माना हुआ उसूल है कि १०० गुनाहगार छूट जायं लेकिन एक बेगुनाह को सजा न मिले। लेकिन यहां यह भी नहीं मालूम कि उस शख्स को मालूम था जिसने जुर्म किया कि ऐसा आर्डर पास हो गया है या नहीं, उसके बावजूद आप सजा दे देंगे तीन महीने की, लाताद्दाद जुर्माना कर देंगे और उसे कोई अपील का भी मौका नहीं देंगे तो मैं तो यह समझता हूं कि यह अंधेर नगरी चौपट राज है। और मैं इस हुकूमत को इस बिल में चूंकि कोई ऐसा प्राविजन नहीं है इसलिये कभी मुबारकबाद नहीं दे सकता। मैं यह समझता हूं कि जिस वक्त यह बिल पास होकर पब्लिक में जायगा तो इससे कोई मुतमईन नहीं होगा। हो सकता है कि चन्द वे लोग जिनको पानी मिल जाय, उनको इससे कुछ इतमीनान हासिल हो जाय लेकिन आमतौर पर जो इससे मुताास्सिर होंगे उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट का क्या मंशा है और किसलिये इस किस्म का बिल लाया गया है और ऐसी सूरत में जब कि कुदरत भी इसके खिलाफ है, उसने बारिश कर दी है और जब बारिश हो गयी है तो फिर इस कानून की कतई कोई जरूरत बाकी नहीं रहती और मालूम होता है कि कुदरत भी इस बिल की मुखालिफत कर रही है। कुदरत का मंशा यही है कि यह बिल न लाया जाय। जब इस बिल की मियाद दो महीने बाकी है और इधर पानी भी बरस गया है तो फिर पानी बरसने के बाद इसकी कोई जरूरत बाकी नहीं रहती। और ऐसी सूरत में जब कि आपने इस बिल में इस किस्म का प्राविजन रखा है कि जिस शख्स को आप चाहें सजा दे दें, उसकी सिविल लिबर्टी भी कर्टेल (नागरिक स्वतंत्रता भी कम) की गयी है, तीन महीने की सजा दे दें, लाताद्दाद जुर्माना भी कर दें और उसकी कोई अपील भी नहीं हो सके, तो इस पर जरा गौर करने की बात है। मैं बहुत अदब के साथ हुकूमत की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इन तमाम बातों पर गौर करके वह इस बिल को वापस ले ले।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मेरे दोस्त राजा साहब ने यह तरमीम पेश की कि इस सेक्शन में से इम्प्रिजनमेंट (जेल) निकाल दिया जाय। और उसकी ताईद हमारे दोस्त सुलतान आलम साहब ने की। एक बात यह है कि अगर इसको इसमें से निकाल दें, इसमें जो कैद लिखी हुई है तीन महीने की अगर उसको इसमें से निकाल दें तो उसके बाद क्या रहता है। जो तरमीम पेश की गई है उस तरमीम को इसमें लगाइये और वह अल्फाज इसमें से निकाल दीजिये जो कि तरमीम निकलवाना चाहती है तो बाकी सेक्शन क्या रहा। तो बाकी जो सेक्शन रहा .....

श्री सुलतान आलम खां—मैं यह चाहता हूं कि यह दोनों निकाल कर एक छोटी मिकदार का जुर्माना रख दिया जाय।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—मेरा मतलब तो इस वक्त अमेंडमेंट से है जोकि इस वक्त हाउस के सामने पेश है। इस बात को तो वह आदमी सोच सकता है जिसने तरमीम पेश की है। मुझे तो यह देखना है कि जो अमेंडमेंट मूव किया गया है उसके निकाल देने के बाद वह क्या बचता है। मेरे दोस्त का ख्याल यह है कि कानून जब बना करता है तो उसमें यह लिखा होता है कि इतना जुर्माना। सब से बड़ा मुकम्मिल और बढ़िया कानून ताजीरात हिन्द है। मैं उसकी दफात् पढ़कर आपके सामने सुनाना चाहता हूं जिससे मेरे दोस्त को मालूम हो जाय कि इसमें फाइन की तादाद कहां मुकर्रर की गई है। पहले मैं बतलाता हूं इसकी दफा २५९ को पढ़ता हूं:

"shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine."

(दोनों प्रकार के कारावास का दण्ड दिया जायगा जो ७ वर्ष तक का हो सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकेगा।)

[माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम]

अब इसमें फाइन की तादाद नहीं लिखी है कितना फाइन होगा शायद करोड़ों रुपया हो (जुर्माना) सकता है। इसके आगे लिखा है कि --

"shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 2 years or with fine or with both"

(दोनों प्रकार के कारावास का दण्ड दिया जायगा जो २ वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना या कारावास और जुर्माना दोनों का दण्ड दिया जायगा।)

इसके अन्दर भी फाइन की तादाद मुकर्रर नहीं की गई है। इसमें अगर इसकी तादाद मुकर्रर नहीं है तो इसकी क्या बात है? बात सिर्फ वही है कि जितना अख्तियार फाइन करने का और सजा करने का मैजिस्ट्रेट को है उससे ज्यादा तो वह कर नहीं सकता क्योंकि उसके लिये दोनों चीज महदूद हैं उससे ज्यादा वह कर नहीं सकता। इस लिहाज से यह एतराज किसी तरीके से सही नहीं बैठता है। अब रहा तीन महीने का सवाल कि वह सजा कुछ ज्यादा बतलाई गई है। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूं। कैनाल ऐक्ट के मुताबिक जो जुरमाना होता है पटरी वगैरा काटने का और पानी वगैरा नाजायज तरीके से लेने का तो उसमें जुरमाना भी होता है तो जब जुरमाना हो जाता है लोग उसकी परवाह नहीं करते। आज उसके अन्दर यह जरूरत महसूस हो रही है कि कुछ सजा भी उसके अन्दर रखी जाय या कोई एलीमेंट (बात) इस तरह का रखा जाय कि जिससे लोगों के ऊपर असर हो। क्योंकि लोग जुरमाने की परवाह नहीं करते हैं वह यह समझते हैं कि जुरमाना जो होगा वह अदा कर दिया जायगा क्योंकि जितना जुरमाना होता है उससे ज्यादा फायदा उनको पानी से हो जाता है जिसको काटकर वह ले लेते हैं। तो ऐसी हालत में अगर सजा हो जाय तो उसका कुछ असर हो सकता है और शायद लोग डर सकते हैं। तो इससे मैं यह समझता हूं कि जितना नफा हो उसके मुताबिक तो वह जुरमाने का डर नहीं करते और वह आसानी से देने के लिये तैयार हो जाते हैं। तो इसका नतीजा होता यह है कि वह जुर्म करने के लिये और तैयार हो जाते हैं। इसलिये इसके अन्दर दोनों चीजें रख दी गई हैं और अदालत जो हो वह चाहे तो सजा कर दे, चाहे जुरमाना कर दे और अगर चाहे तो दोनों कर दे और जितना जुरमाना मुनासिब समझे वह कर दे या जितने दिनों की सजा चाहे वह कर दे और यह दोनों बातें माकूल हैं। अगर यह कानून रहा और इसकी दफात की खिलाफवर्जी किसी ने की और उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो जो हल्के से हल्के किस्म की सजा या जुरमाना हो सकता है उसका प्राविजन इसमें रख दिया गया है। कानून का बनाना तो आप मंजूर करते हैं और अगर थोड़ी देर को मान लें कि कानून बन गया और अगर उसको बनाते हैं और उसकी दफात बनाई जाती हैं और उसमें कोई सजा रखी जाती है क्योंकि वह जरूरी है। इसलिये इसके मानी यह हैं कि आपका जो संशोधन है वह अपनी जगह पर खुद ही ठीक नहीं है।

अगर अमेंडमेंट यह होता कि इस कानून ही को न बनाया जाय। तो यह चीज तो काबिल बहस है नहीं कि बनाया जाय या न बनाया जाय। इसको तो आप मानते ही हैं कि बनाया जाय।

एक बात यह हुई कि साहब एक आदमी के खिलाफ एक्स पार्टी आर्डर होगा और उसकी बिना पर उसको सजा किस तरह से मिलेगी। यह सजा तो उसको तभी मिलेगी जब वह किसी अदालत में अपना डिफेंस (बचाव) पेश कर चुकेगा। फर्ज कीजिये कि एक एक्स पार्टी आर्डर हुआ और मैंने उसको एलाऊ किया तो मैं अपना उज्र तो कर ही सकता हूं। मुझे तो आर्डर की खबर ही नहीं थी और जब अदालत के सामने यह बात आयेगी कि उस गरीब को तो खबर ही नहीं तो वह यही फैसला देगी कि वह मुजरिम ही नहीं है और जुरमाना या कैद कुछ भी न होगा और वह छोड़ दिया जायगा। इसके अन्दर कोई शुभा भी पैदा नहीं होता और बात साफ रहती है चाहे एक्स पार्टी आर्डर हो या कुछ भी हो। दूसरे यह कि जितने आर्डर इसमें होंगे उनकी खिलाफवर्जी में यह सजा या जुरमाने होंगे और मैजिस्ट्रेट जो होगा उसको इस बात का अख्तियार होगा कि वह चाहे एक दिन की सजा करे या एक महीने की करे या छोड़ दे। दूसरी शिकायत यह की गई है कि

दुनिया में अपील होती है और इसमें कोई अपील नहीं होगी और कोई इस तरह का प्राविजन नहीं है। दो बातें इस सिलसिले में कहूंगा--एक तो इसमें कहीं अपील की मुमानियत नहीं है और प्रोसीजर ही अपील को प्रेस्क्राइब करता है और जाब्ता फौजदारी इस पर एप्लाई होगा और उसके मातहत ही मुकद्दमात होंगे तो अपील से महरूम किस तरह से हो सकता है। एक छोटी सी बात यह भी कि इतना लम्बा प्रोसीजर जितना लम्बा वह कन्टेम्प्लेट करते हैं उसको कोई नहीं समझ सकता। जिस तरह से पेटी मैटर्स में समरी ट्रायल्स (छोटे मामलों में सरसरी परीक्षण) होते हैं, सजायें होती हैं जुरमाने होते हैं और कोई अपील नहीं होती है। जो बेनीफिट्स जाब्ता फौजदारी के हैं उनसे यह महरूम हो जायगा, कोई ऐसी दफा है इसके अन्दर ? तो जो यह कंटेम्प्लेट किया गया कि बेइंसाफी होगी, ऐसी बात नहीं है। उसको हक हासिल है, अगर्चे मेरे दोस्त मानेंगे नहीं और कहेंगे कि मेरी तरमीम ठीक है। मगर उनकी तरमीम ठीक है नहीं और इसमें फिट नहीं होगी।

श्री सुल्तान आलम खां--जनाबवाला, आपकी इजाजत से मैं राजा साहब की तरमीम में तरमीम पेश करना चाहता हूं। वह यह है कि जो अल्फाज राजा साहब ने इस बिल में से निकाले हैं उनकी जगह पर अल्फाज "सौ रुपये जुर्माना" रख दिये जायं। मैं इसको लिख कर अभी आपके पास भेजे देता हूं। इसकी मंशा मेरी यह है कि मेरे बुजुर्ग माननीय मंत्री ने जैसे फर्माया कि अगर राजा साहब की तरमीम के अल्फाज मंजूर कर लिये जायं तो फिर उसमें एक फ्ला (अशुद्धि) रह जाता है, इसलिये मेरी जो तरमीम उनकी तरमीम में है वह उस चीज को दूर करती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही हल्के किस्म का जुर्म है, बल्कि यह एक ब्रीच आफ रूल्स (नियम भंग) है जैसे म्युनिसिपल लाज में होता है और उसमें सौ रुपये तक जुर्माने की सजा बहुत काफी है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इसकी जगह पर सौ रुपये तक सजाए जुर्माना रख लीजिये और इससे माननीय मंत्री भी मुतमईन होंगे कि जो फ्ला इस तरमीम में रह जाता था वह भी दूर हो जायगा और जो कुछ सख्ती इस बिल में आ गयी है वह भी दूर हो जायगी। मैंने माननीय मंत्री की तकरीर सुनी। उन्होंने फर्माया कि वह तो मैजिस्ट्रेट को अख्तियार होगा कि जो चाहे जुर्माना कर दे, लेकिन देखने में यह दफा बड़ी डरावनी मालूम होती है कि बगैर पूछे गछे तीन महीने कैद की सजा दे दी या जुर्माना कर दिया। यह एक बहुत ही गलत तरीके का इम्प्रेशन पब्लिक में पहुंचेगा जिसे हमें नहीं पहुंचने देना चाहिये। सौ रुपये की रकम ऐसी है जो वक्त के लिये बहुत काफी है और ऐसी भी नहीं है कि जिससे लोग बिला वजह परेशान होंगे। मैं समझता हूं कि इससे हमारे मिनिस्टर साहब भी इत्तिफाक करेंगे और जो कमी राजा साहब की तरमीम में रह जाती है वह भी पूरी हो जायगी।

श्री वीरेन्द्र शाह--श्रीमान्, जो संशोधन श्री सुल्तान आलम खां साहब ने पेश किया है उसे मैं स्वीकार करता हूं।

उपाध्यक्ष--माननीय निर्माण मंत्री के पास इस तरमीम की कापी भेजी जा रही है। वे उस पर विचार कर लें।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--कापी आये या न आये, मैं मतलब समझ गया और मेरे दोस्त ने तवक्को यह की कि मैं भी मंजूर कर लूंगा। मैंने तो अपनी मिसाल दी थी कि नहर की पटरियां लोग काट लेते हैं और मैं तो खुद इस फिक्र में हूं कि कैद की सजा उसके अन्दर हो जाय। मैं इसमें से कैसे कैद निकाल दूंगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ९ की तीसरी पंक्ति से शब्द "तीन मास तक का कारावास या अर्थ दंड या दोनों दंडों" को निकाल कर शब्द "सौ रुपये तक जुर्माना" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ --

पक्ष में--६
विपक्ष में--४३।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ९ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नयी धारा ९-क

श्री ई० एम० फिलगस--मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि धारा ९ के बाद एक नयी धारा ९-क के रूप में बढ़ा दी जाय, जो इस तरह से है--

"९-क--जिलाधीश की आज्ञा के विपरीत अपील सिविल जज को की जायगी"।

श्रीमान्, मैंने अभी अपने लायक दोस्त जो इस वक्त लीडर आफ दी हाउस हैं, उनकी तकरीर को सुना। मेरे सामने इस बिल की दफात भी हैं और जाब्ता फौजदारी भी है और मैं यह यकीन भी करता हूं कि जितनी प्रैक्टिस मेरे लायक दोस्त ने की है इस क्रिमिनल ला के ऊपर उससे कम कानून की प्रैक्टिस मेरी मुलाजिमत के सिलसिले में नहीं है। मैं आप को यह भी बताना चाहता हूं कि आपको यह मालूम है कि अपीलेबिल सेंटेंसेज (पुनरावेद्य दंड) भी होते हैं और नान-अपीलेबिल सेंटेंसेज भी होते हैं। मैं यह देख रहा हूं कि बच्चों के तरीके से यह कहा जा रहा है कि यह प्रस्ताव नहीं होना चाहिए। आप सब भारी भरकम है और आपके ख्यालात भी भारी भरकम हैं, इसलिए आपको अपने बरताव में भी भारी भरकम होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपील के मामले में अप्लाई करता है लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्दर यह अख्तियारात दिए गए हैं कि जिस मैजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा होगा, वह मैजिस्ट्रेट जिस डिगरी का होगा, उसी हिसाब से वह सजा या जुर्माना कर सकेगा या वह सजा या जुर्माना उतना कर सकेगा जितना उस सेक्शन में होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर अपीलेबिल सेंटेंस होता है तो अपील हो सकती है और अपीलेबिल सेंटेंस नहीं होता तो अपील नहीं हो सकती है तावक्ते कि वह सेक्शन खास तरीके पर अपीलेबिल न बनाया जाय।

जैसा कि मैं कई दफा यह कह चुका हूं। मैं फिर कहता हूं कि जो ऐक्ट बन रहा है वह खाली जमींदारों पर ही नहीं लागू होगा बल्कि उनके ऊपर भी लागू होगा जो कि नान जमींदार हैं। अगर किसी के कम्पाउन्ड में कुआं है और उस कम्पाउन्ड के पास खेती होती है, तो उसके ऊपर भी यह लागू हो सकता है। जहां तक इसके लागू होने का सवाल है, जो गवर्नमेंट का विचार है उसको मैंने उस वक्त भी स्वीकार किया था और इस वक्त भी स्वीकार करता हूं, लेकिन जैसा मैंने उस वक्त कहा था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को निगोसिएशन के जरिए से यह तय करने की पावर्स देना चाहिए। इस सिलसिले में जो मैंने कहा था उसको गलत समझा गया और उसका आधा हिस्सा ही बयान किया गया। मुझे अफसोस है कि आपके सामने बहुत ही संजीदा बातें पेश की गयीं, लेकिन आपने उनको बच्चों की बातें समझ कर के खत्म कर दिया। मैं फिर अपने लायक दोस्त, जो इस वक्त लीडर आफ दि हाउस हैं, उनसे यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में खास तरीके से अपील की गुंजायश कर दी जाय, ताकि जो सेंटेंसेज हों वह अपीलेबिल सेंटेंसेज हों, वर्ना यह मुमकिन होगा कि लोगों को दुःख पहुंचे। गोकि यह बिल तीन महीने में ही खत्म हो जायगा और प्रैक्टिकली तो खत्म ही हो गया है फिर भी अपील की गुंजायश कर देना ज्यादा ठीक होगा।

आपका यह कहना है कि इस सिलसिले में अभी तक कोई शिकायत नहीं आयी है। मैं तो यह कहूंगा कि पब्लिक को ही नहीं मालूम हुआ कि इस किस्म का आर्डिनेंस पास हुआ है, वर्ना आपके पास ऐसी शिकायतें बहुत आतीं। अगर यह ऐक्ट मुस्तकिल हो जाय तो यकीनन आपके सामने बहुत शिकायतें आयेंगी। जो इस वक्त ऐक्ट का मामला पेश है वह तो दूसरी बात है, लेकिन जो उसका प्रिंसिपिल (सिद्धांत) है उसको भारी भरकम तरीके से देखिए। जो लोग आपको मश्विरा देते हैं कि यों उड़ा दीजिए, यों उड़ा दीजिए वह आपको हलका बनाते हैं। जिस वक्त बाहर जाइयेगा उस वक्त सोसाइटी में लोग क्रिटिसिज्म (आलोचना) करेंगे। और इस संशोधन के मान लेने से न ऐक्ट में कोई टेम्परिंग परिवर्तन होता है, न उसकी वर्किंग (क्रियात्मक रूप) में होता है और जो एक प्रिंसिपिल है वह कायम हो

जाना है। उसको कायम करना अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। इस वजह से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मंत्री जी इस बात पर गौर कर के इसको मंजूर करेंगे कि इसमें इतनी गुंजायश रखी जाय कि इसकी अपील जज के यहां हो सके।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--मैं जरा आप की इजाजत से फिलिप्स साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि किस हुक्म की अपील से मकसद है आपका? यानी किस हुक्म की अपील मंजूर है सिविल जज के यहां। जरा इस तरमीम की इबारत को पढ़ें।

श्री ई० एम० फिलिप्स--जी हां, मैं जानता हूं कि इसमें जरा सी ऐम्बिगुइटी (संदिग्धता) है . . . .

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मेरा जवाब मिल गया।

श्री ई० एम० फिलिप्स--मैं जो प्रिंसिपिल आपको बता रहा हूं वह आपके सामने है। अगर आप उस प्रिंसिपिल को मानते हैं तो यह दुरुस्त हो सकती है और दुरुस्त हो करके आ सकती है। मैंने दूसरे की तरमीम जरूर पेश कर दी लेकिन उसमें इतनी गुंजायश है कि उसकी तसहीह की जा सके। अगर आप प्रिंसिपिल ऐक्सेप्ट कर लें तो मैं अभी तरमीम को दूसरे रूप में पेश करने के लिए तैयार हूं।

श्री सुलतान आलम खां--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो तरमीम मेरे दोस्त फिलिप्स साहब ने पेश की है मैं उसकी ताईद करता हूं। बेशक, मैं और फिलिप्स साहब दोनों कानून के मामले में लेमैन (अविशेषज्ञ) हैं।

श्री ई० एम० फिलिप्स--माहिर तो आप हैं, लेकिन प्रैक्टिस में मैं आपसे कम नहीं रहा।

श्री सुलतान आलम खां--आई एम सारी (मुझे दुख है)। बहरहाल, जहां तक ला की थियरी का ताल्लुक है मैं और वह लेमेन हैं। प्रैक्टिस में वह ज्यादा माहिर हो सकते हैं। इस तरमीम में ऐसी कमी रह गयी है जिसको वह कबूल नहीं फरमाते हैं। तो मैं आपकी इजाजत से इस तरमीम में थोड़ी सी तरमीम किए देता हूं। मेरे पास इस वक्त अंग्रेजी की तरमीम की फेहरिस्त मौजूद है। अगर जनाबवाला, इजाजत दें तो मैं दो लफ्ज बढ़ा दूं, फिर उसका यहां तरजुमा हो जायगा।

उपाध्यक्ष--ठीक है।

श्री सुलतान आलम खां--इसमें लिखा है कि :

"An appeal against the order of the District Magistrate shall lie to the Civil Judge."

(जिलाधीश की आज्ञा के विपरीत अपील सिविल जज को की जायगी)

उसके बजाय यह कर दिया जाय :

"An appeal against the order of the magistrate made under clause 9 shall lie to the Civil Judge."

(धारा ९ के अधीन दिए गए मैजिस्ट्रेट के हुक्म के विपरीत अपील सिविल जज को की जायगी।)

अगर इस तरीके से इस तरमीम को तब्दील कर दिया जाय तो जो एतराज माननीय मंत्री ने फरमाया है वह दूर हो सकता है।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--क्या यह तरमीम फिलिप्स साहब को मंजूर है?

श्री ई० एम० फिलिप्स--इसको मंजूर करता हूं।

श्री सुलतान आलम खां—और अगर अब भी इसमें कोई ऐसी दिक्कत रह गयी हो, जिसको कानूनी हैसियत से मंजूर न किया जा सकता हो तो मैं अल्फाज से झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं बिलकुल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दूंगा। अगर इसमें अब भी कोई खामी रह गयी हो तो वह अपनी तरमीम ला कर इसको सही कर ले। उसका मकसद और मंशा मान लें। मकसद और मंशा सिर्फ यह है कि इस कानून के अन्दर मैजिस्ट्रेट के यहां से अगर किसी मुलजिम को सजा हो तो उसकी अपील सिविल जज के यहां होनी चाहिए। यह है खुले अल्फाज में इसका मतलब। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि यह न समझा जाय कि यह छोटा सा मासूम ऐक्ट है। इसके जरिए से आइंदा के लिए बाप-दादों के उसूल कायम कर देना चाहते हैं। अगर इसी तरीके से उसूल कायम हो गए और हमारे सामने ऐसे बिल आने शुरू हो गए कि जिसमें पेनालटी प्रोवाइडेड है कैद और जुरमाने की और मुलजिम को अपील करने की इजाजत नहीं है तो मेरी समझ में डेमोक्रेसी का जनाजा इस सूबे से निकल जायगा। इसलिए जरूरत है कि लोगों की लिबर्टी कायम रहे। कानून और इंसाफ हर शख्स को पहुंचाने की कोशिश करें और हम इस बात का प्राविजन करें कि उसकी अपील हो सके। मैं अपने उन दोस्तों से जो इस बिल की ताईद में तकरीर करें या कर चुके हैं एक बात कहूंगा कि अगर यह तरमीम मान ली जाय तो उनके इस बिल पर कोई असर नहीं पड़ता। वह बिल अपनी जगह पर कायम; और उसका जो मकसद है वह बराबर हासिल होगा। मैं इस नजर से कह रहा हूं कि हम एक बहुत ही बुरा प्रिसीडेंट (दृष्टान्त) कायम करने वाले हैं कि एक शख्स को तीन महीने की सजा दे दें और उसको यह भी हक न हो कि वह अदालत के सामने जाकर अपील कर सके। अगर हम इस तरमीम को मान लें तो इससे जो कानून का मकसद है, और जो इसका उसूल है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। यह कानून और वह उसूल अपनी जगह पर कायम रहता है।

जहां तक उन काश्तकारों को या उन गरीबों को, जिनकी फसल खराब हो गयी है, फायदा बहम पहुंचाना है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हर शख्स को हुकूमत के साथ हमदर्दी है। अगर कोई मुखालिफत है तो इस पर है कि जो तरीका उनको रिलीफ (सहायता) पहुंचाने का अख्तियार किया गया है वह वह काबिल एतराज है। अब वह जरिया भी खत्म हो गया। अब सवाल सिर्फ यह है कि जो सजा एक पार्टी को वायलेट (भंग) करने के सिलसिले में दी जाती है और जेल भेजते हैं उसको अपील का हक दिया जाय या न दिया जाय। मैं बहुत ही अदब के साथ अर्ज करूंगा कि अगर यह चीज बिल के अन्दर न रखी गयी तो इसके मानी यह होंगे कि हम लोग इंसाफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा इसका नतीजा यह होगा कि एक बहुत ही बुरा प्रेसीडेंट आप कायम करने वाले हैं और मैं समझता हूं कि उस जमाने में भी जब कि मुल्क में फारेन (विदेशी) गवर्नमेंट थी कोई ऐसा ऐक्शन नहीं लिया जाता था कि लोगों को अपील का हक न हो। आज जिन लोगों को नजरबन्द करते हैं कितनी शिकायतें आती हैं। कितने जोर से प्रोपेगेंडा होता है कि लोगों की लिबर्टी जब्त कर ली गई। जो कार्रवाई जाब्ता फौजदारी और कानून शहादत के मातहत होती थी और इंसाफ पहुंचता था आज हमने उसमें भी रखना डालना शुरू कर दिया है। इस बिल को छोटा सा न समझें। इस मामले को मामूली मामला न समझें। यह एक बुनियादी उसूल है, यह एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपिल (मौलिक सिद्धान्त) का सवाल है। इसलिए इस दफा को मंजूर कर लें और इसके मंजूर करने से न बिल पर कोई असर पड़ता है और न ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई गड़बड़ी पैदा हो। जैसा कि मैंने अर्ज किया यह बिल इसी गुम्बद के अन्दर नहीं रहेगा बाहर जायगा लोग देखेंगे और इस असेम्बली की बातों को पढ़ेंगे और जांच करेंगे कि असेम्बली ने एक गलत कदम उठाया। कानून आप बनावें वह तो ठीक है, लेकिन उसके अन्दर आप इस बात का मौका न दें किसी को कि अगर उसको यकीन है कि उसके साथ बेइंसाफी हुई है तो वह अदालत के अन्दर जा सके यह जेबा चीज नहीं है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से अपनी तमाम कूवत के साथ जो मेरे पास है अपील करूंगा कि वह अपने फैसले को दुहराए और इस मासूम

सी तरमीम को मंजूर कर ले जिससे इस बिल पर कोई असर नहीं पड़ता और न उस मकसद पर कोई असर पड़ता है जिसको आप इस बिल के जरिए से हासिल करना चाहते हैं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--मैं अपने दोस्त सुल्तान आलम साहब से यह जानना चाहता हूं कि यह जो ट्रायल होगा क्लाज १० के मातहत उस पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऐप्लाई होगा या नहीं?

श्री सुल्तान आलम खां--जनाबवाला, इस बात का जवाब तो गवर्नमेंट खुद दे सकती है। उनके दिमाग में यह स्कीम होगी कि यह ट्रायल किस किस्म का होगा, कौन इस ट्रायल को करेगा। इसलिए इसका जवाब तो उनके पास ही है।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--मेरे दोस्त वकील हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैजिस्ट्रेट के यहां इस मुकदमे की समाअत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्दर है या नहीं है? जहां तक इस बिल का ताल्लुक है यह ट्रायल प्रोवाइड करता है, ट्रायल का क्या प्रोसीजर होगा यह प्रोवाइड नहीं करता। तो अब क्या इसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो प्रोसीजर है वह एप्लाई होगा या नहीं?

श्री सुल्तान आलम खां--होगा।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोई अपील प्रोवाइडेड है या नहीं?

श्री ई० एम० फिलिप्स--अपील है। लेकिन जो अपीलेबिल सेंटेंसेज हैं उनके लिए अपील प्रोवाइडेड है और जो अपीलेबिल नहीं हैं उनके लिए रिवीजन है।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--तो फिर जो ट्रायल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मातहत होंगे उसमें सेंटेंसेज पास होंगे उनमें अपील या रिवीजन का वह प्राविजन क्यों नहीं लागू होगा। इस बिल में क्या कोई बात ऐसी है जो बार (रुकावट) करती है इस बात की कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्राविजन इस किस्म के हैं वह ऐप्लाई नहीं होंगे।

श्री ई० एम० फिलिप्स--मैंने तो पहले अर्ज किया कि ऐसे जो सेंटेंसेज हैं जो अपीलेबिल हैं उनकी अपील हो सकती है लेकिन जो नान अपीलेबिल हैं वह रिवीजन में आयेंगे। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इस चीज को रखकर इसको अपीलेबिल बना दिया जाय।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--एक तो जनाबवाला यह बात काबिल मुलाहिजा है कि यह तरमीम जो इस वक्त रखी गयी है एक क्रिमिनल ट्रायल की अपील सिविल जज के यहां करना चाहते हैं कितनी बड़ी डिस्क्रीपैन्सी (अशुद्ध) है। किस कदर गलत बात है कि मैजिस्ट्रेट के यहां ट्रायल होगा और उनकी अपील उनके पास जाती है जो सिविल का काम करते हैं। वह सेशन जज होते हैं जिनके सामने क्रिमिनल अपील जायगी लेकिन सिविल जज के पास नहीं जाती है और न किसी जज को जूरिस्डिक्शन ही होता है।

श्री ई० एम० फिलिप्स--यह निकल गया है जो उन्होंने तरमीम पेश की है उसमें जज का लफ्ज है।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--यह तो इससे भी बदतर है।

श्री ई० एम० फिलिप्स--सेशन जज होना चाहिए।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--यह तरमीम में नहीं है। वह तरमीम जो शुरू की थी वह नाकाबिल मंजूरी थी। इसको कमजोर और गलत पाकर यह करने की कोशिश की लेकिन वह और भी गलत हो गयी और जो तरमीम पेश है वह मानने के काबिल नहीं है। अब रहा यह कि अपील न हो यह तो जुल्म हो रहा है। मैं तस्लीम करता हूं कि फिलिप्स साहब मुझसे ज्यादा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को समझते हैं। मैं कानून नहीं जानता हूं गो मैं वकील हूं। न मैं सिविल कानून जानता हूं और न क्रिमिनल कानून ही जानता हूं। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जैसा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जाब्ता होगा और जो रिवीजन और अपील इसमें लिखी हुई है वह अपनी जगह बरकरार होगी। फिर मैं कैसे समझूं कि मैजिस्ट्रेट का उसके खिलाफ आर्डर होगा तो उसकी अपील नहीं होगी। अगर नान अपीलें बिल करार दे दिया गया है तो उसमें लिखा हुआ है कि इन आर्डर्स की अपील नहीं होगी फिलिप्स साहब ने यह नहीं देखा है कि अगर इसमें यह लिखा है कि इन आर्डर की अपील नहीं होगी तो नहीं होगी और लिखा है तब तो अपील हो जायगी और जिस तरीके से आप यह करवाना चाहते हैं वह बिलकुल गलत है तो मैं इसको कैसे मानूं।

श्री ई० एम० फिलिप्स--मैं उसमें इतना ही अर्ज करूंगा कि लीडर आफ दी हाउस ने जो कुछ कहा है मैं उससे इत्तिफाक नहीं करता हूं। यानी जो तरमीम पेश की गयी उसमें सेशन कोर्ट का शब्द होना चाहिए था। किसी अच्छी गवर्नमेंट को यह काम नाक पकड़ कर तय करना नहीं है बल्कि प्रिंसिपिल के मातहत काम करना है अगर इसके मातहत करे तो साफ बात है।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--प्रिंसिपिल की ही बात बतला चुका हूं कि अपील होगी।

श्री ई० एम० फिलिप्स--मैं यह अर्ज करूंगा कि जो अपीलेबिल सेंटेंसेज पास किए जायंगे उनकी अपील हो सकती है और जाब्ता फौजदारी के बमूजिब जो अपीलेबिल सेंटेंस नहीं होंगे उनकी अपील नहीं हो सकती है। इस सूरत में अगर यह प्राविजन बन गया तो इसकी अपील हो जायगी तो इस माने में लिए जायंगे।

"A sentence passed under this Act will be appealable to the Sessions Court."

(इस अधिनियम के अधीन दिए गए दंड की अपील सेशन कोर्ट में की जा सकेगी।)

तो यह सब अपीलेबिल हो जायंगे। अगर किसी को ऐसा दुख हुआ है तो वह अपील कर सकता है। इस प्रिंसिपिल के मातहत मैं अपने दोस्त को पाबंद करना चाहता था वह इसको गालिबन नहीं समझे कि मैंने अंग्रेजी में नहीं कहा। मैं हिन्दी के अल्फाजों को इस वक्त ठीक तरह से फिट नहीं कर सकता हूं। मैंने कोशिश की है लेकिन फौरन फिट नहीं कर सकता हूं कुछ वक्त लूंगा। कुछ वक्त लगेगा। लेकिन मैं जिस बात को दरियाफ्त करना चाहता हूं वह यह है कि फिलहकीकत इसकी जरूरत है। 'दी सेंटेंस पास्ड अंडर दि सब-सेक्शन शैल बि अपीलेबिल टु दी सेशन्स कोर्ट' यहां होना चाहिए था और इस प्रिंसिपिल को अगर मेरे लायक दोस्त मानते हैं तो जिस तरह से वह चाहते हैं लिख दें, वही ठीक है। मैं उसे मानता हूं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--मैं अपने दोस्त से यह पूछ रहा था और मजबूर हूं फिर पूछने के लिए--

"A sentence passed under this section shall be appealable to the Sessions Court."

(इस खंड के अधीन दिये गये दंड की अपील सेशन कोर्ट में की जा सकेगी।)

इस ला में कहां यह लिखा हुआ है कि अपील नहीं होगी ? ऐसा कोई प्राविजन नहीं है कि अपील नहीं होगी और क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड में उसकी अपील हो सकती है।

श्री ई० एम० फिलिप्स--सब की नहीं हो सकती।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--सब का यहां सवाल नहीं है। इसका जवाब दिया जाय कि इसकी अपील हो सकती है या नहीं ? कहिए यस आर नो ?

श्री ई० एम० फिलिप्स--सिर्फ उस हिस्से का जो अपीलेबिल होगा।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--पार्ट कैसा। सेक्शन तो एक है। इसमें पार्ट का क्या सवाल। किसी शख्स पर जुर्माना होगा, किसी को तीन महीने की सजा होगी।

श्री ई० एम० फिलिप्स--कानून ऐसी चीज है, जिसको बड़े-बड़े हाई कोर्ट के जज आखिर तक समझते और सीखते हैं। मैंने जो कुछ पेश किया है वह यह है--

"All sentences passed under section 9 of this Act will not be appealable"

(इस अधिनियम के खंड ९ के अधीन दिए गये समस्त दंडों की अपील नहीं हो सकेगी।)

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--अगर अपील क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मातहत हो सकती है यह साबित हो जाय तो आपकी तरमीम बेकार है।

श्री ई० एम० फिलिप्स--ऐसे सेंटेंस पास करेंगे जो अपीलेबिल हों तो अपील हो सकेगी वर्ना नहीं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--इसके अन्दर तो डेढ़ महीने की सजा, १५ दिन की कैद, २५ रुपया जुर्माना या ५० रुपया जुर्माना, यह सब है जो किया जा सकता है।

श्री ई० एम० फिलिप्स--५० रुपया जुर्माना अपीलेबिल नहीं है।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--यह तो समरी ट्रायल में होता है। यहां कोई समरी ट्रायल प्रोवाइड है क्या ? समरी ट्रायल में ही नान-अपीलेबिल सेंटेंस होती हैं।

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब बहस समाप्त की जाय। प्रश्न यह है कि धारा ९ के बाद एक नयी धारा, धारा ९-क के रूप में बढ़ा दी जाय--

"९-क--जिलाधीश की आज्ञा के विपरीत अपील सिविल जज को की जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

धारायें १०--१२

इस अधिनियम के अधीन किए गए कार्य के संबंध में परिमाण।

१०--(१) इस अधिनियम के अधीन दी गयी या दी गयी समझी जाने वाली किसी आज्ञा के अनुसरण में सद्भाव से की गयी या की जाने के लिये अभिप्रेत किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक व्यवहार न प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(२) किसी ऐसी हानि के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन दी गयी या दी गयी समझी जाने वाली किसी आज्ञा के अनुसरण में सद्भाव से की गयी या की जाने के लिए अभिप्रेत किसी बात के कारण हुई हो या जिसके उक्त बात के कारण होने की संभावना हो, इस राज्य (स्टेट) के विरुद्ध कोई वाद या अन्य व्यवहार न लाया जा सकेगा।

नियम बनाने का अधिकार।

११—राज्य सरकार को अधिकार होगा कि सरकारी गजट में विज्ञप्ति निकालकर इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनावे।

यू० पी० ऐक्ट १, १९०४ का निवर्तन।

१२—उत्तर प्रदेश इर्रिगेशन एमर्जेंसी पावर्स आर्डिनेंस, १९५० एतद्द्वारा (हियरबाई) निवर्तित (रिपील) किया जाता है; यूनाइटेड प्राविंसेज जेनेरल क्लासेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के निदेश उसे इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह किसी यूनाइटेड प्राविंसेज ऐक्ट द्वारा निवर्तित ऐक्ट (अधिनियम) हो।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारायें १०, ११ और १२ इस विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १

संक्षिप्त नाम, प्रसार, प्रारंभ और अवधि।

१—(१) इस अधिनियम (ऐक्ट) का नाम १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) अधिनियम होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा।

(४) यह अधिनियम ३० अप्रैल, १९५१ ई० के समाप्त होते ही निष्प्रभाव हो जायगा, किन्तु उन बातों के विषय में, जो इस अधिनियम की समाप्ति के पूर्व उसके अधीन हुई होंगी, यह उसके बाद भी सप्रभाव रहेगा और यूनाइटेड प्राविंसेज जेनेरल क्लासेज ऐक्ट, १९०४, की धारा ६ इस अधिनियम (ऐक्ट) की समाप्ति के बाद उसी प्रकार लागू होगी, जैसे वह अधिनियम उस समय किसी यूनाइटेड प्राविंसेज ऐक्ट द्वारा निवर्तित (रिपील्ड) हुआ हो।

श्री विश्वनाथ राय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा १ की उपधारा (४) निकाल दी जाय।

वह उपधारा (४) इस प्रकार है —

"यह अधिनियम ३० अप्रैल, १९५१ ई० के समाप्त होते ही निष्प्रभाव हो जायगा, किन्तु उन बातों के विषय में, जो इस अधिनियम की समाप्ति के पूर्व उसके अधीन हुई होंगी, यह उसके बाद भी सप्रभाव रहेगा और यूनाइटेड प्राविंसेज जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४, की धारा ६ इस अधिनियम (ऐक्ट) की समाप्ति के बाद उसी प्रकार लागू होगी, जैसे वह अधिनियम उस समय किसी यूनाइटेड प्राविंसेज ऐक्ट द्वारा निवर्तित (रिपील्ड) हुआ हो।

इससे मेरा मतलब यह है कि यह आर्डिनेंस इस विशेष समय पर जबकि पूर्वी जिलों में और चन्द और जिलों में सूखा के पड़ जाने से सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ गई थी, हाहाकार मच गया था लाया गया और अब यह आर्डिनेंस

यहां बिल के रूप में लाया जा रहा है। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है इस बिल की हमेशा ही आवश्यकता है। जो किसान हैं वे इस बात को महसूस करते हैं, मैं भी किसान हूं और इस बात से बराबर वाकिफ हूं कि ऐसे अधिनियमों की सख्त जरूरत है जो अब तक नहीं रहा है। मैं तो यह समझता हूँ कि जैसे हिन्दुओं के यहां उत्सर्ग हुआ करते हैं और उनके अनुसार कुओं, तालाबों आदि पर सबका बराबर हक और अधिकार हुआ करता है चाहे वे पानी के पीने के लिये हों या सिंचाई के लिये। लेकिन मालूम होता है ऐसा कानूनी अधिकार नहीं था, इसलिये यह विधेयक यहां लाया गया और इसके द्वारा ये आदेश देने पड़े। अब मेरा निवेदन यह है कि धारा १ की उपधारा (४) निकाल दी जाय। इसके निकाल देने से किसान का बड़ा भारी हित होगा। मैं हमेशा से इस चीज की जरूरत महसूस करता आया हूं कि किसानों को या और किसी को यह अधिकार होना चाहिये कि कुओं या जलाशयों से पानी ले सकें और सिंचाई कर सकें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अगर अगले वर्ष फिर कहीं सूखा पड़ गया तो फिर एक बिल यहां लाना होगा और अधिनियम बनाना पड़ेगा और जब तक कि यह आर्डिनेंस निकाला जाय यह विधेयक बनाया जाय, उस समय तक किसानों का बड़ा भारी नुकसान हो जायगा। खेती के सूख जाने पर वर्षा काम में नहीं आती है और खेती के सूख जाने पर किसी आर्डिनेंस का बनना बेकार हो जाता है, इसलिये इसकी बराबर ही आवश्यकता है। मैं खुद इस बात को जानता हूँ क्योंकि मेरा देहात के किसानों से संपर्क है, उन्हीं लोगों में रहता हूं। उनको इस चीज की बराबर जरूरत पड़ती है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय निर्माण मंत्री से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को मान लें तो बड़ी कृपा होगी।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, यह चीज तो सही है कि इस किस्म की जरूरत कभी कभी पैदा हो सकती है और उस वक्त इस किस्म के कानून की जरूरत भी हो सकती है, लेकिन देखना यह है कि तरीका मुनासिब क्या है? ऐसे वक्त पर इस किस्म के काम के लिये, इस किस्म की जरूरत के लिये जब कभी जरूरत होती है तो आर्डिनेंस निकाला जाता है और इस किस्म के कानून नाफिज किये जाते हैं लेकिन आम वक्त में मामूली हालत में इस किस्म के कानूनों का नाफिज रहना सोसाइटी के लिये ज्यादा मुनासिब नहीं है। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ अपने दोस्त से, जिन्होंने तरमीम पेश की है, यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट ने इन बातों को सामने रख कर इस बात का फैसला किया। जिस वक्त कि जरूरत महसूस हो रही थी उसने एक आर्डिनेंस जारी करके काम लिया और इतने दिनों के लिये वह कानून नाफिज रहा और फिर लेजिस्लेशन के सामने आया। हर शख्स चाहता है कि ऐसा वक्त न आवे, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसी जरूरत आ जाय तो उसके लिये इस किस्म का प्रोविजन इस्तेमाल किया जा सकता है और मौजूं भी यही होता है कि जब कोई इमर्जेन्सी (संकट काल) पैदा हो तो इससे काम लिया जाय। इसलिये फिलहाल ३० अप्रैल तक इसका नाफिज रहना मुनासिब है और अगर कभी खुदा नख्वास्ता जरूरत पैदा हुई तो फिर उसके जरिये काम लिया जा सकता है।

श्री विश्वनाथ राय—उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उससे मुझे सन्तोष हो या न हो, क्योंकि मैं सच्ची बात कहना चाहता हूं, मैं देहात का रहने वाला हूं और वहां की सब बातों से वाकिफ हूं, लेकिन फिर भी मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस विधेयक की धारा १ इसका अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

निजी जलस्रोतों और जलाशयों से सिंचाई करने के निमित्त पानी के वितरण और उपयोग की व्यवस्था यू० पी० ईरिगेशन (एमर्जेंसी पावर्स) आर्डिनेंस, १९५० द्वारा की गयी थी;

उक्त अध्यादेश (आर्डिनेंस) अनित्य (लिमिटेड इन डयूरेशन) होने के कारण उत्तर प्रदेश विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जायगा और यह आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश (आर्डिनेंस) के स्थान पर विधान मंडल द्वारा अधिनियम बना दिया जाय;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस विधेयक की प्रस्तावना इसका अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और जैसा कि उस पर इस सदन द्वारा विचार हुआ है, पारित किया जाय।

श्री ई० एम० फिलिप्स—जनाब डिप्टी स्पीकर महोदय, जैसा कि यह बिल इस वक्त पास हो रहा है, इसके मुताल्लिक मैं पेश्तर अर्ज कर चुका हूं कि जहां तक प्रिंसिपिल का ताल्लुक है उससे मुझे इत्तिफाक है और मैं यह सोचता हूं कि वह सही है। यानी यह कि जब ऐसी जरूरत हो कि पानी किसी के पास ज्यादा हो, या उसकी जरूरत से इतना ज्यादा हो कि वह दूसरे को दिया जा सकता हो, तो वह इस वजह से कि सितम्बर अक्तूबर में कम बारिश हुई और उसकी वजह से खेत सूखते थे या सूखने का अन्देशा था तो दूसरे लोगों को वह पानी दे दिया जाय। और मेरा ख्याल यह है कि गवर्नमेंट का यह फर्ज भी है कि वह ऐसी बातों को देखे, लेकिन इस बात के मुताल्लिक कि इस कार्यवाही को किस तरह से किया जाय यह जरूर गौरतलब है कि आया वह चीज किस सूरत से की जानी चाहिये जिससे किसी तरह से हाई हैंडेडनेस (अन्याय र) न हो। अगर किसी गवर्नमेंट के पास इतनी कसरत है कि .... (आवाजें) क्या मैं जनाब डिप्टी स्पीकर महोदय की तवज्जह दिला सकता हूं कि कुछ हू, हा, हो रहा है बीच में, जब कि स्पीच हो रही है। तो मैं यह गुजारिश करूंगा कि यह तरीका मेरे नजदीक ऐसा है कि जो पब्लिक को दुःख पहुंचा सकता है और यह सही है कि इस ऐक्ट के मातहत, गोकि अब कम वक्त रह गया है और अब इसकी बिलकुल जरूरत नहीं रहेगी इस पानी के बरस जाने के बाद, तो कोई ऐसी बात हो कि जिससे कोई खास अख्तियार या खास जजबात को लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यह हुक्म हासिल किया तब भी जो उसूल है उस उसूल के मातहत यह बात जरूर डर के साथ देखी जायगी कि क्या कोई ऐसा ऐक्ट हो सकता है या बन सकता है, जिसमें प्राइवेट प्रापर्टी है या जो प्राइवेट चीज है उनके ऊपर गवर्नमेंट कानून बना कर इस तरीके से दखल कर सकती है। यह ऐक्ट बनेगा और ऐक्ट बना कर उसके ऊपर अमल भी होगा और वह खत्म भी हो जायगा। यह ठीक है लेकिन मैं गवर्नमेंट की तवज्जह और खासकर अपने मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से यह ऐक्ट बन रहा है इस तरीके से जो कानून बनेगा वह जरूर जब तक उसकी सब चूलें न देख ली जायं वह पब्लिक को दुःख पहुंचा सकता है और उसमें बहुत से एतराजात हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले अर्ज किया था इसको गलत समझा गया। जब मैंने उस वक्त कहा और मैं यह भी बताता हूं कि मेरा विचार यह था कि

यह बहुत उम्दा बात होती कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अख्तियार जरूर दिया जाता कि वह कहीं से पानी ले, लेकिन पहले उसको यह हुक्म दिया जाता कि वह नेगोशियेशन करे और जब देर हो जाय तब वह किसी अख्तियार को सख्ती के साथ बरत सकता है। यह ज्यादा उम्दा बात होती। इससे यह भी मतलब होता कि किसी तरह से सख्ती नहीं होती जिस सख्ती को हम सब नापसन्द करते हैं और इसमें गवर्नमेंट की शान भी थी और आला ख्याल सरकार के लिये पब्लिक के दिमाग में रहता। मगर मैं यह सोचता हूं कि जिस तरीके से यह इस बिल के अन्दर रखा गया है उससे दुःख पहुंच सकता है और यह मुमकिन है कि जैसा जमींदार साहबान ने इस बात की तरफ तवज्जह दिलाई कि इससे एक्स्प्लायट किया जायगा। इस वक्त तो यह ऐक्ट थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जायगा लेकिन जब यह एक दफा उसूल बन जायगा कि ऐसा भी गवर्नमेंट के दिमाग में आ सकता है जैसा कि इस ऐक्ट में उसने किया है तो उसी तरीके से और ऐक्ट में भी बना लिया जायगा। मैं इस बात की तरफ खास तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि प्राइवेट प्रापर्टी के ऊपर बहुत कानून बन सकते हैं और इसी तरीके से कुयें जो हैं जिनसे कि सिंचाई की जाती है उनके लिये भी कानून बन सकते हैं और उनसे उसी तरीके से बहुत सिंचाई हो सकती हैं। मैं इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि वह बहुत पानी दे सकते हैं और इस बात से मुझे इत्तिफाक है कि उस पानी को लेकर इस्तेमाल करना चाहिये। लेकिन मुझे इस बात से इत्तिफाक नहीं है कि अगर ऐसी जगह पर कहीं किसी घर में कुएं वगैरह हों तो वहीं के लिये कलेक्टर हुक्म दे दे कि इन से फलां फलां खेत की सिंचाई की जायगी। इससे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मैं खास तौर से इसके वास्ते कहता हूं कि मैं जानता हूं कि बहुत से कुयें ऐसे हैं कि जो प्राइवेट प्रापर्टी के हैं और अगर उनके बारे में इस तरह का हुक्म दिया गया तो उससे बहुत बड़ा दुःख होगा। इस बिल के द्वारा अब जो दिक्कत है उसमें सिर्फ एक बात है जोकि अभी आप के सामने पेश थी वह यह, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि बड़े-बड़े हाई कोर्ट जिस तरह से अपनी राय को तशरीह करते हैं उसी तरह से मैं भी तैयार हूं, कि माननीय मंत्री जी अब भी तशरीह उसमें कर दें और मैं अब भी उसको सुनने को तैयार हूं कि जहां कोई सजा दी जाय वह अपीलेबिल होगी। इसमें जो ३ महीने की सजा है वह अगर देखा जाय तो समरी ट्रायल में भी जा सकती है और ट्रायल एक्सटेंनशियों में भी जा सकती है। अगर मैं गलत होऊं तो जो साहबान यहां वकील हैं वह मुझे सही कर सकते हैं और मैं बैठकर सुनने को तैयार हूं। अगर कोई साहब इसकी तशरीह करने के लिये खड़े हो जायं तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं समझता हूं कि कुछ अपीलेबिल हैं और कुछ अपीलेबिल नहीं हैं। मैंने जाब्ता फौजदारी लाकर इस बात को उसमें से देखा और मैं अब फिर इस बात को कहता हूं कि इसकी सजा ऐसी है जो समरी ट्रायल और उसके बाहर भी हो सकती है....

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--कौन सा सेक्शन है जो समरी ट्रायल से डील करता है ?

श्री ई० एम० फिलिप्स--अगर समरी ट्रायल में नहीं हो सकता तो आप इसको सही कर दीजिये।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाब की वसातत से पूछना चाहता हूं मेम्बर साहब से कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपके सामने है, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि कौन सा वह सेक्शन है कि जो समरी ट्रायल से डील करता है ?

श्री ई० एम० फिलिप्स—जो कुछ मैंने कहा मैं उसकी तरफ तवज्जह दिलाऊंगा उसी कन्टेन्शन (तर्क का आधार) पर पहले इसे देखिये फिर मैं उसे भी दिखा दूंगा। आपकी आज्ञा यह होनी चाहिये कि—

"A sentence passed under section 9 shall be appealable to the Sessions judge."

(धारा ९ के अधीन दिये गये दण्ड की अपील सेशन जज को की जायगी।)

अगर इस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मौजूद है तो मैं अपने सब कन्टेन्शन को वापस लेने को तैयार हूं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—मैं भी अपने कन्टेंशन वापस लेने को तैयार हूँ, लेकिन आप बतलायें तो कि कौन सा सेक्शन है ?

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य चाहें तो उत्तर दे दें, जो माननीय मंत्री द्वारा उनसे पूछा गया है।

श्री ई० एम० फिलिप्स—कई दफात उसमें ऐसी हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जायगा और अगर यह पास हो जायगा तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपील का अख्तियार नहीं रह जायगा और सेशन जज को ही रह जायगा और किसी को नहीं रह जायगा। मुझे तो इतना ही कहना था और अब आप जो कुछ कहेंगे तशरीह के तरीके से उसको मैं सुन लूंगा क्योंकि मैं इतना बड़ा वकील नहीं हूँ कि जितने आप हैं। फिर उसको रिपीट करता हूँ कि इसके मातहत जो रूल्स बने हैं उनमें गवर्नमेंट को देखना चाहिये कि जो नुक्स बताये गये हैं वे हर्गिज न पैदा हों और अगर ऐसा हुआ तो जरूर गवर्नमेंट को शर्मिन्दगी उठानी पड़ेगी।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—मैं कुछ थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ, इस गरज से नहीं कि फिलिप्स साहब मान जायेंगे बल्कि इस गरज से कि और साहबान को मालूम हो जायगा कि इसके मुताल्लिक पोजीशन क्या है। इसलिये एक जरा सी बात यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसा पहले मैंने कहा था। जो बिल इस वक्त पेश है उसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि अपील नहीं हो सकती और मैं कह रहा हूँ कि अपील क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मातहत हो सकती है। तो वह दफा मैं पढ़ कर सुनाये देता हूँ। उससे यह मालूम हो जायगा कि अपील हो सकती है या नहीं—

" Trial of offences under the Penal Code and trial of offences against other laws :

(1) All offences under the India Penal code shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained;

(2) all offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the same provisions subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences."

(दण्डविधि संग्रह के अन्तर्गत दोषों पर विचार तथा दूसरे कानूनों के विरुद्ध दोषों पर विचार —

भारतीय दण्डविधि संग्रह के अन्तर्गत आने वाले सभी दोषों की जांच-पड़ताल, उन पर विचार तथा उनकी अन्य प्रकार की कार्यवाही उन उपबन्धों के अनुसार होगी जो इसमें बाद को बताये जायं;

(२) किसी भी दूसरे कानून के अन्तर्गत आने वाले सब दोषों की जांच-पड़ताल या उन पर विचार या उनकी अन्य प्रकार की कार्यवाही उन्हीं उपबन्धों के अनुसार, उस विधान को बाधित न करते हुए होगी, जो विधान उस समय के लिये, ऐसे दोषों की जांच-पड़ताल करने, उन पर विचार करने या उनकी अन्य प्रकार की कार्यवाही करने की रीति या करने के स्थान को नियमित करने के लिये लागू हो।)

इंडियन पेनल कोड के अलावा और कानूनों में जो चीजें जुर्म करार पायें उनके ट्रायल का तरीका यह है कि वे उसके मातहत ट्राई होंगी, जो उस कानून के अन्दर कोई खास तरीका बयान कर दिया गया हो और अगर बयान न किया गया हो तो फिर वह सारा ट्रायल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मातहत होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मैजिस्ट्रेट के पास किये गये हुक्म की अपील उसके यहां प्रोवाइडेड है। मेरे एक दोस्त का यह खयाल है कि ३ महीने की सजा इसमें प्रोवाइडेड है। फर्ज कीजिये एक मैजिस्ट्रेट ने १५ दिन की सजा का हुक्म दे दिया तो अगर तीन महीने की सजा दे देता तो शायद उसकी अपील हो जाती, लेकिन चूंकि पन्द्रह दिन की दी इसलिये अपील नहीं हो सकती। यह गलत है। समरी ट्रायल्स जो प्रोवाइडेड हैं उनकी कागनीजेन्स में जो आता होगा उसमें यह हो सकता है कि उसकी अपील न हो, मगर उसका भी रिवीजन हो जाता है। तो जहां तक यह पोजीशन है कि वह आदमी हेल्पलेस होगा, अपील नहीं कर सकेगा, यह बिल्कुल गलत है। और थोड़ी देर के लिये जैसा आपका खयाल है उसे मैं मान भी लूं तो उसमें भी रिवीजन हो सकता है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई संबंधी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और जिस पर यह भवन विचार कर चुका है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, उसके ऊपर विचार किया जाय।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे उद्देश्य, जिनके कारण यह विधेयक इस भवन में उपस्थित किया जा रहा है बिल के साथ प्रकाशित कर दिये गये हैं। उन उद्देश्यों में कहा गया है कि यह विधेयक इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि वे तीन चीजें, जो यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ के अधीन नियंत्रित थीं, आवश्यक सामग्रियों की सूची में दी हुई हैं, निकाल दी जावें, यानी रुई, मौलेसेज और औषधियां और वह इसलिये कि इन तीनों चीजों के लिये एक कानून बना हुआ है, जिसके द्वारा इनका संग्रह, वितरण और उत्पादन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस कारण से ये तीनों पदार्थ उस सूची से निकाल दिये जायं।

श्री ई० एम० फिलिप्स— जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कंट्रोल . . .

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—यह डिकंट्रोल है।

श्री ई० एम० फिलिप्स—इसमें डिकंट्रोल और कंट्रोल सब आता है। इसके मुताल्लिक आपको पब्लिक का आइडिया जानना चाहिए। आप ज्यादा जानते हैं

[श्री ई० एम० फिलिप्स]

मगर हम भी उसके कुछ जुज से वाकिफ हैं। उससे हम आपको आगाह करना चाहते हैं। काटन और दीगर चीजों की, जो कुछ दिक्कतें आपके सूबे में मौजूद हैं उनके बारे में पब्लिक को बड़ा दुःख है कि आपका जैसा इन्तजाम है उससे ये चीजें पब्लिक में नहीं पहुँच रही है। अगर डिकंट्रोल हो जाय तो हमें इससे भी इत्तिफाक है और कंट्रोल में भी हम आपके साथ मिल कर काम करने को तैयार हैं। जब आपने कंट्रोल किया तो हम आपके साथ मिलकर काम करते रहे। लेकिन इस मसले पर आपको पब्लिक की राय मालूम होनी चाहिए। आप जनता के लिए काफी तरीके पर चीजें मुहैया नहीं कर सकते। अगर हमारा यह दुःख दूर हो जाय तो हम आपका बड़ा मुबारकबाद कहेंगे, लेकिन यह आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि कंट्रोल का तरीका ऐसा है जिससे आम पब्लिक आपसे खुश नहीं है। वह आपके तरीकये सप्लाई से भी खुश नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सारा डिकंट्रोल कर दीजिए। और उस वक्त तक डिकंट्रोल कायम रहे जब तक कि सब चीजें इकोनामिकली अपनी जगह पर खुद न आ जायें और ऐसी कीमतें न फार्म कर लें जो कि वाकई इकोनामिक बेसिस पर कीमतें हो सकती हैं। मैं आपका ध्यान इतनी बातों की तरफ दिलाने के लिए खड़ा हुआ था।

श्री गङ्गा सहाय चौबे—उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ चीजें कंट्रोल में से हटाने की उन्होंने बात कही है और इस बिना पर कही हैं कि उनकी दूसरे ऐक्ट्स में गुंजाइश है। मुझे एक नया दृष्टिकोण यह निवेदन करना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल रेट से नीचे दामों पर बिक रही हैं और उनकी बिक्री में कंट्रोल बाधक हो रहा है। मैं यह चाहता हूँ कि अगर कृपा करके आप इन चीजों को कंट्रोल में से निकाल दें जो चीजें कंट्रोल से कम दाम पर बिक रही हैं तो इससे जनता का भी फायदा होगा और खामखाह जो यह लांछन लगता है कि कंट्रोल के जरिए से चारों तरफ दबाये रखने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का भी समाधान हो जायगा। मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूँ कि कानपुर में ईंट कंट्रोल रेट से दो रुपया कम में बिक रही है। जिन सरकारी विभागों के पास ईंट है वह उसको इसलिये नहीं बेच पा रहे हैं कि वह कंट्रोल रेट से कम पर नहीं बेच सकते हैं। ऐसी दशा में वहां पर हालत यह हो रही है कि सरकार की रकम भी ब्लाक्ड है और पब्लिक को भी तकलीफ है। अगर मंत्री महोदय इन सब चीजों पर भी गौर करें और यह जानने की कोशिश करें और जान लें कि किस चीज की कंट्रोल में क्या हालत है तो फिर व्यवस्था करने में इस तरह की बात होगी कि जो पब्लिक के लिए ज्यादा हितकर होगी और सरकार के लिए भी ज्यादा हितकर होगी। मुझे यही निवेदन करना है।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इन बातों पर इस सदन में कुछ नहीं कहना है, जिनको अभी फिलिप्स साहब ने यहां उठाया है, क्योंकि विषय के बाहर फिलिप्स साहब ने बातें कही हैं। जिस कारण से यह विधेयक यहां उपस्थित किया गया है उसमें तो सिर्फ यह बातें थीं कि तीन चीजों का नियंत्रण दूसरे और कानूनों के अन्तर्गत किया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने आदेश दिया है कि यह उस सूची में न रक्खी जायं जिस सूची में वह पदार्थ और वस्तुयें हैं, जिनका नियंत्रण यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट के अन्तर्गत होता है।

जहां तक उन्होंने इस बड़े मसले का प्रश्न उठाया कि कंट्रोल के बारे में सरकार को यह मालूम है या नहीं कि जनता क्या अनुभव करती है तो यह तो ऐसा विषय है कि उसके ऊपर समय समय पर इस सदन में बातें हो चुकी हैं। आज मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता।

जो सुझाव अभी मेरे मित्र गंगा सहाय जी ने उपस्थित किया है, उनके संबंध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जहां कि ईंटों का प्रश्न है, सरकार उस पर विचार कर रही है लेकिन जो कारण उन्होंने ईंटों पर से कंट्रोल हटाने के लिए बताया है वह सारहीन है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कंट्रोल से कम दामों पर चीजें बेचना चाहता है तो उसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है जो उसको ऐसा करने से मना करता हो। फिर भी मैं उन्हें इत्तला के रूप में बतला देना चाहता हूं कि जहां तक ईंटों के ऊपर कंट्रोल का विषय है वह सरकार के विचाराधीन है। ऐसे कई स्थान हैं जहां ईंटें उचित कीमत पर नहीं मिलती हैं, परन्तु तो भी सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है और सरकार शीघ्र ही इसके ऊपर अपना निर्णय देगी। मुझे और अधिक उत्तर में नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा धारायें १ और २

कुछ प्रयोजनों के निमित्त जो आगे चलकर इसमें प्रकट होंगे यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४९ को संशोधित करना साम्प्रतिक है,

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम तथा आरम्भ

१--(१) इस अधिनियम का नाम १९५० का उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अधिनियम होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू०पी० ऐक्ट २, १९४७ की अनुसूची का संशोधन

२--यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ की अनुसूची में से निम्नलिखित निकाल दिये जायं:--

"(2) Cotton including foreign Cotton".
"(6) Drugs".
"(12) Molasses".

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि विधेयक की धारा १, २ तथा प्रस्तावना इस विधेयक का अंग मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५० ई० का उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि १९५० ई० का उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलाश चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१६ जनवरी, सन् १९५१ ई०।

नत्थी

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० १०--१२ का

रुहेल खंड, शाहजहांपुर, सीतापुर और बाराबंकी डिवीजनों में पिछले आठ साल (१९४२-

साल	रुहेलखंड नहर डिवीज़न						शाहजहांपुर
	रुहेलखंड (खास)			रुहेलखंड (सारदा नहर)			सारदा
	खरीफ	रबी	टोटल	खरीफ	रबी	टोटल	खरीफ
	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़
१९४२-४३	१९,८४५	५,३०२	२५,१४८	८०,०८४	२९,९५३	१,१०,०३७	९१,८९०
१९४३-४४	२१,११२	१०,८६५	३१,९७७	७३,४६५	३३,२७४	१०६,७३९	८८,३४९
१९४४-४५	२०,४१२	१०,५८३	३०,९९५	६३,९५३	४२,७१०	१०६,६६३	७२,३१०
१९४५-४६	२४,४५३	२२,६२८	४७,०८१	८०,०८०	४३,५७४	१२४,०५४	६९,३८८
१९४६-४७	३८,०६२	११,७८७	४९,८४९	९०,२६१	१६,०९२	१०६,३५३	९७,०१४
१९४७-४८	३२,४८६	१९,०५२	४१,५३८	७०,०९०	२०,०५२	९०,१४२	९०,२४३
१९४८-४९	३४,३०७	१६,२४०	५०,५४७	८५,२४९	४२,९०५	१२६,१५४	७१,४१९
१९४९-५०	३४,०९१	९,५३०	४३,६२१	७३,४०३	२३,७४८	१०३,१५१	७६,६०३

क

उत्तर पीछे पृष्ठ ७० पर)

४३ से १९४९–५० तक) में नहर से हुई आबपाशी के रकबे का नक्शा (स्टेटमेंट)

डिवीजन		सीतापुर डिवीजन			बाराबंकी डिवीजन		
नहर		सारदा नहर			सारदा नहर		
रबी	टोटल	खरीफ	रबी	टोटल	खरीफ	रबी	टोटल
एकड़	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़
१,१३,७८६	२,०५,६७६	६२,९८३	१०८,०६८	१७१,०५१	..	..	..
८८,७४५	१७७,०२४	६१,५४३	७१,३०१	१३२,८४४	..	..	..
१०३,१३६	१७५,४४६	३३,८२३	६३,६१७	९७,४४०	..	..	..
९३,७८०	१६३,१६८	४८,१७४	८९,५७७	१३७,७५१	..	७७,७५३	७७,७५३
७९,११४	१७६,२०८	६३,२५७	७३,५७७	१३६,८३४	५८,६५७	६५,०३७	१२३,६९४
७३,८०५	१६४,०४८	५५,१६०	७३,७७३	१२८,९३३	४४,९९५	८५,५४७	१३०,५४५
८७,७१९	१५९,१७८	५५,७५३	८४,०४५	१३९,७९८	५०,८०२	९०,५८५	१४१,३८७
४१,३५१	११७,९५४	५०,५१०	४४,२३०	९४,७४०	५४,५४५	४१,११३	९५,६५८

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ १०२ पर)

१९५० ई० के शि व यक के विषय में विधान सभा द्वारा नियुक्त प्रवर समिति की आख्या (रिपोर्ट)

१—विधान सभा द्वारा "उत्तर प्रदेश शिक्षा विधेयक" प्रवर समिति (सिलेक्ट कमेटी) को अभिदिष्ट हुआ था। हम उक्त समिति के सदस्यों ने उक्त विधेयक पर समयक विचार किया है और अब तत्सम्बन्धी अपनी आख्या (रिपोर्ट) तथा उसी के साथ संशोधित विधेयक प्रस्तुत करते हैं।

२—समिति की बैठकें विधान भवन में ८ और ९ दिसम्बर, १९५० को हुईं और इनमें विधेयक पर प्रत्येक दृष्टि से विचार किया गया।

३—हमने विधेयक का धारा वाहिक विचार किया और उसकी कई धाराओं में विविध संशोधन भी किये। इन संशोधनों में अधिकांश मौलिक और प्रधान हैं और शेष शाब्दिक और गौण। विधेयक में कुछ संशोधन अन्य संशोधनों के परिणामस्वरूप भी करने पड़े हैं। जो संशोधन केवल शाब्दिक हैं उनका उल्लेख इस आख्या में नहीं किया जा रहा है। उनका पता साथ में लगे संशोधित विधेयक ही से चलेगा।

अध्याय १

प्राथमिकी

धारा १ ४—परिभाषाओं में हमने "नियत" की परिभाषा और जोड़ दी है। विधेयक की धारा ९, १५ और २३ के अधीन जिन विषयों पर विनिमय बनाये जा सकते हैं उनमें ऐसे विषय भी हैं जो नियत किए जाने वाले हैं और नियत कर दिए जायं। यहां यद्यपि "नियत" का तात्पर्य निस्संदेह प्रस्तुत अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा "नियत" से है तथापि विधेयक में न तो यह बात स्पष्ट की गयी थी और न कहीं यही कहा गया था कि नियम बनाने और नियत करने का अधिकार किसे होगा। हमने इस बात को स्पष्ट कर देना और उक्त अधिकार स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को ही देना आवश्यक और उपयुक्त समझा और इसलिए विधेयक के अन्त में एक नयी धारा ३१ में स्पष्ट रूप से यह कह कर कि नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा, प्रस्तुत धारा में "नियत" की परिभाषा बढ़ा दी है।

अध्याय १-क

परीक्षाएं और प्रमाणपत्र

धारा २ (क) ५—मूल विधेयक में परीक्षाओं के संचालन का भार राज्य सरकार को ही देना अभिप्रेत था। बहुत विचार-विमर्श के उपरान्त हमने भी इसी को समीचीन समझा। हम लोगों में इस विषय पर कुछ मतभेद अवश्य था कि परीक्षाओं का संचालन आदि राज्य सरकार के हाथ में रहे या इस अधिनियम द्वारा स्थापित राज शिक्षा मंडल के अधिकार में, किन्तु प्रचुर बहुमत यह कार्यभार राज्य सरकार के ही हाथ में दिये जाने के पक्ष में था। यह बात विधेयक में पूर्णतया स्पष्ट न होने के कारण हमने धारा २-क के रूप में एक नयी धारा जोड़ कर इसे स्पष्ट कर दिया है। यह समझ कर कि यदि परीक्षाओं का संचालन राज्य सरकार के हाथ में रहे तो प्रमाणपत्र प्रदान करने और उक्त परीक्षाओं के लिए शुल्कादि मांगने और लेने का अधिकार भी उसी को रहना चाहिए, हमने इस नयी धारा, धारा २-ग में इन बातों का भी समावेश कर दिया है।

अध्याय २

राज्य मंडल

६—राज्य शिक्षा मंडल का कर्तव्य राज्य सरकार को परामर्श देने तक ही सीमित न रहने के कारण उस के नाम से "परामर्श" शब्द निकाल दिया गया है। उसका नाम केवल "राज्य शिक्षा मंडल" होगा। धारा ३ (१)

७—इस समय यहां के शिक्षा विभाग में कोई प्रति सचिव नहीं है और सचिव के अतिरिक्त एक संयुक्त सचिव भी है। आगे चल कर संभव है किसी समय विभाग में सचिव, संयुक्त सचिव और प्रति सचिव तीनों ही हों, इसलिए इस खंड में, "प्रति सचिव" के साथ "संयुक्त सचिव" का भी नाम जोड़ दिया गया है। धारा ३ (२) (ग)

८—यह उपयुक्त समझा गया कि इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों के अतिरिक्त काशी और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों तथा आगे चल कर इस राज्य में स्थापित होने वाले ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों के भी, जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हो, उपकुलपति राज्य शिक्षा मंडल के सदस्य हों। इस उद्देश्य को कार्यान्वित करने के अभिप्राय:से प्रस्तुत खंड एक ऐसे रूप में रख दिया गया है, जिसके अनुसार इस राज्य में समय विशेष पर स्थित और विधितः स्थापित सभी विश्वविद्यालयों के उपकुलपति राज्य मंडल के सदस्य हो सकें। धारा ३ (२) (ङ)

९—नए संविधान के अनुसार इस राज्य के विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या उनकी वर्तमान संख्या की लगभग दुगनी हो जायगी। इसलिए यह उपयुक्त समझा गया कि विधान सभा और विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर क्रमशः सात और दो कर दी जाय। इस समय विधान सभा और विधान परिषद् में इस प्रकार के निर्वाचन एकल संक्राम्य मतों के आधार पर होते हैं। प्रस्तावित अधिनियम के अधीन स्थापित होने वाले विभिन्न शिक्षा मंडलों के लिए सदस्यों के निर्वाचन में इसी पद्धति को निश्चित रूप से बनाये रखना अभीष्ट जानकर हमने यह उचित समझा कि इस विधेयक में उक्त पद्धति का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय। धारा ३ (२) (च)

१०—हम लोगों ने यह उचति समझा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो महिला सदस्य नियुक्त की जाय वह गैर सरकारी हो। अतः यह बात इस खंड में बढ़ा दी गयी है। धारा ३ (२) (छ)

११—मूल विधेयक के अनुसार प्रस्तावित अधिनियम के अधीन स्थापित होने वाले राज्य और आधारिक मंडलों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों को कोई स्थान नहीं दिया गया था और माध्यमिक मंडल में उनके केवल दो ही प्रतिनिधि रक्खे गये थे। हमारे मतानुसार इन तीनों मंडलों में उक्त विद्यालयों के प्रबंधकों के तीन-तीन प्रतिनिधि रहने चाहिए और जहां तक राज्य तथा आधारिक मंडलों का संबंध है, इन तीन प्रतिनिधियों में से एक माध्यमिक विद्यालयों के और दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों में से होने चाहिए। इसी अभिप्राय से हमने धारा ३ (२) में यह नया खंड और धारा १० (२) में खंड (ढढ) जोड़ दिया है और धारा १७ (२) के खंड (ड) में "दो" के स्थान कर "तीन" पर दिया है। इस संबंध में "मैनेजर्स एसोसिएशन" को मान्यता देने के अभिप्राय से हमने तीनों स्थानों पर प्रबंधकों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार उसी को देना उचित समझा है। धारा ३ (२) (टट)

१२—मूल विधेयक के प्रस्तावित अधिनियम के अधीन स्थापित होने वाले किसी भी शिक्षा मंडल में उत्तर प्रदेश एजुकेशनल सर्विस एसोसिएशन के सदस्यों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। हमने राज्य और माध्यमिक मंडलों में उक्त एसोसिएशन का एक एक प्रतिनिधि रख दिया है। धारा ३ (२) (टटट)

धारा ३(२) (टटटट) १३—मूल विधेयक ने राज्य सरकार को आधारिक और माध्यमिक मंडलों के लिए तो स्वविवेकानुसार कुछ सदस्य नामांकित करने का अधिकार दिया था, पर राज्य मंडल के लिए इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया था। यह सोच कर कि ऐसा न करने से संभव है ऐसे अन्य वर्गों के प्रतिनिधि, जिनका राज्य मंडल में होना उचित और अभीष्ट है, उसमें आने से रह न जायं। हमने राज्य सरकार को उक्त मंडल के लिए ऐसे तीन सदस्य जिन्हें वह उचित समझें, नामांकित करने का अधिकार देना उचित समझा है।

धारा ४ १४—यद्यपि संस्थाओं को सहायक अनुदान और राज्य सरकार द्वारा संचालित परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उपाधिपत्र और प्रमाणपत्र देना राज्य सरकार का ही कर्त्तव्य होगा, तथापि यह उचित और आवश्यक है कि इन दोनों बातों के विषय में उसे राज्य मंडल के परामर्श का भी लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए विधेयक की वर्तमान धारा ४ में इन दोनों बातों का समावेश करके उक्त धारा को किंचित परिमार्जित रूप में फिर से लिख दिया है।

धारा ५ १५—प्रस्तुत आख्या के अनुच्छेद ७ में उल्लिखित कारणों से इस धारा में भी संयुक्त सचिव का नाम बढ़ा दिया गया है।

अध्याय ३

आधारिक शिक्षा

धारा १० (२) (ग) १६—आधारिक शिक्षा के विद्यालयों के प्रति निरीक्षकों का भी घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि एक प्रति निरीक्षक (डिप्टी इंस्पेक्टर) भी आधारिक मंडल का सदस्य रहे। इसलिए प्रस्तुत धारा के इस खंड में जिला निरीक्षक के साथ एक प्रति निरीक्षक का भी नाम रख दिया गया है।

धारा १० (२) (ड) १७—इस विधेयक की धारा ३(२)(च) में जो संशोधन किए गए हैं, वे ही प्रस्तुत धारा के इस खंड में भी कर दिए गए हैं।

धारा १० (२) (ढढ) १८—प्रस्तुत आख्या के अनुच्छेद ११ में उल्लिखित कारणों से धारा ३ (२)(टट) के समान धारा १० में भी यह खंड (ढढ) बढ़ा दिया गया है।

धारा १० (२) (ण) १९—मूल विधेयक में राज्य सरकार को आधारिक मंडल के अन्य सदस्यों के अतिरिक्त ८ और सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। हमने आधारिक मंडल के सदस्यों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि कर दी है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों की संख्या ८ से घटा कर ५ कर दी गयी है।

धारा १५ २०—आधारिक और माध्यमिक मंडलों को यथोचित महत्व देने के लिए और उन्हें कुछ विशेष कार्यों के संबंध में वास्तविक अधिकार देने के हेतु इस धारा में और धारा २२ में हमने कुछ मौलिक परिवर्तन करके इन दोनों मंडलों को अपने अपने क्षेत्र से संबद्ध विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने तथा विद्यालयों को अंगीकृत करने आदि के अधिकार सौंप दिये हैं।

धारा १६ (२) (क) २१—हमने आधारिक और माध्यमिक मंडलों के सदस्यों का निर्वाचन आदि के विषय में नियम बनाने का अधिकार उक्त मंडलों को न दे कर राज्य सरकार को ही देना उचित समझा है। इसलिए उक्त विषय की नयी धारा ३१ में समाविष्ट करके प्रस्तुत धारा तथा धारा २३ में से तत्तत् धाराओं के खंड (क) निकाल दिए गए हैं।

धारा १६ (२) (छ) २२—मूल विधेयक में राज्य मंडल के समान आधारिक और माध्यमिक मंडलों के लिए भी सीधे राज्य सरकार से ही पत्र-व्यवहार आदि करने की व्यवस्था थी। इसे उचित न समझ कर हमने इस विधेयक की प्रस्तुत धारा के प्रस्तुत खंड तथा धारा २३ के खंड (छ) में क्रमात् आधारिक और माध्यमिक मंडलों की आख्या निवेदित करने के विषय में यह निश्चित किया है कि वे अपनी आख्याएं राज्य सरकार को निवेदित न करके राज्य मंडल को ही निवेदित

करें और धारा २६ में जहां तीनों मंडलों का किसी विषय में राज्य सरकार द्वारा सीधे ध्यान आकर्षित किये जाने की बात कही गयी है, वहां यह नियत किया गया था कि जहां तक आधारिक और माध्यमिक मंडलों का संबंध है उनका ध्यान राज्य सरकार राज्य मंडल द्वारा ही आकर्षित किया करे।

अध्याय ४

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

२३—हमने यह उचित समझा कि प्रयाग की केंद्रीय अध्यापन कला संस्था के प्रधान के साथ-साथ वहां की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के संचालक का भी नाम बढ़ा दिया जाय और यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाय कि दोनों में से जिसे वह उचित समझे माध्यमिक मंडल का सदस्य नियुक्त कर दे। धारा १७ (२) (ख)

२४—प्रस्तुत आख्या के अनुच्छेद ८, ९ और १२ में उल्लिखित कारणों से हमने धारा २ (ए) (ङ) और (च) के अनुसार इस धारा के खंड (ज) और (झ) को भी संशोधित कर दिया है, और धारा ३ (२) के नए खंड (टट) के अनुसार इस धारा में भी एक नया खंड (ञ ञ) बढ़ा दिया है। धारा १७ (२) (अ), (झ) (ञञ)

२५—इस खंड में हमने चिकित्सक वर्ग के स्थान पर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य संचालक का नाम रख दिया है, क्योंकि इसी को हमने अधिक उपयुक्त समझा। धारा १७ (२) (ठ)

२६—प्रस्तुत आख्या के अनुच्छेद ११ में हम पहले ही कह चुके हैं कि हमने माध्यमिक मंडल के लिए माध्यमिक विद्यालयों और उच्चतर माध्यकिक विद्यालयों के प्रबंधकों की संख्या २ से बढ़ा कर ३ कर दी है। इस संबंध में हमने राज्य मंडल और आधारिक मंडल के समान इस मंडल के लिए भी माध्यमिक विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों की संख्या अलग-अलग निर्दिष्ट करना उचित नहीं समझा। धारा १७ (२) (ड)

२७—इस धारा में जो संशोधन किए गए हैं उनके कारणों का विस्तृत रूप से उल्लेख प्रस्तुत आख्या के अनुच्छेद २० में कर दिया गया है। धारा २२

२८—पूर्वोक्त कारणों से प्रस्तुत धारा के इस खंड में "राज्य सरकार" के स्थान पर "राज्य मंडल" रख दिया गया है। धारा २३ (२) (छ)

अध्याय ५

प्रकीर्णक

२९—राज्य सरकार को उसके द्वारा विधान मंडल को, प्रति वर्ष इस राज्य में शिक्षा की स्थिति और प्रगति का ज्ञान होता रहे, इसलिए यह उचित समझा गया कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति और प्रगति के संबंध में आख्या तैयार करके राज्य सरकार के सम्मुख निवेदित करने का कार्यभार राज्य मंडल को सौंपा जाय और राज्य सरकार पर इस बात का भार रखा जाय कि वह उक्त आख्या को विधान मंडल के संमुख प्रस्तुत करे। धारा २३ (क)

३०—इस धारा में किए गए संशोधनों के कारण का उल्लेख प्रस्तुत आख्या के अनुच्छेद २२ में किया गया है। धारा २६

३१—प्रस्तुत आख्या के अनुच्छेद ४ में इस नयी धारा द्वारा राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार देने के कारणों का उल्लेख हो चुका है। जिन विषयों पर राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार देना हमने उचित समझा, उन पर हममें कोई मतभेद नहीं था। धारा ३१

३२—यह विधेयक ८ जुलाई, १९५० ई० के सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ था और हमारी सम्मति है कि संशोधित विधेयक को अब फिर से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

सम्पूर्णानन्द	अलगूराय शास्त्री
*रामधर मिश्र	बदन सिंह
जुगुल किशोर	कमलापति
सिंहासन सिंह	मोहम्मद शाहिद फाखरी
*पूर्णिमा बनर्जी	मोहम्मद असरार अहमद
*कृष्ण चन्द्र	बेगम अब्दुल वाजिद
*जयपाल सिंह	फखरुल इस्लाम
फतेहसिंह राणा	ई० एम० फिलिप्स
ए० धर्मदास	गुरु नारायण

*इन लोगों ने अपने मतभेद का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर किये।

मतभेद-पत्र

म उस सुझाव मे जो तीन मंडलों के सगठित करने के सम्बन्ध में है सहमत नही हूँ। मेरे विचार से उनमें से किसी की सदस्यता संख्या में १५ से अधिक नहीं होनी चाहिये। एक बड़ा मंडल वर्तमान इण्टरमीडियेट बोर्ड को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य को ही नष्ट कर देगा। प्रदेश में शिक्षा सम्बन्धी योजनायें और नियन्त्रण उन विचारों से प्रभावित नहीं होनी चाहियें जो पूर्णतः शास्त्रीय नहीं है और साम्प्रदायिक तथा अधिकार युक्त स्वार्थों से रहित होना चाहियें। मेरे विचार से इस विषय में नरेन्द्र देव कमेटी के सुझावों को समुचित महत्त्व देना चाहिये और शिक्षा के सर्वोच्च हितों को सुरक्षित रखने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहियें कि भविष्य में मंडल आपत्तिजनक अशास्त्रीय निर्णयों और छल-कपट का एक क्षेत्र न हो जाय।

१२ जनवरी, १९५१ ई०। रामधर मिश्र

मेरे विचार से "राज्य मंडल" जिसका १९५१ ई० के शिक्षा विधेयक में उल्लेख है एक ऐसा मंडल होगा जो सरकार को आधारिक तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी विषयों में सलाह देगा और साथ ही ऐसे कार्यों को जो सरकार द्वारा आदेशित हों करेगा। मैं राज्य मंडल के उस कार्य की ओर जो सरकार को शिक्षा सम्बन्धी सलाह देने का है ध्यान आकर्षित करती हूँ क्योंकि सदैव शिक्षा मंत्री के पद पर एक उच्चकोटि का शिक्षा विशेषज्ञ का होना सम्भव न हो सके। अतएव, ताकि राज्य मंडल अपना सरकार को सलाह देने वाला कर्त्तव्य उचित रूप से पूरा कर सके, मैं यह सुझाव देती हूँ कि इन्टरमीडिएट एजुकेशन ऐक्ट, १९२१ की उपधारा (९), (१०), (११) और (१२) को उसी प्रकार रहने दिया जाय।

उपधारा (९) शिक्षा संचालक से ऐसी शिक्षा संस्थाओं की अवस्था पर आख्या (रिपोर्ट) मांगना जो अंगीकृत हों या जो अंगीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र भेजें।

(१०) राज्य सरकार को ऐसे विषयों पर जिससे वह सम्बन्धित हो अपने विचार देना।

(११) अंगीकृत शिक्षा संस्थाओं के आर्थिक मांगों की सूची के विषय में जो बजट में सम्मिलित हो रही हो सुझाव भेजना और यदि उचित हो तो उन पर अपने विचार सरकार के विचारार्थ प्रगट करना।

(१२) ऐसे और सब आवश्यक कार्य करना जिनके द्वारा मंडल के उद्देश्य की, एक ऐसी संस्था के रूप में जो नियम बनाने, नियंत्रण रखने और आधारिक तथा माध्यमिक शिक्षा की उन्नति करने के लिए है, पूर्ति हो। (मैंने इस रेखांकित शब्द को बढ़ा दिया है।)

अनुच्छेद शीर्षक "मंडल के कर्त्तव्य" में शब्द "विस्तार" (डेवलपमेंट) के बाद शब्द "प्रसार" (एक्सपेंशन) बढ़ा दिया जाय। यह तीनों मंडलों के निमित्त होगा।

एक और वाक्यखंड होना चाहिए, जो राज्य मंडल को अपने कार्यवाहियों की एक आख्या (रिपोर्ट) विधान सभा के सामने रखने के लिए बाधित करे।

१२ जनवरी, १९५१ ई० पूर्णिमा बनर्जी

मतभेद की टिप्पणी

मुझे खेद है कि मैं अपने साथियों की कुछ सिफारिशों से सहमत नहीं हूँ और उन्हें मैं एक नोट के रूप में नीचे दर्ज करता हूँ :--

(१) वाक्यखंड ४ के अन्तर्गत राज्य बोर्ड के अधिकार और कर्त्तव्य दिये गये हैं। इनके अनुसार और वाक्यखंड २ में दी हुई "मान्यता" (recognition) की परिभाषा के अनुसार यह स्पष्ट है कि हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट परीक्षाओं की वर्तमान परीक्षा प्रणाली खत्म हो जायगी और शिक्षा विभाग को परीक्षाओं की संख्या तथा स्वरूप निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा। उसे यह भी अधिकार होगा कि वह जिस प्रकार उचित समझे उन परीक्षाओं का संचालन करे। इन्टरमीडियेट तक की कुल परीक्षाएं, अब तक की वर्नाक्यूलर फाइनल की परीक्षा की भांति वैभागिक परीक्षाएं हो जायंगी। राज्य बोर्ड (State Board) को केवल उन्हीं मामलों में परामर्श देने का अधिकार होगा जिनमें उससे परामर्श देने के लिए कहा जायगा। इस राज्य में पहले हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होती थीं। अन्य राज्यों में यह प्रथा अब भी प्रचलित है। सैडलर कमीशन (Sadler Commission) की रिपोर्ट पर केवल हमारे ही राज्य में हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन का अधिकार विश्वविद्यालय से ले लिया गया। उस समय इसका व्यापक रूप से विरोध किया गया था और इसे सभी ने एक प्रतिक्रियावादी कार्यवाही घोषित किया था। उस समय की विदेशी सरकार ने विश्वविद्यालय से हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट परीक्षाओं में संचालन का अधिकार ले लिया था, किन्तु उसने शिक्षा विभाग द्वारा यह अधिकार स्वयं ग्रहण न करके उसे इन्टरमीडियेट बोर्ड को सौंप दिया था जिस में कई गैर सरकारी सदस्य थे। तदनुसार इन्टरमीडियेट शिक्षा ऐक्ट (Intermediate Education Act) पास किया गया।

इस ऐक्ट के अधीन इन्टरमीडियेट बोर्ड की परीक्षाओं तथा दूसरे मामलों के सम्बन्ध में विशेष अधिकार दिया गया था। बोर्ड के अधिकारों की विशेष रूप से व्याख्या की गई थी और उनकी सीमा निर्धारित की गई थी। प्रस्तुत बिल के अधीन सरकार को व्यापक अधिकार दिये गये हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आचार्य नरेन्द्र देव समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत बिल के अधीन तीन बोर्ड रखे गये हैं। लेकिन उपर्युक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार परीक्षाएं देने का अधिकार सरकार को न देकर राज्य बोर्ड को दिया गया है। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य बोर्ड के कार्य शिक्षा विभाग और दूसरी शिक्षा संस्थाओं की तुलना में अधिक व्यापक हैं।

(२) यह बात बराबर कही गयी है कि अभी तक हिन्दुस्तानी और ऐंग्लो हिन्दुस्तानी शिक्षा में जो अन्तर रहा है उसे दूर कर दिया जाय और ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूलों की वही प्रतिष्ठा और स्तर हो जाय जो ऐंग्लो हिन्दुस्तानी स्कूलों का है ताकि आमतौर पर इन हिन्दुस्तानी स्कूलों में शिक्षा पाने वाले देहात के लोग वैसी ही शिक्षा पा सकें जैसी शहर के लोगों को दी जाती है। लेकिन प्रस्तुत बिल का प्रभाव इसके विपरीत पड़ने की संभावना है। इन निर्देशों के अधीन बुनियादी शिक्षा और हिन्दुस्तानी माध्यमिक शिक्षा को एक साथ मिला कर बुनियादी शिक्षा बोर्ड (Basic education Board) के नियंत्रण में रख दिया गया है। यदि हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूलों का स्तर बढ़ा कर ऐंग्लो हिन्दुस्तानी स्कूलों के बराबर करना था तो हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट कालेजों के साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Secondary Education Board) के नियन्त्रण में रखना चाहिये था।

मैं संशोधन पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ।

कृष्ण चन्द्र,
जयपाल सिंह

१२ जनवरी, १९५१ ई०

मतभेद-पत्र

श्री चौधरी जयपाल सिंह जी, एम० एल० ए० की ओर से उत्तर प्रदेशीय शिक्षा विधेयक, १९५० ई० की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर नोट आफ डिसेन्ट।

सौभाग्य से शिक्षा विधेयक की सिलेक्ट कमेटी का मैं भी सदस्य था पर सिलेक्ट कमेटी के निर्णयों से मुझे निम्नलिखित मतभेद हैं:—

१—प्रदेशीय बोर्ड में हरिजनों को, स्त्रियों को तथा पिछड़ी हुई जातियों के प्रतिनिधित्व का जो अनुपात रक्खा गया है वह उचित नहीं है। उनके स्थान पर उनके सामने लिखे गये संख्या में उक्त वर्गों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व मैं चाहता हूँ।

	दी गई संख्या	कितनी संख्या होनी चाहिये
हरिजन	०	३
स्त्रियां	१	३
बैंकवर्ड जातियों के प्रतिनिधि ..	०	३

२—बेसिक शिक्षा बोर्ड में भी मैं समझता हूँ कि हरिजनों, स्त्रियों तथा बैकवर्ड जातियों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम है अतः उसमें भी मैं निम्न लिखित संशोधन उचित समझता हूँ:—

	दी गई संख्या	कितनी संख्या होनी चाहिये
हरिजन	१	४
स्त्रियों के प्रतिनिधि ..	३	३
बैकवर्ड जातियों के प्रतिनिधि ..	०	४

३—तीसरा बोर्ड हायर सेकेंडरी एजूकेशन बोर्ड का बनाया जायगा। उसमें भी हरिजनों, स्त्रियों और बैकवर्ड जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिऐ :

	दी गई संख्या	कितनी संख्या होनी चाहिये
हरिजन	०	३
स्त्रियों के प्रतिनिधि ..	३	३
बैकवर्ड जातियों के प्रतिनिधि ..	०	३

यह एक कटु सत्य है कि हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में हरिजन जातियां, स्त्रियों तथा बैकवर्ड जातियों की हालत शिक्षा की दृष्टि से बहुत हीन है और उनकी जनसंख्या भी किसी प्रकार से ऐसी नहीं है कि उनकी उपेक्षा की जाय। मेरा अपना विचार यह है कि किसी वर्ग का भला, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, उसी वर्ग का प्रतिनिधि ही कर सकता है। अतः मैं समझता हूँ कि ऊपर दिये गये संख्या में हरिजनों, स्त्रियों तथा अन्य पिछड़ी हुई (बैकवर्ड) जातियों के प्रतिनिधि इस बिल के द्वारा बनायी गयी तीनों बोर्ड में होना चाहिये।

जयपाल सिंह,
एम० एल० ए०, सदस्य,
सिलेक्ट कमेटी, शिक्षा विधेयक, १९५० ई०।

ता० १५ जनवरी, १९५१ ई०

प्रवर समिति द्वारा संशोधित १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शिक्षा विधेयक

[प्रवर समिति द्वारा निकाले गये अंश (*) चिन्ह से चिन्हित हैं और बढ़ाये गये अंश रेखांकित हैं।]

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के पुनः (*) संघटन और नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिए सन् १९५० ई० का

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधेयक

उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को पुनः (*) संघटित, नियन्त्रित और नियमित करना उपपन्न एक्सपीडियेन्ट है;

अतएव यह निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय १

प्राथमिकी

१—(१) इस अधिनियम का नाम १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम होगा।

(२) इसका प्रसार पूरे उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह राज्य सरकार द्वारा यहां के वार्तायिन गजट में इस संबंध विज्ञापित दिनांक से प्रचलित होगा।

२—प्रसंग और विषय के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :

(क) "अंगीकरण" (रिकग्निशन) का तात्पर्य किसी संस्थ इस अभिप्राय से अंगीकृत किये जाने से होगा कि वह विभाग द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों शिक्षा दे सके।

(ख) "आधारिक मंडल" (बेसिक बोर्ड) का तात्पर्य धारा १० के (*) अधीन स्थापित "आधारिक शिक्षा मंडल" से होगा।

(खख) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से होगा।

(ग) "प्रवन्ध समिति" का तात्पर्य ससहाय संस्था की प्रबंध समिति से होगा।

(घ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री से होगा।

(ङ) "माध्यमिक मंडल" का तात्पर्य धारा १७ के (*) अधीन स्थापित उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल से होगा।

(च) "राज्य मंडल" का तात्पर्य धारा ३ के (*) अधीन स्थापित राज्य शिक्षा मंडल से होगा।

(चच) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से होगा।

(छ) "संचालक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की शिक्षा संचा (डाइरेक्टर आफ एजूकेशन) से होगा।

(ज) "संस्था" का तात्पर्य शिक्षा संस्था और उसके अन्तर्भूत भागों से होग

अध्याय १-क

परीक्षायें और उपाधि-पत्र

परीक्षाएं और उपाधि-पत्र

२-क--राज्य सरकार--

(क) आधारिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर तथा ऐसे अन्य अवस्थानों पर जो इस सम्बंध में नियत कर दिये जायं परीक्षाएं लेगी और उक्त परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षार्थियों को अधिकृत करने का अधिकार रखेगी;

(ख) पूर्वोक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का उपाधि-पत्र एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करेगी, और

(ग) परीक्षाओं के लिए जो शुल्क नियत कर दिया जाय उसे मांगने और लेने का अधिकार रखेगी।

अध्याय २

राज्य (*) मंडल

स्थापना और संघटन।

३--(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के बाद यथाशीघ्र राज्य भर के लिए एक शिक्षा (*) मंडल की स्थापना होगी, जिसका नाम राज्य शिक्षा (*) मंडल होगा।

(२) इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

(क) मन्त्री (पदेन),

(ख) मन्त्री के सभा सचिव में से एक सभा सचिव, जिसे राज्य सरकार नियुक्त कर दे।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव या राज्य सरकार के (*) आदेशानुसार उक्त विभाग के संयुक्त सचिव या प्रति सचिव (पदेन),

(घ) (*) संचालक (पदेन),

(ङ) (*) उत्तर प्रदेश में विधितः स्थापित विश्वविद्यालयों के उपकुलपति (वाइस-चांसलर),

(च) उत्तर प्रदेश विधान सभा के (*) सात सदस्य तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के (*) दो सदस्य, जिन्हें क्रम से उक्त सभा और परिषद् के सदस्य एकल संक्राम्य मतों के आधार पर निर्धारित करेंगे,

(छ) महिलाओं की शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक गैर सरकारी महिला,

(ज) यू० पी० सेकेन्डरी एजूकेशनल एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित उक्त एसोसिएशन के दो सदस्य,

(झ) यू० पी० नान-गजेटेड १ एजुकेशनल आफिसर्स एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित उक्त एसोसिएशन का एक सदस्य,

(ञ) अध्यापक प्रशिक्षण ट्रेनिंग का एक विशेषज्ञ, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी,

(ट) अध्यापक मंडल द्वारा निर्वाचित उक्त मंडल का एक सदस्य,

(टट) मैनेजर्स एसोसिएशन द्वारा निर्वाचित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों के दो और माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों का एक प्रतिनिधि,

(टटट) यू० पी० एजूकेशनल सर्विस एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित उक्त एसोसिएशन का एक सदस्य,

(टटटट) राज्य सरकार द्वारा नामांकित तीन सदस्य।

४—राज्य मन्डल के निम्नलिखित अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :— राज्य मंडल के अधिकार और कर्त्तव्य।

(१) राज्य सरकार को निम्नलिखित के विषय में परामर्श देना—

(क) शिक्षा संबंधी सिद्धान्त और प्रयोग,

(ख) संस्थाओं को सहायक अनुदान देने के विषय में प्रतिबन्ध,

(ग) परीक्षाओं को संचालन तथा परीक्षाओं की नियुक्ति और परीक्षाओं के संबंध में उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य,

(घ) उपाधि-पत्रों और प्रमाण-पत्रों का प्रदान तथा दशाएं जिनमें परीक्षार्थी उनके अधिकारी हो सकें,

(ङ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसे अभीष्ट अन्य विषय,

(२) आधारिक और माध्यमिक मंडलों का नियत प्रकार से सामान्य नियंत्रण अधीक्षण और निर्देशन तथा राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाओं का सामान्य रूप से पर्यवेक्षण, और

(३) नियत किये जाने वाले अन्य कृत्यों और कर्त्तव्यों का सम्पादन और पालन।

५— राज्य मंडल के अध्यक्ष मंत्री होंगे और शिक्षा विभाग के सचिव, संयुक्त सचिव, या प्रति सचिव में से, जो भी मंडल का सदस्य हो, उसका सचिव होगा। राज्य मंडल के अध्यक्ष और मंत्री।

६—(१) पदेन और आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए नियुक्त या निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्य-काल धारा ८ के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति के दिनांक से तीन वर्ष होगा।

(२) किसी आकस्मिक रिक्ति के पूर्ति के लिए नियुक्ति या निर्वाचित सदस्य भूतपूर्व सदस्य के अवशिष्ट कार्य काल तक कार्य करेगा।

७—यदि पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाय या किसी अन्य प्रकार से कोई स्थान रिक्त हो जाय तो इस प्रकार हु रिक्ति की पूर्ति धारा ३ के अनुसार सुविधानुकूल यथाशीघ्र की जायगी।

८—उन व्यक्तियों के नाम, जो धारा ३ और ७ के अनुसार राज्य मंडल के सदस्य नियुक्त या निर्वाचित होंगे, सरकारी वार्तायन (गजट) में प्रकाशित कर दिये जायेंगे। सदस्यों के नाम का प्रकाशन।

९—(१) राज्य मंडल को अधिकार होगा कि इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए प्रस्ताव द्वारा इस अधिनियम से या इस अधिनियम के अनुसार बने नियमों से संगत विनियम बनाये। राज्य मंडल के विनियम बनाने के अधिकार।

(२) पूर्वोक्त निदेश की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, निम्नलिखित सभी विषयों के या उनमें से किसी के संबंध में विनियम बनाये जा सकते हैं--

(क) राज्य मंडल तथा इस उपधारा के खंड (घ) के (*) अधीन स्थापित समितियों के अधिवेशनों का समय और स्थान,

(ख) अधिवेशन बुलाने और उनकी सूचना देने की रीति,

(ग) अधिवेशन की कार्यवाहियों का संचालन और ऐसे अधिवेशन के लिए आवश्यक इयत्ता (कोरम),

(घ) समितियों की स्थापना, (*) उनके (*) संघटन, अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्यों से संबद्ध सभी विषयों का अवधारण (डिटरमिनेशन) तथा उनके द्वारा अनुशरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(ङ) किसी समिति के लिए ऐसे सदस्यों की नियुक्ति जो राज्य मंडल के सदस्य न होते हुए भी मंडल के मतानुसार ऐसी समिति के सदस्य होने के लिए विशेष रूप से योग्य हों।

(च) आधारिक और माध्यमिक मंडलों द्वारा आख्या (रिपोर्ट्स) का निवेदन (सब्मिशन),

(छ) ऐसे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत कर दिये जायं।

अध्याय ३

आधारिक शिक्षा

आधारिक मंडल।

१०--(१) (*) इस अधिनियम के प्रचलित होने के बाद यथाशीघ्र एक आधारिक शिक्षा मंडल की स्थापना की जायगी।

आधारिक मंडल का संघटन।

(२) इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

(क) (*) संचालक (पदेन),

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रादेशिक प्रति शिक्षा संचालक (रीजनल डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन),

(ग) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कन्या पाठशालाओं की एक प्रादेशिक निरीक्षिका,

(घ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त (*) विद्यालयों के एक जिला निरीक्षक (डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स) (*) और एक प्रति निरीक्षक,

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी नार्मल स्कूल का प्रधानाध्यापक,

(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी महिला नार्मल स्कूल की प्रधानाध्यापिका,

(छ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बालकों के उत्तर प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयों (जूनियर हाई स्कूल) के दो प्रधानाध्यापक,

(ज) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बालिकाओं के उत्तर प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयों (जूनियर हाई स्कूल) की एक प्रधानाध्यापिका,

(झ) जिला परिषदों (डिस्ट्रिक्ट बोर्डों) के अध्यक्षों द्वारा निर्वाचित (*) जिला परिषद् का एक अध्यक्ष,

(ञ) नगर परिषदों (म्यूनिसिपल बोर्डों) के सभापतियों द्वारा निर्वाचित नगर परिषद् का एक सभापति,

(ट) यू० पी० सेकेन्डरी एजूकेशन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित उक्त एसोसिएशन का एक सदस्य,

(ठ) अध्यापक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित उक्त मंडल के दो सदस्य,

(ड) उत्तर प्रदेश विधान सभा के (*) सात सदस्य तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् (*) के दो सदस्य, जिन्हें क्रम से उक्त सभा और परिषद् के सदस्य एकल संक्राय मतों के आधार पर निर्वाचित करेंगे।

(ढ) 'राज्य परिगणित जातीय शिक्षा समिति' के सदस्यों द्वारा निर्वाचित उक्त समिति का एक सदस्य,

(डड) मैनेजर्स एसोसियेशन द्वारा निर्वाचित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धकों के दो और माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धकों का एक प्रतिनिधि,

(ण) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा में अभिरुचि रखने वाले (*) पांच अन्य व्यक्ति, जिनमें एक महिला तथा एक शिल्प और कला का विशेषज्ञ होगा।

११—* संचालक आधारिक मंडल के पदेन अध्यक्ष होंगे और माध्यमिक मंडल के सचिव इस मंडल के भी सचिव होंगे। म उ म

१२—(१) पदेन और आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिये नियुक्ति या निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल धारा १४ के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति के दिनांक से तीन वर्ष होगा। सदस्य कार्यक

(२) किसी आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिए नियुक्त या निर्वाचित सदस्य भूतपूर्व सदस्य के अवशिष्ट कार्यकाल तक कार्य करेगा।

१३—यदि पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाय या किसी अन्य प्रकार से कोई स्थान रिक्त हो जाय तो इस प्रकार की रिक्त की पूर्ति धारा १० के अनुसार सुविधानुकूल यथाशीघ्र की जायगी। का

१४—उन व्यक्तियों के नाम, जो धारा १० और १३ के अनुसार आधारिक मंडल के सदस्य नियुक्त या निर्वाचित होंगे सरकारी वार्तायन गजट में प्रकाशित कर दिये जायेंगे। सदस्यं नाम प्रकाश

१५—आधारिक मंडल के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे : आधारिक मंडल के कर्त्तव्य

(१) आधारिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम निर्दिष्ट करना,

(२) शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परीक्षाओं के निमित्त संस्थाओं को अंगीकृत करना,

(३) नियत किये गये शुल्क मांगना और लेना,

(४) नियत किये गये प्रयोजनों के लिए नियत किये गये प्रकार से अन्य अधिकारियों के साथ सहयोग करना,

(५) अंगीकृत संस्थाओं तथा ऐसी संस्थाओं की, जो अंगीकरण के लिए प्रार्थी हों, दशा के विषय में शिक्षा विभाग से मांग भेजना,

(६) अपने से सम्बन्ध रखने वाले किसी विषय पर राज्य मंडल के सामने अपने विचार निवेदित करना,

(७) राज्य मंडल द्वारा समय-समय पर दिये गये उपादेशों और निर्देशों का पालन करना, तथा

(८) राज्य मंडल द्वारा समय-समय पर अभिदिष्ट अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना।

आधारिक मंडल के विनियम बनाने के अधिकार

१६--(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये आधारिक मंडल विनियम बना सकता है।

(२) पूर्वोक्त निदेश की व्याप्ति को बाधित करते हुए, निम्नलिखित सभी विषयों या उसमें से किसी के सम्बन्ध में विनियम बनाये जा सकते हैं :

(क) (*)

(ख) मंडल तथा इस उपधारा के खंड (ङ) के (*) अधीन स्थापित समितियों के अधिवेशनों का समय और स्थान,

(ग) अधिवेशन बुलाने और उनकी सूचना देने की रीति,

(घ) अधिवेशनों की कार्यवाही का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए आवश्यक इयत्ता (कोरम),

(ङ) समितियों की स्थापना और उनके (*) संघटन अधिकार, कर्त्तव्य, तथा कृत्यों से सम्बद्ध सभी विषयों का अवधारण,

(च) किसी समिति के लिए ऐसे सदस्यों की नियुक्ति, जो आधारिक मंडल के सदस्य न होते हुए भी मंडल के मतानुसार ऐसी समिति के सदस्य होने के लिए विशेष रूप से योग्य हों,

(छ) समितियों द्वारा मंडल को तथा मंडल द्वारा राज्य (*) मंडल को आख्याओं (रिपोर्ट्स) का निवेदन (सब्मिशन,),

(ज) आधारिक पाठशालाओं, माध्यमिक विद्यालयों, जूनियर हाई स्कूल और उक्त विद्यालयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाली संस्थाओं के लिए पाठ्य-प्रणाली,

(झ) ऐसे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत कर दिये जायं।

अध्याय ४

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

उच्चतर माध्यमिक मंडल

१७--(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के बाद यथाशीघ्र एक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना की जायगी।

उच्चतर माध्यमिक मंडल का संगठन

(२) इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

(क) संचालक (पदेन),

(ख) प्रयाग की केन्द्रीय अध्यापन कला संस्था (पेडागाजिकल इन्स्टीटयूट) के प्रधान तथा प्रयाग की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला (साइकोलाजिकल ब्यूरो) के संचालक में से एक जिसे राज्य सरकार नियुक्त कर दे (पदेन),

(ग) सहायक शिक्षा संचालक, महिला शिक्षा (पदेन),

(घ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रादेशिक प्रति शिक्षा संचालक

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रधान,

(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय की (*) प्रधान,

(छ) गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ५ प्रधान, जो ऐसी संस्थाओं के प्रधानों द्वारा प्रादेशिक आधार पर निर्वाचित होंगे,

(ज) (*) इस राज्य में विधितः स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि, जिसे तत्सम्बन्धी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति (वाइस-चांसलर) नियुक्त करेंगे,

(झ) उत्तर प्रदेश विधान सभा के (*) ७ सदस्य तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् (*) के दो सदस्य, जिन्हें क्रम से उक्त सभा और परिषद् के सदस्य एकल संक्राम्य मतों के आधार पर निर्वाचित करेंगे,

(ञ) यू० पी० सेकेन्डरी एजूकेशन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित उक्त एसोसिएशन के दो सदस्य,

(ञ ञ) यू० पी० एजूकेशनल सर्विस एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित उक्त एसोसिएशन का एक सदस्य,

(ट) यू० पी० नान-गजेटेड एजूकेशनल आफिसर्स एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित उक्त एसोसिएशन का एक सदस्य,

(ठ) (*) उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य संचालक,

(ड) मैनेजर्स एसोसिएशन द्वारा निर्वाचित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों (*) के प्रबन्धकों (*) के तीन प्रतिनिधि,

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा में अभिरुचि रखने वाले अधिक से अधिक ६ अन्य व्यक्ति, जिनमें दो महिला, एक शिल्प और कला का विशेषज्ञ तथा एक उद्योग और वाणिज्य का प्रतिनिधि होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अन्तर्गत इन्टरमीडियेट कालेज भी आते हैं।

(३) (*)

१८—(*) संचालक माध्यमिक मंडल के अध्यक्ष होंगे और इसका सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा। उच्चतर माध्यमिक मंडल के अध्यक्ष और मंत्री

१९—(१) पदेन और आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए नियुक्त या निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल धारा २१ के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति के दिनांक से ३ वर्ष होगा। सदस्यों का कार्यकाल

(२) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए नियुक्त या निर्वाचित सदस्य भूतपूर्व सदस्य के अवशिष्ट कार्यकाल तक कार्य करेगा।

२०—यदि पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाय या किसी अन्य प्रकार से कोई स्थान रिक्त हो जाय, तो इस प्रकार की रिक्ति की पूर्ति धारा १७ के अनुसार सुविधानुकूल यथाशीघ्र की जायगी। रिक्तियों का पूर्ति

२१—उन व्यक्तियों के नाम, जो धारा १७ या २० के अनुसार माध्यमिक मंडल के सदस्य नियुक्त या निर्वाचित होंगे, सरकारी वार्तायन (गजट) में प्रकाशित कर दिये जायेंगे। सदस्यों के नाम का काश।

माध्यमिक मंडल के कर्त्तव्य

२२—माध्यमिक मंडल के निम्नलिखित अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :—

(१) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम निर्दिष्ट करना,

(२) शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परीक्षाओं के निमित्त को अंगीकृत करना,

(३) नियत किये गये शुल्क मांगना और लेना,

(४) नियत किये गये प्रयोजनों के लिए नियत किये गये प्रकार से अन्य अधिकारियों के साथ सहयोग करना,

(५) अंगीकृत संस्थाओं तथा ऐसी संस्थाओं को, जो अंगीकरण के लिए प्रार्थी हों, दशा के विषय में शिक्षा विभाग से आख्या मांग भेजना,

(६) अपने से संबंध रखने वाले किसी विषय पर राज्य मंडल के सामने अपने विचार निवेदित करना,

(७) राज्य मंडल द्वारा समय-समय पर दिये गये उपादेशों और निर्देशों का पालन करना, और

(८) राज्य मंडल द्वारा समय-समय पर अभिदिष्ट अन्य कर्त्तव्यों और कृत्यों का पालन करना।

माध्यमिक मंडल के विनियम बनाने के अधिकार

२३—(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए माध्यमिक मंडल अधिनियम बना सकता है।

(२) पूर्वोक्त निदेश की व्याप्ति को बाधित न करते हुए निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के संबंध में विनियम बनाये जा सकते हैं:—

(क) (*)

(ख) मंडल तथा इस धारा के खंड (ङ०) के (*) अधीन नियुक्त समितियों के अधिवेशन का समय और स्थान,

(ग) अधिवेशन बुलाने और उनको सूची देने की रीति,

(घ) अधिवेशनों के कार्यवाही का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए इयत्ता (कोरम),

(ङ०) समितियों की स्थापना और उनके (*) संघटन, अधिकार, कर्त्तव्य, तथा कृत्यों से सम्बद्ध सभी विषयों का अवधारण (डिटरमिनेशन),

(च) किसी समिति के लिए ऐसे सदस्यों की नियुक्ति, जो माध्यमिक मंडल के सदस्य न होते हुए भी, मंडल के मतानुसार ऐसे समिति के सदस्य होने के लिए विशेष रूप से योग्य हों,

(छ) समितियों द्वारा मंडल को तथा मंडल द्वारा राज्य (*) मंडल की आख्याओं (रिपोर्ट्स) का निवेदन (सब्मिशन),

(ज) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और उक्त विद्यालयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाली संस्थाओं के लिए पाठ्य-प्रणाली,

(झ) ऐसे विषय, जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत कर दिये जायं।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति के संबंध में वार्षिक आख्या

२३-क—(१) राज्य मंडल उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति और प्रगति के संबंध में प्रतिवर्ष एक आख्या तैयार करके उसे राज्य सरकार के सामने निवेदित करेगा।

(२) प्रति वर्ष उक्त, आख्या राज्य विधान मंडल के सामने रखी जायगी।

अध्याय ५

प्रकीर्णक

२४--राज्य मंडल, आधारिक मंडल, माध्यमिक मंडल या इन मंडलों द्वारा बनाये गये विनियमों के अधीन स्थापित किसी समिति में हुई कोई रिक्त या उक्त मंडलों की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामांकन, या नियुक्ति में हुई कोई त्रुटि मंडल या समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को अवैध न कर सकेगी। कार्य और कार्यवाहियों का वैधीकरण

२५--जब तक उन्हें राज्य सरकार द्वारा संशोधित या रूप असंशोधित में अनुमोदन न प्राप्त हो जाय और वे सरकारी वार्तायन (गजट) में प्रकाशित न कर दिये जायं तब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत बने विनियम सप्रभाव न होंगे। विनियमों का अनुमोदन तथा प्रकाशन

२६--(१) राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह राज्य मंडल के सामने विचाराधीन या उसके द्वारा संचालित अथवा किये गये किसी कार्य के विषय में उसका ध्यान और अन्य दोनों मंडलों में से किसी के सामने विचाराधीन या उसके द्वारा संचालित अथवा किये गये किसी कार्य के विषय में तत्सम्बन्धी मंडल का ध्यान राज्य मंडल द्वारा आकर्षित करे और उस विषय पर अपना मत मंडल को सूचित करे। वाह्य नियंत्रण

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत मिली सूचना के अनुसरण में किये गये या किये जाने वाले कार्य की राज्य सरकार को आख्या देना मंडल का कर्त्तव्य होगा।

(३) यदि मंडल उक्त सूचना के अनुसरण में उचित समय के अन्दर आवश्यक कार्यवाही न करे या यदि कोई कार्यवाही करे भी तो उससे राज्य सरकार को संतोष न हो तो राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह मंडल द्वारा प्रस्तुत किये गये समाधान या आवेदन पर विचार करने के बाद उक्त मंडल को इस अधिनियम से संगत से आदेश दे जो उसे उचित जान पड़े और मंडल ऐसे आदेशों को पालन करने को बाध्य होगा।

२७--राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह किसी मंडल के सभी सदस्यों को या उनमें से किसी के कार्यकाल की अवधि को सरकारी वार्तायन (गजट) में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर बढाती रहे। सदस्यों के कार्यकाल की वृद्धि

२८--धारा २६ और २७ में मंडल शब्द का तात्पर्य राज्य, आधारित और माध्यमिक मंडलों में होगा। व्याख्या

२९--सरकारी वार्तायन में प्रथम बार धारा १४ के अन्तर्गत प्रकाशित विज्ञप्ति के दिनांक से ही यू० पी० एजूकेशनल कोड के ११ अध्याय के अन्तर्गत संघटित बोर्ड आफ हिन्दुस्तानी एजूकेशन की सत्ता समाप्त हो जायगी। बोर्ड आफ वर्नाक्युलर एजूकेशन का विघटन

३०--दि यूनाइटेड प्राविंसेज इन्टरमीडियेट एजुकेशन ऐक्ट, १९२१ ई० इस (*) अधिनियम द्वारा निवर्तित (रिपील्ड) किया जाता है। निवर्तन और अपवाद

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम और विनियम, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर प्रचलित थे, राज्य सरकार द्वारा परिस्थितियों के अनुकुल किये गये परिष्कारों, परिवर्तनों और परिवर्धनों के साथ तब तक प्रचलित रहेंगे, और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये माने जायंगे, जब तक वे इस अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा अवक्रांत (सुपरसीड) न हो जायं।

३१--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकता है। नियम बनाने का अधिकार

(२) पूर्वोक्त निदेश की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी की व्यवस्था कर सकते हैं—

(क) शिक्षा संबंधी सिद्धान्त और प्रयोग,

(ख) सभी प्रमाण-पत्रों और उपाधि-पत्रों के निमित्त निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम।,

(ग) परीक्षाओं का संचालन एवं परीक्षकों की नियुक्ति, परीक्षाओं के संबंध में उनके, अधिकार और कर्त्तव्य तथा तत्सम्बन्धी अन्य सभी विषय

(घ) उपाधि-पत्रों और प्रमाण-पत्रों का प्रदान,

(ङ) परीक्षाओं के निमित्त संस्थाओं का आधारिक और माध्यमिक मंडलों द्वारा अंगीकरण और अंगीकरण का प्रत्याहार,

(च) संस्थाओं को दिया जाने वाला सहायक अनुदान,

(छ) राज्य मंडल, आधारिक मंडल और माध्यमिक मंडल की स्थापना और संघटन तथा उक्त मंडलों के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बद्ध विषय एवं उक्त निर्वाचन संबंधी संदिग्ध विषयों और विवादों का निर्णय,

(ज) इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार स्थापित मंडलों के सर्वप्रथम अधिवेशनों के बुलाने का समय, स्थान और रीति,

(झ) उपर्युक्त अधिवेशनों के कार्यों और कार्यवाहियों का संचालन और उनके लिए आवश्यक इयत्ता (कोरम),

(ञ) इस अधिनियम के अधीन स्थापित मंडलों का सामान्य पथप्रदर्शन, और

(ट) ऐसे सभी विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत कर दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

इस राज्य में अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी शिक्षा का नियमन, १९२१ ई० के इंटर-मीजिएट एजूकेशन ऐक्ट द्वारा और हिन्दुस्तानी शिक्षा का बोर्ड आफ हिन्दुस्तानी एजूकेशन द्वारा होता है।

आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की सिफारिश थी कि एक प्रान्तीय शिक्षा परामर्श मंडल और उसी के साथ दो और मंडल, एक आधारिक शिक्षा के लिए तथा दूसरा माध्यमिक शिक्षा के लिए, स्थापित किये जायं। उक्त कमेटी की रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के बाद से स्थिति में पर्याप्त अन्तर हो गया है। इस राज्य की समस्त शिक्षा-पद्धति का एक प्रकार से नवीकरण हो चुका है तथा हिन्दुस्तानी और अंग्रेज़ी-हिन्दुस्तानी शिक्षा में जो अन्तर था वह सर्वथा जाता रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थिति-परिवर्तन हो गया है उसकी दृष्टि से नियामक संस्थाओं का पुनः संघटन आवश्यक है। यह विधेयक इस राज्य में शिक्षा के नियमन और विकास की और अधिक अच्छी व्यवस्था करने के अभिप्राय से एक केंद्रीय और दो गौण मंडलों की स्थापना की व्यवस्था करता है। इन संस्थाओं का संघटन और उन्हें प्रदत्त कार्य साम्प्रतिक आवश्यकताओं के पूर्णतया अनुकूल हैं और इधर शिक्षा संबंधी हमारे विचारों में जो प्रगति हुई है तथा उस दिशा में हमें जो कुछ अनुभव प्राप्त हुए हैं उन सब का इनके संबंध में पूरा लाभ उठाया गया है।

सम्पूर्णानन्द
शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—२२३ एल० ए०—१९५०—६६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १७ जनवरी, सन् १९५१ ई०

विधान सभा की बैठक सभामण्डप लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१५३)

अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
असगर अली खां, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फैंथम, श्री
इर्तिजा हुसेन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
कुंजबिहारी लाल शिवानी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गुरु नारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगल किशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दाऊ दयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
परागी लाल, श्री

पूर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुर्रहमान खां, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवान दीन, श्री
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुकुंद लाल अग्रवाल, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री
मुहम्मद एवज, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद रजा खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रामशरण, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लाखन दास जाटव, श्री
लालबहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टंडन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्याधर बाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयकुमार मुकुर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकरदत्त शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी, शास्त्री, श्री
श्रीचन्द सिंघल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुदामा प्रसाद, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सईद अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१-४--श्री कृष्ण चन्द्र--[स्थगित किए गए।]

*५-६--श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)--[स्थगित किये गये।]

महामान्य राज्यपाल के जाने पर रुड़की और महेवड़ के मध्य ट्रैफिक का बन्द किया जाना

*७--श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि २६ नवम्बर को माननीय राज्यपाल के जाने पर रुड़की और महेवड़ के मध्य में पुलिस ने ट्रैफिक को बन्द कर दिया था ?

माननीय श्री लालबहादुर (पुलिस मंत्री)--जी हां। ट्रैफिक बहुत थोड़ी देर के लिए बन्द की गयी थी क्योंकि रुड़की-महेवड़ सड़क पर स्थित सोलानी पुल पर दोनों तरफ से ट्रैफिक का चलना संभव नहीं था।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस समय यह ट्रैफिक बन्द हुआ था उस समय उस ट्रैफिक को इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कोई दूसरा ट्रैफिक या रास्ता बतलाया गया था ?

माननीय श्री लालबहादुर--कोई दूसरा और है नहीं।

*८-१०--श्री गङ्गा सहाय चौबे--[माननीय उद्योग मंत्री की अनुपस्थिति के कारण तारीख १८ जनवरी सन् १९५१ ई० के लिए स्थगित किए गए।]

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों के (अनुपूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

मुझे इस भवन के संमुख इस विधेयक को उपस्थित करने में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता था कि जब कि एक आर्डिनेंस इस संबंध में पास हो गया, उसके ऊपर अमल हो गया और इस संबंध में बाहर भी काफी चर्चा हुई। इस भवन में भी सुपरसेशन के संबंध में काफी चर्चा और सिद्धांतों की चर्चा हो गयी। तो इस वक्त जब यह विधेयक पेश है, विशेष बातें कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज मालूम हुआ कि विरोधी दल के लोग उसके लिए काफी समय लेना चाहते हैं। उस पर पुनर्विचार करने की उनकी इच्छा है । इसलिए मुझे भी कहने की आवश्यकता पड़ी। मैं इस भवन के सदस्यों के सामने वे कारण बतलाना चाहता हूं जिन कारणों से यह आवश्यक समझता हूं कि भवन इस विधेयक पर विचार करे और उसे पास करे। सन् १९१६ ई० में म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट पास हुआ। उसकी दफा ३० के अनुसार सुपरसेशन का अधिकार विशेष परिस्थितियों में सरकार को दिया गया। किसी भी कानून का अर्थ जिस वक्त वह कानून पास होता

नोट--तारांकित प्रश्न ७ श्री खुशवक्त राय ने पूछा।

†२१ दिसम्बर, १९५० ई० की कार्यवाही में छपा है।

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

है उस वक्त ताजा सब के दिमाग में रहता है और बीस वर्ष के बाद उसके संबंध में दूसरा भी ख्याल हो सकता है। शब्दों की बारीकी सब कांट-छांट करके दूसरे भी अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो मैं भवन को कहना चाहता हूं कि जिस वक्त उसका अर्थ ताजा था उस वक्त उसकी दफा के अनुसार विशेष परिस्थितियों में बोर्ड का काम न चलता हो, बोर्ड ने कोई ऐसी बेउनवानी की हो, तो कोई मुद्दत मुकर्रर करके सुपरसेशन (अवक्रमण) करे। जनरल क्लाजेज ऐक्ट की धारा २१ में दिया हुआ है कि कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट निकालती है तो उन्हें नोटीफिकेशन को बदलने, अमेंड करने, और ऐड करने सब चीजों का अधिकार है। दफा २१ को मैं पढ़ कर भवन के सम्मुख सुना देना चाहता हूं। वह यह है--

"Where by any United Provinces Act, power to issue notifications, orders, rules or bye-laws is conferred, power includes a power exercisable in the like manner and subject to the like sanctions and conditions, if any, to add to, amend, vary or rescind any notfications, orders, rules or bye-laws so issued."

(जब संयुक्त प्रान्त के किसी अधिनियम द्वारा अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमो या उपविधियों को जारी करने की शक्ति प्रदान की गयी हो तब उस शक्ति में उस शक्ति का भी समावेश होगा जो उसी ढंग पर व्यवहार में लायी जायगी और जिस पर उसी प्रकार के नियंत्रण या शर्तें, यदि कोई हों, इस प्रकार जारी की गई अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उपविधियों में जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या निराकरण करने में लागू होंगी।)

तो इन दोनों दफाओं को पढ़ते हुए पिछली गवर्नमेंट ने भी बराबर यह समझा कि अगर किसी मुद्दत के लिए नोटीफिकेशन के द्वारा बोर्ड सुपरसीड (अवक्रान्त) किया जाय तो जनरल क्लाजेज ऐक्ट (सामान्य परिभाषा अधिनियम) के द्वारा उसको अधिकार है कि वह बढ़ा सकती है। यही जनता भी अब तक समझती थी और यही किसी कानून का अर्थ लगाते वक्त सोचा जाता। हिन्दू ला के बारे में भी एक तो बहुत सी रूढ़ियां चली आती हैं जो प्रचार होता है उसके अन्तर्गत विचार करते हुए फिर कानून को देखा जाता है कि उसका असल मंशा क्या है यह मंशा निकाला जाता है। इसी तरह से हाई कोर्ट और प्रिवी कौंसिल की रूलिंग्स (निर्णय) चली आती हैं, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि कानून में एक राय हो जाय और उसके संबंध में दूसरी राय नहीं हो सकती। जब पिछले साल लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के सुपरसेशन की अवधि बढ़ाई गयी उस वक्त किसी ने किसी किस्म का कोई ऐतराज नहीं किया, किसी के दिल में कोई दुर्भावना नहीं आयी क्योंकि सब लोग समझते थे कि कानूनी अधिकार गवर्नमेंट को है। अब इस अधिकार का दुरुपयोग न हो इसलिए गवर्नमेंट को जब पहले वह सुपरसेशन करे तो थोड़े समय के लिए ही करना चाहिए क्योंकि अगर यह न हुआ तो गवर्नमेंट टेम्टेड हो सकती है, उसको लालच हो सकता है कि शायद आगे न बढ़ ई जाय तो लाओ बजाय १ साल के ५ साल कर दिया जाय। यह अधिकार गवर्नमेंट को है कि वह १५ साल के लिए, १० साल के लिए या किसी भी मुद्दत के लिए बढ़ा सकती है, सुपरसेशन कर सकती है, लेकिन अगर इस किस्म का अधिकार हो जाय तो गवर्नमेंट को उसका दुरुपयोग करने के लिए मौका हो सकता है। यह मंशा उसका न हो जाय और उसका उपयोग कम से कम मुद्दत के लिए हो और यह अर्थ वाजिब भी है तो वह जितनी मियाद के लिए जरूरत हो कम से कम मुद्दत के लिए बढ़ावे। तो इस तरह से जो रिवाज चला आ रहा है उसको दृष्टि में रखते हुए और यह वाजिब है या नही इसको भी दृष्टि में रखते हुए यह अधिकार सरकार को मौजूद था। लेकिन इस वक्त यह शक जाहिर किया गया और प्रेस में खास तौर पर इसकी चर्चा हुई कि यह अधिकार सरकार को सिर्फ एक ही दफा है, लेकिन इस तरह से बार-बार मियाद बढ़ाने का अधिकार नहीं है। जनरल क्लाजेज ऐक्ट का भी

हवाला दिया गया कि सिमिलर कन्डीशंस प्रिवेल (समान स्थिति विद्यमान) करे तब ही सकता है। लेकिन सिमिलर कंडीशन्स उस वक्त न होने से यह शक पैदा हुआ।

श्री खुशवक्त राय--यह शक कब पैदा हुआ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--उसी वक्त जब मियाद दोबारा बढ़ाने का समय आया।

श्री खुशवक्त राय--क्या आप तारीख बता सकेंगे?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--तारीख तो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन इस वर्ष के अक्तूबर के पहिले जून, जुलाई या अगस्त में हो सकता है। उसके ऊपर मतभेद होते रहे और यह जांच करने के लिए ऐडवोकेट जनरल की राय ली और सब लोगों की राय लेने का प्रयत्न किया गया। और जिस वक्त यह राय हुई कि यह अर्थ लगाया जा सकता है और मुमकिन है कि इस पर कोई मुकद्दमेबाजी हो तो यह सोचा गया कि असेम्बली का जब दूसरा सेशन हो तो इस मामले को रखा जाय। इस बीच में असेम्बली उठ गई और यह शंका होने लगी कि बगैर किसी कानून के पास किए हुए अगर सुपरसेशन कर देते हैं तो मुकदमेबाजी हो सकती है और मुमकिन है कि जब भवन बैठे उसके पेश्तर ही हाई कोर्ट का फैसला हो जाय, इसलिए अगर एक नावाजिब तौर पर म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड रहे और उसके अहकामात जारी होते रहें तो एक नई परिस्थिति पैदा हो सकती है, ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट ने यह जरूरी समझा कि एक आर्डीनेंस (अध्यादेश) जारी किया जाय। वह जारी किया गया और उसके बाद यह बिल ला रहे हैं। मैंने यह जो विधेयक पेश किया उसका कारण बतलाया कि पहले यह अर्थ इसका था कि गवर्नमेंट को अधिकार है और रिवाज भी यही था, कई म्युनिसिपैलिटियों की सुपरसेशन की मियाद दो-दो, तीन-तीन साल तक बढ़ाई गई और उसके ऊपर कोई ऐतराज नहीं हुआ, लेकिन एक दफा जब शंका पैदा हो जाय तो मैंने समझा कि यह हमारा कर्तव्य है कि इसे भवन के सामने लावें और विधेयक द्वारा स्पष्टीकरण कर देवें। मैं अब भी यही राय रखता हूं कि जो पहिले किया गया था वह वाजिब था लेकिन इस शक-शुबह में मुकदमेबाजी न बढ़े इस विचार से उचित यही समझा गया कि कानून पास होना ही ज्यादा लाभदायक है और जब कि हमारे कानूनी सलाहकारों की राय थी तो उनकी राय को वजन देना ही चाहिए, क्योंकि वकालत का ज्यादा तजुर्बा नहीं रखता, इसलिए उनकी राय को देखते हुए मैंने जरूरत समझी कि विधेयक में स्पष्टीकरण कर दिया जाय। इस विधेयक में यह चीज स्पष्ट कर दी गयी है कि सन् १९१६ ई० में जो कानून पास किया गया उसका बराबर अर्थ यह था कि गवर्नमेंट को यह अख्तियार था और उसके मातहत जितने अहकामात जारी हुए वे वाजिब करार दिए गए और एक स्पष्टीकरण के जरिए से यह साफ कर दिया गया है कि गवर्नमेंट को यह अधिकार समय-समय पर होगा कि अगर वह वाजिब समझे कि सुपरसेशन की मियाद बढ़ाने की आवश्यकता है तो वह बढ़ा सकती है। इतना ही इसमें कहा गया है।

सिद्धांत के बारे में, डैमोक्रेटिक (लोकतंत्रात्मक) सिद्धान्त के बारे में भी विरोधी दल के लोगों ने जिक्र किया और मेरी राय के विषय में भी कहा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी की रिपोर्ट पर जिस वक्त मैंने हस्ताक्षर किए जब कि सन् १९३७-३८ ई० में मेरे सभापतित्व में बैठी थी, उस वक्त मैंने कहा था कि सुपरसेशन कभी होना ही नहीं चाहिए। यह मेरी राय बहुत कुछ हद तक अभी भी कायम है। यह मैं आप से स्पष्ट कहना चाहता हूं, लेकिन हमने उसमें बहुत से सुझाव भी दिए थे कि किस किस्म की म्युनिसिपैलिटी बननी चाहिए। उसमें वे भी सुझाव दिए थे और उसके साथ यह सिफारिश की थी, हर एक परिस्थिति में नहीं। अगर प्रजातंत्र के सिद्धांत के अनुसार हम बोर्ड बनाते हैं तो उस वक्त, उस परिस्थिति में, सुपरसेशन का कोई तरीका नहीं जारी रखना चाहिए, लेकिन मेरे उस मत के साथ मेरे बहुत से साथियों का मतभेद रहा और उन्होंने कहा कि संधिकाल में कम से कम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती कि जिसमें सुपरसेशन (अतिक्रमण) की आवश्यकता न हो। मुमकिन है कि संधिकाल

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

में, ट्रांजीशन पीरियड (अन्तकालीन समय) में, ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय कि बोर्ड ठीक तरह से काम न करता हो, गुटबन्दी वहां मौजूद हो, शहरों में भी वार्ड्स का बटवारा इस किस्म से हो कि दुबारा चुनाव होने पर भी जनता के सच्चे प्रतिनिधि न आ सकें या जैसा अभी संधिकाल में है कि पृथक निर्वाचन के अनुसार ही चुनाव करा सकते हैं, क्योंकि नयी लिस्ट बनी ही नहीं है, तो जब प्रजातंत्रीय सिद्धांत के अनुसार, वाजबी तौर पर जनता के सच्चे नुमाइंदे चुन कर आने की उम्मीद न हो तो ऐसी अवस्था में मजबूर हो कर सरकार को वह अधिकार इस्तेमाल करना पड़ा। जिसको सुपरसेशन कहते हैं। ऐसी अवस्था में सुपरसेशन की तजवीज कायम रखना चाहते हैं। इसलिए इस भवन में सन् १९४९ ई० में सुधार का कानून पास हुआ उस वक्त वह दफा ३०, जो १९१६ ई० के ऐक्ट में थी उसको कायम रखा। इसलिए भवन की राय स्पष्ट हो जाती है, भवन समझता है कि जनता के हित में सुपरसेशन का सिद्धांत कुछ काल के लिए कायम रखना चाहिए। कोई कानून हमेशा के लिए नहीं हुआ करता है। इस वक्त यह उचित है। जब बालिग मताधिकार और डाइरेक्ट एलेक्शन के ऊपर और पृथक निर्वाचन को छोड़ कर बोर्ड कायम हो जाय और उस समय जनता उचित समझे कि इस कानून को हटा दिया जाय उस वक्त हम एक छोटा सा सुधार का कानून पेश कर सकते हैं। इस आशा को लेकर मैंने इसको स्वीकार किया कि सुपरसेशन का अधिकार कायम रहे और इसके सीमित उपयोग करने के मैं पक्ष में हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमित तौर से बराबर जनता का दबाव इस विषय में हुआ है कि यहां की परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट चुपचाप बैठी है और कुछ काम नहीं कर रही है।

मैं इसके विषय में बतलाऊं तो आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि सन् १९४१ ई० में एक कमेटी बैठी, जिसके जज श्री नियामतुल्ला थे। उस समय कहा गया था कि बड़ी बदइंतजामी है और बोर्ड को सुपरसीड करना चाहिए लेकिन उस समय नहीं हो सका। क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति के बिगड़ जाने के कारण उसका गवर्नमेंट पर भी असर हुआ और सुपरसेशन नहीं हो सका। मुझसे भी जब कि श्रीमती पंडित थीं उस वक्त कहा गया कि इसको कर दिया जाय और बराबर लोगों का तकाजा था कि काम ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए इसको सुपरसीड कर दिया जाय, लेकिन हमने इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की और बराबर बोर्ड को तम्बीह देते रहे और उसको आगाह करते रहे। सन् १९४८ ई० में म्युनिसिपैलिटी को नोटिस दिया था और मुझे इस वक्त भी याद है कि जो मेरा व्यंग चित्र 'नेशनल हैरेल्ड' ने छापा था कि अब भी हिम्मत करेंगे। एक म्युनिसिपैलिटी की बड़ी शानदार इमारत बनाई थी और उसमें एक दरवाजा था जो बंद था और वहां पर मैं खड़ा था। इस पर यह लिखा गया था कि क्या अन्दर घुसने की अब भी हिम्मत है या नहीं या नोटिस देकर भी वापस कर लेंगे। यानी इसका मतलब यह था कि सुपरसेशन कर दिया जाय। यह म्युनिसिपैलिटी हमारी राजधानी की है। चाहे 'नेशनल हैरेल्ड' हो या 'पायोनियर' हो सब अखबारों ने जोर दिया था कि जनता के हित में सरकार को म्युनिसिपैलिटी को अपने हाथ में लेकर राजधानी की इस म्युनिसिपैलिटी को दुरुस्त कर देना चाहिए। खैर, एक-दो मर्तबा आगाह और तम्बीह करने पर भी वह न माने और ऐसी हालत हुई कि जब सुपरसेशन का समय आया तो म्युनिसिपैलिटी ने २००,२०० रोज रिजोल्यूशन पास करके गैर वाजिबी तौर वह अहकामात जारी करके तमाशा किया कि शर्म की बात है कि जाते वक्त ऐसे प्रस्ताव पास करे। दलबन्दी की हालत यह थी कि चेयरमैन मेरे पास कई मर्तबा आते थे और आखिरी जो चेयरमैन थे वह बेचारे बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करते थे। इसके बारे में मुझे तनिक भी शक नहीं है कि उन्होंने मेहनत से काम किया, लेकिन बोर्ड का संगठन कुछ ऐसा था

कि चेयरमैन बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। बोर्ड के सुपरसीड करने में ही चेयरमैन का छुटकारा था नहीं तो उनके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव आकर के बेगुनाह चेयरमैन पर पास हो सकता था। ऐसी अवस्था में हमने बोर्ड को सुपरसीड किया और इसके बाद जो काम म्युनिसिपैलिटी ने किए हैं वह आप सब लोगों को मालूम ही हैं। सड़कों की क्या हालत थी। दो-दो चार-चार गज पर लोगों को ठोकरें लगती थीं और मोटर, इक्के और तांगे वाले बराबर रोते थे। पानी की हालत यह थी कि सन् ४७ में गर्मी में पानी की इतनी कमी हुई कि त्राहि-त्राहि मच गई। ४९ में देखा होगा कि पानी की तकलीफ उतनी नहीं रही। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन वजूहात से....

श्री खुशवक्त राय--प्वाइंट आफ आर्डर सर (श्रीमन्, मुझे एक वैधानिक आपत्ति है)। म्युनिसिपल बोर्ड लखनऊ का एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, उसकी रिलेवेन्सी (संगति) इस ऐक्ट से क्या है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--सुपरसेशन का अधिकार जो हमने इस्तेमाल किया वह विशेष परिस्थितियों में किया। उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि लखनऊ के सुपर-सेशन की वजह से ही इसका इतना विरोध हुआ है। इसलिए रिलेवेन्सी से इसका संबंध है। क्योंकि मैं जानता हूं कि अपनी स्पीचेज में वह इसका विरोध करेंगे। मैं समझता हूं कि रिलेवेन्सी से इसका ताल्लुक है। हरएक बात का हमने जायज इस्तेमाल किया या नहीं जब तक भवन को यह न मालूम होगा तब तक इस विधेयक के पास करने में उनको हेजीटेशन (संकोच) हो सकती है। उसका दुरुपयोग हुआ ऐसा उनका खयाल हो सकता है, दुरुपयोग करने के लिए यह अधिकार सरकार को नहीं दिया गया, इसलिए उसका कारण मैं बार-बार देना चाहता हूं कि सुपरसेशन के कारण यहां पर तरक्की हुई और जनता की यह पुकार है कि जब तक काफी तरक्की वाटरवर्क्स (जलकल) की न हो जाय तब तक सुपरसेशन जारी रहे और उसे जारी रखने के लिए ही हमने इसकी मियाद बढ़ाई है मैं समझता हूं कि उनकी जो स्कीम्स है उनके हिसाब से ड्रेनेज और वाटर-वर्क्स का इंतजाम पारसाल तक ठीक हो जायगा। वाटरवर्क्स से पानी हमको पार साल तक २४ घंटे मिल सकेगा गर्मियों में। २४ मिलियन गैलन के बजाय ४० मिलियन गैलन पानी मिलने की हमने तजवीज की है और इसका श्रेय ऐडमिनिस्ट्रेटर (प्रकाशक) को और इंतजाम को है। इंतजाम जब अच्छा चल रहा है तो अपनी राजधानी के हित की दृष्टि से सुपरसेशन की जो हमने मियाद बढ़ायी वह वाजिब तौर से बढ़ाई, इसीलिए एक ही साल के लिए बढ़ायी। मैं समझता हूं कि इस भवन को कोई विशेष एतराज न होना चाहिए। हमने एक साल की मियाद बढ़ाई है और सभी म्युनिसिपैलिटियों की यह मियाद बढ़ेगी। तो आप हमारा विचार समझ सकते हैं कि एक साथ म्युनिसिपैलि-टियों का चुनाव हो जाय। एक दूसरा एतराज खड़ा होता था कि सिर्फ लखनऊ को अलग कर दिया जाय, सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटीज (अवक्रान्त नगरपालिकाओं) को अलग कर दिया जाय और बाकी का चुनाव हो रहा है। वह चीज अब मौजूद नहीं है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के मुताल्लिक अब जो आक्षेप है उसका अब विरोध नहीं होगा। अगर कोई सिद्धांत का आक्षेप है कि सुपरसेशन का अधिकार न होना चाहिए तो दूसरे सुधार के बिल के स्वरूप में जब कि नयी आपकी म्युनिसिपैलिटीज बन जायं जनतंत्र के अनुसार, बालिग मताधिकार के अनुसार जब कि पृथक् निर्वाचन हट जायगा, उस समय में यह प्रस्ताव आता तो मैं यह समझता हूं कि उस वक्त मैं इसका साथ देने को तैयार हूं। मैं अपना विचार बतला दूं कि मैं इसको पसंद भी करता हूं। लेकिन आज की अवस्था में उस सिद्धांत को सामने रख कर कोई दुरुस्ती करना आवश्यक नहीं मालूम होता। आज हमें जरूरत इस बात की है जो काम होते आये हैं इस कानून के अनुसार उनको वैधानिक करार देना है दूसरे इस समय जो संक्रांति काल है, जो सुपरसेशन का तरीका है उसको थोड़े दिन के लिए जारी रखना अनिवार्य है। मैं समझता हूं कि ऐसी अवस्था में सदन इस विधेयक का विरोध नहीं करेगा और इसे स्वीकार करेगा।

श्री त्रिलोकी सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में स्वायत्त शासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पहली सीढ़ी हुआ करती है। मुझे हैरत है और इंतिहाई तकलीफ होती है जब वे लोग, जिनके हाथ में इस प्रदेश की हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी है वे स्वायत्त शासन के अधिकारियों पर कुठाराघात करते हैं। स्थानीय बोर्डों को एक बहुत ही तुच्छ दशा पर पहुंचाया, उनके अधिकारों को कम करना, छीन लेना, उनकी अथारिटी को बिलिटिल करना, यह काम किया गया। श्रीमन्, इस देश में और इस देश में ही नहीं सारे संसार के पूरे इतिहास से मैं निवेदन करना चाहता हूं स्वराज्य (स्वायत्त शासन) से ही लिबर्टी (आजादी) का आन्दोलन उठता है। आज जब हम पूर्णरूप से स्वतंत्र हैं तब हम देखते हैं कि इसी स्वायत्त शासन के अधिकारों को हम सीमित कर रहे हैं और नाना प्रकार के नियंत्रण व कंट्रोल, जिनकी मिसाल दूसरे देशों ही में नहीं बल्कि इस देश के दूसरे प्रदेशों में भी नहीं मिलती है, लगाये जा रहे हैं। आप देखेंगे कि सन् १९१६ ई० में यह म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट मंजूर किया गया था और उससे पहिले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन हुआ करता था, और इससे पहले म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड करने का भी कोई प्रावाजन न था और पुराने म्युनिसिपल ऐक्ट में ऐसा कोई प्रावीजन नहीं था। सन् १९१६ ई० में सुपरसेशन को धारा सबसे पहिले रखी गई, लेकिन श्रीमान्, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि उस समय कि विदेशी सरकार ने भी इस बात को महसूस किया कि इस सुपरसेशन के अधिकार को रखना स्वायत्त शासन के अधिकारों पर कुठाराघात है और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री की इत्तला के लिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं। सन् १९१६ ई० में यानी ३ या ढाई साल के पश्चात् ही एक अमेंडमेंट लाकर उन्होंने सुपरसेशन शब्द से पहिले डिसोल्यूशन शब्द रक्खा। उन्होंने यह शब्द इसलिए रखा कि उन्होंने समझा कि सुपरसेशन करना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अधिकारों पर कुठाराघात है। हमारे प्रदेश की सरकार ने अपने लगभग पौने चार साल के जमाने में कितनी ही म्युनिसिपैलिटीज को सुपरसीड किया है। उन्होंने लखनऊ म्युनिसिपैलिटी का जिक्र किया, लेकिन गोरखपुर और आगरा भी मुद्दत से सुपरसीडेड हैं, बहराइच को भी सुपरसीड कर लिया गया है। इनकी मुद्दत भी ऐक्सटेंड करते बढ़ाते चले जा रहे हैं। यदि आगरा शहर के बाशिंदे इस काबिल नहीं हैं कि वे अपने यहां की म्युनिसिपैलिटी का प्रबंध कर सकें तो यकीनन वे इस काबिल भी नहीं हैं कि उनके नुमायंदे आकर इस असेम्बली में बैठें और यहां का इंतजाम करें। लखनऊ की बड़ी तारीफ की और उसी तारीफ के साथ साथ माननीय मंत्री जी ने यह भी फरमाया कि यहां का निजाम बहुत अच्छा है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि सुपरसेशन के प्रावाजन में यह लिखा हुआ है। धारा ३० यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट इस प्रकार है--

"If at any time it appears to the Provincial Government that the Board persists in making default ...."

(यदि किसी समय प्रान्तीय सरकार को ऐसा विदित हो कि बोर्ड अननुष्ठान का आग्रह कर रहा है...)

परसिस्टेंट डिफाल्ट के सीधे मानी यह हैं उसको बराबर नोटिस दिया जाय, चेतावनी दी जाय कि यह गलती की जा रही है उसको ठीक किया जाय, फिर इसके लिये समय निर्धारित किया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि लखनऊ म्युनिसिपैलिटी को, जिसके फैक्ट्स और वाकयात माननीय मंत्री जी के पास इतने ज्यादा हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में उसका जिक्र करना उचित समझा, उन्होंने कितने मर्तबा परसिस्टेंट डिफाल्ट का नोटिस दिया? मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि डिफाल्ट का नोटिस जो आप फरमाते हैं कि कई मर्तबा दिया यह वाकयात नहीं हैं। तो श्रीमन्, आप देखेंगे कि परसिस्टेंट डिफाल्ट (अननुष्ठान के आग्रह करने) पर म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड (अवक्रमित) होता है। मैं पेश्तर इसके

कि आगे बढ़ूं, एक बहुत अजीबोगरीब बात की तरफ श्रीमान् आपका ध्यान विशेष तौर पर दिलाना चाहता हूं। यह जो अधिनियम हमारे सामने पेश हुआ है उसकी धारा २ में यह लिखा हुआ है-- "It is hereby declared for the removal of doubts"

(सन्देह दूर करने के लिये इसके द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है।)

श्रीमन्, लेजिस्लेशन फंकशन, एक्जीक्यूटिव फंकशन और जुडीशियल फंकशन (विधायिनी कृत्य कार्यपालिका कृत्य और--न्यायिक कृत्य) हरएक अलग अलग होता है। कोई भी लेजिस्लेचर अपने में यह अधिकार नहीं रखता है कि वह जो विधेयक मंजूर करे और बनावे, उसको बैठ कर इंटरप्रेट (अर्थ निर्णय) भी करे। मुझे नहीं मालूम कि यू० पी० गवर्नमेंट का ला डिपार्टमेंट किन महापुरुषों से विभूषित है, जिन्होंने इस तरह का मसविदा बनाया है कि--"It is hereby declared for the removal of doubts."

(सन्देह दूर करने के लिये इसके द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है।)

यानी इस आदरणीय सदन में जुडीशियल फंकशन (न्यायिक कृत्य) भी ले रहे हैं और इसके माने यह है कि चूंकि बिल में लिखा था, इसलिये अधिनियम में भी लिख दिया। सीधी सादी बात आप यहां कहते कि धारा ३० में यह एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) जोड़ दिया जाय, यह स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय और उसके प्रिएम्बिल (प्रस्तावना) में आप जो जी में चाहते रखते। लेकिन मूल धारा में इस भाषा को लाना और यह ड्राफ्टिंग करना, श्रीमान् , मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी मिसाल इसी प्रदेश में मिले, शायद किसी दूसरे प्रदेश और किसी दूसरे आदरणीय सदन के सामने इस प्रकार की ऐसी डिफेक्टिव ड्राफ्टिंग (दोषपूर्ण आलेख) जो देखने में बिलकुल असंगत मालूम होती है, गलत मालूम होती है कभी नहीं रखी गयी होगी। तो श्रीमन्, आप देखें कि बोर्ड डिफाल्ट करता है, गलती करता है, कोई भूल करता है, जो उसके कर्त्तव्य हैं उसको नहीं पूरा करता है तो सरकार को यह अधिकार था और आज के दिन भी है और इसके बाद तो अधिकार की कोई सीमा ही नहीं रह जायगी, हद ही नहीं रह जायगी, यदि यह अधिनियम स्वीकार कर लिया गया और पारित हो गया। जिससे की सरकार उनको नोटिस दे, उनको चेतावनी दे कि यह काम तुम ठीक करो, और उसके लिये समय भी नियत करे और यदि वह उस काम को न करे, समय के अन्दर अपने कर्त्तव्यों का पालन न करे तो आप बोर्ड को तोड़ दें और उसका इन्तजाम सरकारी हाथों में ले लें और कितने समय के लिये लें, जितने समय के लिये आप समझते थे कि वह ठीक कर सकता था। आप, जब कोई गलती करता है, जब कोई भूल करता है, जब कोई किसी काम को जो उसका फर्ज है नहीं अदा करता है, जो उसके लिये समय नियत है उसके अन्दर वह काम नहीं करता है तो आप उसके हाथ से ले लेते हैं उसी समय के लिये , जितना समय कि आपने उसे दिया है, ठीक करने का खुद भी उतना ही समय लेना चाहिये, उसे तो आप देते हैं ६ महीने और साल भर का समय और खुद उसे ठीक करने में १० वर्ष समय लेते हैं। यह जो एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है यह बिलकुल बुनियाद को काट देता है। परसिस्टेंट डिफाल्ट और नोटिस जो लाजिमी है। आप क्या समझते हैं जब आप मुझसे कहते हैं कि उन्होंने गलती की। आप कहते हैं कि तुम्हारे अस्पतालों में दवाई नहीं है, तुम्हारी सड़कें ठीक नहीं हैं, तुम्हारे यहां प्राथमिक शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं है तुम्हारे स्कूलों की तादाद कम है, तुम्हारे यहां टैक्सेज कम हैं। यह चीज हैं कुछ भी हो इसको जाकर ठीक करो। आप मुझसे कहते हैं कि इतने समय में ठीक करो। जब भी अगर वह ठीक नहीं करता है तब उसका इन्तजाम आप अपने हाथ में लेंगे, लेकिन आपके लिये भी कोई समय है। अगर आपके लिये कोई समय नहीं है तो उसके लिये भी कोई समय नहीं होना चाहिये।

[श्री त्रिलोकी सिंह]

श्रीमन् , आप गौर फरमायें, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह इस मामले में एक न्याय की दृष्टि से और औचित्य की दृष्टि से विचार करें। आपके जमाने में गांव-गांव में पंचायतें बनीं, जिनके लिये दावा भी किया जाता है और माननीय मुख्य मंत्री ने उस दिन सदन में फरमाया था कि हमसे लोग कहते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं करते हैं, हमने तो गांव-गांव में पंचायत बना दी है, हमारे ऊपर यह लांछन लगाना अनुचित बात है। तो वे क्यों इस बात के भागी हो रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी के अधिकारों पर इस प्रकार से कुठाराघात किया जाय और ऐसी असंगत बातें कानून के अन्दर लिखी जायं, जिसकी मिसाल संसार में कहीं भी नहीं मिलेगी। यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को अधिकार है संविधान के अन्दर कि प्रान्तीय सरकार को वह खत्म कर दे और यह कि तमाम इन्तिजाम अपने हाथ में ले ले।

किसी देश के लिये यह एक बहुत बड़ा बुनियादी उसूल है। मैं आज इसको दोहराना नहीं चाहता। जब इसी प्रकार से इस आदरणीय सदन में इस प्रश्न पर बहस हो रही थी तो मैंने एल० एस० जी० कमेटी की रिपोर्ट पेश की थी, जिसके अन्दर माननीय मंत्री जी हैं उनकी भी राय थी और सारी कमेटी की राय थी, कि किसी म्युनिसिपैलिटी , डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या टाउन एरिया का किसी उसूल से भी सुपरसेशन नहीं होना चाहिये। खुशी की बात है कि आज भी वह ऐसा ही समझते हैं, लेकिन उनका ख़याल यह है कि यह म्युनिसिपैलिटी सेपरेट एलेक्टोरेट (पृथक निर्वाचन) की चुनी हुई है। इन म्युनिसिपैलिटीज में उन लोगों ने वोट किया है जो दो रुपये के किरायेदार थे लिहाजा उनको अधिकार नहीं देना चाहिये। लेकिन हुजूरवाला, इस असेम्बली को किसने चुना है। यहां इस आदरणीय सदन के जितने भी माननीय सदस्य हैं यह बालिग मताधिकार से नहीं चुने गये हैं इसी सेपरेट एलेक्टोरेट से, जिसमें दो रुपये के किरायेदार, १० रुपये के लगान देने वाले और २० रुपये की मालगुजारी देने वाले मतदाता थे । जनाबवाला, इस असेम्बली और म्युनिसिपैलिटी के एलेक्टर (निर्वाचकों) में किसी तरह से कोई अन्तर नहीं है और फिर यह कहना कि वह रिऐक्शनरी (प्रतिक्रियात्मक) हैं और उनको जनता ने नहीं चुना है तो आपको किसने चुना है। आप इतने प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) बने और प्रोग्रेसिव होने के नाते उनकी गर्दन काटते हैं और उनके अधिकार को कम करते हैं। मैं देखता हूं कि कुछ ऐसा रुख है और इस सरकार का खास तौर से रुझान है और यह कहा जाता है कि असेम्बली में जब यह कानून सन् ४६ में आया तब तो उस वक्त कोई एतराज नहीं किया गया। क्या यह भी कोई बात है कि अगर हम सन् ४८ में किसी गलती पर एतराज न करें और फिर वह गलती ४९, ५०, ५१, ५२, ५४, ५८ तक या ताबे जिन्दगी चलती रहे। तो क्या इसके मानी यह हैं कि हम कभी उस पर एतराज ही न करें। यह आपका कौन सा नया मनतक है और एक अनोखी बात है। बड़ों की बात बड़े ही जानें। यह कौन सी मुनासिब बात है कि ४८ में जो बात नहीं कही गई इसलिये वह सन् ५१ में भी न कहिये। श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि मैं एक टेंडेंसी देखता हूं कि--

"Encroach upon, belittling rights of the local bodies ...."

(स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों का अतिक्रमण करना, घटाना...)

सन् ४१ के कब्ल म्यूनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन मुअत्तल नहीं होते थे। सन् ४१ में एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन की कमिश्नर साहब और गवर्नमेंट से लड़ाई होती है और उसी सिलसिले म,उस जमाने में कांस्टीटयूशन ससपेंड निलंबित था, यह कोशिश की

गई कि किस तरह से इस चेयरमैन से छुटकारा पाया जाय और कैसे उसको निकाला जाय और जान छुड़ाई जाय। गवर्नर सर मारिस हैलेट ने एक आर्डिनेंस के द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में....

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस विधेयक से यह चीज जो आप कह रहे हैं किस तरह से रिलेवेंट (सुसंगत) है? मुझे तो आपने इसके लिये टोका था, लेकिन आप कैसे इर्रेलेवेंट (असंगत) जा रहे हैं?

श्री त्रिलोकी सिंह--श्रीमान्, इसका आप फैसला देंगे या मैं ही जवाब दूं?

माननीय अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप ही जवाब दें और उसके बाद अगर जरूरत होगी तो मैं आपके जवाब पर सोचूंगा कि मुझे क्या फैसला देना है।

श्री त्रिलोकी सिंह--माननीय मंत्री जी जानना चाहते हैं कि जो कुछ मैं निवेदन कर रहा था उससे इस विधेयक का क्या सम्बन्ध है। मैं तो यह इसलिये निवेदन कर रहा था कि वह इस बात को ठीक से समझ जायें। पहले मैं अपनी बात को दोहरा दूं और फिर बतलाऊं कि उसका सम्बन्ध क्या है। मेरी पूरी बात सुनने के बाद सम्भवतः वह बहुत आसानी से समझ जायेंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि हम देखते हैं कि जो रुजहान, रुख है एप्रोच (प्रयास) है वह यह है कि स्थानीय स्वशासन की जितनी भी संस्थायें हैं उनके अधिकारों को कम करना, उनके मेम्बरों पर कुछ ऐसे नियंत्रण रखना कि धीरे-धीरे एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा सब पर ऐसे शिकंजे और अड़ंगे लगा देना और कानून में ऐसी धारायें लाना और ऐसे हुक्म निकालना जिससे सेन्ट्रेलाइज्ड कंट्रोल (केन्द्रीय नियंत्रण) हो, जिससे प्रदेशीय सरकार का अधिकार स्थानीय बोर्डों और संस्थाओं पर अधिक हो जाय और इसी सिलसिले में मैं यह अर्ज कर रहा था कि चूंकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सन् ४७ या ४८ में एतराज क्यों नहीं किया गया तो बिलकुल निरर्थक है। एतराज क्या करें? श्रीमन्, आप देखें कि वह प्राविजन जो बम्बई में नहीं है, मदरास में नहीं है या बंगाल में कहीं भी नहीं है और मैं जानना चाहूंगा अगर माननीय मंत्री जी बतला दें कि कहीं भी म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर ससपेंड (निलम्बित) होते हों। मैं समझता हूं कि हमारे लिये यह गौरव की बात नहीं है बल्कि हमारे लिये यह एक शर्म की बात है कि इस प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर ससपेंड किये जाते हैं। मैं ज्यादा तफसील में न जाकर यह अर्ज करूंगा कि आपका रुख दूसरी तरह का चल रहा है।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--आइन्दा पावर नहीं है।

श्री त्रिलोकी सिंह--आइन्दा है या नहीं वह तो ईश्वर जाने लेकिन इस वक्त है और आप उसको मिटाने के लिये तैयार नहीं हैं और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि चार-पांच साल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के या म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर हमारी हैलेट सरकार ने ससपेंड नहीं किये थे उससे दसगुने एक साल में उन्होंने ससपेंड कर दिये। मैं फैक्ट्स के साथ साबित कर सकता हूं कि एक मेम्बर ससपेंड होता है, ८-८, ९-९ महीने उसको चार्ज शीट नहीं दी जाती और साल-साल भर उनका फैसला नहीं किया जाता है। यह हालत है इस सरकार की। उनका तो रुख अब यह है कि हम किसी तरह से म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकारों को सीमित करें और उन पर अपना नियंत्रण रखें। आज आप यह चाहते हैं कि सुपरसेशन (अवक्रमण) ६ महीने के लिये करें, साल भर के लिये करें और फिर जब-जब चाहें उसकी मियाद साल ब साल बढ़ाते रहें। माननीय मंत्री ने यह कहा कि साल भर के लिये तो उन्होंने सब म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव बढ़ा दिया, तो साल भर के लिये अगर इसका भी बढ़ा दिया तो कोई हर्ज नहीं। श्रीमन्, उन्हीं का एलान है और बार-बार एलान है कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव

[श्री त्रिलोकी सिंह]

नहीं हो सकते हैं और पार्लियामेंट और असेम्बली के जनरल एलेक्शन्स चार-पांच महीने के अन्दर होंगे। अमले पर बड़ा बोझ पड़ जायगा, बहुत रुपया खर्च हो जायगा। पार्लियामेंट और एसेम्बली के चुनाव नवम्बर और दिसम्बर में होने का एलान है और आपकी म्यूनिसिपैलिटीज का एक्सटेंशन (समयवृद्धि) दिसम्बर, सन् १९५१ई० में खत्म होता है। क्या आज आप यह कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव हों या न हों, हम म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव जरूर करा देंगे नवम्बर और दिसम्बर में? आप नहीं कहेंगे और आप नहीं करायेंगे और दस वर्ष तक इसी तरह एक्सटेंशन देते रहेंगे। यह कोई दलील है? मजबूरी थी, साल भर से ज्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। अगर कहीं खुदा नख्वास्ता इस कानून के अन्दर आपको यह भी अधिकार होता कि आप दस वर्ष के लिये एक्सटेंड कर सकते तो यकीन मानिये, आप पौनेदस नहीं करते। लेकिन यह तो कहिये, आप साल भर से ज्यादा दे नहीं सकते। यही कारण था, श्रीमन्, कि ३१ दिसम्बर तक ये फैसला ही नहीं कर पाये कि कितने दिनों के लिये बढ़ायें। साधारण तौर पर और किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरह का बर्ताव राज्य के मंत्रीगण जनता के साथ कभी नहीं करते। अगर आपको बढ़ाना ही था तो १५ दिन पहले कह देते, महीना भर पहले कह देते। ३१ दिसम्बर तक तो फैसला ही नहीं कर पाये और १ जनवरी को आर्डर निकाला कि म्युनिसिपैलिटीज को एक साल का एक्सटेंशन दे दिया गया, जिस आर्डर के बारे में यह भी शुबहा है कि आया वह ठीक भी है या नहीं क्योंकि दिसम्बर तो १२ बजे रात को खत्म हो गया और गजट पहली जनवरी को सुबह निकला तो आखिर ६ घंटे म्युनिसिपैलिटीज किस हालत में रहीं। यह एक कानूनी मामला है और बेहतर होगा आप इन मामलों पर जरा गौर किया करें। आज आप यह चाहते हैं कि जितनी भी ऐसी गलत कार्रवाइयां हुई हैं वे सब जायज करार दे दी जायं।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--३० दिसम्बर को निकला था।

श्री त्रिलोकी सिंह--आप फर्माते हैं कि ३० दिसम्बर को निकला। हिन्दुस्तान में हजारों अखबार छपते हैं, खुद लखनऊ में ही पचास अखबार छपते हैं, यह बतलाइये कि किस अखबार ने ३१ दिसम्बर को छापा?

माननीय अध्यक्ष--मैं समझता हूँ कि इस विषय पर परसों बहस करने का इरादा माननीय सदस्य का नहीं है। वह तो एक अलग विषय है। आपको इत्तला होगी कि चुंगी के जो चुनाव मुल्तवी किये गये उसके लिये आपने अलग समय मांगा था और वह विषय परसों के लिये रखा गया है।

श्री त्रिलोकी सिंह--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आपका बहुत मशकूर हूं। मैं इन दिनों यहां रहा नहीं, एक हफ्ते गायब रहा, इसलिये मुझे इसका इल्म नहीं था कि परसों, यानी १९ तारीख को इस सिलसिले में वाद-विवाद होने वाला है। श्रीमन्, ने उसके लिये एक खास मौका इस आदरणीय सदन को दे रक्खा है लेकिन मेरा इरादा इसमें इस वक्त तफसील के साथ जाने का नहीं था। मैं तो सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने जो हवाला दिया कि १ साल के अन्दर घटा दिया और बढ़ा दिया तो वह कोई ऐसी मानी नहीं रखते हैं। इस सरकार ने उनको एक तमाशा बना रखा है कि जब चाहे घटा दिया और जब चाहे बढ़ा दिया। यह रुख, मैं श्रीमान् से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, उनके जो ऐलानात हैं उनके खिलाफ जाता है। यह उसकी नीव को काटता है। मैं

यह आशा करता हूं कि वह इस बात की अहतियात रखेंगे कि जो भी कुछ उनकी तरफ से आता है वह स्वायत्त शासन के अधिकारों के बढ़ाने में और उनको मजबूत बनाने में सर्फ होगा। वह इस तौर पर नहीं लगेगा कि उनके अधिकारों को कम किया जाय। श्रीमान् , आप देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारों को खत्म कर दे। उसका हवाला दिया गया था। संविधान में जहां इस बात की गुंजायश रखी गई है कि राष्ट्रपति प्रदेशीय सरकारों के अधिकारों को खत्म करके तमाम इंतजाम अपने हाथ में ले लें, वह इमर्जेंसी प्रावीजंस (आपात उपबन्ध) हैं, (अनुच्छेद) ३५२ में और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि—

"If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened."

(यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि गम्भीर आपात विद्यमान है, जिससे कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है।)

ग्रेव इमर्जेंसी है, कोई इनऐफीशेंसी (अक्षमता) और परसिस्टेंट डिफाल्ट (आग्रहपूर्ण अननुष्ठान) नहीं है। इस संविधान के द्वारा जो प्रदेशीय सरकार के कर्त्तव्य हैं यदि यह सरकार उनका पालन न करे तो उसके लिये कोई गुंजायश इस संविधान के अन्दर नहीं है कि वह कांस्टीटच्यूशन को ससपेंड कर दे और ले लें। एक दूसरी धारा है ३५६, उसमें यह कहते हैं कि—

"Provisions in case of failure of constitutional machinery in States"

(राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की अवस्था में प्रबन्ध)

कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि यह अयोग्य साबित हों, ये किसी काम को जो इनका कर्त्तव्य है अगर उसको पूरा न कर सकें तो राष्ट्रपति प्रदेशीय सरकार के अधिकारों को खत्म कर ले लें। वहां भी उन्होंने एक रोक रखी है। राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि मनमाने ढंग से जो चाहें करें। यदि राष्ट्रपति किसी प्रदेशीय सरकार के अधिकारों को अपने हाथों में ले लेते हैं तो उनकी स्वीकृति उन्हें पार्लियामेंट से २ महीने के अन्दर ले लेनी आवश्यक है? यह नहीं है कि वह जैसा चाहें करें जैसा कि इस प्रदेश की सरकार म्यूनिसिपैलिटियों के सिलसिले में कर चुकी है। दो महीने के अन्दर और वह भी श्रीमान्, उस पर ग़ौर करें कि दो महीने के अन्दर एप्रूव (अनुमोदित) होना चाहिये, यानी जैसे आर्डिनेंस निकाला जाय तो डिसएप्रूव (अननुमोदित) हो। अगर डिसएप्रूव नहीं होगा तो रहेगा। वहां पर एप्रूवल (अनुमोदन) जरूरी है दो महीने में पार्लियामेंट का और पार्लियामेंट जाहिर सी बात है कि उन्हीं लोगों से एलेक्टेड (निर्वाचित) है जो लोग स्थानीय बोर्डों को चुनेंगे और प्रदेशीय असेम्बली को चुनेंगे। आप क्या करते हैं? आप उनको सुपरसीड करके अपने पास रख लेते हैं। क्या आप सुपरसीड करके असेम्बली में मंजूरी लेते हैं कि हमने लखनऊ म्यूनिसिपैलिटी को सुपरसीड कर दिया है। इस प्रकार दोनों जगह अलग उसूल हैं।

यह बुनियादी उसूल है कि लोकल अथारिटी के क्या अधिकार हैं। लोकल अथारिटी (स्थानिक प्राधिकारी) के वही अधिकार हैं जो कि कानून के अन्दर लिखे हुये हैं, और लोकल अथारिटी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट या प्रदेशीय सरकार के क्या अधिकार हैं वह भी कानून में लिखे हुये हैं और उस कानून के बाहर वह नहीं जा सकती। जब आप कानून के बाहर नहीं जा सकते हैं तो आपका यह दावा करना और आपका यह कहना कहां तक ठीक है कि हमारे यहां ऐसी प्रथा चली आ रही थी और जितने भी हमने ऐसे आर्डर्स (निदेश) दिये हैं वह सबके सब जायज करार दे दिये जायं, कि वह सही थे। आपके यहां कोई गलत काम होता रहा है, तो जब आप को दिखलाया

[श्री त्रिलोकी सिंह]
जाय, चाहे आपका ला डिपार्टमेंट दिखाये, चाहे कोई गैर आदमी आपके सामने लाये, तो आप कह देते हैं कि हम तो इसे बीस वर्ष से करते आ रहे हैं, बीस वर्ष से मालूम नहीं आप क्या-क्या करते आ रहे हैं, अगर उन सब बातों को कहीं आपने लागू कर दिया अपने दौरे हुकूमत में, तो हमारा कहीं ठौर–ठिकाना नहीं रह जायगा। मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि आप जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं, छः करोड़ आदमियों की शासन व्यवस्था आपके हाथों में है, आप उसे जिम्मेदारी से वरतिये, और जहां तक आप जिम्मेदारी से बरतेंगे, वहां तक आप हमें सदा अपना समर्थक पायेंगे। जब हम देखते हैं कि बजाय जिम्मेदारी से बरतने के आप कुठाराघात करना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को संकुचित करना चाहते हैं, तब हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम आपकी तवज्जह उधर दिलायें।

मैंने शुरू शुरू में यह कहा था कि स्थानीय स्वशासन किसी भी लोकतंत्रीय समाज की पहली सीढ़ी है और संसार में जहां कहीं भी आजादी के आंदोलन हुये हैं वहां सब से पहला संघर्ष स्थानीय स्वशासन के सिलसिले में हुआ है। स्थानीय स्वशासन जनता को अनुभव प्राप्त कराता है कि देश का शासन किस तरीके पर चलाया जाय। यदि आप स्थानीय संस्थाओं को इस तरह की शर्तों से और अड़ंगों से रोक देंगे, तो यकीन मानिये कि अच्छे आदमी, योग्य आदमी और समझदार आदमी आपके द्वारा बनाये हुये इन म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की मेम्बरी करने नहीं आयेंगे। कोई आदमी जब किसी काम को करने चलता है तो यह देखता है और उसका यह फर्ज होता है कि देखें वह क्या करना चाहता है, कहां जा रहा है और वह क्या कर सकता है। यदि आप अपनी सालाना रिपोर्ट्स को देखें तो आपको मालूम होगा कि म्युनिसिपल बोर्ड्स में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में समझदार और ईमानदार लोग कम जाते थे। इस कमी का क्या कारण था? इस कमी का कारण यह था कि तीन आदमी सरकार की तरफ से नामजद होते थे। चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड, कलेक्टर और कमिश्नर लोग, जिसको चाहते थे, नामजद कर दिया करते थे, लोकल टेलेंट कोई नहीं चाहता था कि वह म्युनिसिपैलिटी में जाय। काहे के लिये वह जायं? वहां जाकर अपना सर मारें कलेक्टर और कमिश्नर के यहां? आप क्या उन्हीं हालतों को कायम रखना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि आपको नहीं रखना चाहिये और मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि आप उन प्रथाओं को कायम करें कि जिनके अन्दर यह मुमकिन हो इस देश की आम जनता को, एक आम शहरी को, नागरिक को कि वह यह समझे कि इस स्थानीय स्वायत्त शासन के द्वारा वह अपनी शक्तियों का विकास कर सकता है और जिस बस्ती में वह रहता है चाहे वह शहर हो या गांव हो, उसके प्रबन्ध में वह सहायक हो सकता है। यदि आप ऐसी दशाएं नहीं उत्पन्न करते हैं जो इस प्रकार का प्रोत्साहन दें तो आपका यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट (स्वशासन का प्रयोग) कामयाब नहीं होगा।

आपने हजारों पंचायतें बनाईं, आज उनकी जो दुर्दशा है उसे कौन नहीं जानता। कहीं तनख्वाह नहीं मिलती, कहीं टैक्स पर टैक्स लगाते चले जाते हैं, कहीं बिलकुल नहीं लगे हैं, कोई सरपंचों और प्रधान और उपप्रधान की बात को नहीं सुनता। आपके पास इसकी अनेक शिकायतें आई होंगी और आती रहती हैं। मुझे खुद अपने जिले का तजुर्बा है और दूसरे जिलों की बात भी मेरे सुनने में आती है, लेकिन मैं तो उसका हवाला इसलिये देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह न समझें कि पंचायतें बिलकुल सुचारुरूप से काम कर रही हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। जब तक कि आपकी जिम्मेदारी है, यह आपका कर्त्तव्य है कि स्थानीय स्वायत्त शासन में आप इस तरह की चीजें पैदा कीजिये, वह वातावरण पैदा कीजिये जिसमें अच्छे लोग उस जिम्मेदारी को पूरे तौर पर अदा करने वाले वहां जायं। आप सुपरसेशन (अवक्रमण) रखते हैं, सुपरसेशन के साथ–साथ

कौन आदमी आयेगा? आज हम वहां जाते हैं जो एक पुराना बोर्ड है, १० वर्ष से डिफाल्ट करता चला आता है, हम मेम्बर हुए, हमको सुपरसीड कर दिया। तो कैसे हम वहां जायेंगे? लोकल टेलेंट नहीं आयेगा ऐसे बोर्डों में सर्व (सेवा) करने के लिये। अगर इस आदरणीय सदन को यह मालूम हो कि यह असेम्बली मिनिटों में हवा की जा सकती हैं तो इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद इस एलेक्शन की जहमत को नहीं बरदाश्त करेगी, उसके सर्फे और दौड़-धूप को नहीं बरदाश्त करेगी। आपके कानून और कायदे ऐसे होने चाहिये कि म्युनिसिपैलिटीज के अख्तियारात बढ़ें। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं और माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बिहार में देखें, सी० पी० में देखें, पंजाब में देखें, बंगाल में देखिये, हां, नैपाल की तरफ न देखिये। अगर नैपाल को आपने मिसाल मान लिया तो ठिया ठिकाना नहीं रहेगा। ३ तरफ देख सकते हैं, उत्तर की तरफ न देखिये, कहीं भी म्युनिसिपैलिटीज के बारे में देखिये यह कहीं नहीं है कि उनके सुपरसेशन को कोई अनलिमिटेड पीरियड (अनिश्चित काल) के लिये रखें या उसका टाइम एक्सटेंड करते रहें। दफा ३१, जनरल क्लाजेज ऐक्ट का हवाला दिया गया और कहा गया कि उसके अनुसार उनको यह अधिकार था और साथ ही साथ यह भी कह दिया गया कि शुबहा भी पैदा होता है। जनरल क्लाजेज ऐक्ट एक इंटरप्रेटेशन ऐक्ट है हिन्दोस्तान का और हमारे जितने स्टेट्यूट्स हैं वह उनको इंटरप्रेट करता है। लेकिन कहां करता है? जहां जरूरत हो। जिस धारा के खुद मानी साफ हों वहां वह इनवोक नहीं किया जा सकता। अगर मूल धारा में कोई चीज न हो तो उसकी मदद ली जा सकती है। तब आप कह सकते हैं कि :

"Power to pass an Act also includes the power to vary, rescind or modify it."

(अधिनियम के पारित करने की शक्ति में बदलने, निराकरण करने या संशोधित करने की शक्ति भी सम्मिलित है।)

लेकिन वह वहां पर, जहां पर कोई चीज स्पेसिफिकली (विशेषतया) ऐक्ट में दी हुई है। तो बाद को जनरल क्लाजेज ऐक्ट का हवाला देना और यह तर्क रखना कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट के अन्दर यह अधिकार था। यह अधिकार अगर था तो इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी। यकीनन आपके सलाहकारों ने आपको यह सलाह दी कि ऐसा नहीं था। अगर आप रिवाज पर चलते हैं और जनरल क्लाजेज ऐक्ट में भी था तो आपने आर्डिनेंस क्यों जारी किया। यह कहना कि मुकदमेबाजी थी तो मुकदमेबाजी कौन आपसे करेगा। आपसे जो मुकदमेबाजी करे वह दो महीने की पहले नोटिस दे। यह नहीं कि साधारण आदमी वाली बात हो, हम आज जाकर सरकार पर मुकदमा दायर कर दें और एक इंटरिम (अन्तःकालीन) आर्डर जारी करवा दें। कम से कम दो महीने की नोटिस होनी चाहिये।

इसलिये मैं आप से निवेदन करूँगा कि आपका यह पूरा बिल जैसा कि इस आदरणीय सदन के सामने पेश हुआ है, ठीक नहीं है। एक तो इसकी ड्राफ्टिंग बिलकुल अजीबो-गरीब है। यह तो अपने को जुडीशिल फंक्शंस लेना चाहता है, यह आदरणीय सदन, क्योंकि यह कहा जाता है कि हम डिक्लेयर करते हैं। मैं यह निवेदन करूँगा कि जो विधेयक इस सदन के सामने आएं उनकी इबारत तो कम से कम कानूनी होनी चाहिये। कहा चाहे जो कुछ जाय, लेकिन इबारत तो ठीक हो क्योंकि जहां इबारत गोलमोल की होती है वहीं पर भ्रम पैदा होने की गुंजायश हो जाती है। मैं श्रीमन् की इजाजत से उसको फिर दोहरा देना चाहता हूं। दो ही तीन मिनट लगेंगे। अगर कोई बोर्ड ठीक काम नहीं करता है, परसिस्टेंटली डिफाल्ट करता है। आप उस पर नोटिस देते हैं एक्स्प्लेनेशन लेते हैं, जवाब तलब करते हैं, चार्जेज लगाते हैं। एक, दो, तीन, चार और फिर उस पर गौर करते हैं। जब आप गौर करते हैं

[श्री त्रिलोकी सिंह]

तो बोर्ड में कितनी गड़बड़ी है, कितनी कमजोरी है, क्या-क्या वहां बुराइयां हैं वे सब आपके सामने रहती हैं। उनको दूर करने में आपको कितना समय लगेगा उसका भी अंदाजा जो आदमी उसको सुधारना चाहता है, वह सरकार जो उस दशा को ठीक करना चाहती है, जायज तौर पर उससे उम्मीद की जाती है कि उसको यह ज्ञान होगा कि कितने समय में वह उस दशा को ठीक कर सकेगी।

मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार के लिये कोई यह पाबन्दी नहीं है कि साल ही भर में उसको ठीक करे, दो वर्ष के अन्दर ठीक करे। अगर किसी म्युनिसिपैलिटी की दशा खराब है और इतनी खराब है कि साल, दो साल, तीन साल, में नहीं ठीक हो सकती तो पुराने ऐक्ट के अन्दर आपको इस बात का अधिकार है कि आप दस वर्ष के लिए सुपरसीड कर दें, पांच साल के लिये सुपरसीड कर दें, बीस साल के लिये सुपरसीड कर दें। लेकिन जब आपने एक बार सुपरसीड कर दिया तब आपको बढ़ाने का अधिकार नहीं है। और वह एक उसूल की बिना पर है। सुपरसेशन एक प्रकार की सजा है। किसी नगर के रहने वाले आदमी अपने काम को ठीक नहीं करते। आप उनको सजा देते हैं कि तीन वर्ष के लिये यह काम हमारा नियत किया हुआ अधिकारी या कमेटी करेगी। जब सजा खत्म होने पर आये तो उसको बढ़ा दें। इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। कहीं पनिशमेंट एक्सटेंड की जाती है, कहीं सेंटेंस इनहैंस (दंड बढ़ाना) किया जाता है। किसी को साल भर की सजा दी जाय जब ग्यारह महीने हो गये तो कहा ६ महीने और सही। क्यों, साहब जेलर ने लिखकर भेज दिया या सुपरिटेंडेंट ने लिखकर भेज दिया कि इस पर कुछ असर नहीं हुआ ११ महीने रहने का इसलिए अब सजा बढ़ा दी जाय। जेल भी भेजा जाता है तो सुधारने के लिए और जितना उसने जुर्म किया है उसके अनुसार सजा भी दी जाती है। सजा इस नियत से नहीं होती कि कोई बदला चुकाया जाय बल्कि इसलिए कि डिटेरेंट की सूरत में हो यानी आइन्दा वह उस जुर्म को करने से गुरेज करे। तो जब आप म्युनिसिपैलिटीज को सुपरसीड करते हैं तो इसीलिए तो करते हैं।

तो एक तो आपने आगरे में गलती की, गोरखपुर में की, बहराइच में की, शाहजहांपुर में की, लखनऊ में की और मालूम नहीं कहां-कहां की और उसके बाद उस गलती पर आप यह मुहर लगाना चाहते हैं। साहस के साथ उसको स्वीकार कीजिये कि हां हमसे यह गलती हुई। मैं तो इस बिल के, श्रीमन्, पक्ष में होता यदि वह यह कहते कि हमसे यह भूल हुई, लेकिन जो इतने दिन सब काम हुआ है उसको हम जायज करार देते हैं। लेकिन मैं यह देखता हूं कि अब वे किसी भी पुरानी भूल को आइंदा के लिए कानून का रूप देना चाहते हैं। हैरत होती है यह देखकर कर कि हम कहां हैं, किस तरफ जा रहे हैं और कहां जा कर ठहरेंगे। जो गलत काम आपने किया उसके लिए आप उसको जायज करार दे दें और इस आदरणीय सदन के द्वारा कानून पास करवा कर दे दें ताकि कोई कानून पर आपत्ति न उठाये और उसके साथ साथ यह अधिकार लीजिये कि उसी गलत काम को करने का अधिकार आप को बराबर रहे, यह बात तो समझ के बाहर है और मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इसको कोई इसलिए न समझिये कि नुक्ताचीनी के ख्याल से यह बातें कह रहा हूं हमारी तो लगातार यही कोशिश रही है, आज भी है और आइंदा भी रहेगी कि हम आप की सहायता करें उस रास्ते पर चलने में जिस रास्ते पर चलने में इस प्रदेश की जनता का हित हो और उनका भला हो। हम यही चाहते हैं कि आप के द्वारा स्वायत्त शासन की संस्थाओं के कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी न हो।

इतना मैं पहले से अर्ज कर चुका हूं और अब फिर निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं भी, दूसरे देशों में, म्युनिसिपैलिटीज के सुपरसेशन का रिवाज नहीं है। विलायत में यदि कोई स्थानीय बोर्ड ठीक से काम नहीं करता तो उसको हुक्म होता है और फिर सरकार

समय नियत करती है और फिर उतने ही काम को वह किसी दूसरे को सुपुर्द कर देती है। किसी नियत समय के लिए करती है। पूरे बोर्ड को खत्म नहीं करती। तो आप का यह काम अनोखा रहा और बड़े अनोखे ढंग से इस अधिकार को आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं जो कि मैं निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार भी स्थानीय स्वायत्त संस्था के हितों में सहायक नहीं हो सकता। यह जबरदस्त कुठाराघात है उनके हितों पर और मैं यह उम्मीद करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक में इस प्रकार का संशोधन कर देंगे ताकि जो कानूनी अड़चनें हैं वह निकल जायं और इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन लगा कर आप अपने जमाने के स्टेट्यू बुक में ऐसा कोई काला धब्बा नहीं लगायेंगे जो आइंदा के लिए लोगों को यादगार रहे कि इस प्रकार का कुठाराघात ऐसे समय में किया गया जब चारों तरफ इस बात की कोशिश हो रही थी कि लोकतन्त्रीय शासन-व्यवस्था में एक शहर के अधिकार बढ़ाये जायं, नागरिकों के अधिकार बढ़ाये जायें, प्रान्तीय सरकारों के अधिकार बढ़ें, सेण्ट्रल गवर्नमेंट के अधिकार बढ़ें, तब इस प्रकार का कुठाराघात स्थानीय बोर्डों और खास कर म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर किया गया। क्योंकि मुझे यह भी अन्देशा है आज म्युनिसिपैलिटी का आया है, तो थोड़े दिनों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का भी आयेगा, क्योंकि वही चीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी है। टाउन एरिया में भी वही है। तो आप कितने बिलों के द्वारा इस आदरणीय सदन का समय लेंगे और बराबर यही चीज हमारे सामने लायेंगे। यह बड़े सिद्धान्त की चीज और बहुत बड़े उसूल की बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री मेरी बात को सुनी अनसुनी नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहता हूं कि उनके हाथों से, जिनको यह दावा है कि गांव-गांव में पंचायतें बनवाई हैं, इस प्रकार का कुठाराघात म्युनिसिपैलिटियों या दूसरी स्वायत्त शासन संस्थाओं के हितों पर हो, उनके अधिकारों पर इस प्रकार का कुठाराघात हो।

श्री मुल्तान आलम खां--जनाब स्पीकर साहब, माननीय मंत्री ने जो तकरीर इस बिल को पेश करते वक्त हमारे सामने की, उसको मैंने बहुत गौर से सुना। इसी के साथ-साथ वह सुन्दर भाषण जो लीडर आफ दि अपोजीशन (विरोधी पक्ष के नेता) ने अभी इस भवन के सामने किया उसे भी मैंने गौर से सुना। मैं यह जानता हूं कि माननीय मंत्री लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के वजीर हैं और इस महकमे से उनका शुरू से ताल्लुक रहा है, उनके भी जमाने में पंचायत राज्य ऐक्ट पास हुआ और उसका निफाज हुआ। मैं यह भी जानता हूं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मुताल्लिक वह किस कदर दिलचस्पी लेते हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इमारत को तामीर कराने का उन्हें कितना शौक है। ये बातें जानते हुए जब मैं यह देखता हूं कि ऐसा बिल इस भवन के सामने उन्हीं माननीय मंत्री की जानिब से पेश हुआ तो मुझे बड़ी हैरत होती है। इसमें शक नहीं कि हमें इस मामले में हुकूमत से हमदर्दी है। उनके सामने कुछ कानूनी बातें आईं और कुछ कानूनी बातों को सही करने के लिए उन्हें इस किस्म का बिल लाना पड़ा, लेकिन जब हम इस आर्डिनेंस और इस बिल की तारीख पर एक नजर डालते हैं, तो इसके मुताल्लिक बाज बातें जाहिर होती हैं और वे ऐसी हैं जिनका तजकिरा इस भवन के सामने हो जाय तो अच्छा है। उससे गवर्नमेंट भी, अपोजीशन भी, इस भवन के अन्दर और भवन के बाहर सभी लोग नफा उठा सकते हैं।

जनाबवाला, यह हकीकत है कि हमारी असेम्बली २२ अक्तूबर को प्रोरोग (सत्रावसान) की गई और २३ अक्तूबर को यह आर्डिनेंस गवर्नर साहब ने पास किया और उसका निफाज किया, जो कि आज ऐक्ट की सूरत में पास किये जाने के लिए पेश किया गया है। मैं यह समझता हूं कि आर्डिनेंस पास करने का जो अख्तियार गवर्नर को कांस्टीट्यूशन से दिया गया है उस कांस्टीट्यूशन के मुताबिक इस आर्डिनेंस का पास होना एक बहुत ही नामुनासिब तरीका था। कांस्टीट्यूशन के २१३ आर्टिकिल में दिया हुआ है:

"If at any time, except when the Legislative Assembly of the State is in session or where there is a Legislative Council in the State, except

[श्री सुल्तान आलम खां]

when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action he may promulgate such Ordinances."

(उस समय को छोड़ कर जब कि राज्य की विधान सभा, तथा विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदन, सत्र में हैं यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं, तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।)

मैं यह अर्ज करूंगा कि २२ अक्तूबर तक जब कि असेम्बली का सेशन हो रहा था तो क्या वजह थी कि वह चीज गवर्नमेंट की नोटिस में नहीं आयी और जिस वक्त कि २३ तारीख को असेम्बली का प्रोरोगेशन (सत्रावसान) हुआ उसके २४ घंटे के अंदर एक आर्डीनेंस पास किया गया है। जनाबवाला, अगर यह ऐसे मौके पर पास किया जाता जब असेम्बली सेशन में न होती और कौंसिल सेशन में न होती तब तो बिल्कुल सही था लेकिन कौन शख्स यकीन कर सकता है कि २२ अक्तूबर को असेम्बली प्रोरोग की जाय और २३ तारीख को यानी २४ घंटे के अन्दर गवर्नमेंट के नोटिस में यह चीज आ जाय और ऐसा आर्डीनेंस वह पास कर दे। जनाबवाला, इसका मकसद तो यह है कि जब असेम्बली सेशन में न हो तो इस किस्म का आर्डीनेंस पास किया जाय। लेकिन जाहिर है कि इससे एक ही नतीजा निकाला जा सकता है कि २० तारीख तक असेम्बली के प्रोरोग होने की किसी को इत्तला नहीं थी और २२ तारीख को असेम्बली प्रोरोग हुई और २३ तारीख को यानी २४ घंटे के अन्दर यह आर्डीनेंस नाफिज हुआ तो इससे एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि इसको पास करने के खातिर ही असेम्बली के सेशन को प्रोरोग किया गया है इसके अलावा और कोई जरूरत बाकी नहीं थी।

हुजूरवाला, हमने अपने सूबे में इस सिलसिले में बहुत सी कंट्रोवर्सीज (विवाद ग्रस्त बातें) सुनी हैं कि एक हाउस का प्रोरोगेशन हो सकता है या दोनों हाउसेज का प्रोरोगेशन बयक वक्त हो सकता है। उसके मुताल्लिक न कोई राय दी जा सकती है और न हाउस ही इस पोजीशन में है कि इसके मुताल्लिक कोई फैसला करे। लेकिन यह हकीकत है कि इसके मुताल्लिक बहुत कुछ कहा गया है और कहा जा रहा है। हो सकता है कि किसी काम्पीटेंट (सक्षम) बोर्ड का फैसला इस चीज को रखे कि आया प्रोरोगेशन एक हाउस का या दोनों हाउसेज का एक वक्त हो सकता है। फर्ज कीजिये कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां यह फैसला हुआ कि एक हाउस का प्रोरोगेशन सही नहीं है तो लाजमीतौर से उसका नतीजा यह होगा कि या तो यह सब आर्डी-नेंसेज खत्म हो जायंगे या कोई दूसरी सूरत होगी। बहरहाल एक ऐसी चीज है कि जल्दी में ऐसा कदम उठाया गया जो किसी सूरत से मुनासिब नहीं था और खुद कांस्टीट्यूशन इस स्प्रिट (मनोवृत्ति) के खिलाफ है जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि सेशन न हो रहा हो और ऐसी इमर्जेंसी एराइज (आयात उपस्थित) हो जाय तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां यह चीज हुई कि असेम्बली का इसलिए प्रोरोगेशन किया गया कि ऐसे आर्डीनेंसेज निकाले जायं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेसी के लिए मुनासिब और शायानेशान नहीं है।

दूसरी चीज इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बिल जो हमारे सामने पेश है और जिन अल्फाज में इसको पेश किया गया है उसके मुताल्लिक लीडर आफ दि अपोजीशन ने अपनी तकरीर में बहुत वजाहत के साथ बयान किया है। मैं इसके मुताल्लिक बहुत ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जिस शक व शुबहा को दूर करने की खातिर वह इस बिल को ला रहे हैं मेरा खयाल यह है कि यह शक व शुबहा इसके पास होने के बाद भी शायद बाकी रहे। जो दफा २ (ए) में लिखा गया है कि--

"the said section empowers and be deemed always to have empowered the State Government to vary, amend or enlarge the period from time to time, and nothing in sections 29-A and 31 of the said Act shall be construed as limiting or abridging the said power of the State Government."

(उक्त धारा के अधीन राज्य सरकार को उक्त अवधि में आवश्यकतानुसार परिवर्तन, संशोधन और परिवर्द्धन करने का अधिकार है और सदव रहा है और उक्त अधिनियम की धाराओं २९-ए और ३१ में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह राज्य सरकार के उक्त अधिकार को सीमित करती है या घटाती है।)

हुजूरवाला, इसमें मैं यह समझता हूं कि गवर्नमेंट हमेशा के लिए अख्तियार लेना चाहती है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक लफ्ज़ "Curtail" और जोड़ दिया जाय, क्योंकि मुमकिन है कि इस किस्म के मौके आवें कि सुपरसेशन कर दिया है और उसके पीरियड को कम करना चाहते हैं। हो सकता है कि ऐसे मौके आयें तो उस वक्त उसके पीरियड को कम किया जा सके।

जनाबवाला, इस बिल के जरिये से दो चीजें की गई हैं। एक तो यह है कि—

"This Bill seeks to replace the Ordinance on the subject which had to be promulgated to state clearly the scope of section 30 of the U. P. Municipalities Act."

(इस विधेयक का उद्देश्य आर्डिनेंस के स्थान पर उस विषय में अधिनियम बनाने का है, जो यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज़ अधिनियम की धारा ३० के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए प्रख्यापित किया गया था।)

एक तो यह चीज की गयी है। दूसरे इसके साथ ही साथ एम्स ऐन्ड आब्जेक्ट्स (उद्देश्य और कारण) में यह भी है कि—

"The Bill also confirms and validates the orders issued in purported exercise of powers under section 30."

(यह विधेयक उन आदेशों को पुष्ट तथा वैध बनाती है, जो धारा ३० के अधीन अधिकारों के प्रतीयमान प्रयोग में दिये गये हैं।)

और जहां तक दूसरे मकसद का ताल्लुक है जिसके सिलसिले में यह एक्सप्लेनेशन भी जोड़ा गया है:—

"The period of supersession specified in the order may, if the State Government so considers expedient, be extended from time to time by notification."

(यह अवक्रमण की अवधि, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की गई है, यदि राज्य सरकार उसे कार्यसाधक समझती है, विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है।)

तो हुजूर वाला, इसके जरिये से वे तमाम कार्यवाहियां जो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ आर्डर्स के जरिये से की गयीं उनको वैलिड बनाने की कोशिश की जारही हैं। इस भवन के अन्दर काफी मर्तबा एतराजात किये गये कि कोई ऐसा ऐक्ट या बिल इस हाउस के अन्दर न आना चाहिये जिसका कि रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) हो यानी जो चीज दो चार साल पहले की गयी उन एक्शंस पर मोहर लगा दी जाय किसी आर्डिनेंस या ऐक्ट के जरिये, यह मंशा किसी बिल का हर्गिज न होना चाहिए कि उसके जरिये गलती को रेक्टिफाई कर (सुधार) दिया जाय या इनवैलिड अवैध काम को वैलिड वैध करार दिया जाय। जो कमीशन या ओमीशन (कर्म या उसका उत्सर्ग) हुआ हो पिछले जमाने में उनको जायज करार दिया जाय, यह तरीका ऐसा तरीका है जो बिल के असली मकसद को फौत करता है। एक कानून बनाया जाता है, उसका निफाज होता है, वह कानून जारी रहता है, उसके मातहत कुछ एक्शंस (कर्म) होते हैं, कुछ ओमीशंस (उत्सर्ग)

[श्री सुल्तान आलम खां]

होते हैं। अगर १० साल बाद दूसरे कानून के जरिये पहले वाले कानून में जितनी कमियां रह गयीं उनको जायज करार दिया जाय तो यह सिलसिला कभी खत्म न होगा। यह तो एक विशस सर्किल (दोषपुर्ण वृत्त) है जो हमेशा कायम रहेगा और कानून बनाने का जो मकसद होता है उसके यह बिल्कुल मनाफी है। मैं अर्ज करूंगा कि ऐसी चीज से जिससे लोगों का कानून पर से अहतराम उठ जाय, कांफिडेंस शेक (विश्वास डिग) हो जाय, यह किसी तरह से मुनासिब नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि गवर्नमेंट क्या करे। जनाबवाला, गवर्नमेंट के सामने बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। मैं गवर्नमेंट की तवज्जह दफा ३०, म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह ऐक्ट फारेन गवर्नमेंट के जमाने में बनाया गया था और उसी समय उसका निफाज हुआ था। इस दफा को पढ़ने से पता लगेगा कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई बोर्ड परसिस्ट (आग्रह) करता है अपनी रिस्पांसिबिलिटीज़ (उत्तरदायित्व) को पूरा करने के लिए तो उसके लिए रास्ता यह है--

"elither dissolve the Board or supersede it."

(या तो बोर्ड को भंग कर दीजिये या उसका अवक्रमण कर दीजिये।)

मैं खासतौर से तवज्जह दिलाऊंगा कि इसमें सब से पहले शब्द डिजाल्व लिखा हुआ है और सुपरसीड बाद में। गवर्नमेंट के लिए पूरा मौका है कि वह बोर्ड को डिजाल्व कर दे इसलिए कि उसूलन भी कामनसेन्स के एतबार से यह सवाल पैदा होता है। बोर्ड अगर कोई गलती करता है तो उसका नुकसान उठाने वाला वह बोर्ड हो। अगर बोर्ड को डिजाल्व कर दिया जाय और नया इलेक्शन कर दें तो उसका नुकसान सिर्फ उन्हीं मेम्बरों पर होगा जिन्होंने गलत तरीका इस्तेमाल किया। लेकिन सुपरसीड करने के मानी यह होंगे कि हम इलेक्टोरेट (निर्वाचक गण) को सजा दे रहे हैं, उनको महरूम कर रहे हैं कि वह अपने नुमाइंदे चुनकर रख सकें और उनके जरिये इंतजाम हो सके। माना बोर्ड ने गलती की, अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को पूरा करने से इंकार किया, इगनोर किया तो जाहिर है कि उसके मेम्बरान को यह सजा हो सकती है कि बोर्ड को डिजाल्व कर दिया जाय और उसके बाद रिइलेक्शन (पुनर्निर्वाचन) के आर्डर कर दिये जायं। पहले जिन्होंने गलत रवैया अख्तियार किया है रिइलेक्शन में पब्लिक उनको नहीं चुनेगी, दूसरे लोग चुनकर आयेंगे। इस तरह से सफर (दुख भोगना) वही करेंगे जिन्होंने गलत रवैया अख्तियार किया। लेकिन बोर्ड को सुपरसीड करना उसूलन गलत है। इसमें उन लोगों को थोड़ा सा नुकसान होता है, जो मेम्बर्स हैं उन्होंने गलत रवैया अख्तियार किया, जिस सूरत से काम चाहा किया लेकिन जब हटाये गये तो पब्लिक, लाखों किसान जो उस नगर में रहते हैं उनको नुकसान पहुंचा, उनके नुमाइंदे वहां नहीं रहने पाये, सरकार के हाथ में उसका इंतजाम चला गया।

जनाबवाला, इस सिलसिले में मैं एक चीज और अर्ज करूंगा कि पिछली मर्तबा जब म्युनिसिपलिटीज बिल को रिवाइज किया गया था उस वक्त यह सवाल उठा और बाज लोगों की यह राय थी कि बोर्ड को सुपरसीड करने के बाद जो ऐडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाय वह एक शख्स न हो, सरकारी अफसरान में से न हो बल्कि एक एडहाक कमेटी (तदर्थ समिति) हो। एड हाक कमेटी उसका इंतजाम करने के लिए मुकर्रर की जाय। इसके मानी यही ख्याल किये गये थे कि जो भी आदमी उसमें मुकर्रर किये जायंगे वे वहीं के जिम्मेदार पब्लिकमैन में से होंगे। पब्लिक को उन पर ज्यादा इत्मीनान और एतबार होगा। वह उनके पास ज्यादा आसानी से पहुंच सकेगी। इसलिए यह सुझाव दिया गया कि उसके इंतजाम के लिए एक ऐडहाक कमेटी मुकर्रर कर दी जाय। लेकिन सुपरसीड के जमाने में जो ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाता है वह एक सरकारी आदमी होता है। डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) में जो इंतिजाम का उसूल है वह यह है कि एक इंसान का इंतजाम गलत हो सकता है लेकिन अगर उसके साथ ही कई लोगों की राय शामिल कर दी जाय तो गलती का इमकान कम रह

जाता है, खुद हमारा वजूद भी इसी बुनियाद पर है तो इसी बुनियाद पर अगर कोई कमेटी मुकामी जिम्मेदार आदमियों की बना दी जाय तो वह ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकती है।

मुझे याद है कि जब यह तरमीम पेश की गयी थी तो माननीय मंत्री ने उस वक्त यह फरमाया था कि यह तरमीम इसलिए मंजूर नहीं हो सकती कि अगर उसे मंजूर कर लिया गया तो बाज जगह उससे बड़ी दिक्कत पैदा हो जायगी। बाज जगह ऐसे आदमी नहीं मिलेंगे जिनको यह काम दिया जा सके। उस वक्त बड़ी दुश्वारी हो जायगी लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात की हिदायत कर दी जायगी कि अगर पब्लिक में से मुनासिब आदमी मिलते हों तो इस किस्म के लोगों को लेकर इंतजाम चलावें और वे रिपोर्ट करें कि ऐसी कमेटी बनाई जा सकती है या नहीं। हुजूरवाला, मुझे मालूम नहीं कि सुपरसीडेड (अवक्रमित) बोर्डों में ऐसी कमेटियां बनाई गई या नहीं। जहां तक मुझे इल्म है मेरा खयाल है कि किसी एक मुकाम पर भी ऐसी कमेटी नहीं बनाई गयी लेकिन मुझे इस बात के मानने से इंकार है कि हमारे सूबे में जितनी जगहों पर ये म्युनिसिपैलिटीज सुपरसीड हुई हैं वहां कहीं भी मुकामी ऐसे आदमी नहीं मिले जो इंतजाम को चला सकते, जो पार्टीबन्दी से बाला होते और कस्बे की भलाई को अपने दिल में रखते हैं। काश इस बिल में जो आज हमारे सामने आया है एक ऐसी भी तजवीज होती तो मैं उसका स्वागत करता।

जनाबवाला, म्युनिसिपैलिटीज और वे तमाम लोकल बाडीज जो हमारे स्टेट में काम कर रहे हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि उन में बहुत कुछ रिफार्म्स की जरूरत है और मैं यह भी जानता हूं और इससे भी मुझे इंकार नहीं है कि माननीय मंत्री ने मेहनत और कोशिश की है और वे वक्तन फवक्तन अमेंडमेंट बिल लाये हैं, वे पंचायत राज बिल भी लाये हैं और इंतजाम को बेहतर करने की हत्तुलमक्दूर कोशिश की है और इससे किसी शख्स को भी इंकार नहीं होगा। फिर भी मैं समझता हूं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सिलसिले में जितनी तजावीज दी जा चुकी हैं उतना काम नहीं किया जा सका। मैं याद दिलाऊंगा कि सन् १९३५ ई० में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी बैठी थी। माननीय मंत्री उसके सेक्रेटरी थे और मुझे भी उस कमेटी में काम करने का शर्फ हासिल है। उसने मुकम्मिल रिपोर्ट बना कर पेश की थी। बदकिस्मती से उसके बाद दफा ९३ आ गई और उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सका। लेकिन जब यह गवर्नमेंट आयी तो उसने उस रिपोर्ट को निकाला और उस पर ऐक्शन लेना शुरू किया। उसके मातहत अमेंडमेंट बिल भी आये लेकिन जो उसकी पूरी तस्वीर थी वह बिलकुल नामुकम्मल ही रही और रिपोर्ट में जो खास सिफारिशें की गयी थीं उनके मुताल्लिक कोई कदम नहीं उठाया गया। रिपोर्ट के मातहत खास तौर पर लोकल गवर्नमेंट बिल हमारे सामने आने वाला था जिसका मिनिस्टर साहब भी इस भवन के अन्दर कई मर्तबा तजकिरा कर चुके हैं लेकिन अभी तक वह हमारे सामने नहीं आया।

उसकी एक सिफारिश यह भी थी कि प्राविंशियलाइजेशन आफ सर्विसेज (सेवाओं का प्रान्तीयकरण) होनी चाहिए यानी लोकल बाडीज के जितने सर्विसेज हैं उनका प्राविंशियलाइजेशन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह आये दिन की शिकायत है कि लोकल बाडीज के जितने सर्विसेज हैं, सब गैरमुतमय्यन हैं। होना भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से मुकामी पोलिटिकल पार्टीज के लोग शिकार होते हैं वह किसी से छिपी हुई बात नहीं है और खुद माननीय मंत्री जी भी उससे बहुत ज्यादा वाकिफ हैं और शायद यही वजह है कि बोर्ड को इतनी मर्तबा वार्निंग देने की जरूरत पड़ती है और वे परसिस्ट करते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि बोर्ड सुपरसीड किये जाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर उस कमेटी की बहुत सिफारिशों में से खासतौर पर लोकल गवर्नमेंट ऐक्ट, प्राविंशियलाइजेशन आफ सर्विसेज और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड वगैरह तमाम चीजें बना दी जायं और लोकल बाडीज का काम डिफाइन (परिभाषित) कर दिया जाय, सिक्योरिटी आफ सर्विसेज

[श्री सुल्तान आलम खां]

(सेवाओं को सुरक्षा) की बात हो तो ये तमाम दिक्कतें और दुश्वारियां बहुत हद तक कम हो जायं। बहुत ही कम मौके पर इस बात की जरूरत महसूस होती है कि बोर्ड अपने फर्ज की अदायगी से इंकार करता है या कोताही करता है इसलिए उसे डिजाल्व (भंग) किया जाय या सुपरसीड (अवक्रमित) किया जाय। लेकिन मुझे अफसोस है कि यह चीज अभी तक हमारे सामने नहीं आयी। हो सकता है कि इसका यह जवाब दिया जाय कि गवर्नमेंट के हाथ इस कदर इस जमाने में भरे हुए रहे और लेजिस्लेशन का बहुत काम उसके सामने रहा इसलिए वह इस तरफ तवज्जह नहीं कर सकी। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी असेम्बली साल भर तक बैठी रही और जहां तक बिल बनाने का ताल्लुक है इतने ज्यादा बिल स्टेच्युट बुक पर दिये कि हर साल ३०,४० और ५० बिल पास हुए तो यह ऐसा जरूरी रिफार्म जिस के जरिये से मैं समझता हूं कि तमाम शहर, कस्बे और देहातों की जिन्दगी का दारोमदार है, इसको इस हद तक इगनौर रखा और इसके ऊपर कोई ऐक्शन नहीं लिया। इसके बारे में माननीय मंत्री जी अपना बयान जरूर देंगे और बतला सकेंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया गया?

जनाबवाला, म्युनिसिपैलिटी और लोकल बाडीज में एक और दिक्कत है जिसकी वजह से वे परसिस्ट करते हैं और उसके बाद उनका सुपरसेशन और डिसोल्यूशन होता है और वह यह है जिसके मुताल्लिक मैं इस भवन के सामने अपने ख्यालात को जाहिर करना जरूरी समझता हूं। म्युनिसिपैलिटी के मातहत में और लोकल बाडीज में जो एलेक्शन होते हैं वे एक तरीके से पार्टीबन्दी के तौर पर होते हैं जहां लेजिस्लेचर सी कोई चीज नहीं होती है। और उसका नतीजा यह होता है कि उन एलेक्शन में लोग सिर्फ उसी कंडीडेट को एलेक्ट करते हैं जो उस पार्टी से संबंध रखता है। हालांकि यह साफ जाहिर है कि लोकलबाडीज के अन्दर पार्टीबन्दी का सवाल इसलिए जरूरी नहीं है कि लोकल बाडीज के अन्दर कोई हिन्दुस्तान की आजादी का सवाल नहीं पैदा होता है, गवर्नमेंट आफ इन्डिया या स्टेट की पालिसी का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। वह एलेक्शन तो मुकामी जरूरियात के मुताल्लिक लड़ा जाता है। वह एलेक्शन तो इसलिए लड़ा जाता है कि यहां पर सड़क बनाई जाय, बिजली का खम्भा लगा दिया जाय, यहां नाली बना दी जाय, यहां मुदर्रिस का तबादला कर दिया जाय यहां दवाखाना, खोल दिया जाय। यह तो बिल्कुल मुकामी सवाल है और मुकामी जरूरियात से ताल्लुक रखता है। सियासत के अन्दर, सूबे की सियासत के अन्दर या मुल्क की सियासत के अन्दर इसका कोई हिस्सा नहीं है। ऐसी सूरत में तो मैं यह समझता हूं कि मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूं जाहिर है कि मेरी छोटी राय कोई ज्यादा हकीकत नहीं रखती लेकिन मैं समझता हूं कि हुजूरवाला भी इंडिपेंडेंट ही हैं और इसलिए मैं आप से यह जरूर अर्ज करूंगा कि इस बिल को पास करने के पहले यह जरूर सोच लेना चाहिए कि यह काम कहां तक हो सकता है और कहां तक नहीं कि लोकल बाडीज एलेक्शन पार्टीबन्दी से बिलकुल आजाद कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि मैंने यह पढ़ा था कि हमारे कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता और खुद पंडित जवाहर लाल जी की यह राय थी कि मुकामी एलेक्शन में, लोकलबोर्ड्स के एलेक्शन में किसी को पार्टी टिकट न दिया जाय।

वह एलेक्शन बिलकुल अलग हों। पार्टीबन्दी की बरूनी हवा पालियामेंट और असेम्बली तक तो पहुंची है लेकिन वह लोकल बाडीज तक अभी नहीं पहुंची है। मैं सोचता हूं यही बात थी कि जिसने हमारे सामने माननीय मंत्री को इस बात के लिये आमादा किया कि वह पंचायतों के एलेक्शन नो पार्टी के बिना पर करायें। इसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने यह एक सही फैसला किया था और हिन्दुस्तान में और अपने सूबे में यह सबसे बड़ा तजुर्बा जो पंचायत राज्य में करने वाले थे उसकी बुनियाद सही तौर पर रखी। मुझे अन्देशा है कि अगर यह एलेक्शन पार्टीबन्दी की बुनियाद

पर किये जाते तो आज पंचायत राज में जिस तरह से बहुत सी शिकायतें हो रही हैं हालांकि उसमें बहुत शिकायतें नातजुर्बेकारी कि बिना पर हैं लेकिन अगर एलेक्शन इसी बुनियाद पर होता तो मुझे पूरा यकीन है कि माननीय मंत्री को जितनी दिक्कतें अब हो रही हैं उससे ५० गुना ज्यादा दुश्वारी और दिक्कतें होतीं। मुझे खुशी है कि वह इस बात को मानते हैं। मैं उनसे और दूसरी पार्टियों के लीडरों से इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि वह लोकल बाडीज को किसी पार्टी की बिना पर तसव्वुर न करें और न इस तरह से एलेक्शन ही कराने की बात सोचें। हमको तो ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिये, जो बुनियादी तरीके से सही हो और जिससे देश का ज्यादा से ज्यादा भला हो और वहां के एलेक्शन पार्टी लाइन पर न लड़े जायं। मैं आप से अर्ज करता हूं और मुझे यकीन है कि अगर आइन्दा लोकल बाडीज के एलेक्शन पार्टी लाइन पर लड़े गये तो जितनी म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनमें कहीं ऐसा न हो कि १, २, ३, करके दीवाला ही न हो जाया करे और उसके बाद हम को इस बात का अफसोस हो कि हमने गलत पालिसी अख्तियार की और गलत रास्ते पर चलकर हमने दुश्वारी उठाई और उसका गलत नतीजा हमारे सामने आया। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि अब वक्त आ गया है कि आप अच्छी तरह से छानबीन करें और जस्टिस की बिना पर आप किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश करें। मैं अपनी जगह पर इस बात का ख्याल करता हूं कि अगर हमने इस तरह से बुनियाद डाली तो मुझे यकीन है कि हमको बेहतर आदमी मिल सकेंगे और आला दिमाग मिल सकेंगे उस काम के लिये, जो कि मुकामी जरूरियात से ताल्लुक रखता है।

जनाबवाला, मैंने इस सिलसिले में बहुत कुछ अर्ज किया। एक बात और सिर्फ आखिर में कहना चाहता हूं और वह यह है कि लोकल बाडीज को हमें यह अच्छी तरीके से महसूस करना चाहिये कि यह ऐडमिनिस्ट्रेशन का एक जुज है। इसमें शक नहीं है कि हुकूमत के भी कुछ फरायज हैं और वह फरायज ऐसे हैं कि जिनको कोई हुकूमत डिनाई नहीं कर सकती है और कांस्टीट्यूशन ने यह बातें स्टेट्स के लिये बतलादी हैं कि जिनके मातहत वह अपना काम अंजाम देते हैं। लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां पर ऐडमिनिस्ट्रेशन के कई सिस्टम माने गये हैं वहां एक ऐडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम जो कि दुनिया के देशों में माना गया है वह लोकल बाडीज का भी है। लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के मातहत सिर्फ यही बात नहीं है कि म्युनिसिपैलिटीज या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपना काम करते रहें या जब चाहे गवर्नमेन्ट उसको सुपरसीड कर ले या जब चाहे उसको डिजाल्व (समाप्त) करदे। वह सिस्टम तो ऐसा है कि वह पूरे तरीके से आजाद होनी चाहिये और मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि अगर वे लोग कुछ गलती करें या ऐसी बात करें जो नामुनासिब हों तो एक हद तक उनको ऐसा करने देना चाहिये। ताकि उनको तजुर्बा हो और अक्ल हो और वह खुद अपनी जगह बना सकें और ठीक तौर से अपने ठिकाने पर आ सकें।

हमारे लोकल बाडीज के फेल्योर की जिम्मेदारी इस पर भी है कि उन के पास काफी खर्च नहीं है। मुझे यह कहने में खुशी है कि हमारे आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने इस सिलसिले में एक कमेटी बैठा दी है जो अपना काम कर रही है और शायद उसकी रिपोर्ट अनकरीब मिनिस्टर साहब के सामने आवे लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि इस तरफ गवर्नमेंन्ट को खास तवज्जह देने की जरूरत है। फ्रान्स, इंगलैंड और अमेरिका के लोकल बाडीज में इतना रुपया आता है कि सूबे के एक्सचेकर में जितना रुपया आता है वह उसका खासा परसेंटेज होता है और वह बाज मुकामात पर एक्सचेकर का ३० फीसदी और ४० फीसदी तक होता है जितना कि वहां वसूल किया जाता है। एक खास परसेंटेज वहां लोकल बाडीज में जाता है। हमारे यहां इन बाडीज के फेल होने की एक वजह यह भी है कि उनके पास रुपया नहीं है और उनके रिसोर्सेज (साधन) महदूद हैं। आबादी के साथ रिसोर्सेज का बढ़ना भी

[श्री सुल्तान आलम खां]

जरूरी है मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि कानपुर और लखनऊ जैसे मुकामात में जिस जमाने में वहां बिजली लगाई गई तो एक डेढ़ लाख की आबादी थी लेकिन अब वहां १० लाख और ८ लाख की आबादी हो रही है। इसलिये यह जरूरी है कि उस पुराने इंतजाम को एक्सटेंशन दिया जाय। देखना यह चाहिये कि जिस वक्त लोकल बाडीज बनाये गये थे उस वक्त उनकी जरूरत क्या थी और उस वक्त के जो उनके रिसोर्सेज थे उन से आज काम कहां तक चल सकता है। रिसोर्सेज का बढ़ाना अब उनकी जरूरियात को देखकर लाजिमी हो जाता है। मैं समझता हूं कि इस तरफ गवर्नमेंट को खास तवज्जह करना चाहिये और लोकल बाडीज की ग्रान्ट में खातिरख्वाह इजाफा करना चाहिये या कोई ऐसा उसूल गवर्नमेन्ट को मुकर्रर करना चाहिये कि जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। लोकल बाडीज ग्रान्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट लिखी है वह अभी नहीं आई है लेकिन उम्मीद है कि वह अनकरीब आ जायगी। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट उस पर जल्द गौर करे और जल्द से जल्द उस पर फैसला देने की कोशिश करे और हो सके तो उस पर अमलदरामद के लिये इसी बजट में कुछ किया जाय और अगर इसमें नहीं तो अगले बजट में इस सिलसिले में कुछ न कुछ होना चाहिये। मैं यह भी ख्वाहिश करूंगा कि जिन लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट कमेटी ने जो सिफारिश की है उन में से बहुत सी ऐसी हैं कि जिनको इम्पलीमेंट (कार्य में परिणत) करने का जल्द से जल्द मौका देना चाहिये ताकि लोकल बाडीज का ऐडमिनिस्ट्रेशन एक आजाद स्टेट में जैसा होना चाहिये वैसा हो जाय। हम एक आजाद हुकूमत के मातहत इस हाउस में बैठे हैं और एक आजाद हुकूमत की तमाम बातें और तमाम पावर्स हैं लेकिन इसके बरअक्स लोकल बाडीज की वह पोजीशन है जो आज से २० साल पेश्तर थी। इस तरह से गाड़ी नहीं चल सकती। जब एक गाड़ी का एक पहिया बड़ा हो और दूसरा छोटा तो काम नहीं चल सकता। इसलिये मैं चाहता हूं कि लोकल बाडीज को भी एक आजाद हुकूमत के साथ लाने के लिये और तालमेल मिलाने के लिये कोशिश की जाय। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री कृष्णचन्द्र--माननीय स्पीकर महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री ने जो प्रस्ताव इस आदरणीय भवन के सामने प्रस्तुत किया है कि म्युनिसिपैलिटीज के विधेयक पर विचार किया जाय मैं उसका समर्थन करता हूं। जहां तक कि विरोधी दल के नेता मेरे परम मित्र श्री त्रिलोकी सिंह ने सुपरसेशन (अवक्रमण) के सम्बन्ध में मौलिक बातें कही हैं मैं उनसे पूर्णरूप से सहमत हूं। किसी भी लोक-प्रिय सरकार के लिये कभी भी यह शोभा नहीं देता कि वह किसी ऐसी संस्था को कि जिसके सदस्य वहां की जनता द्वारा चुने गये हैं उसको अपने अफसरों की रिपोर्ट पर इस तरह से सुपरसीड करदें और यही नहीं बल्कि सुपरसेशन का उस वक्त जो वह समय निर्धारित करें उस समय के बीतने के बाद भी वहां के निवासियों को यह अवसर न दें कि वे अपने अच्छे प्रतिनिधि अपने नगर का प्रबन्ध करने के लिये भेजें बल्कि तब भी सुपरसेशन के काल को वह अपने एक आदेश के द्वारा और बढ़ा दें।

इस विधेयक के दो उद्देश्य हैं जैसा कि श्री त्रिलोकी सिंह ने भी बताया है। एक उद्देश्य यह है कि जो गलती कि भूल में या किसी कारणवश अब तक इस सम्बन्ध में होती रही है कि सुपरसेशन का काल बराबर समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। उसका सुधार किया जावे। जहां तक कि इस भूल की अवैधता को दुरुस्त करने का उद्देश्य है और जो इस बिल में निहित है उसका तो हर एक कोई समर्थन करेगा और मैं समझता हूं कि श्री त्रिलोकी सिंह ने भी जो भाषण दिया है उसमें उन्हों ने भी इस बात को माना है कि यदि बिल का यही उद्देश्य होता तो वे खुशी से उसका समर्थन करते। लेकिन इस बिल के अन्दर जहां एक तरफ यह है कि जो पहली भूल हुई है उसका सुधार किया जाय वहां दूसरी ओर यह भी है कि आइन्दा भी यह परिपाटी कायम रखी जाय। ये दो बातें जो एक ही बिल में दी गई हैं यह अगर न होता तो उचित था। अब कोई संशोधन ही इसके अन्दर

ऐसा किया जा सकता है कि जहां तक कि पिछली भूल के सुधारने का सम्बन्ध है वहां तक तो यह विधेयक बहुत उचित है और इसको पारित किया जाना चाहिये। लेकिन जहां तक कि परिपाटी को बराबर,कायम रखने का उद्देश्य है उसमें सुधार होने की आवश्यकता है।

मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि कभी कोई ऐसा अवसर नहीं आ सकता है कि जब किसी बोर्ड को ईमानदारी के साथ वहां के लोगों की बेहतरी के ख्याल से सुपरसीड करने की जरूरत न हो। ऐसा अवसर आ सकता है और उस वक्त तुरन्त चुनाव करना जरा कठिन ही नहीं हो जाता बल्कि तुरन्त चुनाव हो भी नहीं सकता। उसके लिये तारीख मुकर्रर करनी होगी। बोर्ड कोई गलती कर रहा है, वहां के निवासियों की सेवा करने में गफलत कर रहा है या जानबूझ कर वहां के रुपये को नष्ट कर रहा है, गवर्नमेन्ट बार–बार उसको चेतावनी देती है लेकिन तो भी अपनी भूल को वह दुरुस्त नहीं करता, ऐसे मौके आ सकते हैं। उस अवसर में गवर्नमेंट जिसकी जिम्मेदारी इस प्रदेश की तमाम जनता के प्रति है और जो अपनी जिम्मेदारी से महज यह कह कर नहीं बच सकती कि उस नगर के निवासियों ने उस बोर्ड को चुना है, इसलिये अगर वह बोर्ड उनके धन को नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो उससे उनको कोई सरोकार नहीं। उस वक्त प्रत्येक गवर्नमेन्ट के लिये इस बात को सोचना पड़ता है कि वह उस गलती को दुरुस्त कराये, ऐसा मौका लाये और ऐसी व्यवस्था करें ताकि वहां के लोगों का जो नुकसान हो रहा है, जो बरबादी हो रही है और उनका जो काम ठीक नहीं हो रहा है वह ठीक से चलने लगे। गवर्नमेन्ट को इस बात की जरूरत पड़ सकती है कि कुछ काल के लिये जो बोर्ड गलती करें उसे वह सुपरसीड करदे और समय आने पर जल्दी से जल्दी उस बोर्ड का फिर से चुनाव करादे। उसके बाद उस कमेटी का इंतजाम चुने हुये बोर्ड के सुपुर्द करदे। तो सिद्धान्तः सुपरसेशन का अधिकार ऐसी स्थिति में जैसी कि आज हमारे देश में है सरकार के पास रहना बिलकुल अनुचित नहीं कहा जा सकता। उसकी आवश्यकता हो सकती है लेकिन सुपरसेशन काल को समय–समय के लिये बढ़ाया जाना इसकी मैं समझता हूं आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

जैसा कि बताया गया है ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड हमारे इस प्रदेश में हैं कि जो ७–७ साल से आज सुपरसीड हुये पड़े हैं। उनका इंतजाम वहां के चुने हुये लोगों के हाथ में न होकर वहां के लोगों को कोई अवसर नहीं मिल रहा है कि वह अपने शहर का इंतजाम करने के लिये अपनी तरफ से अच्छे सुयोग्य व्यक्तियों को चुनकर भेजें। ऐसी स्थिति हमारे लिये कुछ बहुत अच्छी चीज नहीं है। यह कहा जा सकता है कि गवर्नमेन्ट इस बात की अच्छी तरह से तहकीकात कर लेती है कि जिस बोर्ड को उसने सुपरसीड किया है और जिस वजह से सुपरसीड किया है वह पूरी हो गई या नहीं और उसकी जांच करने के बाद गवर्नमेन्ट यह तय करती है कि उसके सुपरसेशन का समय और बढ़ाया जाय या नहीं। श्रीमान् जी, मेरी समझ में यह नहीं आता है कि इसकी जांच क्या हो सकती है। जिस बोर्ड को सुपरसीड किया जाता है उसका एक ही कारण हो सकता है कि उस बोर्ड ने अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में कोई अवहेलना की या अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। सरकार द्वारा बार–बार चेतावनी मिलने पर भी अपने कार्यों को दुरुस्त नहीं किया। सुपरसेशन बोर्ड के चुने हुये प्रतिनिधियों की गलती के कारण होता है। जब एक बोर्ड का सुपरसेशन हो गया एक साल या दो साल के लिये तो उस समय के बीतने के बाद यह समझ में नहीं आ सकता कि गवर्नमेन्ट किस बात की तहकीकात कर सकती है। यह तहकीकात तो उस वक्त उनके लिये सम्भव ही नहीं कि वह यह जांच करें कि आया उस नगर के चुने हुये प्रतिनिधि जो दोबारा आवेंगे वे फिर ठीक तरह से काम करेंगे या नहीं। क्या वह भी उसी तरीके से अवहेलना करेंगे अपने कर्तव्यों की जैसा कि पहले बोर्ड ने की थी।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कृष्णचन्द्र--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक इस बिल के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव माननीय स्वशासन मंत्री ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि यह विधेयक इस वास्ते आवश्यक है कि गवर्नमेन्ट की तरफ से भूल के कारण जो सुपरसेशन बोर्ड का समय-समय पर बार-बार बढ़ाया जाता रहा है उसको वैध करा दिया जाय। लेकिन जहां तक कि इस नीति का सम्बन्ध है कि एक बोर्ड को एक दफा जब सुपरसीड कर दिया जाय तो उस काल के बीतने के बाद फिर उस सुपरसेशन के काल को समय-समय पर बढ़ा दिया जाय, उस नीति का मैं समर्थन नहीं करता। वह नीति किसी भी डेमोक्रेसी के लिये अच्छी चीज नहीं है। प्रजातंत्र के अन्दर यह सही है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तमाम देशवासियों के प्रति इस बात की है कि देश का शासन ठीक चले, लोक कल्याण की बातें और उनके सम्बन्ध में रचनात्मक कार्य ठीक-ठीक तरह से संचालित हों, देश का उत्थान हो, वहां के निवासियों का कल्याण और उन्नति हो। जहां तक यह सब बातें हैं देश की गवर्नमेंट और प्रदेश की गवर्नमेंट के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है, इस बात का बोझा है कि वह इस बात की देखभाल रखें कि यह सब काम सुचारु रूप से चलते रहें। लेकिन हर जगह, हर मुल्क में इस बात की जरूरत हुई है और आज भी उस आवश्यकता को माना जाता है कि जहां-जहां भी लोकतंत्र हैं वहां स्थानीय शासन भी हो।

स्थानीय शासन के वह काम हैं कि जिनका सम्बन्ध उस जगह के रहने वाले लोगों की जिन्दगी और मौत से होता है। वह सब काम वहां के लोगों के चुने हुये प्रतिनिधियों के सुपुर्द होने चाहिये। उसी का नाम स्थानीय शासन है। यह विभाग प्रत्येक लोकतंत्र के अन्दर रखा जाता है। स्वशासन की यहां जो संस्थायें है उनके [illegible] हमारे इस देश के अन्दर भी वही सब काम किये गये हैं। यद्यपि मैं इस बात को कहता रहा हूं कि उन संस्थाओं को, जो आज अधिकार हैं, वह बहुत संकुचित हैं उनको बढ़ाना चाहिये। लेकिन जो भी अधिकार उनके हैं, जो भी कार्य-क्षेत्र हैं उसके अन्दर जितने भी कामों की उनके ऊपर जिम्मेदारी है वह सब काम वह हैं कि जिन कामों से वहां के रहने वालों की जिन्दगी, उनके रहन-सहन, उनकी शिक्षा, उनकी सफाई, घरों को सुचारु-रूप से रखने का प्रबन्ध, सड़कों का अच्छी तरह से प्रबन्ध होना, रोशनी का ठीक तरह प्रबन्ध होना, जहां तक यह बातें हैं कि जिनसे वहां के लोगों के नित्य काम पड़ते हैं, नित्य उनके सुविधा और असुविधा का सामना करना पड़ता है वह सब काम हर लोकतंत्र के अन्दर वहीं के चुने हुए प्रतिनिधियों के सुपुर्द किये जाते हैं और उसी का नाम स्थानीय शासन है। अगर कोई सड़क खराब हो तो सूबे की गवर्नमेन्ट के लिये यह सम्भव भी नहीं है कि उसको इस बात का जल्दी पता लग जाय। लेकिन वहां के जो रहने वाले हैं उनको तकलीफ होगी उनको फौरन उसका सामना करना पड़ेगा और वह अपनी उस तकलीफ को अगर प्रभावशाली रूप में कह सकते ह, तो अपने स्वशासन की संस्था से ही कह सकते हैं। गवर्नमेन्ट जिस का दायरा बड़ा है जिस पर प्रभाव डालने के लिये बहुत संगठन की आवश्यकता है वहां के निवासी वह सब प्रभाव डाल नहीं सकते ह। इसी वजह से ऐसे इंतजाम का भार उन्हीं के घर की संस्था के सुपुर्द किया जाता है।

वहां अब तक जो ब्रिटिश शासन हमारे देश में रहा है जो किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं था उसको स्वशासन का अधिकार सुपुर्द नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज जनता की सरकार है जो जनता के प्रति उत्तरदायी है और जनता के द्वारा चुनी गयी है उसके सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती है। मैं यह बात मानता हूं लेकिन जहां भी, जिस देश में भी लोकतंत्र पूर्णरूप से विकसित है वहां पर कोई इस बात को नहीं कह सकता है कि स्वशासन की संस्थाओं को तोड़ दिया जाय या सुपरसीड कर दिया जाय, उनके अधिकार छीन लिये जायं और वहां का काम सीधा वहां की गवर्नमेन्ट अपने हाथ में ले कर करने लगे। यह बात नहीं कही

जाती है और न वह कह सकते हैं, क्योंकि इस बात को स्वीकार किया गया है कि जो छोटे-मोटे काम हैं वे वहां की संस्था अगर करती है तो अच्छे ढंग से कर सकती है। उसके ऊपर वहां के लोग अपना प्रभाव डाल सकते हैं और अगर छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट को दी जायगी तो लोग उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगे हैं। ऐसी व्यवस्था में यदि इंतजाम खराब होगा तो वह बराबर जारी रहेगा। अगर दिक्कतें होंगी तो बराबर जारी रहेंगी और उनको दूर करने का वहां के लोगों के पास साधन नहीं होगा। मैंने यह भी निवेदन किया था कि जहां गवर्नमेन्ट ने किसी बोर्ड को सुपरसीड किया वहां माना जा सकता है कि कोई ऐसी मजबूरी आ गयी हो जब कि सिवा इसके कि गवर्नमेन्ट के पास कोई चारा न रहा हो कि वहां के लोगों के कल्याण के लिए यही ठीक वह समझें कि वहां के बोर्ड को सुपरसीड करके इंतजाम अपने हाथ में ले लें। लेकिन जब वह सुपरसेशन का काल खत्म होता है तो तब गवर्नमेन्ट के पास क्या बहाना है और किस बात की तहकीकात वह कर सकती है कि आया जिन कारणों के आधार पर बोर्ड को सुपरसीड किया था वह कारण आज भी विद्यमान हैं या नहीं। जब जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में इंतजाम है ही नहीं, तो किस तरह से इस की जांच की जा सकती है और किस तरह से कोई जान सकता है कि चूंकि जनता के प्रतिनिधि अब भी इस योग्य नहीं हैं कि अपने नगर का शासन अपने-आप चला सकें, इसलिए गवर्नमेन्ट उचित समझती है कि सुपरसेशन का काल बढ़ाया जाय। किसी गवर्नमेन्ट के लिये ऐसी जांच करना नामुनासिब है।

इसका मतलब तो यह हुआ कि गवर्नमेन्ट इस बात को मालूम करे कि जो वहां की जनता है, वहां के जो निर्वाचक हैं उनमें इस बात की योग्यता है या नहीं कि वह अपने नगर का शासन करने के लिये अपने नगर के काम को चलाने के लिये अच्छे प्रतिनिधि चुन कर भेज सकते हैं या नहीं। इस बात की योग्यता की जांच करना कि वहां के निवासी, वहां के निर्वाचक इस काबिल हो गये हैं या नहीं कि वे अच्छे तौर से अपने प्रतिनिधि चुन कर भेज सकें। यह मुश्किल है और अगर यह बात सही हो तब तो यही हो सकता है कि ऐसे एलेक्टर्स का नाम एलेक्टर्स की लिस्ट से ही खारिज कर दिया जाय। अगर एलेक्टर्स नाकाबिल हैं, तभी तो एलेक्टर्स को सजा दी जा सकती है। नहीं तो किसी चुने हुये प्रतिनिधि ने यदि कोई गलती की थी और उन चुने हुये प्रतिनिधियों को गवर्नमेन्ट ने नाकाबिल समझा था कि वह वहां का काम चला सकें तो वह अयोग्य हो सकते हैं, वह खराब हो सकते हैं लेकिन उनकी वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि वहां के जो निर्वाचक हैं वह फिर अच्छे आदमियों को चुनकर नहीं भेज सकते हैं। सुपरसेशन के जहां तक बढ़ाने का सवाल है मैं गवर्नमेंन्ट से निवेदन करूंगा कि वह किसी तरह से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता और न वह मुनासिब ही है। यही ज्यादातर कहा जाता है या कहा जा सकता है कि हम स्थानीय शासन का स्तर ऊंचा करने के लिये अपने विधेयक में सुपरसेशन को भी रखेंगे और डिस्सोल्यूशन (भंग करना) को भी रखेंगे। यह कहा जा सकता है और यह सही भी है कि आप सुपरसीड करें एक साल का काल दीजिये या दो साल का समय दीजिये। उसके बाद आप चुनाव की कार्यवाही कीजिये। चुनाव करवा दीजिये। फिर एक साल या दोसाल का मौका दीजिये और यदि फिर खराबी पावें तो फिर दोबारा सुपरसीड कर सकते हैं, गवर्नमेन्ट के हाथ में वर्त्तमान म्युनिसिपल विधान के अन्तर्गत अधिकार है कि यदि किसी म्युनिसिपल बोर्ड का कोई मुहकमा खराब चल रहा हो किसी मुहकमें में किसी विशेष काम की खराबी हो या सारे मुहकमें खराब हों, तो गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह उस मुहकमे के काम को या सारे मुहकमों के काम को अपने अफसरों की मातहती में करा दें और ऐसा करने से जो खर्चा हो वह म्युनिसिपल कोष से लिया जा सकता है ऐसी व्यवस्था विधान में है। आपको नियंत्रण का अधिकार है और सुपरसेशन का अधिकार है लेकिन आप को इस बात का मौका तो देना चाहिये कि वहां के निवासी अच्छे आदमियों को चुनकर भेज सकते हैं या नहीं। उनको इस अधिकार से वंचित रखना किसी तौर से मुनासिब नहीं है और आज तो यह हम देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी का नाम लेकर घोषित करना किसी माननीय सदस्य के लिये अच्छा नहीं है लेकिन आज हम देख रहे हैं

[श्री कृष्णचन्द्र]

कि ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड भी जो सुपरसीडेड (अवक्रमित) हैं और जिनके इंतजाम की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है लेकिन आज उनकी यह दशा है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनके खजाने में अपने अहलकारों को तनख्वाह तक देने के लिये पैसा नहीं है । अभी तक हम यह देखा करते थे कि म्युनिसिपैलिटियों के इंतजाम का नाम उनकी आर्थिक स्थिति से लगाया जावे। वैसे तो और भी बहुत सी बातें है लेकिन आर्थिक स्थिति एक बहुत जरूरी बात समझी जाती है। कोई म्युनिसिपल बोर्ड अगर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक रखती है, उसकी माली हालत अच्छी है तब उसका इंतजाम साधारणतया अच्छा कहा जा सकता है और नहीं तो उसका इंतजाम बुरा कहा जाता है। हमारा अब तक यह ख्याल रहा है और अब तक देखने में भी आया है कि जिस म्युनिसिपल बोर्ड का इंतजाम गवर्नमेंट ने बराह रास्त अपने हाथ में लिया, सुपरसीड किया उसकी आर्थिक स्थिति सुपरसेशन के जमाने में अच्छी बन जाती थी । आर्थिक स्थिति अगर खराब होती थी तो गवर्नमेन्ट के हाथ में इंतजाम आते ही उसके पास पैसा हो जाता था और जब दुबारा चुने हुये मेम्बरों के हाथ में उसका इंतजाम दिया जाता था तो गवर्नमेन्ट कह सकती थी कि हमने नगरवासियों के फायदे के लिये सुपरसेशन किया और अब उनके हाथ में बोर्ड का इंतजाम पैसे के साथ दे रहे हैं। लेकिन आज हम यह देख रहे हैं कि सुपरसीडेड बोर्डों की भी यह हालत है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है उनके पास पैसा नहीं है और वे अपने काम को चला नहीं सकते हैं।

कुछ हद तक यह सही भी हो सकता है कि गवर्नमेन्ट की निगाह में कुछ शहर ऐसे हों जिनका इंतजाम वह इतना महत्वपूर्ण समझे कि उनका इंतजाम बराहरास्त अपने हाथ में रखना पसन्द करें जैसे कि लखनऊ है। पहले जमाने में पहले कानून में गवर्नमेन्ट को यह अधिकार था कि गवर्नमेन्ट कुछ बोर्ड निर्धारित कर देती थी जिनका चेयरमन गवर्नमेन्ट खुद नामजद करती थी और उनके नामजद किये हुये चेयरमैन वहां का इंतजाम करते थे । अगर गवर्नमेन्ट चाहे तो यह कह सकती है और कर सकती है कि लखनऊ, कानपुर वगैरह को जो इतने बड़े शहर हैं उनका इंतजाम वह नहीं चाहती है कि वहां के लोगों के हाथ में छोड़ दिया जाय जिससे कि अगर वहां का इंतजाम खराब हो तो सारे सूबे को धक्का लगे और इसलिये वह इन बोर्डों का इंतजाम अपने हाथ में रखेगी। अगर गवर्नमेन्ट ऐसा करना चाहती है तो उसका रास्ता यह है कि वह अपने विधेयक में सीधे-सीधे इस बात की व्यवस्था करे, साफ तौर से अपने पास यह अख्तियार रखे कि बराहरास्त इन शहरों का इंतजाम हमारे ऊपर रहेगा और हम इनका इंतजाम करेंगे। हम नहीं चाहते हैं, कि इस स्थान के निर्वाचकों को यह अधिकार दें कि वह अपने इंतजाम को अपने हाथ में रखें । लेकिन इस चीज को करने के लिये इस मकसद को हासिल करने के लिये, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये कि कुछ शहरों का इंतजाम बहुत आला करें अगर गवर्नमेन्ट सुपरसेशन का सहारा ले, तो मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है और यह लोकतंत्रीय प्रणाली के खिलाफ है कि सुपरसेशन का जो अख्तियार किसी खास मकसद के लिये दिया गया उसका इस्तेमाल इन कामों के लिये किया जावे ।

श्रीमान् जी, आज हम यह देख रहे हैं कि हमारे सूबे में हर एक म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव मुल्तवी कर दिया गया। लेकिन हर एक बोर्ड के अन्दर ऐसा है कि दो, तीन या चार स्थान आज भी खाली हैं और उनके चुनाव जिसको बाई-एलेक्शन (उपचुनाव) कहते हैं अभी तक नहीं हुये हैं । बाई-एलेक्शन के बारे में भी गवर्नमेंट की अभी तक कोई पालिसी निर्धारित न होने के कारण वहां के लोगों की यह शिकायत है कि साहब, यहां पर गवर्नमेंट एक शासन कायम रखे हुये है और जो सीट्स खाली हैं उनका चुनाव नहीं कराती है। उनका अगर चुनाव करादे तो नगरनिवासियों को यह मौका मिले कि वह भी अपनी राय जाहिर कर सकें।

इस विधेयक के संबन्ध में बोलते हुए कुछ मित्रों ने स्थानीय स्वशासन के सम्बन्ध में जो लोकल सेल्फ कमेटी मुकर्रर हुई थी उसका अभी जिक्र किया है। मैं भी उसका एक सदस्य था और माननीय स्वाशासन मंत्री भी उसके सदस्य ही नहीं थे बल्कि चेयरमैन थे। इस कमेटी ने बहुत लम्बे अर्से तक स्थानीय स्वशासन के संबन्ध में सभी बातों पर विचार किया और उसके बाद कुछ सिफारिशें गवर्नमेन्ट के सामने रखीं। उनमें से जैसा कि विरोधी दल की तरफ से कहा गया है कि एक यह सिफारिश भी थी कि सुपरसेशन (अवक्रमण) का अधिकार गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिये। उस वक्त यह जो सिफारिश की गई थी वह कमेटी की सर्वसम्मति से की गई थी कि अब जो नया विधेयक म्युनिसिपैलिटी के इंतजाम के लिये बनायें उसमें गवर्नमेंट को सुपरसेशन का अधिकार नहीं दिया जाय। लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेन्ट की तरफ से इस कमेटी की कुछ सिफारिशों को कार्य रूप में परिणत करने के लिये एक विधेयक आदरणीय भवन के सामने प्रस्तुत हुआ तब इस विधेयक पर विचार करने के लिये एक प्रवर समिति बैठी और उसके सामने भी यह मसला आया कि सुपरसेशन का अधिकार गवर्नमेन्ट को अब आगे दिया जाय या नहीं। इस पर खूब विचार हुआ और इस बात को वहां बहुमत से माना गया कि सुपरसेशन का अधिकार गवर्नमेन्ट को जो आज की नाजुक स्थिति है उसमें थोड़े समय के लिये रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसी स्थिति आ सकती है कि गवर्नमेन्ट के लिये और कोई चारा न रहे सिवाय सुपरसेशन के।

श्री खानचन्द गौतम--क्या श्रीमान् की इजाजत से मैं पूछ सकता हूं कि उस समय क्या अवधि निश्चित की गई थी और क्या राय थी कि कितने समय तक के लिये यह अधिकार रहने चाहिये ?

श्री कृष्णचन्द्र--मैं यही निवेदन करने जा रहा था कि उस वक्त यह बात मानी गई कि सुपरसेशन के अधिकार रहने चाहिये लेकिन वह सिर्फ जब कि कहीं की दशा सुधारने के लिये गवर्नमेन्ट को और कोई रास्ता दिखाई न दे तभी उसका इस्तेमाल किया जाय।

श्री खानचन्द गौतम--कितनी अवधि के लिये ?

श्री कृष्णचन्द्र--और इसका इस्तेमाल इतनी अवधि के लिये किया जाय जितनी अवधि के अन्दर गवर्नमेंट चुनाव कर सके। किसी नगर के अन्दर गवर्नमेन्ट ने एक बोर्ड को सुपरसीड किया तो उसका हुक्म जारी हो और गवर्नमेन्ट चुनाव करे। जब तक चुनाव होकर मेम्बर्स अपने पदों पर आसीन न हो जायं तो उस संक्रामक काल के अन्दर बोर्ड का कौन इंतजाम करेगा ? वह काल एक साल हो सकता है छः महीने हो सकता है। उस काल के अन्दर कौन इंतजाम करे ? यह हो सकता था कि जो वहां का चेयरमैन था वह इंतजाम करे। मुमकिन है कि चेयरमैन का ही दोष रहा हो, चेयरमैन ही नाकाबिल रहा हो और उसी वजह से बोर्ड सुपरसीड किया गया हो। दिक्कत इस बात की वास्तविक थी कि सुपरसेशन के जमाने में कौन इंतजाम करे। इस वास्ते कुछ दिन के लिये यह नामुमकिन था गवर्नमेन्ट के वास्ते सिवा इसके कि वह सीधा इंतजाम अपने हाथ में ले ले लेकिन वह सुपरसेशन उसी काल तक रहना चाहिये जिस काल तक गवर्नमेन्ट यह जरूरी समझे। वह वहां का चुनाव सहूलियत के साथ करा सकती है, अच्छी तरह करा सकती है और वहां के लोगों की राय जान सकती है उस काल को बढ़ाने का सवाल पैदा नहीं हो सकता।

अभी तक श्रीमान् जी जो सुपरसेशन हुआ करते थे तो इंतजाम सरकार अपने अफसरों को दे दिया करती थी और सरकारी अफसरों के हाथ में इस कारण से दिया करती थी कि गवर्नमेन्ट समझती थी कुछ समय लगेगा जब कि हम चुनाव कर सकेंगे तब तक के लिये कोई सरकारी अफसर उस काम को चलाने के लिये मुकर्रर कर देती थी और जब चुनाव हो जाता था तो चुने हुए लोगों के हाथ में इंतजाम कर दिया जाता था। अब तक बराबर यह परिपाटी थी कि सरकारी अफसरों के हाथ में सुपरसीडेड बोर्ड का इंतजाम दिया जाता था वह कलेक्टर होता या वहां का हाकिम परगना होता था। मगर गवर्नमेन्ट के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी थी कि वहां के निवासियों

[श्री कृष्णचन्द्र]

का इंतजाम ठीक हो, उनको शिकायत न हो, उन्हें कोई परेशानी न हो, किसी अफसर के इंतजाम से वहां के लोग नाखुश होते थे; शाकी होते थे तो आसानी से गवर्नमेन्ट उस ऐडमिनिस्ट्रेटर का तबादला करके दूसरी जगह भेज सकती थी और उसकी जगह दूसरा अफसर आ जाता था। वह जब चाहती थी ऐडमिनिस्ट्रेटर को बदल सकती थी दूसरा ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर सकती थी। अब गवर्नमेन्ट ने कुछ दिनों से यह तरीका निकाला है। मैं मानता हूं कि वह तरीका अच्छाई के लिये किया गया है। वह तरीका यह है कि वहां के जो प्रतिष्ठित आदमी हैं उनके हाथ में वहां का इंतजाम कुछ कार्यकाल के लिये दे दिया जाता है। एक आदमी या कहीं-कहीं तीन–चार ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया और उनके हाथ में वहां का इंतजाम दे दिया गया है। मैं मानता हूं कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य यह था कि वहां के नगर निवासियों को सुपरसेशन काल में यह शिकायत न हो कि उनके लोगों के सुपुर्द इंतजाम नहीं किया गया बल्कि एक सरकारी अफसर के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन यह सुपरसेशन काल को बराबर बढ़ाने की जो परिपाटी निकली तो इसका नतीजा यह हुआ कि जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उस संस्था का इंतजाम करते थे वहां अब गवर्नमेन्ट द्वारा नामजद किये हुये व्यक्ति वहां का सारा इंतजाम खुद करने लगे। कैसे ही अच्छे व्यक्ति हों उनके लिये भी वह बात अच्छी नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा हो लेकिन जब गवर्नमेन्ट की तरफ से वह नामजद होता है किसी नगर का इंतजाम करने के लिये, तो उस व्यक्ति के दिल में यह खयाल होता है कि मैं नगर निवासियों का चुना हुआ नहीं हूं मैं उनके प्रति उत्तरदायी नहीं हूं, मुझे गवर्नमेन्ट ने चुन कर भेजा है तो उसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिये यह उसके दिल में कुदरती एक खयाल हो सकता है और उसके विरुद्ध लोगों के दिल में यह धारणा रहेगी कि वह व्यक्ति हमारे सिर पर लादा गया है और गवर्नमेन्ट न मालूम कब तक उसे हमारे सिर पर लादना चाहती है।

फिर यह भी सवाल गवर्नमेन्ट के सामने आ सकता है कि अगर वह व्यक्ति सरकार की राय में नाकिस है तो मुझे इस बात में संदेह है कि आया गवर्नमेन्ट उस व्यक्ति को अलग कर सकती है या नहीं क्योंकि म्युनिसिपल ऐक्ट में कहीं भी इस बात की कल्पना तक नहीं की गई है कि अगर ऐडमिनिस्ट्रेटर कोई नान–आफीशियल रखा जाय तो क्या किया जायगा और कैसे उसको हटाया जायगा। मेम्बरान को हटाने का, चेयरमैन को हटाने का अधिकार गवर्नमेन्ट के हाथ में है। म्युनिसिपल विधेयक में है लेकिन किसी ऐडमिनिस्ट्रेटर को जिसको गवर्नमेन्ट ने मुकर्रर किया है उसको हटाये जाने का अधिकार साफ तौर पर गवर्नमेन्ट के हाथ में म्युनिसिपल विधेयक में नहीं है। यह एक संदिग्ध बात है कि किसी नान–आफीशियल ऐडमिनिस्ट्रेटर को गवर्नमेन्ट हटा सकती है या नहीं हटा सकती है। गवर्नमेन्ट बजाय एक के ४, ५, या ६ ऐडमिनिस्ट्रेटर रख दे और उनके सुपुर्द वहां का इंतजाम कर दे तो एक पेचीदा सवाल और पैदा हो जाता है और वह यह है कि इन ५–६ आदमियों की पोजीशन क्या होगी, क्या हर एक के पावर और अधिकार बराबर के होंगे, क्योंकि उनमें से हरएक ऐडमिनिस्ट्रेटर कहलायेगा। क्या जिनके जो जो में आये वह कर सकता है या उनके अधिकारों का कोई वितरण होगा। म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्दर चुने हुये चेयरमैन के तो अधिकार निर्धारित होते हैं, एक्जीक्यूटिव आफीसर के अधिकार निर्धारित होते हैं। शिक्षा कमेटी के अधिकार निर्धारित होते हैं, बोर्ड के सदस्यों के अधिकार निर्धारित होते हैं और बोर्ड की कमेटियों के अधिकार भी निर्धारित होते हैं, लेकिन जब यह सब परिपाटी हट गई और जब म्युनिसिपल विधान के प्राविजन्स लागू नहीं रहे क्यों कि सुपरसेशन की धारा को लागू कर दिया गया उसके अन्दर कोई इस बात की व्यवस्था नहीं है कि जो आदमी आपने मुकर्रर किये हैं उन सबके क्या अधिकार होंगे अगर उनमें मतभेद हो तो वह कैसे दूर हो और उसका चेयरमैन कौन हो यह बातें इस ऐक्ट के अन्दर नहीं हैं।

मैंने पहिले भी एक दफा निवेदन किया था कि गवर्नमेंट ने यह कार्यवाही बिला सोचे

समझी की है। ऐसी स्थिति में सही पोजीशन क्या होगी और वह किन नियमों के अधीन हो कर काम करेगा। गवर्नमेन्ट ने इस तरह का काम किया तो इसलिये था कि उसमें पब्लिक के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन यह बात याद रखनी चाहिये कि बीच की चीज अधिक दिनों तक रह नहीं सकती। इसलिये बजाय इसके कि नामजद लोग कोई इंतजाम करें यह अच्छा है कि कोई सरकारी अफसर इस काम को करे क्योंकि उस पर आप का अंकुश रहेगा, गवर्नमेंट उसका तबादला कर सकती है, उसको सजा दे सकती है या फिर जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथ में इंतजाम हो लेकिन बीच के रास्ते से चलना यह बहुत कंटकाकीर्ण मार्ग है उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि कुछ खास लोग जिनका असर गवर्नमेन्ट पर होता है उनके हाथ में इंतजाम रख दिया जाता है और बार-बार सुपरसेशन का टाइम बढ़ा कर उस ऐडमिनिस्ट्रेटर को गवर्नमेंट कायम रखना चाहती है। जैसा कि मैंने बतलाया है इस किस्म का उद्देश्य गवर्नमेन्ट का कभी भी शुरू में नहीं रहा और न हो सकता था। गवर्नमेंट ने उस काम को बड़ी अच्छी नियत से किया था और बड़े अच्छे खयाल से किया था। पर सुपरसेशन काल के बराबर बढ़ते जाने से वहां के लोगों के अन्दर यह भावना पैदा होती जा रही है कि गवर्नमेंट चन्द आदमियों को अपने अधिकार से हमारे ऊपर सुपरसेशन के अधिकार का इस्तेमाल करके बैठाये रखना चाहती है। यह बात किसी भी गवर्नमेंट के लिये अच्छी नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक की माननीय स्वशासन मंत्री का प्रस्ताव है कि इस विधेयक पर विचार किया जाय, मैंने पहले ही अर्ज किया है कि मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इस आदरणीय सदन का कोई भी सदस्य इसका विरोध नहीं कर सकता क्योंकि विरोधी दल के माननीय नेता ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भूल के कारण जो गलती हो गई और वह गलती मुद्दतों से होती आयी उसे वैधानिक करार देना हमारा कर्त्तव्य है और हमें करना चाहिये। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है उसे हर सदस्य स्वीकार करता है और स्वीकार करना चाहिये लेकिन जहां तक कि सरकार की इस नीति का सवाल है कि वह सुपरसेशन काल का बढ़ाने का अधिकार बराबर इस्तेमाल करती रहे, मैं निवेदन कर चुका हूं और फिर मैं स्वशासन मंत्री से बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि सरकार आगे इस नीति का इस्तेमाल न करे और सुपरसेशन किसी बोर्ड का उतने काल तक रखे जितने काल तक वह समझे कि वह आसानी के साथ चुनाव कर सकती है और कोशिश करके जितनी जल्दी चुनाव करा सके करा दे और चुने हुये लोगों के हाथों में वहां का इंतजाम देकर सुपरसेशन हटा ले। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे माननीय स्वशासन मंत्री जिनको म्युनिसिपल शासन का लम्बा अनुभव है और उनको उस पुराने जमाने की सरकार का भी कटुअनुभव है उन सब बातों का खयाल रखते हुये और इस बात को भी देखते हुये कि उनका कार्यकाल इस प्रदेश में इस बात के लिये प्रसिद्ध रहा है कि उनके कार्यकाल में यहां पर स्थानीय जनतंत्र की स्थापना हुई, गांव गांव में पंचायतें कायम हुईं, स्थानीय जनतंत्र की स्थापना का असली बीज उन्हीं के कार्यकाल में बोया गया। इन बातों का लिहाज रखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि वे इस बात पर बहुत अच्छी तरह से गौर करेंगे कि लोकतंत्र की जो भावना है उसमें कहां तक यह अनुकूल है कि किसी बोर्ड का सुपरसेशन काल बराबर बढ़ता चला जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जो विधेयक इस भवन के सामने उपस्थित किया है, मैं उसकी सख्त मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हम यह देख रहे हैं कि वास्तव में यह विधेयक देखने में जितना सीधासादा है उतना ही प्रजातंत्र के लिये घातक है और इस भवन के सदस्यों की तरफ से इसको बहुत महत्व दिया जाना चाहिये। अगर यह विधेयक पास होता है, इसके जो मूल सिद्धान्त हैं अगर वह इस भवन द्वारा स्वीकृत होते हैं, तो मेरा यह विश्वास है कि

[श्री राजाराम शास्त्री]

हम में से बहुत से यह महसूस करेंगे कि हम अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर कर रहे हैं हम यहां पर इसलिये बैठे हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा काम होता है कि जो जनतंत्र के खिलाफ है जिससे हाउस को विरोध है, तो हम इस सदन के द्वारा उस काम को करने से रोकें।

मैं सर्वप्रथम इसी बात पर विचार करना चाहता हूं कि इस विधेयक के कौन से वह मूलभूत सिद्धान्त हैं कि जिनका प्रतिपादन सरकारी पार्टी करती है और विरोधी पक्ष उसका विरोध करता है। इस विधेयक के उद्देश्य में यह बात बतलाई गई है कि अभी वक्तन-फवक्तन हकूमत जो बहुत सी म्युनिसिपैलीटीज को सुपरसीड करती रही और उस सम्बन्ध में नियुक्त प्रबन्धकों द्वारा जो आदेश जारी होते रहे उनको जायज करार दिया जाय और भविष्य में भी यह अख्तियार हुकूमत को ओर से और उसके द्वारा नियुक्त अधिकारीवर्ग को दे दिया जाय कि भविष्य में भी वह इस तरह के अधिकारों का प्रयोग करते रहें। साथ ही साथ मैं यह भी देखता हूं कि इस हुकूमत को यह आदत सी पड़ गई है कि जिस किसी काम को वह करती है या करना चाहती है वह पहले आंख मूंद कर कर लेती है और उसके बाद जब मामला हाईकोर्ट में जाता है जैसा कि कई बार गया तो इस प्रान्तीय सरकार को हाईकोर्ट में नीचा देखना पड़ता है, इसलिये उसको हर एक कदम पर भय रहता है कि अगर हमने कोई नाजायज काम किया तो हो सकता है कि कल हाईकोर्ट में जा कर उसको नीचा देखना पड़े। इसलिये इस सरकार ने यह अपना तरीका अख्तियार किया कि जब कभी उसे कोई काम करना पड़ता है और हाईकोर्ट उसके काम में हस्ताक्षेप न कर सके इसलिये, वह अपने कारनामों को जायज करार देने के लिये यह विधेयक इस भवन में पेश कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माननीय मंत्री जी के दिमाग में शायद ऐसा ख्याल है कि बहुत से लोगों ने यह आन्दोलन उठाया है कि हुकूमत को ऐसा करने का अधिकार है या नहीं। उनके दिल में यह ख्याल पैदा हो सकता है कि आगे चलकर ऐसी बातें पैदा न हो जायं कि जिससे अदालत यह पास करदे कि अब तक के हुकूमत के कारनामें नाजायज रहे, इसलिये पहले ही पास न कर के यह विधेयक हमारे सामने पेश किया गया। हम समझते हैं कि सरकार की मनोवृत्ति बहुत ही गलत है और उसकी जितनी भी निन्दा की जाय, जितना विरोध किया जाय उतना ही अच्छा है ताकि भविष्य में वह इस तरह से काम न कर सकें।

मैं यह भी देखता हूं कि सरकार आइन्दा के लिये कुछ ऐसा महसूस करती है चाहे माननीय मंत्री जी या हुकूमत के लोग इस बात को स्वीकार भले ही न करें लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता कि हमारे माननीय मंत्री जी यह महसूस करते हैं कि अगर हुकूमत कोई काम करती है और यह प्रजातंत्रवाद का झंझट उनके दिमाग में एक बाधा डालती है, इसलिये अच्छा तरीका यह है कि प्रजातन्त्रवाद की झंझट से मुक्त पा ली जाय कि जिससे देश को चुनौती दे सकें और जो कुछ मनमाना वह करना चाहती है उसको वह निर्द्वन्द हो कर कर सके। इसलिये यह विधेयक हमारे सामने लाया गया है। हम यह समझते हैं कि यह सरकार की मनोवृत्ति वास्तव में बहुत ही खराब है। मुझे एक आध बार माननीय मंत्री जी से बात करने का मौका पड़ा मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूं लेकिन यह राय जाहिर की गई कि हमारी सब से बड़ी गलती यह हुई कि हुकुमत की कुर्सियों पर बैठने के बाद हम अपने उद्देश्य के प्रजातन्त्रवाद के झंझट में फंस गये। इसलिये आज देश की यह दशा होती जा रही है। उन में से कई एक महसूस कर रहे हैं कि अगर उन को प्रजा-तंत्रवाद के झंझट से मुक्त कर दिया जाय और उन को पूरे अधिकार दे दिये जायं तो वह शायद देश की हालत सुधार सकें। अगर ऐसी मनोवृत्ति है तो ईमानदारी का तकाजा यह है कि हुकूमत साफ तौर से एलान करे कि यह ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है और इस समय प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता और वह इस मुल्क में विफल हो रहा है, इसलिये हम को तानाशाही अधिकार दिये जायं। अगर सरकार ऐसी मांग करे तो

यद्यपि उस का विरोध हमें करना पड़े फिर भी जहां तक ईमानदारी का ताल्लुक है, मैं कहूंगा कि वह एक सफाई की बात होगी। दुनिया के बहुत से मुल्कों ने बहुत सी पार्टियों ने महसूस किया कि ट्रांजिशन पीरियड में प्रजातन्त्रवाद नहीं चल सकता और इसलिये उन्होंने एलान किया कि जब हम एक दूसरे युग में जाना चाहते हैं, तो इस बीच के पीरियड में हम प्रजातंत्र नहीं चला सकते और एक तानाशाही पार्टी की हुकूमत चलावेंगे। इस को दुनिया भर के कम्युनिस्ट खास तौर से मानते हैं।

मैं चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार की वही मनोवृत्ति है, जो कि तानाशाहों की होती है और वह महसूस करती है कि एक पार्टी की हुकूमत और डिक्टेटर्शिप चल सकती है, तो उन्हें साफ तौर से इस बात का एलान करना चाहिये। यह दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं कि मन में तो तानाशाही की भावना और नकाब प्रजातंत्रवाद का, यह दोनों चीजें चल नहीं सकतीं। हमारी समझ में नहीं आता कि बार-बार यह दलील पेश की गई कि चूंकि जनता के प्रतिनिधियों की हुकूमत गलत है, इसलिये उस हुकूमत और उस पद्धति को ही खत्म कर दिया जाय यानी चूंकि म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर इंतजाम अच्छा नहीं करते, इसलिये उस को काम न करने दिया जाय, यह तो वही कहावत हुई कि किसी के सिर में दर्द है तो उस के इलाज में गर्दन को ही काट डाला जाय। अगर हुकूमत का यही उसूल है तब मैं कहूंगा कि म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों की गर्दन काटने की अपेक्षा माननीय मंत्रियों को स्वयं यह देखना चाहिये कि उनके शासन के बारे में जनता की क्या राय है और अगर मालूम हो कि उनका शासन खराब है, तो उनको पहले अपनी हुकूमत को ही खत्म करना चाहिये और फिर आप कहिये कि हमारा राज खराब था और डिक्टेटर्शिप से जनता का हित,साधन हो सकता है। यह चीज भी माननीय मंत्री जी को सफाई के साथ कहना चाहिये।

मैं यह भी देखता हूं कि इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले दी गयी प्रत्येक आज्ञा विधि की दृष्टि से ठीक और वैध है और समझी जायगी और आगे स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया है कि यह समझा जायगा कि वह सदैव उक्त धारा का अंग था। मैं महसूस करता हूं कि यह तो हमने सुना था कि कोई अपराधी है, कोई न्याय करने वाला है लेकिन इस के अल्फाज से मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत तीनों कामों को एक साथ मिला रही है। वह अपराधी भी है और पुलिस का और न्यायाधीश का काम भी वह स्वयं ही कर रही है। सब काम उसने कम्पलीट और सम्पूर्ण रूप से अपने हाथ में ले लिये हैं और अगर हुकूमत ने कोई गलत काम किया है तो उस का फैसला और निर्णय देने का काम वह खुद ही करना चाहती है। यह तरीका मैं समझता हूं गलत है। आज तक कांग्रेस इस उसूल को मानती रही कि एक्जीक्यूटिव और जुडीशियल को अलग होना चाहिये तभी इंसाफ ठीक हो सकता है लेकिन आज वह सब काम हुकूमत खुद ही करना चाहती है और एक्जीक्यूटिव और जुडीशियल सब कामों को वह अपने हाथ में लेना चाहती है और ऐसी चेष्टा करती है। जो विधेयक इस भवन के सामने पेश किया गया है वह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जहरीला है और प्रजातंत्रवाद के उसूल के भी खिलाफ है। अभी तक अक्सर इस भवन में ऐसा होता है कि कांग्रेस के मेम्बरों की यह आदत है कि कोई भी कानून सरकार की तरफ से आये, आंख मूंद करके मेम्बरान शुरू में भी माननीय मंत्री को बधाई दिया करते हैं और समाप्त करते हुए भी बधाई दिया करते हैं, लेकिन इस विधेयक के सम्बन्ध में मैंने यह महसूस किया कि विरोधी पक्ष के लोग ही इसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं बल्कि माननीय प्रोफेसर श्री कृष्णचन्द्र ने एक घंटे तक अपना जो भाषण दिया, मैं प्वाइंट लिखता गया, दस, बीस प्वाइंट दे कर उन्होंने यह साबित किया कि विधेयक का वह हिस्सा जिससे, आइंदा के लिए गवर्नमेंट अधिकार लेता है, प्रजातंत्रवाद के उसूलों के खिलाफ है, जनता के अधिकारों का अपहरण करता है। और सारे एक घंटे में यह साबित करने

[श्री राजाराम शास्त्री]

के बाद अपने भाषण को समाप्त करते हुए आपने यह साबित करने की कोशिश की कि माननीय स्वशासन मंत्री से बढ़ कर शायद ही कोई जनतंत्रवाद का हामी हो, उनके राज्य में देहातों में प्रजातंत्रवाद फल फूल रहा है और शहरों में भी फल-फूल रहा है और आपकी समझ में यह नहीं आया कि ऐसे माननीय मंत्री के हाथ से ऐसा प्रजातंत्रवाद का घातक कानून सामने आया है। जहां मैं उनके विचारों की प्रशंसा करता हूं वहां उनकी इस बात पर मुझे तरस भी आता है कि जिस माननीय सदस्य ने एक घंटे तक इस विधेयक की आलोचना की हो, मैं जानता हूं कि जिस वक्त यह पूछा जायगा कि इसके उसूलों से आप सहमत हैं या नहीं तो जिस तरीके से कि कोई भेड़ को हांकता है उसी तरीके से शायद माननीय प्रोफेसर साहब "हां" के पक्ष में चले जायंगे। एक घंटे तक इस हाउस के अन्दर यह दलील देना कि यह बिल प्रजातंत्र का घातक है और अन्त में फिर ऐसा करना सचमुच बड़े तरस की बात है। और कोई ऐसा काम करे या न करे, लेकिन प्रोफेसर साहब से तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो उन्होंने इस भवन को शिक्षा दी और अपने व्याख्यान द्वारा जो लोकमत तैयार किया है उसका बुनियादी उसूल यह है कि जिस पर विश्वास करे उसी पर अमल भी करे। जैसे उस रोज माननीय मंत्री जी ने मुझसे यह कहा था कि हम गौर से देखेंगे कि शास्त्री जी वोट किधर करते हैं वैसे ही आज मैं बड़े गौर से देखूंगा कि माननीय प्रोफेसर साहब इस बिल के पक्ष में वोट देते हैं या विपक्ष में।

लेकिन जहां तक विरोधी पक्ष के लोगों का ताल्लुक है, मैं यही अपील करूंगा कि मेरा अपना ख्याल यह है कि किसी भी हालत में यह विधेयक इस लायक नहीं है कि हम लोग रत्ती भर भी हुकूमत के साथ इस मामले में हमदर्दी करें और जहां तक हममें शक्ति होगी हम इस विधेयक का निश्चित रूप से विरोध करेंगे। हमें यह भी खतरा है कि जब कोई एक जहरीला पौधा पैदा होता है तो उसका जहर हर तरफ फैलना शुरु होता है। अगर आज हम इस अधिकार को मान लें कि एक प्रजातंत्रात्मक संस्था को यह सरकार खत्म करती है और तानाशाही कर सकती है, कोई गारण्टी नहीं है कि आज आप म्युनिसिपैलिटियों के संबंध में ऐसा कर सकते हैं, तो कल किसने आपका हाथ रोका है कि आप ग्राम पंचायतों के संबंध में भी यह न करने लगें? कौन आपके हाथ को रोक सकता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में भी आप यही करने लगें। लेकिन जैसा कि अभी विरोधी पक्ष के माननीय नेता, श्री त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि उन्हें खतरा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में भी सरकार यह करेगी, मुझे इसका खतरा नहीं है। इस लिए नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जो चुनाव हुए उनमें बहुत सी जगह कांग्रेस जीत गई। वहां पर चाहे जैसा प्रबंध हो, ठीक है।

आज माननीय मंत्री ने कहा कि सड़कों पर चलते वक्त मोटरें उछलती थीं, अब ऐडमिनिस्ट्रेटर के राज्य में सब सड़कें चिकनी हो गयी हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री से कि देहातों का क्या हाल है? आज कच्ची सड़कों और गड्डों में कितनी जानें जाती हैं और कितनी गाड़ियां उलटती हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरह से आप डिक्टेटरी कायम किए चले जाते हैं क्या आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को भी इसी तरह से सुपरसीड किया? आप नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। चाहे उनकी अवस्था अब से ४ गुनी बुरी हो जाय, आप उन्हें सुपरसीड नहीं करेंगे। क्योंकि वहां आपकी पार्टी के डिक्टेटर बैठे हुए हैं। लेकिन जैसा कि माननीय स्वशासन मंत्री बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि चाहे असेम्बली के चुनाव हों या न हों लेकिन म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव हो जाने चाहिए और वह इसलिए चाहते थे कि शायद म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरह सफलता और विजय प्राप्त हो जाय। तो जब फिर असेम्बली और कौंसिल का आम चुनाव आयेगा उस वक्त म्युनिसिपल बोर्ड हमारे होंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड

हमारे होंगे और सब दुनियां हमारी होगी। फिर जिस तरह से हम चाहेंगे जनता को नचा कर आम चुनाव अपनी छत्रछाया में करायेंगे। हमारा विश्वास है कि जैसे चुनाव नजदीक आता जायगा, दिसम्बर सन् १९५१ ई० में, हमारा दावा है कि सूबे के आधे डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जहां जाकर आप यह कह कर सुपरसीड करेंगे कि सड़कों में गड्डे बहुत हो गए, रोशनी ठीक नहीं है और फिर जैसा चाहें इंतजाम करा लिया जाय और अपनी छत्रछाया में चुनाव लड़ाया जाय।

जहां तक कि मैंने इस विधेयक को देखा, मैं देख रहा हूं कि इसमें दो तरह की चीजें सामने हैं, एक तो सैद्धांतिक मतभेद और दूसरा व्यावहारिक। मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं कि जहां सिद्धांत का सवाल है और प्रजातंत्रवाद के उसूल का सवाल है, वहां हुकूमत का कहना यह है कि हमारे सामने व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। उसूल भले ही सही हो, लेकिन वह व्यवहार में नहीं आ रहा है। हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी है, इसलिए वह व्यावहारिक दृष्टि से उसूल को छोड़ कर भी यह तरीका अख्तियार करती है। मैं यह देख रहा हूं कि जहां तक सिद्धांत का ताल्लुक है वह इतना बड़ा सिद्धांत है कि उसे आसानी के साथ छोड़ने को मैं तैयार नहीं हूं। अगर हुकूमत का यही तरीका रहा तो धीरे-धीरे उसका परिणाम यह होगा कि जनता के अधिकार तो छिन जायंगे और डिक्टेटरों के अधिकार बढ़ जायेंगे। अगर आपकी बात मानी गयी तो आप ही कल्पना कीजिए कि कितने शहरों के अन्दर कि म्युनिसिपल बोर्ड्स सुपरसीड कर दिए जायंगे और डिक्टेटर्स नियुक्त कर दिए जायंगे और उसके बाद फिर चुनाव आयेगा तो जनता की राय पर कितना असर पड़ेगा। परिणाम यह होगा कि आपकी मनोवृत्ति पैदा होगी कि जनता के प्रतिनिधियों से एक शख्स की हुकूमत अच्छी। जिस व्यक्ति के हाथ में हुकूमत आ जायगी वह भी इस बात की कोशिश करेगा कि लोकतंत्र की अपेक्षा एक व्यक्ति की हुकूमत अच्छी है।

इस भवन के सामने मैंने पहले भी कभी कहा था और अब फिर कहना चाहता हूं कि इतिहास में डिक्टेटरों के बीच में और जनता के बीच में सदैव संघर्ष चलता रहा है। डिक्टेटरों ने कोशिश की कि जनता के जो अधिकार हैं उनको छीनें और आगे को ज्यादा न बढ़ावें। जनता की सदैव कोशिश रही कि जो अधिकार मिल चुके हैं उनकी रक्षा की जाय और आगे को उन्हें बढ़ाया जाय। इतिहास के प्रत्येक युग में डिक्टेटरों और जनता के बीच में संघर्ष रहा है। आज भी ऐसा ही है। हुकूमतें जनता के अधिकारों को छीनने की चेष्टा करती हैं और जनता उनको बचाने और बढ़ाने की चेष्टा करती है। यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि डिमोक्रेसी का नाम रोज लिया जाता है, प्रजातंत्रवाद का नाम रोज लिया जाता है, लेकिन जो कारनामे हैं वह प्रजातंत्र से हटा करके हमको तानाशाही की ओर ले जाते हैं। चूंकि इस पर हमारे राज्य का भविष्य निर्भर करता है कि हम तानाशाही मनोवृत्ति को अपनायें या जनतंत्रवाद को अपनायें, इसलिए हम इस सिद्धांत पर जोर देना चाहते हैं कि भवन इस सिद्धांत की रक्षा करे कि चाहे आज हमारे प्रतिनिधि थोड़ी बहुत गलती भले ही करें लेकिन हम उनको जनतंत्रवाद के उसूल से वंचित न करें। जिस जनता को आज तक राज्य करने से वंचित रक्खा गया उसके लिए यह हो सकता है कि उससे गलतियां हों लेकिन गलती करके ही वह शासन के लायक बन सकती है। शासन से उसको वंचित करके उसको शासन के लायक नहीं बनाया जा सकता है। अंग्रेजी हुकूमत ने हमेशा इस बात को कहा कि हिन्दोस्तान इस काबिल नहीं है कि इसको हुकूमत दी जाय, और इसीलिए उन्होंने इतने दिनों तक हमको सच्चे शासन में अधिकार नहीं दिया, लेकिन हम हमेशा यह कहते रहे कि तुम्हारे विदेशी शासन से, तुम्हारे गवर्नरों के शासन से, तुम्हारे डिक्टेटरों के शासन से हम अपना शासन पसंद करेंगे चाहे वह खराब ही क्यों न हो। अच्छे शासन के मुकाबिले में हम अपने शासन को हमेशा तरजीह देते रहे और इसी उसूल को लेकर हम हमेशा लड़ते रहे, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप यह चाहते हैं कि हम इस उसूल को छोड़ दें। यह बड़ा गलत सिद्धांत है

[श्री राजाराम शास्त्री]

और इसको मानने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं होंगे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी राज्य को हमेशा शैतान का राज्य कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी राज्य में भले ही रेलें चलती हों, शासन को भले ही अच्छी व्यवस्था हो, फिर भी हम अपना शासन पसंद करेंगे, चाहे उसमें अराजकता हो क्यों न फैल जाय। आज हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का नाम ले करके आप हमसे इस उसूल को ले कर मनवाना चाहते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से एक डिक्टेटर की हुकूमत अच्छी होती है। हम इस उसूल को किसी भी माने में मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भी हमेशा यह कहते हैं और हमारे माननीय स्वशासन मंत्री जी भी हमेशा यह कहते हैं कि लखनऊ का मामला देख लीजिए, पहले सड़कों में गड्ढे थे, पानी का प्रबंध अच्छा नहीं था, रोशनी की व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन जिस वक्त से ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुआ है, लखनऊ की काया पलट हो गयी है, सब सड़कें चिकनी हो गई हैं, रोशनी का इन्तजाम अच्छा हो गया है और पानी का भी इंतजाम ठीक हो गया है। यह जो भाषण रोज दिए जाते हैं, इनके द्वारा वास्तव में सब्ज बाग दिखला करके जनता से इस उसूल को मनवाया जा रहा है कि तुम जनतंत्रवाद को छोड़ो और एक व्यक्ति की हुकूमत को मानो। इसके अलावा माननीय मंत्री जी बार-बार यह कहते हैं कि लखनऊ में जनता की हर जगह यह मांग है कि यही शासन जारी रक्खा जाय, एक व्यक्ति की हुकूमत चलने दी जाय, पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह राय आपको मालूम कैसे हुई ? आखिर कोई तरीका हम बतलाइए कि किस तरीके से आप को पता लगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो मौजूदा शासक है, ऐडमिनिस्ट्रेटर है या प्रबंधक है, उसके हमदर्द हों और उसके कायम रखने के पक्ष में हों और वही लोग आपके कानों में आकर के कहते हों कि यह शासन बहुत अच्छा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या लखनऊ में आपने किसी मौके पर राय जानने की कोशिश की, कोई निर्वाचन आपने करवाया, किसी एक मुहल्ले में भी चुनाव हुआ, किसी एक सीट के लिए कभी आपने चुनाव करवाया, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जनता की यह राय है। प्रजातंत्र राज्य में आखिर निर्वाचन की अपेक्षा जनता की राय जानने का और कौन सा तरीका हो सकता है परन्तु आपने इस उसूल को नहीं अपनाया। आज जब हम अखबार पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय जवाहर लाल नेहरू दुनिया के सामने यह एलान करते हैं कि काश्मीर में जनता की राय क्या है, इसको जानने का एकमात्र तरीका यह है कि जनता की राय ली जाय। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उसूल है और उस उसूल को भारत संसार के सामने पेश कर रहा है। उसके ऊपर हम देखते हैं कि इस भवन के अन्दर यह विधेयक पेश किया जाय कि बिना जनता का निर्वाचन कराये हुए आज माननीय मंत्री जी इस बात का ऐलान करते हैं कि आम लोगों की, जनता की, बच्चे बच्चे की यह राय है कि जो सरकार कर रही है वह सही है, निर्वाचन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि यह तरीका गलत है और निर्वाचन ही वह तरीका है जिससे कि यह चीज जानी जा सकती है कि जनता की क्या राय है।

अब सवाल यह होगा कि अगर हम यह कहें कि साहब जो उसूल है, जो सिद्धांत है, तो हम तो सिद्धांत के हामी हैं चाहे कितनी कुव्यवस्था क्यों न होती रहे, हम उसकी परवाह नहीं करते। तो यह बात ठीक नहीं है। मैं कामरेड स्टेलिन के इस वाक्य को सामने रखा करता हूं। उन्होंने कहा कि जो सिद्धांत व्यवहार में नहीं आता वह सिद्धांत वास्तव में लंगड़ा है और सिद्धांतहीन व्यवहार जो होता है वह अंधा है। अगर मैं कहूं कि मैं सिद्धांत का हामी हूं चाहे वह काम आये या न आये तो यह भी तो गलत बात है। वैसे ही गलत चीज यह भी है कि कोई इंसान कोड़े लगाता रहे और वह अंधा रहे। तो मैं जैसे सिद्धांत को सामने रखता हूं वैसे व्यवहार को भी सामने रखता हूं। आपने यह कहा

कि हुकूमत के सामने व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। मान लीजिए अगर कोई जनता के प्रतिनिधि गलती पर गलती करते ही चले जाते हैं, जनता के हितों की परवाह नहीं करते हैं, तो हुकूमत क्या करे। हम समझते हैं कि दो एक तरीके ऐसे हो सकते हैं जिन पर आप अमल कर सकें। एक तो यह है कि जैसा कि प्रोफेसर साहब ने अभी कहा कि कभी-कभी जब आपने यह समझा कि इंतजाम खराब है तो बोर्ड को डिजाल्व (भंग) कर दिया, तो फिर चुनाव कराइये ताकि चुनाव में जनता को अपनी राय देने का मौका मिले और खराब प्रतिनिधियों की जगह अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने का मौका मिले। तो जो तरीका हम पेश करते हैं कि आप उस बोर्ड को डिजाल्व कर दें, समाप्त कर दें, दोबारा चुनाव करें तो उससे जनता की राय सामने आ जायगी और प्रतिनिधियों को बदलने का मौका भी आ जायगा। लेकिन आप जो तरीका अख्तियार करते हैं उससे कोई तरीका नहीं बदलता, निर्वाचन का मौका नहीं मिलता और एक व्यक्ति को नियुक्त करके एक व्यक्ति की हुकूमत कायम करके आप इस किस्म की मनोवृत्ति को पेश करते हैं। दूसरा तरीका यह भी है कि आपने म्युनिसिपैलिटीज में देखा होगा कि किसी जगह का नुमाइंदा अगर म्युनिसिपैलिटी में ठीक काम नहीं करता तो उस एरिया में नागरिकों के दिल में उस व्यक्ति के खिलाफ नफरत पैदा होती है। लेकिन आजकल का जो तरीका है कि एक दफा झूठे सच्चे वोट ले लिया जाय और ५ वर्ष तक जनता की चिन्ता न की जाय, यह कोई तरीका नहीं है। अगर यह तरीका अख्तियार करें कि जहां आप यह ऐक्ट बनाते हैं वहां मेम्बर को वापस बुलाने का अख्तियार आप उनको दें कि अगर किसी ने चुनकर हमको भेजा है और चुने जाने के बाद हम मनमानी करें तो निर्वाचकों को यह अधिकार होना चाहिए कि अगर हम नागरिकों के हितों की रक्षा नहीं करते तो उनको यह अधिकार है कि वह किसी मौके पर कह सकें कि हमने राजाराम शास्त्री को चुन कर असेम्बली में भेजा, चूंकि वे हमारे हितों की रक्षा नहीं करते तो हम उनकी जगह दूसरे को करना चाहते हैं। तो इस सिस्टम को आपको अख्तियार करना चाहिए। यह सिस्टम आफ विदड्राल (वापस लेने का सिद्धान्त) जो है वह दूसरे देशों में भी माना जाता है और प्रजातंत्र का एक अच्छा उसूल है।

श्री ई० एम० फिलिप्स—यह कम्युनिस्ट व्यू (दृष्टिकोण) है।

श्री राजाराम शास्त्री—कम्युनिस्ट व्यू अगर अच्छा हो तो उसे मानना चाहिए। यह तो बड़ी ही खराब चीज है कि बिना अच्छा-बुरा जाने कम्युनिस्ट का हव्वा खड़ा कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि जो चीज अच्छी है तो उसके मानने में किसी को ऐतराज न होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि अगर आप इस को नहीं मानते, अगर यही शौक है कि हम चुनाव नहीं करवायेंगे, अपनी राय पर ही हुकूमत चलवायेंगे, तो वह तीसरा तरीका भी आपके सामने पेश किया गया। एक डिक्टेटर के बजाय एक कमेटी क्यों नहीं नियुक्त करते हैं अगर आप को नियुक्ति ही पसंद है, जनतंत्रवाद को नहीं मानते हैं, हालांकि मैं इस चीज का कायल नहीं हूं। मैं सिवा प्रजातंत्रवाद के दूसरा तरीका मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन अगर आप को डिक्टेटरी का शौक है और आप निर्वाचन को नहीं मानते हैं तो आप जो एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं उसके साथ एक एडवायजरी कमेटी भी लगा दें। लेकिन आप को तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की आदत पड़ गयी है कि लखनऊ में बहुत अच्छा प्रबंध है, लखनऊ का शासक बहुत अच्छा है। जैसा कि भवन के मेम्बर हमेशा हुकूमत का गुणगान किया करते हैं उसी तरीके से इस हुकूमत के मिनिस्टर २४ घंटे लखनऊ के शासक का गुणगान किया करते हैं। क्या यही प्रजातंत्रवाद का सिद्धांत है? हम आपके सिद्धांत को किसी हालत में भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

आखिर में मैं इस भवन के माननीय सदस्यों से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस विधेयक को आप छोटा न समझें, और देखने में भोला-भाला न समझें। शक्ल इसकी चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हो लेकिन जहर का पुतला है और इसके खतरनाक पन को जिस ढंग से सांप को दूध पिलाना किसी तरह से मुनासिब नहीं है उसी तरह से इस हुकूमत

[श्री राजाराम शास्त्री]

की कठिनाइयों की कथा सुन कर यह लखनऊ के डिक्टेटर की तारीफ सुन कर इसको कम खतरनाक समझें यह बड़ी भारी गलती होगी। हम जनता के रक्षक की हैसियत से बैठे हैं। यह हुकूमत अगर उस उसूल को छोड़ देती है, जनता को अधिकार नहीं देती है, तो विरोधी पक्ष का दावा है कि जब तक हममें शक्ति है तब तक हम डिक्टेटरशिप के सामने सर नहीं झुकायेंगे। मैं चाहता हूं कि जितनी शक्ति इस भवन में है उससे इस विधेयक को नापास कर दे। हुकूमत से मैं अपील करूंगा कि यह मनोवृत्ति बहुत बुरी है। आप इसको छोड़िये। इससे आप को ही नुकसान होता हो ऐसा नहीं है। इससे सारी जनता का नुकसान है। यह मनोवृत्ति घातक है। इस रास्ते में मत जाइए। मुनासिब यह है कि जिस दृष्टि से हम लोग आपके सामने पेश करते हैं उसको महसूस कीजिए और जिस शक्ल में बिल पेश किया है अगर पुराने कारनामे हैं, अगर उनके लिए माफी मांगनी है तो भवन भले ही आपको क्षमा कर दे कि गलती हुई उसको दुरुस्त कर दिया जाय, हाईकोर्ट की डंडे की मार से बच जायं, लेकिन आइंदा भी आपको अधिकार दिये जायं यह चीज बड़ी खतरनाक है। इसको विधेयक से निकाल देना चाहिए अगर पुराने कारनामे के लिए आप माफी मांगते हैं, तो असली रूप में आकर बताइए। और भवन भले ही आप को क्षमा कर दे। लेकिन आइंदा इस तानाशाही हुकूमत को चलाने के लिए अधिकार मिलना चाहिए भवन इसको कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। यह राय केवल विरोधी पक्ष की नहीं है। आप की पार्टी के बहुत से माननीय सदस्यों की राय है। इसलिए कि वह आपकी पार्टी के मेम्बर हैं आप उनकी राय की कद्र न करें, यह उनकी भलमनसाहत कहिए। लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि आप उनकी राय की कद्र न करें। मैं चाहता हूं कि आप उनकी राय की कद्र करें और यह समझें कि इस विधेयक के बारे में सारे भवन की एक राय है। मैं डिमोक्रेटिक पार्टी के बारे में तो नहीं कह सकता, जहां तक गैरकांग्रेस का ताल्लुक है, इंडिपेंडेंट्स, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, जो भवन की राय है वह यही है कि यह विधेयक खतरनाक है। इसको बदला जाय। हम उम्मीद करते हैं कि भवन की राय की आप कद्र करेंगे और उसी रूप में आप पास करेंगे जो मानने के काबिल हो।

जहां तक इसका ताल्लुक है कि विधेयक का प्रथम वाचन है कि इस पर विचार किया जाय इसका मैं विरोधी नहींहूं। विचार जरूर कियाजाय। लेकिन अगर यही इसकी शक्ल रहे तो नापास जरूर किया जाय, यह भी मैं कहता हूं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल चुनावों के संबंध में सरकार की जो नीति रही है और है, मैं भी उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस प्रकार से बराबर चुनाव स्थगित किये गए उससे जनता में सरकार के प्रति एक प्रकार से अविश्वास पैदा हुआ और होता जा रहा है। जो विधेयक इस भवन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है उसके द्वारा तो और भी एक प्रकार का पैबन्द लग गया है और भी एक बदनामी का टीका लगने का अंदेशा पैदा हो गया है। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो अधिकार प्रजा को चुनावों द्वारा दिए गए हैं उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि किसी कारणवश किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी बोर्ड को सुपरसीड किया जाय और आर्डीनेंस के द्वारा भी यह काम लिया जाय, लेकिन नीति तो यही होनी चाहिए कि सुपरसीड करने के बाद जितनी जल्दी हो सके चुनाव हो जाय। बरअक्स इसके यह बात देखने में आ रही है कि सुपरसीड करने के बाद सुपरसेशन का समय और बढ़ाया जाता है। सिद्धान्ततः यह बात बिलकुल गलत है और नहीं होनी चाहिए। यों किसी बोर्ड को सुपरसीड किया जाय और जितना समय सुपरसेशन का हो उसके अन्दर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अगर दोबारा चुनाव न हो सके, यह बात भी किसी अंश में कही जा सकती है कि विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं, कहीं कोई लड़ाई छिड़ जाय, कहीं अपने देश का वातावरण अशान्त हो जाय यह सब बातें कही जा सकती हैं लेकिन कोई ऐसी बात न होते हुए भी हम बारबार

देखते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव स्थगित किया गया, मिसाल के तौर पर उसको बारबार सुपरसीड करके उसकी मियाद बढ़ायी गई। यह चीज किस प्रकार से सही कही जाय, यह मेरी समझ में नहीं आती।

श्रीमान् जी, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे भी देहातों में घूमने का मौका मिला है, म्युनिसिपल बोर्डों के अन्दर रहने वाले लोगों से मिलने का मौका मिला है हर जगह यह लांछन सरकार पर लगाया जाता है कि क्या कारण है कि सरकार इस प्रकार बार–बार चुनाव को रोकती है और उसकी मियाद बढ़ाती जाती है। यों तो एक न एक कारण दे देना कठिन नहीं है लेकिन जहां इच्छा होती है वहां कार्य को पूरा करने का साधन उपस्थित हो जाता है। अंग्रेजी में जैसी कहावत भी है "हेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे" (जहां चाह है वहां राह है)। लेकिन इस प्रकार के चुनावों का बराबर रोकना इस बात का साक्षी है कि सरकर इस मामले में स्वयं ढीली है। जितनी अहमियत उसको प्रजातंत्र के सिद्धांत की रक्षा के लिए देनी चाहिए उतनी अहमियत वह देना नहीं चाहती। प्रजातंत्रवाद को लाने का श्रेय कांग्रेस को है और हमारे विरोधी दल के लोग जो अब कांग्रेस से अलग हो गए हैं वे भी उसके स्तम्भ रहे हैं तो उनका श्रेय कांग्रेस को न देना या उस पर मजाक उड़ाना यह जरा शोभा की बात नहीं है। हमारे श्री राम कुमार शास्त्री जी सर हिलाकर मालूम होता है यह कहना चाहते हैं कि वह इस बात को स्वीकार नहीं करते। खैर, मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस ने जनतंत्रवाद की स्थापना इस देश में की और अब उसकी रक्षा करना हम सब का उत्तरदायित्व है। अभी अजेंडे में देखने को मिला कि म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव के बारे में विवाद का कोई और अवसर भवन के सदस्यों को प्राप्त होगा, लेकिन मौजूदा विधेयक जिसमें सरकार को अधिकार दिया गया है कि सुपरसेशन के बाद उसकी मियाद को बढ़ा दे। कोई अच्छा कानून नहीं मालूम होता है क्योंकि इस प्रकार के अधिकार लेने से एक ऐसी हवा या ऐसा रुझान जाहिर होती है कि मानो सुपरसेशन के बाद उसकी मियाद को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती रहेगी और जब कानून बनेगा तो उसका उपयोग भी होता रहेगा। इस प्रकार के उपयोग से जनता को सरकार की नीयत पर अविश्वास हो सकता है। मैं यह कहने को तैयार हूं कि इससे यह कहने को होगा कि सरकार भविष्य में अपने आदमियों को चुना जाना ज्यादा श्रेयस्कर समझती है, जिनको कि वह बोर्ड का इंतजाम करने के लिए नियुक्त कर दे, बजाय इसके कि जनता द्वारा चुने हुए सही आदमी आवें। आज यह कानून बन जाय और कल इसका इस प्रकार से उपयोग हो तो यह हमारे कल्याण की बात नहीं होगी।

मैं तो यह चाहता हूं कि सुपरसेशन का जो अधिकार म्युनिसिपल ऐक्ट में दिया हुआ है वह काफी है और जो यह एक विशेष बिल इस प्रकार का लाया गया है इसको सरकार को वपस लेना चाहिए। इसका विरोध हर क्वार्टर से हुआ है और मैं समझता हूं कि इसका विरोध उचित है, क्योंकि यह एक सिद्धांत की चीज है। हमको अपने सिद्धांत की रक्षा करनी चाहिए, हम चाहे इधर हों या उधर हों, क्योंकि जनतंत्रवाद का जो सिद्धांत है उसकी रक्षा का दायित्व हम सभी लोगों पर है। मैं इस चीज से इंकार नहीं करता कि ऐडमिनिस्ट्रेटर के जमाने में लखनऊ के बोर्ड की हालत जरूर अच्छी हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चुनाव ही न कराया जाय। कोई कारण था और सही कारण रहा होगा जिसको वजह से लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड करके एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में दे दिया गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बोर्ड का अच्छा इंतजाम होने के बाद हमेशा के लिये एडमिनिस्ट्रेटर हो जाय। हमें तो यह विश्वास करना है कि जब चुनाव होगा तो अधिक सुलझे हुए और अधिक जिम्मेदार आदमी चुने जायंगे। यह तो अंग्रेजों वाली बात है कि हिन्दुस्तानी अपना इंतजाम नहीं करना जानते, इसलिये हम यहां इंतजाम करने के लिये बने हैं। वही दलील यहां हमारे ऊपर लागू हो रही है कि जनता अपना इंतजाम नहीं करना जानती है, इसलिये हम अपने आदमी इंतजाम करने के लिये मुकर्रर कर दें।

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

लेकिन मुझे तो इस बात में विश्वास है कि जनता पर विश्वास होना चाहिये कि वह सही आदमी चुनेगी। हमने जब इतने बड़े अधिकार गांवों में वहां की अनपढ़ जनता को दे दिये, प्रजातन्त्रवाद के अधिकार उनको दे दिये, जमींदारी खत्म होने के बाद परती जमीन वगैरह का अधिकार इनको दे दिया, और लगान भी यही वसूल करेंगे तो फिर यह कहना कि म्यूनिसिपल बोर्ड के चुनाव ठीक नहीं होंगे और उनका इंतजाम खराब होगा, एडमिनिस्ट्रेटर इंतजाम अच्छा करता है, यह तो कोई दलील नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा इंतजाम करता ही है इसमें कोई शुबह नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि चुनाव कराकर जनता का विश्वास-पात्र सरकार को बनना चाहिये और चुनावों में जो अब तक विलम्ब हुआ है वह हमारे लिये अच्छा नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी के लिये भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता का अविश्वास पैदा हुआ है और सरकार के प्रति भी जनता का अविश्वास पैदा हुआ है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकार इस पर विशेष रूप से विचार करेगी कि ऐसे अधिकार लेना कहां तक उचित है।

श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी--जनाबे सदर, मुझे एक बड़े शख्स का कौल बड़ी देर से याद आ रहा है। वह यह है कि मौलाना मुहम्मद अली साहब मरहूम फरमाया करते थे कि "तखरीब में पोशीदा है सूरत तामीर की" मेरा यह कहना है कि गवर्नमेंट इसी के कायल हो गई है कि यह सब चीजों को खराब करने पर ही है। उसका खयाल यह है कि जब तक तमाम चीजें बरबाद न हो जायेंगी उस वक्त तक इस मुल्क की तामीर नहीं हो सकती है। इसलिये अब वह यह चाहते हैं कि चुंगियें जो अंग्रेजों के जमाने की कायम की हुई हैं और जिनका इंतखाब हुआ करता था, उनको खत्म कर दिया जाय। इसलिये जब यह चीज खत्म हो जायगी तब वह चीज जो उनके तसव्वुर में है, पैदा हो सकेगी। लेकिन हुजूरवाला, उनको यह मालूम हो जाना चाहिये कि उनके इस खयाल के मुआफिक सिवाय इसके कि उनके कैबिनेट के मेम्बरान हों और कोई भी इस सूबे का रहनेवाला नहीं हो सकता है। इसलिये कि मैंने देखा है कि अब तक जितने कांग्रेसी मेम्बरान ने तकरीरें की हैं, उन्होंने भी अपनी तकरीरों में इस खयाल की ताईद नहीं की है।

यह एक अम्र वाकया है कि उस शख्स के लिये जो इस ऐवान में इंतखाब के जरिये से आया है वह किसी भी तरह से इस बात का कभी भी हामी नहीं हो सकता है कि इंतखाब के लिये हमेशा के वास्ते खुदा हाफिज कर दिया जाय। जैसा कि मेरे दोस्त मौर्य साहब फरमा रहे थे मुमकिन है वह दुरुस्त हो कि मजबूरी हालत में गवर्नमेंट बोर्ड्स का सुपरसेशन (अवक्रमण) करे। लेकिन मैं अर्ज करूँगा जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इसी दफा में दो अख्तियारात हैं। एक तो बोर्ड को डिजाल्व (भंग) करना है, दूसरा बोर्ड को सुपरसीड करना है। बोर्ड का डिजाल्व करना तो मुकद्दम है और सुपरसीड करना मुवख्खर है। दूसरे इंतखाब में अगर कामयाबी न हो तो उस वक्त करें तो यह हक बजानिब हो सकता है,। लेकिन इब्तिदा में ही इस चीज का तहैया कर लेना कि सुपरसेशन कर दिया जाय वह किसी भी तरह से सन् १९५१ में जायज और दुरुस्त नहीं हो सकता है और जब कि हर तरफ से हकूक की मांग हो रही तो फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि हुजूरेवाला कराम क्यों हट गये हैं। इंतखाब तो बेहतरीन चीज है। जो पैसा टैक्स से आये उसको बगैर उनके रिप्रेजेन्टेटिव (प्रतिनिधि) की राय के खर्च किया जाना मुनासिब और दुरुस्त नहीं है। दूसरे मुल्कों में तो इस पर बगावत हो सकती हैं। क्या हक है किसी हुकूमत को कि वह टैक्स को वसूल करे सूबे में रहने वालों से, देहात के रहने वालों से, लेकिन उसके नुमायन्दों के बगैर मश्विरे के उस पैसे को खर्च करे। इसकी कोई वजह दुनिया में समझ में नहीं आ सकती है। क्या गवर्नमेंट ने यह

फैसला कर लिया है कि जब तक टैक्स नहीं लेंगे तब तक अधिकार रहेंगे तो बतलायें जितने अब तक के गवर्नमेंट के फैसले थे वह सब मुस्तरद हो गये और कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है, अगर लेते हैं तो फिर आप हक नहीं देते हैं जनता को, जो कि टैक्स की जाती है।

हुजूरवाला, थोड़ी देर हुई यह कहा जा रहा था कि आखिर यह डिक्टेटर्स (अधिनायकों) को मुहब्बत कैसे पैदा हो गयी, अब जितना इंतजाम है वह सब डिक्टेटर ही कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है जो नहीं कही गयी। यह भी शान है कि वह डिक्टेटर भी एक आफिशियल हो। अब जितनी खूबियां हैं वे सब आफिशियल्स में हैं, नान आफिशियल्स कोई जिम्मेदारी का काम अंजाम नहीं दे सकते, उनमें कोई अहलियत नहीं है और न कोई मुस्तहक है कि कोई जिम्मेदारी का काम उसके हाथ में दिया जाय। इस उसूल को मान लीजिये हुजूरवाला, फिर उसके बाद जितने यह एडल्ट फ्रेंचाइज (वयस्क मताधिकार) हैं, जितने इंतखाबात हैं सब बेकार हो जायेंगे। दूसरी तरफ आलम यह है कि एडल्ट फ्रेन्चाइज होना चाहिये, लेकिन उसकी इब्तिदा यह है कि इस वक्त जो अख्तियारात महदूद थे उनको भी सल्ब कर दिया जाय। कमाल यह है कि पिछली डिबेट्स को देखा जाय तो जिस वक्त पहले यह बिल पेश किया गया था उस वक्त भी कहा गया था कि ऐवान इसको पसन्द नहीं करता सुपरसेशन की पालिसी को। एक आर्डिनेंस बनाया गया। अब एक तरीका यह हो गया है कि पहले आर्डिनेंस बनता है, जब उसकी मियाद खत्म होती है तो फौरन बिल ले आया जाता है। वह खास हालत थी तब यह आर्डिनेंस बनाया था अब उसकी मियाद खत्म हो रही है, इस कानून की जरूरत है लिहाजा यह बिल लाया गया है। जिस बिल पर कल बहस चल रही थी उसमें भी यही शक्ल थी। आर्डिनेंस की मियाद खत्म हो रही थी लिहाजा बिल पेश किया गया था। आज भी वही चीज है। आर्डिनेंस की मियाद खत्म हो रही है लिहाजा बिल पेश किया जाता है। बिना इस लिहाज के कि उसका होना जरूरी है भी या नहीं, आया इस ऐवान की मंजूरी की भी जरूरत है या नहीं, क्यों यह समझ लिया गया है कि ऐवान के मेम्बर बिना इस पर खूब सोचे समझे उसको इजाजत दे देंगे। यह इस बात का नतीजा है कि बड़ी अजीमुश्शान अक्सरियत है, जनाब वजीर साहब के अख्तियार में। खुद उनकी पार्टी के मेम्बर जो चीज नाजायज होगी कभी दुरुस्त नहीं कर सकते। अगर पार्टी की जिम्मेदारियां हैं तो इसकी भी जिम्मेदारी उस पर आयद है। जिस कांस्टिटचुएंसी से चुन कर वह आया है, इसलिये वह किसी गलत बात के लिये अपनी कांस्टिटयुएंसी को जवाबदेह है। तो कैसे यह मुनासिब हो सकता है कि जो कुछ भी पेश किया जाता है कि हर मेजर के वास्ते चाहे हकबजानिब हो या न हो उस पर वह मोहर लगा देंगे।

आज सुबह जब मैं वजीर साहब की तकरीर सुन रहा था तो मुझे हैरत हुई। मुझे याद है कि जिस वक्त गांव पंचायत बिल पेश हुआ था, हमारी तरफ से एतराज किया जाता था कि इस कानून के बाद जो अख्तियारात गांव सभाओं को हासिल होंगे उनका सही तौर पर गांव के रहने वाले अमल-दरामद नहीं कर सकेंगे। उस वक्त जनाब वजीर साहब पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे और यह बराबर इरशाद फरमा रहे थे कि हुकूक जरूर देना चाहिये और तजुर्बा करना चाहिये। अगर गलतियां होंगी तो उनकी इसलाह होगी। उनको हुकूक मिलने चाहिये। उसके बाद वह उसके अहल हो जायंगे। लेकिन आज हैरत होती है कि वजीर की जिम्मेदारियां जब उनके कंधों पर आई तो वे सब उसूल भूल गये। अब आप फरमाते हैं कि वे गड़बड़ कर रहे थे तो जो अख्तियारात उनको थे उनको भी ले लिया जाय, क्योंकि वे गलतियां कर रहे हैं। हुजूरवाला मैंने बचपन में पढ़ा था, हुजूरवाला ने भी शायद पढ़ा हो, "टु ऐर इज ह्यूमेन" (इंसान गलतियां करता है) यह क्या कि जो इंसान गलती करे उसका सर तन से फौरन जुदा कर दिया जाय। कोई गलती करे लिहाजा जिन्दा रहने के काबिल ही नहीं। अल्ला ताला ने

[श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी]

इंसान को ही अपना खलीफा बनाया है। उससे बेहतर कोई मखलूक नहीं बनाई लेकिन आपका कहना यह है कि कोई गलती करे तो फौरन उसे खत्म कर दिया जाय।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मैंने यह नहीं कहा था, जो अल्फाज कहे थे उनको ही पेश किया जाय। उन्हीं पर बहस हो। मैंने यह नहीं कहा था सुपरसेशन के बारे में कि उनके जो अधिकार हैं उनको छीन लिया जाय।

श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी--शायद हुजूरवाला, उस वक्त कुछ लिख रहे थे जब मैं वजीर साहब के अल्फाज पेश कर रहा था। जब वजीर साहब तकरीर फरमा रहे थे तो मैं खामोशी के साथ बैठा उसको सुन रहा था। कल भी जब हाफिज साहब का बिल इस ऐवान के सामने पेश था और मैं तकरीर करने के लिये खड़ा हुआ तो उन्होंने भी इसी तरह से ऐतराज किया, मैंने उनकी खिदमत में भी यही चीज पेश की कि जरा ठंडे दिल से सुन तो लीजिये और उसके बाद जो ऐतराज करना हो करिये। हुजूरवाला, अगर जम्हूरियत के दौर में यह सुनने की रवादारी भी न हो तो फिर कहना ही क्या। अगर हुजूरवाला इजाजत दें तो मैं वजीर साहब से अर्ज कर दूं कि जरा सुनने का सुकून चाहिये, इत्मीनान होना चाहिये और हमारी बातों को सुनना चाहिये। हमारी इतनी तादाद तो है नहीं कि अपनी राय को बजरिये राय मनवा लें, लेकिन कम से कम उसे तो सुन लीजिये जो हम अर्ज करते हैं जिससे स्याह और सफेद कुछ लिखा जा सके जिससे जब कोई देखे तो उसको यह मालूम हो जाय किसी वक्त इसके खिलाफ भी किसी ने आवाज बुलन्द की थी। आपने अल्फाज रखे हैं 'टाइम टु टाइम' मैं पूछता हूं ये क्या अख्तियारात हैं कि जब जी चाहा और जितना जी चाहा मियाद बढ़ा दी। पहले जो दफा ३० थी उसमें यह लिखा हुआ था कि एक दफा में १ साल से ज्यादा के लिये सुपरसेशन नहीं हो सकता लेकिन अब यह अख्तियारात लिये जा रहे हैं कि जब जी चाहे उसकी मियाद में इजाफा कर लिया जाय। इसका महज यही मतलब है कि वह मुकाम जो हुकूमत का मरकज रहा है, अवध के नवाबों की दारुलसल्तनत रहा है, वह शुरू से ही डिक्टेटर्स के ही जेर हुकूमत रहा है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर किसी को खुशी हो सके। उसी का यह सिलसिला अब भी कायम है कि उसकी चुंगी का इंतजाम एक अफसर के हाथ में है, एक ऐडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में है। मुझे शर्म मालूम होती है कि ऐसे मुकाम पर जो इतने दिनों से हुकूमत का मरकज रहा है वे लोग अपना इंतजाम खुद न कर सकें। मैं यह कभी भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि उनमें अहलियत बाकी नहीं रही है। अगर उनको मौका दिया जाय तो वे बखूबी उसका इन्तजाम कर सकते हैं। जैसा कि राजाराम शास्त्री जी ने फरमाया, मैं उनका इस मामले में हमरवां हूं कि जो बोर्ड अब भी कायम हैं क्या वे आईडियल हैं, क्या जितने भी म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, टाउन एरियाज हैं, उन सबका इन्तजाम आइडियल है, उसमें कोई खामी नहीं है लेकिन आपकी यह नजरे इनायत खास खास बोर्ड्स के ऊपर ही क्यों पड़ती है। मालूम नहीं इसका वजीर साहब क्या जवाब देंगे उसको सुनकर वाकई हम लोगों को एक इत्मीनान होगा कि आया वह क्या वजह है कि खास खास बोर्डों पर ही आपकी नजर क्यों पड़ती है। मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जो खराबियां होती हैं उनको जरूर दूर करना चाहिये उसके सिलसिले में जैसा कि एक और मुकर्रिर साहब ने फरमाया कि जनाब वजीर साहब अपने जवाब में यह भी फरमायें कि उन्होंने उन बोर्ड्स को कितनी-कितनी दफा वार्निंग दी और फिर भी उन्होंने इस्लाहात नहीं की और वे क्या क्या सुकून थे जिनकी बिना पर उनको यह सजा दी गई उनको सुपरसीड किया गया और अब उनकी मियाद बढ़ाई जा रही है। यही नहीं अगर किसी चुंगी ने कोई खराब काम किया था तो

उस सुपरसेशन के पीरियड (अवक्रम काल) को आगे और भी बढ़ाया जा रहा है ताकि जब तक जी चाहे उसको ऐडमिनिस्ट्रेटर के कब्जे में रखा जा सके।

मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ लोगों ने जो इस बिल की मुखालिफत की है और इस डिबेट में जो इजहारे खयाल किया गया है उसको देखते हुए और उसको सुनने के बाद जनाब वजीर साहब इस बिल को वापिस ले लेंगे। यकीनन अगर वे इस बिल को वापिस ले लेंगे तो उनकी इज्जत हमारी नजरों में और भी ज्यादा हो जायगी और यकीन फरमावें कि अगर इसको वापस ले लेंगे तो उनकी इज्जत हम लोगों के दिल में कहीं ज्यादा हो जायेगी। इसलिये इस चीज का खयाल नहीं करना चाहिये कि जो बिल हम लाये थे वह मंजूर नहीं हुआ बल्कि यहां ऐवान में मुख्तलिफ मेम्बरान की रायें सुनने के बाद अपनी राय से आपने यह ख्याल किया कि तमाम ऐवान चाहता है कि बिल वापस हो जाय और इसलिये आपने उसे वापस ले लिया। इससे लोगों के दिलों में यह बात आयेगी कि जब कोई माकूल बात कही जाती है तो उसे वजीर साहब सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और अगर इस पर भी जनाब वजीर साहब इसके ऊपर इसरार करते हैं कि नहीं, इसका पास होना जरूरी है तो मैं सिर्फ यही अर्ज करूँगा कि यह राज हठ होगा। हम लोगों को यकीन होगा कि इस बिल का पास होना इसलिये जरूरी नहीं समझा जा रहा है कि इससे तमाम इन्तजामात दुरुस्त हो जायेंगे और जितनी चुगियां हैं उनके इन्तजामात में कोई नुक्स ही नहीं रहेगा बल्कि सिर्फ इसलिये कि यह उनका तैयार किया हुआ है और तैयार करके इस ऐवान को सामने पेश किया गया है इसलिये वे गवारा नहीं फरमा सकते कि यह वापस हो बल्कि यह जरूर पास हो जाय और चूंकि उनकी पार्टी के मेम्बरान मौर्य जी और प्रोफेसर साहब भी बाजे तौर पर बता चुके हैं कि वे इस बिल के माफिक नहीं हैं तो इस हालात में मुमकिन है कि उनको भी इसके फेवर (पक्ष) में राय देने के लिये पाबन्द किया जायगा। मगर होना तो यह चाहिये कि कहीं कहीं तो राय देने का भी हक देना चाहिये ताकि वे यह समझें कि वाकई ऐसी बात है और उसके मुताबिक वे राय दे सकें। तकरीर देना तो जरूरी है ही लेकिन असल चीज राय है क्योंकि फैसला राय पर ही होता है तकरीर पर नहीं होता। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस मौके पर अगर आजादाना राय देने की इजाजत हो जाय तो मेरा यकीन है कि इस बिल की मुआफिकत में राय नहीं आयेगी।

इसलिये जब ये हालात हैं ये वाकयात हैं तो हुजूरवाला जनाब वजीर साहब का इस बिल को मंजूर करने के लिये इसरार करना किसी तरह से भी मुनासिब नहीं हो सकता और इस बिल को पढ़ा जाय तो इससे यह मालूम होता है कि यह बिल इतना सख्त है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद यह उम्मीद नहीं होती कि जल्दी इसमें इसलाह हो सकता है। कहीं पर ७ वर्ष की और कहीं पर ५ वर्ष की मियाद लिखी है। दफा २९ में ४ वर्ष बाद बोर्ड की मियाद खत्म होती है लेकिन सुपरसेशन की क्या कभी मियाद ही नहीं खत्म होती? यह क्या हमेशा के लिये है कि जब तक चलता रहे तब तक वह रहेगा? या अगर कोई मियाद है तो वह क्या है? और अगर यह पास हो गया तब तो शायद मियाद कभी खत्म ही नहीं होगी और बराबर यही सिलसिला जारी रहेगा। चाहे रिजीम (शासन) बदलती रहे लेकिन सुपरसेशन जारी रहेगा, तो हुजूरवाला यह कितनी नामुनासिब और नावाजिब बात है। इसलिये सुपरसेशन की कोई मियाद तो मुकर्रर होना ही चाहिए। अक्ल की बात तो यह है कि सुपरसेशन के लिए एक साल के लिए मियाद ही काफी थी और अगर आप उसे सालहा-साल बढ़ाते जायं और अब तो एक कानून लाया जा रहा है और उसके जरिये यह अख्तियार मांगा जाने वाला है कि हम जिस तरह से चाहें उस कानून को काम में लावें और जब तक चाहें किसी

[श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी]

बोर्ड को सुपरसीड किये रहें। पहले अगर कोई बोर्ड सुपरसीड होता था तो वह डिजाल्व हो गया और उसके बाद फिर एलेक्शन हो जाता था या अगर कोई बोर्ड है जिसका इन्तजाम ठीक से नहीं चल रहा है तो उसकी मियाद खत्म होने के बाद वहां पर इन्तखाब के जरिये काम लिया जाता था और इस तरह से वहां के लोगों को अपने नुमाइन्दे चुनने का मौका होता था। लेकिन अगर यह कानून पास हो जाता है तो फिर सुपरसेशन कभी खत्म होने वाला ही नहीं है और हुजूरवाला, मैं समझता हूं कि यह चीज किसी तरह से जायज और दुरुस्त नहीं हो सकती है।

मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ एतराजात मैं पेश कर रहा हूं वह सिर्फ एतराजात पेश करने की नियत से नहीं कर रहा हूं। ऐसी नीयत मेरी हर्गिज नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि जनाब वजीर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाऊं कि जो इसके खिलाफ हैं उनकी क्या राय है। मैं समझता हूं कि जब उन्होंने इस बिल को पेश किया है तो उनका ओपेन माइंड होगा और अगर ओपेन माइंड नहीं होता तो वे कभी इस बिल को नहीं पेश कर सकते थे। मैं तो जनाबवाला के जरिये यह कहूंगा कि अगर यह बिल नहीं पास होता है तो जब आर्डिनेंस का वक्त खत्म हो जाय तो गवर्नमेंट को चाहिये कि वह कांस्टीटयूशन (संविधान) में एक दफा इस तरह की रख दे जिससे कैबिनेट को ही अख्तियार हो जाय कि वह ऐक्ट बना दे। इससे यह फायदा होगा कि जो बेजा तौर पर जल्से में इतना ज्यादा खर्च हो रहा है, वक्त जाया हो रहा है वह नहीं हो सकेगा और बिना किसी दिक्कत के कानून पास हो जाया करेगा। और अगर वाकई में आपकी मुराद यह है कि इस बिल पर राय हासिल की जाय और उस राय के ऊपर फैसला किया जाय तो फिर उसके लिये सही रास्ता यही है कि इस बिल को आप वापस ले लें। वरना आप यह कर दें कि कांस्टीटयूशन में एक दफा बढ़ा दें और ऐसे मौके पर बिल कैबिनेट की राय से तय हो जाया करे। इससे साफ मालूम हो गया कि यह कैबिनेट का बिल है, पार्टी का बिल नहीं है। अगर यह पार्टी का बिल होता तो प्रोफेसर कृष्णचन्द्र साहब और मौर्य साहब इसकी मुखालिफत न करते। हुजूरवाला, जितनी भी दफात हैं वह उसूल के खिलाफ हैं, डेमोक्रेसी के उसूल के खिलाफ हैं और दुनिया के किसी कानून के मुवाफिक नहीं हैं।

मैं जनाब वजीर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ और उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या हुजूरवाला, इसकी वह एक मिसाल भी बतला सकते हैं कि दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह का कानून है जैसा कि वजीर साहब ने यहां पर पेश किया है। अगर ऐसा कानून मौजूद है या ऐसे प्राविजन हैं जैसा कि इस बिल के अन्दर पेश किये गये हैं तो हुजूरवाला, आपको तकलीफ तो होगी जरा उसको इस ऐवान के सामने पेश कर दिया जाय या उनको पढ़कर सुना दिया जाय। यह इरशाद काफी नहीं हो सकता कि फलां जगह पर है बल्कि मैं तो उस कानून की उन दफात को सुनना चाहता हूं ताकि मैं देखूं कि आज कल की तहजीब के जमाने में वह कौन सा मुल्क है कि जहां पर इस तरह की दफात रखी गई हैं और आया वह मुल्क कितना तालीमयाफ्ता है। अगर कहीं पर इसकी मिसाल नहीं मिलती है तो आप क्यों इस तरह की मिसाल कायम करने जा रहे हैं और अगर कहीं इस तरह का है तो हम यह जानना चाहते हैं कि वह कौन सा मुल्क है और हमको उसकी तकलीद करना चाहिये। हमारा सूबा एक बड़ा सूबा माना जाता है और इस मुल्क का दिल दिमाग है जो कि उत्तर प्रदेश कहलाता है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने ही इस तरह का कानून पेश किया है या किसी और सूबे ने भी इस तरह का कानून पेश किया है। अगर किसी और सूबे ने नहीं किया है तो आप क्यों इस तरह की पहली मिसाल कायम करने

जा रहे हैं जो कि दूसरों के लिये उनकी आजादी सल्ब (खींचना) करने का जरिया हो। हजूरवाला, अगर कैबिनेट या वजीर साहब कोई ऐसा काम करते हैं जिससे इस सूबे की नेकनामी पर धब्बा आता है तो उनको बहुत उसके ऊपर ख्याल करना चाहिये। यह सूबा बहुत ही तहजीब और तमद्दुन का मरकज माना जाता है। अगर्चे दिल्ली इस सूबे से अलग हो गया लेकिन पहले वह इसी का एक जुज था और सदियां गुजर गई कि इस सूबे की दूसरे लोगों ने तकलीद की है। लिहाजा आपको ऐसा करना नहीं चाहिये जिससे किसी तरह की बदनामी हो। बल्कि ऐसी मिसाल होनी चाहिये कि जो दूसरों के लिये मिसाल बन सके और दूसरे लोग हमारी तकलीद कर सकें और जो दूसरों के लिये नेकनामी का बायस हो। आप जो कुछ भी करें उसको बहुत सोच-समझ कर करना चाहिये यही मेरा मतलब है। महज कुछ आदमियों से, या ऊपर के लोगों से खफा होकर या किसी एक आदमी की नालायकी देख कर खफा होकर इस तरह की चीज लाना कोई दानिशमन्दी का सबूत नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कहता कि चूंकि कांग्रेस के लोग वहां पर नहीं हैं इसलिये यह सरकार म्युनिसिपैलिटी के लिये ऐसा कर रही है और उसके खिलाफ इस तरह का कानून पास कर रही है। मैं इस बात को नहीं मान सकता, लेकिन मैं इस बात को भी मानने के लिये तैयार नहीं हूँ आप इस तरह की कोई बात सोच सकते हैं लेकिन यह जो आपकी दलील है वह मेरी समझ से बाहर है। लेकिन इस पर आपको जरूर ख्याल करना चाहिये कि यह बात क्यों कही जाती है। मैं यह समझता हूं कि यह किसी तरह से मुनासिब बिल नहीं कहा जा सकता। लिहाजा मैं यह कहता हूँ कि जो भी बात हो वह सही हो ताकि लोगों को जहां तक हो सके एतराज करने का मौका न हो। मैं इन अल्फाज के साथ इस बिल की सख्त मुखालफत करता हूं और वजीर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वह इस बिल को वापस लेने की इनायत करें।

श्री गोविन्द सहाय--उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेश होना कभी भी कांग्रेस जनों के लिये एक अच्छी बात नहीं हो सकती और न अच्छी बात समझी जा सकती है। मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि यह बिल उस विभाग की तरफ से आया है कि जिसने जनतंत्र के बारे में सबसे बड़ा एक्सपेरीमेंट किया है और दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसने पंचायत राज का यानी जनता में विश्वास का इतने विशाल पैमाने पर कोई तजुर्बा या प्रयोग किया हो जितना कि यहां इतनी जल्द किया गया है। स्वयं इस विभाग के सचिव की राय है कि ८० फीसदी पंचायतें ईमानदार साबित हुई हैं यानी वह यकीन करते हैं कि जनता को ताकत देने का एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) सफल हुआ है। इसके प्रचार पर हम गांव तक के लोगों पर कान्फिडेंस (विश्वास) कर सकते हैं कि वह जनतंत्र चला सकते हैं। लेकिन आज इसी विभाग से सुनने को मिलता है कि फलां-फलां जगह सर्विसेज वालों ने अच्छा काम किया है इसलिये सरकार का अपने हाथ में शासन लेने से जनमत का हित होगा। यह मुमकिन है और हो सकता है पर Good Government is no substitute for Self Government (अच्छा शासन स्वशासन की जगह नहीं ले सकता है)

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इन्तजाम सर्विसेज के जरिये से अच्छा होता है, मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस सूबे में लाखों आदमियों की यह भी राय है कि बहुत सी बातों में इस सूबे का सारा इंतजाम सर्विसेज वाले अच्छा कर सकते हैं यानी यह कि एफीसिएन्सी के लिहाज से कम खर्च के लिहाज से और सिफारिशें वगैरह की दृष्टि से सर्विस रूल आज से प्रान्त को अच्छा समझा जा सकता है और यह चीजें एक म्युनिसिपैलिटी पर तो लागू हो सकती हैं लेकिन हम उसको सूबे पर लागू करने के इस उसूल पर तैयार नहीं होंगे चाहे उससे कितना ही एफीशिएन्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन (सक्षम प्रशासन) और खर्च में कमी क्यों न हो।

[श्री गोविन्द सहाय]

इसलिये मतलब यह है कि हम एक अच्छी गवर्नमेंट के लिये सेल्फ गवर्नमेंट को कुर्बान नहीं कर सकते। यह एक उसूल की बात है। अगर इस तरीके से अधिकार छीने जाते हैं और आपकी दलील को मान लिया जाय तो आप कान्शसली या अनकान्शसली एक ऐसे उसूल पर आत्म समर्पण कर रहे हैं जो आपको एक अजीब जगह ले जाकर फंसा सकता है। आपने जिस चीज को २५--३० साल की ट्रेनिंग और कुर्बानी के बाद सीखा था और हासिल किया था उससे आप हटे जा रहे हैं। यह बिल कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी फेवर में ज्यादा दलीलें न दी जा सकें और कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती जिसके खिलाफ अपोजीशन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा सकता हो। इसलिए यह कोई दलील की बात नहीं है बल्कि हमें यह देखना है कि इस तरह की चीज का क्या असर पड़ता है और खास कर उस समय में जब कि देश में एक नया जनतंत्र कायम हुआ है और एक नयी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयी है।

जिस तरह के हम कनवेन्शन्स और ट्रेडीशन्स (परम्परा) कायम करेंगे उसी पर हमारे जनतंत्र की सफलता निर्भर करेगी। अगर हम खराब कनवेंशन्स और ट्रेडीशन्स कायम करते हैं तो हम भले ही उसे अपना जनतंत्र कहते रहें लेकिन उससे तो जनतंत्र का गला ही घुटता रहेगा। हमारा रुझान आज जनतंत्र के उसूलों के विपरीत हो रहा है और आज मैं यहां पर यह कहे बगैर भी नहीं रह सकता कि आज हमारा रुझान जनता से हट कर सर्विसेज में शक्ति केन्द्रित करने की ओर जाने लगा है। शुरू में पी० आर० डी०, डेवलपमेंट और पंचायत राज्य वगैरह के तजुर्बे किए गये और हमने जनता को ताकत देना चाही लेकिन मालूम नहीं कि अब वाकयात ने मजबूर किया या क्या बात है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने अधिकारों को एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से जनता से लेना शुरू कर दिया है। मुमकिन है कि गवर्नमेंट अभी अनकान्शसली ऐसा कर रही हो लेकिन उसका कुछ इस तरह का रुझान है कि वह सर्विसेज की तरफ ज्यादा जाने लगी है। गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता एक डेमोक्रेटिक फेसिज्म की तरफ चली आ रही है यानी यह कि जनता के प्रतिनिधियों में एक तरह का अविश्वास करना और सर्विसेज में अधिक विश्वास प्रदर्शित कर रही है। जितने भी पी० आर० डी० डेवलपमेंट या पंचायत राज्य के काम हैं उन सब में ताकत को कलेक्टर में कनसन्ट्रेट (केन्द्रित) करना आप ने शुरू किया है। कोई कमेटी नहीं जिसका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रधान न हो यानी "The Collector of the district is the greatest Mughal of the day" (जिले में कलेक्टर ही आजकल बादशाह हैं) जब से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कायम हुआ है कभी कलेक्टर के हाथ में इतनी ताकत नहीं थी। अगर उस ताकत को किसी को देखना है तो मैं कह सकता हूं कि बिजनौर में उसने काफी हैवक किया है। बिला एलान लोगों को पकड़ना गाड़ी में पुलिस के सिपाहियों का बैठ कर निकलना और सरे बाजार लोगों को धमकाना, गाली देना और लोगों को तमाचे लगाना, ये सारी बातें मुझको देखने को मिली हैं। पर लुत्फ यह है कि जहां एक तरफ हम ताकत दे रहे हैं वहां ९० फीसदी सर्विसेज में भी क्षोभ है और वे सब में ज्यादा शिकायत करती हैं कि हमारी ताकत आज कोई नहीं रही है। जनता से ताकत ली जा रही है, सर्विसेज को दी जा रही है और जिनको दी जा रही है वे ही सब से ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि साहब चूंकि कांग्रेस में पार्टीबाजी का झगड़ा था, नुमायंदों को चुनने में दिक्कतें पड़ रही हैं इसलिए मजबूरन हमको शक्ति दी जा रही है इत्यादि। इसलिए डिमोक्रेसी फैसिज्म की तरफ जा रही है। यही हाल पंचायतों का है। जब हमें विश्वास है कि पंचायतें ठीक काम कर रही हैं तो हमारा हर कदम चाहे कितनी ही दिक्कतें क्यों न हो चाहे लोग गलत काम ही क्यों न करें, पंचायत प्रणाली को सही रास्ते पर चलाना चाहिए और उन्हें डेमोक्रेसी की तरफ ले जाना चाहिए। इस दृष्टि से जब हम सोचते हैं तो मेरा यह विश्वास है कि यह कदम, जो आज लिया जा रहा है, एक खतरनाक कदम है।

(इस समय ४ बजे माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

यह कदम उन बुनियादी उसूलों की जड़ों को काटता है जिनके वास्ते आज तक हम जिये हैं, लड़े हैं और रहना चाहते हैं। मुझे खुद जानकर ताज्जुब हुआ, पिछले दिनों वाटर वर्क्स की शायद इनआगुरेशन सेरीमनी (उदघाटन उत्सव) थी उसमें आनरेबिल मिनिस्टर ने कहा कि लखनऊ म्युनिसिपैलिटी का इंतजाम बहुत अच्छा है। कोई भी सेरीमनी हो, यह अलग सवाल है। एक ऐडमिनिस्ट्रेटर के मातहत इंतजाम का अच्छा होना सराहनीय बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसी पेपर में मैंने यह पढ़ा कि जो ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने मिनिस्टर की बात का जवाब देते हुए कहा कि मैंने कोई खास काम नहीं किया, जो पुराने नुमाइंदे थे वे स्कीमें बना गये थे, मैं उनको एक्जीक्यूट (कार्य रूप में परिणत) कर सका हूं क्योंकि मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट होने की हैसियत से मैटीरियल इत्यादि मिलने में सहूलियत थी। तो मैंने जो उसूलन बात कही कि गुड गवर्नमेंट की दलील सेल्फ गवर्नमेंट को मिटाने के लिए देना अच्छी बात नहीं है। यह दलील हमको महंगी पड़ेगी। और यह दलील आप खुल कर सारे सूबे में लागू नहीं कर सकते इसलिए म्युनिसिपैलिटियों पर, जिन्हें हम दबा सकते हैं, इसे लगाना अच्छा नहीं लगता।

एक दूसरा फर्ज जो मैं समझता हूं वह यह है कि जब हमने यह जिम्मेदारी ली है कि डिमोक्रेसी चले, हर एडल्ट (बालिग) को वोटर बनायें तो हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन को खुली हवा में सांस लेने दें, उनकी तरक्की होने दें। अगर वे गल्ती करें तो उनकी गलतियों को कहें तुमने यह गलती की है। मुझे इसमें शक नहीं कि हमने कुछ बातें तेजी में कीं और आज उनसे पीछे हटने में देश का भारी नुकसान हो सकता है। कुछ मुल्कों में खास कर रूस में यह सोच कर कि मासेज (जनता) में एक दम डेमोक्रेसी का एक्सपेरीमेंट नहीं हो सकता प्रारंभ में कोई तेजी से कदम नहीं उठाया और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ट्रेंड किया। और जब उन्होंने समझा कि आज वे लोगों को अधिकार दे सकते हैं तब उन्होंने दिया। ऐसा नहीं है कि वहां के लोगों को कुछ अधिकार ही नहीं है, उनको वहां की सरकार ने कुछ अधिकार दिए हैं। लेकिन यहां तो हमने पहले लोगों को खूब अधिकार दिये और अब आहिस्ता-आहिस्ता उन अधिकारों को ले रहे हैं। यह एक खतरनाक टेंडेंसी, रुझान है। खुल कर डिक्टेटरशिप (तानाशाही) का कहना कोई बुरी बात नहीं है। इमर्जेंसी में डिक्टेटरशिप से काम लिया जाता है। डिक्टेटरशिप बजात खुद कोई बुरी चीज नहीं है। बहुत से मुल्कों ने उसमें बहुत तरक्की भी की है। लेकिन डिक्टेटरशिप के खिलाफ कहना, डेमोक्रेसी की तारीफ करना मगर अन्दर ही अन्दर उसका गला काटते रहना, यह न डिक्टेटर-शिप ही है और न डेमोक्रेसी ही है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मुल्क को जिधर आप ले जाना चाहें, अगर डेमोक्रेसी की तरफ ले जाना चाहें तो खुले तरीके से ले जाइये। विलेज पंचायत में जो आपने किया है, मैं नहीं जानता कि कहां तक सही है। मुझे कितने ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैनों ने बतलाया कि जो पावर्स पहले पंचायत में हमें मिली थीं वे अब पंचायत डिप्टी में केंद्रित हो गयी हैं। अगर यह सही है कि जो चीजें पहले हमने दीं वही अब ले रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि इस मुल्क में बहुत जल्द ऐडमिनिस्ट्रेटिव किआस और एक दिमागी किआस पैदा हो जायगा जो अन्दर से कूप डि इटाट (आकस्मिक राज्य विप्लव) की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है। आज हालत यह है कि कोई इन पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदों में विश्वास नहीं करता। चाहे आप मानें या न मानें हमारी लेजिस्लेचर के बारे में और पार्लियामेंट के बारे में लोगों की यही राय है। यह हमारे भविष्य के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि लोगों में ऐसा विचार फैले। इसलिए मैं चाहूंगा और हमारी फराखदिली का तकाजा है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा काम न हो जिससे लोगों को हमारे इरादों या नीयतों पर शक करने का मौका मिले।

जहां तक चुंगियों का सवाल है, जैसा द्वारिका प्रसाद मौर्य जी ने कहा, जो कुछ अखबारों में पढ़ने को मिलता है उससे कोई भी आदमी जो सरकार के अन्दरूनी इरादों को नहीं जानता है वह यही कहेगा कि निरन्तर चुनावों को टालने की कोशिश शायद की जाती है। इससे जनता में असंतोष पैदा हो रहा है। माननीय सचिव का जहां तक ताल्लुक है, उनसे जब कभी भी बातचीत का मौका हुआ उन्होंने यही कहा कि चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए

[श्री गोविन्द सहाय]

और यह उनकी दिली ख्वाहिश भी रही है। अगर चुनाव जल्दी नहीं हो पाते हैं तो उनसे हमारा मारल गिरता है। उसका जो नैतिक असर लोगों पर होता है वह अच्छा नहीं होता। मैं यही कहूंगा कि चाहे कुछ भी हमारी दिक्कतें क्यों न हों हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द चुनाव हो और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है। अगर जल्द चुनाव होते हैं तो उससे हमारा नैतिक स्तर ऊंचा उठेगा और जनता में भी विश्वास बढ़ेगा।

चर्चा होती है केआस की। इस सरकार के हाथ में आज जिम्मेदारी है। हमारा ख्याल है कि अगर हमारी ताकत गलत रास्ते पर जाती है तो मुल्क में केआस (अराजकता) हो सकता है। ऐसा हममें से बहुत लोग सोचते हैं। वह केआस होगा जब होगा लेकिन आज जो इमास्कुलेशन और सफोकेशन हो रहा है उसको भी तो देखना चाहिए। हरएक आदमी अनुभव करता है कि वह जो महसूस करता है वैसा कह नहीं सकता। बहुत से मेम्बरान मुझसे कहते हैं कि तुम यह बात कह देना मगर खुद कहना ठीक नहीं समझते या जो कुछ भी बात हो। हमारा सफोकेशन हो रहा है और हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं नहीं कह सकते। अगर हम चाहते हैं कि जनता हमारे साथ खड़ी हो तो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और जनता को बतलाना चाहिए कि हमारा काम का सिस्टम क्या है। इंगलैंड में डेमोक्रेसी लोगों के जीवन की अंग बन गई है, हर अंग्रेज डिमोक्रेसी के लिए जान देने को तैयार है। इसे वह अपना फर्ज समझता है। लेकिन यहां हमारे तरीकों में डेमोक्रेसी लुप्त होती जा रही है। डिक्टेटरशिप को हमने माना नहीं है। पर हमने डिमोक्रेसी का सिस्टम तो मुल्क को दिया है। पर उसके लिये न स्वयं प्रयत्न कर रहे हैं और न जनता में उसके प्रति लगाव पैदा कर रहे हैं अगर मुल्क में कोई और सिस्टम आफ गवर्नमेंट आवे तो हमारा मुल्क गड्ढे में चला जायगा। इसलिए अगर डेमोक्रेसी को कायम रखना है तो लोगों में इसकी भावना कायम रखनी चाहिए और लगाव पैदा करके, ऐसा बरताव करें जिससे यह न मालूम हो कि हम डैमोक्रेसी का गला घोंटना चाहते हैं।

इसलिए इन कारणों से इस बिल का मैं समर्थन नहीं कर सकता और मैं यह भी साफ कह देना चाहता हूं कि मैं इसके लिए वोट भी नहीं कर सकता। यह डैमोक्रेसी की बुनियादों के खिलाफ बात हो रही है। बड़ी चीज है डैमोक्रेसी और उसके बाद है पार्टी अनुशासन। मेरे लिए यह एक मौलिक प्रश्न है और मैं किसी भी ऐसी बात में पार्टी नहीं हो सकता हूं जो डैमोक्रेसी के खिलाफ जाती हो। मैं यह भी कहने के लिए तैयार हूं कि हर उस शख्स को जो इस देश में जनतंत्र की सफलता चाहता है ऐसे प्रयत्नों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।

श्री ई० एम० फिलिप्स——श्रीमान् स्पीकर महोदय, इस बिल पर जो कि इस वक्त पेश है मैं मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री राजाराम शास्त्री जी का यह कहना था कि डेमोक्रैटिक पार्टी का विचार नहीं मालूम हुआ, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मेरे इतना कहने के बाद मैं इसकी मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपको यह मालूम हो जाना चाहिए कि आपके भवन में कोई पार्टी भी इस बिल का सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं इस बात के मुताल्लिक पहले याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी, जिनके विचारों के मानने की बहुत कोशिश की जाती है, उनका तरीका यह था कि अगर उनसे कोई गलती हो जाती थी तो वह बहुत सफाई के साथ और अच्छे तरीके से उसको महसूस करके कह देते थे कि यह बात गलत है, उसी तरीके से हमारे माननीय मंत्री जी ने जब यह बिल भवन के सामने पेश किया है और यह सब गलतियां उनको दिखायी गयीं हैं और यह उनको महसूस भी हो गया है कि यह गलती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वह उनके फालोअर बन करके अपनी गलती को तस्लीम कर लेंगे और सफाई के साथ कह देंगे कि हां हमने यह गलती की। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो इससे यह पता चलता है कि वह जो तीन हठ कहे जाते हैं, त्रिया हठ, बाल हठ और राज हठ, उनमें से वह किसी के मातहत हैं।

एक सदस्य—यह त्रिया हठ है।

श्री ई० एम० फिलिप्स—मालूम नहीं, यह कौन से हठ में आयेगा। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यह त्रिया हठ हो सकता है, लेकिन मैं तो इसे राज हठ ही कहूंगा।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—मैं यह जानना चाहती हूं कि खराब चीजों के लिए स्त्रियों को ही मिसाल क्यों दी जाती है?

श्री ई० एम० फिलिप्स—श्रीमान्, मैंने राज हठ के ऊपर इसे लाकर के कायम किया है, त्रिया हठ पर नहीं कायम किया है। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त सिलेक्ट कमेटी म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट को अमेंड करने के लिये बैठी थी जिसका मैं भी मेम्बर था उस वक्त कमेटी के अन्दर इस बात का सुझाव मंत्री महोदय के सामने पेश किया गया था और इस बात पर सेलेक्ट कमेटी सहमत भी थी कि जिन सुधारों के करने के लिए म्युनिसिपैलिटीज़ को सुपरसीड किया जाता है उन सुधारों को कम से कम वक्त में, करके नया चुनाव हो जाना चाहिए और इस तरीके से वक्त मुकर्रर कर देना चाहिए कि उतने ही वक्त में सुधार होने के बाद फिर से चुनाव हो जाय। मैं चाहता था कि हमारे माननीय मंत्री जी इसको गौर से सुनते ताकि वह इसका जवाब भी दे सकते। कहीं ऐसा न हो कि यह जुमला जवाब से महरूम रह जाय। मैं सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर था और मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जो सुझाव सिलेक्ट कमेटी में पेश किया गया था उसके खिलाफ इस बिल को पेश कर दिया गया है। अगर यह गौर किया जाय कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो इस नतीजे पर पहुंचना पड़ता है कि कोशिश यह की जा रही है कि एलेक्शन पोस्टपोन (स्थगित) कर दिये जायें। ऐसी चीज है जिससे कोई सहमत अभी तक इस भवन में नहीं हुआ है। उन १२-१४ आदमियों में से जो शुरू से अब तक बोले हैं एक शख्स ने भी आपको इसके मुताल्लिक सपोर्ट नहीं किया। इलेक्शन का पोस्टपोन करना इस बात की दलील है कि आप उस ऐतबार को जो आप के सुपुर्द किया गया है कायम नहीं रखते हैं। आप इस तरीके से काम कर रहे हैं जिससे यह पता चलता है कि आपको हुकूमत का मजा आने लगा और आप उस हुकूमत के मजे के मातहत ऐसा करने लगे कि अबसे जब तक इलेक्शन न करें तभी तक अच्छा है। मैं यह समझता हूं कि जिस कदर जल्दी आपका ख्याल और दिमाग इस मामले में सही हो जाय उसी कदर बेहतर है। मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि आपके यहां लखनऊ और आगरा दो म्युनिसिपैलिटी ऐसी हैं जो सूबे की सब से बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं। आगरा और अवध दो प्राविंसेज़ को मिला कर यह आपका उत्तर प्रदेश बना है और उन्हीं के दो सब से बड़े शहरों की म्युनिसिपैलिटियां सुपरसीडेड (अवक्रमित) हैं तो इसके मानी यह हैं कि पूरे सूबे की म्युनिसिपैलिटीज़ सुपरसीडेड हैं। मैं आगरे के मुताल्लिक जानता हूं कि ८ बरस हो गये सुपरसीड हुये और आपने अभी तक चुनाव नहीं किया। ४ बरस बाद एक छोटा सा नामिनेटेड बोर्ड वहां कायम किया गया जिसमें आपने अपनी पार्टी के साथ आदमी भर लिए और यह कहा गया कि हम इस बोर्ड को आरजी तौर पर कायम करते हैं, १० महीने में चुनाव हो जायगा। १० महीने के बजाय आज ४ साल हो गए हैं कोई चुनाव नहीं हुआ और उस बोर्ड का जो हालत है वह आप अच्छी तरह से जानते हैं और उसमें सब लोग चाहते हैं कि नया इलेक्शन वहां हो जाय लेकिन तो भी आपने इलेक्शन नहीं किया। अगर आपका यही ख्याल है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर की म्युनिसिपैलिटी ज्यादा अच्छी होती है तो आप इस ऐक्ट में सुधार कर लीजिए और तरमीम कर लीजिए कि हर जगह पर सिर्फ ऐडमिनिस्ट्रेटर ही की म्युनिसिपैलिटियां काम करें और इन्तजाम करें। एक और बात की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जो अभी तक आपके सामने पेश नहीं की गयी है। इस ऐक्ट का रंग जोकि आपने इस बिल में पेश किया है उससे पता चलता है कि आप अपनी गलतियों का सुधार करना चाहते हैं और इसीलिए यह बिल पेश किया गया है।

श्री सुल्तान आलम खां--प्वाइंट आफ आर्डर (वैधानिक आपत्ति)। क्या यह आप ही से सब ताल्लुक है कि आपने ऐसी गलती की और आपने यह गलती की? मैं तो समझता हूं कि स्पीकर साहब ने हरगिज ऐसी गलती नहीं की।

श्री ई० एम० फिलिप्स--आपके द्वारा गवर्नमेंट से कह रहा हूं लेकिन चन्द अल्फाज को कम करने के लिए इस तरीके से कहा गया। ऐसे बोलने से "आप" से मतलब तीसरी पार्टी से हुआ करता है।

माननीय अध्यक्ष--आप से मतलब तीसरी पार्टी से?

श्री ई० एम० फिलिप्स--बहर सूरत, जहां जहां मैंने आप कहा है वहां हुकूमत समझ लीजिए। मैं आपके जरिए से हुकूमत तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपकी शान ऐसी है कि बराबर गलतियां कानून बनाने में होती हैं और ऐसी एक गलती को दुरुस्त करने के लिए यह बिल पेश किया गया है। मैंने एक मौके पर यह बतलाया था कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी गलतियां बहुत होती हैं। यह पांचवां मौका है कि जब सुधार करने के लिए एक बिल पेश किया गया। यह मुमकिन है कि मैंने गलती की हो। सातवां हो। लेकिन पांच ऐसे मौके हैं जब कि मैं उंगलियों पर गिन कर बतला सकता हूं और अगर हमारी गवर्नमेंट की यही हालत है कि इतनी गलतियां होती हैं तो हम जानना चाहते हैं कि वे लोग जो कि उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं जहां से यह गलतियां होकर आती हैं उनको क्या सजा दी जाती है उनको किस तरह से डील किया जाता है। यह बड़े शर्म की बात है। पब्लिक जो देखती है या सुनती है उसके सामने गवर्नमेंट की बड़ी सुबकी होती है। हम चाहते हैं कि आप इस बात का सुधार कीजिए कि आप के यहां ऐसी गलतियां न हों। एक बात मैं आप से और कहना चाहता हूं ऐसा मालूम होता है कि जिस वक्त हमारी असेम्बली अक्तूबर में बैठी हुई थी उस वक्त आर्डिनेंस आप का तैयार था। मैं इसके मुताल्लिक यह तो कहने के लिए नहीं तैयार हूं कि आपकी किस फाइल में क्या कागजात हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहने के लिए तैयार हूं कि आपने जो कुछ भी किया है वह इस तरीके से किया है जिससे पता चलता है कि वह इस बात के लिए तैयार थे कि जैसे ही असेम्बली खत्म हो वैसे ही इस आर्डिनेंस को जारी कर दें। २२ तारीख को असेम्बली प्रोरोग हुई और २३ तारीख को यह आर्डिनेंस पास होगया। इससे भी पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने इस चालाकी से इस आर्डिनेंस को पास कर दिया और जबकि असेम्बली मौजूद थी तब बिल नहीं पेश किया। मैं आपकी तवज्जह इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट के जमाने में कितने आर्डिनेंस जारी हुए। अगर यह गवर्नमेंट आफ आर्डिनेंस ही है जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने इस वक्त तक दिखाया है तो मैं सोचता हूं कि यह भी एक बड़ी कमजोरी की बात है और गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जह करनी चाहिए कि किस तरीके से अपने काम को और ज्यादा मजबूती के साथ अपने ख्याल को ज्यादा उम्दा बना कर ऐसे कवानीन सामने लावें जिसमें आर्डिनेंस न जारी करने पड़ें।

उसके बाद मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो बिल इस वक्त पेश है अगर उसके लिए आप अपनी पार्टी से यह कह दीजिए कि हर शख्स को अपना वोट देने की बिलकुल आजादी है तो आपका ऐक्ट यह डिफीट हो जायगा। आप इस बिल को पास नहीं करवा पायेंगे।

आखिरी बात मैं आपसे कहूंगा कि इस बिल में आप सिर्फ इतना कीजिए कि इसको विद्ड्रा करके सिर्फ उतना हिस्सा बिल में रखिये, जो कुछ आपने गलती की है उसकी दुरुस्ती कर दें ताकि आपके ऊपर कोई दावा वगैरह न हो सके।

इतनी बात कह कर मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं।

श्री ध्यानचन्द गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने कथन के आरंभ में ही मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं जो कि माननीय श्री मौर्य जी के भाषण के कारण आवश्यक हो गया है। उन्होंने कांग्रेस के संबंध में हमारी पार्टी के रुख को कुछ गलत इस भवन में रखा है।

हम लोग यह मानते हैं कि कांग्रेस ने जनतंत्र की स्थापना के लिए इस देश में सब से बड़ा काम किया है। हमारी यह धारणा है कि कांग्रेस ने ही देश के स्वातंत्र्य का अगुआ बन कर देश की स्वतंत्रता को इस देश में संभव बनाया है और हमें इसका बड़ा गर्व है कि हम कांग्रेस में बीस–बीस और तीस–तीस वर्ष रह कर इस सेवा में योग दे सके और उन नेताओं के नेतृत्व में थोड़ी सी देश सेवा कर सके जिनको अपना नेता बनाने का कोई भी देश गर्व हासिल कर सकता है। मगर आज के दिन जबकि कांग्रेस छिन्न–भिन्न हो रही है। एक गुटबन्दी में आ गयी है और एक गुट के हाथ में संस्था चली गयी है, तब यह स्थिति हुई कि हमने महसूस किया कि हम कांग्रेस की नेकनामी के इतिहास को सुरक्षित रखने में हम असमर्थ हो रहे हैं और इसलिए हम कांग्रेस से अलग हुए और अलग होने को मजबूर हुए। इसी वजह से समाजवादी दल अलग हुआ और इसी वजह से प्रफुलचन्द्र घोष के दल को कांग्रेस से अलग होना पड़ा है और मेरा अनुमान है कि थोड़े ही दिनों में कांग्रेस का एक प्रधान अंग कांग्रेसी सदस्यों का एक बहुमत कांग्रेस से अलग होकर अपनी सत्ता बनाने को आतुर है और कोई ताज्जुब नहीं है कि चन्द महीने के भीतर ही कांग्रेस को अपने मुकाबिले में एक अखिल भारतीय हैसियत का दल देखने को मिले और उससे मुकाबिला करने को मिले और उसके साथ शक्ति संतुलन करके जनता में अपनी लोकप्रियता की जांच का अवसर निकट भविष्य में ही मिले। ऐसी स्थिति है और यह धारणा हमारी है कि कांग्रेस के अतीत के प्रति और उसकी अतीत की सेवाओं के प्रति और वर्तमान गुटबन्दी के प्रति। इसमें हमें गलत न समझा जाय।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से मैं यह देख रहा हूं कि इस सदन के कर्त्तव्यों के संबंध में सरकार को कुछ भ्रम जैसा हो गया है। यह हमारा कर्त्तव्य है और यह हमारा गौरव है कि हम अपने प्रदेश के लिये यहां उचित कानून बनावें, उसकी व्यवस्था को देखें और उस पर निगाह रखें। मगर कुछ दिन से सदन को इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रकार के कामों के लिये मसलन सरकार को कोई भूलें हो जायं तो उनके मार्जन के लिए उन गलतियों के वैलिडेशन के लिए हमसे कानून बनवा लिया जाय। फिर अगर किन्हीं कानूनों का उल्लंघन सरकार करती है और सरकार के कर्मचारी करते हैं वह दोष होता है, वह अदालतों के निगाह में दोषी ठहराये जाते हैं तो फिर हमारे सामने इस कानून के बनाने के लिए मसला लाया जाता है जिसमें उसका मार्जन हो सके। एक और तरीके से सदन का इस्तेमाल किया जाता है कि कानूनों का इंटरप्रिटेशन हमसे कराया जाता है। यह सदन कानून बनाने के लिए है, कानूनों का इंटरप्रिटेशन न इसके अधिकारों के भीतर है और न इसके कर्त्तव्य हैं और अगर यह सदन किसी प्रस्ताव के द्वारा और अगर किसी कानून के द्वारा किसी दूसरे कानून का इंटरप्रिटेशन करके बाहर भेजता है तो मेरा नम्र निवेदन है कि कोई अदालत उसको मानने को बाध्य नहीं है कि हमें कानून का इंटरप्रिटेशन (व्याख्या) करने का अधिकार है। उसका अधिकार माकूल अदालतों को ही है और वह उनके पास सदा रहेगा। अभी उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी का ऐतिहासिक महत्व का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि बहुत से लोगों की निगाह से जो संविधान का उल्लंघन करके एक हाउस को प्रोरोग कर दिया गया था वह न्यायपूर्वक नहीं था। मैं किसी लम्बी बहस में इस अवसर पर नहीं जाने वाला हूं और न यह कहने को तैयार हूं कि संविधान को उल्लंघन करने के संबंध में और एक हाउस के प्रोरोग करने के अनौचित्य के संबंध में जो मैं कहता हूं वही सही है या जो हमारे साथी कहते हैं वही ठीक है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है वह ठीक नहीं है। यह मैं नहीं कहना चाहता यह तो सचमुच में उचित अधिकार रखने वाली अदालत का कर्त्तव्य है और उसी का अधिकार है कि अपनी राय दे सके। मगर जिस तरह से उन्होंने अपनी सफाई में और सरकार के रुख की सफाई में कुछ बातें कहीं उसमें अगर कहीं त्रुटि मालूम होती है तो आपकी इजाजत से दो शब्दों में उसको भी साफ कर दूं, इसलिए कि मौजूदा कानून का आधार एक आर्डिनेंस (अध्यादेश) है, वह आर्डिनेंस जो कि हाउस के प्रोरोगेशन के तुरंत बाद लागू

[श्री खानचन्द गौतम]

किया गया और वास्तव में अगर हुकूमत को इस तरह हाउस को प्रोरोग करने का और आर्डिनेंस लागू करने का कोई अधिकार नहीं था तो मौजूदा विधेयक भी निरर्थक है।

श्रीमान्, माननीय मुख्य मंत्री ने दो बातों पर प्रधानतया जोर दिया था। एक तो यह कि हमारे यहां ऐसी परम्परा चली आयी है, हम एक एक हाउस को प्रोरोग करते रहे और इस प्रकार गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट से जिस तरह उद्धरण लेकर इस संविधान में शामिल कर दिया गया है उसी तरह से मौजूदा हालत में माननीय राज्यपाल को यह अधिकार है कि एक हाउस को प्रोरोग कर सकें। मेरा नम्र निवेदन है कि १९३५ के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अधीन भी गवर्नर को कोई अधिकार नहीं था कि एक हाउस को प्रोरोग कर सके। अगर एक हाउस प्रोरोग होता था तो केवल इसलिए कि गवर्नर को इंस्ट्रूमेंट आफ इंस्ट्रक्शंस के अधीन कुछ विशेषाधिकार दिये हुए थे, जिसको कि राजा ने दिया था। इस समय न हमारा कोई राजा है, न किसी को राजा के अधिकार प्राप्त हैं। माननीय प्रेसीडेंट को भी वह अधिकार नहीं है। संविधान के अधीन जितने अधिकार उन्हें प्राप्त हैं उन्हीं के भीतर वह कार्य कर सकते हैं। न तो स्वयं उनको यह अधिकार है और न वह गवर्नर को कोई ऐसा अधिकार दे सकते हैं जोकि संविधान के बाहर हो। ऐसी सूरत में जो विशेषाधिकार १९३५ के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अधीन गवर्नर अपने प्रयोग में ला सकते थे वे आज के दिन गवर्नर महोदय नहीं ला सकते। हमारे संविधान की धारायें १७४, १७५ और १७६ के साधारण मनन के बाद यह स्पष्ट हो जायगा कि गवर्नर महोदय दोनों हाउसेज को एक साथ समन करने के लिए बाध्य हैं और अगर माननीय मुख्य मंत्री का यह इंटरप्रिटेशन मान लिया जाय कि गवर्नर महोदय, आइदर आफ दि हाउसेज को भी बुला सकते हैं, यानी दोनों भवनों में से एक को भी बुला सकते हैं, और एक को ही एक समय प्रोरोग कर सकते हैं तो, जैसा उनका मंतव्य था, गवर्नर के लिए यह असम्भव हो जायगा कि दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर सम्बोधित कर के उनके सामने कोई कार्यक्रम रख सकें। यह ऐसा विषय है कि समाचार-पत्रों में और विज्ञ लोगों में इस पर पूरा मनन हुआ है और विचार हुआ है और समझता हूं कि हुकूमत की निगाह से वे सारी चीजें गुजरी हैं और अगर फिर भी हुकूमत.....

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--प्वाइंट आफ आर्डर (वैधानिक आपत्ति)। श्रीमान् के द्वारा इस विषय पर रूलिंग हो चुकी है। हाई कोर्ट जब फैसला देगा तब देगा लेकिन श्रीमान् आप उस पर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं।

श्री खुशवक्त राय--जो प्वाइंट आफ आर्डर हमारे द्वारिका प्रसाद जी मौर्य ने उठाया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आप ने इस बात की रूलिंग दी है कि प्रोरोगेशन का क्या इफेक्ट (प्रभाव) इस भवन पर होता है, आपने कोई रूलिंग ऐसी नहीं दी है कि सत्रावसान किस प्रकार होना चाहिए।

श्री ई० एम० फिलिप्स--प्वाइंट आफ आर्डर सर, प्वाइंट आफ आर्डर पर कोई बहस नहीं हो सकती।

माननीय उपाध्यक्ष--जहां तक मुझे याद है, जैसा कि माननीय सदस्य खुशवक्त राय ने कहा है कि मैंने अब तक जो निर्णय दिया है वह इसी तरह का है कि सत्रावसान का असर क्या होगा और यह कि दोनों सदनों का सत्रावसान साथ-साथ होना लाजिमी है या नहीं उस पर तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मैंने कहा है उसमें यह जरूर जिक्र किया गया है कि दो सत्र जरूर होना है और इससे अधिक भी हो सकता है। मगर मैं यह देख रहा हूं कि माननीय सदस्य ने किस वजह से बहस को शुरू किया है। मैं एक बात यह कहता हूं कि अगर यह भी मान लिया जाय कि वह आर्डिनेंस नाजायज है तो यह विधेयक भी नाजायज होगा इसको मैं नहीं मान पाया कि किस वजह से यह कहा गया है वह आर्डिनेंस भले ही नाजायज हो लेकिन अगर इस सदन द्वारा और दूसरे सदन

द्वारा यह विधेयक पारित किया जाय तो यह कैसे मान लिया जायगा कि यह भी नाजायज होगा। इसी नुक्तेनजर से सोच रहा हूं लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। माननीय सदस्य संतुष्ट कर दें कि अगर कोई आर्डिनेंस कायदे के अन्दर नहीं निकला है और उसी विषय पर अगर कोई विधेयक लाया जाय और वह दोनों सदनों के पास होने के बाद भी जायज तरीके से कानून नहीं हो सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस बहस का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमन्, आपने इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स (उद्देश्य तथा कारण) में ध्यान दिया होगा।

माननीय अध्यक्ष--वह तो मैंने पढ़ लिया है, यह कोई दलील नहीं है। आर्डिनेंस के जरिये कोई काम किया है तो उसके लिए कानून बनाना जरूरी है। आर्डिनेंस जारी किया इस वजह से यह विधेयक लाये। वह तो तजकिरा है, इसका जिक्र है कि इस विषय पर आर्डिनेन्स आ चुका है मगर यह कि इसका बेसिस आर्डिनेंस है यह मैं नहीं मान पाया। अगर यह आर्डिनेंस नाजायज है तो बिल भी नाजायज होगा यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री खुशवक्त राय--श्रीमन्, जो विधेयक हमारे सामने उपस्थित है उसकी धारा ४ के द्वारा, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी सप्लीमेंटरी आर्डिनेंस रिपील किया जा रहा है। इस विधेयक की अगर लीगल इनऐक्टमेंट नहीं है तो इसकी क्या जरूरत है। स पर बहस हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष--मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। वह धारा तो अलग है। आप तजवीज कर सकते हैं कि उसको निकाल दिया जाय। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जायज तरीके से इस प्रश्न पर बहस नहीं कर सकेंगे। मेहरबानी कर के जो कुछ उन्हें इस विधेयक पर कहना हो वह कहें।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमन्, प्रासंगिक रूप में कहा था, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, केवल जो बातें मैं कह रहा था वह अधूरी थीं उनको ही ....

माननीय अध्यक्ष--मेरे फैसले के बाद अब चीज को छोड़ दिया जाय।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमन्, अब तक जो भाषण इस संबंध में हुए हैं उनको मैं ध्यान से सुनता रहा हूं और हुकूमत की तरफ से भी अब तक दो-तीन भाषण हुए हैं और मुझे ताज्जुब है कि माननीय मंत्री महोदय को स्वयं अपनी पार्टी का भी समर्थन नहीं मिल रहा है। इस सदन में हुकूमत का कुछ ऐसा रवैया रहा है कि अनेक बार अपनी गलतियां जो मंत्री महोदयों के विभाग की होती हैं उनके संबंध में मंत्री महोदयगण सदन में यह सफाई देते हैं कि हमारे कर्मचारियों द्वारा यह गलती हो गई और बड़ा अफसोस है उन कर्मचारियों की नालायकी पर। उसके लिए यह एक छोटा सा परमार्जित कानून है। बराह मेहरबानी इसको पास कर दीजिये। हुजूर, मुझे क्षमा कीजिये मैं इसको हद दर्जे की कायरता समझता हूं। जो सरकारी कर्मचारी इस सदन के सामने उपस्थित नहीं हैं अपनी सफाई देने के लिए ऐसे किसी कर्मचारी के ऊपर माननीय मंत्री अपने विभाग का उत्तरदायित्व छोड़कर अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं उस जिम्मेदारी से तो मेरा यह ख्याल है कि शासन का सौजन्य, जिसके लिए प्रचलित शब्द है शराफत, उसके ऊपर उत्तरदायित्व छोड़कर अपनी सफाई देना सौजन्यता नहीं है। उदाहरण के लिए एक चीज माननीय मंत्री के सामने रख दूं। सन् १९१७ का जिक्र है। आस्टिन चेम्बरलेन सेक्रेटरी आफ स्टेट थे। मेसोपोटामिया में कुछ गड़बड़ हुई थी उस पर जुडीशियल इंक्वायरी बैठी थी कि वास्तव में किसको सजा दी जाय तो कमांडर इन चीफ को सोचा जा सकता था, हिन्दुस्तान के वाइसराय को सोचा जा सकता था मगर आस्टिन चेम्बरलेन ने अपना इस्तीफा पेश किया। उस समय के प्रधान मंत्री वेल्सविजर्ड ने कहा भाई इसमें वास्तविक जिम्मेदारी तो उन लोगों की है, उन लोगों को उसमें पकड़ना चाहिए, उनको सजा देना चाहिए। मगर आस्टिन चेम्बरलेन का

[श्री खानचन्द गौतम]

लिखा हुआ वक्तव्य मौजूद है कि नहीं हमारे यहां की शासन परम्परा की शान में मैं जब हेड आफ दि डिपार्टमेंट हूं, मैं सेक्रेटरी आफ स्टेट हूं, तो उसका उत्तर-दायित्व मुझे लेना चाहिए। अगर कोई गलती होती है तो मेरी देख-रेख में होती है, उसकी सीधी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ऐसी सूरत में एक नहीं, दो नहीं जब १०-२० दफा एक-एक विभाग में गलतियां होती हैं, नाजायज चीजें होती हैं और सदन को बैठ कर उनके संशोधन के लिए कानून बनाना पड़ता है तो मैं समझता हूं कि शासन का सौजन्य, शासन की शराफत के नाते हमें अधिकार है कि हम माननीय मंत्री से इस्तीफा मांग लें बजाय इसके कि उनके रखे हुए विधेयक को पास करें।

इस तरह की एक मिसाल नहीं हुई है, बार-बार कई मंत्रियों के विभाग में ऐसी चीजें हुई हैं और हमें उनको इस नाते स्वीकार करना पड़ता है कि आप बहुमत पार्टी में हैं। दूसरे हमको असाधारण समय की दुहाई दी जाती है। प्रोफेसर कृष्ण चन्द्र जी ने अपने भाषण में बड़ी बहुमूल्य बातें कहीं। जितने समय में मैं उनका भाषण सुन रहा था वास्तव में मुझे उनकी हालत पर तरस आ रहा था। माननीय मंत्री ने ऐसी स्थिति में मेरे मित्र को डाला है कि उनके दो टुकड़े सर से पांव तक कर दिये। एक टुकड़ा सीधे-सीधे इस बिल की मुखालिफत करता है और आखिर में एक हिस्सा समर्थन करने के लिए बाध्य है अनु-शासन के कारण। आपके अनुशासन ने उनकी जबान को चीर कर दो टुकड़े कर दिये हैं। एक लफ्ज आपके बिल के समर्थन में नहीं आता, लेकिन शासन के लिए थोड़ा सा समर्थन करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में अपने साथियों को डाल कर मैं नहीं समझता कि यह हुकूमत कितने दिन चल सकती है और कितने दिन इस सूबे की जिम्मेदारी को निभा सकती है। प्रोफेसर कृष्ण चन्द्र जी ने एक बात कही कि कुछ स्थानों के लिए हुकूमत यह तै कर ले कि उन पर वहां लोकप्रिय म्युनिसिपल बोर्ड वह नहीं रखेगी। अगर मुझे ठीक स्मरण है ऐसा उन्होंने कहा था, उन्होंने शायद लखनऊ और कानपुर का जिक्र किया, खैरियत हुई कि उन्होंने मथुरा का जिक्र नहीं किया वर्ना यहां से लौट कर मथुरा में उनका किस तरह से स्वागत होता इसे वह अच्छी तरह से समझते थे। झांसी का भी जिक्र नहीं किया कि वहां लोकप्रिय म्युनिसिपल बोर्ड न रखा जाय। उनको भय था कि उनके पुराने मित्र माननीय श्री खेर जी का स्वागत झांसी लौट कर बहुत अप्रिय प्रकार का हो सकता है। लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के लिए इस तरह की बातें करना कि वहां का म्युनिसिपल बोर्ड सुपर-सीडड रहे, उसका सुपरसेशन बराबर चलाता रहे, शायद उसके लिए ऐसी भी व्यवस्था सोची जा रही हो कि वहां लोकप्रिय शासन न रहे, मेरी समझ में नहीं आता।

मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह सूबा सारे देश का सिरमौर रहा है, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि दूसरे सूबों के साथ-साथ इस सूबे ने भी प्रगति की है और प्रगति करने का दावा रखता है और कुछ चीजों में इस सूबे ने सारे देश का नेतृत्व किया है और इस सूबे में भी लखनऊ मेरा ख्याल है शिक्षा की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से तथा और अन्य प्रकार से, गवर्नमेंट की सीट होने के नाते प्रधान नगरों में से रहा है, जहां न विद्वानों की कमी समझी जाती है, न यहां के लोगों में शिक्षा की कमी समझी जाती है, न उनकी जिम्मेदारियों में कमी समझी जाती है बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस नगर को फख्र है कि यहां ऐसे भी विद्वान हैं जो मंत्रिमंडल के सदस्यों को १०-१० बरस तक बैठ कर विशेष ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। ऐसी सूरत में यहां के म्युनिसिपल बोर्ड को इस तरह से निरंतर सुपरसेशन में रखना, यहां के नागरिकों के प्रति कितनी अवहेलना की बात है, यह विचारणीय प्रश्न है। क्या ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कम योग्यता के आधार पर एक एडमिनिस्ट्रेटर लादा जा सकता है? जब आज मैं इस सदन में आया और जब मैंने आज यहां देखा कि यह चीज भी विचाराधीन है तो मैंने यह देखना चाहा कि सामने की बेंचेज से कौन माननीय सदस्य ऐसा उठकर खड़ा होता है जो पहला पत्थर फेंकता है, लखनऊ की जनता के ऊपर यह कह कर कि लखनऊ की जनता

नालायक हैं, बेवकूफ हैं, गैर जिम्मेदार हैं, इस वजह से उनको अधिकार है कि एक अधिकारी के जरिये से उनका इंतजाम करायें, उनको इस काबिल समझें कि उनके सिर पर एक ऐडमिनिस्ट्रेटर रखा जायगा और उसके जरिये से शासन कराया जायगा। मैं देखता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री के अतिरिक्त कोई एक सदस्य भी उधर से ऐसा पहला कदम उठाने का साहस न कर पाया। इस अनुचित कार्य के लिए कोई मददगार न ही पाया। मैं नहीं समझता कि फिर भी माननीय मंत्री किस बल पर, किस भरोसे पर इस बिल को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको पाइलेट करना चाहते हैं।

श्रीमन्, सन् १९२९ की बात है, अब से करीब २१ वर्ष पहले जब नैनीताल म्युनिसिपैलिटी का जिक्र था उस समय माननीय मुहम्मद युसुफ साहब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर थे और उनका विचार था कि नैनीताल में आफीशियल बोर्ड रखा जाय। उस वक्त पंडित गोविन्द वल्लभ पंत यहां बैठे हुए थे जहां इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड के संबंध में कुछ बातें कही थीं। उनमें से मैं आप की इजाजत से कुछ लाइनें पढ़कर सुनाता हूं, साथ ही साथ यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं सन् १९२९ ई० में नैनीताल को इतना पहले और समझने का अवसर नहीं मिला था जितना अब। वह शहर थोड़े से कुलियों, सिपाहियों, ड्राइवरों और जंगलात के ठेकेदारों का घर, एक छोटा सा शहर था और उस वक्त उसकी इतनी तरक्की नहीं हुई थी जितनी अब हो गई है, उस समय माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त नैनीताल म्युनिसिपैलिटी के लिए जो उचित समझते थे, मेरा विचार है कि सन् १९५० में लखनऊ म्युनिसिपैलिटी के लिए भी वह उचित समझते होंगे। पंत जी ने इस भवन में यहीं से खड़े होकर कहा था—

"If the Hon'ble Minister as representative of the people can direct and control the affairs of Naini Tal Municipality, I submit it is inconsistent and illogical to argue that a Municipality with a popular Board is not fit to administer the affairs of Naini Tal. When it has come under the control of a Minister it is quite on par with other municipalities which are run by popular representatives; in the circumstances it should not be deprived of the privileges enjoyed by other municipalities. It is a very dangerous thing, Sir, to have cross compositions. It is very risky to have, on the one hand, a popular minister and, on the other, a bureaucratic municipality. If he still fights shy of facing popular control, if he has no faith in popular representatives, if he still holds the opinion that government is a close corporation which has been landed in this country from England to represent the interests of Englanders, then he should at least resign the position as a minister. But if he means by government a corporate body that is here to serve the interests of the people then he should realise that no distinction can possibly be made between the people and the government and he should be able to perceive the fallacy of the argument that because the government was once instrumental in furthering the cause of Naini Tal or in its extension, therefore the people of Naini Tal should be deprived of the right to administer its civic affairs. That betrays a lack of confidence in the popular representatives which, at least, a minister whether he possesses it or not, should not disclose too often lest it should recoil on him."

(यदि माननीय मंत्री जन-प्रतिनिधि के रूप में नैनीताल नगरपालिका के कार्यों को निर्दिष्ट एवं नियन्त्रित कर सकते हैं तो मेरी विनती है कि यह तर्क प्रस्तुत करना असंगत तथा अनुचित है कि एक जन-प्रिय बोर्ड वाली नगर पालिका नैनीताल के कार्यों के प्रशासन के लिए योग्य नहीं है। जब वह एक मंत्री के नियंत्रण में आ गयी है तब वह सर्वथा उन नगरपालिकाओं के समान है जिनका संचालन जन-प्रतिनिधि करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह उन विशेषाधिकारों से वंचित न की जानी

[श्री खानचन्द्र गौतम]

चाहिए जिनका उपभोग अन्य नगरपालिकायें करती हैं। श्रीमन्, यह प्रति-संघटन करना बहुत खतरनाक है। यह चीज खतरे वाली है कि एक ओर जन-प्रिय मंत्री हो और दूसरी ओर नौकर शाह नगरपालिका हो। यदि वे अब भी सार्वजनिक यंत्रणों का सामना करने में संकोच करते हों, यदि उन्हें जन प्रतिनिधियों में विश्वास न हो, यदि उनकी अभी यही सम्मति हो कि सरकार एक ऐसा निगम है जो इस देश में इंगलैंड से अंग्रेजों के हितों के प्रतिनिधित्व के लिए आया है तो उन्हें मंत्रि-पद त्याग देना चाहिए। किन्तु यदि सरकार से उनका अभिप्राय एक संस्थान से हो जिसका काम जन-सेवा हो तो उन्हें अनुभव करना चाहिए कि सरकार तथा लोगों में कोई अन्तर नहीं है और उन्हें इस तर्क में हेत्वाभास मालूम करना चाहिए कि चूंकि सरकार पहले नैनीताल के प्रयोजन या उसकी वृद्धि का कारण रही है अतः नैनीताल के लोगों को नागरिक कार्यों के अधिकार से वंचित रहना चाहिए। इससे जन प्रतिनिधियों में विश्वास की भावना का अभाव प्रतीत होता है और कम से कम एक मंत्री को वह भावना जो उसमें हो या न हो, प्रायः व्यक्त न करना चाहिए अन्यथा उसको उसका प्रभाव उसी पर पड़ेगा।)

माननीय पंत जी उस समय ऐसा समझते थे कि अगर कोई मिनिस्टर पापुलर मिनिस्टर होने का दावा करता है या मिनिस्टरी पापुलर लोकप्रिय होने का दावा करती है, अगर जन-साधारण का शासन इसलिए अपने हाथ में रखने का विचार करती है तो वह समय आयेगा कि वह ऐसा करके रिक्वायल कर (पड़) सकती है। उनके साथ वह बातें रिक्वायल नहीं कर सकती हैं। मैं समझता हूं इस प्रकार से बिल का लाना, इस प्रकार के मेजर (कानून) लाना मौजूदा गवर्नमेंट को बन्द करना चाहिए वरना पं० गोविन्द वल्लभ पंत के शब्दों में यह मौजूदा हुकूमत बहुत जल्द रिक्वायल कर सकती है और उसका नतीजा उनको भोगना पड़ेगा। क्योंकि म्युनिसिपल बोर्ड जिनका सुपरसेशन किया गया है वह अपने यहां का इंतजाम नहीं कर सके, इसलिए उनको सुपरसीड (अवक्रमण) किया गया और उस सुपरसीशन को आगे भी जारी रखने का आपका इरादा है। एक बार सुपरसेशन करने के बाद आपने उस शहर के नागरिकों को कोई अवसर नहीं दिया कि वह अपने लिए अपने यहां के जिम्मेदार प्रतिनिधि चुन कर अपने यहां का इंतजाम कर सकें उसी प्रकार से अगर एक मिनट के लिए माननीय मंत्री इन म्युनिसिपल बोर्ड से इस सूबे की हुकूमत का मुकाबला करके देखें तो उनको मालूम हो जाय कि वाकई लोकल बोर्ड बाडीज का कितना कसूर है। लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड को ले लीजिये। आपने इसलिए उसको सुपरसीड किया कि वह अपने यहां का गलीज साफ करने में असमर्थ रहा। उसके यहां नालों के अन्दर ८-९ फुट गलीज भरा हुआ पड़ा था और वह इतना ज्यादा गलीज था कि यह कौंसिल चेम्बर भी उस गलीज के अन्दर अगर उसको इकट्ठा किया जाता तो दब सकता था, वह उसको साफ नहीं कर सकी। यहां इस हुकूमत से बार-बार रुपया मांगा गया, यहां से मदद मांगी गई और इस हुकूमत ने उनको मदद नहीं दी। पैसे के अभाव में वह अपने यहां का गलीज साफ करने में समर्थ नहीं हो सके जबकि आप को गवर्नमेंट आफ इंडिया से इतना सबवेन्शन्स (राजकीय सहायता) मिला जो कि पोस्ट वार प्लान (युद्धोत्तर योजना) के लिए आपको दिया गया था वह करोड़ों रुपया आपके सिपुर्द किया गया लेकिन आपने हमारी हुकूमत ने उस रुपये का इस्तेमाल नहीं किया, इस वास्ते वह करोड़ों रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया को वापस करना पड़ा।

तो आप जरा मुकाबला करें और देखें कि नालायकी किसकी है और अगर ऐसी बात है तो जैसा श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को हक है कि एक आर्डर किसी म्युनिसिपैलिटी के लिए पास कर दें और उसको सुपरसीड करके उसका शासन किसी अपने अधिकारी के हाथ में दे सकते ठीक उसी प्रकार के अधिकार संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद ३५२ और ३५६ के अनुसार प्रेसीडेंट को हासिल है—

"If the President, on receipt of a report from the Governor or Rajpramukh of a State or otherwise, is satisfied that a situation has ari-

sen in which the government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution, the President may by proclamation..................."

(यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राज प्रमुख से, प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि ऐसी स्थिति पैदा हो गयी ह जिसमें कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्-घोषणा द्वारा . . . .)

तो इस संबंध में प्रेसीडेंट साहब इस हकूमत को ताक पर रख कर हकूमत को अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर यह सौजन्य उन्होंने इस सूबे की हुकूमत के साथ बरता है तो मेरा खयाल यह है वही बरताव हुकूमत म्युनिसिपल बोर्ड के साथ बरत सकती है। म्युनिसिपल बोर्ड के संबंध में बारबार शिकायत हकूमत के सामने आई मुझे खुद शिकायत हकूमत से है कि उसने गलत किस्म के मेम्बरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मेम्बरों ने जगह-जगह पर अपने अधिकार का अतिक्रमण करके गलत काम किये और अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया लेकिन इस सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। अगर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती और उनको सजा दी जाती तो वह दूसरों के लिए मिसाल बन जाती और वे लोग आगे जनता के प्रति-निधियों के नाम पर खड़े होने का साहस न करते अगर जेलखाने जा सकते हों तो उनको जेलखाने भेजना चाहिये, लेकिन मैं जानता हूं कि हुकूमत के पास दौड़-धूप करने पर तमाम ऐसी कार्यवाही ठप कर दी जाती है।

म्युनिसिपल बोर्ड में और जैसा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जिक्र हुआ, अभी चन्द दिन पहले हम लोगों ने अखबारों में शाहजहांपुर के बारे में देखा है कि शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो मौजूदा चेयरमैन हैं, वहां पर बोर्ड के बहुमत दल के खिलाफ जो कार्यवाही की जाती है वह लिखी नहीं जाती, वहां पर बजट पास होता है तो प्रेसीडेंट उसका साक्षी नहीं बनता, उसका समर्थक नहीं बनता, वहां की कार्यवाही ठीक से नहीं हो पाती, प्रेसीडेंट मीटिंग छोड़ छोड़ कर भाग जाता है और पुलिस के जरिये, पुलिस के संरक्षण में वहां की कार्यवाही होती है और माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं लेकिन वहां के बोर्ड को सुपरसीड करने की नौबत नहीं आती, वहां के प्रेसीडेंट को अलग करने की नौबत नहीं आती, इसलिये कि वह प्रेसीडेंट, जैसा कि इस सदन में सवालात के जरिये जाहिर हो चुका है उस दल का है जिसकी यहां हुकूमत है। बुलन्दशहर के बारे में माननीय मंत्री जी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मामले में गवर्नमेंट के पास शिकायतें आयीं, गबन का मामला था, मिसएप्रोप्रिएशन का मामला था, फर्जी नीलाम कर देने का मामला था और मामला ऐसा था कि जिसमें जिले के अधिकारियों के जरिये तहकीकात की गयी और तहकीकात से यह साबित हुआ और मैं यहां कहने के लिये तैयार हूं कि हां, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वहां के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं वे अपराध के दोषी हैं। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस हाई कमांड की तरफ से दो आदमियों की नियुक्ति की गयी और उन्होंने बुलन्दशहर में आकर तहकीकात की और हाई कमांड को रिपोर्ट की कि इन आद-मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत है और इन आदमियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। परन्तु ऐसी खिलाफ रिपोर्ट होते हुए भी क्या हुकूमत ने इन आदमियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की? ऐसा न करके उनको कांग्रेस का उच्च पद देकर अधिक उत्तरदायित्व का काम दिया गया और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर थे उनको ऊंचे ओहदे के पद पर भेजा गया और जो प्रेसीडेंट इस बात के लिये जिम्मेदार थे कि उन्होंने हुकूमत के सामने ये सब बातें रखी थीं उनको मजबूर किया गया कि आप इस्तीफा दें।

श्रीमन् जब यह रवैया हुकूमत का है और उसके बाद यह उम्मीद की जाय कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड जिम्मेदारी के साथ

[श्री खानचन्द गौतम]

काम कर सकते हैं तो किस तरह से दोनों चीजें साथ-साथ चल सकती हैं? बोर्ड्स तभी काम कर सकते हैं जबकि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सूबे के संरक्षक होने के नाते सख्ती के साथ निगाह रखे और सख्ती से काम करावे और जहां पर किसी तरह की गड़बड़ी मालूम हो वहां अपने हाथ में जिम्मेदारी ले ले और उनको पूरा करे। जहां तक ग्रांट्स इन एड (सहायक अनुदान) की बात है वह जरूरी है और उसी के जरिये सफलता से काम किया जा सकता है। जहां उनके साधन जुटाने की बात हो वहां यह हुकूमत उनके लिये साधन जुटावे और जहां जिस तरीके से काम कर सके उस तरीके से काम करावे। जहां पर गुटबन्दी बढ़ती जाती हो वहां का इन्तजाम अपने हाथ में लेकर उसको सुपरसीड कर दे और सारा अधिकार अपने हाथ में ले लेवे। इस प्रकार से सारे गलाजत का मार्जन करना निहायत जरूरी है। मैं नहीं समझता कि जब यह स्वायत्त शासन के प्रिंसिपिल (सिद्धान्त) के खिलाफ है, उसकी नीति के खिलाफ है तो कैसे इस तरह का काम किया जा सकता है?

श्रीमन् पिछले कुछ दिनों का मेरे यहां कार्यों का इतिहास यह रहा है कि एक्जीक्यूटिव में, कार्यकारिणी में और विधान सभा में निरन्तर संघर्ष चला आ रहा है और दूसरी ओर यहां की एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में निरन्तर स्ट्रगल (झगड़ा) चल रहा है। हम लोग उधर के बैठने वाले इस बात का दावा करते हैं कि लेजिस्लेचर (विधान मंडल) एक सुप्रीम अथारिटी (उच्चतम अधिकारी) है और एक्जीक्यूटिव को उसके सहयोग से, उसकी सलाह से, उसकी मातहती में, उसके इशारों पर इस प्रदेश की हुकूमत चलाना चाहिये। मगर इस समय एक्जीक्यूटिव में, हुकूमत में जो लोग हैं उनकी यह धारणा बन गई है और उनका यही इरादा है कि वह मनमानी करेंगे और लेजिस्लेचर को जैसे चाहे इस्तेमाल करके उसका मार्जन करेंगे। हाई कोर्ट ने कई कानूनों के सम्बन्ध में जिस तरह से भर्त्सना सूबे के कामों की की है और हमारे सामने वेलीडेशन ऐक्ट की सूरत में जितने कानून आये हैं वह हमारे सामने हैं और उनके द्वारा एक कटुसंघर्ष हमारे सामने पड़ गया है कि हम प्रजातन्त्र के लिये इस लेजिस्लेचर के सुप्रिमेसी (आधिपत्य) के लिये स्टैंड करें या इस एक्जीक्यूटिव की मनमानी के सामने "हां" कहें। हमारे लिये इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। हमारा मार्ग बहुत साफ है और हम लोकतंत्र के हामी हैं और उसी के समर्थक हैं और कायल हैं। इस विधान सभा की सुप्रिमेसी के और उसको बढ़ाने के लिये उसकी मानरक्षा के लिये हम हुकूमत के साथ यहां पर बार-बार लड़ेंगे और वह आर्डिनेंसों (अध्यादेशों) के द्वारा जिस तरह से हुकूमत करना चाहेगी हम उसका निरंतर विरोध करेंगे और उसके ऊपर जो मनमाने कानून आवेंगे हम उनका विरोध करेंगे और अगर वह अपने बहुमत के बल पर यहां से पास करा ले जायंगे तो यहां के मेम्बर की हैसियत से हमारा एकमात्र संघर्ष यहां अपने कर्त्तव्य का पालन करना होगा।

हुकूमत को इस बात से सतर्क रहना चाहिये कि हमारे कार्यों पर समस्त प्रदेश की जनता की आंखें हैं और हम उनके हिताहित के सवाल को लेकर यहां बैठते हैं और वाद-विवाद करते हैं। यह न समझना चाहिये कि जनता यहां के आपके कार्य से अज्ञ है या वह इतनी अंधी है कि वह आपकी तरफ निगाह नहीं रखती है। लखनऊ के नागरिक इतने अनभिज्ञ नहीं हैं कि हुकूमत उनको नालायक बना कर उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दे। आज नहीं तो कल अखबार में सूबे भर के लोग देखेंगे कि जनता के प्रतिनिधियों के विरुद्ध हुकूमत की आशंका है कि सूबे भर के म्युनिसिपैल्टिी के लोग बार-बार नालायकी करेंगे और बार-बार गवर्नमेंट को सुपरसेशन करने पड़ेंगे। वह देखेंगे कि आपका रुख जनता के प्रतिनिधियों की ओर से कैसा है। हुकूमत को समझ कर देखना चाहिये कि वह जैसा भी कहती है उसको जनता देखती है और अगर वह कोई गलत काम करती है तो हुकूमत की गलत कार्यवाही के नतायज हुकूमत पर ही रिक्वायल हो (पड़) सकते हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् जी, इस विषय पर काफी बहस हो चुकी है और मैं क्लोजर मूव (वाद-विवाद बन्द करने का प्रस्ताव) करने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष--आप क्लोजर मूव कर सकते हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर बहस बन्द की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि इस मसले पर बहस बन्द की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भवन में जो विधेयक मैंने विचारार्थ पेश किया उसके ऊपर काफी बहस सब तरफ से हुई। मुझे इतना ही कहना है इस विषय में कि जहां तक सिद्धान्त का सवाल है मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि मैं सुपरसेशन के सिद्धान्त के पक्ष में नहीं हूं कि सुपरसेशन का किया जाना कोई उचित या लाजमी है। यह मैंने अपनी राय सन् १९३७-३८ की कमेटी के सम्बन्ध में भी बड़े जोरों से पेश की थी और कमेटी में वह ग्रथित है। लेकिन उसी के साथ-साथ मैंने यह भी अर्ज किया था कि वह राय उस सिद्धान्त के साथ मिली हुई थी कि जो और सुझाव उस कमेटी के सिलसिले में मैंने पेश किये थे वे अगर मंजूर हो जायें।

श्री खुशवक्त राय--यह कंडीशन शर्त उसमें लगी थी।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--कंडीशन का सवाल नहीं है। कमेटी की पूरी रिपोर्ट जो है उसमें एक कंडीशन यह है। जो व्यावहारिक पुरुष हैं वे कंटेक्स्ट (मुकाबिला) से अलग करके, एक नक्शा दूसरा बदल करके और जो नक्शा पहले बनाया गया था उसमें की राय नये नक्शे के सामने अगर लादना चाहते हैं तो मैं समझता हूं उचित नहीं है।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमन्, मैं एक सवाल माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जब मैं बोल चुकूं और वह प्रश्न बाकी रह जाय तब आप पूछ लें। मैं समझता हूं कि सब प्रश्नों का जवाब मैं दे सकूंगा और दूंगा। तो जहां तक सिद्धान्त का सवाल है, मैंने पहले ही कह दिया और इस भवन के सामने यह प्रश्न भी नहीं है कि गवर्नमेंट को सुपरसेशन (अवक्रमण) का अधिकार दिया जाय या न दिया जाय। जितनी बहस हुई थोड़ी सी गलत फहमी पर मबनी थी। बहुत से लोग इस तरफ से भी बोले। उन्होंने भी कहा कि यह सिद्धान्त गलत है और सुपरसेशन नहीं होना चाहिये, यह जनतंत्र के सिद्धान्त के खिलाफ है। मुझसे यह भी कहा गया कि यह विधेयक वापस ले लिया जाय क्योंकि इस भवन की राय सुपरसेशन के खिलाफ है। अगर मैं इस विधेयक को वापस भी ले लूं तो क्या होगा। सुपरसेशन का अधिकार इस भवन ने दिया है। दफा ३० जो है वह तो कायम रहती है। इस भवन ने सन् १९४९ में जो कानून पास किया उसमें भी इस बात का अधिकार मौजूद है कि अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो गवर्नमेंट सुपरसीड करे। तो अगर मैं यह विधेयक वापस भी ले लेता हूं तो भी वह अधिकार बना रहता है। इसलिये जहां तक सुपरसेशन के अधिकार का सवाल है उसके ऊपर इस विधेयक का कोई असर नहीं पड़ता। यह विधेयक सिर्फ एक और स्पष्टीकरण करने के लिये लाया गया है और वह यह है कि एक दफा सुपरसेशन के बाद उसकी मियाद बढ़ायी जा सकती है या नहीं। यह प्रश्न भवन के सामने है। दूसरा प्रश्न यह है कि जब से यह ऐक्ट पास हुआ और दफा ३० के अनुसार यह अधिकार गवर्नमेंट

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

को रहा कि सुपरसीड करे और उसके बाद गवर्नमेंट ने, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो या यह गवर्नमेंट हो, दोनों बराबर उसका अर्थ यह समझा कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट और म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, इन दोनों को मिला कर यह अर्थ होता है कि अगर किसी मियाद के लिये कोई बोर्ड सुपरसीड हो तो उसकी मियाद भी बढ़ायी जा सकती है।

श्री खुशवक्त राय--उसमें सैंक्शन (स्वीकृति) की जरूरत होती है।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--सैंक्शन की जरूरत हो चाहे जो कुछ हो। सवाल यह है कि बराबर सुपरसेशन का अर्थ यह समझा जाता रहा है और उसी के अनुसार जिस वक्त इस गवर्नमेंट के आने के बाद भी बहुत से बोर्डों में मियादें बढ़ायी गयीं तो प्रश्न यह पैदा हो जाता है कि यह कानून के अनुसार हुआ या नहीं हुआ। इस किस्म की चीजें इस मुल्क में नहीं हर मुल्क में होती हैं। किसी वक्त में कानून का अर्थ कानून को चलाने वाले कुछ समझते हैं और उसके अनुसार बहुत सी बातें अमल में आती हैं। अमल में आने के बाद अगर मालूम हो जाय कि कानून का जो अर्थ लगाया गया है वह सही नहीं है तो वैलिडेशन (वैधीकरण) की आवश्यकता पड़ती है। इस बिल के द्वारा दूसरी चीज यह की गई है कि जो अधिकार गवर्नमेंट ने पुराने जमाने से १९१६ से लेकर आजतक बराबर इस्तेमाल किये, उसके मातहत जो कार्यवाही हुई और अहकामात जारी किये गये ये सब इसके द्वारा वैलिडेट (वैध) होते हैं। यह इस बिल से कहीं नहीं है कि गवर्नमेंट इससे सुपरसेशन का अधिकार लेना चाहती है। वह तो पहले से ही मौजूद है। इसके बारे में कोई वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि दफा ३० में एक भी सुधार भवन में नहीं हुआ और यह दफा सर्वसम्मति से पास हुई। इससे स्पष्ट है कि इस भवन की गवर्नमेंट को हिदायत थी कि इस दफा पर जो पास हुई उस पर हम अमल कर सकते हैं।

श्री खुशवक्त राय--यह २६ जनवरी सन् ५० से पहले की बात है।

माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर--सन् १९४९ की मैं कह रहा हूं। ४९ में यह कानून पेश किया गया और इस भवन ने इसे मंजूर कया। इसका किसी ने विरोध नहीं किया। अगर इस भवन की राय बदल गई हो तो बदलने का इसे अख्तियार है। हरएक मेम्बर को अधिकार है कि अगर उसने किसी चीज को गलत समझा है तो इसे बदल सकता है। मैं इस बात को कह देने के लिये तैयार हूं कि अगर भवन चाहता है कि सुपरसेशन का अधिकार नहीं होना चाहिये और उसके लिये कोई बिल ले आना चाहिये तो मैं तो कम से कम इस बात को पसन्द करूंगा कि सुपरसेशन का अधिकार गवर्नमेंट को न रहे। मैं सुपरसेशन के सिद्धान्त के खिलाफ हूं। लेकिन जब तक वह मौजूद है तो उस पर अमल भी किया जाता है और किया गया। जब इस भवन ने कोई कानून बनाया तो मैं समझता हूं कि उसका हक है और फर्ज है कि उस पर अमल करे और जब तक कि दफा ३० इसमें मौजूद है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिद्धांततया सुपरसेशन (अवक्रमण) नहीं होना चाहिये। जब तक कानून में यह है कि सुपरसेशन हो सकता है यानी उसका गवर्नमेंट को अधिकार है तो यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा क्यों किया गया। जैसा राजाराम शास्त्री ने कहा कि साहेब, इसमें तो यह है कि गवर्नमेंट यह चाहती है कि जब तक नये चुनाव आवें तब तक तमाम म्युनिसिपैलिटियां सुपरसीड कर दी जायं ताकि गवर्नमेंट के डिक्टेटर (तानाशाह) अपनी मनमानी न कर सकें। उन्होंने कहा कि अब तक तो ५--६ म्युनिसिपैलिटियां सुपरसीड की गई हैं और आगामी चुनाव तक

नब कर दी जायेंगी। मैं कहता हूं कि यदि यह विधेयक वापस भी ले लिया जाय तो भी यह हो सकता है।

श्री राजाराम शास्त्री—आज की बहस के बाद हम ऐसी बात नहीं करेंगे।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—अगर इतना यकीन उनके दिल में पैदा हो गया है तो मैं उनको बधाई देता हूँ और अपने को भी बधाई देता हूँ कि कम से कम वह यह समझते हैं। उन्होंने नीयत के ऊपर हमला किया था। इस विधेयक से ही हमें सुपरसेशन का अधिकार मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। अगर यह विधेयक हटा लिया जाय तो भी वह अधिकार कायम रहता है। यह कहना कि इस विधेयक से सुपरसीड कर के गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप (तानाशाही) कायम करना चाहती है, ठीक नहीं है। अब भी ३ साल तक सुपरसीड किया जा सकता है बजाय इसके कि मैं १-१ साल के लिये ऐसा करूँ, इससे अधिक भी हो सकता है।

यह केवल नियत के ऊपर हमला करने का तरीका मैं समझता हूँ कि उचित नहीं था और वह राजाराम शास्त्री जी ने भी किसी न किसी शक्ल में मान लिया। उन्होंने कहा कि बहस के बाद मैं ऐसी जुर्रत नहीं करूँगा, मैं जुर्रत तो वैसे ही नहीं करता। सुपरसेशन (अवक्रमण) के लिये मैं समझता हूँ कि मैं इसको आखिरी हथियार समझता हूँ और जब मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ तो मैं इसका इस्तेमाल भी कम करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे सामने यह दिक्कत है कि बराबर जो सुपरसेशन की मियाद बढ़ाई गई उसका वैलिडेशन (वैधीकरण) होना है और आगे जो चुनाव होने वाले हैं वह भी अक्तूबर के पहिले नहीं होंगे। जो सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटीज हैं उनकी भी लिस्ट्स (सूचियां) बनना हैं। इसके अलावा प्रेसीडेंट के आर्डर (आज्ञा) के अनुसार जो दो-तीन-चार क्लासेज शेड्यूल कास्ट (दलित जाति) में से हटा दिये गये हैं और पांच-छः क्लासेज (वर्ग) और जोड़ दिये गये हैं, इसकी वजह से एलाटमेंट आफ सीट्स (स्थानों के बांटने) में जो फर्क पड़ गया है, उसको भी दुरुस्त करना है। अगर यह दिक्कतें न होतीं और भवन यह पास कर देता कि हम आगे के लिए ऐसे अधिकार न लें, तो हम फौरन् इसको मंजूर कर लेते। सुपरसेशन के लिए पुराने अधिकार का वैलीडेशन करा करके हम आगे के लिये खत्म करा देते, लेकिन ऐसा करने में जिन बोर्ड्स का समय जून में खत्म हो रहा है उनका चुनाव जून के पहले हो जाना चाहिये, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। इसके बाद मैं भवन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं मियाद बढ़ाना नहीं चाहता, मैं जनरल एलेक्शन (आम चुनाव) तक ही चाहता हूँ कि सुपरसेशन की मियाद बढ़ाई जाय। जहां तक सुपरसेशन के सिद्धान्त का सम्बन्ध है, यह जो इस तरह वाले लोगों ने कहा कि कोई इसके पक्ष में नहीं है, मैं इसके लिये बताना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग पक्ष में बोलना चाहते थे।

एक सदस्य—एक साहब थे।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—बहुत से साहब मुझसे कह रहे थे लेकिन मैंने कहा कि बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय कम है। इस प्रकार समय कम होने के कारण वह लोग नहीं बोले, वर्ना वह भी बोल सकते थे। अगर बहुमत की राय यह है कि सरकार से सुपरसेशन का अधिकार छीन लिया जाय, तो मैं इसका स्वागत करूँगा क्योंकि डिजोल्यूशन (विघटन) से भी मैं समझता हूँ कि काम चल सकता है। मैं कोई अधिकार लेने के लिए लालायित नहीं हूँ। अगर कोई अधिकार आप देते हैं तो उसका इस्तेमाल अवश्य करना पड़ता है क्योंकि वैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। हमारे भाई कृष्णचन्द्र जी ने भी यह कहा कि मैं मियाद बढ़ाने के अधिकार के विरोध में हूँ लेकिन ऐसी परिस्थितियां पदा हो सकती हैं जिन परिस्थितियों में सुपरसेशन करना पड़े। अगर आम राय यह मालूम होती है कि यह अधिकार ले लेना चाहिये तो मैं इसका आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं इसका कम इस्तेमाल करूँगा। बहुत सी चीजें सिद्धान्त के हिसाब से

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

ठीक नहीं होती हैं, लेकिन लाचारी की वजह से कानून में रखना पड़ती हैं जैसा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में भी है। अभी प्रेसीडेंट (राष्ट्रपति) के अधिकारों के बारे में कहा गया कि अगर किसी स्टेट का इन्तजाम ठीक न होता हो तो प्रेसीडेंट उस स्टेट (राज्य) को अपने हाथ में ले सकता है लेकिन खास हालतों में ले सकता है। अगर वही अधिकार आप इसमें रख दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जब तक आप वह अधिकार नहीं देते हैं यही कायम रहते हैं तब तक इसका इस्तेमाल करना नाजायज है और मैंने जायज तौर पर इनका इस्तेमाल किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन् १९१६ के ऐक्ट में कई नुक्स हो सकते हैं, लेकिन किसी किसी दफा के बारे में जो रवैया चल रहा है, मैं भी उसे आज चला रहा हूँ। किसी वक्त अगर गवर्नमेंट को मालूम हो जाय कि किसी दफा में यह रखा गया है और उसका अमल वाजिबी तौर से नहीं हुआ सन् १६ से तो क्या मेरा फर्ज यह नहीं है कि मैं भवन के सामने आऊं और कहूँ कि आज तक जो होता रहा उसको वेलिडेट (वैध) कर दो और इसकी मियाद जब तक इसकी दुरुस्ती नहीं होती है तब तक जारी रखो ताकि कानून की पाबन्दी होती रहे और इसलिये मैं यहां पर इस तरह का विधेयक लाया। विरोधी पार्टी ने यह भी कहा कि इस तरह का विधेयक एक अजीब तरह का है, इसमें तो अधिकार दिया जा रहा है सुपरसेशन (अवक्रमण) का, इस किस्म का इंटरप्रिटेशन (अर्थ) हुआ, और जो गलतियां हुईं उनको वेलिडेट किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस किस्म के कानून और देशों में भी पास होते हैं। जहां के लोग प्रजातन्त्र के सिद्धान्त को मानते हैं। बहुत सी बातें रखी जाती हैं, जब उनकी दुरुस्ती करने की आवश्यकता पड़ती है, कोई डाउट्स (शंकायें) होते हैं उनको रिमूव (हटाने) करने की जरूरत पड़ जाती है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक मिसाल पहले पेश करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आफ इंडिया जबलपुर ऐंड छत्तीसगढ़ डिवीजन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स वेलिडेशन ऐक्ट जो था उसमें यह बात थी कि हाई कोर्ट आफ इलाहाबाद को अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने अधिकार का इस्तेमाल किया जो कि जुडिशियल कमिश्नर सेंट्रल प्राविंजन को अधिकार था। उसमें मुकदमेबाजी हुई और वह अधिकार वेलिडेट किया गया।

श्री खुशवक्त राय--यह तो अंग्रेजों ने किया।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--उन्हीं की पार्लियामेंट (संसद) को आप मदर आफ पार्लियामेंट (संसदों की जननी) मानते हैं। उन्हीं की एक मिसाल दे रहा हूँ। वह यह है--

"It is hereby declared for the removal of doubts that from August 21, 1923, the Court of the Judicial Commissioner of the Central Provinces alone has had and alone shall have the Jurisdiction of the High Court under the Indian Divorce Act, within the Jubbulpore and Chattisgarh Divisions of the Central Provinces and all proceedings taken in and all jurisdiction exercised by the High Court of judicature at Allahabad during the period from 21st August, 1923 up to the commencement of this Act. ....

As High Court under the Indian Divorce Act, within the Jubbulpore and Chattisgarh Divisions of the Central Provinces shall be deemed as good and valid in law as if such proceedings had been taken in jurisdiction exercised by the Court of the Judicial Commissioner of the Central Provinces."

(संदेह निवारणार्थ यह प्रख्यापित किया जाता है कि २१ अगस्त, सन् १९२३ ई० से मध्य प्रान्त के जुडिशियल कमिश्नर के न्यायालय को ही मध्य प्रान्त के जबलपुर और

छत्तीसगढ़ डिवीजनों के भीतर इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट के अन्तर्गत हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार रहा है और रहेगा और २१ अगस्त, १९२३ से इस ऐक्ट के आरम्भ होने की अवधि तक इलाहाबाद के न्यायाधिकरण के हाई कोर्ट द्वारा प्रयुक्त समस्त क्षेत्राधिकार तथा उसकी समस्त कार्यवाही--

क्योंकि इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट के अन्तर्गत हाई कोर्ट मध्य प्रान्त के जबलपुर और छत्तीसगढ़ डिवीजनों के भीतर विधि के विचार से ऐसा ही अच्छा और वैध समझा जायगा जैसे कि ऐसी कार्यवाहियां मध्य प्रान्त के जुडिशियल कमिश्नर के कोर्ट द्वारा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार में की गयी हों।

मैं बतलाना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज (क्षेत्राधिकार को प्रयोग में लाना) किया वह तो कायदे के हिसाब से नहीं किया, मगर उन्होंने कर दिया। उसके बाद इतनी प्रोसीडिंग्स (कार्यवाहियां) हो गयीं, उनको वैलिडेट (वैध) करने के लिये वह बिल लाये और यह डिक्लेयर (घोषित) कर दिया कि--

"It will be deemed to have the power of the High Court."

(ऐसा समझा जायगा कि इसे हाई कोर्ट की शक्ति प्राप्त है।)

यानी उसमें तत्व नहीं फिक्शन (बनावटी बात) था। उस फिक्शन को वेलिडेट करके ला बना दिया। इसी तरह से मैं इंगलैण्ड की एक मिसाल आपको देता हूँ।

"It is hereby declared that the repeal by section 15 of the Finance Act of 1915 of section 2 of the Finance Act, 1912, which related to the distribution of payments on account of local licence duties in certain cases operates and has always operated so as to extinguish any liability to make payment in pursuance of the said Act, section 2, after the date of the repeal, whether or not the liability existed before the date of repeal."

(इसके द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि १९१५ के फाइनेंस ऐक्ट के सेक्शन १५ के द्वारा १९१२ के फाइनेंस ऐक्ट के सेक्शन २ का निरसन, जिसका सम्बन्ध कुछ मामलों में स्थानीय लाइसेंस ड्यूटियों के कारण से निष्पत्तियों के वितरण से था, प्रवर्तित करता है और सदैव प्रवर्तित करता रहा है जिससे निरसन की तिथि के बाद उक्त ऐक्ट के सेक्शन २ के अनुसार निष्पत्ति करने का दायित्व समाप्त हो जाय, चाहे निरसन तिथि से पूर्व दायित्व रहा हो या न रहा हो।)

यह भी वैसा ही है। तो मैं यह कहता हूँ कि यह कोई कायदे के खिलाफ हो [illegible] बल्कि वह नासमझी की वजह से हुई कोई यह बात नहीं थी कि कायदे को जानबूझ कर तोड़ने की कोशिश की थी। सन् १९ तक सुपरसेशन की मियाद बढ़ गयी तो कायदा चलाने के लिये बढ़ाई गयी तो डाउट्स (शंकाओं) को रिमूव (दूर) करने के लिये यह चीज की गयी।

यह कहा गया कि इस तरह के कानून नहीं होते। मेरे पास लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ऐंड फार्म्स, एलिस रसेल का है। यह ड्राफ्टिंग के तरीके के बारे में बतलाता है। विरोधी दल के नेता ने कहा कि इस तरह की ड्राफ्टिंग कैसी है जिसमें ऐसा लगता है कि इंटरप्रिटेशन (अर्थ) किया जाता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस तरह की बराबर ड्राफ्टिंग होती है।

"For the avoidance of doubt in the construction of..........Act".

(ऐक्ट निर्माण में सन्देह के निणयार्थ)

डाउट को रिमूव करने के लिए बराबर तरीका रखा गया है।

श्री खुशवक्त राय--लेकिन डिक्लेरेशन (घोषणा) कहीं नहीं पाएंगे।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मैंने उसकी दो मिसालें आपको दीं, एक इंग्लैंड की और एक गवर्नमेंट आफ इंडिया की और हमारे यहां उत्तर प्रदेश में भी एक बिल स्वयं इस भवन ने ऐसा पास किया है जिसमें डिक्लेरेशन (घोषणा) है।

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

"For the removal of doubts it is hereby declared that under section 3 of the principal Act no permission of the District Magistrate is or shall be deemed ever to have been necessary for the filing of a suit for eviction against a tenant or persons mentioned in caluses (a) to (f) of the said section."

(सन्देह निवारणार्थ यह प्रख्यापित किया जाता है कि प्रधान ऐक्ट के सेक्शन ३ के अन्तर्गत जिलाधीश को किसी असामी या आदमियों को जिनका उल्लेख उक्त सेक्शन के (ए) से (एफ) तक खन्ड में किया गया है, हटाने के लिए किसी मुकद्दमा को दायर करने की आज्ञा आवश्यक नहीं है या कभी आवश्यक नहीं समझी जायगी ।)

आप गवर्नमेंट होंगे या कोई गवर्नमेंट होगी हमेशा ऐसे मौके आते रहते हैं और डेमोक्रेसी का अर्थ न समझने वाले लोग, डेमोक्रेसी का अर्थ मनमाना लगाने वाले और व्यवहार और परिस्थिति को न समझने वाले लोग डेमोक्रेसी का खाली यह मतलब समझते हैं कि एक दफा यह कोई चीज पास हो गयी तो मशीनरी की तरह से दुनिया भर में चलेगी । उसको दुरुस्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी । डेमोक्रेसी का मतलब यह जरूर होता है कि जनता की राय से काम किया जाय ।

इसीलिए मैं भवन के सामने आया हूं । अगर इस किस्म की कोई गलतियां किसी कानून में रह गयी हों, अगर उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से न हुआ हो, उसके बारे में शक हो जाय तो उसकी सफाई के लिए हम और कहीं नहीं जा सकते सिवा इसके कि हम भवन के सामने आएं। यह तरीका सब देशों में, सब प्रान्तों में और दुनिया भर में जारी है । हजारों मिसालें इंग्लैंड की पार्लियामेंट की मिलेंगी जहां पर वैलिडेशन (वैधीकरण) हुआ है । मैंने पांच-छः मिसालें काउंसिल में सुनाई थीं । (एक आवाज) आर्डिनेंस का यहां सवाल नहीं है । सवाल वैलिडेशन का है । मैं अप्रासंगिक बहस नहीं करना चाहता ।

श्री खानचन्द गौतम--मैंने जो अर्ज किया, माननीय मंत्री.....................

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--अध्यक्ष महोदय, मैं बैठा नहीं हूं ।

श्री राजाराम शास्त्री--आप क्या बतला सकेंगे कि भवन कितने बजे तक बैठेगा ?

माननीय अध्यक्ष--माननीय मंत्री जवाब देने खड़े हो गये । मैंने समझा कि बीच में टोकना जरा गैर मुनासिब है । मुझे उम्मीद है कि जल्द खत्म कर देंगे ।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मैं पांच मिनट में खत्म कर दूंगा ।

तो जहां तक ड्राफ्टिंग का सवाल है, उसका मैंने जवाब दे दिया ; यह ड्राफ्टिंग का तरीका बराबर हर मुल्क में रहा है । लेकिन इस देश में जो जनतंत्र नया शुरू हुआ है, तो जिन को इंतजाम करने का तजुरबा नहीं है, वे लोग समझते हैं कोई अजीब बात हो रही है । छोटी-छोटी चीजों को लेकर कहते हैं कि इंग्लैंड में नहीं है क्योंकि दो-दो, चार-चार किताबें पढ़ने का मौका मिलता है और उसका इस्तेमाल गैर वाजिबी तौर पर करते हैं। तो अगर दिमाग खोलकर देखा जाय तो इंतजाम में ऐसी बातें आती हैं कि जब कोई गलती हो जाती है तो भवन के सामने ही आना पड़ता है और हर जगह की गवर्नमेंट आती है और मैं भी इसीलिये इस भवन के सामने आया हूं । मैंने स्पष्ट कर दिया कि सिद्धान्ततः तो मैं भी सुपरसेशन (अवक्रमण) के सिद्धान्त को पसन्द नहीं करता लेकिन, जब तक वह कानून है और उस पर अमल हो रहा है और उस वक्त तक अगर आवश्यकता पड़ती है और उसका इस्तेमाल होता है तो उसका स्पष्टीकरण करा लेना आवश्यक है और मैं उसे करा लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता भी इस वक्त है क्योंकि जनरल (आम) चुनाव होने वाले हैं । मुझे ऐसा मालूम होता है कि असेम्बली के एलेक्शंस (चुनाव) अक्तूबर या नवम्बर में होंगे और उसके बाद एक आध महीने बाद ही वह हो सकेगा क्योंकि एकदम तो म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव हो सकते नहीं हैं । अब मैं

वक्त की मियाद अगर बढ़ा सकता हूं तो एक साल के लिये और अगर सवा साल के लिये जरूरत पड़ी तो अगर तीन महीने बढ़ाना पड़ा तो इस तीन महीने के लिये हमें अधिकार होना चाहिये। वैसे अनसुपरसीडेड म्युनिसिपैल्टिीज के लिये यह अधिकार मौजूद है लेकिन सुपरसीटेड म्युनिसिपैलिटीज के लिये यह अधिकार मौजूद नहीं है। अगर यह स्पष्टीकरण हम नहीं करते तो कहीं पर अक्तूबर में करना पड़ेगा। कहीं पर जून में करना पड़ेगा यानी जिसकी मियाद जब खत्म होती है तब करना पड़ेगा। यह मुसीबत सामने आती है और इसलिये मैं यह विशेषाधिकार चाहता था। जैसा कानून आजतक अमल में लाया जाता रहा है उसको उसी अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं क्या उसके लिये कार्यवाही रोक रखी जाय। इसके बाद में अगर भवन यह समझता है कि अधिकार न होना चाहिये तो वह भी हो सकता है या सीमित अधिकार करना है तो मैं उसके पक्ष में हूं कि सीमित करके सीमा के अन्दर अधिकार दे दिये जायं। उसके बाद उनको अधिकार होगा।

बुलन्दशहर वगैरः की म्युनिसिपैलिटियों का हवाला दिया गया। जहां तक जांच कराने का सवाल है अगर यह मालूम होता है कि किसी तरह से नाजायज तौर पर किसी शख्स पर कोई लांछन लगाया जाता है और साबित नहीं होता है तो हमारा तरीका यह है कि बेनीफिट आफ डाउट (संदेह लाभ) उसी को दिया जाता है जिसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है। जो सिद्धान्त है उसी पर हमने अमल किया है। इसके अलावा श्री त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि उन्होंने इस सिद्धान्त को नहीं समझा कि जनता को क्यों सजा दी जाय। मैं कह सकता हूं कि इस तरह की भावना से सुपरसेशन नहीं किया जाता है। सुपरसेशन जनता को सजा देने के ख्याल से नहीं किया जाता है। जनता मालिक होती है और मालिक को सजा देने का ख्याल भी नहीं किया जा सकता। यह तो सजा देने के खयाल से कभी हो नहीं सकता बल्कि इसलिये कि जो बराबर की शिकायत होती है कि वहां का इंतिजाम ठीक से हो नहीं सकता और जब यह खयाल किया जाता है कि इसकी वजह से दुरुस्ती नहीं हो सकती और इन्होंने इतना काम खराब कर दिया है कि अगर जनता के चुने हुये प्रतिनिधि आ भी जायं तो वह दुरुस्ती नहीं कर सकते इसलिये थोड़े समय के लिये सुधार करने के लिये सुपरसेशन करने का और ऐडमिनिस्ट्रेटर (शासक) का तरीका अख्तियार कर लिया जाता है। और उसी दृष्टि से, न कि सजा देने की दृष्टि से, यह जांचने की आवश्यकता हुई थी कि जो सुधार एडमिनिस्ट्रेटर करना चाहते हैं वह मुकम्मिल तौर से हुआ या नहीं हुआ। इसी दृष्टि से मियाद बढ़ाने का हुक्म हम देते हैं और इसी तरह से हमने लखनऊ में भी किया। हम चाहते हैं कि जो स्कीमें हैं, जैसे वाटर वर्क्स वगैरह की वह दलबन्दी में न पड़ जायं। दूसरी अड़चन अब यह भी पड़ी हुई है कि जो नया कानून बना हुआ है उसके अनुसार एक साथ ही चुनाव हो सकता है। चुनाव के बारे में फिर बहस करेंगे लेकिन आज सुपरसेशन का प्रश्न सामने है। चुनाव दिसम्बर के बाद होने वाले हैं और अगर सुपरसेशन की मियाद बढ़ाने का अधिकार नहीं मिलता तो इसके माने यह हैं कि कानून की खिलाफवर्जी करना लाजिमी हो जायगा, इसलिये मैं भवन से प्रार्थना करता हूं कि व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसका उपयोग आम जनता के हित में ही होगा, यह नहीं किसी का ध्यान होना चाहिये कि १००,-५० बोर्ड्स सुपरसीड होंगे। मैं तो यह भी करने के लिये तैयार हूं कि जिस वक्त बोर्ड का सुपरसेशन हो उस वक्त आपके सामने और भवन के सामने मैं उसके कारण बताऊं। अगर ऐसा मौका आया तो मैं भवन को कानफिडेंस (भरोसे) में लेने को तैयार हूं, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि जो स्थानिक स्वराज्य की संस्थायें उनके हैं सुपरसीड करने का मौका न आवे। भवन को यह क्लीयर (साफ) हो जाना चाहिये कि जो स्पष्टीकरण है उससे गवर्नमेंट कोई ऐसा अधिकार नहीं चाहती है जो कि उसके पास न हो, जो अधिकार अब तक गवर्नमेंट के हाथ में थे उसी को देने के लिये, जब तक कि नया चुनाव न हो जाय, यह विधेयक प्रस्तुत है। अगर गवर्नमेंट को आप कोई लिमिटेड स्कोप में अधिकार देना चाहते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि सदन इस विधेयक पर विचार करे।

श्री खुशवक्त राय--मैं, माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि अगर किसी बोर्ड का सुपरसेशन पीरियड (अवक्रमण काल) दिसम्बर के पहले खत्म हो जाता है तो उनके लिये एलेक्शन कराना लाजमी हो जाता है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या धारा ३१ ई को पढ़ कर उन्होंने यह कहा है? उसमें लिखा हुआ है कि वह नामिनेशन भी कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष--यह तो आप बहस की तरदीद कर रहे हैं, कोई इत्तिला नहीं चाहते हैं?

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों के (अनुपूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ।)

पक्ष में--३६

अल्फ्रेड धर्मदास, श्री	फतेहसिंह राणा, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री	बादशाह गुप्त, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री	भीमसेन, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री	मंगला प्रसाद, श्री
कृपाशंकर, श्री	मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री
खुशीराम, श्री	यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
गंगाप्रसाद, श्री	राजाराम शास्त्री, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री	राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री	राधामोहन सिंह, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री	रामनन्दन सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री	राममूर्ति, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री	रामशरण, श्री
दयालदास भगत, श्री	रामस्वरूप गुप्त, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री	विश्वनाथ राय, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री	शिवकुमार पाण्डे, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री	शिवदान सिंह, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती	सुदामा प्रसाद, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री	सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री

विपक्ष में--११

ई० एम० फिलिप्स, श्री	चेतराम, श्री
खानचन्द गौतम, श्री	मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री
खुशवक्त राय, श्री	मुहम्मद एवज, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री	रामकुमार शास्त्री, श्री
गोपालनारायण सक्सेना, श्री	श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
	श्रीचन्द सिंघल, श्री

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१७ जनवरी, सन् १९५१ ई०।

पी० एस० यू० पी०--२२५ एल० ए०--१९५१--६६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १८ जनवरी, सन् १९५१ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१४८)

अचल सिंह, श्री
अजितप्रताप सिंह, श्री
अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहम्मद खां, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
असगर अली खां, श्री
अक्षयवर सिंह श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
ईतिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केशव गुप्त, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गजाधरप्रसाद, श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपालनारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जहूर अहमद, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगलकिशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिकाप्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
नारायणदास, श्री
पूर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रयागनारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बलदेवप्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दूबे, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मिजाजीलाल, श्री
मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री
मुहम्मद एवज, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकरलाल, श्री
रामशरण, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लालबहादुर, माननीय श्री
लालबिहारी टण्डन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयकुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकरदत्त शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डे, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द सिंघल, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
साजिद हुसन, श्री
सालिग्राम जयसवाल, श्री
सिंहासन सिंह, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुलतान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सईद अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हसरत मोहानी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

*१--३--[माननीय उद्योग मन्त्री की अनुपस्थिति के कारण तारीख १९ जनवरी, सन् १९५१ ई० के लिये स्थगित किये गये]

विधान सभा के सदस्यों को टेम्पोरेरी राशन कार्डों पर शक्कर

*४--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस भवन के सदस्यों को टेम्पोरेरी राशन कार्डों पर चीनी मिलने का नियम है या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मंत्री)--(अ) भवन के सदस्यों को टेम्पोरेरी राशन कार्ड पर शकर मिलने का नियम है।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आलमगंज मिल एरिया के इंसपेक्टर को यह नियम मालूम है या नहीं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं नहीं जानता कि लखनऊ में कौन सा आलमगंज एरिया है ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--मैं शुद्ध करता हूं वह आलमबाग है।

माननीय श्री चन्द्र भानु गुप्त--आलमबाग के राशन इंस्पेक्टर को यह नियम मालूम होना चाहिये।

मतदाताओं की सूची में परिगणित तथा पिछड़ी जातियां

*५--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मतदाताओं की जो सूची बालिग मताधिकार के आधार पर तैयार की जा रही है उसमें कौन-कौन सी जातियां परिगणित और कौन-कौन सी जातियां पिछड़ी की कोटि में रक्खी गई हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)--उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची जो कान्स्टीटयूशन (शिड्यूल्ड कास्ट्स) आर्डर, १९५० द्वारा घोषित की गई हैं मेज पर रख दी गई है ।

निर्वाचक सूचियों के सम्बन्ध में पिछड़ी जातियों का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि हाउस आफ पीपुल या राज्य की विधान-सभा में उनके लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं किया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९५)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परिगणित जातियों की सूची में से कौन-कौन सी जातियां निकाल दी गई हैं और कौन-कौनसी जातियां उसमें जोड़ दी गई हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--जो नई लिस्ट में ज्यादा लिखी हुई हैं वे ही जोड़ दी गई हैं ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार बताने का कष्ट करे कि जो सूची पहिले थी उस सूची में से कौन-कौन सी जातियां निकाल दी गई हैं और कौन-कौन सी नई जातियां जोड़ दी गई हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—यदि माननीय सदस्य पहली सूची से नई सूची का मिलान कर लें तो उनको मालूम हो जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार प्रश्नकर्ता को पहले की सूची देने की कृपा करेगी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—इस वक्त वह सूची तो यहां नहीं है, लेकिन दफ्तर में जरूर मिल जायगी।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की मतदाताओं की सूची सुधारने के लिये समय कब तक बढ़ाया गया है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—२१ जनवरी तक, मैंने आज अखबारों में देखा है।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या सरकार मेहरबानी करके उस सूची में से जो पहले बनाई गई थी दो एक जातियों के नाम मिसाल के तौर पर ले सकती है, जो निकाल दी गई हैं जिससे जानकारी हो सके ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—जबानी याद नहीं है।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—क्या २१ जनवरी से ज्यादा सूची सुधारने का समय बढ़ाने का सरकार का कोई इरादा है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—फिलहाल तो नहीं है।

राशन में कमी करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का आदेश

*६—श्री खुशवक्त राय—क्या माननीय अन्न मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार का कोई आदेश इस आशय का आया है कि राशन में कोई कमी की जाय ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसा कोई आदेश केन्द्रीय सरकार से नहीं मिला है।

श्री खुशवक्त राय—क्या माननीय मंत्री जी को इस आदेश के बारे में कोई खबर समाचार पत्रों के द्वारा मिली है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक आदेश का संबंध है मैंने उत्तर में बतला दिया है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। हां, यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने सुझाव के रूप में प्रादेशिक सरकार को कुछ बातें इस ओर लिख कर भेजी हैं और प्रादेशिक सरकारों ने उस सुझाव के सम्बन्ध में अपनी-अपनी रायें जो कि उन्होंने अपनी समझ में मुनासिब समझीं केन्द्रीय सरकार के पास भेज दीं।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार का सुझाव क्या था ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन्द्रीय सरकार का सुझाव इस प्रकार से था कि प्रदेशों की सरकारें खाद्य स्थिति को देखकर अपने-अपने प्रदेशों में क्या यह सम्भव समझती हैं कि ९ औंस का राशन कर दें ?

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फिर राशन में कमी करने का उसका कोई इरादा है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार ने जब ६ छटांक राशन रेस्टोर (बहाल) किया था उसी समय यह भी बतला दिया था कि सरकार ६ छटांक राशन टेम्पोरेरिली

(अस्थायी रूप से) बढ़ा रही है और यदि स्थिति फिर ऐसी पैदा हो गयी तो अवश्य खाद्य-स्थिति पर विचार करके सरकार उसे घटा सकती है।

*७—श्री खुशवक्त राय—क्या माननीय अन्न मंत्री जी उस आदेश की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

*८—श्री खुशवक्त राय—क्या माननीय अन्न मन्त्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त आदेश को पालन करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेशीय सरकार का क्या विचार है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले में खाद्य की गंभीर स्थिति

*९—श्री खुशवक्त राय—क्या माननीय अन्न मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में खाद्य-स्थिति बहुत गंभीर हो गई है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—देवरिया जिले की खाद्य-स्थिति कठिन है, किन्तु चिन्ताजनक नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या सरकार को यह मालूम है कि देवरिया जिले के दुद्रपुर थाने में अन्न न मिलने की वजह से ५ आदमियों के मरने की इत्तला, जो यहां आई है, वह सही है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

*१०—श्री खुशवक्त राय—क्या माननीय अन्न मंत्री जी यह बतालने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के दुद्रपुर व लोहटिया ग्राम में एक रुपया में जौ १२ छटांक, मक्का १० छटांक, मटर २ सेर, चना सवा सेर और मोटा चावल एक सेर पांच छटांक का मिल रहा है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार को जो सूचना मिली है उसके अनुसार इस क्षेत्र में गेहूं, चावल, मक्का, जौ, चना और मटर के वर्तमान बाजार भाव प्रति रुपया निम्नांकित है :—

		सेर	छटांक	से	सेर	छटांक	तक
गेहूं	..	१	१०	,,	१	१२	,,
चावल	..	१	४	,,	१	६	,,
मक्का	..	१	१०	,,	१	१२	,,
जौ	..	१	१४	,,	२	०	,,
चना	..	१	१२	,,	१	१४	,,
मटर	..		..		२	०	,,

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिस सूचना के आधार पर यह बाजार-भाव बतलाया गया है वह सूचना सरकार को कब मिली थी?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सूचना सरकार के पास ३ रोज पहले आयी है।

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के संबंध में महामान्य राज्यपाल का धन्यवाद

माननीय अध्यक्ष--महामान्य राज्यपाल के संबोधन के सिलसिले में उनके शुक्रिया का प्रस्ताव इस सदन ने स्वीकृत किया था। वह उन तक पहुंचाया गया और उसके जवाब में उनकी जो चिट्ठी कल मुझे मिली है वह मैं इस सदन के सामने पढ़ कर सुनाता हूं--

"I write to thank you for your letter of the 23rd December, 1950 and to say that I greatly appreciate the resolution passed by the Legislative Assembly on the 21st and which you and some of the members of the Assembly so very kindly conveyed to me personally. I regret not to have sent an earlier acknowledgment."

(मैं आपके २३ दिसम्बर, सन् १९४९ ई० के पत्र के लिए धन्यवाद देता हूं तथा २१ दिसम्बर, सन् १९५० ई० को विधान सभा द्वारा पारित संकल्प की अति सराहना करता हूं जिसको आपने तथा सभा के कतिपय सदस्यों ने स्वयं मेरे पास पहुंचाया है। मुझे खेद है कि इससे पूर्व मैं प्राप्ति स्वीकृति न भेज सका।)

उन्होंने लिखा है कि असेम्बली ने जो शुक्रिया का प्रस्ताव पास किया था और जिसको आपने कुछ माननीय सदस्यों के साथ आकर मुझको दिया था, मैं उसके लिये मशकूर हूं। वह इस बात आ अफसोस जाहिर करते हैं कि इस पत्र को वह पहले नहीं लिख सके।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक --(क्रमागत)

माननीय अध्यक्ष--कल सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों के (अनुपूरक) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पास हो गया था, अब उस पर धारा धारा करके विचार जारी होगा।

धारा २

यू० पी०ऐक्ट २, १९१६ का विस्तार

२--इस पर संदेह प्रकट किया गया है कि यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (जिसे आगे चल कर उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३० के अधीन दी गयी आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि में परिवर्तन, संशोधन या परिवर्द्धन करने का अधिकार राज्य सरकार को है या नहीं;

इसलिए संदेह दूर करने के लिए इसके द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि--

(क) उक्त धारा के अधीन राज्य सरकार को उक्त अवधि में आवश्यकतानुसार परिर्वतन, संशोधन और परिवर्द्धन करने का अधिकार ह और सदैव रहा है और उक्त अधिनियम की धाराओं २९-ए और ३१ में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह राज्य सरकार के उक्त अधिकार को सीमित करती है या घटाती है;

(ख) खंड (क) में उल्लिखित अधिकार के प्रतीयमान प्रयोग (purported exercise) में इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले दी गयी प्रत्येक आज्ञा विधि की दृष्टि से ठीक और वैध है और समझी जायगी:

और धारा ३० के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा और उसके विषय में यह समझा जायगा कि वह सदैव उक्त धारा का अंग था (shall be deemed to have formed part)--

"*Explanation*—The period of supersession specified in the order may, if the State Government so considers expedient, be extended from time to time by notification."

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ३

३--उक्त अधिनियम की धारा ३० के अधीन अवक्रान्त (superseded) बोर्ड के सम्बन्ध में या उसके लिए अब तक किये गये किसी भी कार्य पर जो उक्त अधिनियम की धारा ३१ के खंड (बी) के अधीन बोर्ड के अधिकारों के प्रयोग करने या कर्त्तव्यों के पालन करने के लिये नियुक्त किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों ने अथवा उक्त व्यक्ति या व्यक्तियों या बोर्ड के किसी अधिकारी या राज्य सरकार के निर्देश से कार्य करते हुये किसी व्यक्ति ने किया हो, केवल इस आधार पर आक्षेप नहीं किया जा सकेगा कि धारा ३० से यह अधिकार नहीं दिया गया है कि उसके अधीन दी गयी आज्ञा में उल्लिखित अवधि में परिवर्त्तन, संशोधन या परिवर्द्धन करने का अधिकार है और ऐसे सब कार्य उनके किये जाने के समय से इसके द्वारा वैध किये और प्रख्यापित किये जाते हैं और उनकी पुष्टि की जाती है (are hereby made and declared to be lawful and are confirmed)। कार्यों और कार्यवाहियों का वैधीकरण।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ३ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ४

४--उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (सप्लिमेंटरी) आर्डिनेंस, १९५०, इसके द्वारा रद्द किया जाता है और यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारायें ६ और २४ के निर्देश उसको उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह ऐसा ऐक्ट (अधिनियम) था जो किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट (अधिनियम) द्वारा रद्द किया गया हो। रद्द करना और संरक्षण यू० पी० ऐक्ट १, १९०४

माननीय अध्यक्ष--धारा ४ के संबन्ध में किसी संशोधन की सूचना नहीं है लेकिन श्री खुशवक्त राय ने उस धारा को निकालने का नोटिस दिया है। इसका मतलब यह है कि वह इसकी मुखालिफत करना चाहते हैं। तो वह इसकी मुखालिफत कर सकते हैं। इस सूरत में कोई तरमीम पेश करने की इजाजत तो उनको नहीं दी जा सकेगी।

श्री खुशवक्त राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने ने कहा है मैं संशोधन नहीं पेश करूंगा। मगर यह जो धारा है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। धारा का विरोध करने के पहले मैं आपकी आज्ञा से उस धारा को पढ़ना चाहता हूं--

"The Uttar Pradesh Municipalities (Supplementary) Ordinance, 1950 is hereby repealed and the provisions of sections 6 and 24 of the U. P. General Clauses Act, 1904 shall apply to it as if it had been an Act repealed by an Uttar Pradesh Act."

(उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (सप्लिमेंटरी) आर्डिनेंस, १९५० इसके द्वारा रद्द किया जाता है और यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारायें ६ और २४ के निर्देश उसको उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह ऐसा ऐक्ट (अधिनियम) था जो किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट (अधिनियम) द्वारा रद्द किया गया हो।)

[श्री खुशवक्त राय]

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब एक प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया गया था तो उस सम्बन्ध में मैंने एक धारा का हवाला दिया था और मैंने हवाला देते हुये यह कहा था कि हम यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज आर्डिनेन्स जो है उसके बारे में यह बहस करते हैं कि हम यह समझते हैं कि वह लीगल इनैक्टमन्ट विधि नहीं है। अगर कोई आर्डिनेन्स या कोई ला जो इस भवन से पास किया गया है और वह लीगल इनेक्टमेंट नहीं है तो उसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस विधि की दृष्टि से अस्तित्व नहीं होगी। अगर लीगल एगजिस्टेंस नहीं है तो उसका जिक्र भी किसी धारा में आना मुनासिब नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना की थी और वह प्रार्थना इस प्रकार कि आप के जो नियम हैं उसके नियम ७१ के मातहत मैंने कुछ कागजात चाहे थे उस के लिये मुझ से यह कहा गया था कि मैं कानूनी विभाग की जो राय है वह दफ्तर में जा कर देखूं। मुझे यह कहना है कि यह कौन सा तरीका है। हमें यह अधिकार है कि हम कोई कागज चाहें तो हमें उसकी प्रति मिलना चाहिये और यह मुनासिब नहीं है कि हम से कहा जाय कि हम उसको दफ्तर में जाकर देखें। इसका फल यह हुआ कि मैंने राय को जाकर नहीं देखा। फिर भी मेरी जो राय है वह मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं चूंकि मैं समझता हूं कि बावजूद इस के बारे में काफी बातें कही जा चुकी हैं लेकिन मैं समझता हूं कि वह आर्डिनेन्स लीगल इनैक्टमेंट नहीं थी और मेरा जो विचार है उसे मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। वैसे तो मैं यह दावा नहीं करता हूं कि मैं कोई कान्सटीट्यूशनल पंडित हूं और न मैं यह समझता हूं कि हमारी सरकार के लीगल एडवाइजर से ज्यादा जानकारी मुझको है फिर भी मैं अपने दिल के सन्देह को आप के सामने प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि इस के बारे में काफी चर्चा अखबारों में की गई है कि इसके बारे में आखिरी बात कही जा चुकी है। उस के बाद भी जरूरत इसलिये पड़ी कि आखिरी बात से भी मेरे सन्देह का निराकरण नहीं हुआ। अब मैं आपकी इजाजत से आपका ध्यान उस कांस्टीट्यूशन जिसके मातहत हम काम कर रहे हैं उसके कुछ आर्टिकिल्स की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह हैं आर्टिकिल ७९ और ८५। यह २ आर्टिकिल पार्लियामेंट के सम्बन्ध में हैं और उस प्रकार के जो स्टेट हैं वह हैं १६९ और १७४ और मैं समझता हूं कि जहां तक कि हाउस के प्रोरोगेशन (सत्रावसान) की बात है इन्हीं धाराओं से हमारा सम्बन्ध है। यहां पर यह कहा गया १७४ के बारे में कि १७४ (२) (बी) में जो शब्द प्रोरोगेशन के बारे में हैं वह यह है कि "दि हाउस आर हाउसेज आफ दि लेजिस्लेचर" (विधान मंडल के सदन या सदनों को)। इसके मानी दोनों हाउस या एक हाउस भी हो सकते हैं और वह जहां बाईकैमरल (द्विसदन वाला) लेजिस्लेचर हो वहां के लिये भी हो सकते हैं। मैं आपकी इजाजत से पूरे आर्टिकिल को पढ़ देना चाहता हूं। आप देखेंगे कि १७४ (१) में लिखा हुआ है कि--

"The House or Houses of the Legislature of the State shall be summoned to meet twice at least in every year, and six months shall not intervene between their last sitting in one session and the date appointed for their first sitting in the next session."

(राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों को प्रति वर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये आहूत किया जायेगा तथा उनके एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच छः मास का अन्तर न होगा।)

इसी का जो पार्ट दो है वह इस प्रकार है--

"Subject to the provisions of clause (1), the Governor may from time to time :

(a) summon the House or either House to meet at such time and place as he thinks fit;

(b) prorogue the House or Houses;

(c) dissolve the Legislative Assembly."

[खंड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये राज्यपाल समय-समय पर--

(क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत कर सकेगा;

(ख) सदन या सदनों का सत्रावसान कर सकेगा,

(ग) विधान सभा का विघटन कर सकेगा।]

अब आप देखेंगे कि सब-क्लाज (२) में दिया हुआ है कि "Subject to the provisions of clause (1)" [खंड (१) के उपबन्धों के अधीन]

सब-आर्टिकिल (२) की जो बात होगी वह सब्जेक्ट (अधीन) होगी सब-आर्टिकल (१) के और सब-आर्टिकल (१) में यह साफतौर से दिया हुआ है कि "the House or Houses of the Legislature" (विधान मंडल के सदन या सदनों को)। अब आप देखें कि इसमें जो शब्द हाउस आर हाउसेज़ इस्तेमाल किये गये हैं उनका क्या मतलब है। उसके लिये आपको अनुच्छेद १६८ देखना पड़ेगा। उसमें यह बतलाया गया है कि इसके क्या माने हैं। १६८ में यह लिखा है --

"For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor, and.

(*a*) in the States of Bihar, Bombay, Madras, Punjab, the United Provinces and West Bengal, two Houses ;

(*b*) in other States, one House."

[प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान मंडल होगा जो राज्यपाल तथा --

(क) पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मुम्बई और संयुक्त प्रान्त के राज्यों में, दो सदनों से,

(ख) अन्य राज्य में, एक सदन से,

मिल कर बनेगा ।]

तो वह रेफरेंस जिसके मातहत आर्टिकिल १७४ है उसमें जो "हाउस आर हाउसेज़" शब्द आये हैं तो उसी के रेफ्रेन्स में इस्तेमाल किया गया है कि हाउस वहां पर जहां एक हाउस है और हाउसेज़ वहां पर जहां दो हैं। अब इसके बाद यह कहना कि हाउस आर हाउसेज़ के माने कुछ और हैं यानी जहां पर दो हाउसेज़ हों वहां पर भी एक हाउस और जहां पर एक हाउस हो वहां पर भी दो हाउस, ऐसी बात मेरी समझ में नहीं आयेगी। अब आप इसका मुकाबिला जरा आर्टिकिल ८५ से करें। इसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल साफ दिया हुआ है कि "टु प्रोरोग दि हाउसेज" (सदनों का सत्रावसान करना) यानी वहां पर दोनों ही प्रारोग होंगे। एक स्कीम के मातहत एक कानून बनता है और वह स्कीम हर जगह लागू होती है। ऐसा नहीं है कि जहां दो हाउसेज न हों वहां तो अख्तियार दोनों को साइमलटेनियसली (एक साथ) प्रोरोग करने का हो और जहां दो हो वहां यह पावर (शक्ति) न हो। ऐसी बात तो वही लोग कह सकते हैं जो कि आज भी सोचते हैं कि जो ताकत गवर्नर महोदय को गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ में मिली थी वही पावर आज के दिन कांस्टीट्यूशन में भी मिली है। मैं जानता हूं कि हमारा जो कांस्टीट्यूशन बना है उसमें बहुत सी बातें गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट सन् १९३५ से ली गयी है परन्तु फिर भी जिन बातों में हमारा कांस्टीटयूशन बिलकुल क्लीयर (स्पष्ट) है वही बात लागू होगी, ऐसा मेरा खयाल है और ऐसा ही जो कानून बनाने वाले लोग हैं या उसको इंटरप्रेट (व्याख्या) करने वाले लोग हैं उन्होंने भी यही बतलाया है। लेकिन उस सम्बन्ध में अधिक समय न लेने के कारण इंटरप्रेटेशन के जो कैनन्स (सिद्धान्त) हैं जिनका उदाहरण इस हाउस में दिया गया है और वह ... क बहुत से लोग जो कानून का इंटरप्रेटेशन नहीं जानते हैं वे यह बात नहीं जानते हैं। मैं जानता हूं कि कानून के इंटरप्रेटेशन की बात होती है और उसके बारे में बहुत सी

[श्री खुशवक्त राय]

पुस्तकें हैं परन्तु यह बात नहीं है कि जिन्होंने ऐसी बात कही वही सिर्फ कानून का इंटरप्रेटेशन जानते हैं। दूसरे लोग भी हैं और कानून के इंटरप्रेटेशन में किन कैनन्स का इस्तेमाल होता है वह भी जानते हैं। किसी को यह कहना है कि मैं जो कुछ जानता हूं वही सही है यह डिक्टेटरशिप में हो सकता है, परन्तु डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता है और न कहा जाना चाहिये।

अब आप देखेंगे कि जो परेशानी हुई है वह वर्ड "आइदर" के इस्तेमाल से हुई है। यहां पर यह कहा गया है कि कानूनी मश्विरेकारों की राय यह है। श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं जरा कानूनी राय का हवाला देना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन हुये हमारे इस भवन के बड़े माननीय और वयोवृद्ध सदस्य श्री वेंकटेशनारायण तिवारी ने एक आर्टिकिल शब्द "आइदर" पर लिखा है। उसमें मैं नहीं जानता कि उनको यह राय कहां से मिली। मगर उसमें उन्होंने उन रायों में से जो हमारी सरकार को मिली हैं, एक का हवाला दिया है —

"Further if the construction on Articles 85 (2) (*b*) and 174 (2) (*b*) as put forward by Mr. Tewary of the U. P. Legislative Assembly be accepted, then it will lead to inconvenience and absurdity which could not have been intended. It happens very often that in a bicameral Legislalure while one House is in session and is transacting business the other House has no business and if in every such case both Houses were to continue in session then it would involve unnecessary expenditure, for unless a House is prorogued, the members thereof will be entitled to their daily allowance whether there is any business to be transacted or not and thereby throw on the public treasury unjustified burden and otherwise cause public inconvenience. The construction put by Mr. Tewary can not be accepted as it will result in unjustified or absurd conclusions which were never in the contemplation of the framers of the constitution."

[और यदि अनुच्छेद ८५ (२) (ख) तथा १७४ (२) (ख) की व्याख्या वैसी स्वीकार की जाय, जैसी कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के श्री वे० ना० तिवारी ने प्रस्तुत की है तो असुविधा तथा अनपेक्षित अनर्गलता होगी। ऐसा प्रायः होता है कि द्विसदनात्मक विधान मंडल में जब एक सदन सत्र में हो और कार्य कर रहा हो, किन्तु दूसरे सदन में कोई कार्य न हो और यदि ऐसी प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक सदन सत्र में रहे तो इससे व्यर्थ अपव्यय होगा क्योंकि जब तक किसी सदन का सत्रावसान न हो तब तक उसके सदस्य दैनिक भत्ते के अधिकारी होंगे चाहे उस में कोई कार्य किये जाने के लिये हो अथवा न हो और इस प्रकार सार्वजनिक कोष पर अनुचित भार पड़ेगा और सार्वजनिक असुविधा होगी। श्री वे० ना० तिवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया अर्थ स्वीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अनुचित तथा अनर्गल परिणाम होंगे जिनकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने कभी न की होगी।]

यह अखबार में दिया हुआ है कि जो राय सरकार के पास आई है उनमें से एक यह भी है। अगर ऐसी ही राय पर सरकार काम करती है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एक बच्चा इस से अच्छी राय दे सकता है। जिन साहब ने यह राय दी है उन्होंने ऐडजर्नमेंट (स्थगन) और प्रोरोगेशन (सत्रावसान) के मतलब भी नहीं समझे हैं। एक हाउस की बैठक खतम हो जाती है तो वह एडजर्न हो जाता है फिर उसके बाद अलाउन्सेज का सवाल कहां से पैदा होता है? वह कहते हैं कि एक हाउस खत्म हो गया और दूसरा चल रहा है। यह कैसे हो सकता है कि हम असेम्बली नहीं आते हैं और अलाउन्सेज मिलते हैं। इस राय के लिये मुझे सख्त ताज्जुब है कि इस तरह की बातें आजकल के जमाने में की जाती हैं

जबकि हमारा कांस्टीट्यूशन हमको बहुत से अधिकार देता है, तब भी बहुत सी बातें हमारे सामने कही जाती हैं। मैं मानता हूं कि अंग्रेज़ी भाषा हमारी मादरी जबान नहीं है मगर फिर भी जिनकी मादरी जबान है उन्होंने जो "आइदर" के मानी लगाये हैं उनके बारे में हमें बहुत कुछ कहने का हक जरूर है। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट में भी "आइदर" शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब आप देखें कि "आइदर" शब्द के मानी में कोई खराबी नहीं बल्कि खराबी उन लोगों के दिमाग की है जिन्होंने उसके मानी नहीं समझे। यह शब्द बड़ा सीधा सादा सा उसके दो मानी हुआ करते हैं। एक तो "वन आफ दि टू" (दोनों में से एक) और दूसरा "ईच आफ दि टू" (दोनों में से प्रत्येक) यह हर कोई जानता है कि कानून में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उनके मानी "विद रेफरेंस टू कानटेक्स्ट" (प्रसंग के निर्देश में) लगाये जाते हैं। तो यहां पर भी हमको वैसे ही मानी लगाने चाहियें। अगर हम यह मानी लगाते हैं वन आफ दि टू तो मैं यह कहना चाहता हूं कि १७५ में यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। अगर गवर्नर एक ही हाउस को समन (आहूत) कर सकता है तो मैं पूछता हूं कि दोनों हाउसेज को एक साथ ऐड्रेस कैसे करेगा। यह तो मुमकिन नहीं है कि गवर्नर महोदय एक हाउस को न बुलवायें और दोनों को ऐड्रेस कर दें। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। जो अधिकार कांस्टिट्यूशन के मातहत प्रोरोगेशन का दिया गया है वह १७४(२)(बी) में से है। तो अगर ऐसी बात है तो जैसा मैं कहता हूं और मैं कहता हूं कि मेरा कहना ठीक है, अगर दोनों हाउसेज का प्रोरोगेशन जरूरी था तो एक का गलत हुआ और अगर एक का गलत हो तो आर्डिनेंस निकालना गलत है और ऐसा है तो उसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस (विधि की दृष्टि से अस्तित्व) नहीं है और उसका कोई जिक्र इस धारा में नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं इस धारा ४ की मुखालिफत करता हूं।

श्री कृष्णचन्द्र--माननीय स्पीकर महोदय, इस वक्त जो सदन के सामने प्रस्ताव है वह यह है कि जो विधेयक है उसकी धारा ४ निकाल दी जाय। वह धारा ४ केवल यह है कि जो आर्डिनेन्स गवर्नमेन्ट ने प्रख्यापित किया है उस आर्डिनेन्स को रद्द किया जाता है। मेरे से पहले इस हाउस के जिन माननीय सदस्य ने वक्तव्य दिया उन्होंने इस धारा ४ को निकालने की कोई युक्ति अपने भाषण में नहीं दी।

श्री खुशवक्त राय----आपने सुना नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र--मैंने सुना है। आपने कोई युक्ति नहीं दी सिवाय इसके कि चूंकि आर्डिनेन्स गैरकानूनी या अवैधानिक था, इसलिये उसके अस्तित्व को ही यह भवन स्वीकार नहीं करता है। आपकी युक्ति का एक ही यह सार हो सकता था, और आपने अपने भाषण का ज्यादातर भाग इसी बात पर खर्च किया कि गवर्नर को एक भवन को अवसान करने का अधिकार था या नहीं था। श्रीमान्, इस विषय को लेकर काफी बहस इस सदन में अब से पहले हो चुकी है और जैसा मेरे मित्र श्री खुशवक्तराय ने खुद स्वीकार किया है कि न वह और न मैं इस बात का दावा कर सकते हैं कि विधान के किसी आर्टिकिल का क्या मकसद है। क्या उसकी लीगल सिगनीफिकेंस है, उसकी हम ठीक-ठीक तरह जांच कर सकते हैं। दो रायें इस विवादग्रस्त प्रश्न के सम्बन्ध में इस भवन के सामने और समाचार पत्रों के द्वारा जो लेख लिखे गये हैं उनके द्वारा जनता के सामने आ चुकी हैं। अपनी-अपनी जगह पर दोनों ही तरफ से युक्तियां दी जाती हैं और यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई युक्ति या किसी तरफ की युक्ति निस्सार है। उस दिन श्रीमान्, हमारे माननीय मंत्री ने भी इस सम्बन्ध में इस भवन के सामने काफी चर्चा की थी और उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की थी कि जो कुछ भी गवर्नर ने एक सदन का अवसान करने में किया है वह बिलकुल वैधानिक है, विधान के अनुकुल है। आज श्री खुशवक्त राय जी ने बतलाया कि एक कानूनी सलाह जो गवर्नमेन्ट को दी गयी है उस कानूनी

[श्री कृष्णचन्द्र]

सलाह के अन्दर काफी त्रुटियां हैं, वह त्रुटियां उन्होंने इस सदन के सामने समझायीं। मैं भी खुद उनसे इस बात में सहमत हूं कि वह सलाह अगर गवर्नमेन्ट को दी गयी है और वह जो त्रुटि उन्होंने इसमें बतलायी है उससे जरूर यह दिखाई देता है कि जिन साहब ने अपनी राय दी है उनको इस बात का आभास भी अच्छी तरह से नहीं था कि सदन का ऐडजर्नमेंट और सदन का प्रोरोगेशन यह दो अलग-अलग चीजें हैं और ऐडजर्नमेंट के बाद भी सदन के किसी सदस्य को भत्ता देने का अधिकार नहीं रहता, लेकिन यह मैंने श्री खुशवक्तराय से ही अभी जाना कि वह जो राय अखबार में लिखी हुई है वह गवर्नमेन्ट के सलाहकार ने या किसी कानूनी जानकार ने गवर्नमेन्ट को दी थी। क्योंकि अखबार के लेख में जिसको मैंने भी अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ा, उसके पढ़ने से तो यह प्रमाणित नहीं होता या पता नहीं लगता है कि जो राय अखबार में उद्धृत की गयी है वह गवर्नमेन्ट को गवर्नमेन्ट के किसी सलाहकार ने दी है। अखबार में लिखा गया है कि ऐसी ऐसी रायें हैं। अब जो राय गवर्नमेन्ट को दी गयी या लेखक को खुद मिली इसका कोई भी पता उस लेख के पढ़ने से नहीं लगता।

श्रीमान्, दूसरी बात यह है कि इस सदन का मैं समझता हूं यह कार्यक्षेत्र नहीं है कि कोई चीज जो गवर्नमेन्ट की तरफ से या किसी की तरफ से पेश की जाती है वह विधान के अनुकूल है या प्रतिकूल है। इसके निर्णय करने का अधिकार मैं समझता हूं इस सदन को नहीं है। यह सदन सुप्रीम कोर्ट का जो काम है अदालत का जो काम है उसके करने के लिये योग्य नहीं है और न यह दावा कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को वह इस्तेमाल करें। और मैं श्रीमान् जी, आपकी आज्ञा से इस आदरणीय सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट जो भारत की पार्लियामेंट है उसमें ला-मेम्बर ने खुद यह अपने भाषण में पार्लियामेंट के सामने कहा था कि मैं पार्लियामेन्ट के माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करता हूं कि वह सदन को सुप्रीम कोर्ट में तबदील न करें। यह निर्णय करना सुप्रीम कोर्ट का काम है कि गवर्नमेन्ट की तरफ से जो चीज पेश की गई है वह संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल है। इस सदन का या पार्लियामेन्ट का यह काम नहीं है कि वह अपनी राय इसके ऊपर जाहिर करे। श्रीमान्, इस सदन के अन्दर कोई कानूनी सलाह ऐसे व्यक्ति की तरफ से कि जो उसका विशेषज्ञ है वह भी इस प्रश्न के ऊपर प्रस्तुत नहीं हुई। यदि ऐडवोकेट जनरल हमारे इस सदन के अन्दर उपस्थित रहते और वह कोई राय अपने विशेषज्ञ होने की हैसियत से इस प्रश्न के सम्बन्ध में रखते तो श्रीमान, आप भी शायद उसके ऊपर विचार कर सकते और आप भी अपनी कोई राय उस सम्बन्ध में कायम कर सकते और यह सदन भी इस सम्बन्ध में अपनी राय कायम कर सकता। लेकिन जब इस सदन को यह सुविधा प्राप्त नहीं है कि वह इस विषय के विशेषज्ञों की राय ले सके तो मैं श्रीमान्, आप से प्रार्थना करूंगा, माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि यह सदन इन प्रश्नों के ऊपर निर्णय यहां पर नहीं कर सकता और महज इस दलील और युक्ति के आधार पर कि चूंकि आर्डिनेंस अवैधानिक है और इसलिये उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिये इस धारा को निकाल दिया जाय तो बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा ऐसी सूरत में भी इस सदन को यह प्रस्ताव, जो श्री खुशवक्त राय ने पेश किया है, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिये। यदि इसको यह सदन स्वीकार करता है तो यह सदन अपने आप को एक कोर्ट में तब्दील कर लेता है जो इस बात का अधिकारी है कि वह यह निर्णय दे सके कि यह चीज वैधानिक है या अवैधानिक है। एक आर्डिनेन्स सरकार की तरफ से प्रख्यापित किया गया। आर्डिनेन्स को रद्द करने का प्रस्ताव भी कुछ ही दिनों पहले इस आदरणीय सदन के सामने विरोधी दल की तरफ से ही उपस्थित किया गया था और प्रस्ताव के द्वारा इस बात पर जोर दिया गया था कि यह आदरणीय सदन उस आर्डिनेन्स को रद्द कर दें जब कि धारा ४ के अन्तर्गत यही प्रस्ताव है, इस सदन के सामने कि उस आर्डिनेन्स को रद्द किया जाय तो विरोधी दल उसका विरोध कर रहा है। तो श्रीमान्, बड़े आदर के साथ मैं

पूछना चाहता हूं उन माननीय सदस्य से कि उन्होंने जो बात प्रस्ताव के जरिये से कही थी आज उसी चीज का विरोध कर रहे हैं। तो यह चीज तो स्वयं उचित यु त नहीं है कि आर्डिनेन्स कानूनी है या गैरकानूनी है। इस आदरणीय सदन का प्रत्येक सदस्य और इस आदरणीय सदन के बाहर भी हर एक आदमी को अधिकार है कि वह इसका निर्णय उपयुक्त अदालत से प्राप्त कर ले। अगर वह अवैधानिक है तो इस सदन ने जो पास किया है उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आज हम यह धारा इसमें से निकाल दें तो मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि इसका क्या परिणाम होगा? यह सदन एक विधेयक को पारित कर रहा है और वह विधेयक उस आर्डिनेन्स के स्थान पर है जो गवर्नमेन्ट ने अपनी तरफ से प्रख्यापित किया था। उस विधेयक को तो हम पास कर दें उस विधेयक की और धारायें जो सब्स्टैंशियल (सारभूत) धाराएं हैं उनको तो हम पास कर दें लेकिन जो आखिरी धारा है कि वह आर्डिनेन्स रद्द कर दिया जाय उसको हम न पास करें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्थिति बिलकुल कन्फ्यूज्ड (अस्पष्ट) हो जायगी। यह सदन अपने आ को एक मखौल बना लेगा और यह सदन इस बात का जवाब नहीं दे सकेगा कि सदन ने विधेयक को तो स्वीकार किया उसकी धाराओं को तो स्वीकार किया और उस आर्डिनेन्स को वैसे ही रहने दिया। तो मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह मेरे मित्र श्री खुशवक्त राय के प्रस्ताव को पास करके इस सदन को और अपने आपको मखौल न बना लें।

इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करे।

श्री सिद्धान्त सिंह--माननीय अध्यक्ष, इस भवन के सामने जो मसला उपस्थित है उसने एक कानूनी रूप ले लिया है। इसलिए इस पर मैं भी कुछ अपने छोटे विचार भवन के सामने रखना चाहता हूं। भवन के सामने एक विधेयक है। इस विधेयक के जरिए भवन से मांग की जाती है कि जिस काल में भवन स्थगित था उस समय एक आर्डिनेन्स म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट चालू रखने के लिये बनाया गया। अब उसी आर्डिनेन्स की जगह पर एक विधेयक भवन के सामने लाया गया है जो कांस्टीटूयूशन के अनुच्छेद २१३ के अन्दर होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१३ के अन्दर यह है--

"If at any time, except when the Legis ative Assemmly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require."

(उस समय को छोड़ कर जबकि राज्य की विधान सभा तथा विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।)

यानी जिस प्रान्त में दो भवन हैं, कार्उंसिल भी है और असेम्बली भी हैं उनमें से अगर कोई लेजिस्लेचर सेशन में न हो तो उस वक्त राज्यपाल को अधिकार है कि वह आर्डिनेन्स बनाए। उसके बन जाने के बाद उसकी अवधि सीमित है इसलिये उसी दफा के क्लाज (२) में यह लिखा हुआ है--

"(2) An Ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, but every such Ordinance--

(a) shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses,

[श्री सिंहासन सिंह]

and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the re-assembly of the Legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council, if any, upon the passing of the resolution or, as the case may be, on the resolution being agreed to by the Council, and

(b) may be withdrawn at any time by the Governor."

[(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधान मंडल के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश——

(क) राज्य की विधान सभा के समक्ष तथा जहां राज्य में विधान परिषद् है वहां दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा तथा विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा यदि उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व उसके निरनुमोदन का संकल्प विधान सभा से पारित, और यदि विधान परिषद् है तो उससे स्वीकृत हो जाता है तो यथास्थिति संकल्प पारण होने पर, अथवा परिषद् द्वारा संकल्प स्वीकृत होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा, तथा

(ख) राज्यपाल द्वारा किसी समय भी लौटा लिया जा सकेगा।]

इसके अन्दर भी मालूम हुआ कि जहां दो हाउस हैं तो दोनों के सामने वह आर्डिनेंस आयेगा जो आर्डिनेंस का रूप बदल कर बिल के रूप में लाया जायगा। उसके नीचे यह दिया हुआ है एक्स्प्लेशन में——

Explanation—Where the Houses of the Legislature of a State having a Legislative Council are summoned to reassemble on different dates, the period of six weeks shall be reckoned from the latter of these dates for the purposes of this clause.

(व्याख्या——जब विधान परिषद् वाले राज्य के विधान मंडल के सदन भिन्न भिन्न तारीखों में पुनः समवेत होने के लिए आहूत किये जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनों के लिए छः सप्ताह की कालावधि की गणना उन तारीखों में से पिछली तारीख से की जायगी।)

यानी दोनों हाउस साथ मिल सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नर ने दोनों को दो वक्त में बुलाया है तो जो आखिरी हाउस बुलाया जायगा उसके छः सप्ताह के अन्दर कमेटी रूप से विधेयक पेश होना चाहिए। यानी दोनों हाउसेज को भिन्न-भिन्न मौकों पर बुलाने का अधिकार संविधान में हमको मिला है।

इसके अन्दर प्रोरोगेशन का भी सवाल आता है। सवाल यह है कि दोनों हाउसेज साथ साथ प्रोरोग होने चाहिए या अलग-अलग भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि दोनों हाउसेज को साथ-साथ प्रोरोग होना आवश्यक है। मेरे विचार में यह धारणा सही नहीं है। दोनों हाउसेज साथ-साथ भी प्रोरोग हो सकते हैं और अलग-अलग भी हो सकते हैं। उसके अन्दर हाउस आफ कामन्स का हवाला दिया गया कि वहां प्रोरोग होने के बाद सब चीजें लैप्स (समाप्त) हो जाती हैं। हमारे यहां माननीय अध्यक्ष ने रूलिंग दी है कि प्रोरोग होने के बाद यदि लैप्स होंगे तो सवालात, बिल लैप्स न होंगे और कमेटियां भी चालू रहेंगी।

श्री खुशवक्त राय——कमेटियां चालू रहेंगी इसकी क्या अथारिटी है?

श्री सिंहासन सिंह——हमारे यहां रूलिंग हो चुकी है। उसके बाद भी यह कहना कि कमेटियां चालू नहीं हो सकतीं, यह तो ज्यादती होगी।

अब आपके सामने दफा ३६७ भी है। जनरल क्लाजेज ऐक्ट का रिफरेंस है—

"Unless the context otherwise requires, the General Clauses Act, 1897, shall, subject to any adaptation and modifications that may be made therein under article 372, apply for the interpretation of this Constitution as it applies for the interpretation of an Act of the Legislature of the Dominion of India."

(जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस संविधान के निर्वचन के हेतु साधारण परिभाषा अधिनियम, १८९७, किन्हीं ऐसे अनुकूलनों और रूप-भेदों के साथ जैसे कि अनुच्छेद ३७२ के अधीन उसमें किये जायं, वैसे ही लागू होगा जैसे कि वह भारत-डोमीनियन के विधान मंडल के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू है।)

जेनरल क्लासेज ऐक्ट में लिखा हुआ है उसमें हमने कोई माडीफिकेशन (रूपभेद) नहीं किया है। अब जेनरल क्लाजेज ऐक्ट में हमारे प्रान्त के लिए सेक्शन १३ में है—

"In all U. P. Acts, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(1) words importing the masculine gender shall be taken to include females ; and

(2) words in the singular shall include the plural, and *vice versa*."

[संयुक्त प्रान्त के समस्त अधिनियमों में जब तक विषय अथवा प्रसंग में कोई बात विपरीत न हो—

(१) पुल्लिग के शब्दों में स्त्रियां भी सम्मिलित समझी जायंगी, और

(२) एक वचन के शब्दों में बहुवचन भी सम्मिलित होगा और विलोमतः।]

तो यह जनरल क्लाजेज ऐक्ट हमारे यहां पूर्ण रूप से लागू है। उस पर कोई माडीफिकेशन इस हाउस ने या पार्लियामेंट ने नहीं किया है। दफा ३६७ के अन्दर तो यह चीज जायज है वह हमारे सामने ज्यों का त्यों है। इसके बाद अगर आप जरा देखें तो दफा १७४ और १७५ में प्रामुलगेशन का रिफरेंस (प्रख्यापन का निर्देश) है उसमें भी यही वर्ड्स (शब्द) आते हैं:—

"the House or Houses shall be summoned.

(सदन या सदनों को आहूत किया जायगा।)

अब क्लाज (ए) और (बी) में यह शब्द और है :

"summon the House or either House to meet at such time and place as he thinks fit ;"

(सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिए आहूत कर सकेगा।)

गवर्नर महोदय को यह अधिकार है कि एक हाउस को या दोनों हाउसेज को जब वह चाहें तब बुलायें और इस पीरियड के अन्दर ६ महीने का वक्फा नहीं होना चाहिए। वह एक हाउस को प्रोरोग करें या दोनों को प्रोरोग करें। आगे मुझे वह दफा याद नहीं है जिसमें लेजिस्लेचर्स के बारे में दिया गया है कि चाहे एक भी हो या दो भी हों लेकिन वह एक या दोनों को बुला सकता है। हमारे सूबे में दो हाउसेज हैं जहां जेनरल क्लासेज ऐक्ट दोनों हाउसेज के लिए कवर रहता है उसमें हमारे यहां की भी बात आती है। वे चाहें तो एक को प्रोरोग करें अथवा दोनों को। इसके माने यह नहीं कहे जा सकते कि वह जब प्रोरोग करें तब दोनों को ही प्रोरोग करें और एक को न प्रोरोग करें। अगर यह होता तो इसका रूप और होता। उसमें यह साफ किया गया है तो उसके माने यह

[श्री सिंहासन सिंह]

हुए कि जहां दो हाउसेज हैं नहीं, वहां दोनों को करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वहां हाउस एक है लेकिन जहां दोनों हैं वहां ही यह सवाल उठता है। उसके लिए आप देखेंगे कि--

"prorogue the House or Houses of the Legislature where there are two"

(विधान मंडल के सदन या सदनों का सत्रावसान कर सकेगा जहां दो हैं।)

यहां पर भी है कि गवर्नर महोदय चाहे एक को करें चाहे दोनों को करें। लेकिन जब दोनों को ज्वाइंट सेशन में बुलायेंगे तो उसके विषय में आगे लिखा है:

"The Governor may address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, either House of the Legislature of the State, or both Houses assembled together,

At the commencement of every session, the Governor shall address Legislative Assembly . . ."

(विधान सभा को, अथवा राज्य में विधान परिषद होने की अवस्था में उस राज्य के विधान मंडल के किसी एक सदन को अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल संबोधित कर सकेगा,

प्रत्येक सत्र के आरंभ में राज्यपाल विधान सभा को संबोधन करेगा . . .)

लेकिन सेशन के अन्त में दोनों हाउसेज को बुलायेंगे लेकिन बीच में चाहे एक को करें चाहे दोनों को करें, इस तरह से यह ऐवान हर प्रकार से गवर्नर महोदय को अधिकार देता है कि इस हाउस को तनहा या दोनों को इकट्ठा करके करें लेकिन दोनों को एक बार एक साथ करेंगे या उस हालत में जब कोई भी नयी व्यवस्था हो या गवर्नमेंट कोई नयी बात करने जा रही हो, उसको बतलाने के लिए दोनों हाउसेज के सामने अपनी पालिसी को रखेंगे। अब जो आर्डिनेंस प्रामुलगेशन हुआ वह २३ अक्तूबर सन् १९५० ई० को हुआ और २३ अक्तूबर सन् १९५० को यह असेम्बली बैठी नहीं थी। अब हमारी सरकार को अगर कोई दिक्कतें म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में आयी हैं और उनको ठीक करना है तो उसके करने के लिए दो ही रास्ते थे, या तो हाउसेज को बुलाती या आर्डिनेंस के जरिए से हो सकता था और कोई चारा नहीं था। हाउस को बुलाना जब संभव नहीं था तो सिवाय इसके और क्या था कि आर्डिनेंस बनायें और वह आर्डिनेंस बना। उस आर्डिनेंस के जरिये से जो खामी थी वह पूरी हुई और जब वह खामी पूरी हो गई तो भारतीय संविधान के अन्दर यह आवश्यक है कि उस आर्डिनेंस को कानून का रूप दें। अगर कानून का रूप नहीं देते हैं तो ६ हफ्ते के अन्दर वह खत्म हो जाता है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जिस मसले पर प्रीमियर साहब की बाजे तकरीर हो चुकी है उसमें क्या हमारे सिंहासन सिंह साहब कोई एडीशन (बेसी) कर रहे हैं या सबट्रैक्शन, (कमी) कर रहे हैं। यह जो इतना समय उस पर लिया जा रहा है वह मेरी समझ में नहीं आता क्यों लिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष--जब एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है तो उसके जवाब के लिये जरूर मौका मिलना चाहिये। जब कोई दूसरे माननीय सदस्य उसका जवाब दे रहे हैं तो दे सकते हैं।

श्री सिंहासन सिंह--मुझे बड़ा खेद हुआ कि जब इस हाउस के सामने हमारे माननीय अध्यक्ष की रूलिंग हो चुकी उसके बाद भी यह कानूनी पचड़ा उठाया गया, यह चीज अनुचित है और नियम के विरुद्ध है। अगर उठाने के बाद

फिर यह कहा जाता है कि हमने तो उठा दिया कि अनुचित है लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया जाय तो यह ठीक बात नहीं मालूम होती।

श्री खुशवक्त राय--आन ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन (व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए)। मैंने आपकी रूलिंग के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। कल भी जब बात हुई थी तब भी नहीं कहा था। मैं तो केवल एक बात पूछ रहा था कि कमेटी के बारे में क्या है। यह मैं जानना चाहता था। आपकी जो रूलिंग है वह तो शिरोधार्य है, उस पर कुछ नहीं कहना है।

श्री सिंहासन सिंह--मैं मानता हूँ कि प्रीमियर साहब ने जो वक्तव्य दे दिया है उससे बेशी नहीं कह सकता हूँ, उससे कम ही कहूँगा। लेकिन जब आपको उससे भी सब्र नहीं हुआ, माननीय अध्यक्ष की रूलिंग से भी सब्र नहीं हुआ और बार बार इस प्वाइंट को उठाते हैं तो......

माननीय अध्यक्ष--इस प्रश्न पर मैंने कोई रूलिंग नहीं दी। जो मैंने रूलिंग दी थी उसमें प्रश्न यह था कि सत्रावसान के बाद कमेटियां काम कर सकती हैं या नहीं। उसके मुताल्लिक मेरी जो राय थी वह यह थी कि कर सकती हैं। अब यह कि सत्रावसान दोनों हाउसेज का होना लाजमी है या नहीं, यह प्रश्न न मेरे सामने आया और न इसके ऊपर बहैसियत अध्यक्ष के मैंने कोई निर्णय दिया है।

श्री सिंहासन सिंह--माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि जब प्रधान मंत्री की तकरीर के विरोधीदल भी आपको सांत्वना नहीं हुई और बार बार इस प्रश्न को उठाते हैं तो यह आवश्यक है कि उसका जवाब दिया जाय। अब माननीय प्रधान मंत्री जी इस पर कुछ और कहेंगे इसलिये मैं कुछ नहीं कहता। यह जरूर कहूँगा कि हम विधेयक में यह जरूर ले आवें कि आर्डिनेंस को रिपील (रद्द) करते हैं। अगर उसको निकाल देते हैं तो आर्डिनेंस अपनी मृत्यु मरेगा लेकिन यह होगा कि यह कानून भी चालू रहेगा और वह भी चालू रहेगा। इसलिये यह जरूरी है कि क्लाज ४ इस विधेयक के अन्दर रहे और इसके अन्दर ही आर्डिनेंस को रद्द करें। बस मुझे इतना ही कहना है।

माननीय श्री गोविंद वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)--मुझे अफसोस है कि प्रोरोगेशन के और आर्डिनेंस बनाने का अख्तियार गवर्नमेंट को है या नहीं के मसले को फिर उस क्लाज के सिलसिले में उठाया गया। मैं फिर यह कोशिश करना चाहता हूँ कि इस बारे में जो शुबहात हैं उनको दूर करूँ। उसमें मैं कामयाब हो सकूंगा या नहीं यह मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ।

पहली बात तो यह है कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है, यह तो हर कोई मानेगा कि कहीं पर कांस्टीटच्यूशन में यह लिखा हुआ नहीं है कि अगर एक हाउस बैठा हुआ है या सेशन में है तो आर्डीनेंस नहीं बनेगा। यह चीज तो कहीं पर लिखी हुई नहीं है। लिहाजा यह मानना कि कहीं पर कांस्टीटच्यूशन में नहीं है जिसके वह माने ही इसलिये अगर कोई कहे कि जितना काम करने का अख्तियार है वह नहीं कर सकते हैं तो फिर एक तरह से उनके ऊपर इसका बार आ जाता है मगर मैं अर्ज करूँ कि अगर ऐसी बात कांस्टीटच्यूशन मंजूर करता तो सीधे ढंग से करता और इसके लिये लाजिमी था ऐसा करना। चूंकि पहली बात तो यह है कि सन् १९३५ ई० के ऐक्ट के मुताबिक बराबर एक हाउस को प्रोरोग किया गया। हमारे यहां करीब करीब १२ मर्तबा, मुझे ठीक याद नहीं है लेकिन एक हाउस को प्रोरोग किया गया और दूसरा सेशन में रहा और उसके बाद हम आर्डीनेंस बनाते रहे। अगर कांस्टीटच्यूशन यह कहता कि एक हाउस के प्रोरोग होने पर आर्डीनेंस नहीं बनना चाहिये या हाउस एक प्रोरोग नहीं होना चाहिये। हमारी इस प्रैक्टिस के होते हुये कांस्टीटच्यूशन में और भी

[माननीय श्री गोविन्द बल्लभ पंत]

लाजमी हो जाता कि सीधे ढंग से यह बात कही जाती कि अगर एक हाउस सेशन में है जहां बाई-कैमरल लेजिस्लेचर है तो वहां आर्डिनेंस नहीं बन सकेंगे मगर यह बात नहीं कही गई। इसके बरअक्स दूसरी बात कही गई और वह यह है कि जो पहले सेक्शन ८८ था आज उसकी जगह पर २१३ है। उसमें कहा गया है

"When both Houses of the Legislature are not in session"

(जब विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में न हों)

तब आर्डिनेंस निकाल सकते हैं, मगर अब कांस्टीट्यूशन बनाने वालों ने समझा कि "The Legislature is not in session" (विधान मंडल सत्र में न हो) यह कुछ मुश्किल होता है। इसके माने होते हैं कि यह निकाला जाय। अगर एक सेशन में होता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है। एक हाउस के सेशन में न होने पर भी शायद यह आरगूमेंट (तर्क) किया जाय "Both Houses of Legislature" (विधान मंडल के दोनों सदन) यह बात होनी चाहिये या एक हाउस हो। लिहाजा यह चीज नहीं हो सकती है। इस शुबहा को दूर करने के लिये उन्होंने लेजिस्लेचर की जगह "Both Houses" (दोनों सदन) रखा है ताकि कोई शुबहा न रहे। एक हाउस अगर सेशन में है तो आर्डिनेंस निकाला जा सकता है। इस बात को ठीक तरह से साफ करने के लिये लेजिस्लेचर की जगह में उन्होंने सेक्शन २१३ में "Both Houses of Legislature" (विधान मंडल के दोनों सदन) रखा और यह रखा है कि "Both Houses of Legislature are in session" (जब विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में हों।) तब इसके यह माने हुये कि आर्डिनेंस का निकास हो सकता है। यानी अगर एक हाउस सेशन में है तो आर्डिनेंस निकाला जा सकता है। इसके बारे में कोई शुबहा इसकी लेंगुवेज से नहीं हो सकता है। पहली जो प्रैक्टिस थी उसको देखते हुये यह चेंज (परिवर्तन) की गई कि लेजिस्लेचर की जगह बोथ हाउसेज रखा गया है। इसके बाद कोई शुबहा बाकी नहीं रह सकता है। इसके अलावा और भी साफ कर दिया गया है। आखिर इसके क्या माने होते हैं? जो साहबान यह कहते हैं कि एक हाउस के होने पर यह नहीं हो सकता है। वह तीन बातें अपनी सफाई में कहते हैं। एक तो यह कि दोनों हाउसेज एक साथ प्रोरोग होने चाहिये और एक नहीं हो सकता है। दूसरे यह कि दोनों हाउसेज एक साथ असेम्बल होने चाहिये, अलग-अलग वक्त में दोनों हाउसेज असेम्बिल नहीं हो सकते हैं। दोनों हाउसेज एक साथ समन करने चाहिये, एक हाउस एक वक्त में और दूसरा हाउस दूसरे वक्त में समन नहीं हो सकता, दूसरे यह कि एक हाउस इन सेशन नहीं हो सकता यह मुमकिन नहीं, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह दोनों बातें इस कांस्टिट्यूशन से मालूम होगा कि गलत हैं। इस कांस्टिट्यूशन में दोनों बातें रखी गई हैं। एक तो यह कि एक हाउस सेशन में हो सकता है। एक बात तो इसी से साबित हो सकती है कि जब यह लिखा हुआ है कि आर्डिनेंस बन सकेगा सिवा इसके कि जब दोनों हाउसेज सेशन में न हों तो जाहिर है कि एक हाउस सेशन में हो सकता है और बगैर दूसरे हाउस के सेशन में हुए। वर्ना ला में कोई सुपरफ्लुअस वर्ड (बेकार शब्द) नहीं रखा जाता है, बोथ हाउसेज आफ दी लेजिस्लेचर रखने की जरूरत नहीं थी। "बोथ हाउसेज आव दि लेजिस्लेचर" अल्फाज का इस्तेमाल करना ही इस बात को साबित करता है कि ऐसा मौका हो सकता है जब एक हाउस आफ दि लेजिस्लेचर सेशन में हो। अगर आप इतनी बात को ही मान लें कि एक हाउस आफ दी लेजिस्लेचर सेशन में हो सकता है तब सारी दलील गिर जाती है। मैं अर्ज करता हूँ कि इसमें एक हाउस आफ दी

लेजिस्लेचर सेशन में हो सकता है, यह इससे साफ जाहिर है जब इसमें "व्हेन बोथ हाउसेज आफ दि लेजिस्लेचर आर नाट इन सेशन" ये अल्फाज लिखे गये हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो और साफ कर दिया गया है। आप एक्सप्लेनेशन को देखें और इसका दूसरा हिस्सा देखें जहां पर कहा गया है—

"An Ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, but every such Ordinance—

(a) shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the re-assembly the of Legislature . . ."

[इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधान मंडल के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(क) राज्य की विधान सभा के समक्ष तथा जहां राज्य में विधान परिषद् है वहां दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा तथा विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर. . . .]

दूसरे हिस्से से ताल्लुक नहीं है।

"Where the Houses of the Legislature of a State having a Legislative Council are summoned to reassemble on different dates, the period of six weeks shall be reckoned from the later of those dates for the purposes of this clause."

(जब विधान परिषद् वाले राज्य के विधान मंडल के सदन भिन्न-भिन्न तारीखों में पुनः समवेत होने के लिये आहूत किये जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनों के लिये छः सप्ताह की कालावधि की गणना उन तारीखों में से पिछली तारीख से की जायेगी।)

आप इससे साफ देखेंगे कि इसमें जो अल्फाज लिखे हुए हैं: "Are summoned to reassemble on different dates" (भिन्न भिन्न तारीखों में पुनः समवेत होने के लिये आहूत किए जाते हैं इस एक्सप्लेनेशन के बाद जाहिर है कोई शुबहा किसी को नहीं रह सकता है और इसमें साफ कर दिया गया है कि दो हाउसेज दो डेट्स में असेम्बिल हो सकते हैं और समन हो सकते हैं। "Are summoned to reassemble on different dates" (भिन्न भिन्न तारीखों में पुनः समवेत होने के लिये आहूत किये जाते हैं।) इसके मानी यही हैं कि एक हाउस एक वक्त में समन हो सकता है और दूसरा हाउस दूसरे वक्त में समन हो सकता है नहीं तो दूसरे मानी नहीं निकल सकते हैं। लिहाजा यह साबित हो गया कि कंटेम्प्लेट करता है कि दो हाउसेज दो टाइम्स में समन किये जाते हैं (टु असेम्बिल)। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। जब एक हाउस अलग समन हो सकता है और दूसरा हाउस अलग समन हो सकता है तो जाहिर है कि यह दलील कि दोनों हाउसेज साथ ही समन हों, नहीं ठहरती, वह गिर जाती है। उसके बाद यह भी मतालबा था कि दोनों हाउसेज साथ ही प्रोरोग होंगे कि दोनों में ताल्लुक नहीं था, अगर एक हाउस अलग समन हो सकता है बगैर दूसरे हाउस के सेशन में हुए। इसलिये आप आर्टिकल २१३ को देखें तो आपकी जितनी दलील है वह गिर जाती है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐसा मौका हो सकता है वह कंटेम्प्लेट करता है कि ऐसा होगा जबकि दो हाउसेज दो टाइम्स में असेम्बिल होंगे और जब दो हाउसेज दो टाइम्स में असेम्बिल होंगे तो जो वक्त एक

[माननीय श्री गोविंद बल्लभ पन्त]

हाउस के असेम्बिल करने और दूसरे हाउस के फिर असेम्बिल करने के बीच में होगा उसमें जाहिर है कि एक हाउस सेशन में होगा और दूसरा नहीं होगा। लिहाजा यह कंटम्प्लेट करता है कि एक हाउस सेशन में होगा। दूसरी बात जो इससे कंटेम्प्लेट (प्रतीत) होती है वह यह है कि ऐसी हालत में जब दोनों हाउसेज सेशन में न हों, आर्डिनेंस निकाला जा सकता है, लिहाजा लाजिमी नतीजा है कि जब एक हाउस सेशन में हो तो आर्डिनेंस निकल सकता है, लाजिमी नतीजा है कि एक हाउस समन हो सकता है, लाजिमी नतीजा है कि जब एक हाउस समन हो सकता है तो एक हाउस प्रोरोग हो सकता है। लिहाजा अनुच्छेद २१३ बाई इटसेल्फ (स्वयं) एक कन्क्लूजिव (अकाट्य) चीज है। मैंने पहिले भी कहा है और आज भी कहना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप इसको भी सुन लें और मद्देनजर रक्खें इसके बारे में कांस्टीटुएंट असेम्बली में डिस्कशन हुआ है और उसमें कमठ साहब की तरफ से यह कहा गया है कि जहां "बोथ दि हाउसेज आफ लेजिस्लेचर" रखा हुआ है उसके बजाय "टू हाउसेज और वन हाउस" रख दिया जाय और इसके बारे में कमठ साहब की यह दलील थी--

"If we turn to article 69 of the Constitution and read sub-clause (2) thereof we find that the President may, from time to time summon the Houses or either House of Parliament."

(यदि हम संविधान के अनुच्छेद ६९ की ओर दृष्टि डालें और उसके उपखंड (२) को पढ़ें तो हमें यह मिलेगा कि राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के सदनों को या किसी सदन को आहूत कर सकता है।)

और यह उनका अनुच्छेद १७५ का रिफरेंस है--

"So it is not unlikely that at a particular time both Houses may not be in session but only one House may be in session."

(अतः यह असंभव नहीं है कि किसी समय विशेष पर दोनों सदन सत्र में न हों किन्तु केवल एक ही सदन सत्र में हो।)

मैं अर्ज करूंगा कि जो क्रिटिक (आलोचक) था और जो कांस्टीट्यूशन के खिलाफ दलील उठा रहा था वह खुद कहता है कि उसके जो अल्फाज हैं उसके मुताबिक और इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी (मतभेद) नहीं है, आर्टिकिल १७५ के क्या मानी हैं। उसके बारे में वह कहता है:

"It is not unlikely that at a particular time both Houses may not be in session but only one Houses may be in session."

(यह असंभव नहीं है कि किसी समय विशेष पर दोनों सदन सत्र में न हों वरन् केवल एक ही सदन सत्र में हो।)

और इसके बाद आप कहते हैं कि उससे कम से कम एक कन्क्लूजिव बात यह निकलती है कि एक हाउस सेशन में हो सकता है:

"The whole thing tumbles down.

I would restrict the power of the President only to such cases when no House will be in session. According to this Article, the President is empowered to promulgate Ordinances when both Houses are not in session. As I have already stated referring to Article 69, an occasion may arise when one House will be in session.

Therefore to make this clear we will have to say except when both Houses or one of the Houses of Parliament are in session."

(पूरी चीज ढह जाती है।

मैं राष्ट्रपति का अधिकार केवल उन्हीं दशाओं पर सीमित करना चाहता हूं जब कोई भी सदन सत्र में न हो। इस अनुच्छेद के अनुसार जब दोनों सदन सत्र में न हों

राष्ट्रपति को आध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि मैंने अनुच्छेद ६९ का संदर्भ देते हुए कहा है ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब केवल एक ही सदन सत्र में हो।

अतःइसको स्पष्ट करने के लिये हमें यह कहना होगा कि उस समय को छोड़ कर जब संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में हों।)

अब यह मान लिया गया है कि 'वन हाउस में बी इन सेशन'। (एक सदन सत्र में हो सकता है) आगे चल कर उनका प्रोपोजल (प्रस्थापना) क्या है वे कहते हैं—

"Both Houses or one of the Houses of Parliament."

(संसद के दोनों सदन या सदनों में से एक।)

यह उनका अमेंडमेंट है, उन्होंने कहा कि इस कांस्टीट्यूशन के मुताबिक एक हाउस सेशन में हो सकता है, यह आर्टिकिल कहता है, इसलिये, सिर्फ उस हालत के जबकि दोनों हाउसेज सेशन में न हों, आर्डिनेंस बन सकता है इसलिये इससे यह इजाजत दी गई है और यह मुमकिन है कि अगर एक हाउस सेशन में हो तो आर्डिनेंस बन सकता है। इस मुसीबत से मुल्क को बचाने के लिये एक हाउस सेशन में हो सकता है और आर्डिनेंस बन सकता है उन्होंने यह कहा कि "बोथ हाउसेज" के बजाय "टू हाउसेज और वन हाउस आफ पार्लियामेंट" रख दिया जाय जिससे एक हाउस सेशन में हो तब भी आर्डिनेंस न बन सके। डाक्टर अम्बेदकर ने इस अमेंडमेंट को अपोज किया और कहा कि नहीं हो सकता है। हमारा इरादा है कि एक हाउस जब सेशन में हो तब आर्डिनेंस बन सके। वह एक कतई चीज है जिसके ऊपर आर्गूमेंट की कोई गुंजायश नहीं हो सकती। कांस्टीट्यूशन बनाने वाले क्या समझते थे, और लेजिस्लेचर्स ने इस मामले में अपना क्या फैसला दिया ? पार्लियामेंट और कांस्टीटुयेंट असेम्बली ने क्या फैसला दिया ? कमठ साहब के इस प्रपोजल और इस दलील पर डाक्टर अम्बेदकर ने जो जवाब दिया वह यह था :

"The amendment suggested by my friend seems to me rather purposeless. Suppose one House is in session and the other is not."

(मेरे मित्र द्वारा प्रस्तावित संशोधन मुझे निरर्थक प्रतीत होता है। मान लो कि एक सदन सत्र में है और दूसरा नहीं है.....................)

यहां आप देखेंगे कि डाक्टर अम्बेदकर मानते हैं कि एक हाउस सेशन में होगा और वह इसके फाइनल अथारिटी हैं so far as this constitution is concerned (जहां तक इस संविधान का संबंध है।) फिर इसके बाद आप कहते हैं:

"If a situation as I have suggested arises, then the provisions of Article 102 (now 213) are necessary because according to this Constitution no law can be passed by a single House. Both Houses must participate in the Legislation. Therefore, the persence of one House really does not save the situation at all."

(यदि ऐसी स्थिति जैसी कि मैंने सम्मति दी है उत्पन्न होती है तो अनुच्छेद १०२ (अब २१३) के उपबंध आवश्यक हैं, क्योंकि इस संविधान के अनुसार कोई भी विधि एक सदन द्वारा पारित नहीं की जा सकती। विधान निर्माण में दोनों सदनों का भाग लेना आवश्यक है। अतः एक सदन की उपस्थिति से वस्तुतः स्थिति बिलकुल नहीं संभलती।)

उन्होंने कहा कि इसमें तीन बातें हैं। एक तो यह कि एक हाउस सेशन में हो सकता है, दूसरी बात यह कही कि हमने इसमें जो यह रखा है कि जब दोनों हाउसेज सेशन में न हों सिर्फ तभी आर्डिनेंस नहीं बन सकेगा। वह इसलिये कहा कि अगर एक हाउस सेशन में है तो तभी कानून नहीं बन सकता, क्योंकि कानून तभी बन सकता है कि जबकि दोनों

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

हाउसेज की मंजूरी हो। इसलिये अगर आर्डिनेंस का बनाना जरूरी हो और एक हाउस सेशन में हो और उस वक्त हम यह कहें कि आर्डिनेंस नहीं बन सकता तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि ऐसे मौकों पर कानून नहीं बन सकते। ला का मेकेनिज्म (विधि रचना का ढंग) यही है कि जब दोनों हाउसेज सेशन में हों तभी कानून बन सकता है। लिहाजा यह गलत बात होगी अगर कोई यह कहे कि एक हाउस सेशन में हो तो आर्डिनेंस नहीं बन सकता। क्योंकि एक हाउस सेशन में होगा तो ला नहीं बन सकेगा। ला तभी बन सकता है जबकि दोनों हाउसेज सेशन में हों। इसलिये उन्होंने कहा था कि हमने जानबूझ कर यह बात रखी है कि एक हाउस के सेशन में होने पर आर्डिनेंस निकल सकता है। जैसा कि कमठ साहब ने कहा था उसके जवाब में इस बात को साफ कर दिया गया है कि जब एक हाउस के सेशन में होने पर कानून नहीं बन सकता और जरूरत होने पर उस वक्त आर्डिनेंस न निकले तो फिर कैसे काम चलेगा और इसलिये उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि एक हाउस के सेशन में होने पर आर्डिनेंस निकल सकता है। फिर कमठ साहब ने कहा कि इसके माने यह हैं कि अगर एक हाउस सेशन में हो तो आर्डिनेंस निकले? तो उन्होंने कहा कि जरूर। साफ क्वेश्चन पुट किया (प्रश्न पूछा) गया और इसका साफ जवाब दिया गया:

'Sri Kamath : Does it mean that when one House only is in session, say the House of People, the President will have this power, that is of issuing Ordinances?

Yes; the power can be exercised because the frame work of passing law in the ordinary course does not exist."

(श्री कमठ—क्या इसका अर्थ यह है कि जब केवल एक सदन, उदाहरणत: लोक सभा सत्र में हो, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार अर्थात् अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी?

हां, इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि साधारणत: विधि पारित करने का ढांचा विद्यमान नहीं है।)

तो उन्होंने जवाब में कहा—एस (हां), अब इसके बाद किसी का यह कहना कि जब एक हाउस सेशन में हो तो आर्डिनेंस नहीं निकल सकता है, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यह पार्लियामेंट की राय के खिलाफ, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसके खिलाफ, कांस्टीट्युएंट असेम्बली ने जो अपनी राय का इजहार किया उसके खिलाफ और जो अथारिटी आफ दि ला था, उसने जो बयान दिया उसके खिलाफ होगा। प्वाइंटेडली क्वेश्चन (लक्ष्य करके प्रश्न) पूछा गया कि जब एक हाउस सेशन में होगा तो आर्डिनेंस निकल सकता है कि नहीं तो उन्होंने जवाब दिया कि निकल सकता है। फिर उसके बाद इधर उधर के अल्फाज लेकर खाली आर्गूमेंट बनाना एक बेकार सी चीज है और ऐसी दलील की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी जरा भी इस मामले को गौर करके देखे तो उसकी दूसरी राय नहीं हो सकती है। यह मैंने आपके सामने रखा है और फिर आगे क्या हुआ। पार्लियामेंट ने कमठ साहब के अमेंडमेंट को रिजेक्ट (अस्वीकृत) कर दिया।

इस बात को पार्लियामेंट ने प्वाइंटेडली एक्सेप्ट (विशेषरूप से स्वीकृत) किया और अमेंडमेंट को रिजेक्ट (अस्वीकृत) किया। इस बात को साफ कर दिया गया कि एक हाउस के सेशन में होने पर भी आर्डिनेंस निकल सकता है। इस बात के लिये उन्होंने हिदायत की और यह कानून बनाया। फिर उसके बाद क्या गुंजायश शुबहा की रह सकती है। लिहाजा मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इसमें यह बात साफतौर पर लिखी है और मेरे खयाल में कोई अब शुबहे की बात नहीं है। अब आप इससे आगे चलें। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस वक्त इसमें यह हो गया कि एक हाउस का सेशन एक वक्त में हो सकता है तो सारा मामला

हल हो गया। अब इसके बाद जितनी बातें हैं वह रहती नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन कोटेशन्स (उद्धरणों) को पूरी तरह से देख लें और अम्बेदकर साहब के जवाब को देखें और इसकी लैंगवेज को देखें। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप बहुत ह्यूमिलिटी के साथ इसको देखें, तब कोई गुंजायश किसी शुबहा की नहीं रहेगी। इसके बाद आप दफा १७४ पर आइए उसमें लिखा है कि——

"Summon the House or either House to meet at such time and place as he thinks fit."

(सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत कर सकेगा।)

इससे आप देखेंगे कि एक जगह मैंने आपको बताया १७३ में कि दोनों हाउसेज़ एक वक्त में समन (आहूत) हो सकते हैं। सेशन तब हो सकते हैं जब किसी हाउस को प्रोरोग किया गया हो। तब दोनों हाउस मुख्तलिफ वक्त में समन हो सकते हैं। लिहाजा दोनों हाउसेज के लिये कहीं पर यह लिखा नहीं है कि एक हाउस समन नहीं होगा यह शब्द कहीं पर नहीं है क्योंकि कांस्टीट्यूशन में यह बात नहीं है। मैंने आपको अम्बेदकर साहब और कामठ की बात कही और आप उसका नतीजा निकाल सकते हैं कि वह इस बात पर ऐग्रीड (सहमत) थे कि एक हाउस सेशन में हो सकता है और वह तभी हो सकता है कि जब एक हाउस को समन किया जाय। जब एक हाउस को प्रोरोग किया गया और दूसरे को नहीं किया गया तो कोई शुबहा नहीं रहता है कि जब एक हाउस का सेशन हो सकता है तो तब आर्डिनेंस निकल सकता है। लिहाजा कोई इस बात का शुबहा होने की गुन्जाइश नहीं है। मगर यहां पर जो वर्ड्स (शब्द) हैं।

"Summon the House or either House to meet at such time and place as he thinks fit."

(सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत कर सकेगा।)

यहां पर कुछ 'either' का जिकर किया गया। मैं मानता हूं कि 'either' के माने होते हैं each of the two (दोनों में से प्रत्येक) या one of the two (दोनों में से एक) होते हैं। यह बात हर एक को माननी पड़ेगी कि अगर एक बात मान ली गई तो यहां पर हर तरह से 'either' के मायने 'one of the two' या both (दोनों) तरह के माने लगते हैं और दोनों मायने यहां पर हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलता है one House can be summoned (एक सदन आहूत किया जा सकता है) यानी एक हाउस को समन किया जा सकता है या दोनों हाउसेज को समन किया जा सकता है। जब आप यह मान लेते हैं कि one of the houses or both the houses (सदनों में से एक अथवा दोनों सदन) को समन किया जा सकता है तो फिर क्या बात रहती है। मैं यह बात नहीं कहता कि गवर्नर साहब को यह अख्तियार नहीं है कि अगर वह करना चाहें तो समन नहीं कर सकते हैं। वह बराबर ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कहीं पर नहीं है कि एक को समन करने की मुमानियत है और दूसरे को समन करने की मुमानियत नहीं है। लेकिन जिन साहब ने 'either' का जिकर किया है उसके दोनों माने वह मानते हैं *'one or both'* *(एक अथवा दोनों) माने हैं। अगर उनकी बात मान ली* जाय कि 'one house' (एक सदन) समन हो सकता है तो फिर उनकी बात का जो नतीजा निकल सकता है उससे तो कोई अड़चन रास्ते में नहीं रहती है और इससे कोई दिक्कत पैदा भी नहीं होती क्योंकि 'either' के माने 'one of the two' (दोनों में से एक) भी होते हैं इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता।

[माननीय श्री गोविन्द बल्लभ पन्त]

अब आप इस बात को भी देखें कि ला का एक यह उसूल होता है कि उन वर्ड्स के जो नेचुरल तरीके पर मायनें होते हैं उसी तरह से उसका इन्टरप्रिटेशन (निर्वचन) होना चाहिये, either' की जो परिभाषा की गई है उसको देखना चाहिये। उसके मायने, one or both (एक या दोनों) को मानना चाहिये तो तब one house can be sommoned (एक सदन आहूत किया जा सकता है)।

जब आप इस बात को मान लेते हैं तो फिर कौन सी गुंजाइश किसी आर्गूमेंट या कन्ट्रोवर्सी (मतभेद) की रहती है। लिहाजा इसमें किसी किस्म की दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी आप आगे १७५ को देखें। उसमें है कि--

"The Governor may address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, either House of the Legislature of the State, or btoh Houses assembled together...... ... ."

[विधान सभा को, अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की अवस्था में उस राज्य के विधान मंडल के किसी एक सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधित कर सकेगा . . .]

तो 'आइदर' को "बोथ" से अलग किया गया है और जहां पर "बोथ" की जरूरत समझी वहां "आइदर" नहीं रखा है। वरना यहां पर भी "आइदर" कह देते लेकिन यहां पर इसीलिये उन्होंने कहा है कि "आइदर आर बोथ दि हाउसेज" यानी जहां पर उन्होंने "बोथ" के माने लिये हैं वहां उन्होंने "बोथ" ही इन्ट्रोड्यूस किया है। लिहाजा और नेक्स्ट (अगला) सेक्शन है वहां भी "आर या वन" नहीं आता लिहाजा मैं कहूंगा कि यह तो इसी बात को जाहिर करता है कि जो मैंने आपसे अभी अर्ज किया था। आगे आप देखें--

"The Governor may address the Legislative Assembly or either House of the Legislature of the State or both Houses."

(विधान सभा को अथवा राज्य के विधान मंडल के किसी एक सदन को अथवा दोनों सदनों को राज्यपाल सम्बोधित कर सकेगा।)

यह भी जैसा कि मैंने आप से पहले कहा उसी से मिलता है कि किसी हाउस को भी समन (आहूत) कर सकता है। आगे है--

"Prorogue the House of the Legislature where there is one chamber or prorogue both Houses where the Legislature is of a bicameral character."

(सदन का, जब विधान मंडल केवल एक सदन का हो अथवा एक साथ दोनों सदनों का, जब विधान मंडल दो सदनों का हो, सत्रावसान कर सकता है।)

यह कहीं पर भी नहीं लिखा है कि--The Governor cannot prorogue one House only. Prorogue the House in case the Legislature consist of only one House or both Houses simultaneously in case the Legislature consists of two Houses."

(राज्यपाल केवल एक सदन का सत्रावसान नहीं कर सकता। विधान मंडल के एक सदन का सत्रावसान कर सकता है जहां एक सदन हो अथवा जहां विधान मंडल द्विसदनात्मक हो, दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है।)

इसमें जो साहबान आरगू करते हैं वह उन बातों को लेते हैं जो कि इस ला में नहीं हैं। prorogue the House or Houses. (सदन अथवा सदनों का सत्रावसान कर सकता है ?)

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी लाईयर इस बात को मानेगा कि इन अल्फाज को कभी भी किसी तरह से इन्टरप्रेट करने का हक किसी को नहीं है। इसके अल्फाज के मुताबिक ही हमें काम करना है। यह बात बिल्कुल साफ है कि एक हाउस प्रोरोग हो सकता है और इस चीज में कोई किसी तरह की रुकावट नहीं है। आप इसके अलावा २१३ या दूसरे सेक्शन्स को देखें तो उन से भी यही नतीजा निकलता है। आप १७५ को देखें उसमें भी यही है कि--

"The Governor may send messages to the House or Houses of the Legislature of the State."

(राज्यपाल राज्य के विधान मंडल के सदन अथवा सदनों को संदेश भेज सकेगा।)

यानी हर जगह पर गवर्नर को अख्तियार है कि वह एक हाउस के सिलसिले में या दोनों हाउसेज के सिलसिले में काम करे। कहीं भी यह नहीं है कि बाईकेमरल में दोनों हाउसेज को एक साथ करे। सिर्फ एक जगह कन्डीशन (शर्त) रखी है कि जब कभी नया सेशन और बिजिनेस लाना हो तो गवर्नर दोनों हाउसेज को ज्वाइंटली एड्रेस (संयुक्त बैठक को सम्बोधित) करे और असेम्बली के सामने कोई नया काम वह लावे उस वक्त दोनों हाउसेज को वह एड्रेस कर सकता है लेकिन और मौकों पर गवर्नर को यह अख्तियार है कि वह चाहे तो एक को ही समन करे और दूसरे को न करे और मैं समझता हूं कि इसमें अब किसी तरह के शुभे की गुन्जाइश नहीं है। मैंने आप से अर्ज किया था कि इसमें दो-तीन बातें आती हैं। एक तो यह कि जो साहबान कहते हैं कि एक हाउस सेशन में नहीं हो सकता उन के आरगूमेंट ही से यह बात साबित होती है कि एक हाउससेशन में हो सकता है। दूसरे इससे यह बात भी साफ है। दूसरी दलील उनकी सिर्फ एक हो सकती है और वह यह है कि दोनों हाउसेज हमेशा साथ ही समन होने चाहिये, वह गिर जाती है जब आप इस बात को मान लें कि एक समन हो सकता है जैसा कि इसमें लिखा है और २१३ में भी है।

तीसरी बात आती है कि प्रोरोग साथ ही हों। मैं आपसे कहता हूं कि इसमें एक सेक्शन है १७५, जिसमें लिखा है कि एक मौके पर जबकि नया सेशन शुरू होता हो तब दोनों हाउसेज को बुलाकर गवर्नर एड्रेस करेगा, किसी नयी बिजनेस को एनाउन्स (घोषित) करने के लिये, मगर कहीं पर यह नहीं है कि गवर्नर दोनों हाउसेज को एक साथ प्रोरोग करेगा। किसी मौके पर, किसी चीज के लिये ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा कि पहले एक हाउस हमेशा प्रोरोग होता आया है। इसमें एक प्राविजन ऐसा है कि दोनों हाउसेज को समन करे किसी खास मौके पर। मगर एक जगह भी यह नहीं कहा गया है कि दोनों हाउसेज को एक साथ प्रोरोग किया जायगा। जो मैंने आपको पढ़ कर सुनाया उससे भी यह बात कहीं नहीं निकलती है। आखिर मर्तबा जब मैंने इस सिलसिले में कुछ अर्ज किया था तब यह बतलाया था कि इंगलैंड का रवैया बिलकुल दूसरा है और वह यह है कि वहां जब प्रोरोगेशन होता है तो या तो किंग आता है या उसका कमीशन आता है। दोनों हाउसेज एक साथ जमा होते हैं। कांस्टीट्यूशन में कहीं ऐसा नहीं है सिवाय इस बात के कि कोई नयी बिजनेस को स्टार्ट (आरम्भ) करने के लिये दोनों हाउसेज को इकट्ठा करके गवर्नर एड्रेस करे तभी दो हाउसेज एक साथ असेम्बिल (समवेत) हो सकते हैं। लिहाजा प्रोरोगेशन के लिये इंगलैन्ड में जो कुछ है उसके खिलाफ हमारा कांस्टीट्यूशन है। लिहाजा इंगलैन्ड की मिसाल तो किसी तरह यहां चलती नहीं है।

[माननीय श्री गोविन्दवल्लभ पन्त]

दूसरी बात यह है कि इंगलैंड में जब प्रोरोगेशन होता है तो दोनों हाउसेज एक साथ होते हैं, किंग का कमीशन होता है, जितने बिल पास होते हैं वहीं पर उनको एसेंट (अनुमति) दी जाती है और सब काम खत्म किया जाता है। इसलिये वहां बिल खत्म हो जाते हैं। हमारे यहां कानून में ऐसा रखा गया है कि अगर हम ऐसा रूल भी बनाना चाहें कि प्रोरोगेशन होने पर बिल खत्म हो जायें तो नहीं बना सकते। कांस्टीट्यूशन में यह बात प्रोवाइडेड ही नहीं है। ऐसा रूल हम नहीं बना सकते कि जो बात इंगलैंड में प्रोरोगेशन के बारे में है वह यहां भी लागू हो। मैं आपसे कहता हूं कि जितने तरीके पर आप देखें कोई आदमी एक परसेंट भी शुबहा एक हाउस का सेशन होने में आर्डिनेंस निकाले जाने में या एक हाउस के समन होने में या एक हाउस प्रोरोग करने में नहीं कर सकता। लिहाजा यह बातें बहुत साफ हैं और इसके लिये कोई दिक्कत किसी के मन में नहीं होनी चाहिये। और मैंने पहले अर्ज किया कि यही हमारे ला डिपार्टमेंट और ला एडवाइजर की एडवाइस (मंत्रणा) है, ऐडवोकेट जनरल की ऐडवाइस है, गवर्नमेंट आफ इंडिया के ला डिपार्टमेंट की एडवाइस है और ला मेम्बर की भी एडवाइस है कि एक हाउस होते हुये आर्डिनेंस बन सकता है। मैं समझता हूं कि ये जो ला एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातों की कद्र करना हमारा फर्ज हो जाता है। इसके अलावा जहां तक मैं खुद देख-भाल कर सका हूं और जो थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं उनसे मुझे कोई शुबहा नहीं है कि यह बात हो सकती है।

यहां पर यह भी उठाया गया कि प्रोरोग हो जाने पर कोई कमेटी काम ही नहीं कर सकती और उसके बारे में जनाब स्पीकर साहब ने रूलिंग भी दे दी, इसलिये उसके बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मगर एक बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि हाउस आफ कामन्स में जो कुछ होता है वे सब चीजें उनके स्टैंडिंग आर्डर्स (स्थायी आदेशों) में हैं। उनके यहां यह है कि जिस वक्त प्रोरोग हो जायगा उस वक्त कमेटियां खत्म हो जायंगी। जो क्वैश्चन्स होंगे वह इस तरीके पर होंगे और जो बिल होंगे वह इस तरीके पर होंगे और वह रिपील हो जायगा। वह नतीजा है हाउस के स्टैंडिंग आर्डर्स का प्रोरोगेशन का नहीं है। लिहाजा उन स्टैंडिंग आर्डर्स को इगनोर (उपेक्षा) करके हम कोई बात नहीं कर सकते, वहां कुछ भी हो इससे हमें ताल्लुक नहीं है। जहां तक हमारा ताल्लुक है हम तो अपने ही कांस्टीट्यूशन से गाइड (पथ प्रदर्शित) होते हैं। हमारे रूल्स में यह है कि कमेटीज एक साल के लिये होंगी। जाहिर है कि जबकि लेजिस्लेचर के हमारे यहां दो सेशन होने वाले हैं और हमारे रूल्स यह कहते हैं कि कमेटीज एक साल के लिये बनेंगी तो हमारे रूल्स के मुताबिक लेजिस्लेचर का सेशन तो प्रोरोग होगा चाहे एक ही हाउस का हो मगर कमेटीज कायम रहेंगी, क्योंकि साल में दो सेशन होने चाहियें। लिहाजा हम कैसे अपने रूल्स को इगनोर कर सकते हैं? हाउस अपने रूल्स का मास्टर है। इंग्लैन्ड में प्रोरोगेशन का तरीका बिलकुल दूसरा है। वहां जो कुछ तरीके हैं वे उनके स्टैंडिंग आर्डर्स के मुताबिक हैं, न कि वह प्रोरोगेशन का नतीजा खुद ब खुद लाते हों। इन हालात में कोई ऐसी चीज नहीं है।

एक चीज और कही गई है कि पहले जो गवर्नर का मामला था वह तो डिस्क्रीशन (विवेक) की बात थी। दफा ८९ और ९० को आप देखिये। मैं अर्ज करता हूं कि उसका कतई ताल्लुक आज के मामले से नहीं है। वह तो सेक्शन्स अलग थे। उनमें गवर्नर को डिस्क्रीशन थी कुछ खास किस्म के आर्डिनेंस बनाने की जोकि लेजिस्लेचर के पास आते ही नहीं थे। लिहाजा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर दफा ८४ के जितने आर्डिनेंस बनते हैं उनके लिये वही प्राविजन्स (उपबन्ध) हैं जोकि आज २१३ में हैं। उसमें जैसा मैंने आपसे कहा लफ्ज था "व्हेन दी लेजिस्लेचर इज नाट इन सेशन "When the Legislature is not in session" (जब विधान मंडल सत्र में न हो) मगर इसमें तब्दील होकर रख दिया गया "When both houses of the Legislature are not in session" जब विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में

न हों, इस तरह से यह कोई गुन्जाइश नहीं है कहने की कि एक हाउस होना वहीं असर रखता है। मगर मैं अर्ज करता हूं कि डिस्क्रीशन का कोई असर उस पर नहीं है। वह क्लाज इर्रेलेवेंट (असम्बद्ध) है। डिस्क्रीशन की बात तो उन आर्डिनेंसेज से ताल्लुक रखती है जिनको गवर्नर अपनी तरफ से बना लेता था। उसमें क्या पावर्स थीं वह तो इर्रेलेवेंट बात है रिलेवेंट बात यह है कि जो प्रोसीज्योर (प्रक्रिया) गवर्नमेंट का आर्डिनेंसेज का है उस का वह आज भी है उसका कोई असर इस बात पर नहीं है। कोई गुन्जाइश इस बात की नहीं है कि जो आर्डिनेंस बनेगा वह बिलकुल सही बनेगा। मगर चूंकि एक अहम मसला है जो कि बार-बार यहां लाया जाता है, मैंने अपना फर्ज समझा कि फिर से कोशिश करूं और अपनी बात सामने रखूं कि उसमें अगर कोई गलती हो तो वह मालूम हो सकेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन वजूहात का मेरे दिमाग पर असर पड़ा है वे सबके सामने आ जायं।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, श्री खुशवक्त राय जी ने दफा ४ में यह कहा है कि उसका वह विरोध करते हैं उनका कोई सुधार इस सम्बन्ध में नहीं है बल्कि उनका विरोध है कि वह इसमें न रखी जाय। इसका कारण बताते हुये उन्होंने यह शक जाहिर किया कि आर्डिनेंस की कोई कानूनी शकल नहीं है, लिहाजा उसके रिपील (रद्द) करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

इस सम्बन्ध में वाद-विवाद भी इस भवन में हुआ और माननीय मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में यह स्पष्ट भी कर दिया कि जो आर्डिनेंस बना वह कायदे के अनुसार बना और संविधान के अनुसार बना। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अप्रासंगिक था कि यह प्रश्न उठाया जाय जबकि इस भवन के सामने आर्डिनेंस आया और उसकी नामंजूरी का भी प्रश्न इस भवन के सामने आया और एक मर्तबा माननीय मुख्य मंत्री ने इसका स्पष्टीकरण इसी प्रकार पहले ही कर दिया, तो यह मानकर के चला जाय कि आर्डिनेंस मौजूद है और जब आर्डिनेंस मौजूद है तो २१३ आर्टिकिल के अनुसार---

"An Ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature . . ."

(इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा, जो विधान मंडल के अधिनियम का होता है)

वह कानून की शकल में जैसा कि (ऐन ऐक्ट आफ दि लेजिस्लेचर) होता है उसी शक्ल में आज मौजूद है। जिस वक्त कोई कानून उसी शक्ल में जिस शक्ल में कि आर्डिनेंस था, यह भवन पास करता है तो यह लाजिमी हो जाता है कि वह आर्डिनेंस जो कि आगे चलकर भवन के यहां बैठने के बाद ६ हफ्ते में एक्सपायर (समाप्त) हो जाता, रिपील कर दिया जाय। अगर रिपील नहीं किया जाता है तो दो कानून एक ही साथ जारी रहते हैं। इस प्रकार अगर दफा ४ निकाल दी जाय तो दोनों कानून, एक वह कानून जो इस भवन का था और दूसरा आर्डिनेंस का, जारी रहेंगे। दूसरी बात यह है कि छः हफ्ते में जिस वक्त वह खत्म हो जाता है तो खत्म होने का मतलब यह हो जाता है कि उसके मातहत जो कार्यवाही हुई वह जारी नहीं रहती, लेकिन रिपील का कायदा यह है कि जो-जो कार्यवाही हुई है वह जारी रहती है। रिपील में यह परिणाम होता है लेकिन खत्म हो जाने में परिणाम इसका उलटा होता है और उसके साथ साथ सब अहकामात भी खत्म हो जाते हैं। इस वास्ते मैं समझता हूं कि भवन यह समझेगा कि रिपील होना लाजमी है। इस दृष्टि से कि आर्डिनेंस एक कानूनी शक्ल में आ चुका है और दूसरे इस दृष्टि से भी कि अगर आर्डिनेंस रिपील न किया जाय तो उसके खत्म हो जाने की वजह से जो परिणाम होगा वह परिणाम यह भवन नहीं चाहेगा, क्योंकि इसके मातहत जो एक डेढ़ महीने के अन्दर कार्यवाही हुई है उसको जायज करार देना है। इसलिये मैं समझता हूं कि श्री खुशवक्त राय का विरोध अप्रासंगिक है और भवन इस धारा को स्वीकार करेगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ४ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १

संक्षिप्त नाम और १--(१) यह अधिनियम १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) अधिनियम कहलायेगा।

(२) यह २३ अक्टूबर, १९५० ई० से प्रचलित समझा जायगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

प्रस्तावना

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६। क्योंकि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में कुछ प्रयोजनों के लिये अनुपूरक (Supplement) करना आवश्यक है,

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक पारित किया जाय।

अब इस सम्बन्ध में इस भवन में विशेष कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रथम वाचन के समय में इसके ऊपर काफी वादविवाद हो चुका है, भवन इसके सिद्धान्तों को भी मंजूर कर चुका है और इस विधेयक की धाराओं को भी पास कर चुका है। मुझे आशा है कि भवन इस विधेयक को स्वीकार करेगा और पारित करेगा।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय मंत्री ने पेश किया जसकी सेकिंड रीडिंग खत्म हुई है और थर्ड रीडिंग शुरू होने जा रही ह और मैं उसकी मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के विषय का मैंने कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और लोकल बाडीज का संचालन इस देश में, इस देश के प्रदेशों में और बाहर के मुल्कों में जिस तरीके से होता है उसका भी कुछ थोड़ा मुझको ज्ञान है। सन् १९३७ में जिसका हवाला माननीय मंत्री जी ने दिया जो एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उसका भी मैं सदस्य था और उस वक्त माननीय मंत्री पालियामेंटरी सेक्रेटरी थे। मैं और वह इस संबंध में साथ-साथ काम करते रहे और मैंने बराबर इस बात को देखा कि कमसे कम १९३७--३८ में उनकी भी हमेशा यह कोशिश रहती थी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अच्छी हो, उन्नतिशील हो और प्रोग्रेसिव हो और जो जो अड़चनें इसके बीच में हों, वह दूर हों। जो एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी उसकी भी यह राय थी कि सुपरसेशन (अवक्रमण) न किया जाय। उसको फिर मैं न दोहराऊंगा, माननीय मंत्री उस वक्त भी मानते थे कि सुपरसेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी असेम्बली की बनी तब भी उस कमेटी ने पूरे तौर से बाइत्तिफाक राय इस उसूल को माना कि सुपरसेशन नहीं होना चाहिए। मैं श्रीमन् यह भी बताना चाहता हूं कि कम से कम पिछले २० वर्ष से मुझे काफी तजुर्बा इन लोकल बाडीज का है, इनके वर्किंग का भी है और इनको कैसे चलना चाहिए इसका भी मुझको ज्ञान है। लेकिन सन् १६ से मालूम नहीं कितनी मर्तबा इस म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में संशोधन हुआ, मगर इस ३-४ वर्ष में मैं समझता हूं कि शायद यह पहला मौका है कि ऐसा बिल लाया गया है जिसको कि मैं कह सकता हूं कि अगर्चे यह ऐक्ट होगा तो यह काला ऐक्ट होगा।

माननीय मंत्री जी की तकरीर जो कल उन्होंने की, मैंने बहुत गौर से सुनी। एक अजीब तरीका दलील का निकाला गया और वह यह है कि सिद्धांत की रू से तो हम मानते हैं कि सुपरसेशन नहीं होना चाहिए। शुरुआत माननीय मंत्री इस तरीके से करते हैं कि सिद्धान्ततः तो मैं मानता हूं कि सुपरसेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अमल में उसके बिल्कुल विपरीत हैं। और यह पहला मौका नहीं है। श्रीमन्, इस भवन में, इस सेशन में मैंने कितनी बार देखा कि जब कभी भी इस तरीके का सवाल उठाया गया जोकि बिल्कुल सही था उसके ऊपर माननीय मंत्री उठते हैं और वह यह जवाब देते हैं कि बात तो सही है लेकिन क्या करें, इस वक्त हम इसको कर नहीं सकते हैं। अब दूसरी दलील उनकी यह है कि कुछ गलती हो गयी, कुछ डाउट्स, शक पैदा हो गए थे उनको दूर करने के लिये हमको यह आर्डिनेंस लाना पड़ा। सही बात है, आपको आर्डिनेंस लाना पड़ा, गोकि मैं तो समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर्चे शक पैदा हो गया था तो आपके ऐक्ट में मौजूद था कि स्पेसिफाइड पीरियड (निर्दिष्ट काल) के अन्दर आप किसी बोर्ड को सुपरसीड कर सकते हैं। अगर आपने उस पीरियड को एक ही वर्ष रखा तो यह आपकी गलती थी। अगर आप यह समझते थे कि यह गल्ती हो गयी है या जब आपकी तवज्जह दिलायी गयी थी तब आपको चुनाव करा लेना चाहिये था और आपने चुनाव कराया क्यों नहीं? लेकिन मैं थोड़ी देर के लिये मान भी लूं कि अच्छी बात है आपने गलती महसूस की और मानली और अब आप उसको वैलिडेट (वैध) कराना चाहते हैं। यहां तक भी गनीमत थी, आप वेलिड करा लेते लेकिन आप परमानेंटली (स्थायी रूप से) स्टैट्यूट बुक पर यह चीज रखना चाहते हैं कि आपको हक है कि आप १० वर्ष तक चाहें तो साल ब साल बराबर सुपरसीड करते जायं। माननीय मंत्री कहते तो यह हैं कि हम करेंगे नहीं लेकिन जब यह कानून बन जायगा तो आपको रोकेगा कौन? उसकी दलील में माननीय मंत्री ने कहा था कि हमने साल भर के लिये एक्सटेंशन (समय वृद्धि) कर दिया तो किसी बोर्ड का सुपरसेशन अक्तूबर में खत्म होता है, किसी का जुलाई में खत्म होता है तो हमको खत्म होने पर चुनाव करना पड़ेगा। किसने रोका है कि आप चुनाव न करायें? आपके बाई-एलेक्शंस (उप-निर्वाचन) हो रहे हैं, रोज आप बाई-एलेक्शन करवा रहे हैं। आप बाई एलेक्शंस तो करवा सकते हैं लेकिन म्युनिसिपैलिटियों का आप चुनाव नहीं करवा सकते हैं। थोड़ी देर के लिये इस दलील को छोड़कर मैं तीसरी दलील पर भी आ जाऊं तो उस दलील का आपके पास क्या जवाब है? अगर आप यह कह देते कि सन् १९५२ के बाद नहीं चलेगा, आप परमानेंटली चाहते हैं कि अगर १० वर्ष तक चुनाव न हो तब तक इसको चलाते जायं। आज तक मैंने कहीं ऐसा कानून देखा नहीं है जिस तरह का यह कानून लागू हो रहा है। हम तो उस वक्त नीयत ठीक समझते और हमको उस वक्त शक न होता जब आप इसको सन् १९५२ तक के लिये ही रखते। लेकिन आप इसको परमानेंटली रखना चाहते हैं। कहते यह हैं कि हमारा इरादा यह नहीं है, बहुत सोच कर करेंगे। यह दलील किस लिये दी गयी है, इसलिये कि माननीय मंत्री ने कहा था कि वह सिद्धान्ततः सुपरसेशन के खिलाफ हैं इसलिये उन्होंने यह भी कहा कि कोई वाया मीडिया (बीच का रास्ता) बता दीजिये तो हम उसमें साथ देंगे। मैं इस बात को पेश करता हूं कि आपका कहना यह है कि दिसम्बर तक के लिये आपने सब बोर्ड्स की मियाद बढ़ा दी है क्योंकि आप एक साल से ज्यादा की मियाद बढ़ा नहीं सकते थे। अगर आप तीन चार महीने के लिये मियाद बढ़ाना चाहें तो उसके लिये अधिकार चाहिये। अगर आपका इरादा यही है और आप ५२ के फरवरी, मार्च या अप्रैल तक चुनाव कराने वाले हैं तो जो यह ऐक्ट बना रहे ह उसमें कहिये कि मार्च सन् १९५२ तक लागू होगा। इसके बाद यह दफा लागू नहीं होगी। तब तो मैं समझता कि आपकी नीयत है और आप सिद्धान्ततः मानते हैं कि सुपरसेशन ठीक नहीं है लेकिन जब आप परमानेंटली करना चाहते हैं तब तो हर शख्स के दिल में यह असर होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। श्रीमन्, सन् १९३७ में जबकि सरकार बाहरी थी

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]
तब तक तो आप यह चाहते थे कि इस म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में जो त्रुटि हो, उसको हम दूर करें लेकिन आज जब हम स्वतंत्र हो गये, आज जब मुकम्मिल आजादी हो गई तब मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि अगर लोकल बाडीज का सब काम अपने हाथ में ले लें तो अच्छा है। जैसा अभी तक राजाराम शास्त्री जी ने कहा था कि आहिस्ता-आहिस्ता आप सब बोर्ड्स को सुपरसीड कर लेंगे। मंत्री महोदय ने कहा था कि यह आपकी भावना है। ऐसा हम नहीं करने जा रहे हैं। कानून देखा जाता है और कानून के अन्दर जो नीयत होती है वह भी देखी जाती है।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--अमल से देखना चाहिए।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--आपका अमल भी कैसा है वह मैं आगे कहूंगा क्योंकि मैं देखता हूं कि आपकी नीयत थी कि जिस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलती है उसी तरीके से चलना चाहिए। अभी-अभी पिछली स्टैंडिंग कमेटी में ड्राफ्ट रूल्स थे जिसमें यह लिखा था कि किसी बोर्ड को, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, चाहे म्युनिसिपल बोर्ड हो, अप्रैल सन् १९४९ से कोई अख्तियार नहीं है कि टेम्पोरेरी या परमानेंट आदमी मुकर्रर कर सके। स्टैटुटरी पावर ऐक्ट में एक्जीक्यूटिव आफिसर और चेयरमैन को ये अख्तियारात हैं। हमारे मंत्री महोदय ड्राफ्ट रूल्स बनाते हैं और वे सरकुलेट भी हो जाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में तो अभी उस पर गौर व खोज होगा लेकिन वह सरकुलेट हो गया। मैं कहता हूं कि ऐसे सरकुलर्स को कोई मानता भी नहीं है क्योंकि वे कानून के खिलाफ हैं और किसी बोर्ड के ऊपर लागू भी नहीं होते हैं लेकिन इससे आपकी नीयत जाहिर होती है कि जब से आजाद हुए हैं तब से जो थोड़ी बहुत ताकत उनके पास है वह भी आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आजाद होने के पहले, जैसा मैंने कहा, आपकी नीयत ठीक थी, हमने और आपने साथ काम किया, हर एक मामले में हमारी और आपकी राय मिलती थी, लेकिन आज क्या अंतर हो गया है कि आप की राय दूसरी होती है और हमारी राय दूसरी होती है। जरा सोचिये तो कि उसकी वजह क्या है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इधर आप बैठने लगें तो एक हो जायं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--उसी वजह से तो इधर बैठना शुरू कर दिया। खुद माननीय मंत्री इस बात को मानेंगे कि बरसहा बरस हमने कोशिश की और जब कभी मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस सेशन में एल० एस० जी० बिल लायेंगे, लेकिन नहीं आया। माननीय मंत्री मानेंगे कि सब लोकल बाडीज के लिये एल० एस० जी० बिल था और आप को याद होगा कि वह बिल भी रखा हुआ है और पूरी कोशिश भी रही कि वह आ जाय। पंचायत राज तो चलने लगा है लेकिन यह भी एक्सपेरीमेंटल स्टेज (प्रयोग प्रक्रय) पर है। जब ये म्युनिसिपैलिटियां और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड २०-२५ वर्ष से काम कर रहे हैं तब तो उनकी जड़ काटना शुरू कर दिया तो क्या मालूम आप पंचायत राज का क्या करेंगे। जब तक एल० एस० जी० बिल नहीं आता तब तक सब के लिये कुछ नहीं होता। यह कोई सीक्रेट नहीं है कि कैबिनेट उसको मानता नहीं है। मैं कहता हूं कि कोई मंत्री इसके खिलाफ है कि पुलिस पावर्स म्युनिसिपैलिटियों को दी जायं, कोई मंत्री इसके खिलाफ है कि यह पावर न दी जाय?

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई।)

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस समय एल० एस० जी० बिल का जिक्र कर रहा था और एल० एस० जी० बिल का जिक्र मैं

इस वजह से कर रहा था कि एल० एस० जी० बिल के जरिये से बहुत अख्तियारात, बहुत सी ताकतें इन लोकल बाडीज को दिये जाने का इरादा था और तेरह बर्षों की मुसलसिल कोशिशों के बाद वह तैयार हुआ। आज दो तीन वर्ष से हम देखते हैं कि इस भवन में सैकड़ों बिल पास हो गये। लेकिन यह बिल जो इनको चलाने के लिये एक तरह से पीवट (केन्द्र) था, वह आज तक नहीं आ रहा है। अगर्चे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि लोकल बाडीज के अख्तियारात कम किये जा रहे हैं तो हमारा शुबहा गलत नहीं है। क्योंकि अगर्चे एल० एस० जी० बिल सही वक्त पर आ गया होता तो न हम आर्डिनेंस की जरूरत ही पड़ती और न हम अमेंडिंग बिल के लाने की ही जरूरत पड़ती। लेकिन एल० एस० जी० बिल गवर्नमेंट नहीं ला रही है जिसके माने साफ यह हैं कि लोकल बाडीज खत्म होती चली जा रही हैं।

मैंने एक मौके पर और भी जिक्र किया था और आज भी जिक्र करता हूँ कि कोई भी कानून हो अगर्चे उसकी जड़ मजबूत नहीं है या जड़ है ही नहीं तो शाखायें सूख-सूख कर गिर जायेंगी। यही हाल आजकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड और मैं यह कहूँगा कि पंचायतें जो आपने कायम की हैं वह भी एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी सूख-सूख कर गिर जायेंगी जब तक आप इनकी जड़ें मजबूत नहीं करेंगे और इनकी जड़ और बुनियाद तो एल० एस० जी० बिल ही है।

माननीय मंत्री महोदय ने, जब मैं उस तरफ बैठता था तब भी कई मर्तबा कहा था कि हम तो चाहते हैं कि एल० एस० जी० बिल जल्द से जल्द आये, लेकिन कैबिनेट नहीं ला रही है, इसलिये तुम भी कैबिनेट पर जोर डालो कि वह किसी तरीके से उसको ले आये क्योंकि कैबिनेट किसी फैसले पर पहुँचती ही नहीं है क्योंकि कुछ मंत्री इसमें कुछ कमियां चाहते हैं, पुलिस वाले चाहते हैं कि पुलिस की ताकतें म्युनिसिपैलिटीज को न दी जायं, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर और त्रुटियां देखते हैं। इसलिये कैबिनेट का कोई फैसला नहीं हो सका है। यह हालत मैं गलत नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यह तो मंत्री महोदय ने खुद मुझसे कहा था और इसके बाद जब मैं इस तरफ बैठने लगा और स्टैंडिंग कमेटी में जब कभी इसका जिक्र आया तब भी मंत्री महोदय ने यही कहा कि तुम असेम्बली भवन में सवाल उठाओ और गवर्नमेंट पर जोर डालो कि वह इस बिल को जल्द से जल्द ले आये। मंत्री महोदय तो यह चाहते हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट दूसरी तरफ जाना चाहती है, उनकी कैबिनेट प्रजातन्त्र तरीके से चलना नहीं चाहती है लेकिन हमें तो वही देखना होगा जो कि कैबिनेट का फैसला होगा। वह बिचारे जो कुछ भी चाहें वह तो कैबिनेट में एक व्यक्ति हैं। जो कैबिनेट का फैसला होगा वही हमारे सामने होगा।

दूसरी एक बात और है कि जब कानून इस भवन में आता है तो हमें उसी को देखना होगा। हम जबानी जमा खर्च में यकीन नहीं करते हैं कि जबानी क्या ऐतबार आप दिलाते हैं, क्या यकीन दिलाते हैं। इसकी कोई गुंजायश कानून में नहीं है। जर्मनी का आज किसको मालूम नहीं है और कई मर्तबा इस सदन में भी कहा गया कि एक अमेंडिंग बिल की वजह से हिटलर ने सारे अख्तियारात ले लिये। जो इस तरीके के कानून आप बनायें और उन कानूनों में आप जबानी कहें कि हम उनको लागू करना नहीं चाहते हैं तो क्या गुंजायश है। ४ बरस से आप म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, क्या मालूम ४ बरस और न करायें। तो इसके क्या मानी होंगे कि आप बोर्ड्स का और सुपरसेशन न करें। इसके अलावा मैं यह देखता हूं आज म्युनिसिपैलिटीज किस तरह से चल रही है, उनके काम में इतनी मुश्किलात पैदा हो गयी है कि कोई हद नहीं है। मैं देखता हूं कि चेयरमैन के खिलाफ 'नो कांफिडेंस' का मोशन (अविश्वास का प्रस्ताव) पेश होता है, एक जज प्रेसाइड करता है और मीटिंग में 'नो कांफीडेंस' मोशन पास हो जाता

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

है, लेकिन गवर्नमेंट कोई तारीख मुकर्रर नहीं करती कि दूसरा चुनाव कब होगा। सीतापुर जिले में खैराबाद म्युनिसिपैलिटी है, पता नहीं कितने दिन हुए 'नो कांफिडेंस' मोशन पास हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है। कल माननीय मंत्री जी ने गौतम जी के एतराजात के जवाब में कहा कि हमारे पास जो शिकायतें आती हैं उनकी हम इंक्वायरी कराते हैं, लेकिन हम बेनिफिट आफ डाउट दे देते हैं। ये अल्फाज 'बेनिफिट आफ डाउट' मंत्री महोदय ने खुद निकाले। इंक्वायरी कौन करता है। कोई ट्राइब्यूनल मुकर्रर किया जाता है या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जो रिपोर्ट आती है उस पर आप बेनिफिट आफ डाउट दे देते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और एक म्युनिसिपैलिटी का वाकया तो यही है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, शाहजहांपुर की हालत तो यह है कि वहां का चेयरमैन मीटिंग में प्रोसीडिंग्स बुक नहीं लाता और न किसी तरह का काम होने देता है। बोर्ड से बजट पास नहीं होता है, लेकिन लिख दिया जाता है कि पास हो गया। कोई कार्यवाही उस चेयरमैन के खिलाफ नहीं होती। बरअक्स जहां गवर्नमेंट पार्टी के लोग खिलाफ हैं वहां अगर कोई जनता की मीटिंग हो जाय, सीतापुर म्युनिसिपल बोर्ड में एक पब्लिक मीटिंग हुई, चंद १५-२० आदमी जमा हुए, उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया, फौरन इंक्वायरी बैठ गयी, सस्पेंशन (निलम्बन) के आर्डर हो गए, इस तरह से आज की गुटबन्दी में काम चल रहा है।

श्री खानचन्द गौतम--जनाबवाला, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह शायद कुछ गलतफहमी में यह बात कह गये कि माननीय मंत्री ने जो बेनिफिट आफ डाउट (सन्देह का लाभ) की बात कही थी, उनका मंशा यह था कि जिनकी आनेस्टी, इंटेग्रिटी और एफिशियेंसी में डाउट (ईमानदारी, सच्चाई तथा कार्य-क्षमता में सन्देह) होता है उनको बेनिफिट आफ डाउट दिया जाता है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--श्रीमान्, मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसे भी वाकये होते हैं कि जहां नो कांफिडेंस' मोशन आने वाला है, तारीख मुकर्रर नहीं हुई है, कोशिश इस बात की की जाती है कि किसी मेम्बर को सस्पेंड कर दें, किसी तरीके से बहुमत कर दें, ताकि 'नो कांफि-डेंस' मोशन पास न हो सके। इस तरीके से आप लोकल बाडीज के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं और कामों को रोक रहे हैं। आज म्युनिसिपल बोर्ड की हालत नागुफ्ताबे हो रही है। कहीं तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, कहीं नये टैक्सेशन करने की हिम्मत नहीं है। जब खबर होती है कि ६ महीने बाद इलेक्शन होगा और फिर कुछ कारण हो गया और मेम्बर्स को मालूम हुआ कि साल भर बाद होगा तो वह कहते हैं कि टैक्सेशन में क्यों इंक्रीमेंट (वृद्धि) करें? आज हालत यह है कि किसी बोर्ड ने इन तीन-चार बरस में कोई नया, टैक्सेशन नहीं बढ़ाया। एल० एस० जी० में नए-नए टैक्सेज रखे गये हैं, जिनको आप बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वह बिल आता नहीं है। तो इस तरह से आप कार्य कर रहे हैं। मैं क्या अर्ज करूं, यह जो आप सप्लीमेंटरी बिल लाये हैं मुझे तो यह संदेह होता है कि इस तरह से आप प्रजातंत्र और लोकल बाडीज का गला घोंटना चाहते हैं। आप हमेशा के लिए चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो १० बरस के लिये भी आप किसी बोर्ड को सुपरसेशन में रख सकें। माननीय मंत्री ने एक बात बड़े जोर से कही थी कि उनके पास म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट में इस बात की ताकत है कि वे सुपरसीड कर सकते और एक स्पेसीफायड पीरियड (उल्लिखित काल) के लिये कर सकते थे और अब कोई चीज नहीं हो रही है, तो जब सन् ४७ में अमेंडिंग ऐक्ट आया तो उसमें कोई तरमीम पेश नहीं की गई और सन् ४९ में भी मान लिया कि सुपरसेशन होना चाहिये फिर आप आज उसकी मुखालिफत कैसे कर रहे हैं? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि स्पेसीफाइड पीरियड उसमें जरूर था, लेकिन शायद इसी स्पेसीफाइड पीरियड की वजह से उसकी कोई मुखालिफत नहीं हुई। सन् ४९ अब नहीं है, अब सन् ५१

है। सन् ५० में संविधान पास हो कर हमारे सामने है और उसमें ऐसी भी धारा है कि किसी असेम्बली को नेशनल इमर्जेन्सी के वक्त तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसका स्पेसीफाइड पीरियड है।

उन्होंने एक बात और कही कि अगर वे चाहते तो ५ बरस के लिये सुपरसीड कर सकते थे। मैं कहता हूं कि यह गलत है। क्या उनमें इतनी हिम्मत है, सरकार यह करके देख ले कि अब भी किसी म्युनिसिपैलिटी को ५ साल के लिये सुपरसीड क्या वह कर सकती है? यह एक पोच दलील है। स्पेसीफाइड पीरियड इसलिये लिखा गया कि जिससे आप उस वक्त के अन्दर इलेक्शन का इन्तजाम करें। आप दलील पेश करते हैं, हमको अख्तियार था। क्या अख्तियार यह था। कि आप ५ वर्ष के लिये सुपरसीड करें? अगर आप ऐसा करते तो आपको अब तक मालूम हो गया होता कि इसके खिलाफ कितना आन्दोलन होता है। वाकया यह नहीं है, वाकया यह है कि किसी की नजर इस तरफ गई ही नहीं कि एक साल से भी ज्यादा समय इसमें लग सकता है या उन वर्ड्स (शब्दों) की तरफ, जो उसमें आये हैं 'डिजोल्यूशन' और 'सुपरसेशन' (अवक्रमण और विघटन) लोगों का ख्याल यह था कि प्रजातंत्र में और अब—जब कि देश आजाद हो गया है किसी की निगाह सुपरसेशन की तरफ जायगी ही नहीं और अगर होगा भी तो डिजोल्यूशन होगा। मैं माननीय मंत्री से बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि इससे उनका मतलब क्या है जब वे यह कहते हैं कि मैं सिद्धान्ततः सुपरसेशन के खिलाफ हूं। अगर ऐसा था तो आपको इस बिल को इस तरीके से लाने की जरूरत नहीं थी। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं आपकी नीयत में शक न करता अगर आप यह कहते कि जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है वह मार्च, ५२ तक लागू रहेगा, तब तो मैं समझता कि दोनों चीजें वाकई में ठीक हैं कि चुनाव भी आप सन् ५२ में करने वाले हैं। अगर आप चाहते भी नहीं है कि सुपरसेशन हो, लेकिन जब आप यह नहीं करते हैं तो हमें संदेह होता है कि आप इलैक्शन भी करना चाहते हैं या नहीं और आप यही तो नहीं चाहते कि जो तरीका चल रहा है वही चलता रहे? भाई राजाराम जी ने कहा कि आप आहिस्ता—आहिस्ता सब बोर्डों पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारा हर्गिज यह इरादा नहीं है, मैं मानता हूं उनका इरादा न हो लेकिन हमारे सामने आपकी कोई ऐसी चीज तो नहीं है हो सकता है कि आप यह न करें लेकिन दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, आप बोर्डस के ऊपर अपने चेयरमैन थोप दें, जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को अपने कब्जे में कर लिया है, और उन लोगों के साथ आप का व्यवहार दूसरी तरह का है और म्यु—निसिपल बोर्डस के चेयरमैनों के साथ आप का व्यवहार दूसरी तरह का है। अभी सवा साल बाकी है और इस सवा साल में आप चाहते हैं कि सारे म्युनिसिपल बोर्डस हमारे कब्जे में आ जायं। हमारा यह संदेह बिल्कुल गलत नहीं हो सकता।

अब मैं एक बात प्रोरोगेशन के सिलसिले में कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री ने फिर पौन घंटे इस प्रोरोगेशन (सत्रावसान) के मसले पर तकरीर की। मुझे खेद है कि जब हमारी तरफ के लोग बोलने खड़े होते हैं तब माननीय मुख्य मंत्री जी इस भवन में नहीं रहते हैं और जो कुछ कहा जाता है उसे सुनते भी नहीं हैं और जवाब देने के लिये खड़े हो जाते हैं। और उन सवालात के, जो कि उठाये जाते हैं जवाब देना भी नहीं चाहते। अभी आज जो उन्होंने तकरीर की, मैंने देखा कि उसका अक्षर—अक्षर जो उन्होंने इससे पहिले तकरीर की थी, वही था, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं था। करीब—करीब वही तकरीर थी जो पहली मर्तबा की थी और मैं यही कहूंगा और बड़े अदब के साथ कहूंगा कि जब किसी का कोई प्वाइंट कमजोर होता है तो वह उसे दोहराता है और बड़ा जोर देता है। रिपीटिशन आफ आर्गुमेंट (तर्क का दोहराना) किसी कमजोर मुकद्दमे में होता है। जब किसी का कमजोर मुकद्दमा होता है तभी रिपीटीशन आफ आर्गुमेंट होता है। वरना पौन घंटे तक जो कुछ उन्होंने कहा वह वही कहा जो कि उस समय कहा था। और उस समय मैंने बहुत अदब के साथ जवाब दिया था कि कानून जो

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

लेजिस्लेचर बनाता है उसका इंटरप्रिटेशन करने वाला कोर्ट होता है। यह बहस इस्टेब्लिश्ड (माना हुआ) कानून है कि लेजिस्लेचर्स कानून बनाते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं कोर्ट। लेकिन उस रोज भी उन्होंने इसी पर ज्यादा जोर दिया कि कांस्टीट्यूएंट एसेम्बली में कमठ साहब ने यह कहा और उसके जवाब में डाक्टर अम्बेदकर ने यह कहा था, कानून बनाने वालों का मंशा यह था। माननीय मुख्य मंत्री तो जानते हैं कि उनका मंशा कुछ भी रहा हो, कानून बनाने वालों का मंशा कुछ भी रहा हो लेकिन जिन अल्फाज में कानून बनता है उनका इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट ही कर सकता है? उसका इंटरप्रिटेशन न तो माननीय मुख्य मंत्री ही कर सकते हैं और न हमारे भाई खुशवक्त राय ही कर सकते हैं जो समझते हैं कि उन्हीं का प्वाइंट सही है। अब इसका फैसला कचहरी ही कर सकती है कि कुंवर खुशवक्त राय की बहस सही है या माननीय मुख्य मंत्री जी की बहस सही है। लेकिन एक बात मुझे बड़े ताज्जुब की मालूम हुई। उस रोज भी मैंने बड़े गौर से सुना और आज भी बड़े गौर से सुना। सारी कोशिश माननीय मुख्य मंत्री की यह थी कि गवर्नर को यह अख्तियार है कि वह दोनों हाउसेज को साथ-साथ बुलाये या एक को बुलावे और अगर्चे यह सिद्ध हो जाता है कि एक हाउस को गवर्नर बुला सकता है तो हाउस आफ लार्डस की तरह सारी दलील खत्म हो जाती है। लेकिन मेरे भाई खुशवक्त राय ने जो एक सवाल उठाया था कि आया किसी कानून में यह भी है कि प्रोरोगेशन जो होगा, वह अलग-अलग होगा? तो उसे रिजर्व म देकर (पीछे डाल कर) उन्होंने यह साबित करना चाहा है कि जब वह अलाहदा-अलाहदा बुला सकता है तो अलाहदा-अलाहदा प्रोरोग भी कर सकता है और उसके ऊपर दलील यह भी दी कि जब अलाहदा-अलाहदा दोनों हाउसेज बुलाये जा सकते हैं तो.... ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। (मैं एक विधान का प्रश्न पूछना चाहता हूं)

श्रीमान् जी, हमारे मित्र श्री गोपाल नारायण जी सक्सेना इस विषय पर जो अपनी दलील दे रहे हैं कि हाउस प्रोरोग हो सकता है और आर्डिनेंस बनाये जा सकते हैं और जारी किये जा सकते हैं कि नहीं, तो इस प्रश्न पर विवाद भी हुआ और धारा ४ स्वीकृत भी हुई, लेकिन इसके अलावा मैं श्रीमान् का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि नियम १२१ के अन्तर्गत यह दिया गया है--

"Discussion of Governor's Ordinances:—As soon as possible after the Governor has promulgated an ordinance under Article 213 (1) of the Constitution, printed copies of such ordinance shall be made available to the members of the Assembly. Any member may, thereupon, after giving three clear days' notice to the Secretary, move a resolution disapproving the ordinance and if such a resolution is passed it shall be forwarded to the Council with a message asking for its concurrence."

(राज्यपाल के अध्यादेशों पर विवाद--संविधान के अनुच्छेद २१३ (१) के अन्तर्गत राज्यपाल के अध्यादेश प्रख्यापन करने के पश्चात् यथा शीघ्र ऐसे अध्यादेश की छपी हुई प्रतिलिपियां सभा के सदस्यों को उपलभ्य कर दी जायेंगी। तदुपरान्त कोई सदस्य सचिव को पूरे ३ दिन की सूचना देने के पश्चात् अध्यादेश को अस्वीकार करने का संकल्प उपस्थित कर सकता है और यदि ऐसा संकल्प स्वीकार हो जाय तो वह परिषद् के पास इस सन्देश के साथ भेज दिया जायगा कि वह उस पर अपनी सहमति दे।)

तो आर्डिनेंस के बारे में कोई बहस ३ रोज का नोटिस देकर हो सकती है और यह प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन बार-बार आर्डिनेंस और प्रोरोगेशन की चीज को यहां उठाना इस भवन का समय व्यर्थ नष्ट करना है। उसके अलावा और दूसरी चीजें जो कहनी हों, कही जायें। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह अवसर नहीं है कि आर्डिनेन्स के ऊपर कोई दलील इस समय फिजूल इस भवन के सामने लाई जाय।

श्री खानचन्द गौतम--श्रीमन्, कल भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ था जिस समय मैं बोल रहा था। इन मौर्य साहब ने स्पीकर साहब के सामने इसी प्रकार से प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया था। मैं नहीं जानता कि कैसे यह बहस आगे बढ़ गई और प्रोरोगेशन के मसले को लेकर किस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री ने पौन घंटे अपना भाषण दिया। अगर उन्होंने अपना भाषण दिया और उस सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो गया है कि जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो इस अवसर पर ऐसी बहस को रोकना कहां तक उचित है यह आप समझ सकते हैं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--उपाध्यक्ष महोदय, मौर्य जी ने मालूम नहीं किस लिये यह प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया.......

उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को इतना कह देना उचित समझता हूं कि यहां पर प्रोरोगेशन के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यदि वह अपने भाषण को, जो प्रश्न भवन के सामने है, उस पर ही सीमित रखें तो उचित होगा।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन मैं यह कह रहा था कि जिस बात का जिक्र सेकिंड रीडिंग में आ चुका है तो तीसरी रीडिंग में उसका जिक्र जरूर आ सकता है। मैं करीब-करीब उसको खत्म ही कर चुका था, एक बात ही मुझको कहनी थी। और वह कहकर मैं खत्म करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री ने बड़े जोर के साथ यह कहा है कि.........

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् जी, जब एक बार आपकी रूलिंग हो चुकी है तो फिर वह उसका जिक्र करते हैं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--मैं मौर्य जी को बतलाना चाहता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा का पालन करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूं। उन्होंने आपसे यह कहा कि मैं काफ़ी वक्त ले चुका हूं। मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं और एक ही मिनट में खत्म करना चाहता हूं। तो फिर उनको क्यों बेचैनी पैदा होती है? जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझको मना कर देंगे मैं आगे नहीं बढूंगा। मैं सिर्फ एक बात यह कहने वाला हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा कि किसी कांस्टिट्यूशन में यह नहीं लिखा है कि एक हाउस समन (आहूत) न किया जाय। इसका इन्टरप्रिटेशन तो कोर्ट आफ ला ही करेगी इसका काफी चर्चा अखबारों में भी हो चुका है और मैं ज्यादा वक्त भवन का नहीं लूंगा। एक बात बड़े अदब के साथ माननीय मंत्री से यह कहूंगा कि वह इस वक्त तो इस बिल को वापस ले लें और ५,६ रोज के बाद एक अमेंडिंग बिल ले आयें जिसमें मियाद मुकर्रर हो कि सन् १९५२ ई० के आगे यह बिल नहीं जायेगा। मेरा ख्याल यह है कि उनको स्वीकृति मिल जायगी और लोगों के दिमाग में जो शक और सन्देह है वह भी जाता रहेगा। लेकिन अगर वे उन्होंने अपना तरीक़ा वही रखा कि बिल को तो वापस नहीं लेंगे और जबान से सब कुछ करेंगे तो हम सिद्धान्ततः सब लोग इसके खिलाफ हैं क्योंकि इसका असर कुछ नहीं होने वाला है। जबानी जमाखर्च से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिये इन चन्द अलफाज के साथ मैं इस बिल की सख्त मुखालफत करता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो इस आदरणीय भवन के सामने है इसके समर्थन में मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूं।

आज, और कल भी जो बहस हुई मैं समझता हूं कि उसमें एक खुशी मुझे इस बात की है कि इस भवन के हर मेम्बर ने, चाहे वह सरकारी बेंचों की तरफ के माननीय सदस्य हों और चाहे विरोधी बेंचों के माननीय सदस्य हों, एक इच्छा जाहिर की और बड़े जोरों से जाहिर की कि वह प्रजातंत्र के सिद्धान्तों का हामी है और किसी तरह से भी डिक्टेटरशिप को अपने मुल्क में नहीं

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

पनपने देगा। यह हमारा मूल सिद्धान्त है और मुझे खुशी होती है इस बात को देख कर कि जो भाई किसी तरह से अपने को रेड्स कहते हैं, लाल बनना चाहते हैं, लाल बातें करना चाहते हैं, वे भी कम से कम इस भवन में प्रजातंत्र के उतने ही हामी हैं जितना कि और कोई हो सकता है। लेकिन कल जो बहस माननीय सदस्य श्री गोपाल नारायण ने की वह कुछ अजीब सी थी। मैं उनकी बातों की बड़ी क़द्र करता हूं। वे एक अनुभवी आदमी हैं और म्युनिसिपैलिटीज का उनको खास तजुर्बा है। मैं स्वयं, माननीय भाई गोपाल नारायण जी या माननीय मंत्री महोदय जो खुद चेयरमैन रह चुके हैं म्युनिसिपल बोर्ड के, यह दावा नहीं कर सकता कि उनके बराबर म्युनिसिपैलिटीज की वर्किंग का मुझे तजुर्बा है। लेकिन जिस तरह से आज और कल बहस की गयी उसमें सबसे बड़ा दावा यह किया गया कि प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, तानाशाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम लोग इसको इस तरह से नहीं होने देंगे। तो जैसा कि मैंने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहा कि जहां तक उन आदर्शों का, उन भावनाओं का ताल्लुक़ है, मैं उनकी क़द्र करता हूं और उनका हिमायती हूं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि परिस्थितियां देख कर क्या सच मुच आप यह कह सकते हैं कि प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है और डिक्टेटरशिप क़ायम की जा रही है? अगर आपकी यह धारणा है तो मैं कहता हूं कि यह वाक़यात के बिलकुल खिलाफ है। आखिर प्रजातंत्र का गला कैसे घोटा जाता है? प्रजातंत्र का गला घोटने का केवल एक ही तरीक़ा है, जिसको मेरी बग़ल में बैठे हुये माननीय सदस्य श्री राजाराम शास्त्री जरूर मानेंगे कि जो आदमी दूसरी राय रखता हो उसको अपनी राय का इज़हार करने का मौक़ा न दिया जाय। यह डिक्टेटरशिप में होता है और मार्कसिज्म के मानने वाले भी इसे मानते हैं। क्या इस सदन को या इस देश को कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है? क्या आप सचमुच ऐसा विश्वास करते हैं कि कांग्रेस आज अपने उसूलों से इतना उतर गयी है कि वह दूसरी तरफ की राय को जाहिर भी नहीं करने देना चाहती? मैं तो बाअदब यह अर्ज करूंगा कि जो बातें मिलती हैं वे इसके अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल हैं। आपने कल देखा कि इस माननीय सदन में हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी उस बिल के बारे में जो उनकी राय थी वह जाहिर की।

श्री खानचन्द गौतम—वे निकाले जायंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मेरे भाई कह रहे हैं कि वे निकाले जाने वाले हैं। एक साहब ने यह कहा था कि साहब, आप अपनी राय तो जाहिर करते हैं लेकिन कभी वोट नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि वह भी खुला है और हमारे मित्रों ने ऐसा किया। वोट खिलाफ करने पर पार्टी का अंकुश नहीं है, उस पर अपना स्वयं का अंकुश है। जब आप एक पालिसी के ऊपर इस सदन में आये हैं और जिस पार्टी के सिद्धान्तों को मान कर यहां बैठे हैं उसके बहुमत के खिलाफ अगर आप वोट करते हैं तो आपको यह साइड (पक्ष) छोड़ कर उस साइड में आना होगा। अगर आप इतनी जुर्रत रखते हैं तो आपको वह भी हक़ है कि आप उसके खिलाफ वोट करें और जाकर उधर बैठ जायं जैसा कि हमारे कुछ माननीय मित्रों ने किया। पहले राजाराम जी ने किया और बाद में कुछ और मित्रों ने किया। यह भी हक मौजूद है। किसी ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहता हूं कि क़ानूनी अधिकार हो या न हो, जनता का नैतिक अधिकार है, जिसने हमको और आपको चुना है, कि जब आप इतना बड़ा फैसला लेने जायं तो जिस पार्टी के नाम से आपने वोट हासिल किया है . . .

श्री खानचन्द गौतम—एक वैधानिक आपत्ति है। माननीय सदस्य इस समय जिस विषय पर भाषण करने लगे हैं उसकी कोई रैलेवेंस (सम्बन्ध) प्रस्तुत विषय से नहीं है।

उपाध्यक्ष—श्री चतुर्भुज शर्मा अपना भाषण जारी रखें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं, श्रीमान् जी, उसका जवाब दे रहा था जो इंटरप्शन (विघ्न) किया गया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी से निकाले जायंगे। मैंने अर्ज किया था कि पार्टी से निकाले जायं या नहीं, यह तो अनुशासन की बात है। लेकिन उस अनुशासन के न मानने वाले

के लिये कोई बात नहीं है। मानने वालों में इतनी नैतिकता होनी चाहिये कि वह इस्तीफा देकर एलैक्टोरेट के सामने जायं और यह कहें कि हमनेयह डिसीशन (निर्णय) लिया और पार्टी के खिलाफ वोट किया। असल में तो मालिक चुनाव करने वाले हैं चाहे वह इस तरफ के बैठनेवालों से संबंध रखता हो या उधर के बैठनेवालों से। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में हर शख्स अपनी राय आजादी से दे सकता है।

श्री खानचन्द गौतम—यह बात गलत है। कोई आजादी वहां नहीं है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं यह कह रहा था कि अगर कोई पार्टी की पालिसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनका यह नैतिक फर्ज हो जाता है कि उससे इस्तीफा देकर एलैक्टोरेट के पास जायं और उनका वर्डिक्ट (राय) लें। एलैक्टोरेट उन्हें बतायेगा कि उनकी राय सही है या नहीं। डैमोक्रेसी का सही सिद्धांत, जिससे डैमोक्रेसी फलती और फूलती है वह यह है कि हम नैतिकता को बढ़ायें और उसे अमल में लावें। डैमोक्रेसी का गला घोंटना तब होता है जब कि दूसरों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका न दिया जाय। बराबर लोग अपनी राय जाहिर करते हैं। वोट के बारे में मैंने अर्ज किया कि हरएक मेम्बर अपनी-अपनी राय रखता है, हरएक का इंडिपेंडेंट जजमेंट है। अगर कोई किसी का नहीं मानता है तो हरएक की अपनी-अपनी राय अलहदा-अलहदा रहेगी।

इस बिल में जो चीजें आई हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वे हैं और हमें मंजूर करनी पड़ती हैं, लेकिन वे हैं क्यों? जरा मेरे साथी लोग उसको सोचें तो कि आया ये चीजें जो हैं वे आज का क्रीएशन (बनाई हुई) हैं या वे पुरानी हैं, जिनकी वजह से हमें और आपको यह सब कुछ करना और कहना पड़ता है। हमें अपना बैकग्राउंड को नहीं भूलना चाहिये। लोगों ने बड़ी दुहाई दी डैमोक्रेसी की। अगर इस प्रदेश में सबसे बड़े डैमोक्रेसी का दम भरने वाले हैं तो जमींदार। लेकिन क्या वह सब डीमोक्रेट हैं यह हमारे मित्र जमींदार लोग बतलायेंगे। उन्होंने बतलाया कि इसमें डेमोक्रैसी का गला घोंटा जा रहा है, और भी लोग कहते हैं कि डेमोक्रैसी का गला घोंटा जा रहा है, लेकिन जो पोजीशन इस हाउस की है जिसमें कम्यूनल बेसिस पर आये हुये मेम्बरान हैं जिसमें जमींदार वर्ग की ओर से आय हुये मेम्बरान हैं, इस पोजीशन में भी यदि आज हम एलेक्टर्स के सामने जायं तो मेरा ऐसा विश्वास है और मेरे भाई लोग बुरा न मानें कि हमारे मित्र जो बाईं ओर बैठते हैं उनमें से ज्यादा क्वीट हो (निकल) जायंगे बनिस्बत इस तरफ के बैठने वालों के। डीमोक्रैसी में या उस सिद्धांत में जो हमारा है उसमें क्या आप कभी कम्यूनल एलेक्टोरेट को मदद करेंगे? उसमें क्या आप जमींदार एलेक्ट्रेट को रक्खेंगे? लेकिन यह चीजें आज हमें मजबूरन रखनी पड़ रही हैं और यह चीजें आज मौजूद हैं। हम अपने पास्ट को नहीं भूल सकते हैं, हमें पुरानी चीजों को याद रखना है। आज अगर क्रिश्चियन्स का रेप्रेजेन्टेटिव कोई यहां है, तो वह क्रिश्चियन है, आज अगर मुसलमानों का रेप्रेजेंटेटिव कोई यहां है तो वह मुसलमान है, एक हिन्दुस्तानी के नाते कोई आगे आना चाहे तो आये, या किसी खास एरिया को रेप्रेजेन्ट करने वाला कोई हो तो आगे आये, लेकिन कम्यूनल एलेक्ट्रेट पर आया हुआ आदमी यह कहे कि हम सबसे ज्यादा डेमोक्रैट हैं और हम देखते हैं कि डेमोक्रैसी का गला घोंटा जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आया। आप कहते हैं कि एलेक्शन्स जल्दी करना चाहिये थे। मैं कहता हूं कि कौन ऐसा आदमी है जो यह नहीं चाहेगा कि एलेक्शन्स जल्दी से जल्दी न हों, चाहे स्टेट के एलेक्शन्स हों चाहे म्युनिसिपैलिटीज के एलेक्शन्स हों। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम कांग्रेस में बैठने वाले आदमी सब से पहले यह चाहते हैं कि एलेक्शन्स हों और जल्द से जल्द हों। किसी एलेक्शन के होने में हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले न डरते हैं और न हमारे लिए डरने की कोई वजह है। हर एलेक्शन में हम सेंट परसेंट जीते हैं। हर एलेक्शन में एलेक्टर्स ने वर्डिक्ट दिया है कि कांग्रेस की पालिसी ठीक है। अगर कम्युनल एलेक्ट्रेट का सहारा लेकर के किसी जगह वर्डिक्ट दूसरा हो गया है, तो वह आम जनता का वर्डिक्ट नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार जहां तक एलेक्टर्स को फेस (सामना) करने का सवाल है हम डरते नहीं हैं। इसके अलावा इस हाउस की पोजीशन यह साबित करती है कि प्रेजेंट कांस्टीट्यूशन के अनुसार जिन चीजों

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

को हमें नहीं टालरेट (सहन) करना चाहिये, उनको भी हम मजबूरन टालरेट करते हैं। वह चीजें हम और एक मिनट के लिए नहीं चाहते हैं लेकिन इसके माने यह नहीं है कि हम डेमोक्रैसी का गला घोंटना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का गला वह घोंटेंगे जिनके सिद्धांतों में यह हो कि वह दूसरों की ओपिनियन (राय) को बरदाश्त न करें। जब चारों तरफ से यह आवाज आती है कि डेमोक्रैसी का गला घोंटा जा रहा है तो मैं यह नहीं समझ पाता कि आखिर वह कौन आदमी है जो डेमोक्रैसी का गला घोंट रहा है। कांग्रेस बेंचेज से जो स्पीचेज होती हैं वह डेमोक्रैसी की हिमायत में होती हैं, विरोधी दल की ओर से जो स्पीचेज होती हैं वह डेमोक्रैसी की हिमायत में होती हैं, तो आखिर कौन वह शक्ति है, कौन वह आदमी है जो डेमोक्रैसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप क़ायम करना चाहता है? पूरी कांग्रेस पार्टी को कंडेम किया जाता है। मेरे ख्याल में कांग्रेस के प्रधान मंत्री, जो इस देश के हैं, वह एक रत्न हैं, वह हमारे देश के ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के रत्न हैं, जो डेमोक्रेसी को ही नहीं बल्कि सच्चे मानों में डेमोक्रैटिक सोशलिज्म को यहां ही नहीं बल्कि सारे संसार में फैलाना चाहते हैं। क्या आप उनकी तरफ इशारा कर सकते हैं। हमारे मुख्य मंत्री, जिनके खिलाफ यह शिकायत हो सकती है कि वह नर्म ज्यादा हैं और सख्त नहीं हैं, क्या वह डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे माननीय स्वशासन मंत्री, जिनके लिए भी यही चार्ज हो सकता है और जिन्होंने डेमोक्रैसी की बुनियाद पंचायतों से ले करके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्डस तक डाली, क्या उनमें यह दमखम है कि वह डिक्टेटर बनना चाहेंगे? तो आखिर वह कौन सा आदमी नज़र में आता है जो डेमोक्रैसी का गला घोंटना चाहता है। मेरे एक मित्र ने आज एक नारा लगाया। उन्होंने नारा दिया कि डेमोक्रैसी खत्म हो रही है, फासिज्म बढ़ रहा है। आखिर जहां बढ़ा है वहां कोई पार्टी होती है, कोई आदमी होता है जो उस चीज को बढ़ाता है। तो वह फासिज्म कहां पनप रहा है? वह दिखाई नहीं देता। अगर वह कहीं पनप रहा है तो मैं यह समझ रहा हूं कि वह पनप रहा है ऐसे आदमियों के दिमाग में जो फासिस्ट हैं और जो उसको अन्दर ही अन्दर रखना चाहते हैं और दूसरे आदमियों को अब्यूज करते (गाली देते) हैं कि आप फासिस्ट हैं ताकि कहीं लोगों की नजर उनकी तरफ न पड़े बल्कि दूसरे लोगों की तरफ जाय, उनको न देख पायें। ऐसी कोई पालिसी हो तो हो। मुझे कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस में कोई आदमी दिखाई नहीं देता जो फासिज्म की तरफ जाने का जरा भी इरादा रखता हो।

अब श्रीमान् जी, मैं अर्ज करूंगा कि आरगूमेंट इसमें दिये गये और कुल इसके खिलाफ दिये गये, मैं समझता हूं कि एक गलतफहमी में दिये गये, मैं उन विचारों की क़द्र करता हूं, खासतौर से उनकी इस बात की कि वे डेमोक्रैसी के हामी हैं। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि वह सिद्धान्त रखने वाले जो डिक्टेटरशिप में बिलीव (विश्वास) करते हैं वह भी आज कम से कम विचारों की स्वतंत्रता के हामी हैं। मैं अपने सोशलिस्ट भाइयों से कहता हूं कि इस मुल्क में इस बात का कोई खतरा नहीं है कि यहां कम्युनिज्म आ जाय, यहां फासिज्म आ जाय, क्योंकि चारों तरफ यहां प्रजातन्त्र की रक्षा के सब हामी हैं। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो ऐसे बिल लाने पड़ते हैं वक्त वक्त पर वह इसलिये कि जैसी हमारी पोजीशन इस हाउस की है, उसको बरदाश्त करते हैं, जो पार्लियामेंट में भी आदमी मौजूद हैं उनको भी बरदाश्त करते हैं, उसी तरह से जो पुराना सेट अप, जो पुराने क़ानून और पुरानी मिशीनरी मौजूद है उसमें जो गलतियां होती हैं, उनकी वर्किंग में जो गड़बड़ी पड़ती हैं उसको एडजस्ट (व्यवस्थित) करने के लिये तो बिल लाने ही पड़ते हैं और कभी बदलने पड़ते हैं। (विरोधी बेंचों से आवाजें) श्रीमान् जी, मैं सबका जवाब दूंगा, सुन लीजिये। मैं सबसे पहले तो आप ही से अर्ज करूंगा कि आप उसमें हमें ज्यादा सहायता दे सकते हैं, क्योंकि आप जल्दी ही, अभी थोड़े दिन हुए हमसे अलग हुए, आप में ऐफिनिटी (सम्बन्ध) है हमारे साथ और आपको कांग्रेस के उसूलों की ज्यादा क़दर होगी। पर जो विरोधी रहे हैं या जिन्होंने दूसरी तरह का रंग बदला है उनकी बात दूसरी है। इसलिये मैं आपसे अपील करता हूं कि इन चीजों को देखकर उसको एक साइड में न जाइये। यह न समझ लीजिये कि डेमोक्रैसी खतरे में होगी। उस चीज को देखिये कि उसका मतलब क्या है। तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा

था कि यहां डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात नहीं है। बात यह है कि हमने शान्तिमय तरीक़े से स्वतंत्रता ली उसमें आवश्यकता है एवोल्युशन (क्रमिक विकास) की। मैं रेवोल्युशन में विश्वास करने वाले भाइयों को बतलाना चाहता हूं कि जहां हिंसात्मक और नाइंसाफ़ी के तरीक़े से क्रांति की जाती है उसमें एवोल्युशन की गुंजायश नहीं हो सकती, उसमें सुधार की गुंजायश नहीं हो सकती। अगर रूस में उन्हें कोई सुधार करना होगा या कोई नया क्रान्तिकारी क़दम उठाया जायगा, सिवाय स्टैलिन की पार्टी के, तो वह सिर्फ हिंसात्मक क्रांति के ज़रिये से ही हो सकता है। हमारे यहां वह बात नहीं है। हमने शान्तिमय तरीक़े से स्वतन्त्रता हासिल की है, इसलिये हमारे यहां एवोल्युशन का, सुधार की, गुंजायश है और हम उसी तरीक़े के ऊपर चलते हैं। लेकिन जो लोग रेवाल्युशनरी तरीक़े में विश्वास रखते हैं वह सुधार में भी रेवोल्युशन को इस्तेमाल करते हैं। वहां विचारों की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। तो जब हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारा सेट अप क्या था, किस तरीक़े से हम आये, क्या हमारी बैकग्राउंड है, हम क्यों यह चाहते हैं कि सारी हमारी चीज़ें एकदम से आदर्श बन जायें। और जहां पर किसी तरह से कोई भी गलती सुधारने की बात आती है तो हमको दिखायी देने लगता है कि डिक्टेटरशिप क़ायम होने जा रही है। कोई मोटिव्ज़ की बात नहीं होती है। मैं समझता हूं कि सभी सच्चाई पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन गलतफ़हमी हो जाती है। हम उतावली करते हैं, क्योंकि बुरी चीज़ें क्षण भर के लिए भी कोई बरदाश्त नहीं कर सकता। लेकिन परिस्थितियों को भी देखना चाहिए। आखिर दफ़ा ३० जो म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट में रही, जिसके जरिये से लीगल या इल्लीगल काम अब तक होता रहा अब उसको वैलिडेट किया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में चार पांच म्युनिसिपैलिटियां सुपरसीड हो गयी हैं। आज तो आप कहते हैं कि आप को खतरा है। यहां डिक्टेटरशिप नहीं बैठी है। वह भी हमारी आप की राय से काम करते हैं। वह भी प्रजा के प्रतिनिधि हैं। एक बात हमारे मित्र राजाराम शास्त्री जी ने बड़ी अच्छी कही थी कल। उन्होंने कहा कि न केवल इतना होना चाहिए बल्कि यह होना चाहिए कि हर एक मेम्बर, हर एक म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन, प्रेसीडेंट, अगर वह एलेक्टर्स के खिलाफ कार्यवाही करता है तो उसको रिकाल करना चाहिए। आप के कांस्टीट्यूशन में यह चीज नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र राजाराम जी से कि दरअसल, वह इसके हामी हैं। अगर वह सचमुच इसके हामी हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उस बात को जिसका इशारा आप कर रहे हैं मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत बात कही जा चुकी है। लेकिन मैं उनसे यह अर्ज करूंगा कि अगर वह रिकाल के उसूल को मानते हैं तो जहां आप को इस गवर्नमेंट में डिक्टेटरशिप और फासिज्म दिखायी दे रहा है हो सकता है कि म्युनिसिपैलिटियों में भी यही डिक्टेटरशिप और फासिज्म दिखायी दे और रिकाल के उसूल को मानते हुए उनको रिकाल किया जाता है। तो जब तक नया एलेक्शन नहीं होता तो कोई न कोई अथारिटी तो रहेगी उस काम को चलाने के लिए। वह माननीय मंत्री द्वारा ही नियुक्त होगा। मैं समझता हूं कि उन्होंने सिर्फ कहने के लिए इसको कह दिया। शायद गम्भीरता-पूर्वक उसको सोचा नहीं। क्योंकि अगर इस उसूल को मान लिया जाय तो यहां पर बहुत कम ऐसे मेम्बर होंगे, हर एक की कांस्टीटुएंसी से कुछ न कुछ रेजोल्युशन पास हो कर आजायेंगे और मेरे विचार से बहुत से सदस्यों को यहां से विदा लेनी पड़ेगी। मेरे मित्र जाने क्यों अधीर हैं। मैं तो उन के मतलब की बात कह रहा हूं। मैं यह अर्ज़ कर रहा हूं कि आप अगर रिकाल का उसूल मानते हैं तो मेरा दावा है कि इस सदन में बैठे हुए बहुत से मेम्बरों को जल्दी ही इस सदन के दर्शन करने को न मिलेंगे। अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो चाहे इसका प्राविजन कांस्टीटच्यूशन में हो या न हो आप इस्तीफा दे कर अपनी कांस्टीटुएंसी में जाइये और अपने एलेक्टर्स से कहिए कि कांस्टीटच्यूशन में यद्यपि नहीं है लेकिन चूंकि मैं इसको नैतिकता के साथ ठीक समझता हूं मैं आपके सामने आया हूं। आप मुझको वोटदीजिए और एलेक्टर्स आप में अपना कांफीडेंस (विश्वास) जाहिर कर सकते हैं। अगर रामकुमार शास्त्री जी इस सिद्धांत को मानते हैं तो सिद्धांत के लिए हो सकता है कि और पार्टी के लोग सीट छोड़ें या न छोड़ें लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने एलेक्टर्स का वरडिक्ट लिया। और उन्होंने दिखला दिया कि हर शख्स इसको कर सकता है कि वह एलेक्टर्स की राय को रिप्रेजेंट (प्रतिनिधित्व) करता है।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

लेकिन मैं यह कहता हूं कि जो रिकाल का सिद्धान्त है वह इतने बड़े मुल्क में और ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें से हमारा मुल्क गुजर रहा है, चल नहीं सकता और क्या राजाराम शास्त्री जो सीरियसली उसको चलाना चाहते हैं ? क्या आप चाहते हैं कि रोज एलेक्शंस होते रहें ? क्या आप चाहते हैं कि आप मजदूरों से चुनकर आये हैं मजदूर आप पर फिर वर्डिक्ट दें तो वह आपको कल निकाल देंगे। तो इसलिये मैं यह कहता हूं कि आप को ऐसे आरगूमेंट्स जिनमें आप खुद सीरियसली बिलीव न करते हों नहीं देना चाहिये। ऐसे आरगूमेंट्स तो महज यह दिखलाने के लिये कि हम प्रजातंत्र के सबसे बड़े हामी हैं और यहां यह जाहिर करने के लिये कि जो बात गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है उसमें सब ताकत जनता की हड़पी जाती है और जो वह कहते हैं उसमें सब ताकत जनता को दी जाती है। तो मेरा जो प्वांइट है वह यही है कि हमारे जितने कानून हैं वह सब पुराने हैं, जितनी सर्विसेज हमारी हैं वह भी पुरानी हैं और जब उनकी गलतियां सुधारने के लिये बिल लाया जाता है या कोई बात की जाती है तो आप उसे बुरा कहते हैं। रिवोल्यूशनरी तरीके से अगर आप उस सुधार को करना चाहते हैं तो उसकी हानियां भी साथ ही साथ हैं जिनको आपको उठाना पड़ेगा। हम तो एवोल्यूशनरी तरीके को मानते हैं, शान्तिमय क्रान्ति को मानते हैं और उसके लिये यही तरीका सब से अच्छा है। हां, एक बात जो त्रिलोकी सिंह जी ने कही थी वह ठीक थी। उनकी स्पीच मेरे ख्याल में बहुत कुछ सही तरीके से हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर वक्त लगा देते तो अच्छा होता। पुराने के लिये जो बात है वह तो आप भी मानेंगे राजाराम शास्त्री जी भी मानेंगे लेकिन आइंदा के लिये वक्त होना चाहिये था तो उसके लिये आप अमेंडमेंट लाते। अगर आप उसके लिये सीरियस थे तो कोई अमेंडमेंट लाते लेकिन आप कोई अमेंडमेंट उसके लिये नहीं लाये इससे यह साबित होता है कि आप उसके लिये सीरियस नहीं हैं सिर्फ गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहते हैं। मैं यह मानता हूं कि अगर कोई बोर्ड नाजायज तरीके से काम करता है तो उसको सुपरसीड कर लिया जाय। लेकिन मेरे मित्रों ने कहा कि पार्टीबाजी के ख्याल से सुपरसीड किया जाता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि यह हमारे माननीय मंत्रियों की कमजोरी है कि वह अपोजीशन के लोगोंकी बातों का ज्यादा ख्याल कर लेते हैं। तजुर्बे में तो यह दिखलाई देता है कि फैसला हमारे ही खिलाफ होता है और विरोधी पक्ष के लोग उस वीकनेस (दुर्बलता) का फायदा उठाते हैं। हर चीजमें यह कह दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसा चाहते थे, इसलिये ऐसा कर दिया गया, लेकिन मैं श्रीमान् आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि हमारी यह फीलिंग है और सही फीलिंग है कि हमारे माननीय मंत्रियों की ओर से इनकी बातों को नाजायज तरजीह दी जाती है और उसका यह लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। मैं जानता हूं कि कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है जहां कांग्रेस की हिमायत की गई है बल्कि इसके खिलाफ दूसरों की हिमायत होती है और फिर इस मौजूदा बिल में यह कहा जाय कि कांग्रेसवालों के भले के लिये है, तो शायद ही कोई म्युनिसिपैलिटी हो जहां कांग्रेस के लोग हों, यह तो वह म्युनिपैलिटियां हैं जो कांग्रेस ने जब एलेक्शंस का बहिष्कार किया था तब चुनी गई थीं इसमें शायद एकाध ही कांग्रेस के लोग हों। अब सवाल यह आता है कि एलेक्शंस क्यों नहीं करा लेते तो उसके लिये तो हम भी उतने ही आतुर हैं जितने कि आप लेकिन ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके लिये पोस्टपोन करना पड़ता है वरना चाहते तो हम भी हैं कि चुनाव हों और हम भी बतला सकें कि जनता किसको चाहती ह। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में भी और पंचायतों के एलेक्शंस में भी हमने बतलाया है कि इस प्रदेश की पूरी की पूरी एलेक्टोरेट कांग्रेस के साथ है, म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में भी वही होगा। उसमें तो हमारा ही ज्यादा नुकसान है आपका नहीं लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके ऊपर न हम काबू पाते हैं और न आप पाते हैं। उन परिस्थितियों के मारे चुनाव को मुल्तवी करना पड़ा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कहीं भी एक भी ऐसी मिसाल मिले जहां गैर-कानूनी तरीके से बोर्ड को सुपरसीड किया गया हो तो हमारे मित्र उसे सामने लावें और हम उनका साथ देंगे। लेकिन म्युनिसिपैलिटी के बारे में कांग्रेस की बात करना गैर-जरूरी है। अगर इससे किसी को म्युनिसिपैलिटियों में संरक्षण मिल रहा है तो विरोधी दल में जो बैठे हुए हैं उनके साथियों को ही मिल रहा ह।

श्री गोपाल नारायण जी ने कहा कि एक ऐसा बिल बने, जिसमें सारी पंचायतों, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्युनिसिपैलिटियों का समन्वय किया जाय। मैं उनसे कहता हूं कि हम सब उनसे सहमत हैं, लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि जो एल० एस० जी० बिल उन्होंने तैयार किया था, उसमें भी काफी परिवर्तन की आवश्यकता है। उस जमाने में जब कि उन्होंने एल० एस० जी० बिल बनाया था तब से आज की परिस्थिति में बहुत अन्तर आ गया है। आज जो परिस्थिति है उसमें यह जरूरी है कि उस बिल में काफी परिवर्तन किये जायं। पंचायतों के बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जो हालत हो गई है उसको देखते हुये उस एल० एस० जी० बिल को एक नये सिरे से बनाना आवश्यक है। हमारे माननीय मंत्री जी की भी, जैसा श्री गोपाल नारायण जी ने स्वीकार किया, इच्छा रही है कि वह बिल आये और इस आदरणीय सदन के सामने रखा जाय। उन्होंने कुछ और जो बातें कहीं वह उनकी और मंत्री जी की प्राइवेट बातें हैं, उसके बारे में तो मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन यह मैं कहता हूं कि इस कांग्रेस पार्टी में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा या कैबिनेट का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो कि यह चाहे कि एल० एस० जी० बिल, जिससे कि स्वायत शासन का नया ढांचा तैयार होता है, न आये। आखीर कौन सा ऐसा काम हुआ जो कि इतना जरूरी नहीं था जितना कि एल० एस० जी० बिल था ? क्या जमींदारी विनाश बिल जरूरी नहीं था या ग्राम पंचायत राज ऐक्ट जरूरी नहीं था, तो फिर कौन सी गैर-जरूरी चीज थी जो कि आ गई और वह नहीं आई ? मैं कहना चाहता हूं कि अगर सही तरीके से तरमीम कर के एल० एस० जी० बिल को लाया जाय जिससे कि ऊपर से नीचे तक स्वायत्त शासन का ढांचा एक हो सके तो मैं समझता हूं कि हम सब के सब उसका स्वागत करेंगे।

श्रीमान् जी, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहां किसी का इरादा डिक्टेटरशिप कायम करने का नहीं है और जो प्रजातंत्र के उसूल हैं उन पर हम मजबूती से कायम हैं और कायम रहेंगे। मैं एक क्षण के लिये भी नहीं चाहता कि कोई बोर्ड बिला वजह सुपरसीड रहे, लेकिन प्रजातंत्र इसलिये नहीं है कि हम केवल उसका नाम लेते रहें और काम उसके विपरीत करें। हम प्रजातंत्र इसलिये चाहते हैं कि प्रजा को फायदा हो, प्रजा को सुख मिले, प्रजा के अधिकारों में तरक्की हो, प्रजा अपना विकास कर सके और अपनी उन्नति कर सके। यही प्रजातंत्र के सच्चे माने हैं। मान लीजिये कोई म्युनिसिपैलिटी प्रजा को तकलीफ दे रही है और आर्डर्स जाने पर भी वह सही और कानूनी तरीके से काम नहीं कर रही है तो क्या आप कहेंगे कि उसको सुपरसीड न किया जाय। लखनऊ म्युनिसिपैलिटी का बहुत जिक्र हुआ, लेकिन मुझे मालूम नहीं है और न मैंने किसी पब्लिक मीटिंग में ही यह सुना कि कोई प्रस्ताव ऐसा पास हुआ हो कि पहले म्युनि-सिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था और अब एडमिनिस्ट्रेटर के जमाने में काम अच्छा नहीं होता। अगर ऐसा है तो पब्लिक ओपीनियन के बनाने वालों को चाहिये और खास तौर से श्री गोपाल नारायण जी को कि वह देखें कि म्युनिसिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेशन पहले अच्छा था या अब एडमिनिस्ट्रेटर के जमाने में अच्छा है। फिर भी यह सब कितने दिनों के लिये हैं क्योंकि सन् १९५२ ई० में तो एलेक्शन होने वाले हैं। इसके बाद अगर सुपरसेशन का सवाल पैदा होता है तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय स्वयं नहीं चाहेंगे और न हाउस का कोई माननीय सदस्य ही चाहेगा कि किसी म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड किया जाय, अगर वह सही तरीके से काम करती है। आप चाहें तो एल० एस० जी० बिल में अख्तियारात दें, लेकिन आज जो प्रावीजन है और जहां वर्किंग में गल्ती होती है तो उनको दुरुस्त करने के लिये कुछ अधिकार मांगे जाते हैं और उसका प्रावीजन किया जाता है तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हमें मंजूर नहीं करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अर्ज करूंगा कि जो चीज यहां कही गई है उसके बाद भी कहा जायगा। मैं अर्ज करूंगा कि इसी सिद्धान्त का आदर करें और यह ध्यान में रखें कि हमें प्रजातंत्र को चलाना है और प्रजातंत्र को चलाने में जहां सरकार का कर्त्तव्य है वहां हमारा और आपका भी कुछ कर्त्तव्य है कि हम सही चीज को सही कहें। केवल विरोध की भावना से ख्वामख्वाह गल्ती दिखाने के लिये गल्ती दिखाने की कोशिश करें जहां गल्ती न हो।

श्री साजिद हुसैन---इस बिल में अभी तक मैंने कोई हिस्सा नहीं लिया और कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें

[श्री साजिद हुसैन]

बहुत से लोग हिस्सा लेना चाहते हैं। इस सिलसिले में जहां तक मैंने देखा कि गवर्नमेंट के प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) से इसमें एक रिडीमिंग फीचर यह है कि इसमें जो स्प्रिट है, जिसके मातहत यह चीज हमारे सामने आई है, इसमें कोई बनावट नहीं है और जिसमें बनावट न हो और रिअलिटी की तरफ जाती हो वह चीज काबिले कदर होती है। अब आप यह देखिये कि जहां तक माननीय सदस्यों का ताल्लुक है, आम तरीके से अपोजीशन के मेम्बरान और चंद गवर्नमेंट की बेंचेज के मेम्बरान ने इस पर काफी जोश व खरोश का इजहार किया है कि डैमोक्रेसी का खून हो रहा है, डैमोक्रेसी क्या चीज है और कौन की चीज है सिर्फ इसके मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक विदेशी खिलौना है जो यहां इम्पोर्ट किया गया है, जिसका खेलना हम अभी तक सीख नहीं पाये हैं। उसके ऊपर इतना जोश व खरोश, काश किसी हिन्दुस्तानी आइडिया के मुताल्लिक यह जोश व खरोश हमारे मेम्बरान का होता तो काबिले कद्र चीज थी, काश यह जोश व खरोश राम राज्य के मुताल्लिक अपने जजबात का इजहार करते तो वह भी हम देखते डेमोक्रेसी का जिक्र और उस पर जान देने के लिये तैयार। डेमोक्रेसी है या माकरी (परिहास) है? डेमोक्रेसी को जब कि ग्रीक स्टेट्स ने अपने यहां इसे इंवाल्व किया, यह वहां एक एक्सपेरीमेंट के तौर पर हुआ। इसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने खसूसन इंग्लिस्तान ने पसन्द किया और एक हद तक कामयाबी के साथ चलाया। मगर हिन्दुस्तान में उसी के जवाब में राम राज्य था। यह वह आइडियल है, जिसका कभी कभी हम भूले से जिक्र कर देते हैं। डेमोक्रेसी के सिलसिले में कहीं कम्युनल एलेक्टोरेट का जिक्र आ गया। जहां तक कम्युनल एलेक्टोरेट का ताल्लुक है आज जो डेमोक्रेसी के मुताल्लिक बातें करते हैं वे खुद उसमें पार्टी थे। मैं जिस कांस्टिट्युएंसी को रिप्रेजेन्ट करता हूं वह एक ज्वायंट एलेक्टोरेट कांस्टिट्युएंसी थी, बावजूद इसके मुल्क में सेपरेट एलेक्टोरेट फैला हुआ था। तो ये सब बातें उन लोगों के मुंह से, जो कम्युनल रिप्रेजेन्टेशन के हामी थे, अच्छी नहीं मालूम होतीं और वे इन डेमोक्रेसी की बातों में शरीक हों। जहां तक हमारे मुल्क का तजुर्बा है हमारा फर्ज यह है कि जो कुछ हम इस भवन में कहें वह सच्चाई से अलग न हो। कौन शख्स इससे इंकार कर सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने जैसा इंतजाम किया इस शहर में वह काबिले एतराफ नहीं है या जो इससे पहले इंतजाम था वह इससे बेहतर था। अब सवाल यह आता है कि आया गुड गवर्नमेंट अच्छी है या सेल्फ गवर्नमेंट। एक जमाने में इसका कांग्रेस सरकार ने बड़ा ढिंढोरा पीटा था कि सेल्फ गवर्नमेंट अच्छी चीज है और सेल्फ गवर्नमेंट इंक्लूड्स बेड गवर्नमेंट आलसो (स्वशासन में बुरा शासन भी सम्मिलित है।) यह सरकार कहा करती थी। आज इस सरकार की तरफ से आता है कि भाई अब वहां की हालत अच्छी नहीं है लिहाजा हम अपने आदमी को मुकर्रर करते हैं और जो काम एलेक्टोरेट के जरिये से होता था वह ठीक नहीं चल रहा है। बिलकुल खुला हुआ कांट्रेडिक्शन (विरोध) है। अब यह देखिये। मैं दूसरे ममालिक की बात लेता हूं, इस देश का जिक्र नहीं करता। अफ्रीका में अंग्रेजों की कालोनीज हैं, वह कहते हैं कि हम चले जायेंगे जो हब्शी हैं वे ठीक इंतजाम नहीं कर सकेंगे, बड़ी गड़बड़ी होगी, कत्ल और गारत होंगे, ला ऐंड आर्डर नहीं रहेगा, हम रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। इसी तरीके से यहां आप देखिये, हर चीज में डिग्रीज का फर्क होता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड छोटा एरिया है बमुकाबले स्टेट के। यह स्टेट छोटा एरिया है बमुकाबले इंडियन यूनियन के। इंडियन यूनियन कहती है कि उत्तर प्रदेश का इंतजाम ठीक नहीं है, ब्लैकमार्केट बहुत ज्यादा है, लिहाज़ा इसको सुपरसीड (अतिक्रान्त) कर देना चाहिये। एक बड़ा केपेबिल एडमिनिस्ट्रेटर भेज रहे हैं, आई० सी० एस० क्लास का आदमी होगा, बड़ा उम्दा इंतजाम करेगा। अब यह सवाल हमारे सामने है कि इसे चूज करें या उसे चूज करें, एक गुड गवर्नमेंट को चूज करें या कि एक पाप्यूलर एलेक्टोरेट को, जो कि डैमोक्रेसी का बेसिस है, यह एक मुश्किल सवाल है। यह किसे पता कि इससे बढ़ कर एक स्टेज यह भी आ सकती है, ऐसी भी कैओटिक सिचुयेशन (अराजक स्थिति) हो सकती है कि जब इंसान मजबूर हो जाय और कहे कि डेमोक्रेसी से भर पाये। इससे तो अच्छा वह गवर्नमेंट सर्वेन्ट है जिसको अपनी तनख्वाह और अपनी नौकरी का भी ख्याल है। तो इस बात से यह साबित नहीं होता है कि वन मैन

गवर्नमेंट हमेशा बुरी होती है। अगर हम ऐसा मान भी लेते हैं तो यकीन जानिये हिन्दुस्तान की कल्चर पर ठेस पहुंचती है। एक ज़माना था कि हिन्दोस्तान का उसूल इतना ऊंचा था कि अगर ज़बान से कह दिया तो रजिस्ट्री हो गई, लेकिन आज कि रजिस्ट्री करने के बाद भी दस्तख़त करने से इंकार होता है। यह क्या है? हमको इस तरह की लाइट में इस चीज़ को देखना चाहिये कि आया यह मुल्क इसके लिये तैयार भी है या नहीं है, लेकिन अगर तैयार नहीं तो उसके सिर पर ज़बरदस्ती नहीं लाद देना चाहिये। आज पब्लिक की क्या हालत है? एलेक्शन में जिन्होंने वोट डाले वे आज आठ-आठ आंसू रो रहे हैं। यहां की पब्लिक इस चीज़ को समझ नहीं सकी कि अपने वोट से वह क्या फायदा उठाये, एक माव सेंस है जो उसको गवर्न करता है। अब ज़रा वहां की भी देखिये कि जहां डैमोक्रेसी चल रही है और सक्सेसफुली (सफलता पूर्वक) चल रही है यानी इंग्लिस्तान में। उस मुल्क में वह शख्स जिसने उस मुल्क को दूसरी वर्ल्ड वार से बचाया, उसके खिलाफ भी जब वोट्स का नम्बर आया तो दस हज़ार वोट्स डल गये। उन्होंने उनको उस वक्त तक ही रखा जब तक कि उनकी ज़रूरत थी लेकिन जब उन्होंने देखा कि चेंज ओवर (परिवर्तन) की ज़रूरत है तो उस गवर्नमेंट को निकाल कर फेंक दिया। मगर जिस मुल्क में बाप-दादों के ताल्लुकात की बिना पर वोट पड़ते हों, जिस मुल्क में मजहब की बिना पर वोट पड़ते हों, लालच की बिना पर वोट पड़ते हों, जिस मुल्क में धमकी का सवाल उठता हो वहां डैमोक्रेसी कैसे चल सकती है? गरीब ले मैन बड़े कन्फ्यूजन (सम्भ्रम) में पड़ा हुआ है, कोई समझ नहीं पा रहा है कि यह चीज़, यह गोरखधंधा कहां से आया और ज़बरदस्ती कड़वी कड़वी यह कुनैन की दवा उसके गले उतारी जा रही है और इस तरह डैमोक्रेसी चलाई जा रही है। मुझे शर्म मालूम होती है कि हम लोग इस तरीके से इस चीज़ के लिये लड़ रहे हैं। अगर वाकई हम उस रीअल चीज के लिये लड़े होते और अपनी चीज के लिये लड़े होते तो एक फख्र की बात होती। इसकी कामयाबी के लिये हमें देखना चाहिये कि आया वह कामयाब होगी या नहीं और उसके लिये मुल्क तैयार भी है या नहीं है। इस कांस्टीटयूशन को बनाने के लिये हमको नमूना भी लेना था, कहां का, इंग्लिस्तान का। क्या कभी हमने रामायण खोल कर पढ़ी जब कांस्टीटयूशन हमने बनाया तो क्या हमने महाभारत को पढ़ा। हमने हिन्दोस्तान से क्या सीखा, सिर्फ कांस्टीटयूशन बनाने बैठ गये। मुझे खुशी है कि इसी कांस्टीटयूशन की बदौलत माननीय उपाध्यक्ष इस कुरसी पर बैठते हैं, इसी कांस्टीटयूशन की बदौलत माननीय मुख्यमंत्री यहां बैठते हैं। ठीक है यह अच्छी चीज़ है। मगर यह क्या चीज़ है? आज आप गरीब जनता की हालत को देखें, उसके मेंटल डेवलपमेंट (मानसिक विकास) को देखें, मैं नहीं समझ सकता कि आखिर यह क्या बात है। आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी की बिना पर हजारों की तादाद में स्कूल खुले हुए हैं, चाहे बैठने की जगह हो या न हो, चाहे टीचर साहब दस्तखत कर सकते हों या न कर सकते हों और उस पर भी आप कहते हैं कि देखो, हमने इतने स्कूल बढ़ा दिये। आखिर यह क्या चीज़ है? मैं तो कहता हूं कि इतनी जबरदस्त मिसाल इंगलिस्तान, जिसे मौजूदा डेमोक्रेसी का घर कहना चाहिये वहां भी लोग इसको अच्छी तरह से नहीं समझ सके हैं, जब कि हमारा मुल्क, जहां की जनता बेचारी इतनी बेगुनाह है और बेकसूर है, उसके ऊपर आपने यह बवाल नादिर कर दिया। आप देखें कि वे बड़े जंजाल में पड़े हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी १०० परसेंट पावर अपने हाथ में ले लें, उनके ऊपर हमें विश्वास है, चाहे वे जमींदारी खत्म करें या जो कुछ चाहें, करें। मगर यहां तो उनके चारों तरफ भी नोच-खसोट मची हुई है, जिससे वे खुद भी अपनी राय को नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं। वे कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं, चारों तरफ से लोगों ने उनको परेशान कर रखा है नहीं तो जमींदारी एबालिशन जैसा गलत काम कभी भी उनके हाथ से नहीं हो सकता था। कंफ्यूजन से इस क़दर लोग परेशान हैं, कंस्टीटुएंसीज में पार्टी पालिटिक्स की वजह से इस कदर नोच-खसोट मची हुई है कि जो जहां जिस चीज को पाता है वहीं नोच लेना चाहता है। परेशानी की हालत में जनता उनसे पूछती है कि आप असेम्बली में हमारे लिये क्या कर रहे हैं? साहब अपने से छुट्टी नहीं, किसके लिये कोई क्या करे? वक्त मिलता नहीं सोचने का, वक्त मिले तो सोचा जाय। उसके लिये सोचने की भी फुरसत नहीं। जब अपने से ही फुरसत नहीं तो फिर दूसरे के लिये कोई क्या करे? उनके लिये सिर्फ यह करते हैं कि

[श्री साजिद हुसैन]

कभी-कभी यहां बैठ कर दुआ कर देते हैं कि हमारे एलेक्टोरेट फलें-फूलें और बढ़ें। और हम क्या कर सकते हैं ? हम यही कर सकते हैं कि हमारे दिलों में उनके लिये गुड विशेज हों, और हम ईश्वर और परमात्मा से उनके लिये दुआ करें। मैं तो ये बातें सुन सुन कर उस पर गौर करता हूं कि आया यह कौन सी डैमोक्रेसी है ? मैं तो डैमोक्रेटिक पार्टी का मेम्बर भी हूं, उसका लेबिल भी मेरे ऊपर लगा हुआ है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चलती का नाम गाड़ी है, लेकिन वह चले भी तो ? और फिर चढ़ना कहां है कि पहाड़ पर कि अगर एक क़दम हम आगे चलें तो वह दस क़दम पीछे खींचती है। तो यह कंफ्यूजन की बातें हैं। आप कहते हैं कि हम स्पार्टन स्टेट कायम करना चाहते हैं, तो कायम कीजिये, इससे बहस नहीं है, लेकिन नतीजा देखिए कि मुल्क ने क्या तरक्की की ? इतने कुवें बनवा दिये, इतने एक्सपर्ट्स बुला कर कितने प्लान बनवा दिये, यह ठीक है। मगर मैं यहां बतलाना चाहता हूं कि एक अंग्रेजी की कहावत है कि "टू मेनी कुक्स स्पायल दि ब्राथ" (दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम)। तो यहां तो इस वक्त हर शख्स अपने को एक्सपर्ट समझता है और वह अपना प्लान बना कर मुख्य मंत्री के पास पहुंच जाता है कि हमने यह प्लान तैयार किया है, हमने यह प्लान तैयार किया है यानी आज हजारों प्लान तैयार हो रहे हैं और फिर डेमोक्रेसी के नाम पर कहा जाता है कि हमारे प्लान को आप मंजूर कीजिये और अगर आप इसे मंजूर नहीं करते हैं तो यह बहुत बुरा है और इससे डेमोक्रेसी के नाम पर आप धब्बा लगाते हैं। आज इस कदर काम हो रहे हैं तो मैं कहता हूं कि किसी तरह से तो बेड़ा पार हो हमारे मुल्क का। आप को यह देखना चाहिये कि इससे किसी को आराम पहुंचता है या नहीं ? मैं तो कहता हूं कि बच्चा जो होता है उसे भी जब भूख लगती है तो वह रोता है और मुंह से मांगता है। मगर ये जो हमारे ग़रीब वोटर हैं वे बेचारे जानते भी नहीं कि किस तरह से मांगें और किससे मांगें और किस तरह से इन मेम्बर साहबान की टांगें पकड़ें और उनसे पूछें कि हुजूर आपने हमारे लिये क्या किया ? कौन सा वह तरीका है जिसको आप मंजूर करना चाहते हैं। ५ साल के लिये अगर आप यहां एलेक्ट होकर आये हैं तो क्या उस अर्से में यहां पर जनता के लिये किया गया है ? मगर यहां तो आपको इधर उधर के कामों से फुरसत नहीं मिलती है। हम और बातों को नहीं देख सकते चाहे आप कुछ भी करते रहें। हम लोग तो सिर्फ रिजल्ट को देखेंगे कि आपने क्या किया और नहीं तो यह चीज चलनेवाली नहीं है। अगर किसी इमरजेन्सी की हालत में डिक्टेटर कोई हो जाय तो क्या बुरा है ? अगर एथेन्स में एक डिक्टेटर हुआ तो वह वहां पर उसने कुछ करके दिखलाया और एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर बहुत सुधार किया। आप जानते हैं कि पैरोक्लीयन एज में पैरोक्लीयन ने क्या काम करके दिखाया। हालांकि वहां पर एक तरीके से डिक्टेटरशिप कायम हुई थी। अगर कहीं से भी हमको कोई खास बात मिलती है तो हमको जरूर लेना चाहिये और तरक्की की बातें सोचना हमारा, फर्ज है। मैं नहीं कहता कि आप हवाई जहाज को छोड़कर दिल्ली के लिये गाड़ी का इस्तेमाल करें। जहां तक प्योर आइडियाज का ताल्लुक है उसमें मैं यह कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान कभी भी किसी से पीछे नहीं रहा। आप यह देखें कि हिन्दुइज्म के अन्दर बहुत से आइडियाज कवर हो जाते हैं। हर आइडियाज को उसमें जगह मिल सकती है उससे भी तो आपको कुछ सीखना था। जिस तरह से conglomeration of varions thoughts (विभिन्न विचारों का समवाय) होते हैं जिसके अन्दर बहुत तरह के आइडियाज (विचारों) के लोगों के थाट कवर (विचार ढंक जाना) हो जाते हैं, conflict ideas (भिन्न विचार) भी assimiliate (खप जाते) हैं। उसके अन्दर एक फ्रीडम आफ थाट रहता है और उसको एक होम आफ कल्चर कहा जाता है। वह तो एक चीज है और उसके लिये बहुत मेहनत की भी जरूरत नहीं है। वह तो सब हमारे यहां मौजूद है, लेकिन आप तो इस डेमोक्रेसी को ले आये। यह कौन सी बात है ? इसीलिये तो लोग आवाज उठाते हैं ? आप यह देखिये कि हमारा क्या था अगर हमको यहां से कुछ न मिले तब तो आप कह सकते हैं कि यही हमारे लिये एक डेमोक्रेसी रह गई है जिसके बिना हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सिद्धान्तों का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि प्रथम वाचन में हम लोग काफी इस संबंध में कह चुके। उस

संबंध में कुछ ज्यादा कहना नहीं है। अब जबकि तीसरा वाचन चल रहा है तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस बिल के बारे में कल मिनिस्टर साहब ने तकरीर की और जो वजूहात बतलाये कि क्योंकि इस बिल के पेश करने की जरूरत है उस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। उस को देखते हुए हम यह कहेंगे कि जो दलील उन्होंने दी उसके मुताल्लिक हम सहमत नहीं हो सकते. इसलिए अगर उसमें कहीं पर एक आध दफा के बदलने से काम चला होता या संशोधन से काम चलता होता तो ठीक है। लेकिन मुझे इस भवन में ऐसा लगा कि इस बिल का पेश करने का जो उसूल है, माननीय मंत्री जी उसके खिलाफ हैं। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि हम आप के सामने एक बिल पेश करते हैं और हम चाहते हैं कि सुपरसेशन का राइट गवर्नमेंट को रहे और आइन्दा उसको बढ़ाने के लिए भी हक दिया, लेकिन खुद की राय पूछी गयी तो यह कहते हैं कि इस प्रकार के अधिकार को लेना गलत है, सुपरसेशन का अधिकार लेना गलत बात है, यह मुनासिब नहीं है। यह ठीक बात है। एक मिनिस्टर जिस बात को गलत समझते हैं उसी बिल को हाउस के सामने पेश करते हैं और दलील से यह बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि यह चीज नामुनासिब है, लेकिन फिर भी हाउस के सामने पेश करते हैं और हमें यह भी देख कर ताज्जुब हुआ कि कल से लेकर आज तक इस बिल पर बहस हो रही है। १५–१६ आदमियों ने तकरीर की, दो रोज की कोशिश के बाद, भवन की तमाम पार्टियों के मेम्बरों के भाषण के बाद सिर्फ एक माननीय सदस्य इस भवन में निकले, जिन्होंने आप का समर्थन किया। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब इतनी बहस हो रही है प्रजातंत्रवाद की तो बड़ा तमाशा मालूम होता है कि जिस बिल के बारे में माननीय मंत्री जी की खुद की यह राय हो और भवन की प्रत्येक पार्टी की राय हो सिर्फ एक समर्थक निकले, जिन्होंने दिल खोल कर समर्थन किया। फिर भी मैं देखता हूं कि इतना सब होते हुए भी प्रथम वाचन भी पास हो गया, द्वितीय वाचन भी पास हो गया और मैं समझता हूं कि तृतीय वाचन भी पास हो जायगा। तो प्रजातंत्रवाद का जो यह स्वरूप है, यह बहुत ही अनोखा है जो किसी बिल में मुझे देखने को मिला।

अब हम इसको सोचेंगे कि माननीय मंत्री ने कल यह कहा कि अगर सुपरसेशन का अधिकार न भी हो तो किसी भी बोर्ड की रजामंदी से भी काम चल सकता है। तो जब किसी बोर्ड को डिजाल्व करने से काम चल सकता है तो आखिर सुपरसेशन के इस तरह के राइट को अपने हाथ में रखने और लगातार उसको प्रयोग करने के लिए भवन से अधिकार मांगना कहां तक मुनासिब बात है? जब एक अधिकार से काम चल सकता है, जिसके बारे में हममें से बहुतों ने कहा कि कोई एतराज की बात नहीं है, आप डिजाल्व कर दीजिये अगर कोई बोर्ड ठीक काम नहीं करता, तो फिर मैं यह नहीं समझ सका कि इसकी क्या जरूरत है? माननीय मंत्री ने कल इस बात की भी सफाई दी कि अधिकार हमको दे दो, लेकिन विश्वास रक्खो कि हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। फिर वही सवाल उठता है कि जिसका प्रयोग करना आप मुनासिब न समझते हों, जिसका आप भवन को विश्वास दिला रहे हों, फिर आप के दिल में इस तरह से अधिकार रखने की ख्वाहिश क्यों है? हम आप पर यकीन मानते हैं, लेकिन आप जो ऐसी दलीलें पेश करते हैं, इससे दिल में न शक हो तो भी पैदा होता है। अरे, आप सरासर यह कहते जाते हैं कि यह मुनासिब नहीं है, यह भी कहते जाते हैं कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे फिर भी आप अपनी झोली में यह अधिकार रख लें, न जाने इसमें आप को क्यों लुत्फ आ रहा है? तो मैं समझता हूं कि यह कोई चीज मुनासिब नहीं है।

आप ने यह भी कहा कि अगर आप कभी इसका प्रयोग करेंगे तो भवन को बतला देंगे कि हमने इसका प्रयोग क्यों किया। बड़ी खुशी की बात है। अगर इतने सालों में सरकार की समझ में यह बात आयी तो बड़ा अच्छा है। आप ने कितने ही सुपरसेशन आज तक किये, लेकिन कभी भी माननीय मंत्री को इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि इस भवन को आकर बतला दें। हमें बड़ी खुशी है कि कल भवन के

[श्री राजाराम शास्त्री]

अन्दर जो इतनी बहसें हुईं, सारे भवन ने जब आप की इस बात का विरोध किया तो आइन्दा के लिए आप यह कहते हैं कि अगर हमने कभी वह काम किया जो आज तक करते आये हैं तो हम आप को बतला देंगे। मैं समझता हूं कि बड़ी खुशी की बात है और हम अब इस बात को भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे।

साथ में आप ने यह भी कहा कि चाहे आप पास कीजिये या न कीजिये, हमें तो अधिकार पहले से ही प्राप्त हैं। तो अगर पहले से ही अधिकार प्राप्त है और हम चाहे पास करें या न करें तो फिर क्या जरूरत है इस बात की कि इस कानून को आप लायें और यह कह कर लायें कि आज तक हमने जो काम किये उनका समर्थन आप कीजिये। अगर अपने ही कामों का समर्थन आप करा लीजिये तो भी गनीमत, मगर यहां तो बड़ी सरकार के भी कामों का समर्थन कीजिये और छोटी सरकार का भी समर्थन कीजिये यानी आपने जो काम किया उसका और आपने जो डिक्टेटर नियुक्त किया, उस डिक्टेरर ने जो वक्तन-फवक्तन हुक्म जारी किये, उन सबका समर्थन आप हमसे कराना चाहते हैं। यह चीज मुझे किसी भी मानी में उचित प्रतीत नहीं होती है। हां, यह मैं जरूर कहूंगा कि माननीय मंत्री ने यह कहा कि हमने जो दलील पेश की अभी तक ४, ६ या १० जो कुछ भी तादाद हो, म्युनिसिपैलिटियां सुपरसीड की गई और डिक्टेटरशिप नियत की गई तो हमने यह कहा कि हम उनकी नियत पर हमला करते हैं हम उनकी नियत पर विश्वास नहीं करते। मैं यह नहीं कहता कि आप की नियत खराब है। भवन के सब लोगों ने आपकी तारीफ की और हमने उन चीजों की प्रशंसा की; लेकिन जैसा कि कल माननीय सदस्य गोविन्द सहाय जी ने कहा, एक नज्जारा हमारे सामने आ रहा है कि एक हाथ से अधिकार दिया जाता है और दूसरे से ले लिया जाता है। यह चीज नियत की खराबी से नहीं है। आप ऐसे तरीके पर जा रहे हैं और ऐसी बात कहते हैं कि जिसका परिणाम यह होता है कि आप ने पंचायत राज्य ऐक्ट बनाया और कहा कि सेक्रेटरी चुने जायंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद आप ने कहा कि नहीं, सरकार उन्हें मुकर्रर करेगी। हम लोगों का कहना यह है कि एक अच्छा काम करना तो आप चाहते हैं, लेकिन दूसरी चीज ऐसी करते हैं जिससे उसकी काट हो जाती है। आज हमने और आपने माना कि म्युनिसिपैलिटियों के अन्दर चुनाव होने चाहियें। जो सुपरसेशन का अधिकार आप को दिया गया और जिस तरीके से उस का प्रयोग हुआ और हो रहा है और बेमियादी आप को अधिकार मिलते जा रहे हैं, उसका नतीजा यह होता है कि लोगों के अन्दर से प्रजातंत्रवाद का विश्वास उठ जायगा। तो यहां नियत का सवाल नहीं है। वैसे ही मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों की नियत आपकी आलोचना करना नहीं है। हमारी नियत यह है कि जो काम आप कर रहे हैं उसका परिणाम बुरा हो सकता है और जनता का प्रजातंत्रवाद से विश्वास उठ सकता है। इसलिए हमने इस बात को रखा है। हमारा विश्वास है कि इंसान जिस दृष्टिकोण को ले कर काम करता है, जैसे अधिकार उसके हाथ में दे दिये जाते हैं तो उनका प्रयोग करते करते इंसान का दिमाग ऐसा बन जाता है कि जो बहुत खराबी पैदा करता है। हमारा कहना है कि अगर आप ऐसी मनोवृत्ति लेकर काम करेंगे जैसा कि आप कर रहे हैं तो, चाहे आप की भावना कितनी अच्छी क्यों न हो लेकिन आपका तरीका आप को गलत रास्ते पर ले जायगा और उससे हमारे देश को नुकसान होगा। हम लोगों की तरफ से ज्यादातर बात यह की गई कि हमने प्रजातंत्रवाद के उसूल का सवाल उठाया। बेशक, हमने उठाया। लेकिन हमारे माननीय सदस्य चतुर्भुज शर्मा जी ने यह कहा कि प्रजातंत्रवाद की हत्या करने के दो तरीके होते हैं-- एक फासिस्ट और दूसरा कम्यूनिस्ट। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि एक तरीका जो हमारी सरकार अमल में ला रही है वह उससे भी खतरनाक है। वह यह है कि नाम तो लो प्रजातंत्रवाद का और फिर उसकी हत्या करो। प्रजातंत्रवाद का चेहरा लगाया और उसकी हत्या की। जो डिक्टेटर हमारे सामने नंगी तलवार लेकर

आता है और हमारी हत्या करना चाहता है उसके शासन को मिटाया जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्रवाद की हत्या करने वाले जो लोग हैं वे उस डिक्टेटर से भी खराब हैं। मैं पूछता हूं कि आप प्रजातंत्रवाद की बात करते हैं। दुनिया में कितनी जगह प्रजातंत्रवाद है, लेकिन हर जगह तो फासिज्म और कम्यूनिज्म नहीं है। बहुत सी जगह काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। मैं कहता हूं कि प्रजातंत्रवाद का नाम ले कर और उसके खिलाफ काम करके भी प्रजातंत्रवाद की हत्या हो सकती है। इसलिए उनसे अधिक सावधान रहना चाहिए जो प्रजातंत्रवाद का नाम लेते हैं और उसके विपरीत काम करते हैं। कल मैंने आप को यह बताने की कोशिश की थी कि आप की नियत कितनी अच्छी हो, डेमोक्रेसी का नाम आप कितना ही लेते हों, लेकिन जो तरीका आप अख्तियार कर रहे हैं वह तरीका हमको प्रजातंत्रवाद की ओर नहीं ले जायगा। यह चीजें हमको उस ओर ले जायगी, जिस ओर न आप ही जाना चाहते हैं न आप हमको ही ले जाना चाहते हैं। इस दलील को देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे उस वक्त बड़ा दुःख होता है जब मैं यह देखता हूं कि पढ़े-लिखे और समझदार लोग भी उस व्यक्ति को बधाई देने लगते हैं, जो प्रजातंत्रवाद का नाम लेता है और उसकी ऊपर की शक्ल को ही देख करके ही यह समझ लेते हैं कि उसके ऊपर की जो शक्ल है वही अन्दर की शक्ल है। अगर यह मान लिया जाय तो हर मन्दिर के पुजारी और हर गंगा जी के किनारे के पंडा के लिए यह कहना पड़ेगा कि वह एक बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग धर्म का नाम ले करके अधर्म के काम कर सकते हैं। इस प्रकार यह तो वही कहावत हुई कि 'मुंह में राम बगल में छूरी'। यह हो सकता है कि एक आदमी ऊपर से राम राम कहता रहे और बगल में छूरी रख करके दूसरों को मारने के चक्कर में रहे। हमारे चतुर्भुज शर्मा जी कहते हैं कि हमको दिखाई नहीं देता है कि फैसिस्ट कौन हैं। यह दुनिया की बदकिस्मती है कि जो फैसिस्ट होते हैं वह कभी किसी को मालूम नहीं होते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि उन्होंने ऐसा समझ कैसे रखा है। जो फैसिस्ट होते हैं या जो डिक्टेटर होते हैं उनके कोई सींग नहीं लगी होती हैं, वह चार पैर के इंसान नहीं हुआ करते हैं, । फैसिस्ट्स और डिक्टेटर्स जो होते हैं उनकी भी शक्ल हमारी और आपकी तरह होती है, वह भी दो पैर वाले इंसान होते हैं, उनके भी आंख, कान और हाथ होते हैं। जरा आप आंख खोल करके देखिए कि जिस किसी देश में फैसिज्म या डिक्टेटरशिप आया है, वह बाहर से नहीं आया है। दुनिया में जब किसी मुल्क में फैसिज्म आया है, वह कहीं बाहर से नहीं आया है, उसी सर जमीन से पैदा हुआ है। जो हमारी और आप की शक्ल व सूरत है वही हर फैसिस्ट की शक्ल सूरत हुआ करती है, लेकिन उसके कारनामे अलग किस्म के होते हैं और उन्हीं से वह जज किया जाता है। आप इस बात को कहते हैं कि दिखाई नहीं पड़ता है कि फैसिस्ट कौन है, मैं यह कहता हूं कि आप को दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, लेकिन इस देश में डिक्टेटरशिप बढ़ रही है और फैसिज्म बड़े जोर से आ रहा है। मैं यह नहीं कहता कि आप चाहते हैं कि फैसिज्म आये लेकिन फिर भी आप को सावधान रहने की जरूरत है, हमको भी सावधान रहने की जरूरत है, और जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है। हमेशा से मेरा यह कहना रहा है कि अगर आप यह चाहते हैं कि प्रजातंत्रवाद बढ़े तो उसका एकमात्र तरीका यह है कि आप जनता पर अधिक विश्वास करें और नौकरशाही पर कम से कम विश्वास करें। यह बात हमारी तरफ से नहीं कही गयी है बल्कि कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य ने भी कहा है कि आप का विश्वास जनता पर से घटता जा रहा है और नौकरशाही पर से बढ़ता जा रहा है। यह लांछन कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेसी शासकों पर लगाया है। यह चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आप विरोधी दल की दलील कह करके टाल दें। यह ऐसी दलील है जिसकी ओर मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ध्यान दें।

[श्री राजाराम शास्त्री]

हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा कि आप की मनोवृत्ति ऐसी हो रही है कि आप जनता को एक ओर अधिकार देते हैं और दूसरी ओर ले लेते हैं और आप का जनता पर से विश्वास कम होता जा रहा है, यह मुनासिब नहीं है।

मुझे अफसोस है कि जब कभी हम प्रजातंत्रवाद की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ही बात कही जाती है कि हम चुनाव में जीत गये और हम चुनाव में रोज जीत रहे हैं, इसलिए जनता हमारे पक्ष में है। मैं इसको मानता हूं और मैंने आज तक भवन में माना है कि कांग्रेस जीत रही है। गांधी जी का प्रताप, कांग्रेस का पुराना प्रताप और तिरंगे झंडे की शान, यह सभी चीजें ऐसी हैं जिनके नाम पर अभी बहुत दिनों तक कमायें खायेंगे, जिनके नाम पर अभी बहुत दिनों तक आपकी दूकान चलती रहेगी। मैं तो यह कहता हूं कि जब तक गांधी जी का नाम इनके साथ है, तब तक कांग्रेस का नाम इनके साथ है, जब तक जवाहर लाल नेहरू का सहयोग इनके साथ है हम इन्हें आसानी से हटा लेंगे, मैं इसे कभी नहीं मानता। मैं तो जानता हूं कि न जाने हमें कितनी कुर्बानियां करनी पड़ेंगी, कितने दिनों तक जनता की सेवा करनी पड़ेगी। जनता के हृदय में जो उनका स्थान पैदा हुआ है, जनता की जो भक्ति पैदा हो गयी है वह आसानी से हटने वाली नहीं है। लेकिन इस वक्त विजय आप को अन्धा कर रही है जो कि आप देखेंगे कि कितनी बड़ी गलती है। यह बड़ी खतरनाक बात है। आपने देखा कि लगातार १० वर्ष तक चीन में क्युमिंटांग ने राज्य किया और कहा कि हम तो जनता ही के नुमाइंदे हैं और उन्हें पता नहीं चला कि कहां क्या हो रहा है? अगर आप इतिहास को देखें तो पढ़कर आखें खुल जायेंगी। आज आपकी वही हालत होगी जो विजय के उल्लास में क्युमिंटांग की चीन में देखनी पड़ी। आज सूबे के अंदर से आग पैदा हो रही है। आप को वोट भले ही मिल जायं, लेकिन जनता के हृदय में आग पैदा हो रही है और वह आग किसी न किसी दिन आप को बतला देगी कि वास्तव में यह चीज क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि विजय और बधाई की बात यहां पर मत कीजिये, देखना यह है कि हम कहां जा रहे हैं। मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस है। प्रजातंत्र के सब से बड़े उसूल को मैं मानता हूं और जिसको मैंने पूरी सच्चाई के साथ और काफी गम्भीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ कल भवन में पेश किया कि अगर कोई मेम्बर गलती करता है, गलत काम करता है या कोई प्रतिनिधि, संस्था गलत काम करती है तो निर्वाचकों को यह अधिकार मिलना चाहिये कि वह उसको वहां से हटा सके उसको वापस बुला सके ताकि जिम्मेदारी की भावना जनतंत्रवाद के मानने वालों में पैदा हो। लेकिन जिस दलील को मैंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से और सब से ज्यादा जोर से पेश किया उसके बारे में चतुर्भुज शर्मा ने कहा है कि मैंने उसको बहुत ही आसानी से पेश किया, गम्भीरता से पेश नहीं किया। खैर यह आप को अख्तियार है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिसकी तरफ बार-बार इशारा भवन में किया जाता है कि हममें से कितने ही मेम्बर ऐसे होंगे कि अगर उनके बारे में निर्वाचकों से पूछा जाय तो हम बैठ ही नहीं सकते, इसके लिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम यहां न आ पायें तो क्या हम अपने उसूल ही को तोड़ दें, यह कभी नहीं हो सकता। निर्वाचक हमको चुनें या न चुनें, हम आ पायें या न आ पायें, लेकिन उसूल को हम मानेंगे। निर्वाचकों को हक होना चाहिए कि अगर राजाराम शास्त्री कोई गलत काम करता है तो उसको कान पकड़ कर निकाल दें। लेकिन इस भय से निर्वाचक चुनेंगे नहीं, आप सिद्धान्त को न मानें, यह कोई मुनासिब बात नहीं है। जहां तक इस दलील का ताल्लुक है कि अगर यह सिस्टम आफ विथड्राअल यहां लागू किया गया तो न जाने कितने आदमी भवन में न घुसने पायेंगे, तो दुनिया का इतिहास बतलाता है कि कितनी जगह के शासक और मिनिस्टर, जो हुकूमत करते हैं और कहते हैं कि जनता हमारे साथ हैं, वक्त पड़ने पर वह भी भवन में नहीं घुस

पाते हैं, पार्लियामेंट में नहीं घुस पाते हैं। तो जो चीज हमारे लिए लागू होती है वह आप के लिए भी लागू होती है। मैं तो विश्वास करता हूं कि जनतंत्रवाद के अन्दर जब हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में देखते हैं, म्युनिसिपैलिटियों में देखते हैं, इस भवन में देखते हैं तो यह प्रकाश हो जाता है कि प्रजातंत्र का यह उसूल सहाघातक है कि एक बार वोट लेकर आ जाओ, फिर जनता की परवाह न करो कि अब कौन है जो हमें ५ वर्ष तक हटा सके। नतीजा क्या होता है कि हम बैठे हुए हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता और निर्वाचकों का कोई जिक्र नहीं। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमारे पास लोग आते हैं और अपना सिफारिश करते हैं। कोई जनता की सिफारिश नहीं करता। यह तो तभी हो सकता है जब हमको और आप को भय हो। यह जो उसूल मैंने बताया, यह एक ऐसा उसूल है जिस के हथियार को इस्तेमाल कर के हमारे माननीय मंत्री जो जो जनता की संस्थाओं को सच्चे मानों में संस्थायें बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैं आप को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप के खिलाफ हमारे दिल में कोई शक नहीं है। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं, जैसा कल कहा गया कि आप सचवाई के साथ कोशिश करते हैं कि जनता को अधिकार मिले, आप सचवाई और ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं कि देश में प्रजातंत्रवाद स्थापित हो। हम यह जरूर समझते हैं कि जो तरीका आप अख्तियार करते हैं, जो कानून आप बनाते हैं, मान लीजिये कोई कानून बना कर आपने पास कर दिया तो कोई जरूरी नहीं है कि हर मौके पर स्वशासन मंत्री स्वशासन मंत्री बन कर बैठें। कल आप की जगह कोई दूसरा मंत्री बन कर आ जाय तो वह इन्हीं कानूनों को ले कर राज्य करेगा। कल वह इन्हीं अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए जब आप कानून बनाते हैं तो यह न सोचिये कि हमारी तो नियत साफ है। हम अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जनता की रक्षा करेंगे। सोचना यह चाहिए कि अगर कानून गलत बनता है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। जब दूसरा आदमी आपकी जगह पर बैठेगा तो उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए कानून सही बनाना चाहिए। इस कानून में शुरू से आखीर तक आप देखिए जो बातें आज तक आप ने कीं, अगर आप के काम सही हैं और आप संविधान का सही मतलब लगाते हैं, तो भय किस बात का है? अगर मुकदमा हाई कोर्ट या कहीं पर जाता है, आप मजबूत पाये पर खड़े होते हैं? भय किस बात का है? अगर आप ने काम ठीक किया है तो जिस तरीके से कल इस विधेयक का किसी ने समर्थन नहीं किया लेकिन आप ने बड़ी शान के साथ भवन में खड़े होकर अपनी बात को समझाया और उनकी बात गलत साबित करने की कोशिश की, वैसे ही हाई कोर्ट के जजों को मौका दीजिये, न्याय विभाग को अधिकार दीजिए कि वह फैसला करे कि आपने जनता की सही मानों में सेवा की है या नहीं, कानून के मुताबिक काम किया है या नहीं, कानून के मुताबिक हुकूमत चलती है या नहीं। लेकिन आप ही मुजरिम, आप ही जज, सरकार अपने आप कर लें यह मुनासिब बात नहीं है। जिस वक्त आप हाई कोर्ट से बचने के लिए यहां पर कानून पेश करते हैं, तो हमारे दिल में सचमुच यह शक पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कानून के खिलाफ काम किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके नीचे के अधिकारियों ने गलत काम किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह से और मामलों में हाई कोर्ट में आपको बदनामी हुई, उस बदनामी से बचने के लिए आप यह कानून लाये हैं। आप कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर सुप्रीम (विधान मन्डल सर्वोच्च) है। जो काम आपने किया है बहुमत के जोर से उसको सही करार दिलवा दें और कह दें कि विधान सभा के काम में हाई कोर्ट दस्तंदाजी नहीं कर सकती, उसके नियमों पर अपना निर्णय नहीं दे सकती। चूंकि आज डेमोक्रेसी का सिद्धान्त चल रहा है, उससे नाजायज फायदा न उठायें, यह आपकी शान की चीज नहीं है। जब आप कोई आर्डर जारी करें, जब कभी आपके नीचे के अधिकारी, कोई आर्डर जारी करें, तो जानबूझ कर जारी करें यह देख कर जारी करें कि यह ठीक है या नहीं। इस भवन में सिद्ध किया गया है कि कानून में [illegible] की जाती है कि आज तक हमारे अधिकारियों ने जितने फरमान जारी किये हैं, वे सब जायज

[श्री राजाराम शास्त्री]

करार दिये जायं। मैं इसका सख्त विरोधी हूं कि ऐसी चीज भवन के अन्दर आये। आप की यह आदत पड़ती जाती है। इसको हमें रोकना है। इसलिए इस बिल में जो सिद्धान्त हमसे मनवाया जा रहा है कि आज तक हुकूमत ने जो काम किये उनपर मोहर लगाओ, सारे नौकरों ने जो काम किये उन पर मोहर लगाओ और आइन्दा के लिए अधिकार दो कि इसी तरह से काम करते रहें। मैं समझता हूं कि यह खतरनाक चीज है। यह न भवन के लिए शान की चीज है और न जनता के हित में है। इसलिए यही तरीका हो सकता है कि जितनी भी हममें ताकत है हम इसके खिलाफ वोट जरूर देंगे। हम किसी तरह से इस कानून का समर्थन नहीं कर सकते। यह दूसरी बात है कि बहुमत से आप जो चाहें पास करवा लें। लेकिन जहां तक हमारा अधिकार है हम इस सिद्धांत को कभी नहीं मान सकते। चूंकि यह चीज गलत है, इसलिए मैं इस विधेयक की सख्त मुखालिफत करता हूं।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस भवन के सामने अपने तृतीय वाचन में इस समय है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ।

श्री राजाराम शास्त्री—हृदय से?

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—जी हां, हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे उन तमाम बातों का जो उधर से कही गई हैं जवाब देने की जरूरत नहीं है और वक्त भी नहीं है, इसलिये कि मैं स्वयं चाहता हूँ कि यह बिल जल्द से जल्द खत्म हो। एक बात आमतौर से यह कही गई है कि प्रजातन्त्र का गला घोंटा जा रहा है इस बिल को पास करके मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि अपने दिल पर हाथ रख कर अगर मेरे दोस्त अपने से पूछें कि यह बिल प्रजातन्त्र का गला घोंटने वाला है या नहीं, तो मुझे इत्मीनान है कि वे खुद इस बात को कहेंगे कि यह बिल प्रजातन्त्र का गला घोंटने वाला नहीं है।

(फिर एक आवाज—यह क्या चीज है?)

यह वह चीज है जिसके लिये यह कहा जा सकता है कि प्रजातन्त्र के गले में अगर फोड़ा हो जाय तो एक अच्छे और महीन और बारीक से बारीक औजार से नश्तर लगाने वाला बिल है। जो म्युनिसिपैलिटियों की हालत आज है और पंचायतों का भी जिक्र किया गया है उनके लिये मेरे भाई क्या कह सकते हैं। बड़े-बड़े अधिकार पंचायतों को मिले हैं और मिलने भी चाहिये लेकिन निगरानी का अधिकार तो औरों को है, पंचायत को नहीं। हाकिम परगना के पास निगरानी होती है। गांव के मुकदमों और मामलों को गांव की पंचायत फैसल करती है तो क्या जरूरत थी कि निगरानी करायी जाय। इसको राजाराम शास्त्री जी पंचायतों का गला घोंटना कहें, उनको अधिकार है लेकिन जो अपने देश की हालत है जैसा अशिक्षा का तांडव-नृत्य हमारे देश में अभी तक है उसको हम दूर नहीं कर सके और जल्दी कर भी नहीं सकते। उसमें भी वर्षों लगेंगे। हमारे भाई गोविंद सहाय जी ने कल जो बातें कहीं उनके लिये मुझे तो उनसे ऐसी आशा नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रजातन्त्र का उसूल भी है और डिक्टेटरशिप का भी उसूल है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि इस प्रजातन्त्र से तो डिक्टेटरशिप अच्छी चीज है। हमारे भाई राजाराम शास्त्री ने जो कहा वह बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनकी अगर चले तो यहां प्रजातन्त्र कायम न हो, क्योंकि वे प्रजातन्त्र में विश्वास करने वाले हैं नहीं। मार्क्स के चेले होने के नाते उनको भला प्रजातन्त्र में कैसे विश्वास हो सकता है। उन्हें तो प्रजातन्त्र के नाम यहां डिक्टेटरशिप चलानी है। वे तो पचासों सालों तक डिक्टेटरशिप चलाने वाले लोग हैं। तो वह तो कह ही सकते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप भले ही रूस में कामयाब हो और वहां पचासों वर्षों तक चल जाय जहां पर दूसरा तरीका रिवोल्यूशन (क्रान्ति) का होता है, जहां शान्तिमय

क्रान्ति का सहारा न हो, जहां मुल्क को आजाद कराने के लिये खूनी क्रान्ति की जाती है वहां पर डिक्टेटरशिप कामयाब हो सकती है, लेकिन जहां महात्मा गांधी जी के तरीके पर सत्य, शांति और अहिंसा के तरीके पर और धर्म के रास्ते पर चल कर आजादी ली गई वहां डिक्टेटरशिप कायम करने की बात कैसे शोभा दे सकती है? मैं कहता हूँ कि हमारी पंचायतें ठीक काम कर रही हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण पंचायतों पर नियंत्रण रखना पड़ता है।

(इस समय ४ बजे माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

और हो सकता है कि आगे चल कर पंचायत राज ऐक्ट में भी सुधार करें और उस पर ज्यादा नियंत्रण करें। पंचायतों में ऐसा हुआ है कि भले से भले आदमियों को मुकदमों में फंसाया गया है।

श्री खानचन्द गौतम——मैं वैधानिक आपत्ति उपस्थित करता हूँ। मुझे आशा थी कि आपको देखने के बाद माननीय सदस्य विषय पर आ जायंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप दस मिनट बोल चुके हैं और आपका व्याख्यान प्रस्तुत विषय से बिल्कुल दूसरा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष——माननीय सदस्य, कृपया इस आपत्ति को अपने ध्यान में रखें।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी——अध्यक्ष महोदय, अभी श्रीमान् का आगमन हुआ है नहीं तो अगर पहले से सुने होते तो इनको कड़ी फटकार मिलती और आप कहते कि गलत कह रहे हो। मैं बिल्कुल विषय पर बोल रहा हूँ, विषय के न होते हुए भी। मुझे सिर्फ यह कहना है कि जो अधिकार प्रजातन्त्र के अन्दर सरकार को रखना चाहिये वह जरूर रखे जायेंगे। कोई नियंत्रण सरकार के हाथ में न हो तो क्या आप चाहते हैं कि बदअमनी पैदा हो और आपके सूबे में नंगा नाच होने लगे और आप बैठ कर मखौल उड़ायें और तमाशा देखें। उस ख्याल को आप छोड़ दें। यह सरकार एक जिम्मेदार सरकार है और जिसके दिल में प्रजा की भलाई का हमेशा ख्याल है वह कभी प्रजा को इस तरह से अनियन्त्रित नहीं छोड़ सकती। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रजातन्त्र का गला घोंटने के लिये कभी तैयार नहीं है लेकिन अगर प्रजातन्त्र में कोई फोड़ा होगा तो उसमें नश्तर लगाने के लिये हमेशा तैयार रहना होगा। इस तरीके से हम समझते हैं कि प्रजा की भलाई हो सकती है। हां, यह दूसरी बात है कि अगर हमारे पास ८६ म्युनिसिपैलिटियां हैं, या आगे चल कर १०० हो जाती हैं, उनमें से ५०, ६० को सुपरसीड कर दें, लेकिन अगर एक , दो या चार को, ८६ या १०० में सुपरसीड करें और अवक्रमण को एक्सटेंड करें तो इससे यह नहीं साबित होगा कि हम प्रजातन्त्र का गला घोंटने वाले हैं। अगर जनता को तकलीफ होगी, जनता की शिकायतें आयेंगी और सुपरसीड करने से जनता खुश होगी तभी सुपरसीड करेंगे और जब देखेंगे कि वहां के लोगों में सुधार हो गया है, उनको पश्चात्ताप हो गया है तो हम फिर म्युनिसिपैलिटियों की जनता के प्रतिनिधियों को वापस कर देंगे। आप इस बात को एक मर्तबा समझ लीजिये। हमारे भाई राजाराम जी शास्त्री कहते हैं कि महज गवर्नमेंट का विरोध करने के लिये हम कोई बात नहीं कहते, वह बार-बार कहते हैं कि हम आपकी भलाई की बात कहते हैं और ख्वामख्वाह हर बात में गवर्नमेंट का विरोध नहीं करते लेकिन मुझे ९९ से भी ज्यादा ऐसा मौका मिला है कि वह कभी भी गवर्नमेंट की तारीफ नहीं करते और अर्थ का अनर्थ करके बराबर शिकायत करते हैं, जिसमें उन्हें भलाई मालूम होती है, भलाई दीखती है उसमें भी सारी लियाकत खर्च करके उसको एक बुराई में बदल देते हैं। आजकल की पढ़ाई में और आजकल की विद्या में खास तौर से एक काबलियत है कि किसी भी चीज

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

के सही मतलब को गलत करके दूसरे रूप में दिखायें। प्रजा की भलाई के लिये और डेमोक्रेसी के चलाने के लिये यह सब से अच्छा बिल है। इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे अपोजीशन के भाई अब इस बात से बाज आयेंगे।

श्री भगवान सिंह--श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब इस पर बहस समाप्त की जाय।

माननीय अध्यक्ष--मैं समझता हूँ कि एक ही माननीय सदस्य ने बोलने की इच्छा प्रकट की है, इसलिये वह बोल लें।

श्री रामकुमार शास्त्री--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आज जब कार्यक्रम पर हमने यह देखा कि म्युनिसिपैलिटीज से सम्बन्ध रखने वाला बिल इस भवन के समक्ष आया है और कल भी हमने देखा तो हमारे मन में यह विचार पैदा हुआ कि मेरे मित्र श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी जो हमारे बुजुर्ग मित्र हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि ९९फीसदी जो सदस्य हुआ करते हैं वह सरकार की निन्दा करते हैं तो मेरे दिल में यह बात आई कि अगर वाकई बिल अच्छा है तो मैं भी उनका साथ दूं और अपनी सरकार को बधाई दूं। लेकिन जब मैंने इस बिल को पढ़ा तो देखा कि इस युग में इस प्रकार का रिएक्शनरी, प्रतिगामी बिल और कोई नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, आज भी और कल भी प्रजातन्त्र के इतिहास के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी चर्चायें और व्याख्यान हुये और इसके सिलसिले में दो माननीय सदस्य, जो अब यहां मौजूद नहीं हैं जिन्होंने जनतन्त्र के ऊपर बड़े जोरों से बयान दिया था, जनतन्त्र की व्याख्या वह हमको सुनाते हैं। हमारे जनतन्त्र के सम्बन्ध में और जिनके साथ एक वर्ष नहीं २० वर्ष गुजारे हैं और उन साथी के माने में जो उनका जनतन्त्र है वही अच्छा है और जो उचित जनतंत्र है वह कड़वा है यह उसूल और सिद्धान्त हमारे माननीय मित्र श्री चतुर्भुज शर्मा का ही हो सकता है।

हमारे मंत्री महोदय जो इस बिल के सम्बन्ध में बोल रहे थे उन्होंने एक तरफ तो यह कहा कि वह सुपरसेशन के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ इस बिल के जरिये वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं और सुपरसेशन की अवधि तक मुकर्रर नहीं होती है और इसकी सफाई में बड़ी बुलन्द आवाज में मंत्री जी ने ही नहीं बल्कि माननीय मुख्य मंत्री ने भी हवाला दिया है, लखनऊ म्युनिसिपैलिटी के प्रबन्ध का। मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूँ कि यहां का प्रबन्ध जो एकतंत्रीय है और जिसके बारे में काफी चर्चा हुई है कि बड़ी कुशललतापूर्वक और दक्षतापूर्वक काम हो रहा है। हां, हो सकता है, बर्लिंगटन होटल से जो सड़क जाती है उसके बीच में एक ईंट रख दी गई है और जब मोटर गुजरती हैं तो टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं ऐसा जबर्दस्त मसाला लगाया गया है। आज महीनों से देख रहे हैं लेकिन सड़क बन नहीं पा रही है और कार्य कुशल से कार्य कुशल ओवरसियर्स और इंजीनियर्स फीता लेकर दौड़ते रहते हैं लेकिन एक मील की यह सड़क ओल्ड कौंसिलर्स रेजीडेंस के पास से निकलती है अभी तक मुकम्मिल नहीं हो पाई है। कहा जाता है कि यहां का प्रबन्ध बहुत सुन्दर है और इससे पहले जो जनता से चुने हुये प्रतिनिधि थे उनका प्रबन्ध अच्छा नहीं था। चूंकि आपने एक अफसर को नियुक्त किया है, इसलिये उसका प्रबन्ध अच्छा है। इससे पहले जो यहां के चेयरमैन थे और उनके साथ में जनता के प्रतिनिधि कार्य करते थे उनके सम्बन्ध में अच्छी तरह से सब जानते हैं कि बहुत कार्यकुशलता और शान्ति के साथ अपना काम चलाते थे। लेकिन श्रीमान् जी, क्या वजह है कि निर्माण मंत्री जो बैठे हुए हैं उनके पास पैसे की कमी होते हुए और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से भी उनके पास यह

हुक्म आता है कि जो रुपया मंजूर किया गया था वह रुपया वह अब नहीं दे पायेगी तो न मालूम कितनी सड़कें अधूरी बनी रह जाती हैं ? एक खास बात यह है कि पैसा दामन में हो, जेब में हो, कुछ अयोग्य व्यक्ति भी हों तो कार्यकुशलता से काम चल सकता है। क्योंकि प्रबन्ध आपने यहां के एक अहलकार के सुपुर्द किया है और उसको हर प्रकार के साधन दिये जाते हैं तो थोड़ा सा योग्य भी व्यक्ति हो तो काम को चमकाने की कोशिश करेगा। वाकई वह चीजें नहीं चमकाता बल्कि ऊपर-ऊपर के दिखावे का वह काम होता है। अगर विस्तार से देखा जाय, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो वह कार्यकुशलता नहीं जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री जी यहां कहा करते हैं।

आज एक जिले में नहीं, इस सूबे में न मालूम कितने जिले हैं, जिनका इंतजाम सरकारी अफसरान के जरिये हो रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी का इंतजाम कैसे होता है। वहां पर कौन साहब हैं। एक रिटायर्ड अफसर हैं। हुजूर को मालूम हो कि उनकी उम्र क्या है। उम्र ६५ साल की है। सरकारी नौकरी में एक मियाद मुकर्रर हुआ करती है। मनुष्य में काफी क्षमता किस उम्र तक रह सकती है, वह क्षमता उनमें कब की खत्म हो चुकी। जो कुछ बची-खुची क्षमता है उसको वह गोरखपुर की म्युनिसिपैलिटी के इंतजाम में एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं। जो हुक्म होता है वह कलेक्टर साहब के यहां पहुँच जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? वह खुद हैं लेकिन बिना उनकी सलाह से कोई काम नहीं हो सकता। उनके पास कोई सवारी भी नहीं है। इतनी बड़ी म्युनिसिपैलिटी को दौड़-धूप करके उनको देखना चाहिये। उसके लिये एक साइकिल के वास्ते ७५ रु० मुकर्रर कर दिया गया है। वह साइकिल पर नहीं चढ़ते। यहां की सरकार कलेक्टरों पर ज्यादा आश्रित है। सरकार के अहलकार कोई रिपोर्ट उसको दे दें उस पर वह गौर करना शुरू कर देती है। असलियत क्या है उसका उसे पता नहीं।

हमारे मित्र चतुर्भुज शर्मा ने न मालूम कितनी अनर्गल बातें इस सभा के समक्ष कहीं। मारेल, डेमोक्रेसी और न मालूम किन किन बातों का जिक्र उन्होंने किया। हम पर वह इल्जाम लगाना चाहते हैं। जरा वह सूबे के अन्दर दौरा करें तो मालूम हो कि इस सरकार के बारे में जनता की क्या राय है। जनता एक सूखे ताल की मछली के बराबर हो रही है। जनता की क्या राय है इसको वे अपनी कांस्टिटचूऐंसी में जाकर देखें, अपने गांव में पता लगायें, अपने शहर में पता लगायें और लखनऊ के गली-कूचे में पता लगायें कि जनता की क्या ख्वाहिशात हैं। अब सवाल उठता है कि मारेल कौन बिगाड़ता है, आवश्यकताओं की कौन पूर्ति नहीं करता है। सरकार और सरकार के साथ में जो लोग हैं उनकी वजह से यह है। इस सीट पर हम इसलिये आये जब देखा कि जनता की जो मांग है उसकी पूर्ति करते हुए गवर्नमेंट नहीं दिखाई पड़ी। जो कहा जाता है कि कम्युनल भावनायें लेकर आये, जो भी भावनायें लेकर आये, लेकिन जब इस सदन में बैठते हैं तो सरकार को बतला देना चाहता हूँ कि सबकी ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है और इस ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी के आधार पर हर एक सदस्य को यह अधिकार है कि अगर सरकार गलती करती हो तो उसकी नुक्ताचीनी की जाय, उनको इस्तीफा देना चाहिये जो हमें कहते हैं इस्तीफा देने के लिये, इस गवर्नमेंट को इस्तीफा देना चाहिये जो हमें चुनौती देती है। मैं उनके सामने मिसाल पेश करता हूं कि वे पीलीभीत में जाकर देखें कि वहां क्या नतीजा हुआ, और फिर कहें कि इस्तीफा किसको देना चाहिये। रायबरेली में जाकर देखें कि क्या नतीजा हुआ, थोड़ा-सा वक्त और गुजर जाने दीजिये तब आपको मालूम होगा कि जनता क्या चाहती है। आप रोज बरोज एकतंत्र की ओर झुकते चले जा रहे हैं और हमसे चाहते हैं कि हम आपको डिटो कर दें (हां में हां मिलायें)। जब हम कोई बात कहते हैं तो आप हवाले में किताब दिखाते हैं, अर्थ मंत्री महोदय ने भी हवाले में किताबें

[श्री रामकुमार शास्त्री]

दिखाई लेकिन हमारी ओर से श्री खुशवक्तराय ने जब नजीर पेश की तो कहा कि किसी ने कुछ लिख दिया होगा। हुजूरवाला ने भी मिसालें दीं और नजीरें दीं लेकिन जब हमारी तरफ से दी गई तो कहा गया कि किसी ने लिख दिया होगा चाहे वह कितने ही बड़े से बड़े आदमी की ही क्यों न हों। मैं तो अपने मित्र श्री खुशवक्तराय से कहता हूं कि आप क्यों तकलीफ करते हैं, इतनी ऊंची-ऊंची किताबें लाकर किस को दिखाते हैं। ऐसी जगह दिखाना चाहिये जहां इसका कुछ अर्थ भी निकले। इतना समय लगाने से और इतनी मेहनत करने से क्या फायदा, ये तो मद में चूर हैं, ये किसी की सुनना नहीं चाहते, सही हो या गलत हो ये किसी की सुनने वाले नहीं हैं। एक कहावत है--

"कर फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराहि,
रे गंधी मतिअंध तू, अतर दिखावत काहि।"

तो अध्यक्ष जी, ये रोज बरोज हमारी सारी शक्ति काट-काट कर अपने में केन्द्रित करते चले जाते हैं। श्री चतुर्भुज जी ने कहा कि डिक्टेटरशिप कहां है, डिक्टेटरशिप तो उसे दिखती है जिसकी आंखें साफ हों लेकिन जिसकी आंखों में पांडु रोग लग गया हो वह क्या देख सकता है। हम रोज बरोज देखते हैं कि सारी म्युनिसिपैलिटियों के अधिकार छीने जा रहे हैं, इलेक्टोरेट को कोई अधिकार नहीं है। लखनऊ में और गोरखपुर में क्या हो रहा है, छोटा-मोटा गुजरात के बराबर वह जिला है उसका इंतजाम एक बूढ़े बुजुर्ग के हाथ में दे दिया है। इस तरह से वे जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं और इस तरह से डेमोक्रेसी का गला घोंटना चाहते हैं। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के रिऐक्शनरी बिल इस सदन के सामने कदापि न लाये जायेंगे।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडिंग बिल के तीसरे वाचन के समय काफी बहस जो कल भी हो चुकी थी फिर सामने आई और कुछ नई बातें भी कही गईं, जिनका इस विधेयक से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था। मैं यह कह सकता हूं कि बहस का बहुत कुछ हिस्सा इस बिल के विषय के साथ संबंध रखने वाला नहीं था और न उसमें इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी और सिद्धान्तों के ऊपर चर्चा ही करने की आवश्यकता थी, और न उनके बारे में कोई बात कहने की आवश्यकता ही थी और न यह कि हम डेमोक्रेसी के बजाय डिक्टेटरशिप चाहते हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस विधेयक का मतलब क्या है और मुझे आशा है कि अगर वे इसको गौर से समझेंगे तो उनको मेरी बातों से तसल्ली होगी लेकिन वे सुनने की मेहरबानी करें। मैं देख रहा हूं कि जो लोग अपना भाषण दे चुके हैं वे आपस में बातचीत करने में लगे हुए हैं, मेरी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं और मैं समझता हूं कि मैंने गौर से सबकी बातें सुनी हैं। पालन जी ने तो बार-बार कहा और मुख्य मंत्री जी से भी कहा कि वे हमारी बातें सुनें। मैं तो उनकी बातें गौर से बराबर सुनता रहा। और मैं भी प्रार्थना करूंगा कि जिन सज्जनों ने भाषण दिये हैं कम से कम वे मेरी बातों को सुनें। इस विधेयक का जहां तक कि सुपरसेशन से सम्बन्ध है कि सुपरसेशन होना चाहिये या नहीं होना चाहिये, सुपरसेशन का अधिकार गवर्नमेंट को मिलना चाहिये या नहीं मिलना चाहिये, कोई नहीं है। मैं इस भवन को बतला देना चाहता हूं कि सुपरसेशन की जो दफा ३० है वह सन् १९१६ के कानून में भी मौजूद है और इस माननीय भवन ने, जिस वक्त सन् १९४९ में यह दफा फिर से दोहराई गई और वैसी ही दोहराई गयी जैसी कि सन् १९१६ में थी, उस वक्त निर्विरोध इसको मंजूर किया। तो जहां तक कि गवर्नमेंट को किसी बोर्ड को सुपरसीड करने का अधिकार देना चाहिये या नहीं देना

चाहिये, इस भवन ने विचारपूर्वक एक मत से यह राय दी थी और उस वक्त इस तरह का विरोध जो आज प्रकट किया जा रहा है नहीं किया गया था। उस वक्त इस किस्म की कोई तरमीम नहीं लाई गयी थी कि यह अधिकार सीमित किया जाय या यह अधिकार न दिया जाय। अगर इस तरह की कोई चीज आती तो जैसा मैंने कहा कि मैं शुरू से ही इस सिद्धान्त के खिलाफ रहा हूं तो मैं उसमें कुछ न कुछ सीमा बांधने की तरफ प्रयत्न करता। लेकिन मैंने देखा कि जो परिस्थिति आज अपने देश में मौजूद है, जिस हालत में म्युनिसिपैलिटीज मौजूद हैं उस हालत में यह भवन उचित समझता है कि कानून वैसा ही बना रहे जैसा कि सन् १९१६ में है और इसी वास्ते किसी ने भी सेलेक्ट कमेटी में आवाज नहीं उठाई, इस भवन में भी आवाज नहीं उठाई और कोई प्रस्ताव भी नहीं पेश किया और पूरा अधिकार गवर्नमेंट को दिया। अब उसके अर्थ लगाने का प्रश्न उपस्थित हुआ। तो जो कानून पहले से चला आ रहा है उसका अर्थ मैंने बतलाया कि वही लगाया जाता है जो अमल में लाया जाता है और अमल के ऊपर कोई नुक्ताचीनी जनता में नहीं होती है। आज यहां हजारों वकील मौजूद हैं। वे अंग्रेजी जमाने में भी मुकदमेबाजी करते थे और जब कोई ऐसी चीज कानून के खिलाफ होती थी तो वह हाई कोर्ट में जाती थी। यहां तक कि अंग्रेजी राज्य में चाहे कितनी भी सख्ती हो, हम गुलाम हों, लेकिन मैंने देखा है कि गवर्नमेंट पर भी मुकदमे चलाये जाते थे और कानूनी फैसला हाई कोर्ट के जरिये कराया जाता था। मैं इस भवन में यह बतला देना चाहता हूँ कि पुराने जमाने में, उनके जमाने में कितने सुपरसेशन हुए? मेरे पास पुरानी पूरी फेहरिस्त तो नहीं है लेकिन सन् ३१ के बाद की बात मैं बतला देना चाहता हूं। खुर्जा में दो साल के लिये पहले सुपरसेशन किया गया और उसकी मियाद खत्म होने पर सन् ३६ तक फिर मियाद बढ़ायी गई। हापुड़ में सन् ३२ में पहले दो साल के लिये सुपरसेशन किया गया और बाद में सन् ३६ तक मियाद बढ़ाई गयी। हरदोई में पहले दो साल के लिये सन् ३३ में सुपरसेशन हुआ और उसकी मियाद खत्म हो जाने के बाद फिर ३६ तक वह कायम रहा। गाजीपुर बोर्ड में सन् ४२ में पहले ३ साल के लिये सुपरसीड हुआ और तीन साल के बाद मियाद खत्म हुई। इसी तरह से नजीबाबाद के बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ कि उसमें एक्सटेंशन हुआ और सन् ४६ में हम लोग आये तो चुनाव हुआ और तब फिर वह म्युनिसिपैलिटी बरकरार हुई। तो मैं आपसे बतलाना चाहता हूं कि इसके पेश्तर और कई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड किये गये और उनकी मियाद बढ़ाई गयी। तो जिस वक्त इस भवन ने सन् ४९ में यह कानून पास किया उस वक्त उसका क्या अर्थ माननीय भवन ने समझा? जिस पर अमल किया जाता है, अगर वह मतलब यह भवन न समझता तो कोई न कोई मुकद्दमा इस सूबे में दायर होता। इस सूबे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में मियाद बढ़ाई गई और उन्होंने कोई दूसरा मतलब नहीं समझा और इस भवन ने भी दूसरा मतलब नहीं समझा। लेकिन इस भवन को अगर यह शक पैदा होता कि सुपरसेशन करके मियाद बढ़ाने का अधिकार गवर्नमेंट को नहीं है तो उसकी सीमा जरूर निर्धारित करते कि सरकार को मियाद बढ़ाने का अधिकार नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि चाहे यहां की जनता हो, चाहे यहां के वकला हों, सूबे के सब लोगों ने एक मत से इसका यही अर्थ समझा कि सन् १९१६ ई० के कानून के मुताबिक सरकार को मियाद बढ़ाने का अधिकार मौजूद है। जेनरल क्लाजेज ऐक्ट में दफा २१ जो है उसके अनुसार जो गवर्नमेंट कार्यवाही करती रही वह सब जायज समझी गई और जायज समझने के कारण ही मैं आपको बताना चाहता हूं, भवन इसका अर्थ यह समझता रहा कि सरकार को यह अधिकार है। वकला ने या जनता ने सन् १९१६ से लेकर आज सन् १९५० ई० तक इसके ऊपर किसी ने आक्षेप नहीं किया। इसके बाद इस सरकार ने

[माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर]

३,४ म्युनिसिपैलिटियों को सुपरसीड किया और उन लोकल बोर्डस के मुताल्लिक हमने यह रवइया अख्तियार किया कि उसकी मियाद एक साल को रखें। मियाद का अख्तियार हमको है और हम उसको मियाद को बढ़ा सकते हैं, इसलिये हमने पहले एक साल के लिये ही उसकी मियाद रखी यह हमारा अपना ख्याल था और ईमानदारी के साथ यह हमारा विचार था। इसलिये चुनाव करने की नीयत से हमने पहले एक साल के लिय सुपरसीड किया। हमको यह मालूम था कि जब सुपरसीड करने का अधिकार हमको है तो उसकी मियाद बढ़ाने का भी अधिकार हमको है लेकिन फिर भी हमने ज्यादा दिन के लिये मियाद नहीं बढ़ाई। यह हमारी नीयत थी और हमने उसको कम से कम समय के लिये करना ही उचित समझा। अगले चुनाव तक के लिये हम उस मियाद को करना चाहते थे, इसलिये हमने उसको एक साल के लिये बढ़ाया, जिससे किसी को कोई शुबहा न हो। जो मतलब हमने इसका लगाया वही मतलब जनता और वकला ने भी लगाया। हमारे विभाग ने जब कि लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड की मियाद बढ़ाने का सवाल आया था और हुक्म भी हो चुका था कि एक साल की मियाद बढ़ाई जाय उस वक्त फिर इस चीज को जांचा। विभाग में आप जानते हैं कि कानूनदां लोग मिलते रहते हैं और उनके विचार भी बदलते रहते हैं। जो नये आते हैं वह अपने विचार से उसको देखते हैं। उन्होंने देखा कि उनकी जांच में और उनकी समझ में इस कानून के अन्दर कुछ न कुछ शक मालूम होता है कि गवर्नमेंट को इसका अधिकार है या नहीं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस किस्म के शब्द इस कानून में नहीं, जब कानून बनता है, जब यह भवन कानून बनाता है उसका अर्थ कुछ भी लगाया जावे मैं नहीं कहता कि ऐसा हो सकता है, चाहे किसी हाई कोर्ट के फैसले की वजह से या खुद जो कानूनी सलाहकार है उनके कहने से, उनकी जांच की वजह से यह प्रतीत होने लगा कि जिस अर्थ को हम आज तक इस दफा के विषय में समझते थे वह कुछ विपरीत अर्थ मालूम होता है। इसमें कुछ डाउट (सन्देह) पैदा हुआ कि यह अधिकार गवर्नमेंट को है या नहीं। सन् १९१६ से लेकर १९५० तक इसके ऊपर इसी अर्थ को समझ कर यह अमल होता रहा और वह यह समझ कर कि इसका अर्थ यही है कि गवर्नमेंट मियाद बढ़ा सकती है। सरकार ने भी ईमानदारी से यही समझा कि उसको मियाद बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन जब शक हुआ तो आवश्यकता हुई कि जो बातें हुईं उनको वैलिडेट (वैध) करें। दूसरा प्रश्न यह है कि सीधी तरह से डाउट्स को रिमूव करने के लिये एक और बिल लाए और कह दे कि ऐसा मालूम होता है कि इसका अर्थ लगाने में शायद गलती हुई है। और मैं स्पष्ट कहता हूं कि इसका अर्थ लगाने में बोना फाइडी मिस्टेक अगर कही जा सकती है तो पुरानी गवर्नमेंट से आज तक बराबर होती रही और अब यह शक पैदा हुआ। लेकिन कार्यवाही तो गुजर गयी, इतनी म्युनिसिपैलिटियों का सुपरसेशन हो गया, उनकी मियाद बढ़ गयी, उनके ऐहकामात जारी हो गए, तो उसके लिये प्रजातंत्र के सिद्धांत के हिसाब से दुनिया भर में वैलिडेशन ऐक्ट आता है और इसकी मैंने दो, तीन मिसालें आप को दीं जो बड़े महत्व की मिसालें हैं। अगर मैं रखना चाहूं तो सैकड़ों की तादाद में ऐसी मिसालें आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन इसके लिये समय चाहिये। तो इस तरह का वैलिडेशन कराने के लिये यह जरूरत पड़ती है और वह चीज मैंने की। कोई नवीन अधिकार प्राप्त करने की मैंने कोशिश नहीं की। मैंने तो यही कहा कि जो अर्थ भवन ने आज तक लगाया जिस अर्थ को समझ कर भवन ने सन् १९४९ में कानून पास किया उस अर्थ का स्पष्टीकरण अगर नहीं होता है तो बड़ा अनर्थ हो जायगा। उसका नतीजा यह होगा कि जो कार्यवाही आज तक म्युनिसिपैलिटियों में हुई वह अवैधानिक समझी जाय, जिसकी वजह से म्युनिसिपैलिटियों के ऊपर खतरा पैदा हो सकता है। इसलिये भवन के सामने यह चीज

स्पष्टीकरण के लिये आयो हूं कि जो अर्थ आज तक समझा गया उसका स्पष्टीकरण कर दें ताकि मुकद्दमेबाजी न बढ़े। तो शक हमारे दिल में पैदा हुआ और शक पैदा होने के साथ ही साथ उसको रफा करने के लिये इस भवन का आश्रय लिया, क्योंकि इस भवन ने ही वह कानून पास किया था और इसी अर्थ में पास किया था क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट के अमल सामने भी मौजूद थे, सुपरसेशन होता था और उसको मियाद बढ़ायी जाती थी। तो हमने कानून का अर्थ वही समझा जो अमल में लाया जाता था। अगर हमारे दिल में उस वक्त शक पैदा होता तो हम कुछ न कुछ सुधार करते, लेकिन उस समय शक नहीं पैदा हुआ और उसके अनुसार कार्य किया गया। तो इसके लिये हम यहां पर यह लाये हैं। इसलिये मैंने कहा कि मेरी राय बराबर इसके खिलाफ रहते हुए भी जो भवन कानून पास करता है उसको सही मानों में बर्तना चाहता हूं और सही मानों में जो आज तक अर्थ समझा गया, मैं चाहता हूं कि भवन की सील उसके ऊपर लग जाय। इसके बाद अगर भवन यह समझता है कि सन् १९४९ ई० में जो सुपरसेशन का अधिकार उसने मंजूर किया और वह कानून में मौजूद है, वह अधिकार गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिये तो उसके ऊपर बहस हो सकती है और वह बहस कोई नया सुधार का बिल ला कर हो सकती है। जिस वक्त भवन की यह राय होगी कि सुपरसेशन की आवश्यकता नहीं है, मैं सहर्ष उसको स्वीकार करने को तैयार हूं। जो कानून बना दिया जायगा उसका अमल करने के लिये तैयार हूं। लेकिन जब तक वह पोजीशन नहीं है और वह कानून मौजूद है जो इस भवन ने पास किया है तब तक तो इसका अर्थ वही लगाना चाहिये जोकि उसकी नजर में जिस वक्त वह कानून पास किया था, और वह अर्थ यह था कि मियाद बढ़ाने का अधिकार सरकार को है, तो मैं चाहता हूं कि जो पुरानी चीजें हो चुकी हैं उनको यह भवन मंजूर करे।

अब दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि आइन्दा के लिये क्या लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम आज तक समझते आये हैं कि वह अख्तियार हमारे पास है, वह दफा ३० में मौजूद है। हम यही चाहते हैं कि आइन्दा भी उसके अर्थ वही लगाये जायं। इसका अर्थ क्या है वह तो मैंने कल बताया। अब किसी का सुपरसेशन ६ महीने के बाद और किसी का ८ महीने के बाद खत्म होता है। चुनाव की आशा हमको १ या डेढ़ साल तक नहीं है। अब यह कहा जाता है कि उसकी मियाद क्यों नहीं मुकर्रर की जाती। इस बिल में वह मियाद मुकर्रर करने का सवाल आता ही नहीं है। वह प्रश्न स्वतंत्र है। वह इस बात पर है कि आइंदा गवर्नमेंट के हाथ में सुपरसेशन का अधिकार सीमित हो या न हो। यह बिल इसलिये है कि सुपरसेशन का जो अर्थ आज तक चला आया है वह सही या नहीं है। यह अर्थ तब तक जारी रहेगा जब तक कि कानून में दफा ३० वैसी की वैसी मौजूद है। उसका स्पष्टीकरण कर दिया। आप शब्दों को देखिए। अगर यह स्पष्टीकरण किसी को पसंद नहीं है तो भवन के सदस्यों को अधिकार है कि जैसा वे चाहें कर सकते हैं। कोई स्वतंत्र बिल भी लाया जा सकता है और सरकार से तकाजा किया जा सकता है कि उसके मुताबिक काम करे। जिस वक्त म्युनिसिपैलिटियों का दूसरा बिल आयगा तो उसमें यह सुधार कर दिये जायंगे। साल या दो साल के अन्दर तो सुपरसेशन के कोई मानी नहीं हैं। जनरल इलैक्शन के २-३ साल बाद ही आपने देखा होगा सुपरसेशन होते हैं। गवर्नमेंट के अधिकारों को सीमित करने का आपके पास काफी अख्तियार है। अगर आप यह चीज अभी सीमित करना चाहते हैं तो बराबर इस तरह का कानून आप पेश करेंगे और मैंने कहा है कि उस पर विचार किया जायगा। अभी भी भवन में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सुपरसेशन का अधिकार होना चाहिये। अगर बहुमत इस पक्ष में हो तो उसके सामने सर झुकाना होगा। मैं सुपरसेशन के लिये बहुत लालायित नहीं हूं। आवश्यकता ने मुझे मजबूर किया कि इस वक्त इसका स्पष्टीकरण करना लाजिमी है नहीं तो बहुत ही म्युनिसिपैलिटियों

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

के सुपरसेशन के जो अर्थ इस भवन ने लगाये, जनता ने लगाये, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाये और सब ने जिस अर्थ को लगाया वही हमने जारी भी रखा। जिस वक्त हमारी निगाह में आ गया कि वह अर्थ लगाना मुश्किल है।

श्री खुशवक्त राय--इस भवन ने कभी यह अर्थ भी लगाया कि आपको एक्सटेंशन का अधिकार है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मैं कहता कि यह इसमें इमप्लाइड (अभिप्रेत) है। जब दफा ३० भवन ने फिर से पास की तो उस वक्त भवन के सामने यह मौजूद था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दफा ३० के मातहत ही सुपरसेशन किये और उन्हें बढ़ाया।

श्री खानचन्द गौतम--भवन तो यह समझता था कि जो गैरकानूनी ज्यादतियां उस वक्त हुई वह यह हुकूमत नहीं कर रही है।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--भवन में किसी ने कहा ही नहीं उस समय कि इसका अर्थ गैरकानूनी है और उसे ठीक करना चाहिये। इसलिये जब दोबारा वह कानून जारी रखा गया, जिसके मातहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुपरसेशन की मियाद बढ़ाई है और जिसके खिलाफ कोई आवाज इतने वर्षों तक नहीं उठी उसके खिलाफ जो यह समझा जाता है कि किस अर्थ में उसका इस्तेमाल किया जाता है। भवन ने आखें खोल करके इस अर्थ को समझा। मैं यह कहना चाहता हूं कि भवन ने दूसरी चीज समझ करके इसके दूसरे अर्थ नहीं लगाये। हर एक आदमी यह कह सकता है कि हमें मालूमात नहीं थीं लेकिन यह बात जाहिर है कि अगर मालूमात आपको नहीं थी तो दूसरों को भी मालूमात नहीं थीं। जिस बोना फाइड तरीके से आपने गलती की, उसी तरीके से दूसरों ने की। आप यह कह सकते हैं कि बगैर सोचे-समझे हमने वोट दे दिया, तो उसी तरीके से दूसरे भी कह सकते हैं कि बगैर सोचे समझे हमने भी ऐसा कर दिया। जब गलती मालूम हुई तब उसको हम भवन के सामने ले आये, आप इसको भले ही डिक्टेटरशिप कहें लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह डिमोक्रेसी का तरीका है कि अगर गलती भी हो तो भवन के सामने आ जानी चाहिये। कोई गलती अगर हो जाय तो उसको भवन के सामने आ जाना चाहिये। इस प्रकार इस प्रश्न को अगर भवन के सामने लाने की मैंने जुर्रत की, तो यह मेरी डिक्टे-टरशिप नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी वर्डिक्ट (निर्णय) लेने के लिये ऐसा किया है। इसके लिये आपकी तरफ से मुझे बधाई मिलनी चाहिये थी, लेकिन बजाय बधाई मिलने के यह कहा जा रहा है कि कोई नया अधिकार हासिल करने के लिये मैं भवन के सामने आया हूं। हमारे गोपाल नारायण सक्सेना जी ने यह कहा कि यह गवर्नमेंट जनता से अधिकार छीन रही है। स्टैंडिंग कमेटी में ड्रैफ्ट रूल्स के संबंध में कुछ जिक्र आया, मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह सब लोग जानते हैं कि इस सूबे में जितनी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनमें जितनी सर्विसेज हैं उनका रेशनलाइजेशन करने के लिये एक पे कमेटी बिठलायी गई। पे कमेटी की जो सिफारिशें थी उनको कुछ परिवर्तन के साथ गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव के द्वारा मंजूर किया। उसके बाद बार-बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि गवर्नमेंट की जो सिफारिशें हैं उनके अनुसार म्युनिसिपल एम्प्लाईज को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि एक कोई पोस्ट है तो उस पोस्ट का नाम बदल करके और दूसरा नाम करके उन सिफारिशों से बहुत सी म्युनिसिपैलिटियां बचना चाहती हैं। इस तरह की जब शिकायतें हमारे पास आयीं तब लोगों ने कहा कि आप पे कमेटी की सिफारिशें इंफोर्स कर दीजिये, क्योंकि ऐसा करने से उनको सर्विसेज में सिक्यूरिटी मिलेगी और दूसरे उनकी तरतीब कायम हो जायगी। मैंने कहा कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। जब तक रूल्स नहीं बन जाते हैं तब तक मैं

एन्फोर्स नहीं कर सकता। मैंने यह भी कहा कि सर्विसेज के संबंध में रूल्स बनाने का अधिकार गवर्नमेंट को है और वह उनकी नाजायज हरकतों को रोकने के लिये रूल्स बनायेगी और रूल्स बनाये गये। रूल्स को बनाने के पेश्तर, मैं यह बता देना चाहता हूं कि पूरा डेमोक्रेटिक तरीका जो हो सकता था, वह बरता गया। सब बोर्ड्स से उनकी राय ली गयी, उसके बाद इस भवन की जो लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसके सामने वह मसला पेश किया गया। परसों या नरसों स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें कुछ लोगों ने यह आक्षेप किया कि इसमें थोड़े से उनके अधिकार सीमित होते हैं टेम्पोरेरी पोस्ट्स के लिये क्योंकि उसमें टेम्पोरेरी का शब्द मौजूद था। उसमें यह निर्णय हुआ कि उनके अधिकारों को सीमित न करते हुए ये कमेटी की जो सिफारिशें हैं वह उनके ऊपर लादी जा सकें, ऐसे रूल्स बनाये जायं और जो निर्णय हुआ है, उसके ऊपर हम अमल करेंगे। इससे बढ़कर और डेमोक्रेटिक तरीका क्या हो सकता है? जहां तक प्रजातंत्रवाद की और बातें कही गयीं उनके ऊपर हमारे भाई चतुर्भुज शर्मा जी ने प्रकाश डाला। आज-कल की परिस्थिति में जबकि पंचायतें भी कायम हो गयी हैं। उनका और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का संबंध क्या होना चाहिये यह भी प्रश्न इसमें पैदा होता है। दूसरा प्रश्न म्युनिसिपैलिटियों के संबंध में था। बहुत से टाउन एरियाज में म्युनिसिपैलिटियां बन गयीं उनका और डिस्ट्रिक्ट्स बोर्ड्स का संबंध आता है, जितनी छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटियां, टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया, जो पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत थे, उनसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स वसूल करते थे, वह भी संबंध थोड़ा सा बदल गया। तो यह दिक्कतें उसमें पैदा हुई। साथ साथ मतभेद भी होते हैं। कौन सा अधिकार उनको देना चाहिये, जैसे बोर्ड बनता है वह ऐडवाइजरी होना चाहिये। क्या उसको पूर्ण अधिकार देना चाहिये जैसे कि प्रान्तीय बोर्ड या लोकलसेल्फ बोर्ड हैं? यह ऐसी बातें हैं जो गौरतलब हैं। आजकल के सेटअप में उनको किस तरह से चलाया जाय इसमें मतभेद होते हैं। मेरे भाई गोपाल नारायण सक्सेना जी ने यह बात कही कि मतभेद हो गया। यह तो विरोधी पार्टी को कहने का अधिकार है। मैंने किसी मिनिस्टर की शिकायत की, यह बात नहीं। सवाल सिर्फ इस बात का है कि इन मतभेदों में कोई भी पार्टी चलती है तो जिस वक्त वह पार्टी के मेम्बर थे, मौजूद थे, मैंने कहा कि अगर बार-बार मुझसे कहा जाता है कि लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट बिल लाया जाय तो पार्टी में तुम क्यों नहीं प्रेस करते? अगर अब वह विरोधी पार्टी में चले गए तो मैं उनसे कहूंगा कि आप बड़े जोरों से यहां आवाज लगायें। इसमें मैंने कोई गैरवाजिब बात नहीं कही। अगर भवन की राय हो जाय कि जल्द से जल्द वह बिल आ जाय तो आ जायगा। लेकिन भवन के सामने दो बिल साथ-साथ बड़े-बड़े नहीं आ सकते थे। भवन के सामने जमींदारी बिल चल रहा था मैं देख रहा था कि भवन पहले उस बिल से फारिग हो जाय उसके बाद मैं अपना घोड़ा दौड़ाने की कोशिश करूं। वह भी मेजर बिल होगा, उसके ऊपर काफी विचार होगा, महीने दो महीने तक विचार हो सकता है। इतना महत्व का बिल जिस वक्त जमींदारी एबालिशन बिल चल रहा था उस वक्त में उसे भवन के सामने ले आऊं, वह नामुमकिन था और इसलिये वह लाया नहीं गया। लेकिन शीघ्र ही जैसे समय मिलेगा, जैसा कि मैंने स्टैंडिंग कमेटी में भी कहा था, उस पिछली मीटिंग में पालन जी मौजूद नहीं थे लेकिन मैंने उसका एक खाका स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बर्स को दिया था। मैंने यह जरूर कहा था और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जितनी स्टैंडिंग कमेटी में कोई चीजें आती हैं वह एक कान्फिडेंशियल (गोपनीय) रखने की बात है। जब तक वह मंजूर नहीं होती तब तक उसको भवन के सामने नहीं लाया जा सकता।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--मैंने कोई स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र नहीं किया और न मैंने कोई अटेंड की।

माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर--स्टैंडिंग कमेटी में ड्राफ्ट के बारे में आपने कहा था कि ऐसा ड्राफ्ट आया।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--वह तो बोर्ड के रूल्स के ड्रैफ्ट थेजो म्युनिसिपैलिटीज में सरकुलेट हो चुके हैं।

श्री खानचन्द गौतम--वह तो आपके और आपके कैबिनेट के साथियों के डिफ-रेंसों का जिक्र हुआ।

माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर--डिफरेंसों के पैदा करने का आपको अधिकार है। यह भी सही बात नहीं कि सब लोगों का मत एक सा हमेशा रहता हो। मतपरिवर्तन बराबर होता रहता है। दो आदमियों का मत कभी एक सा नहीं होता, यह सिद्धांत की बात है। इसमें कोई गैरवाजबियत नहीं है, लेकिन सबको ऐडजस्ट करके ही काम चलता है। इस भवन में भी ऐडजस्ट करके ही काम करते हैं और इसी तरह से सब जगह किया जाता है। यह तजुर्बे की बात है।

अभी राजाराम शास्त्री जी ने कहा कि प्रिंसिपिल की बात तो करते हैं, लेकिन प्रिंसिपिल पर चलने के लिये तैयार नहीं रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने अगर उस प्रिंसिपिल को स्वीकार किया तो किसी परिस्थिति में स्वीकार किया। मैंने यह कहा कि जिस वक्त इस तरह की म्युनिसिपैलिटियां बन जायं और जिम्मेदार म्युनिसिपैलिटियां बन जायं, जो प्रजातंत्र के सिद्धांत के अनुसार, एक बालिग मताधिकार पर हों, और उसी के साथ-साथ संयुक्त निर्वाचन पर हों और उनके कोई आप तजुर्बे देख लें, ऐसे मौके पर मैं यहां अपना एक प्रस्ताव रखूंगा कि सुपरसेशन का कोई अधिकार गवर्नमेंट को न रहे। ऐसी अवस्था में सिर्फ रिजोल्यूशन से काम हो सकता है। लेकिन आज यह हालत है कि हम आज किसी म्युनिसिपैलिटी को डिजाल्व (विघटित) करते हैं तो नतीजा यह होगा कि सेपरेट एलेक्टोरेट पर चुनाव करना पड़ेगा। फिर से उन म्युनिसिपै-लिटियों में मुस्लिम मुस्लिम को चुनेंगे, हिन्दू हिन्दू को चुनेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथ-साथ मुझे नामजदगी का भी अख्तियार होगा। जो कि नाम-जदगी का अख्तियार कोई पसंद नहीं करता। अनडेमोक्रेटिक तरीका मुझे बरतना पड़ेगा। एक सीट अछूत के लिये और कोई स्पेशल इंटरेस्ट की रखनी पड़ेगी। आज डिसोल्यूशन (विघटन) का मतलब यह है। इसलिये आज की परिस्थिति में सुपरसेशन का कानून जारी रखना लाजिमी हो गया है।

श्री खानचन्द गौतम--असेम्बली का चुनाव आप इसी तरह से क्यों करवा रहे हैं।

माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर--अगर मेरे हाथ में असेम्बली का चुनाव होता तो आप देखते कि क्या होता। लेकिन असेम्बली के चुनाव में फर्क है। यहां सिर्फ बाई-एलेक्शन हो रहे हैं। अगर कोई कहे कि पूरी असेम्बली को बन्द कर दो और सेपरेट एलेक्टोरेट पर चुनाव करो तो राजाराम शास्त्री क्या मंजूर कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो मैं बोर्ड को भंग कर रहा हूं, एक मेम्बर को नहीं चुन रहा हूं। यह पूरे बोर्ड को भंग करने का सवाल है। मैं यह कहता हूं कि आज कोई भी मेम्बर इस बात के लिये तैयार नहीं हो सकता कि इस भवन को बन्द कर दिया जाय और उसका चुनाव पृथक निर्वाचन, जैसे पहले हुआ था, पर हो। यही कहेंगे कि यह भवन खराब हो अच्छा हो, जो कुछ भी हो लेकिन यह भवन तब तक चलाया जाय जब तक नयी लिस्टें न तैयार हों जायं और उनके अनुसार चुनाव न हो जाय। अगर आप अपने लिये यह कहते हैं तो मैं म्युनिसिपैलिटियों के लिये भी यही कहता हूं कि चुनाव हो तो नयी लिस्टों के हिसाब से ही हो। तो डिसोल्यूशन (विघ-टन) से सुपरसेशन (अवक्रमण) अच्छा है, इन परिस्थितियों में। इसलिये मैं आपसे कहना

चाहता हूं जिसकी बहस कल होगी। जेनरल इलेक्शन के बारे में तो मैं आपसे यह कहता हूं कि आपको अभी यह मान कर चलना पड़ेगा कि एक साल तक चुनाव नहीं होगा। तो इस बीच में सुपरसेशन का अधिकार व्यावहारिक अधिकार है। इसमें कोई सिद्धांत तोड़ने की बात नहीं है। जो पुराना रवइया चला आ रहा है उसको कायम रखने के लिये यह रखा गया है। लक्ष्य को हासिल करने का जो तरीका है इस भवन के जरिये से ही हो सकता है। आपकी तरह मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूं। जहां तक माननीय सदस्यों ने आज इस बिल के संबंध में कहा था उसका मैंने जवाब दे दिया और जो कुछ बातें हैं, जिसका उन्होंने जिक्र किया मैं भवन से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह यह समझ लें डेमोक्रेसी की आवाज लगाने से डेमोक्रेसी का अर्थ हम समझते हों ऐसी बात नहीं है। डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत हैं उन मूलभूत सिद्धांतों के समझ लेने की आवश्यकता है। जब हम भवन के सामने आते हैं तो मुझे कोई इस तरह की बात नहीं कह सकता कि यह तरीका अनडेमोक्रेटिक है। भवन से राय लेने के लिये आया हूं। भवन इसको ओवर थ्रो कर दे। और अगर उसके बाद भी अमल न किया जाय तो अनडेमोक्रेटिक तरीका होता है। दूसरे डेमोक्रेसी में यह नहीं होता कि गलतियां नहीं होती हैं। यह बात नहीं है। डेमोक्रेसी इन्फैलिबिल (अचूक) नहीं होती। मान लीजिये कि कोई कानून यहां से पास होता है। कुछ दिन के बाद उसके कोई दूसरे मानी भी लगाये जाते हैं तो हमें भवन के सामने आना पड़ेगा, जितना काम अब तक उसके मुताबिक हुआ है उसको वैलिडेट किया जाय। बड़े बड़े कानूनदां लोगों में भी मतभेद होता है। तो डेमोक्रेसी का यह तरीका है कि जिस वक्त इस किस्म की गल्ती हो तो स्पष्टीकरण के लिये भवन के सामने प्रश्न लाया जाय और उसे साफ कर दिया जाय। जो डेमोक्रेसी की बहुत डींग हांकते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि क्या किसी पार्लियामेंट में इस तरह के छोटे-छोटे सुधार के वेलिडेशन (वैधीकरण) के जब बिल आते हैं तो उस वक्त डेमोक्रेसी की चर्चा कर के दो दिन लिये जाते हैं और इस तरह के प्रश्न उठाये जाते हैं? नहीं, वह कहीं नहीं उठाये जाते। घंटे या आधे घंटे के अन्दर वह पास हो जाता है। प्रश्न इस बात का होता है कि अगर बोनाफाइडी तरीके से मिस्टेक नहीं हुई तो कंडेमनेशन जरूर होता है। लेकिन अगर बोनाफाइडी मिस्टेक इंटरप्रिटेशन (व्याख्या) की हो गई हो तो वह सुधार हो जाता है। विरोधी होने का यह मतलब नहीं है कि मौका अच्छा है, वेंटिलेशन (प्रकाशन) राय का हो और प्रोपेगेंडा हो। इस दृष्टि से नहीं देखा जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उसका कारण क्या है। उसमें आपका कसूर नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी नई है। दूसरों को क्या मुश्किलात पड़ती हैं। यह हम एकतरफा जानते हैं, यानी स्वतन्त्र होने के बाद यही पहली गवर्नमेंट बनी हुई है, विरोधियों की गवर्नमेंट कभी नहीं हुई। दूसरे मुल्क में विरोधियों की गवर्नमेंट होती रहती है और बनती रहती है और उनको दोनों का तजुर्बा होता है, जो विरोधी पार्टी में होते हैं वे समझ लेते हैं कि ये मुश्किलात होती हैं और विरोधी पार्टी व समझते हैं कि जिम्मेदारी क्या चीज है, लेकिन यहां की विरोधी पार्टी को बदकिस्म से जब से आजादी मिली है यह समझने का मौका ही नहीं मिला है कि जिम्मे क्या चीज होती है। वह समझते हैं कि गवर्नमेंट का विरोध कर देना भर उनक है और जो-जो मुश्किलात आती हैं उसका तजुर्बा न होने की वजह से य हो जाती है। इसलिये क्षम्य भी है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ और कर देना चाहता हूँ कि इस तरह का जो यह बिल है उसमें इतना र लेना चाहिये। राजाराम जी कहते हैं कि ऐसा बिल नहीं आना चाहिये। चाहता हूँ कि संधिकाल में जब कि सैकड़ों कानून बनाये जा रहे हैं, जब के जरिये से क्रांति करना चाहते हैं और नये-नये कानून बनाना चाहते । कुछ लूपहोल्स (त्रुटियां) रहेंगे और उनको बराबर भवन के सामने लाना प

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]
परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, अगर डेमोक्रेसी को अच्छी तरह समझते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका तो डंडेबाजी का है ही, जो कोई डिक्टेटर करेगा, लेकिन अगर कायदे के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो कायदे में जो कमी होती है उसे भवन में लाना हमारा फर्ज होता है और यही डेमोक्रेसी का तरीका है यह विरोधी दल के लोग समझ लें। वह कुछ दिन किताबों को और पढ़ें, कुछ दिन और समझें कि दूसरे देशों में क्या होता है, तब उनको पता लगेगा कि यह बातें होती हैं।

इन शब्दों के साथ में भवन से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जवाब मैं दे चुका और अब यह भवन इस विधेयक को स्वीकार करे।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों के (अनुपूरक) विधेयक को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ):--

पक्ष में--५६

अचल सिंह, श्री
अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
खुशीराम, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगुल किशोर, श्री
दयालदास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मिजाजीलाल, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशरण, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लाखनदास जाटव, श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
शिवकुमार पांडे, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सीताराम अष्ठाना, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री

विपक्ष में--१५

ई० एम० फिलिप्स, श्री
ख़ानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
चेतराम, श्री
प्रयाग नारायण, श्री
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री
मुहम्मद एवज, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीचन्द सिंघल, श्री

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (अमेंडमेंट) विधेयक

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (अमेंडमेंट) विधेयक पर, जिसे विधान परिषद् ने ८ मार्च, सन् १९५० ई० को तथा विधान सभा ने ११ मार्च, सन् १९५० ई० को पारित किया था, महामान्य राज्यपाल द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों सहित पुनः विचार किया जाय। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ अधिक भाषण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसा कि सदस्यों को भलीभांति मालूम है मार्च, १९५० में उस आर्डिनेंस को, जो १९४९ में कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन के सम्बन्ध में पेश किया गया था, उसमें कैनटूनमेंट्स के लिये प्राविजन किया गया था और ऐसा इसलिये किया गया था कि १९४९ की जुलाई में गवर्नमेंट आफ इंडिया से आदेश आया था कि कैनटूनमेंट्स मेंभी रेंट कंट्रोल ऐक्ट लागू किया जाय। इसी आदेश के अन्तर्गत प्रदेश की सरकार ने एक आर्डिनेंस जारी किया था और उस आर्डिनेंस को मार्च, १९५० में ऐक्ट के रूप में पास करवाना चाहा था और उसी के अनुसार एक विधेयक भवन में उपस्थित किया गया था और उस विधेयक पर इस भवन ने स्वीकृति भी प्रदान की थी। परन्तु इस बीच में २६ जनवरी, १९५० को कांस्टिट्यूशन पास हो गया और उस कांस्टिट्यूशन के अन्तर्गत शेड्यूल ७ में, आइटम तीन में एक तब्दीली कर दी गयी और उसने राष्ट्रपति को मजबूर किया कि वह अपनी स्वीकृति इस विधेयक पर प्रदान न कर सकें। वह संशोधन इस प्रकार था कि कैनटूनमेंट्स में जो रेगुलेशंस मकानों के विषय में थे पहले कानून में कैनटूनमेंट्स में रेंट फिक्स किये जायं क्योंकि रेगुलेशंस आफ रेंट उसमें शामिल नहीं थे। परन्तु कन्स्टिट्यूशन में रेग्युलेशन आफ रेंट भी कैनटूनमेंट के मकानों के सम्बन्ध में पास कर दिया गया इसलिये जो विधेयक यहां से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा गया था वह इस कारण से मुनासिब नहीं समझा गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को पुनः विचार के लिये इस भवन में भेजा है। मुझे आशा है कि फिर से यह भवन इस पर विचार करेगा और उन संशोधनों को मंजूर कर लेगा जिनके ऊपर राष्ट्रपति ने हमारा ध्यान खींचा है।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (अमेंडमेंट) विधेयक पर, जिसे विधान परिषद् ने ८ मार्च, १९५० ई० को तथा विधान सभा ने ११ मार्च, १९५० ई० को पारित किया था, महामान्य राज्यपाल द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों सहित पुनः विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मानतीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ में कुछ प्रयोजनों के लिए संशोधन करना आवश्यक है,

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय--

२--यू०पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट, १९४७, की धारा १ की उपधारा (२) (ए) के बाद निम्नलिखित दूसरे प्रतिबन्धात्मक वाक्य (Second proviso) के रूप में बढ़ाया जाय :--

"Provi ed further that nothin in thi Act shall apply to—

(1) any premises belonging to the State or Central Government, or

(ii) Any tenancy or other like relationship created by a grant from the Government in respect of premises taken on lease or requisitioned by the Government."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (अमेंडमेंट) विधेयक , जैसा कि वह पुनः संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (अमेंडमेंट) विधेयक, जैसा कि वह पुनः संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश औषध नियंत्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने का) विधेयक

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश औषध नियंत्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने के) विधेयक की प्रतिलिपि, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(कुछ ठहर कर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश औषध नियंत्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने के) विधेयक पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय। अध्यक्ष महोदय, इस [illegible]क पर भी अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। यह वह विधेयक है जिसे इस भवन ने पिछले साल पास किया था और चूंकि अब इसका समय बीत रहा है इसलिये इस भवन से इस बार की आशा प्रकट की जाती है कि वह इसे एक साल के लिये फिर पास कर देगा क्योंकि बाहर से आने वाली दवाइयों के दाम समय-समय पर बदलते रहते हैं और अभी अन्तर्राष्ट्रीय बात में नहीं कहा जा सकता है कि कब लड़ाई प्रारम्भ हो जाय। लड़ाई की बात-

चीन शुरू होने पर ही बाहर से आने वाली दवाओं के दाम बढ़ने लगते हैं इसलिये मुनासिब समझा जाता है कि यह विधेयक गवर्नमेंट को यह अधिकार दे जिससे बाहर से आने वाली दवाओं पर नियंत्रण रखा जा सके । मैं आशा करता हूं कि यह भवन इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा ।

श्री ई० एम० फिलिप्स--श्रीमान् स्पीकर महोदय, मुझे कुछ लम्बा चौड़ा नहीं कहना है । मैं सिर्फ दो मिनट में खत्म कर दूंगा । पहली बात तो यह कहनी है कि जितनी कंट्रोल की दवायें हैं और जिनके लिये आप वक्तन फवक्तन नोटिफिकेशन निकालते हैं उनको लेने के लिये जब दवाखाने में जाया जाता है तो कहा जाता है कि वे इस वक्त मौजूद नहीं हैं और वे फौरन नहीं बतला सकते कि गवर्नमेन्ट द्वारा मुकर्रर की हुई उनकी कीमत क्या है ? मुझे कल ही यह दिक्कत महसूस हुई कि मुझे दो जगहों पर जाने का मौका हुआ लेकिन मांगने पर वह चीज नहीं मिली। दूसरी बात यह कि हमें इस बात का इमकान है कि स्ट्रैप्टो माइसीन आरोक्षाइसीन, पेनिसिलीन वगैरह हमारे सूबे को न मिल सकें इसलिये आप इन दवाओं के तैयार करने की कम्पनी अपने यहां बनावें और उनके जरिये दवायें तैयार करावें ताकि बाहर से इनको मंगाने में जो दिक्कतें पेश आती हैं वे न हो सकें । मैं समझता हूं कि अगर इन बातों की तरफ तवज्जह की जाय तो पब्लिक का दुःख बहुत हद तक दूर किया जा सकता है ।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मित्र श्री फिलिप्स साहब ने जो सुझाव पेश किये हैं उनमें एक सुझाव तो ऐसा है जिसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है । मगर स्ट्रैप्टो माइसीन और पेनिसिलीन को इसी देश में तैयार करने का प्रबन्ध हो रहा है ।

मुझे ज्ञात हुआ है कि केंद्रीय सरकार इस ओर कार्य कर रही है और उसने कई कम्पनियों को इस बात का प्रोत्साहन देने का प्रबंध किया है कि कम से कम पेंसिलीन इस देश के अन्दर तैयार हो सके। जहां तक उनकी दूसरी शिकायत का संबंध है मुझे नहीं मालूम कि किस दुकान का वह जिक्र करते हैं। यदि वहां पर नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है तो यह दुख की बात है । मैं इस बात का आदेश भेजूंगा कि जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से निकलें वह उन दुकानों पर भी रक्खे जायं जहां पर इस तरह की दवाइयां मिलती हैं।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन और अधिकार जो जारी रखने के) विधेयक पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा धारायें

उत्तर प्रदेश औषध (नियंत्रण) ऐक्ट, १९५० एक अस्थायी अधिनियम है और वह ३१ जनवरी, १९५१ ई० को समाप्त होने वाला है,

और उक्त अधिनियम को ३१ जनवरी, १९५२ ई० तक जारी रखने और कुछ प्रयोजनों के निमित्त (जो आगे चल कर इसमें प्रतीत होंगे) उक्त अधिनियम में संशोधन करने की व्यवस्था करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१--(१) इस अधिनियम का नाम १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश औषध नियंत्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने का) अधिनियम होगा। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

मूल अधिनियम को जारी रखना। २---उत्तर प्रदेश औषध (नियंत्रण) ऐक्ट, १९५० ई० की (जिसे आगे चल कर यहां पर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा १ की उपधारा ४ में "१९५१" के स्थान में "१९५२" रक्खा जाय।

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या १४ धारा १२ और १९ का संशोधन ३---मूल ऐक्ट की धारा १२ की---

(क) उपधारा १ का खंड 'ग', और

(ख) उपधारा २ से ५ तक निकाल दिये जायं,

४---मूल ऐक्ट की धारा १९ की उपधारा (२) का खंड 'घ' निकाल दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने के) विधेयक की धारा १, २, ३, ४ और प्रस्तावना इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने के) विधेयक को जैसा कि वह इस विधान सभा द्वारा पारित किया गया है, मंजूर किया जाय।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश औषध नियंत्रण (संशोधन और अधिकार के जारी रखने के) विधेयक को जैसा कि वह इस विधान सभा द्वारा पारित किया गया है, मंजूर किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड इविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं आपकी आज्ञा से सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ ट ऐन्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक की प्रतिलिपि जैसा कि वह उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९७ पर।)

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शिक्षा विधेयक

माननीय अध्यक्ष---अब इससे आगे नम्बर पर जो शिक्षा विधेयक चढ़ा हुआ है उसको इस दफा नहीं लिया जायगा। जब अगली दफा हम बैठेंगे तब लिया जायगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २४ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलाश चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१८ जनवरी, सन् १९५१ ई०

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३१ पर)

उत्तर प्रदेश की परिगणित जातियों की सूची

क्रम-संख्या	परिगणित जातियां	क्रम-संख्या	परिगणित जातियां
१	अगरिया (Agariya)	१९	भन्तू (Bhantu)
२	बदी (Badi)	२०	भोकसा (Bhoksa)
३	बधिक (Badhik)	२१	भुइया (Bhuiya)
४	बहेलिया (Baheliya)	२२	भुइयार (Bhuiyar)
५	बैगा (Baiga)	२३	बोरिया (Boria)
६	बैसवार (Baiswar)	२४	चमार (Chamar)
७	बंसफोड़ (Bansphor)	२५	चेरो (Chero)
८	बरवार (Barwar)	२६	दबगार (Dabgar)
९	बसोर (Basor)	२७	धनगर (Dhangar)
१०	बवरिया (Bawariya)	२८	धानुक (Dhanuk)
११	बेलदार (Beldar)	२९	धरकार (Dharkar)
१२	बेरिया (Beriya)	३०	धोबी (Dhobi)
१३	बजनिया (Bajaniya)	३१	धुसिया या झुसिया (Dhusia or Jhusia)
१४	बजगी (Bajgi)	३२	डोम (Dom)
१५	बलहार (Balahar)	३३	डोमर (Domar)
१६	बाल्मीकि (Balmiki)	३४	दुसाध (Dusadh)
१७	बंगाली (Bangali)	३५	घरामी (Gharami)
१८	बनमानुस (Banmanus)	३६	घसिया (Ghasiya)

क्रम-संख्या	परिगणित जातियां	क्रम-संख्या	परिगणित जातियां
३७	गुआल (Gual)	५०	कोरवा (Korwa)
३८	हबूरा (Habura)	५१	लालबेगी (Lalbegi)
३९	हरी (Hari)	५२	मझवार (Majhwar)
४०	हेला (Hela)	५३	नट (Nat)
४१	जाटव (Jatava)	५४	पंखा (Pankha)
४२	बलाबाज (Balabaz)	५५	पड़हिया (Parahiya)
४३	कंजड़ (Kanjar)	५६	पासी (Pasi)
४४	कपरिया (Kapariya)	५७	पटारी (Patari)
४५	करवाल (Karwal)	५८	रावत (Rawat)
४६	खैरहा (Khairaha)	५९	सहरिया (Saharya)
४७	खरोट (Kharot)	६०	सनौढ़िया (Sanaurhiya)
४८	खरवार (बेनबंसी को छोड़ कर) [Kharwar (excluding Benbansi)]	६१	सनसिया (Sanasiya)
		६२	शिल्पकार (Shilpkar)
४९	कोल (Kol)	६३	तुरैहा (Turaiha)

२—बुन्देलखंड डिवीजन तथा मिर्जापुर जिले में कैमूर रेंज के दक्षिणी भाग में गोंड (Gond)।

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ २९४ पर)

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा स्वीकृत हुआ है।)

यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ ई० में कुछ और अधिक संशोधन करने के लिये विधेयक।

कुछ ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो इसके आगे चल कर प्रतीत होंगे, यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करना आवश्यक है। अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

१--(१) इस अधिनियम का नाम १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

१९४७ ई० के यू० पी० ऐक्ट संख्या ३ में नई धारा १-ए का बढ़ाया जाना।

२--यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा १ के बाद निम्नलिखित नयी धारा १-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"1-A. Nothing in this Act shall apply to any building or part of a building which was under erection or was constructed on or after 1st January, 1951."

उद्देश्य और विवरण

यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक निवास का जिसके अन्तर्गत भविष्य में बनाई जाने वाली इमारतें भी हैं, किराया और किराये पर दिया जाना नियंत्रित है। उक्त अधिनियम के प्रयोग से यह ज्ञात हुआ है कि नयी इमारतों के नियंत्रण के कारण नयी इमारतों के बनाने में रुकावट पहुंची है। अतएव यह निश्चय किया गया है कि ऐसी इमारतों को उक्त नियम के प्रयोग से बाहर कर दिया जाय जो १ जनवरी, सन् १९५१ ई० को या उसके बाद बनाई या तैयार की गयी हों।

२—उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रख कर १९५० ई० का यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

चन्द्रभानु गुप्त,
अन्न मंत्री

पी० एस० यू० पी०—२२६ एल० ए०—१९५१—६६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १६ जनवरी, सन् १९५१ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्यों की सूची (१५८)

अजित प्रताप सिंह, श्री
अब्दुल गनी अन्सारी, श्री
अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
असगर अली खां, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनचन्द पुरी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केशव गुप्त, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
जहूर अहमद, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगल किशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री

दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिकाप्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
पूर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बलदेवप्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
ब्रजरानीदेवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मिजाजी लाल, श्री
मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माइल, श्री
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री
मुहम्मद एवज, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशरण, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लालबहादुर, माननीय श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकरदत्त शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडे, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द सिंघल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सालिग्राम जायसवाल, श्री

सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुदामा प्रसाद, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सईद अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हसरत मोहानी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १६ जनवरी, सन् १९५१ ई०

[१७ जनवरी, सन् १९५१ ई०, के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

कानपुर तथा रामपुर के टेक्सटाइल मिलों का रिआर्गेनाइजेशन

*८--श्री गङ्गासहाय चौबे--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसने कानपुर टेक्सटाइल मिल्स तथा रजा टेक्सटाइल मिल्स, रामपुर को रिआर्गेनाइजेशन की इजाजत दे दी है? यदि हां, तो कब और इस सम्बन्ध में मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी पूछा गया?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)--जी नहीं, अतएव इस सम्बन्ध में अन्य कोई प्रश्न नहीं उठता।

*९--श्री गङ्गासहाय चौबे--क्या सरकार को मालूम है कि रुई की कमी के कारण रजा टेक्सटाइल मिल बन्द किया गया था और अब यह रिआर्गेनाइजेशन और रीट्रेंचमेंट की स्कीम से चल रहा है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, सरकार को ज्ञात है कि रजा टेक्सटाइल मिल्स, रामपुर रुई के निर्धारित मूल्य पर न मिलने के कारण ता० १ अक्तूबर, सन् १९५० ई० को बन्द कर दिया गया था। मजदूरों ने स्वयं मिल मालिकों से एक समझौता रिआर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में कर लिया है जिसकी सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई है। यह मिल तारीख ४ जनवरी, सन् १९५१ ई० से चालू हो गई है। अभी तक सरकार को समझौते की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। सरकार को इस सम्बन्ध में और कोई जानकारी नहीं है।

हाथरस और आगरा के टेक्सटाइल मिलों के सम्बन्ध में पूछताछ

*१०--श्री गंगासहाय चौबे--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय हाथरस और आगरा के टेक्सटाइल मिल्स में से कौन-कौन चल रहे हैं और उनमें कितने-कितने आदमी काम कर रहे हैं?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समय हाथरस और आगरा के सात टेक्सटाइल मिलों में से केवल दो मिल चल रही हैं, (१) इन्द्रा स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग मिल, आगरा, जिसमें ११२ मजदूर और (२) बिजली काटन मिल, हाथरस, जिसमें १,५५० मजदूर काम कर रहे हैं।

[१८ जनवरी, सन् १९५१ ई०, के स्थगित प्रश्न]

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

लाइट इन्डस्ट्रीज ऐडवाइजर का त्याग-पत्र

*१--श्री खुशवक्त राय--क्या यह सच है कि सरकार के लाइट इन्डस्ट्रीज ऐडवाइजर ने त्यागपत्र दे दिया है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि श्री पाल टेल्को ने कब त्यागपत्र दिया?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५० ई० ही में दिया, ठीक तारीख तो मैं नहीं बतला सकता।

*२--श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार इस त्यागपत्र के देने का कारण बतलाने की कृपा करेगी?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्री टेल्को ने अपने त्यागपत्र में त्यागपत्र देने का कोई कारण नहीं लिखा।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि श्री पाल टेल्को ने माननीय उद्योग मंत्री को १८ नवम्बर को एक पत्र लिखा था और उन्होंने उसमें क्या कारण बतलाये थे कि वह क्यों इस्तीफा दे रहे हैं?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हो सकता है कि उन्होंने कोई प्राइवेट खत लिखा हो, लेकिन जाब्ते का जो त्याग-पत्र आया उसमें कारण नहीं हैं?

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री कृपा करके बतलावेंगे कि यद्यपि त्यागपत्र में कारण नहीं दिये गये थे, लेकिन क्या यह [illegible]को मालूम है कि किस कारण से उन्होंने त्यागपत्र दिया?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरे उनसे कोई खास मरासिम या ताल्लुकात नहीं हैं, इसलिये मुझे कुछ नहीं मालूम है।

*३--श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इन महोदय की योग्यता क्या थी?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--'टेल्को लिमिटेड' नामक एक छोटे पुर्जे (नट्स ऐंड बोल्ट्स) बनाने वाले कारखाने के यह संचालक थे और मशीन द्वारा बनाये जाने वाले धंधों से परिचित थे।

श्री खानचन्द गौतम--क्या माननीय श्रम सचिव यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पाल टेल्को को किस-किस काम के लिए नियुक्त किया गया था?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वह लाइट इंडस्ट्रीज ऐडवाइजर की हैसियत से रक्खे गये थे।

श्री खानचन्द गौतम--इस काम के सिलसिले में श्री पाल टेल्को ने क्या अपनी कोई खास स्कीमें गवर्नमेंट के सामने रक्खी थीं?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, समय-समय पर वे गवर्नमेंट को सलाह देते रहे।

श्री खानचन्द गौतम--श्री पाल टेल्को की जिन स्कीमों को गवर्नमेंट मानने से मजबूर रही वे खास-खास स्कीमें क्या थीं और किन कारणों से सरकार उनको मंजूर नहीं कर सकी?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार को यह मालूम है कि श्री पाल टेल्को ने वाटर कस्लर ऐंड कं० जो वाटर मीटर बनाने की लन्दन की कम्पनी है उसमें भी काम किया था?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं ठीक इस कम्पनी की बाबत तो नहीं कह सकता, लेकिन इस किस्म की कई कम्पनियों से उनका सम्बन्ध रहा है।

श्री खुशवक्त राय--क्या यह सच है कि श्री पाल टेल्को में वह योग्यता थी कि वे वाटर मीटर बनवा सकते थे?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसकी बाबत मैं ठीक नहीं कह सकता।

श्री खुशवक्त राय--क्या यह सच है कि श्री पाल टेल्को ने जो स्कीम इस गवर्नमेंट की वाटर मीटर बनाने की है उसके खिलाफ राय दी थी?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुछ मामलों में वे जरूर क्रिटिकल (आलोचक) थे।

श्री खुशवक्त राय--क्या यह भी सच है कि श्री पाल टेल्को के खिलाफ राय होते हुए भी गवर्नमेंट ने उस स्कीम को मंजूर किया था?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार को पूरा अधिकार है कि वह अपने ऐडवाइजर्स की राय माने या न माने।

तारांकित प्रश्न

*१--२--श्री गजाधर प्रसाद--[स्थगित किये गये।]

[शुक्रवार, १९ जनवरी, सन् १९५१ ई० के प्रश्न]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

माननीय मन्त्रियों के पर्सनल असिस्टेंट

*१--श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि माननीय मंत्रियों के पास जो पर्सनल असिस्टेंट हैं उनमें से कितने और कब रिटायर हुए हैं?

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)--माननीय मंत्रियों के पर्सनल असिस्टेंटों में अभी कोई रिटायर नहीं हुए।

*२--श्री खुशवक्त राय--क्या इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें एक्सटेंशन मिला है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--एक पर्सनल असिस्टेंट को एक्सटेन्शन (अवधि-वृद्धि) दिया गया है।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन पर्सनल असिस्टेंट को एक्सटेन्शन दिया गया है उनको कितने एक्सटेन्शन मिल चुके हैं?

माननीय श्री हुकुम सिंह--चौथा चल रहा है।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पर्सनल असिस्टेंट महोदय को चार-चार एक्स्टेन्शन देने की क्या जरूरत हुई?

माननीय श्री हुकुम सिंह--पब्लिक इंटेरेस्ट (जनहित) में यह मुनासिब था इस वजह से दिये गये।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पर्सनल असिस्टेंट महोदय का चौथा एक्सटेंशन समाप्त होने पर और भी एक्सटेन्शन देने का गवर्नमेंट का विचार है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--अभी वह सवाल गवर्नमेंट के सामने नहीं है।

श्री खुशवक्त राय--क्या चालू वर्ष में जो पर्सनल असिस्टेंट रिटायर होने वाले हैं उनको भी एक्स्टेंशन देने का विचार किया जा रहा है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--यह अभी कब्ल-अज-वक्त है। अभी ऐसी कोई बात सरकार के विचार में नहीं है।

श्री खानचन्द गौतम--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस पब्लिक इंटेरेस्ट में यह चौथा एक्सटेन्शन दिया गया है वह पब्लिक इंटेरेस्ट क्या है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--काम बहुत अच्छा करते हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री--जिन पर्सनल असिस्टेंट साहब को चार मर्तबा एक्सटेंशन दिया गया है उनका शुभ नाम क्या है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--उनका नाम श्री कृष्ण चन्द्र है।

श्री खानचन्द गौतम--उनकी उम्र क्या है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--रिटायर होने से चार वर्ष और चढ़ गये हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि वह पर्सनल असिस्टेंट किन मंत्री महोदय के हैं?

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय मुख्य मंत्री के।

तारांकित प्रश्न

*१--४--श्री श्याम लाल वर्मा--[स्थगित किये गये।]

असेम्बली तथा कौन्सिल की दैनिक कार्यवाही की पुस्तिकाओं की छपाई

*५--श्री कालीचरण टन्डन (अनुपस्थित)--एसेम्बली व कौंसिल की दैनिक कार्यवाही पुस्तिका को कितनी-कितनी प्रतियां प्रति अंक को छपती हैं?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)--असेम्बली व कौंसिल की दैनिक कार्यवाही पुस्तिकाओं के प्रत्येक अंक की क्रमशः ५,००० और ६६० प्रतियां छपती हैं।

*६--श्री कालीचरण टंडन (अनुपस्थित)--उपरोक्त पुस्तिकाओं की कुल कितनी-कितनी प्रतियां ग्राहकों, सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों तथा सदस्यों में वितरित होती हैं?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--उपर्युक्त पुस्तिकाओं की प्रतियां इस प्रकार वितरित होती हैं--

(क) असेम्बली की पुस्तिकायें :--

ग्राहकों को	...	९०
सरकारी विभागों को	...	४६१६
अर्द्ध सरकारी विभागों को	...	७
सदस्यों को	...	२८७

(ख) कौंसिल की पुस्तिकायें:--

ग्राहकों को	...	८८
सरकारी विभागों को	...	२७८
अर्द्ध सरकारी विभागों को	...	७
सदस्यों को	...	२८७

*७--श्री कालीचरण टन्डन (अनुपस्थित)--भविष्य में कितनी-कितनी प्रतियां छपवाने का सरकार का इरादा है?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--यह प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है।

बनारस जिले में वर्षा के अभाव से धान की फसल की हानि

*८--श्री राम नन्दन सिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बनारस की तहसील चकिया के नहर वाले क्षेत्र को छोड़ तहसील ज्ञानपुर व बनारस, चन्दौली और चकिया के प्रायः सभी क्षेत्रों का धान बारिश न होने के कारण सूख गया है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--पिछली खरीफ में वर्षा न होने के कारण बनारस जिले में लेट राइस (अगहनी धान) की फसल को काफी हानि पहुंची है। यह हानि केवल उन्हीं क्षेत्रों में हुई है जिनमें सिंचाई की सुविधायें नहीं थी।

श्री राम नन्दन सिंह--क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि बनारस जिले में सूखे वाले क्षेत्रों में लगान आदि में वह छूट देने जा रही है, यदि हां तो कितनी?

माननीय श्री हुकुम सिंह--कलेक्टर की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

श्री राम नन्दन सिंह--क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि वहां के किसानों के लिये वह बीज आदि का क्या प्रबंध करने जा रही है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--रबी में तो बुआई हो चुकी।

तहसील चकिया से चावल के निर्यात पर रोक

*९--श्री राम नन्दन सिंह--क्या यह सच है कि तहसील चकिया के चावल निर्यात पर रोक लगा दी गयी है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--(अन्न मंत्री) जी हां।

*१०--श्री राम नन्दन सिंह--यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--चावल की वसूली में वृद्धि करने के लिये ये रोकें लगा दी गई हैं।

श्री राम नन्दन सिंह--क्या सरकार को मालूम है कि चावल निर्यात पर लगी रोक से वहां भ्रष्टाचार अधिक हो रहा है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार को इस बात की कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री राम नन्दन सिंह--क्या सरकार बतायेगी कि उसके पास कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र आया है कि इस रोक को हटा ले और ५ प्रति सैकड़ा वह किसानों से चकिया मुगलसराय की मंडियों में अपने दामों पर ले ले?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--रोक हटाने के लिये अर्जी आई थी।

श्री भगवान सिंह--क्या सरकार यह बतावेगी कि यह निर्यात रोक कितने अर्से तक और लगाये रखना जरूरी है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब तो सरकार की नीति यह है कि साल भर प्रोक्योरमेंट सरकार करती रहे। जब खरीफ का सीजन खत्म हो जायगा तब सरकार इस बात पर विचार करेगी कि निर्यात, पर रोक रहे या न रहे।

श्री रामनन्दन सिंह--क्या सरकार की ऐसी योजना से चावल वसूली अधिक हो रही है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, प्रोक्योरमेंट का सिद्धांत तो यही बताता है कि जब रोक लगा दी जाती है और चावल बाहर नहीं जाने पाता है, तो वह अधिक मात्रा में बाजार में आता है और इसलिये सरकार मानोपोली प्रोक्योरमेंट (एकाधिकार गल्ला वसूली) के मातहत उसे अधिक मात्रा में खरीद सकती है।

श्री रामनन्दन सिंह--चावल खरीदने की योजना के नियम क्या हैं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार विभिन्न स्थानों पर पर्चेजिंग सेंटर्स (क्रय-केन्द्र) बनाती है और जितना चावल बिकने आता है सरकार ही उसे खरीद सकती है, और कोई दूकानदार या व्यक्ति नहीं।

*११--१३--श्री श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री--[स्थगित किये गये।]

तहसीलदार, कन्नौज के कार्य तथा भत्ते के सम्बन्ध में पूछताछ

*१४--श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)--[माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न ४९--५६, जिनका अन्तःकालीन उत्तर ४ फरवरी, सन् १९५० ई० को दिया गया था।]

४९--क्या यह सही है कि आमतौर से कन्नौज तहसील के तहसीलदार ३ बजे दिन से ८ बजे रात तक अदालत करते हैं?

५०--उक्त तहसीलदार साहब ने १ दिसम्बर, सन् १९४८ ई० से अब तक प्रति मास कितना टी० ए० और डेली एलाउन्स वसूल किया और इसी जमाने में जिला फर्रुखाबाद के दूसरे तहसीलदारों ने कितना-कितना वसूल किया?

५१--क्या यह सही है कि जिन सड़कों पर बस सर्विस होती है, उन पर तहसीलदार और दीगर सरकारी हुक्काम को माइलेज एलाउन्स नहीं दिया जाता है?

५२--क्या यह सही है कि सरायमीरा से तिरवा तक बस सर्विस काफी समय से चल रही है?

५३--क्या यह सही है कि कन्नौज के तहसीलदार ने इस सड़क पर कई दफा सफर करने का माइलेज एलाउन्स लिया है?

५४---दफा २०२ के अधीन तहसीलदार साहब ने जब से वह यहां हैं कितने मामलों में घटना-स्थल में जाकर जांच की और इस सिलसिले में कितना टी० ए० और डी० ए० वसूल किया?

५५---क्या कायदे के अनुसार तहसीलदार को एक चपरासी दिया जाता है?

५६---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कारगुजारी के रजिस्टर में तहसीलदार, कन्नौज के नाम जब से वह इस तहसील में है कितने चपरासी दिखलाये गये हैं?

माननीय श्री हुकुम सिंह---माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न ४९---५६ के उत्तर में ४ फरवरी १९५० ई० को जैसा कहा गया था, एक लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया जाता है।

४९---जी नहीं, आम तौर पर तहसीलदार साहब ११ बजे से ५ बजे तक अदालत करते हैं।

५०---एक सूची प्रस्तुत की जाती है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७७ पर।)

५१---जी नहीं, माइलेज एलाउन्स सिर्फ उस हालत में नहीं दिया जाता जब कि सरकारी अफसर बस से सफर करते हैं।

५२---सरायमीरा से तिरवा तक बस सर्विस सितम्बर, सन् १९४८ ई० में चालू की गयी थी, पर बाद में ईसान पुल के टूटने से दो महीने तक बन्द रही। सितम्बर, १९४९ ई० से फिर बसें सरायमीरा से ईसान पुल तक, जो तिरवा से तीन मील है, जाने लगीं।

५३---जी हां।

५४---१५ महीने के अर्से में तहसीलदार ने दफा २०२ के अधीन ११ मामलों में घटनास्थल पर जाकर जांच की और ६५ रु० २ आ० टी० ए० और डी० ए० वसूल किया।

५५---जी हां।

५६---कारगुजारी के रजिस्टर में दिखाये गये चपरासियों की सूची प्रस्तुत की जाती है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७८ पर।)

अतारांकित प्रश्न

१---श्री गजाधर प्रसाद---[स्थगित किये गये।]

आर्थिक वर्ष १९४९-५० ई० में सरकार की विक्री-कर से आय तथा विक्री-कर के सम्बन्ध में अपीलें

२---श्री श्रीचन्द सिंघल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फाइनेन्शियल इयर (आर्थिक वर्ष) १९४९-५० ई० में कितने लोगों से इस देश में विक्री-कर लिया गया है और उसमें सरकार को कितनी रकम प्राप्त हुई?

३---उनमें से कितने लोगों ने अपील की और वह सब अपीलें कितनी रकम की थीं?

४--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितनी अपीलें मंजूर हुई और उनके कारण कितनी रकम कमती हुई ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिल जाने पर माननीय सदस्य को दे दी जायगी।

५--श्री श्रीचन्द सिंघल--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि अपील किस हाकिम के यहां होती है और उन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बिक्री-कर अधिकारियों की कर निर्धारण आज्ञाओं के विरुद्ध अपील की सुनवाई बिक्री-कर विभाग के बिक्री-कर न्यायाधीशों (अपील) के यहां होती है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार करती है।

कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय झंडे के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष--श्री राजाराम शास्त्री ने यह सूचना दी है कि वह एक काम स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करना चाहते हैं। उसका विषय जो इसमें लिखा है वह यह है--

"फैजाबाद जिले में अकबरपुर की असेम्बली सीट के उपचुनाव के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय झंडे का दुरुपयोग किया और राष्ट्रीय झंडे को दो पार्टियों के बीच गाली-गलौच का विषय बना कर उसे अपमानित किया। इस दुर्घटना से इस राज्य की जनता को ठेस पहुंची है। एक पोलिंग पर राष्ट्रीय झंडे को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है।

कोई भी पार्टी राष्ट्रीय झंडे को अपमानित न कर सके, इसलिये इस विषय पर विचार करने के लिये भवन की कार्यवाही स्थगित की जाय ताकि माननीय सदस्य-गण अपने सुझाव पेश कर सकें।"

इसमें जहां तक कि चुनाव के अवसर पर किसी तरीके को इस्तेमाल करने का सवाल है, वह तो इलेक्शन पेटीशन में एक विषय बन सकता है। रही दूसरी बात कि राष्ट्रीय झंडे का दुरुपयोग या कोई काम ऐसा किया गया जोकि एलेक्शन के सिलसिले में एलेक्शन पर असर डालने वाला हो, वह तो एलेक्शन पेटीशन में एक विषय हो सकता है। वैसे भी यह बात काम स्थगित करने के लिये पर्याप्त महत्व की नहीं है, ऐसी सूरत में मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्यों में, जो इस विधेयक के साथ छापे गये हैं, साफ बताया गया है कि किन कारणों से यह संशोधन उपस्थित किया जा रहा है। और उनसे साफ जाहिर है कि सरकार का मंशा इस विधेयक के इस भवन में लाने का क्या है। माननीय सदस्य यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मकानों के ऊपर कंट्रोल होने की वजह से हमारे यहां अधिक मकान इस जमाने में बन ही नहीं

पाये हैं। इसलिये यह महसूस किया जा रहा है कि जब मकानों की कमी है तो मकानों के बनवाने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये यह जरूरी हो गया है कि पहली जनवरी, १९५१ ई० से जो मकान बनें या तैयार किये जायं उनके ऊपर किराया संबंधी पाबन्दी न रखी जाय। तजुर्बे ने दूसरे प्रदेशों में बताया है कि जहां इस तरह का नियंत्रण नहीं रहा है वहां अधिक संख्या में मकान बन पाये हैं, इसलिये यह विधेयक यहां उपस्थित किया जा रहा है और मुझे आशा है कि यह विधेयक हमारे सदन के सदस्यों को स्वीकार होगा।

श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी--हुजूरवाला, जो बिल इस वक्त पेश है वह एक बहुत मुख्तसर बिल है। इसीलिये वजीर साहब ने भी एक मुख्तसर तकरीर इसके ऊपर की है। लेकिन उससे पहले इसी सिलसिले में दो बिल इस ऐवान में पेश होकर कानून बन चुके हैं। पहला कानून ५० में बना था जिसका हवाला इस बिल में था। उसकी दफा २ (ए) (३) में गवर्नमेंट ने यह कहा था--

"But does not include any newly constructed building or part of a building which was incomplete on the first day of July, 1946."

(परन्तु इसमें कोई नया बना हुआ भवन या किसी भवन का कोई भाग जो पहली जुलाई, १९४६ ई० को पूरा नहीं हुआ था, सम्मिलित नहीं है।)

उस ऐक्ट की मियाद ३० सितम्बर, १९४८ ई० को खत्म होती थी। उसके बाद गवर्नमेंट दूसरा बिल लायी और उसकी मियाद १९५२ ई० तक थी। उसकी दफा ३ में इसी सिलसिले में यह लिखा था कि इन अल्फाज को निकाल दिया जाय--

"but does not include any newly constructed building or part of a building which was incomplete on the first day of July, 1946."

(परन्तु इसमें कोई नया बना हुआ भवन या किसी भवन का कोई भाग जो पहली जुलाई, १९४६ ई० को पूरा नहीं हुआ था, सम्मिलित नहीं है।)

अभी वजीर साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया है कि इस अमेंडमेंट का होना बहुत जरूरी है और जो इसकी वजह है वह इस बिल के आब्जेक्ट्स में दी गयी है। लेकिन गवर्नमेंट का तजुर्बा हर दफा बदलता रहता है जैसा कि इन दफाओं के मुलाहिजे से मालूम होगा। यानी असली बिल से उन इमारतों को जो जुलाई में बन चुकी थीं खारिज किया था। दूसरे बिल में उनको शामिल किया। अब यह तीसरा बिल लाया गया है। इसमें इरशाद होता है कि तजुर्बा यह बताता है कि इसकी बेहद जरूरत है और वजह यह बतायी गयी है कि लोगों ने इमारतों को बनाना तर्क कर दिया कानून की वजह से। लिहाजा इसकी जरूरत है कि उनको खारिज कर दिया जाय जो इमारतें यकुम जनवरी से बनने वाली हैं ताकि लोग नयी इमारतें बनायें। इससे दो फायदे हैं। एक तो यह कि जो इमारतें बनने वाली हैं वे रुकें नहीं। दूसरा फायदा जो गालिबन वजीर साहब ने वाजे नहीं किया यह है कि जो कैपिटल पड़ा हुआ है, वह मुल्क के अन्दर आयेगा। तो हुजूरवाला, इन तब्दीलियों को करने के लिये नया नया ऐक्ट लाना सख्त काबिले एतराज बात है। जब गवर्नमेंट देखती है कि जरूरत है तो पूरी तरह से गौर करने के बाद उसे एक जाये बिल लाना चाहिये। यह रोज-रोज नई-नई तरमीमें करना, मैं समझता हूं, हरगिज मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट का यह कहना है कि जो इमारतें १ जनवरी, १९५१ से बनेंगी उनके ऊपर रेंट कंट्रोल नहीं रहेगा, उसके तो माने यह हैं कि दो तरह की इमारतें इस सूबे में हो जायंगी, बाज वे जिनके ऊपर रेंट कंट्रोल होगा और इसकी दफात आयद होंगी और बाज वे होंगी जिनके ऊपर इसकी दफात आयद नहीं होंगी, यानी कि इमारत को बनवाने के बाद मकान मालिक को हक होगा कि जो किराया वह चाहे वसूल करे और जिन

[श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी]

शरायत के अन्दर देना चाहे वह दे । तो यह गौर करने की बात है कि एक वक्त एक ही जगह दो तरह का अमलदरामद होना कहां तक दुरुस्त होगा और इसके क्या नतायज होंगे और इस सूरत में कोई खराबी पैदा होगी या नहीं । मैं समझता हूं कि खराबी जरूर पैदा होगी । जिन्होंने पहले इमारतें बनवा ली थीं उनका कसूर यह है कि पहले क्यों बनवाईं, चूंकि पहले बनवाईं इसलिये इसकी गिरफ्त में आ जायंगी और जो अब बन रही हैं वे इससे मुस्तस्ना हो जायंगी। इससे गवर्नमेंट की कमजोरी का भी सबूत मिलता है कि चूंकि उन्होंने इमारतें बनवाना छोड़ दिया, इसलिये यह लैटीटच्यूड (छूट) दे दिया। गवर्नमेंट अगर इस किस्म के कानून लाती है तो लोग उससे बचने के लिये ऐसी तरकीबें इस्तेमाल करेंगे और नतीजा यह होगा कि गवर्नमेंट उनको मुस्तस्ना करेगी और फिर उससे महफूज होकर निहायत इत्मीनान के साथ अपने अमलदरामद को शुरू कर देंगे, जिस किस्म का कि अमलदरामद उनका पहले से होता चला आया था और जिसको रोकने की गवर्नमेंट ने जरूरत समझी थी । यह तो उसी तरह की बात हुई कि दो जिले मिले हुये हैं, एक जिले को ड्राई किया गया और दूसरे को ड्राई नहीं किया गया। नतीजा उसका क्या होता है यह हर शख्स को मालूम है । उस जिले वाले, जो कि ड्राई किया गया है, दूसरे जिले में, जो कि ड्राई नहीं किया गया है, जाते हैं निहायत आराम के साथ पीते और पिलाते हैं और चन्द घंटे के बाद बराबर के जिले में चले जाते हैं जो कि ड्राई है । कानपुर और लखनऊ की मिसाल ही ली जाय । कानपुर ड्राई है और लखनऊ ड्राई नहीं है । मुझे बताया गया है कि शाम के वक्त अगर सड़क पर देखें तो कसरत से मोटरें लखनऊ की तरफ आती हुई नजर आयेंगी, क्योंकि हजरात तशरीफ लाते हैं और चार, छः घंटे मशगूल रह कर लौट जाते हैं और कानून की पाबन्दी से मुस्तस्ना हो जाते हैं । लिहाजा इस किस्म के कानून को नाफिज करना जिसको कि फौरन इवेड किया जा सके और उससे बचा जा सके, कहां तक दुरुस्त है और सही है इस पर गवर्नमेंट को जरूर गौर करना चाहिये ।

दूसरे, मैं समझता हूं कि इससे बिटरनेस (जलन) जरूर पैदा होगी । एक तो वे लोग हैं जिनके ऊपर कयूद आयद हैं और दूसरे वे हैं जिनके ऊपर नहीं हैं, तो जिनके ऊपर कयूद आयद हैं उन्हें अपनी दिक्कतें और परेशानियां महसूस होंगी और दूसरे उससे मुस्तस्ना होंगे और उनके ऊपर कानून लागू नहीं होगा ।

उसके क्या नतायज होंगे यह हर शख्स, हर आदमी तय कर सकता है, यह कोई बताने की बात नहीं है । इसके साथ-साथ मैं जनाब वजीर साहब से यह भी पूछना चाहता हूं कि जैसा इससे मालूम होता है, जैसा कि इस तरमीम के लाने से मालूम होता है कि वजीर साहब चाहते हैं कि लोग नई-नई इमारतें बनवायें और नई इमारतों को बनवाने में रुपया लगावें तो क्या इंतजाम किया गया है कि उनको मैटिरियल मिले ? अगर इस वक्त आसानी के साथ उनको सीमेंट और ईंटें नहीं मिलेंगी और अगर उनका निर्ख सही न होगा और यह इमारतें बननी शुरू होंगी तो उसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि ब्लैकमार्केटिंग बढ़ेगा । इस वास्ते कि ब्लैकमार्केटिंग की जो शिकायत इस वक्त मौजूद है वह हर शख्स के इल्म में है। जब लोग यह समझेंगे कि कंट्रोल नहीं है तो ज्यादा इमारतें बनने लगेंगी । तो लोगों को दिक्कत महसूस होगी उन चीजों के हासिल करने के लिये । क्योंकि उनके पास रुपया तो है ही, लिहाजा वह इसी काम में लगाया जायगा और वह सामान के मुहय्या करने के वास्ते उन लोगों का दरवाजा खटखटायेंगे और ब्लैकमार्केटिंग पैदा होगा । चूंकि हर शख्स यह महसूस करता है कि ब्लैकमार्केटिंग की शिकायत आम है और उसको बन्द करना चाहिये और जिस कदर जल्द से जल्द हो सके इस मुसीबत से नजात मिलनी चाहिये । इसलिये यह जरूरी है कि इसी के साथ-साथ वह भी इन्तजाम किया जाय जिससे ब्लैकमार्केटिंग का दरवाजा बन्द हो, कहीं ऐसा न हो कि उसका दरवाजा खुल जाय । तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसके वास्ते क्या इंतजाम है । क्योंकि सामान नहीं मिलता, मजदूरी गरां है और मकान बनाने वाले जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं और कितनी इमारतें नामुकम्मिल रह जाती हैं । लखनऊ में अगर आप देखें तो मालूम होगा कि कितनी इमारतें नामुकम्मिल हैं । न सिर्फ नई इमारतों का

बनना रुक गया है जैसा कि वजीर साहब ने अपने आब्जेक्ट्स (उद्देश्यों) में फरमाया है, बल्कि जो जेरे तामीर थीं वह भी बन्द हो गयीं। मुमकिन है कि वह इस कानून का भी असर हो, क्योंकि मुमकिन है कि लोग यह महसूस करने लगें कि जितनी लागत लगाई जाय उसके मुकाबिले में उतना वसूल न हो सके और जितनी ईल्ड (लाभ) होनी चाहिये उतनी ईल्ड न हो। तो उसके साथ यह भी जरूरी है कि उनको मैटिरियल के मिलने में जो इतनी दुश्वारियां हैं उसको देखते हुए, जो इमारतें अधूरी पड़ी हुई हैं, उनके तामीर कराने में भी मदद दी जाय। इससे कंजेश्शन कम होगा और बहुत सी इमारतें जो बेकार पड़ी हैं वह भी कारआमद साबित होंगी।

तीसरे मैं गवर्नमेंट से यह पूछना चाहता था कि जब मकानों की इस कदर दिक्कत गवर्नमेंट महसूस कर रही है तो क्या यह जरूरी था कि वह कानून सन् १९५२ ई० तक लागू रहे? क्या हर्ज था कि यह तरमीम लाई जाती कि यह कानून खत्म हो जाता। अगर यह कानून खत्म हो जाता तो उससे बहुत रिलीफ लोगों को मिलता। अब जो मौजूदा सूरत है उसमें दो किस्म की इमारतें होंगी, एक पर कंट्रोल होगा और दूसरी पर नहीं होगा और लोगों को बहुत दिक्कतें पेश आती रहेंगी। तो क्या दुश्वारी है इसमें कि जो मौजूदा इमारतें हैं उनके ऊपर से कंट्रोल उठा लिया जाय। इस चीज के मुतालिल्क कोई कमेटी बनाई गयी है और वह इन चीजों पर गौर करेगी, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। तो जहां तक इस मसले का ताल्लुक है उस पर भी गवर्नमेंट गौर करने के लिये तैयार है, या जो कमेटी बनी हुई है उसके सामने यह मसला भी पेश होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो उस वक्त तक गवर्नमेंट इन्तजार कर सकती थी इस तरमीम के लाने में। इस वास्ते कि अगर वह कमेटी यह राय दे कि कंट्रोल न रहे तो इस तरमीम की क्या जरूरत बाकी रही? अगर वह दो-तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट पेश करे तो यह निहायत मुनासिब होगा, उस शक्ल में यह मसला तय हो जायगा कि कंट्रोल रहना चाहिये या न रहना चाहिये और अगर कमेटी कहे कि नहीं होना चाहिये तो कंट्रोल उठा दिया जाय। तो उस शक्ल में इस अमेंडिग बिल के लाने की क्या जरूरत थी? अप्रैल, मई, जून तक तो कोई इमारतें तैयार नहीं हो जायंगी, कोई बड़ी इमारत जिसके कई हिस्से बन चुके हों वह भी तैयार नहीं हो जायंगी, तो ऐसी सूरत में इस अमेंडिंग बिल की क्या जरूरत थी? इस वास्ते पूरे मसायल के ऊपर गौर करने के बाद कानून बनाना मुनासिब है, वर्ना यही सूरत है जैसा कि मेम्बर ने सवाल किया था और उसके जवाब में बतलाया गया था कि सन् ४६ से अब तक १३० कानून बन चुके हैं। कानूनों की तादाद बढ़ती जाती है जिस वक्त खयाल में कोई बात आती है फौरन मसविदा तैयार करके भवन के सामने पेश कर दिया जाता है और कानून बना दिया जाता है। दुश्वारियों के महसूस होने पर तरमीमात कर दी जाती हैं। यह तो एक शगल हो गया। मैं अर्ज करता हूं कि इसको ज्यादा अहतियात के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत है। कानून बनाना रोजमर्रा की चीज नहीं है और कोई खेल नहीं है कि जब चाहा कानून बना दिया और जब चाहा तरमीम कर दी। इसलिये यही मुनासिब मालूम होता है कि मुनासिब गौर खोज के बाद कानून बनाया जाय। जितनी बातें मैंने अर्ज की हैं वह काबिले गौर हैं। मैं तो इस ख्याल का हूं कि इस वक्त इस की कोई इतनी जल्दी नहीं है और इस वक्त इसको गवर्नमेंट को मुल्तवी कर देना चाहिये जब तक कि रिपोर्ट आये और उस वक्त यह गौर होकर के आये कि आया इसमें तरमीम करने की जरूरत है या नहीं या कोई खास तरमीम करने की जरूरत है, यह मुनासिब होगा। इन अल्फाज के साथ मैं इसकी मुखालफत करता हूं।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस छोटे से विधेयक का जो माननीय अन्न मंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया है, मैं समर्थन और स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान् जी, इस छोटे से विधेयक के पीछे एक छोटा सा इतिहास है। रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन बिल सन् १९४७ ई० में इस सदन से पारित होकर कानून बना था। इसमें जो मकान की तारीफ की गई थी उसमें एक अपवाद किया गया था कि पहली जुलाई, सन् १९४६ ई० के पश्चात जो मकान बनेंगे उन पर यह ऐक्ट लागू नहीं होगा। यह रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन ऐक्ट इसलिये बनाया गया था कि निम्न और मध्यम श्रेणी के लोगों को सुविधा पहुंचे।

[श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल]

लड़ाई के जमाने में और लड़ाई के बाद लोगों ने, जो मालिक मकान थे, उन्होंने मकानों का इतना किराया बढ़ा दिया कि मामूली हैसियत के आदमियों को किराये के मकान में रहना दुश्वार हो गया और जो लोग मुंहमांगा किराया नहीं दे सकते थे उनके ऊपर बेदखली के मुकद्दमे चलाये गये। इसलिये बहुत से आदमी लामकान हो गये और लोगों के सामने दुश्वारियां आईं। यहां हमारे प्रदेश में शरणार्थियों के आने की वजह से यह समस्या और भी जटिल हो गई है, इसलिये नीचे के दर्जे के और बीच के दर्जे के लोगों के लिये सुविधा पहुंचाना जरूरी समझा गया। लेकिन जो अपवाद किया गया उसका कारण यह था कि सन् १९४६ ई० के बाद जो मकान बनाये जायेंगे उनमें लागत मजदूरी और बनाने की चीजों की कीमत बहुत ज्यादा होगी। इसलिये जो नियंत्रण किराये कानून में किया गया था उसके बारे में यह जरूरी समझा गया कि इन मकानों के बारे में जो जुलाई १, सन् १९४६ ई० के बाद बनेंगे उनके मालिक मकान के साथ बेइंसाफी होगी इसलिये उनको इससे छोड़ दिया गया। लेकिन बाद को देखा गया और थोड़े दिनों के अनुभव ने बतलाया कि मकानों की इतनी ज्यादा जरूरत है और लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी है कि जब तक इन मकानों को नहीं लिया जायगा तब तक यह सहूलियत पूरे तौर से लोगों को नहीं मिल सकती है। इसलिये १९४७ में संशोधन पास किया गया कि इन मकानों को भी ले लिया जाय और वह ले लिये गये, लेकिन इस बात का लिहाज रखते हुये कि सन् १९४६ ई० के बाद जो मकान बने थे उनमें ज्यादा दाम लग गये थे, इसलिये क़ानून की धारा ३ (क) और ६ में जो संशोधन हुआ उसमें इस बात का प्रबंध किया गया है कि उनका किराया जांचने के लिये मौजूदा परिस्थिति और चीजों का लिहाज करके उनका किराया तय किया जाय कि उनका सालाना किराया क्या होगा? इसलियें जहां तक मालिक मकान की दिक्कतें थीं उनको दूर कर दिया गया, लेकिन किरायेदारों के लिये बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो गईं।

इन बातों के होते हुए अब इस बिल के लाने की आवश्यकता पड़ी। इसके उद्देश्य में कहा गया है कि यह बात पाई गयी कि मकान मालिक जिनके पास जमीन और रुपया है, जिनका मन है कि रुपया लगा कर नये मकान बनाये जायं लेकिन वह इसलिये नहीं बनाते कि जब मकान बन जायंगे तो वे नियंत्रण के अन्दर आ जायंगे, न किराया मिलेगा और न अपनी जरूरत के माफिक क़िरायेदारों को बेदखल करके अपने काम में ला सकते हैं। इस विचार से माननीय मंत्री ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। इस संबंध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक नये मकान बनाने का सवाल है उनको प्रोत्साहन देने का यह तरीका नहीं है। उसके और भी तरीके हैं। तीन तरीके इसके लिये हैं। एक तो यह कि जो मकान बनाना चाहे उसको प्रोत्साहन दिया जाय। सरकार भी मकान बनाये और जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा दूसरे काम किये जाते हैं उसी तरह से मकानात भी यह विभाग बनाये जो पब्लिक के काम आवें और सरकारी मुलाजिमों के काम में आवें। दूसरा तरीका यह है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा मकान अधिक से अधिक बनाये जायं और तीसरा तरीका जो माननीय मंत्री ने इस विधेयक द्वारा अख्तियार किया है कि नये मकान बनाने के लिये मकान मालिकों को प्रोत्साहन दिया जाय, उन पर नियंत्रण न रखा जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पहले उपाय का संबंध है इस वक्त हाउस में इतना कह देना चाहता हूं कि पिछले साल से हमारी सरकार ने इस बात को आरम्भ कर दिया है। पिछले बजट में १० लाख रुपये इस मद में रखे गये थे, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि वे १० लाख रुपये इस मद में खर्च हुए या नहीं। अगर खर्च हो गये होंगे तो मकानात में वृद्धि हो गयी होगी। यह इस साल बजट में मालूम होगा कि कितने मकानात बनाये गये और कितना रुपया इस काम में सर्फ हुआ। दूसरा तरीका जो है जिससे मकानात में वृद्धि हो सकती है वह गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा मकान बनवाना है। सरकार की नीति जरूर ऐसी है कि सहकारी समितियां अधिक से अधिक बनें और उनको अधिक से अधिक सहायता दी जाय लेकिन इसमें कुछ गति बहुत धीमी है। मेरे यहां गृह निर्माण सहकारी समिति थी। दो साल से वह प्रयत्नशील है लेकिन आज तक लैंड एक्वीजिशन की

धारा ६ के अनुसार विज्ञप्ति नहीं निकल पाई है। अगर गृह–निर्माण समितियों को प्रोत्साहन दिया जाय, उनको आर्थिक सहायता दी जाय, उनको मशविरा दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि जगह-जगह पर शहरों में कोई इस तरीके की तकलीफें नहीं रहेंगी। बहरहाल इन दो उपायों के साथ–साथ माननीय मंत्री ने जो सोचा है वह उपाय ऐसा है जिसको अपनाया जाय, जिस पर अनुभव किया जाय और मुमकिन है इससे इस प्रदेश में मकानों की वृद्धि हो सके। इस अवसर पर मैं उन लोगों की राय से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि इस कानून की आवश्यकता नहीं है। मैं तो समझता हूं कि यह कानून ऐसा है जिससे गरीबों और मध्यवर्ती लोगों के लिये बहुत सहूलियत है और बजाय सन् ५२ तक का होने के मैं चाहूंगा कि इसको मुस्तकिल कर दिया जाय।

मैं इस विषय में अधिक न कह कर इतना ही कहूंगा कि एक समिति सरकार ने नियंत्रणों पर विचार करने के लिये बनाई है। इस कमेटी में मुझे प्रसन्नता है कि मकानों के नियंत्रण के क़ानून पर विचार करने के लिये भी अभी हाल में कहा गया है और वह कमेटी इस पर भी विचार करेगी। तो इस कानून के संबंध में अनुभव ने जो कुछ कमियां बतलाई हैं, व्यवहार में जो कुछ कठिनाई होती है और जो कुछ सुधार हो सकता है मैं समझता हूं कि वह कमेटी इस पर विचार करे और जो कुछ उसकी रिपोर्ट आये उसके अनुसार सरकार एक ज्यादा बड़ा बिल किरायेदारों की सहूलियत के लिहाज से और मकानों की वृद्धि के लिहाज से बनाये। केवल इस एकमात्र संशोधन कर देने से इस कानून में जो कमियां हैं, वह पूरी नहीं होंगी।

इस अवसर पर मैं यह भी उचित समझूंगा कि जो कुछ हमने अनुभव प्राप्त किया है इस बिल के व्यवहार के संबंध में वह प्रदर्शित कर दूं। सरकार ने इस कानून के व्यवहार के लिये जिले-जिले में परामर्शदात्री समितियां बना दी हैं जिनमें ४-५ सदस्य होते हैं उनसे जो अलाटमेंट पहिले सिर्फ रेंट कंट्रोलर के द्वारा होता था उससे तो कुछ अच्छा अवश्य हुआ है, लेकिन अब भी बहुत अधिक सुधार की गुंजाइश है। दो–तीन बातें जिनकी बिना पर सहूलियत मिल सकती है वह मैं अर्ज कर देना चाहता हूं। जो दरख्वास्तें किसी मकान के अलाटमेंट के लिये आती हैं उन दरख्वास्तों का मेरे ख्याल में कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता जिससे जो इंसपेक्टर्स जांच करते हैं वे जिस दरख्वास्त को चाहते हैं पेश कर देते हैं और जिसको नहीं चाहते नहीं पेश करते। अभी तक कमेटियों के लिये कोई एजेंडा भी नहीं बनता था। वे कहते थे कि इसके लिये स्टाफ ही बहुत कम है और जो कुछ कर देते हैं वह भी रियायतन कर देते हैं। मेरे ख्याल में नहीं आता कि डी० एस० ओ० के मुकाबले में आर० सी० ओ० का स्टाफ कम है। अधिकतर डी० एस० ओ० और आर० सी० ओ० एक ही व्यक्ति हैं लिहाजा उनको इस तरह पर बहाना नहीं करना चाहिये। दूसरी बात इसके संबंध में यह है कि जो भी उस मकान के बारे में दरख्वास्त देने वाले हों उनको एक दिन पहिले तथा मकान मालिक को सूचना पहुंच जानी चाहिये कि कोई बात काबिल एतराज तो नहीं है। यह चीज हमारे यहां कुछ-कुछ चल भी रही है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि और जिलों में यह चीज चल भी रही है या नहीं। इसके अतिरिक्त देखा यह गया है कि जो भी दरख्वास्तें किसी मकान के बारे में आती हैं वे ४–४ महीने तक पड़ी रहती हैं और पेश नहीं होतीं और कभी ऐसा होता है कि किसी ने आज दरख्वास्त दी और दूसरे ही दिन उसका अलाटमेंट का आर्डर हो गया। इसके लिये एक महीने या पन्द्रह रोज का समय बांध देना चाहिये ताकि उस वक्त के अन्दर इसका अलाटमेंट हो जाना चाहिये, इसके न होने के कारण सब लोगों के साथ एक सा व्यवहार नहीं हो पाता और जो ज्यादा दौड़-धूप कर लेता है वह कामयाब हो जाता है। मैं समझता हूं जब माननीय मंत्री मौजूदा ऐक्ट की धारा १७ के मातहत नये नियम बनायेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। माननीय मंत्री ने इस संशोधन में यह रखा है कि जो मकान १ जनवरी के बाद बनेंगे या बनते होंगे, तो उसके बारे में उनको ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि जिससे मालिक मकान यह न कहने पायें कि जो मकान १ जनवरी के पहिले भी बन गये हैं वे नहीं बन पाये तो उसमें ऐसी परिभाषा होनी चाहिये जिससे ऐसा न हो पाये वरना ऐसा होगा कि कुल बिल्डिंग बन गई है और केवल एक दरवाजा लगने को बाकी है तो भी कह सकते हैं कि १ जनवरी तक हमारा मकान नहीं बना। वे ऐसी बात कहने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा कानून से बच जायं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस विधेयक में नहीं तो आइन्दा जो विधेयक आने वाला है उसमें इस बात का भी ध्यान रखे।

[श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल]

मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि दूसरे सदन में इस बात की भी कोशिश की गई थी कि जो मकान अब तक किराये पर नहीं हैं वे इस बिल के लगाव से दूर रखे जायं क्योंकि जो मकान अभी तक किराये पर नहीं दिये गये वे रेंट कन्ट्रोलर द्वारा किराये पर नहीं दिये जा सकते। क्योंकि यह एलाटमेंट होता है कोई रिक्वीजिशन नहीं होता है। लेकिन बहुत से लोग इस मौजूदा ऐक्ट के डर से अपने मकान किराये पर नहीं दे रहे हैं कि अगर एक दफा किराये पर दे दिया तो फिर वह हमेशा के लिये गया। और न वे अपनी मर्जी के मुआफिक किराया ही निकाल सकते हैं और न किसी दूसरे को दे सकते हैं। माननीय अन्न मंत्री जी ने बिलकुल इस प्रकार के संशोधन को नहीं माना था और उनका कहना था कि मौजूदा मकानात के बारे में हम मकान मालिकों को कोई ऐसी छूट देने को तैयार नहीं हैं जिससे वे ब्लैकमार्केटिंग कर सकें और प्रचुर लाभ उठा सकें, चाहे पुराना मकान बना हुआ हो और पहले कभी किराये पर न भी दिया गया हो। लेकिन इसमें एक बात का विचार किया जा सकता है, यह ऐक्ट दो बातों का प्रबन्ध करता है। एक तो किराये पर नियंत्रण करता है और एक बेदखली पर नियंत्रण करता है। किराये के बारे में तो मैं माननीय मंत्री से पूर्ण सहमत हूं कि पुराने मकानात जो अब तक किराये पर न दिये गये हों, मकान मालिकान को कोई ऐसी छूट न देनी चाहिये जिससे वे मनमाना किराया ले सकें। वह तो एलाट होना चाहिये था और उसका किराया भी मौजूदा क़ानून के मुताबिक होना चाहिये लेकिन मुनासिब समझा जाय तो उनको इतनी सहूलियत दी जाय कि बेदखली का जो साधारण कानून ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट है उसके मुताबिक वे नोटिस वगैरह दे सकें। धारा ३ में जो बेदखली के बारे में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से आज्ञा लेनी पड़ती है वह उनके बारे में न लागू हो। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को अपने ध्यान में रख लें और वह कमेटी भी अपने ध्यान में रख ले और इस तरह की सहूलियत उन पुराने मकानात के बारे में दी जा सकती है, जो अब तक न उठाये गये हों तो कोई हर्ज न होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री रामकुमार शास्त्री--श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधित बिल इस भवन के समक्ष उपस्थित किया गया है उसका यह अर्थ है कि नई इमारतें अधिक मात्रा में बनें और उनको प्रोत्साहन मिले। बड़ी अच्छी बात है कि नयी इमारतें अपने देश में बनें। इस बिल के समर्थन के सिलसिले में मेरे एक मित्र ने कहा कि इमारतों के बनाने का ढंग दो-तीन तरीके का हुआ करता है। एक तो जनता को सुविधा दी जाय, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इमारतें बनायी जायं और तीसरी तरफ कोआपरेटिव सोसाइटीज यानी गृह निर्माण समितियों द्वारा मकानात बनाये जायं तो यह काम सहूलियत से हो सकता है। उनका तजुर्बा जो रहा उसको तो मेरे माननीय मित्र ने बहुत विस्तारपूर्वक बतलाया, लेकिन कुछ हम लोगों का भी तजुर्बा है। जहां तक कि सरकार का सम्बन्ध है, इसका हवाला भी इस सदन में दिया गया था। पिछले बजट में १० लाख रुपया सेक्रेटेरिएट के बाबुओं के लिये मकानात बनाने के लिये एलाट किया गया था। वे इमारतें कहां हैं? शायद हमें देखने का तो अवसर नहीं हुआ। और यह दूसरी बात जो कही जाती है कि सरकार द्वारा इमारतें बनायी जायं, तो वह तो नहीं के बराबर दिखलाई पड़ती हैं। कहा जाता है कि मध्यम वर्ग को सुविधायें मिलेंगी, तो कहां मध्यम वर्ग को सुविधायें मिलती हैं? १० लाख रुपया वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। सेक्रेटेरिएट के बाबुओं को जो तनख्वाह आप देते हैं वह भी एक छोटी तनख्वाह देते हैं। शहरों में जब वे दौड़ते हैं तो उनको मकान नहीं मिलते हैं। कंट्रोल की वजह से वही लोग मकान पाते हैं जो महाप्रभुओं के जेरे साया हैं, जिनकी उन तक पहुंच है। इस प्रकार आज उन्हीं लोगों को मकान मिलता है, जो हर प्रकार से साधन सम्पन्न हैं और जो असर डाल सकते हैं। १० लाख रुपया इसलिये एलाट किया गया था कि सरकार इमारतें बनवायेगी मगर वे इमारतें नहीं बन सकीं और मध्यमवर्ग को जो सुविधायें मिलनी चाहिये थीं वे सुविधायें नहीं मिल सकीं। दूसरी बात मेरे भाई माननीय सदस्य श्री मुकुन्दलाल जी ने यह कही है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से किया जाय। उन्होंने अपने जिले का तजुर्बा बताया और मैं भी अपने जिले का तजुर्बा बताता हूं। वर्षों से

वह सोसाइटियां बनी हुई हैं और बहुत से बन्धन लैंड एक्वीजिशन के लगे हुये हैं। न मालूम कितने शेयर लोगों ने लिये थे लेकिन इमारतों के मुताल्लिक हमें कोई नकशा दिखाई नहीं पड़ता। यदि वे लोग अपना रुपया इसमें न फंसा कर किसी उपयोगी काम में लगाते तो उनका कुछ कल्याण हो सकता था और इस आर्थिक युग में अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकते थे लेकिन वह उनका रुपया एक जगह पर फंस गया है? दूसरा तरीका जो अब निकाला जा रहा है वह भी ठीक नहीं है। यह जो सुविधा दी जा रही है नई इमारतों के लिये उन पर कोई किराये का कंट्रोल तो है नहीं। यह भी समझ में नहीं आता कि उन पर किराये का कंट्रोल क्यों नहीं रखा गया है। जैसा पुराने मकानों पर कंट्रोल है वही नये मकानों पर भी होना चाहिये। छोटे वर्ग के पास, यह अनुभव बताता है, कि रुपया नहीं है। नौकरी पेशा वालों के पास भी पैसा नहीं है। हां, अगर रुपया कहीं मिल सकता है तो वह कैपिटलिस्ट की तिजोरी में हो सकता है। मकान बनाने के लिये आजकल नाना प्रकार की दुश्वारियां हैं। इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेना आसान नहीं है। इन सब चीजों के लिये कुछ फूल-पत्ती और मालायें चढ़ानी पड़ती हैं। तो जो साधारण वर्ग के लोग हैं वह कहां तक अपनी इमारत को बना सकते हैं। कैपिटलिस्ट ही बना सकते हैं और उनके बनाने में क्या होगा। वह माल तो मुहैया कर लेते हैं मगर मकान नहीं बनाते हैं। अभी तो यह पुराने मकानों पर कंट्रोल है और उनमें कुछ दिक्कत है तो इसके मायने यह नहीं होना चाहिये कि नई इमारतों से कंट्रोल हटा लेना चाहिये। वह मकान बनाने वाले जानते हैं कि हमारे मकानों पर कंट्रोल लगा हुआ है तो नये मकान जो बनाये जायंगे उन पर भी कंट्रोल लगा दिया जायगा। इसलिये वह उस सामान को मकान में न लगाकर ब्लैकमार्केट में बेचते हैं। इस सूबे के अन्दर ब्लैकमार्केट की खबर बड़े जोर के साथ चल रही है। ब्लैकमार्केट कोई हवा तो है नहीं यहीं के लोग सामान लेकर लोहा, सीमेंट वगैरह सामान लेकर उसको ब्लैकमार्केट में बेच देते हैं। मैं यह समझता हूं कि इस बिल को यहां पर लाकर ब्लैकमार्केट को और गरम करना है। जब तक ब्लैकमार्केट रुक न जाय और इस फिजा को दुरुस्त न कर दिया जाय और लोगों की जितनी शिकायतें हैं उनकी पूर्ति न हो जाय तब तक यह ब्लैक मारकेट रुकता नहीं है। जब यह ब्लैकमार्केट रुकता नहीं है तो जो हमारा मकसद है वह पूरा नहीं हो सकता है और इस तरह के बिल यहां पर लाकर उपहास कराना है। नये मकानों से भी हमारा वह मकसद हल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के बिल यहां पर लाने से क्या फायदा हो सकता है। जितने मकान अभी तक बने हुये हैं अगर उनको ही अच्छे ढंग से वितरण किया जाय और उनमें किसी के साथ पक्षपात न किया जाय तो यह मसला हल हो सकता है। एक बिल के द्वारा नई इमारतों के बहाने ब्लैक मार्केटिंग को अगर बढ़ाया जाता है तो इससे जनहित का फायदा नहीं होगा। अगर हमारी सरकार का मकान बनाने का लक्ष्य होता तो वह १० लाख रुपया कहीं तो नजर आता और उन भाइयों के लिये, जिनसे हम यहां पर सुचारु रूप से काम कराना चाहते हैं, कोई मकानों की दिक्कत न होती। मैं यह समझता हूं कि नीयत कुछ और है और दिखाते कुछ और हैं। इसलिये यह बिल जो आया है वह असल मकसद को पूरा नहीं करता है। मकसद तो हमारा अच्छा है लेकिन उसको ढंग से कार्यरूप में परिणत नहीं कर पाते हैं। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसका सुधार करें और सुधार करके इस बिल से उनका जो मंशा है वह पूरा हो सकता है लेकिन इस शक्ल में यह पूरा होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाव सदन के सामने प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि इस पर पुनः विचार किया जायगा।

श्री केशव गुप्त--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य को लेकर यह बिल भवन के सामने रखा गया है उसमें तो किसी की दो राय नहीं हो सकतीं। हमारा सभी का अनुभव है कि शहरों में मकानों की बहुत कमी है और उसके कारण जनता को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। इसलिये ऐसे किसी कदम के उठाने की जरूरत है जिससे कि मकान बनाने वालों

[श्री केशव गुप्त]

को मकान बनाने के लिये कोई प्रोत्साहन मिले। मगर मुझे अन्देशा है कि केवल नये मकानों को रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट से बाहर कर देने से ही प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। पिछला तजुर्बा बतला रहा है कि हमने सन् ४७ के क़ानून को पास करते समय सन् १९४६ में जो मकान बने थे उनको उससे बाहर रखा था लेकिन २ वर्ष के तजुर्बे के बाद पता चला कि इन नये मकान के मालिकों ने काफी कठिनाइयां पैदा कीं और जनता को चूसने की कोशिश की और इसीलिये फिर जो संशोधित बिल आया उसमें उन मकानों को भी फिर लिया गया और यह भी सम्भव हो सकता है कि ६ या ७ महीने के बाद फिर हमें यही करना पड़े कि यह जनवरी सन् ५१ के बाद के मकान भी कंट्रोल में ले लिये जायं। इसलिये मैं इस उद्देश्य से तो सहमत हूं लेकिन अगर इसके अलावा और भी उपाय सोचे जायं तो अच्छा है और उनसे मकानों की तादाद में इजाफा हो सकता है। जैसे कि अभी श्री मुकुन्द लाल जी ने बताया कि कोआपरेटिव हार्उसिंग सोसाइटीज के तरीके पर यह काम हो सकता है या और प्रदेशों ने जो दूसरे तरीके अख्तियार किये हैं वह यहां भी काम में लाये जा सकते हैं। कुछ जगह ऐसा भी होता है कि मकान बनाने वालों को मकान बनाने की छूट होती है और उनका जितना रुपया उसमें लगता है उसका हिसाब सरकार को उन्हें देना होता है और गवर्नमेंट बनने के बाद उन मकानों को अपने क़ब्जे में ले लेती है और वह उन मकानों की क़ीमत का अन्दाजा लगाकर एक सूद की दर क़ायम कर के उनको देती है और इस तरह से अपना नियंत्रण करती है और उनको किराये पर उठाने का अधिकार भी गवर्नमेंट को रहता है और मालिक मकान को नहीं रहता और वह केवल सूद की दर ही उस मिल्कियत पर पाते हैं। यह भी तरीक़ा अख्तियार किया जा सकता है। इस तरह से मकान बनाने वालों को प्रोत्साहन भी मिल सकता है और उनकी एक्सप्लायट करने (अनुचित लाभ उठाने) की नीति पर नियंत्रण भी रह सकता है। इसलिये जब आप एक संशोधक बिल लाये हैं तो इसके साथ ही साथ इन तमाम कमियों को भी दूर किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में जैसा कि अभी श्री मुकुन्द लाल जी ने कहा और हार्उसिंग कमेटियों का जिक्र किया। वह भी एक अच्छी चीज है और उन्होंने एक तरह से डी० एस० ओ० की शक्ति पर नियंत्रण रखा है और उनके कारण से काफी सहूलियत जनता को एलाटमेंट में मिली और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने जो हार्उसिंग कमेटी बनाई थीं वह एक अच्छा कदम था लेकिन अभी लखनऊ के एक सिविल कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है कि जिसमें इन हार्उसिंग कमेटियों को नाजायज क़रार दिया है और तै किया है कि उनका कोई नियंत्रण डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की एलाटमेंट पावर पर नहीं हो सकता और इस तरह से वह बेकार हो जाती हैं। इसलिये अगर हार्उसिंग कमेटियों को बिल में स्टेट्युटरी (कानूनी) रूप से रख दिया जाय तो अच्छा है।

दूसरे रेन्ट ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट को व्यवहार में लाने में जो मुझे कमियां मालूम हुईं वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। पिछले ऐक्ट के अन्दर ऐसा रखा गया है कि अगर किसी मकान मालिक को अपने लिए स्वयं किसी मकान की आवश्यकता हो तो वह उसकी बेदखली दायर कर सकता है। यह निश्चय करना कि मकान मालिक को वास्तव में उस मकान की आवश्यकता अपने निजी व्यवहार के लिए है या नहीं, इसका अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिया गया है और उसके फैसले की कोई अपील नहीं। वह पूरी तरह से इस बात का मालिक है कि वह इस बात को तय करे कि मकान मालिक को मकान की आवश्यकता है या नहीं और सिविल कोर्ट में भी जुरिस्डिक्शन में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हैं। जिससे किरायेदारों को कठिनाइयां बहुत बढ़ती हैं। ऐसा देखने में आया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ऐसा फैसला करते हैं कि जो किसी तरह से भी जनता के हित में नहीं कहा जा सकता। ऐसे एक–दो फैसलों का हाल मुझे मालूम है। एक सिनेमा के किरायेदार बहुत अर्से से उस सिनेमा को चला रहे हैं। उसके मकान मालिक ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अभी दरख्वास्त दी कि हमारा सिनेमा का मकान खाली करा दिया जाय

क्योंकि मुझे खुद उस सिनेमा हाउस की जरूरत है, मैं खुद सिनेमा लगाना चाहता हूं क्योंकि अब जमींदारी खत्म हो रही है और मुझे किसी दूसरी तरह से रुपया कमाना है। मैं जानता हूं कि उस मकान मालिक के पास काफी रुपया है और वे कोई दूसरा काम रुपया कमाने के लिए कर सकते हैं? लेकिन जो किरायेदार हैं उनके पास सिवा सिनेमा के दूसरा तरीका नहीं है कि किसी तरह से अपनी रोजी कमायें। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने फैसला कर दिया कि यह सिनेमा खाली करा कर उसको दे दिया जाय। सिविल कोर्ट ने कह दिया कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो यह भी एक कमी है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पूरा अख्तियार दे दिया है कि इस बात का वह निश्चय करे कि मकान मालिक को सही में जरूरत है या नहीं। इसलिए इस पर भी एक प्रकार का नियंत्रण लाने की जरूरत है। क्या ही अच्छा होता कि बजाय इस वक्त इस बिल के ऊपर विचार करने के यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाता और जो खामियां बाकी हैं उनको वहां पूरा किया जाता और जो मकान बनाने के दूसरे प्रोत्साहन के तरीके थे वे भी इसमें रक्खे जाते और तब एक सुन्दर रूप में वह बिल हाउस के सामने आता। मैं यह विचार अपने माननीय मंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अगर उचित समझें तो इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में रख दें जो इसमें दूसरे संशोधनों को शामिल करके पूरे तरीके से हाउस के सामने लायें। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल भवन के सामने पेश किया गया है मैं समझता हूं कि वह इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका असर हमारे सारे राज्य पर पड़ेगा। अभी तक नियंत्रण का मूल सिद्धान्त हम यही समझे कि अगर किसी चीज की कमी हो और उसको लेने वाले लोग ज्यादा हों तो गवर्नमेंट उस पर नियंत्रण करती है और यह कोशिश करती है कि मुनाफाखोर लोग मुनाफा न कमा पायें और जनता की हिफाजत हो सके। इस मूल सिद्धान्त को लेकर आज कितने साल से हमारे देश में इस बात की बहस चल रही है कि आया मुनाफा खोर लोगों को खुली छूट दे दी जाय या उनके चंगुल से जनता मुक्त की जाय। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर किसी के पास खाना नहीं है तो खाना दे, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दे और मकान नहीं है तो मकान दे और कोई भी पैसे वाला व्यक्ति किसी की गरीबी से फायदा उठा करके नाजायज काम न कर सके। इसी उसूल पर मुल्क कई साल से चलता चला आ रहा है और हुकूमत यह बात कहती चली आ रही है कि अगर हमने नियंत्रण हटाया किसी चीज पर से तो मुनाफाखोर लोग जनता को तबाह कर देंगे, तकलीफ देंगे और परेशान करेंगे। इसलिए हुकूमत बार-बार अपील करती है लोगों से "नियंत्रण को कायम रहने दो, वह जनता के हित में है"। मैं यह देखता हूं कि इस बिल के जरिए से हुकूमत अपने इस सिद्धान्त से हटती है और उसने उस बिल को पेश करके इसको मान लिया कि जनता की सेवा के नाम पर, देश की सेवा के नाम पर, आज देश के पैसे वाले व्यक्ति, पूंजीपति, किसी भी तरीके से जनता के साथ न्याय करने को तैयार नहीं हैं। हुकूमत ने लोगों को तमाम तरह से इनसेंटिव (प्रोत्साहन) दिये, टैक्सेज माफ किये और देश के नाम पर अपील की कि मुनाफाखोरी बन्द करो, जनता की हिफाजत करो। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि हुकूमत अपने उसूल को अब भूलती चली जा रही है। हुकूमत की पराजय और पूंजीपतियों की विजय हुई। हुकूमत ने एक क्षेत्र में मैदान खोल दिया कि जितना तुम चाहो किराया वसूल करो। जो कोई भी पहली जनवरी सन् १९५१ के बाद में मकान बनाता है उस पर यह नियंत्रण नहीं रहेगा। नतीजा यह है कि खुले आम छूट है जिसने लड़ाई के जमाने में ब्लैकमार्केट में खूब पैसा कमाया उसको अभी तक तो डर था कि उनकी जांच-पड़ताल होगी और सजा मिलेगी लेकिन इस कानून के जरिये से हुकूमत डंके की चोट ऐलान करती है कि जिस किसी ने रुपया कमाया है हम उसे खुले आम छूट देते हैं कि तुम जितना

[श्री राजाराम शास्त्री]

चाहो पब्लिक को लूटो, नये मकान बना कर चाहे जितना रुपया वसूल करो और किरायेदार के साथ चाहें जैसा बरताव करो। यकीन मानिये कि अगर यह मसला केवल मकान मालिकों का ही होता तो एक ही जगह पर खत्म हो जाता। लेकिन मैं समझता हूं कि जितना भी ज्यादा मौका पूंजीपतियों को दिया जायगा, जितनी उनको मुनाफे की छूट दी जायगी उतना ही वे जुल्म करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि कल को कारखाने वाले भी कहेंगे कि मुनाफे को गारंटी दो और तनख्वाहें कम करो वरना हम हुकूमत की बात को नहीं मानेंगे। तो बजाय इसके कि हुकूमत उनको सजा दे वह उनके सामने घुटने टेक देगी। अगर मकान मालिकों के सामने आप घुटने टेक सकते हैं तो जरा कल्पना कीजिये कि जब करोड़पति और अरबपति कहेंगे कि हम रुपया नहीं लगायेंगे जब तक कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर हुकूमत क्या करेगी? नतीजा यह होगा कि यहां पूंजीपति दूसरे सूबों में यहां के कारखानों को ले जाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मालूम हुआ है, दूसरे सूबों में यह कानून नहीं है, हमारे यहां है। इसलिये और जगह मकान बन रहे हैं और हमारे यहां नहीं बन रहे हैं। मैं कहता हूं कि कल को क्या यह दलील नहीं होगी कि कल आप यह कह दें कि अगर पूंजीपति व्यवसाय में रुपया नहीं लगायेंगे तो जैसा अक्सर कहा जाता है वे शक्कर की मिलें ले जा रहे हैं और जूट की मिलें ले जा रहे हैं तो फिर और भी मिलें ले जाना शुरू कर दें। कल आप उनके सामने भी घुटने टेक देंगे। हुकूमत उनको छूट देगी कि तुम जितना चाहो मुनाफा कमा सकते हो। कैसे आप इंकार करेंगे आप तो यह कहेंगे कि भाई बेकारी बढ़ रही है, कारखाना खोलना जरूरी है, जनता का हित इसी बात में है कि पूंजीपतियों को खूब मुनाफा कमाने की छूट दी जाय। यह एक ऐसी बला अपने सर ले रहे हैं कि उससे आप निकल नहीं सकते। हमारे देखने में यह आया है कि जहां हुकूमत और सरमायेदारों का मुकाबला रहा वहां तो आप झुक गये और जहां सरमायेदारों और गरीबों का मुकाबला हुआ वहां आप ने सरमायादारों की मदद की। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सा सिद्धान्त आपका है। किस उसूल पर आप इस तरह से काम करते हैं।

आप मकान मालिकों की दो श्रेणियां बना रहे हैं। एक तो वे जो उन मकानों के मालिक हैं जो १ जनवरी, १९५१ से पहले के बने हैं और दूसरे वे जो १ जनवरी, १९५१ के बाद के बने मकानों के मालिक हैं। पहले वालों के साथ आप एक कानून बरतेंगे और दूसरों के साथ दूसरे कायदे-कानून से काम करेंगे। एक जगह पर यह होगा कि मालिक मकान ज्यादा किराया नहीं ले सकेगा लेकिन उसी के बगल में जो नया मकान बना हुआ होगा उसका मालिक मकान चौगुना किराया वसूल करेगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकेंगे। शहर एक ही है, मकान दोनों एक से ही खड़े हैं, गली एक ही है और दोनों एक ही हुकूम के अन्दर हैं, परन्तु एक का किराया अगर २० रुपया होगा तो दूसरे का किराया ८० रुपया होगा। एक अगर २० रुपये के बजाय २५ रुपया लेगा तो उसके ऊपर आप मुकदमा चला देंगे और उसको अदालत के सामने पेश करेंगे, दूसरा अगर ८० रुपया लेगा तो उससे आप कहेंगे कि तुमको खुली छूट है क्योंकि तुमने पहली तारीख के बाद मकान बनाया है। यह हुकूमत के दृष्टिकोण से भी मुनासिब नहीं है। अगर आप इस प्रकार खुली छूट देंगे, तो मैं आपको बतलाता हूं कि जो मनोवृत्ति मुझे आज दिखलाई पड़ रही है उससे मैं कह सकता हूं कि इस कानून के पास होने के बाद यू० पी० में मालिक मकान और किरायेदारों में एक जबर्दस्त संघर्ष पैदा हो जायगा, यहां तक कि कहीं-कहीं कत्ल तक की नौबत आ जायगी। आज मालिक मकान दबे हुए हैं, वह यह समझते हैं कि हम किरायेदारों को निकाल नहीं सकते हैं, वह समझते हैं कि हम किराया बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन जरा कल्पना कीजिये कि मेरे मकान नहीं है, मैं बाल-बच्चे-

दार आदमी हूं और मुझसे मालिक मकान कहता है कि तुम या तो इतना किराया दो या मकान खाली करो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप चाहे रोज हरी स्वराज्य के दिवस मनायें लेकिन जिस वक्त मकान मालिक हमको और हमारे बाल-बच्चों को मकान से निकालने की धमकी देगा, उस वक्त हम सारा स्वराज्य की खुशियां भूल जायेंगे और हमारे दिल में यह भावना पैदा होगी कि हम अंग्रेजों के चंगुल से निकल करके मालिक मकानों की गुलामी में फंस गये। अगर मुनाफा खोर यह कहते हैं कि बिना इतने मुनाफे के हम अपना रुपया नहीं लगायेंगे, तो क्या सरकार के पास एकमात्र यही तरीका रह गया है कि सरकार उनको मनमाना मुनाफा कमाने की खुली छूट दे दे। जब सरकार नाना प्रकार की योजनायें बनाती है और उन पर रुपया लगाती है, तो मकानों की समस्या को हल करने के लिए सरकार कोई योजना क्यों नहीं बनाती है? क्या सरकार अपनी पराजय मान चुकी है कि वह मकानों की समस्या हल नहीं कर सकती है? उसके पास कोई और चारा नहीं रहा है सिवाय इसके कि वह इस समस्या को पूंजीपतियों के हाथ में छोड़ दे।

अभी तक हमारा यह उसूल चला आ रहा है कि जनता के हित में जो चीजें हैं उनको हुकूमत अपने हाथ में ले और व्यक्तियों के हाथ में न दे। जब हुकूमत इन चीजों को अपने हाथ में मजबूती के साथ लेगी तब ही हम देश को, जनता को, समाज को और व्यवसायों को आगे बढ़ा सकेंगे। मेरी आप से यह दरख्वास्त है कि जिसे आप इतना छोटा समझ रहे हैं वह इतना छोटा नहीं है। पहले जब कभी यहां कन्ट्रोल के विषय में बहस हुई है तो हमारे माननीय मंत्री जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि नियंत्रण में चाहे जितनी बुराइयां हों, चाहे जितनी खराबियां हों, चाहे जितनी रिश्वतखोरी हो, चाहे जितना भ्रष्टाचार हो, लेकिन नियंत्रण को कड़ा करने की जरूरत है, नियंत्रण में सुधार करने की आवश्यकता है। जनता की परेशानी को देख कर के नियंत्रण को खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आप दूसरों से कहा करते थे कि घबड़ाइये मत, नियंत्रण को अच्छा बनाइए, अगर नियंत्रण हट जायगा तो सब मर जायंगे, लेकिन आज हमारे सामने यह उसूल पेश कर रहे हैं कि चूंकि नये मकान बन नहीं रहे हैं, इसलिए हम मालिक मकानों को पूरी इजाजत दे रहे हैं।

मैं यह देख रहा हूं कि जिस सिद्धान्त को मान कर के कंट्रोल लगाते रहे हैं, आज हुकूमत उस सिद्धान्त से हटती चली जा रही है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि दिन प्रति दिन हुकूमत डिकंट्रोल की तरफ झुकती चली जा रही है। अगर चीजों की कमी रही और आप डिकंट्रोल की तरफ गये तो यकीन मानिये कि आप चीन की जैसी परिस्थिति पैदा कर देंगे। चीजों के रेट्स इतने बढ़ जायंगे और महंगाई इतनी बढ़ जायगी कि उसको आप रोक नहीं सकेंगे। उसको रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि आप कंट्रोल लगाइये और मजबूती के साथ लगाइए और ज्यादा तर उत्पादन की चीजों को अपने हाथ में रखिये।

मकानों के संबंध में अभी तक पूंजीपतियों पर सरकार का कंट्रोल था लेकिन अब आप इस बिल के द्वारा उनको खुली छूट देने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक चीज है और ऐसा किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। जनता आप से यह आशा करती है कि आप उसकी मकानों की समस्या को हल करेंगे। जैसा अभी कहा गया है उसके दो-तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि जैसे अगर कोई गवर्नमेंट को काम करना होता है तो लोगों पर टैक्स लगाती है, सरमायेदारों पर सख्ती करती है, रुपया वसूल करती है, और फिर जनसाधारण के कामों को करती है। मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि बंगले बनाएं, बड़े-बड़े भवन बनाएं, आप अगर गल्ले की राशनिंग कर सकते हैं तो उसी सिद्धान्त के मातहत आपको मकान की भी राशनिंग करनी पड़ेगी। यह चीज खतरनाक है कि एक आदमी जिसके पास एक बंगला है वह और ४ बंगले बनाता चला जाता है और जिसके पास एक कोठरी है उसके पास वह भी नहीं

[श्री राजाराम शास्त्री]

रहने पाती है। इसका वास्तव में आपको इन्तजाम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि बड़े-बड़े शहरों में इस तरह की स्कीमें बनें कि सरमायेदारों और रईसों पर गवर्नमेंट बोझा डाले और कहे कि हमारा मुल्क खतरे में हैं, हमारे मुल्क में गरीब लोग शहरों में ठिठुर-ठिठुर कर सड़कों पर मर जाते हैं। मैंने अभी लखनऊ के बारे में सुना कि सड़क की पटरी पर एक आदमी जाड़े में ठिठुर कर मर गया। तो जब इस तरह से आदमी बिना मकान होने के मर जाते हैं तो क्या हुकूमत को हक नहीं है कि पूंजीपतियों की पूंजी पर हाथ डालें? आप पता नहीं लगा सकते कि उनकी पूंजी कहां पर है? या तो घरों में होगी, किसी कोने में या बैंकों में जमा होगी। क्या गवर्नमेंट को हक नहीं है कि जिन लोगों ने इस मुल्क की जनता के शोषण पर उस पूंजी को इकट्ठा किया है उनकी पूंजी को उस मुल्क की गरीब जनता के काम में लगावें। मैं समझता हूं कि इस काम में जनता आप का साथ देगी। जनता समझेगी कि उनके फायदे के लिये सरकार इस चीज को सरमायेदारों से मांग रही है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप कोआपरेटिव सोसाइटियां खोलिये और मध्यम वर्ग से कहिए कि अपनी-अपनी पूंजी इसमें लगाओ और इस तरह से अपने-अपने मकान बनाइये। लोग इस उम्मीद में हैं कि हम मकान के मालिक बनेंगे, चाहे उसके लिए हम कर्जा लें, कैसे भी रुपये का इंतजाम करें। कोआपरेटिव सोसाइटियों में वह थोड़ा-थोड़ा करके जमा करेंगे और अपने मकान बनाने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज यह हो सकती है कि जैसा आज हो रहा है। जो लोग मकान बनाना चाहते हैं उनका मुनाफा रिजर्व कर दीजिये। जैसा बैंकों में होगा, उनको अपने रुपये का इंटरेस्ट (ब्याज) मिलेगा। इस तरीके से जो लोग मकान बनाएं उनसे कहिये कि तुम इतने तक किराया ले सकते हो। अगर १० हजार का मकान बनेगा तो इतना मुनाफा ले सकते हो, इतने बरसों के अन्दर में तुम्हारी पूंजी वसूल हो जायगी। गवर्नमेंट गारंटी करती है। इतनी पूंजी जो लगाते हो वह मय ब्याज के तुमको मिल जायगी जिन लोगों को आशा इस बात की थी कि जो लोग बेघर बार हैं उनको मकान मिलेगा, तो उनके लिए मकान बनाइये तभी हमारे सूबे का फायदा हो सकता है। लेकिन जिस उसूल को लेकर आप विधेयक को पेश कर रहे हैं उससे किरायेदारों और मकान मालिकों में झगड़ा पैदा होगा जिससे लोगों को नुकसान पहुंचेगा, अराजकता फैलेगी और जनता को बजाय फायदा के नुकसान होगा।

श्री फूल सिंह---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो मसविदा भवन के सामने पेश है उस पर सब तरह के भाषण हुए। यह सही है कि जो चीज पेश की गयी उसके खिलाफ भी काफी बातें कहने को है, लेकिन अगर आप नजर डालें तो शायद जो मौजूदा पालिसी गवर्नमेंट की है उसके वह विपरीत नहीं पड़ता। यह अलग बात है कि हम उस पालिसी से सहमत न हों। चुनांचे शकर के मामले का अभी जिक्र हमारे दोस्त राजाराम शास्त्री ने किया। शकर के कंट्रोल में भी यही हुआ कि एक खास मिकदार तक शकर पैदा करेंगी मिल, वह कंट्रोल में रहेगी। उससे फालतू जो पैदा करेंगे, मालिक को अख्तियार होगा कि जिस भाव चाहे बेचे। और अगर मैं गलती नहीं करता तो कपड़े के संबंध में भी यही है कि सारे कपड़े को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। एक अंश उसका कंट्रोल करती है। यह भी कहना सही नहीं है कि कंट्रोल का महज एक ही उसूल है और वह यह है कि चीज कम और उसके गाहक ज्यादा हों तो कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल लगाने से पहले कुछ और चीजों पर भी ध्यान देना होता है यानी यह कि इस क्या कंट्रोल का उसके प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ता है। कोई ऐसा कंट्रोल तो नहीं है जिससे किसी चीज की पैदावार कम या बन्द हो जाय। तीसरा उसूल एक और है। इस कंट्रोल से किसको नुकसान और किसको नफा होने वाला है। मैं जानता हूं कि मेरी इन सब बातों से सरकार सहमत होगी। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हम इस स्टेज (प्रक्रम) पर पहुंच गये हैं कि इन सब बातों को माननीय मेम्बर भी और सरकार भी पार्टी क्वेश्चन न बना कर शान्ति-

पूर्ण तरीके से सोचें कि आया इन कंट्रोलों से किसको नफा होने जा रहा है और किसको नुकसान होने जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि किसी तारीख से पहले जो मकान बने हों उन पर कंट्रोल रहे और उसके बाद जो मकान बने उन पर कंट्रोल नहीं रहेगा। मैं अर्ज करता हूं कि यह तो हमेशा होता है। जितने कानून बनते हैं हमेशा उनकी तारीख मुकर्रर होती है। यह भी कहा गया कि इन कंट्रोलों से सरकार दब रही है। मैं समझता हूं कि जनता की सरकार को जनता से दबना चाहिए। जो जनता की सरकार है अगर वह जनता से नहीं दबती तो वह जनता की सरकार नहीं है। लेकिन देखना यह है कि किससे दबी और क्यों दबी? मैं यह तसलीम करता हूं कि सरकार के सामने कठिनाइयां हैं। सरकार संशोधन को नेकनियती से लायी है। मकानों का बनाना बाकयी बन्द हो गया है, इसलिए मकानों के बनाने के लिए जरूर इनकरेज (प्रोत्साहित) करना चाहिए लेकिन क्या-क्या साधन उसमें रखे जायं इस में सरकार और मेम्बरों में मतभेद हो सकता है। मैं समझता हूं कि मामला ऐसा है जिसमें काफी छानबीन करनी चाहिए।

मकानों के कंट्रोल के संबंध में मेरी अपनी राय यह है कि इस कंट्रोल से कोई बड़ा फायदा जनता को नहीं पहुंचा। जो मकान किराये पर उठते हैं १५ रुपये से ज्यादा उसका फ़ायदा बड़े आदमियों को पहुंचता है। अगर कोई डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार किसी जगह पर बदल कर जाय तो उसको फौरन् मकान प्रोवाइड होगा लेकिन किसी चपरासी, क्लर्क या अहलमद, छोटे तबके वालों के लिए कोई इंतजाम नहीं। उस कठिनाई को देखना चाहिए कि उसका कैसे इलाज हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस कंट्रोल से एक दिक्कत और पैदा हुई। चूंकि मकानों पर कंट्रोल है मालिक मकानों की दिलचस्पी मकानों में नहीं रही। वह मकानों की मरम्मत तक नहीं करवाते। इस बहाने कि मकान को दोबारा तामीर करें गिराना शुरू कर देते हैं। जिससे किरायेदार को दिक्कत होती है। लेकिन सब से बड़ा उसूल कंट्रोल का यह है कि क्या साधन है आपके पास कंट्रोल को जारी करने के लिए वह मशीनरी जिसके हाथ में आप एक्स्ट्राआर्डिनरी (असाधारण) पावर देते हैं उसमें दो गुण होने चाहिए। एक तो यह कि उसको सुविधा होनी चाहिए कि जो बोझ उस पर डाला जाय उसको वह बरदाश्त कर सके। दूसरे यह कि वह इतना आनेस्ट (ईमानदार) होना चाहिए कि उससे करप्शन (भ्रष्टाचार) भी न आये जब आप किसी को खासतौर से ज्यादा अख्तियारात देंगे, तो हो सकता है कि वहां करप्शन हो, बेईमानी हो, उससे लोगों को दिक्कत हो। तो यह बात तो सामने रखनी है। यह मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट आफ इंडिया या यू० पी० की सरकार क्या इस पर राय कायम करेगी लेकिन यह ख्याल होता जा रहा है। मसलन शकर की बात है हम यह देखते हैं कि शकर से मिल मालिक ने लाखों पैदा किये हैं लेकिन गन्ना जिस भाव से बेचा गया उसका भाव वही कायम रहा, मजदूरों की मजदूरी वही मुकर्रर रही। तो मजबूरी की वजह से यह है कि जितनी पालिसी हमारी चल रही है उससे थोड़ा-बहुत नफा फैक्टरीज को मिला है हालांकि उसका नतीजा यही मालूम होता है कि सरकार के पास कोई तरीका नहीं मालूम होता सिवाय इसके कि कैपिटलिस्ट्स रुपया लगा कर मकान बनवा सकें। कोआपरेटिव सोसाइटी का जिक्र किया गया। मुनासिब है। लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटीज में दिक्कत यह है कि पैसा नहीं है। कोआपरेटिव बैंक ही तो फाइनेंस करता है इन कोआपरेटिव सोसाइटीज को। लेकिन है क्या? कोआपरेटिव बैंक के सूद की दर ज्यादा है, वह आम साहूकारों से भी ज्यादा है। आप साहूकार से लें तो अव्वल तो आजकल कोई देता नहीं है और अगर कोई रुपया दे दे और कर्ज ले लिया तो वसूली के वक्त उसको धमका दिया या लड़ पड़े। लेकिन कोआपरेटिव बैंक जब रुपया देता है तो वसूली के वक्त वसूल कर लेता है, चाहे घर में मौत हो जाय। तो बात तो यह है कि सूद की दर ज्यादा है, जब यह दिक्कतें हैं तो कोआपरेटिव सोसाइटीज कैसे कामयाब हों। जब तक वाकई फाइनेंसेज न हों

[श्री फूल सिंह]

तब तक कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से मकान नहीं बनाये जा सकते। कोआ-परेटिव सोसाइटीज के पास पैसा होना चाहिए। मैं झांसी में गया। झांसी में जो शरणार्थियों की कोआपरेटिव सोसाइटी है उसके पास पैसा नहीं है। उनको कितनी कठिनाई हो रही है यह हमने देखा। अगर सरकार यह कानून बनावे कि कोआप-रेटिव सोसाइटीज के पास काफी सरमाया नहीं है और अगर कोआपरेटिव बैंक के सरमाये से मकान बनवाने के लिए कोआपरेटिव सोसाइटीज को फाइनेंस कर सकें।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—माननीय सदस्य सपोर्ट (समर्थन) कर रहे हैं या अपोज (विरोध) कर रहे हैं।

श्री फूल सिंह—आप की परेशानी रफा हो जायगी आप जरा थोड़ी देर बैठे रहें। मैं यह कहना चाहता था कि मेरे दोस्त ने जो हवाला दिया था कि मकान बना लेने के बाद मकान मालिक अपना हिसाब पेश करें और फिर सरकार उस मकान को उठाये। लेकिन इसमें तो दो ख्यालात हैं कि अगर सरकार खुद बनाकर या बना हुआ लेकर किराये पर उठायेगी तो सरकार को एक तो लैंडलार्डिज्म का काम करना पड़ेगा और दूसरे मकानों की मरम्मत करवानी पड़ेगी। आपको तजुर्बा होगा कि शरणार्थियों के जो मकान बनवाये हैं, सरकार को मकान मरम्मत करवाने में दिक्कत होती है और शरणा-र्थियों को भी दिलचस्पी उसमें नहीं है कि मकान का चाहे जो कुछ हो क्योंकि मकान किराये का है अगर वह हिसाब पेश करेंगे तो बिलकुल गलत। सामान लगायेंगे, कम और खराब लगायेंगे और हिसाब पेश करेंगे काफी अच्छे दाम का। तो सब से अच्छा तरीका यह है कि हम कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहन दें और वह काम तो गवर्न-मेंट मशीनरी से नहीं हो सकता। गवर्नमेंट मशीनरी का जितना ही कम दखल होगा उतना ही काम होगा और न वह मशीनरी तो उस बोझे को बरदाश्त कर सकती है, यह दिक्कतें हैं। तो आवश्यकता यह है कि मकानों को बनाने के लिए कोआपरेटिव सोसा-इटीज को कोआपरेटिव बैंक्स के जरिये से फाइनेंस कर सकें। और मुल्कों में मैंने देखा है वहां पर कानून बना हुआ है, अगर कोई चार्टर्ड बैंक होते हैं या कोई नया बैंक शुरू होता है तो एक शर्त लगी होती है कि इतना पैसा आप फलां बैंक में जमा कर दें। होता यह है कि दो या ढाई परसेंट सूद पर रुपया कोआपरेटिव सोसाइटीज को मिल जाता है जहां कोआपरेटिव बैंक्स को चार और पांच फीसदी मिलता है। यहां रिजर्व बैंक इसलिए बनाया गया है कि इसके कैपिटल से कोआपरेटिव सोसाइटीज को फाइनेंस हो और गरीबों के लिए इस्तेमाल हो लेकिन रिजर्व बैंक आज सरमायादारों के लिए और बड़े आदमियों के लिए हो गया है। हमने देखा यह है कि रिजर्व बैंक आज अच्छी सिक्यो-रिटी चाहता है। और देने के लिए इन कोआपरेटिव सोसाइटीज के पास तो सिक्योरिटी है नहीं, वह कहां से देगी तो उसके लिए भी ऐसे साधन पैदा करने होंगे कि जिससे रिजर्व बैंक भी रुपया फाइनेंस कर सके इन सोसइटीज को। तो यह जरूरी है कि कोआपरेटिव बैंक से कोआपरेटिव सोसाइटी को रुपया दिलाने के तरीके से ही मकानात बन सकते हैं और कोई दूसरे तरीके से चाहे वह सरकारी तरीका हो या कम्पलीट (पूर्ण) कंट्रोल का तरीका हो मकानात नहीं बन सकते हैं। यह कहना सही है कि जो मौजूदा स्कीम है वह मिक्स्ड इकानामी (मिश्रित आर्थिक नीति) की है, आधा कंट्रोल और आधा डिकंट्रोल।

श्री खड़ग चन्द्र गौतम—श्रीमान् की इजाजत से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बहुत कीमती बातें कर रहे हैं और हम लोग बहुत ध्यान से उसे सुन रहे हैं और चाहते भी हैं कि ऐसी लाभ की बातें सुनें लेकिन आज की कार्य-वाही के संबंध में कुछ बातचीत अपोजीशन से और हुकूमत से हो चुकी है कि कितना काम निपटा लेना है, इसलिए बातें अगर संक्षेप में हो जायं तो ज्यादा मुनासिब है।

श्री फूल सिंह--मैं खत्म ही कर रहा हूं। तो यह सही है कि यह मिक्स्ड इकानामी की चीज है। हमें यह भी जानना होगा कि जितना भी कंट्रोल कर पाये हैं उसमें भी कितनी खामियां हैं, अगर वही अधूरा है तो सारा कंट्रोल एक बिल्कुल गलत चीज है, इसलिए मैं समझता हूं कि कम्पलीट कंट्रोल्ड इकानामी हो जाय उसकी गुंजाइश इस देश में नहीं है। अतः मैं समझता हूं कि मौजूदा हालत में यह संशोधन सही है लेकिन मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस सारे मसले पर फिर से गौर करके कोई एक नयी राह निकालनी चाहिए।

श्री सुलतान आलम खां--जनाब स्पीकर साहब, जो छोटा सा बिल इस वक्त हमारे सामने पेश है उस बिल की ताईद के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उसकी ताईद की वजह यह है कि मैं यह महसूस करता हूं कि इस बिल के अन्दर जिस उसूल को माना गया है वही एक सही उसूल है और वही हमारी इकानामिक कंडीशन (आर्थिक दशा) को ठीक कर सकता है।

हुजूरवाला, कंट्रोल और डिकंट्रोल की एक बहुत पुरानी थ्योरी है, इसके ऊपर बहुत कुछ मुबाहिसा हो चुका है, इसके मुताल्लिक बहुत ही मुख्तलिफ रायें मुल्क के अन्दर हैं और अभी भी इसके मुताल्लिक कोई राय मुत्तफिक तौर से नहीं कही जा सकती है कि कंट्रोल होना चाहिए या डिकंट्रोल होना चाहिए। काफी अर्से तक बहस होने के बाद और तजुर्बा होने के बाद ज्यादातर जो राय है वह यह है कि मुल्क के अन्दर डिकंट्रोल होना चाहिए लेकिन डिकंट्रोल ग्रेजुअली (धीरेधीरे) होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कंट्रोल तमाम मुल्कों में है और कंट्रोल बहुत जगहों पर कामयाब भी है और उसकी वजह यह है कि जिन मुल्कों में कंट्रोल किया गया है उन मुल्कों के लोगों ने पूरी सहायता और कोआपरेशन (सहयोग) हुकूमत को दिया, लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के लोगों ने सहीतौर से कंट्रोल का मतलब नहीं समझा है और उन्होंने कंट्रोल के मामले में हुकूमत की मदद उतनी नहीं की है जितनी कि करनी चाहिए थी और जाहिर है कि अगर पब्लिक का पूरा कोआपरेशन नहीं है तो कोई किसी किस्म की गवर्नमेंट कंट्रोल को कामयाब नहीं बना सकती। इसके मानी यह नहीं हैं और मैं हुकूमत की तरफ से कोई ब्रीफ (वकालत नामा) लिये हुये नहीं हूं कि हुकूमत सही पालिसी चला रही है बल्कि गवर्नमेन्ट की तरफ से नातजुर्बेकारी और गल्तियां सरजद हुई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो इस राय को मानने वाले हैं वह जानते हैं कि जितनी सहायता और कोआपरेशन पब्लिक की तरफ से इस मामले में सरकार को मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि लोग कंट्रोल से बेजार हो रहे हैं और कंट्रोल का नाम सुन कर कानों पर हाथ रख लेते हैं और यह एक कंट्रोवर्शियल (विवादास्पद) मसला बन गया है कि कंट्रोल रहे या न रहे और यह राय जो लोगों के तजुर्बे से पैदा हुई है कि कंट्रोल हटना चाहिये और डिकंट्रोल आहिस्ता-आहिस्ता होना चाहिये ताकि डिसलोकेशन (अव्यवस्था) न होने पाये। जब इस थ्योरी के मातहत मैं इसको देखता हूं तो महसूस करता हूं कि यह डिकंट्रोल की तरफ एक कदम है ख्वाह गवर्नमेन्ट इसको माने या न माने, अपोजीशन पार्टी वाले मानें या न मानें लेकिन यह डिकंट्रोल की तरफ सरकार का पहला कदम है। इसलिये मैं इसको और भी सही समझता हूं कि यह जो हाउसेज के ऊपर कं ोल है उसके साथ-साथ यह डिकंट्रोल भी चलेगा तो हमें इस बात का भी तजुर्बा हो जायगा कि आया जिन हाउसेज पर कंट्रोल किया हुआ है वह सही है या जिन हाउसेज पर डिकंट्रोल कर दिया वह सही पालिसी है।

गवर्नमेन्ट ने इस बारे में एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी है और वह इसके मुताल्लिक भी छानबीन कर रही है और इसके टर्म्स आफ रिफरेन्स (कार्य-सूची) में यह भी है कि हाउस कंट्रोल के बारे में भी वह अपनी राय दे सके। मैं समझता हूं कि इसमें ४-६ महीने

[श्री सुल्तान आलम खां]

लग जायंगे और इस अर्से में हम थोड़ा और भी तजुर्बा हासिल कर लेंगे कि जिन हाउसेज पर गवर्नमेन्ट ने डिकंट्रोल कर दिया है उससे पब्लिक कहां तक मुतमईन है और कहां तक उसका वर्किंग कामयाब हुआ है या जिन हाउसेज पर कंट्रोल किया हुआ है उससे पब्लिक कहां तक मुतमईन है और कहां तक यह कामयाब हुआ है।

जनाबवाला, इस बिल में जो मकान १ जनवरी सन् १९५१ के बाद बने हुये हैं उन्हें डिकंट्रोल कर दिया है। इसके साथ-साथ अगर गवर्नमेन्ट यह भी सोचती कि वह मकान जो मालिक मकान के कब्जे में हैं और उनका कुछ हिस्सा या पोर्शन उनकी जरूरत से ज्यादा है लेकिन वह उसको इस खौफ से नहीं उठा रहे हैं कि अगर यह उठायेंगे तो कंट्रोल हो जायगा। अगर उन्हें यह मालूम हो जाय कि मकान का कुछ हिस्सा जो उनकी जरूरत से ज्यादा है उसको अगर वह उठा सकें तो उस पर कंट्रोल लागू नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत में बहुत से ऐसे मकानदार होंगे जो अपने मकान का कुछ हिस्सा उठाने के लिये तैयार हो जायंगे बशर्ते कि उनको यह इत्मीनान दिला दिया जाय कि १ जनवरी सन् १९५१ ई० के बाद जो मकान बनने वाले हैं उन पर कंट्रोल लागू नहीं होगा ऐसे ही पहले के मकान बने हुये हैं लेकिन मकान मालिक के कब्जे में हैं अगर उनका कुछ हिस्सा वह उठा देंगे तो उन पर भी कंट्रोल लागू नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस मसले पर गवर्नमेन्ट सोचे तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि मकान का मसला अहम मसला है और इसकी जरूरत बड़ी जरूरत है। इसको महसूस करते हुये गवर्नमेन्ट ने बिल पेश किया है। मैं समझता हूं कि यह चीज उनकी पालिसी के कतई मुआफिक होगी और इससे मकानों की दिक्कतें भी एक हद तक बहुत कम हो जायंगी और एक हद तक लोगों को मदद मिलेगी। अगर गवर्नमेन्ट इस बात पर भी गौर करे कि वह उन मकानों पर, जो १ जनवरी, सन् १९५१ ई० के पहले के बने हुये हैं और मालिक मकान उन मकानों का कुछ पोर्शन अब उठाने के लिये तैयार हो जायंगे बशर्ते कि उनको इत्मीनान दिला दिया जाय कि उन पर कंट्रोल लागू नहीं होगा। मैं चाहता था कि इस बिल के साथ-साथ यह तरमीम भी होती। लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि इस मंजिल पर यह तरमीम आ सकती है। इसलिये मैं गवर्नमेन्ट से गुजारिश करूंगा कि वह इस मामले पर गौर करे और अगर मुमकिन हो सके तो इस किस्म की तरमीम को भी इसमें शामिल कर ले।

हुजूरवाला, मैं इस इंक्वायरी कमेटी का एक मेम्बर होने का फख्र हासिल करता हूं और इसकी बुनियाद पर मुझे कंट्रोल के मसले को बहुत ही नजदीक से देखने का मौका भी मिला है। जहां तक कंट्रोल का ताल्लुक है मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह बहुत ही कन्फ्यूज्ड और उलझा हुआ है और इसमें कम से कम यू० पी० गवर्नमेन्ट और इंडिया गवर्नमेन्ट साथ-साथ आती हैं। बहुत सी चीजों पर कंट्रोल्स ऐसे हैं जिनकी प्राइसेज (मूल्यों) पर कंट्रोल गवर्नमेन्ट आफ इंडिया करती है और डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) का कंट्रोल यू० पी० गवर्नमेन्ट करती है। मैं इस बात को सही तौर पर कह सकता हूं कि जब तक मैंने यह तमाम चीजें पढ़ी नहीं थीं मुझे इसका अहसास नहीं था कि इसमें गवर्नमेन्ट आफ इंडिया और यू० पी० गवर्नमेन्ट का चोली दामन का साथ है, कंट्रोल के मामले में दोनों के ताल्लुकात इतने वाबस्ता हैं लेकिन यह अहसास जरूर करता हूं कि सूबे की इकोनामी का जहां तक ताल्लुक है सूबे के प्राबलम्स (समस्याओं) का ताल्लुक है इसमें हमारी हुकूमत को और हमारे सूबे को पूरा एफर्ट (प्रयत्न) करना चाहिये। मैं यह नहीं कह सकता कि वे प्राबलम्स क्या होंगे लेकिन इतना अर्ज करूंगा कि इस मसले पर अपनी गवर्नमेन्ट की तरफ से पूरा एफर्ट होना चाहिये। उन मसायल के मुताल्लिक जिनका खासतौर से इस सूबे से ताल्लुक है और वह आल इंडिया मसला नहीं है हमारी

गवर्नमेन्ट पूरा एफर्ट करे तो इससे न सिर्फ इस हाउस के हर शख्स का कोआपरेशन मिलेगा, बल्कि मैं महसूस करता हूं कि हाउस के बाहर जितने तबके, जितने लोग हैं उन सबकी हमदर्दी उसे हासिल होगी। एफर्ट इस बात का होना चाहिये कि जहां तक सूबे के कानून का ताल्लुक है और सूबे के उन मसायल का ताल्लुक है, जो इस सूबे से ताल्लुक रखते हैं, आल इंडिया जिनकी इम्पार्टेंस (महत्व) नहीं है उनमें पूरा हमारा हाथ होना चाहिये। हमें आजादी होनी चाहिये कि हम ऐसे मामलों में कंट्रोल या डिकंट्रोल कर सकें।

जनाब वाला, मेरे भाई श्री राजाराम शास्त्री ने एक बात बड़े मार्के की कही। उन्होंने फरमाया कि इस तरह से जो डिकंट्रोल या पार्शियल डिकंट्रोल हो रहा है इससे कैपिटिलिस्ट्स को नफा पहुंचेगा, जनता को कोई नफा नहीं पहुंचेगा। मुझे ताज्जुब है, मैं यह तो दावा नहीं करता कि मैं इसके मुताल्लिक कोई ज्यादा बेहतर राय दे सकूंगा, लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस मुल्क के रहने वाले सभी हैं चाहे कैपिटिलिस्ट हों, जमींदार हों या काश्तकार हों। मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेन्ट न कैपिटलिस्ट की तरफदार है, न काश्तकारों की तरफदार है, इसलिये मैं महसूस करता हूं जैसा मैं सुनता हूं वह यह है कि यह गवर्नमेन्ट और इसकी जो पार्टी है वह क्लासलेस सोसाइटी (वर्गहीन समाज) बनाना चाहती है। वह सबको एक नजर से देखना चाहती है। यह प्रोफेशन सही है तो ऐसा सवाल पैदा ही नहीं होता। जहां तक यह मसला है कि नेशनेलाइजेशन हो अगर हर चीज का नेशनेलाइजेशन हो सके तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूंगा। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की जो दुश्वारियां हैं, जो दिक्कतें हैं उनके मद्देनजर वह नेशनेलाइजेशन नहीं करने जा रही है। नेशनेलाइजेशन गवर्नमेन्ट नहीं करने जा रही है तो इन गरीब मकान बनाने वालों का क्या कसूर हो सकता है कि उनको नफा न पहुंच सके।

अभी फूल सिंह साहब ने एक बड़े मार्के की बात कही, उससे मैं इत्तिफाक करता हूं। इस सूबे की एकोनामी इस सूबे के प्राबलम्स उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक हमारे यहां कोआपरेशन न बढ़े, कोआपरेटिव सोसाइटीज का वर्क (कार्य) न बढ़े। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है, मगर यह भी वाक़या है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज हमारे मुल्क में, इस सूबे में इस काबिल नहीं हैं कि इन तमाम चीजों का बार उठा सकें। जब वे बार नहीं उठा सकतीं तो फिर क्या गवर्नमेंट मकान बनायेगी ? मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि गवर्नमेन्ट स्टेट को रन करने (चलानें) के बजाय बिजनेस कंसर्न (व्यापारिक संस्था) हो जाय, कार्माशयल कंसर्न हो जाय और हम सब लोगों को एतराफ भी नहीं है कि जो कार्माशियल कंसर्न्स रन भी किये हैं उनकी पालिसीज से लोगों को इत्तिफाक है। अब सवाल पैदा होता है कि रुपया कहां से आये, सिवा इसके कि जिनके पास है वह ही निकालें। कोई दूसरा जरिया नहीं है सिवा इसके की कैपिटिलिस्ट रुपया लगायें। ऐम्स ऐंड आबजेक्टिस आफ दी बिल (बिल के उद्देश्य और कारणों) में मिनिस्टर साहब ने माना है कि कैपिटल नहीं आ रहा है, मकान नहीं बन रहे हैं कोआपरेटिव सोसाइटी इस काम को ले नहीं सकती, गवर्नमेन्ट बनाना पसन्द नहीं करती तो दूसरी सूरत यह है कि प्राइवेट एंटरप्राइसेज उठें उनको एंकरेज (प्रोत्साहित) किया जाय। वे तभी उठ सकते हैं जब उनको पूरा फेथ हो, इत्मीनान हो, सकून हो। मैं इस मसले पर अगर मिनिस्टर साहब से अर्ज करूं तो बेजा न होगा कि इस वक्त तो वे डिकन्ट्रोल करने के लिये कह रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि सन् ५१ के बाद सन् ५२ में फिर कन्ट्रोल को लागू कर दें और कहें कि सन् ५१ में जो मकानात बने थे उन पर भी यह कानून लागू होगा। इससे तो बेहतर मैं यह समझता हूं कि इसको इसी वक्त वापस ले लिया जाय और जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलने दिया जाय। इसलिये अगर गवर्नमेन्ट इस बात का ऐतबार दिला दे तो अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री हुकूमत और इधर के बैठने वाले नीज उधर बैठने वाले मेरा इस बातका ताईद करेंगे कि इस वक्त तो लोग इस कानून के तहत मकान बनवा लें और फिर हम उनको

[श्री सुलतान आलम खां]

कन्ट्रोल की जद में ले आयें, इससे बेहतर तो यह होगा कि इस कानून को इसी सूरत में चलने दिया जाय और उसमें हरगिज भी तरमीम न लाई जाय। लेकिन अगर वाकई गवर्नमेन्ट का मंशा यही है कि वह ग्रेजुअली (धीरेधीरे) डिकन्ट्रोल की तरफ जा रही है तो मैं उसका खैर मकदम करता हूं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट की सही राय यही है और उसका यह राइट काइंड आफ स्टेप (उचित कार्यवाही) है। मैं माननीय मंत्री से अर्ज करूंगा कि वे इस चीज का अच्छी तरह से इत्मीनान कर लें कि यह जो बिल बन रहा है वह हमेशा के लिये स्टेटयूट बुक पर जाने वाला है और जो मकान बन रहे हैं उन पर कन्ट्रोल लागू न किया जायगा।

जनाबवाला, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि यह बिल एक बहुत छोटा सा बिल है, लेकिन वह बुनियादी और इम्पोर्टेन्ट (महत्व पूर्ण) चीज को रेज करता (उठाता) है और इसी वजह से मैं इस बिल की ताईद करना चाहता हूं और वह यह कि गवर्नमेन्ट ने सोच कर ग्रेजुअली डिकन्ट्रोल की पालिसी को अख्तियार किया है, मैं ऐसा प्रोज्यूम करता (समझता) हूं। मैं इसके लिये गवर्नमेन्ट को मुबारकबाद दूंगा और चाहूंगा कि इस पालिसी को वह बराबर जारी रखे। यह सही है कि गवर्नमेन्ट ने इंक्वारी कमेटी बिठाई है, वह पूरी मेनहत करने के बाद अनकरीब ही गवर्नमेन्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेन्ट उस पर अमल करेगी। मैं अर्ज करूंगा कि सबसे बेहतर पालिसी कन्ट्रोल के मामले में यही है कि ग्रेजुअली डिकन्ट्रोल की तरफ चला जाय जिससे डिसलोकेशन भी न होने पाये और दुश्वारियां भी न रहें, लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज का और खयाल रखना पड़ेगा, जिसका जिक्र श्री फूलसिंह जी ने किया कि कोई कंट्रोल अगर इस किस्म का होता है कि उसके प्रोडक्शन (उत्पादन) पर असर पड़ता है तो वह सही कन्ट्रोल नहीं है। अगर इसी उसूल के ऊपर इन कंट्रोल को एनेलाइज किया जाय तो बिलकुल यही चीज हमें मिलेगी कि मकान पर कंट्रोल होने से मकान की पैदावार बढ़ाने के लिये जो रकम आती थी वह रकम रुक गई, यह दिक्कत हमारे सामने आई और जिसको सही तौर पर दूर करने के लिये इस बिल को लाना पड़ा। मैं अर्ज करूंगा कि जितने भी कन्ट्रोल हैं उन सबको इसी रोशनी में देखने की जरूरत है कि कहीं उनमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि कन्ट्रोल की वजह से प्रोडक्शन पर असर पड़ता हो। कोई कन्ट्रोल जो ऐसा हो जिसकी वजह से किसी किस्म के प्रोडक्शन पर असर पड़ता हो तो हमें उस पर गौर करने की जरूरत है कि उस कंन्ट्रोल को रखा जाय या नहीं। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की पुरजोर तरीके पर ताईद करता हूं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--मैं क्लोजर मूव करने की इजाजत चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष--मैं श्री श्रीचन्द सिंघल को वक्त दे चुका हूं, उनके बाद आप मूव (उपस्थित) कर सकते हैं।

श्री श्रीचन्द्र सिंघल--श्रीमान् जी, मैं बहुत संक्षेप में अपने विचार इस भवन के सामने रखूंगा। मुझे दुख है कि मैं इस विधेयक का न तो पूर्णरूप से समर्थन कर सकता हूं और न पूर्णरूप से उसका विरोध कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि हमारे देश में मकानों की बहुत कमी है। जब तक नये मकान नहीं बनाये जायगें तब तक वह कमी पूरी नहीं हो सकती। दूसरी बात यह भी है कि जितने पुराने मकान हैं वे इस कंट्रोल के कारण इस बुरी हालत में हो रहे हैं कि अगर यह कन्ट्रोल दस साल तक रहा तो जितने पुराने मकान हैं वे सब के सब गिर जायेंगे। क्योंकि मकान की मरम्मत की जिम्मेदारी न तो सरकार ही ले रही है, न कन्ट्रोल के कारण मकान मालिक ही ले रहे हैं और न उसके रहने वाले ही ले रहे हैं। मैं इस विधेयक को इसलिये चाहता हूं कि देश में जल्द से जल्द मकान बनें ताकि लोगों को रहने का आराम हो। लेकिन मैं अन्प्लांड इकोनामी के बिलकुल विरुद्ध हूं और खास तौर

से जो मिक्स्ड इकोनामी है और हमारे नेता लोग जो उसका चिल्ला-चिल्ला कर नारा लगाते हैं वह तो मैं समझता हूं कि बहुत हो खतरनाक चीज है। यह तो लोगों को जाल में फंसाने के लिये हैं। एक कहावत है कि :--

"A successful politician is he who can deceive capitalists by taking money from them and the labour by taking votes from them."

(सफल राजनीतिज्ञ वह है जो पूंजीपतियों को उन से रुपया लेकर और श्रमिकों को उनसे वोट लेकर धोखा दे सके।)

तो ये मिक्स्ड इकानामी वाले हमेशा लेबर के वोट लेने के लिये उनके माफिक बातें करते हैं और कैपिटिलिस्टों से रुपया लेने के लिये उनके माफिक बातें करते हैं। यह बिल भी इसी तरह का है कि बड़े आदमियों को दिखलायें कि साहब हमने आप को आजादी दे दी है कि आप नये मकान बनवावें और उन्हें भाड़े पर उठा कर लम्बी रकम पैदा करें। और जनता को दिखाना चाहते हैं कि नये मकान बनवा कर हम आप को रहने-सहने की सुविधायें दे रहे हैं। आगे चलकर ये बातें बड़ी उलझनें और समस्यायें पैदा कर देती हैं। मैं चाहता हूं कि मकान बनें और मकान बनाने की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले। मकान बनाना कोई आसान चीज नहीं है यह बड़ा भारी प्लानिंग (नियोजन) चाहता है। मैं इंगलैंड के बारे में कहता हूं कि सन् १९४४ ई० में जब वहां कंजरवेटिव पार्टी के लीडर मिस्टर चर्चिल का राज्य था और जब लड़ाई बड़े जोरों से चल रही थी उन दिनों इंगलैंड की पार्लियामेंट में एक हाउसिंग बिल रखा गया था। जब हेल्थ मिनिस्टर ने उसे पेश किया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां मकानों की बहुत कमी है। हमने छानबीन की है स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किये हैं और उससे पता लगा है कि जब तक इंगलैंड में १२ लाख मकान तैयार नहीं किये जायेंगे तब तक मकानों की कमी पूर नहीं हो सकती। इतने मकानों के बनाने का भार हम जनता पर नहीं छोड़ सकते। मकानों के बनाने का भार सरकार अपने ऊपर लेती है। स्वास्थ्य मंत्री ने जो योजना पेश की उसके मुताबिक दो साल के अंदर २ लाख २० हजार मकान बनाने का प्रोग्राम रक्खा, इस तरह पूरा से मकानों के बनान की उन्होंने पूरी योजना बनाई और दो साल वाला प्रोग्राम किया। इस तरह से वह बराबर मकान बनाते जा रहे हैं। इस तरह से हमारे यहां भी हर एक शहर में टाउन प्लानिंग की जरूरत है। योजना के मुताबिक हर शहर में नये मुहल्ला सरकार बनावे उसमें आजकल की सभी सुविधा होनी चाहिये। मकानों की समस्या बगैर ऐसी योजना हल नहीं हो सकती है। मगर हमारी सरकार ने कन्ट्रोल तो लगा दिया, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिये आज तक कोई योजना नहीं बनाई है, जिससे लोगों की कठिनाई दूर हो सके।

हमारे प्रान्त में करीब १० लाख आदमी हर साल बढ़ते हैं और उन १० लाख आदमियों के लिये खाने के लिये भी चाहिये और कपड़ा भी चाहिये और रहने के लिये मकान भी चाहिये। यह तीन समस्यायें हैं और इन का कोई हल हमें दिखलाई नहीं पड़ता है। दुःख है कि अपने प्रान्त में अन्न नहीं बढ़ रहा है, उपज गिर ही रही है। कपड़े का उत्पादन भी नहीं बढ़ रहा है। रोज मिलों में हड़ताल होती है क्यों कि सरकार की जो पालिसी है मजदूर और पूंजीपतियों के बीच में ऐसी खाई पैदा कर दी है कि जैसी हिन्दू मुसलमानों के बीच पैदा हो गई थी और न मकान ही बढ़ रहे हैं। मुझे तो अफसोस होता है जब मैं यह देखता हूं कि सन् १९४६ ई० में जब यह विधेयक बनाया गया था तब यह कहा गया था कि नये मकान जो बनाये जायेंगे उन पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। सन् १९४८ ई० में जब इस कानून की मियाद बढ़ाई तब नये मकानों पर भी कंट्रोल शुरू कर दिया गया था। फिर २ साल के बाद तीसरा बिल लाते हैं कि नये मकान जो बनेंगे उन पर कंट्रोल नहीं रहेगा। माननीय मंत्री कहते हैं कि हमारा अनुभव यह है कि नये मकानों पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो नये मकान बनना शुरू हो जायेंगे।

[श्री श्रीचन्द सिंघल]

मिनिस्टर साहब बिजनेस कम्युनिटी के आदमी हैं अगर कोई व्यापारी कुछ अनुभव करता है तो वह अपने लाखों रुपये गंवाकर अनुभव करता है, लेकिन हमें अफसोस होता है इस बात को देखकर कि जब मंत्री अनुभव करते हैं जनता को दुख देकर अनुभव करते हैं वह गांठ का कुछ नहीं खोते। उनकी गांठ से पैसा नहीं जाता है अगर उनकी गांठ से जाता तो वह कभी भी इस तरह से बार-बार नीति नहीं बदलते। सरकार समझती है कि नये मकानों पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो मकान बहुत बन जायंगे, अगर सरकार ऐसा समझती है तो भूल करती है, जिस वक्त लोगों में यह खबर फैलेगी कि नये मकनों पर कन्ट्रोल नहीं रहेगा तो जमीन वाले जमीन के दाम एकदम ऊंचे कर देंगे गरीबों के लिये मकान के वास्ते जमीन का मिलना नामुमकिन हो जायगा और बिल्डिंग मैटीरियल भी बहुत मंहगा हो जायगा। ईंट-सिमेंट लोहा इनका भी मिलना नामुकिन हो जायगा। आजकल लोगों की माली हालत भी बहुत गिरी हुई है। इस महंगाई में गरीब लोगों की मकान बनाने की सामर्थ्य भी नहीं है। इसलिये सरकार से मेरा कहना यह है कि खुद मकान बनवाने, जिम्मेदारी अपने ऊपर ले कीजो लोग सरकार के साथ, हैं उनका कहना यह है कि सरकार के पास रुपया नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मुझे अफसोस होता है। लड़ाई के पहले सब देशों के बजट डैफीसिट (घाटे के) में थे, लेकिन जब लड़ाई सिर पर आ पड़ी हरएक सरकार को रुपये का इंतजाम करना पड़ा। इग्लैंड, जिस का बजट लड़ाई से पहले काफी डफिसिट में था, लड़ाई के दिनों में दस करोड़ रुपये के लगभग रोज खर्च करने का इंतजाम कर लिया। और प्रि० फैब० हाउसेज के लिये भी उन्होंने बहुत सी रकम रख दी थी, ताकि लोगों को टेम्पोरेरी हाउस रहने को मिल सके। यह कहना कि रुपये की कमी है यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

मालूम होता है कि हमारी सरकार में अक्ल की कमी है। हम यह भी देखते हैं कि रुपया क्या करता है, रुपया कुछ नहीं करता है, न रुपया नींव खुदा सकता है न रुपया ईंट बना सकता है, न रुपया चिनाई करा सकता है, न सीमेंट बना सकता है और न जमीन बना सकता है और यह सब जानते हैं कि रुपया बेजान चीज है। ईंट आदमी बना सकते हैं, चुनाई आदमी कर सकता है, सीमेंट आदमी बना सकता है, तो हर काम आदमी करता है। योजना भी आदमी ही बनाता है। जब सब काम आदमी ही से होता है तो समझ में नहीं आता कि रुपया क्या करता है। एरिस्टोटल का कहना है कि अगर रुपये का प्रयोग न किया जाय तो काम नहीं रुकता और रुपया जिस काम के लिये है उसी काम में उसको लाया जाय तो सब मुश्किलात दूर हो जायं। रुपये का काम तो एक्सचेंज करने का है, रुपया एक तरह का माप है। अगर रुपया केवल एक्सचेंज के लिये ही रखा जाय तो यह सब दिक्कतें दूर हो सकती हैं। मेरी प्रार्थना सरकार से यही है कि सरकार अपने मकान तैयार करे और अच्छे-अच्छे मकान बनावे और हाउसिंग सोसाइटीज के द्वारा काम करावे तो मकान ढंग के आसानी से बन जायं, जनता को सरकार पर विश्वास नहीं है कि कहीं फिर नया कानून लाकर नये मकानों को भी कुछ दिनों बाद कंट्रोल में ले ले। लोगों को विश्वास आप में नहीं है क्योंकि आप तो बार-बार कानून बदलते हैं। इसलिये गवर्नमेन्ट को मकानों के बनाने की जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर लेना चाहिये और एक प्लान के साथ जल्द से जल्द मकान बनाना चाहिये। रुपये की कोई कमी नहीं है बल्कि सरकार में जनता के विश्वास की कमी है, अगर जनता का विश्वास सरकार में हो जाय तो रुपया बहुत आ सकता है और कोई दिक्कत नहीं हो सकती।

(इस समय १ बज कर १० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के ऊपर इस भवन के कई माननीय सदस्यों ने भाषण किया और अपने-अपने नुक्ते नजर से वाद-विवाद किया। मैं हर एक माननीय सदस्य के वाद-विवाद का उत्तर देने के लिये यहां खड़ा नहीं हुआ हूं। १९४८ ई० के विधेयक के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि १९४७ ई० में जो विधेयक सरकार की तरफ से पेश किया गया था, उसमें नये मकानों को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी थी, परन्तु सन् १९४८ ई० में जब फिर से रेंट कन्ट्रोल का कानून बना उसमें नये मकान भी नियंत्रित कर दिये गये। अब, जब गवर्नमेन्ट नये मकानों पर नियत्रंण हटाने जा रही है तो ऐसा शक लोगों के दिलों में पैदा हो सकता है कि आइन्दा चल कर फिर सरकार ऐसा न कर दे, जिससे नये मकानों को नियंत्रण में ले लिया जाय। माननीय सदस्य यह अच्छी तरह से जानते हैं कि १९४७-४८ ई० का समय हमारे देश में ऐसा कठिनाई का पीक पीरियड था जब बाहर से आये हुये लोगों को अकोमोडेशन (स्थान) मिलने में काफी परेशानी हो रही थी और इमारतों के बनाने की जो चीजें हैं वे भी ठीक तरह से सस्ते निर्धारित कीमतों पर मिल नहीं पाती थीं। पर आज ऐसी स्थिति नहीं है बाहर के लोग जो हमारे प्रदेश में आये और विभिन्न शहरों या जिलों में जाकर बसे, आज किसी न किसी तरह से उनको रहने के लिये कुछ स्थान मिल गया है। यद्यपि वह स्थान रहने का संतोषजनक नहीं है और हमारे बहुत से भाई जो बाहर से आये हैं आज भी उन मकानों में तकलीफ की जिन्दगी बिता रहे हैं, जो उन्हें रहने के लिये मिल गये हैं, परन्तु वे किसी न किसी तरह से टिकने के लिये स्थान अवश्य प्राप्त कर चुके हैं। परन्तु सन् १९४७ ई० के आखिर और १९४८ ई० के शुरू में ऐसी स्थिति नहीं थी। यही वजह थी कि १९४८ ई० में जब कानून बना तो विभिन्न जिलाधीशों से पूछा गया कि उनकी क्या राय है और साथ ही में भवन के सदस्यों ने भी अपनी राय दी और उनकी रजामन्दी से नये मकानों को भी नियंत्रण में ले लिया गया। उन नये मकानों को नियंत्रण में लेने के पीछे एक ही भावना छिपी हुई थी कि हमारे वे भाई, जो तकलीफ की जिन्दगी बिता रहे हैं वे किसी न किसी प्रकार से मकान में रहने के लिये स्थान प्राप्त करें और जब वे स्थान प्राप्त करें तो उस स्थान के लिये वे मुनासिब किराया अदा करें।

आज जहां तक गृह निर्माण वस्तुओं का सम्बन्ध है उनके प्राप्त करने में आज थोड़ा सुभीता है। साथ ही में उनकी मात्रा भी जो पहले इस प्रदेश को मिलती थी अधिक बढ़ गयी है। माननीय सदस्यगण जानते हैं कि पहले हमें सीमेंट और कोयला जिस मात्रा में मिलता था उसके लिहाज से हम अधिक मकान नहीं बनवा सकते थे और जो कुछ हमें मिलता था उसका अधिकांश भाग सरकारी इमारतों में खर्च होता था। पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत वह इस्तेमाल में लाया जाता था। परन्तु आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं सूचनार्थ भवन को बताना चाहता हूं कि १९४७ ई० और १९४८ ई० में हमें प्रतिमास ८०० वैगन्स कोयले के मिला करते थे, लेकिन आज प्रतिमास २,५०० वैगन कोयला हमें मिल रहा है और उसका अधिकांश भाग इस जनता में मकानों के बनाने में वितरण करते हैं। सरकार इमारतें अधिकांश में इस समय नहीं बना रही है। इसी तरह से सीमेंट जो पहले हमें प्रतिमास ९,००० टन के करीब मिलती थी आज २३,००० टन प्रति मास के करीब मिल रही है। इन आंकड़ों से माननीय सदस्य यह अनुमान लगा सकते हैं कि आज मकानों के बनाने की जो चीजें हैं वे कितनी आसानी से मुहय्या हो सकती हैं और कितनी बढ़ गयी हैं। हां, लोहे की आज भी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन लोहा भी आज उस मात्रा में, जिसमें हमें वह पहले मिलता था, कुछ अधिक मिलने लगा है। १९४८-४९ ई० में पब्लिक के खर्च के लिये १३,६३० टन लोहा उपलब्ध किया गया था, लेकिन आज १९५०-५१ ई० में वह ३२,८०० टन हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि १९४७-४८ ई० के हालात से आज के हालात मुकाबला नहीं किये जा सकते। इसी से यह मुनासिब समझा गया कि जो लोग मकान बनाना चाहते हैं या वे लोग जो किराये के लिये मकान बनाना चाहते हैं उन्हें सुविधा दी जाय।

[माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त]

भाई राजाराम जी ने एतराज यह किया कि यह तो अधिनियम इसलिये बन रहा है कि इससे पूंजीपति ही फायदा उठायें। मैं राजाराम जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मकानों की जरूरत किराये के लिये सिर्फ पूंजीपतियों को ही नहीं होती है, मकान बनाने की तो आम आदमी ख्वाहिश रखता है। मकान बनाने के लिये समाजवाद, जहां तक मैंने उसे समझा है, उस आदमी को मकान बनाने की इजाजत देता है, जो बनाना चाहता है। आज हमारे देश में १ फीसदी आदमी ही शायद पूंजीपति हैं। ९९ फीसदी आदमी तो गरीब ही हैं या ऐसे आदमी हैं जो मिडिल क्लास के हैं और जो अपनी आमदनी के रुपये से मकान बनाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि वे उस मकान में अपनी जिन्दगी के दिन बिता दें। आज यदि उन व्यक्तियों की यह ख्वाहिश है कि वे अपने मकान बना लें तो उनको सुविधायें देना सरकार का कर्त्तव्य है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह मजदूर हो या कचहरी में या दफ्तर में काम करता हो, यदि वह अपना मकान बनाना चाहे तो उसे यह भय रहता है कि यदि वह मकान बना लेगा तो वह उसमें रहने नहीं पायेगा। आज जब हम यह विधेयक यहां बनाते हैं तो उसे मौका देते हैं कि वह भी अपना मकान बनाकर उसमें रह सके। समाजवाद इस बात की इजाजत देता है कि यदि कोई मकान बनाना चाहे तो वह बना सकता है। क्या समाजवाद मकान बनाने की मनाही करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिये यह एतराज करना कि यह तो पूंजी-पतियों के लिये है जो यह कानून बनाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। हां, यह जरूर है कि पैसे वाले भी उससे मकान बनावेंगे और शायद उससे फायदा भी उठावेंगे। क्या हमारा यह कर्त्तव्य नहीं है कि हम मकान बनाने के लिये अधिक से अधिक सुविधायें दें? यदि आज वे यह कहना चाहें कि नहीं, हम ऐसे व्यक्तियों को मकान नहीं बनाने देंगे तो वे कानून से भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या आज हमारे देश की ऐसी अवस्था है? क्या हम उस युग से आज गुजर रहे हैं? उसके बनाने के लिये हमें थोड़ा समय चाहिये और उसके बनाने के लिये रुपया चाहिये। इसलिये हर समय महज हवा की बातें करना और वास्तविकता से अपने को दूर रखना, यह कोई बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। इससे चीजें और राष्ट्र नहीं बनते हैं। इससे कोई भी समस्या हल नहीं होती है। मैं भी उस सिद्धांत से इत्तिफाक करता हूं जो यह कहता है कि हुकूमत की तरफ से भी मकान बनाने चाहिये, सरकार का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह अपना हाउसिंग प्रोग्राम हर साल रखे। सरकार इसे करने की भी इच्छा रखती है लेकिन आज सरकार के सामने जितनी भी समस्यायें हैं उन सबको वह एक साथ पूरा नहीं कर सकती है, वह सबको एक साथ हल नहीं कर सकती है। अधिक से अधिक प्रायोरिटी (प्राथमिकता) उसे उन चीजों को देनी पड़ती है जिसकी आवश्यकता अधिक होती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं।

हमारे मुल्क में जिस तरह से जन-संख्या बढ़ती जा रही है और जिस तरह से मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है उसके लिये सरकार को योजना तैयार करनी चाहिये कि हर साल सरकार मकानों की वृद्धि करे। लेकिन इसके लिए साधन की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। महज हमारे कह देने से और बिना योजना को कार्यान्वित किये हुये और उसके साधनों को जुटाये हुये हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा उन साथियों से निवेदन यह है कि जहां तक आपकी यह राय है, जहां तक आपका यह निवेदन है कि मकान सरकार की तरफ से बनना चाहिये, मैं इससे इत्तिफाक करता हूं कि सरकार मकान बनाये, सरकार इसके लिए साधन जुटाये लेकिन इन साधनों को जुटाने के लिए हमें समय की आवश्यकता है और साधनों की भी आवश्यकता है। इसीलिए इन तमाम दिक्कतों को देखते हुये हमने यह किया कि, ऐसे व्यक्ति जिनके पास थोड़े बहुत साधन हैं, यदि वह खुद मकान बनायें और उनमें रहना चाहें तो यह कानून उनको मौका दे।

रही त्रुटियां रेंट कंट्रोल ऐक्ट के विषय में, उनके ऊपर मैं आज ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं कि एक कमेटी सरकार ने कंट्रोल्स के विषयों के ऊपर विचार

करने के लिए नियुक्त कर दी है। तमाम कंट्रोलों का मसला कि क्या क्या संशोधन कानून में होना चाहिये और क्या-क्या सुविधा जनता को मिलनी चाहिये, यह सब उस कमेटी के सामने है। कुछ महीनों में वह कमेटी अपनी सब सिफारिशें पेश करेगी और सरकार अवश्य उसकी सिफारिशों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कानून में यदि संशोधन की आवश्यकता होगी तो इस भवन के सामने संशोधन करने की सिफारिश करेगी। इसलिए मैं इन बातों के ऊपर अधिक कहना नहीं चाहता।

दो एक बातें हाउसिंग कमेटीज के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने कहीं। उन्होंने कहा कि इसमें यद्यपि काफी रुकावट डि० एस० ओज० के डिस्क्रीशन (स्वविवेक) पर लगा दी गयी है तब भी हाउसिंग कमेटीज के सामने जो कागजात जाते हैं वह प्रायरिटी के अनुसार नहीं जाते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हर जिले में रजिस्टर्स इस प्रकार से रक्खे जाते हैं कि जिस व्यक्ति की अर्जी पहले आवे वह पहले दर्ज की जाय। मुझे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसेज का मुआयना करने का मौका मिला है। हाउसिंग एलाटमेंट कमेटीज की जो सिफारिशें होती हैं, जो रजिस्टर्स इस सम्बन्ध में होते हैं, उसमें मैंने यह देखा है कि अर्जियां तारीख के अनुसार लिखी जाती हैं, परन्तु ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जगहें ऐसी हों, जैसा कि अभी मेरे एक साथी ने कहा, जहां ऐसा न हो रहा हो। मैं इस प्रकार का आदेश जिलाधीशों को भेज दूंगा कि जो अर्जियां आयें वह तारीख के अनुसार दर्ज की जायं। एक बात मैं और बतलाना चाहता हूं कि बड़े-बड़े शहरों में प्रायरिटी के अनुसार मकान एलाट करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। समय-समय पर सरकारी कर्मचारी बदल कर आते रहते हैं और कुछ जरूरतमन्द व्यक्ति भी आते रहते हैं, यदि उनको प्रायरिटी के अनुसार मकान एलाट किये जायं तो उसमें काफी समय लगेगा और इससे पब्लिक इंट्रेस्ट भी सफर कर सकता (जनहित की भी हानि हो सकती) है। ऐसे समय में हाउसिंग कमेटीज भी और जिलाधीश भी मजबूरन अर्जियों के क्रमानुसार फैसला नहीं कर सकते हैं बल्कि वह अपना डिस्क्रीशन इस्तेमाल करते हैं और उसके अनुसार फैसला करते हैं। बड़े शहरों में मकानों की बड़ी दिक्कत है। इसलिए बड़े शहरों में कम से कम सरकारी कर्मचारी, मिडिल क्लास के आदमी और ऐसे मजदूर, जो थोड़ा बहुत पैसा बचा करके अपना मकान बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, उनको सुविधा देने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। इसका तजुर्बा जैसा पांच या छः महीने में होगा उसके बाद वह कमेटी जो कंट्रोल्स के विषयों पर विचार कर रही है यदि कोई सिफारिश करेगी, तो जैसा मैंने कहा कि सरकार उसके ऊपर विचार करेगी। मैं और अधिक इस विषय पर नहीं कहना चाहता।

एक आध भाई ने हमारी नियत पर भी हमला किया। जब हम कंट्रोल किसी चीज से हटाते हैं तब भी हमारी नियत पर हमला और जब हम कंट्रोल रखने की बात करते हैं तब भी हमारी नियत पर हमला! खैर, मैं इस विषय पर क्या उत्तर दूं, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीजें जिस रूप में यहां रक्खी जाती हैं, कृपा करके उनको उसी तरह समझने की चेष्टा कीजिये, कोई हमारी मंशा किसी को तकलीफ देने की नहीं है, किसी को परेशान करने की नहीं है। जनता की सुविधा के लिए जो चीजें हमें उपस्थित करनी चाहिये वही चीजें हम उपस्थित करने की चेष्टा करते हैं। इन चन्द शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि भवन इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एंड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा धारायें

कुछ ऐसे प्रयोजनों के लिए जो इसके आगे चलकर प्रतीत होंगे यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ़ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ ई० में संशोधन करना आवश्यक है। अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। १—(१) इस अधिनियम का नाम १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ़ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

१९४७ ई० के यू० पी० ऐक्ट संख्या ३ में नई धारा १–ए का बढ़ाया जाना। २—यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा १ के बाद निम्नलिखित नयी धारा १-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"1-A. Nothing in this Act shall apply to any building or part of a building which was under erection or was constructed on or after 1st January, 1951."

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधेयक की धारायें १, २ प्रस्तावना सहित उसका अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ़ रेंट एंड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री ई० एम० फिलिप्स—श्रीमान्, डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं फर्स्ट रीडिंग पर बोलने वाला था, लेकिन चूंकि वक्त कम था, हमारी पार्टी से एक साहब बोल चुके थे तो मैंने यह सोचा कि मैं एक छोटी सी तक़रीर में अपने कुछ सुझाव जो कि इसके मुताल्लिक़ हैं थर्ड रीडिंग में पेश करूंगा। चुनांचे मैं सिर्फ इसलिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक ऐक्ट है उससे मुझे इत्तिफ़ाक है। उसके जो प्रिंसिपिल्स हैं उनसे मुझे इत्तिफ़ाक है और मैं उस रोज यह बता चुका हूं कि मैं इस डिकंट्रोल के मसले पर इत्तफ़ाक़ रखता हूं, खासकर इस वजह से कि चूंकि मुझे इनीशियल स्टेज पर जब सप्लाई थी तो आगरे का इन्तज़ाम मेरे हाथ में रहा था, और जो कठिनाइयां इस सिलसिले में होती थीं उनसे मैं बखूबी वाकिफ हूं। इसके मुताल्लिक़ मैं चन्द बातें मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जब मकानात बनेंगे तो लोहे की डिमांड बहुत होगी। लोहे की कैफियत तो यह है कि गुजिश्ता साल सन् ५० में फरवरी से दिसम्बर तक एक मकान के बनवाने के लिये मैंने खास तरीक़े से कोशिश की थी कि उसके लिये सिर्फ ४ टन लोहा मिल जाय। मैंने सेक्रेटेरियट के सब डिपार्टमेंट्स, मय आपके और आपसे नीचे तक सब जगह कोशिश की और कहीं से नहीं मिला। वह मैंने अपने लिये नहीं मांगा था। मैं एक साहब के लिये जो मार्च के महीने से रिटायर हो रहे हैं और जिनको दूसरे मकान में चले जाना चाहिये। वह पादरी हैं और उनको अपना मकान दूसरे के लिये खाली करना है जो नये पादरी होंगे जो मकान कि गिरजा के करीब है। तो उस सिलसिले में मैंने कोई दकीका बाकी नहीं रखा। जो अफसरान थे उनसे भी मैं मिला। जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर थे वह आगरे से यहां आये हुए थे और हम एक दूसरे के नेबर थे और जो पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे से मज़ाक़ हो सकता है वह था। मगर वह भी जो क़वायद की रू से जो पाबन्दियां हैं उनकी वजह से हेल्प न कर सके और उन्होंने बड़ी मुश्किल से आधा आधा हंडरवेट करके कुछ कमी को पूरा किया और कुछ माल उनके लिये छोड़ा। तो ऐसी कठिनाई जब मेरे लिये हो सकती है तो उसको आप मेहरबानी से देखें।

मैं भी उन आदमियों में से एक हूं जो मकान बनवाने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं कि अभी तक मैंने अपने लिए कोशिश नहीं की है कि मुझे ईंट और लोहा मिल जाय। मुमकिन है कि मुझे कोशिश करनी पड़े। तो आप की खिदमत में हाजिर हूंगा। में इसको आपके सामने पेश कर दूं ताकि आप इस कठिनाई को दूर कर सकें। वैसे उम्दा तो यह होता कि स्कीम गवर्नमेंट बनाती, तब यह बिल लाती। स्टूडेंट लाइफ से लेकर अब तक मैंने देखा है लखनऊ में कि जो स्कीम के जरिये से बना है, अमीनाबाद पार्क, अमीनुद्दौला पार्क, पुराने माडेल हाउसेज और नये माडेल हाउसेज जो अब बन रहे हैं, ये सब स्कीमों के मातहत हैं। अगर, इसी तरह से आप सूबे भर में एक स्कीम चलाएं और छोटे-छोटे माडेल हाउसेज बनवाएं, प्लाट्स दें, उनकी क़ीमत ले लें, या उनको अक्वायर करके या यह कह दें कि इतने प्लाट पर इन नमूनों में से किसी एक नमूने का मकान बनाएं ताकि खुशनुमाई हो जाय और यह नहीं है कि बड़ा रुपया उसमें लग जाय। आप बहुत सी किताबें इंजीनियरिंग की देख सकते हैं। आठ हजार से लेकर २५, ३० हजार तक हैं, उन्हें आप बना सकते हैं। मैं आप को यह सुझाव देता हूं। इससे आप न सिर्फ अपने सूबे में ज्यादा मकानात ही बनवा सकेंगे बल्कि एक खूबसूरती, और खुशनुमाई भी पैदा करेंगे।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि रेंट कंट्रोल ऐंड इविक्शन ऐक्ट में दो चीजें हैं जिन्हें मैं पेश करूंगा। रिपेयर्स के लिये अभी तक कोई भी प्राविजन नहीं है ताकि मालिक मकानों को जिन मकानों में किरायेदार रहते हैं उनको रिपेयर्स करवानी पड़े। उनको कम से कम उस हद तक जिस हद तक इनकम टैक्स से मुस्तस्ना हैं उन के ऊपर जरूर खर्च करना चाहिए। यह दुख है कि ऐसे लोग हैं जो रिपेयर्स के ऊपर इतना रुपया भी नहीं खर्च करते। मैं मालिक मकानों से हमदर्दी रखता हूं। मैं किसी मकान का मालिक नहीं हूं। अगर मैं हो गया तो मैं इसको सामने रखूंगा कि कम से कम इन्कम टैक्स की हदतक रिपेयर्स में जरूर खर्च कर दूं।

आखिरी बात मैं यह पेश करना चाहता हूं कि अगर यह एक उसूल याद रखा जाय, नये और अगर हो सके तो पुराने भी, नहीं तो नये मकानों के लिये जरूर गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए किस शख्स का कितना रुपया किस बिल्डिंग में लगा है और अब आइन्दा कितना किराया लेगा या ले रहा है। मेरे पास ऐसी मिसालें हैं जिन को मालूम है कि रेंट कंट्रोल ऐक्ट यकुम जनवरी से नई बिल्डिंग्ज पर नहीं लागू होगा। मैं भी बातें कर रहा था। एक साहब मुझसे कह रहे थे, इस हाउस के बाहर कि अगर फलां शख्स से मैं सिफारिश कर दूं तो उसका किराया सौ रुपया मांगता है उससे कम हो जाय। मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा। मैं डिकंट्रोल के माफिक हूं। मैं सिर्फ इस बात को देखूंगा कि किस तरीक़े से गुड सिटिजन की तरह से अपनी दूकानों का किराया फिक्स करते हैं। लेकिन यह दुख है कि लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि दो-दो, चार-चार, दस-दस हजार रुपया लगाकर जो दूकानें बनवाएंगे उनका पचास फ़ीसदी सूद होगा, उससे भी ज्यादा किराया [illegible]। हालांकि उम्दा बात यह होगी कि इस तरफ ध्यान दिया जाय। जब मैंने इसे वर्क आउट करके देखा तो यह समझा कि अगर उसकी मेहनत और मुसीबतों को देखा जाय तो अगर १५ फ़ीसदी तक वह किराया ले ले तो उसे ज्यादा नहीं समझना चाहिये। लेकिन बहुत ही कम केसेज ऐसे हैं जिन्होंने १५ फ़ीसदी पर काम किया हो। इसमें आपको दिक्क़त होगी, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो उनको ख्याल रहेगा और उनको एक धमकी भी हो सकती है कि अगर वह ख्याल नहीं रहेगा तो उनका नुक़सान हो सकता है। सब से आखिरी बात जो कहनी है वह यह है कि ब्लैकमार्केट के मुताल्लिक़ ख्याल रखना है। यह जरूरी है कि ब्लैक मार्केटिंग न हो। आगरे में आपको यह मालूम हो कि कम से कम तीन ईंटों के भट्ठे ऐसे हैं जिन को लोगों ने पहले से आर्डर्स दे दिये हैं कि इतनी ईंटें उठा लेंगे। इसी तरीक़े से कोयला हालांकि आजाद है, लेकिन उस पर भी ब्लैक चलने लगेगी। बस यही चीजें थीं जिन्हें मैं पेश करना चाहता था, वैसे तो मैं आपके इस ऐक्ट से इत्तिफाक़ करता हूं।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक लोहे के दिक्कत से मिलने की बात है उसके सम्बन्ध में मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि लोहे की हालत अभी अच्छी नहीं है यद्यपि लोहे की मात्रा १९४७-४८, १९४८-४९ और १९४९--५० ई० के मुक़ाबिले में बहुत बढ़ गई है। मैंने अभी बताया था कि १९४७-४८ में पब्लिक के लिये क़रीब १३,८३० ई० टन लोहा बंट सका था, अब ३२,८०० टन पब्लिक को बंटने के लिये मिल सकेगा और मिला है। इससे थोड़ा बहुत सुभीता इसको प्राप्त करने में हुआ है, परन्तु आज जितने लोहे की मांग है और जितनी जरूरत है उसके अनुपात में अभी वह नहीं मिल रहा है इसलिये लोहे की दिक़्क़त है, लेकिन जहां तक सीमेंट और ईंटों का संबंध है वह जितनी मात्रा में जो लोग मकान बनाने के लिये या मरम्मत कराने के लिये चाहें उन्हें मिल सकता है। तो फिलिप्स साहब को लोहे के संबंध में जो दिक्कत हुई है वह मैं मानता हूं, परन्तु धीरे-धीरे उसके लिये भी सूरत बदलती जाती है और आशा है कि आइंदा साल में लोहा प्रचुरमात्रा में मिल सकेगा। जो उनके और सुझाव हैं उनके लिये तो मैंने पहले भी कहा था कि कंट्रोल कमेटी उनके लिये बैठी है और उन विषयों पर विचार कर रही है। जो बातें उन्होंने उपस्थित की है उनपर भी वह विचार कर लेगी। इसके बाद जो कुछ वह सिफ़ारिश करेगी उनके ऊपर फिर हम विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश टेम्पोरेरी कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९४७-४८ ई० के विनियोग लेखे और सन् १९४९ ई० की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर विवाद (क्रमागत)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९४७-४८ ई० के विनियोग लेखे और सन् १९४९ ई० की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित उत्तर प्रदेश पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह प्रस्ताव हो चुका है, मुझे सिर्फ इतना ही अर्ज करना है कि जैसा कि इस सदन का दस्तूर भी है इसमें वोट नहीं होता है बल्कि इस पर बहस होती है और उसके द्वारा सदन के सदस्यों का विचार जान लिया जाता है, क्योंकि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जो काम किया है वह ठीक किया है या नहीं या उसकी रिपोर्ट गलत है या सही है इस पर वोट लिये जाने का दस्तूर नहीं है। और मैं समझता हूं कि इससे सदन भी सहमत होगा कि यहां पर विचार का मतलब यही है कि सदन की जो राय है वह यहां पर बहस के द्वारा प्रकट हो।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं इस बहस के ऊपर लेकिन जो माननीय मंत्री ने कहा कि यह मेज पर रख दी गई है और इस पर कोई विचार न हो, मैं इससे सहमत नहीं हूं।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने यह नहीं कहा। मैंने तो इस बात को क्लीअर (स्पष्ट) किया है कि इस पर वोट नहीं होता बल्कि डिस्कशन होता है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--श्रीमन्, मैं इसको वापस लेता हूं। मैं भी यही समझता हूं कि इस पर वोट की कोई बात नहीं होती है। सिर्फ इसको भवन में रखा जाता है और यह बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर यह भवन में ठीक वक्त पर आये और भवन के सदस्य इस पर अपने विचार जाहिर करें तो यकीनन सरकार को बहुत लाभ हो सकता है। पहली बात मैं अर्ज कर दूं कि यह खर्चा जिसकी रिपोर्ट इस वक्त भवन में पेश है, ४७, ४८ का खर्चा है। इसकी आडिट रिपोर्ट ४९ में आई तो जाहिर है कि ४७, ४८ की रिपोर्ट ४९ में आवगी।

लेकिन यह मालूम नहीं होता है कि इसके बाद जो यह कमेटी बैठी तो २१, २९, ३० मार्च सन् १९५० ई० में बैठी यानी एक साल बैठी ही नहीं। यह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी जो निरीक्षण करने वाली है उसको इतनी तसाहुली नहीं बरतनी चाहिये और यह रिपोर्ट हमारे सामने जो है अगर्चे १९४९ ई० के अखीर में नहीं तो सन् १९५० ई० के बीच में किसी सेशन में जरूर आ जानी चाहिये थी क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है जो सुझाव या विचार पेश किये जाय। चार वर्ष के बाद गवर्नमेंट क्या लाभ उठा सकती है और इसलिये जैसा कि मैंने श्रीमन्, अर्ज किया था मैं ज्यादा वक्त क्या लूं, यह तो ४७, ४८ का खर्चा है। लेकिन दो-तीन बातें मैंने देखीं जिनके ऊपर मैं जानना चाहूंगा कि अब इस रिपोर्ट के बाद और इस विचार के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही आइन्दा के लिये की है।

पहली ग्रांट नम्बर १९, जो सफे ४ पर है, इसमें जिक्र है—

"Grant No. 19 Agriculture, page 17, para 14 of the Audit Report, page 133 of the Accounts—Agriculture (A) Department.

With a view to meet the shortage of vegetables in the locality, the State Government had in 1947 undertaken a scheme for the cultivation of potatoes in all the lands appertaining to the residences of certain officials in that locality. A sum of Rs. 4,613 was spent and there was an yield of 240 maunds of potatoes. In his audit report, the Accountant General had pointed out that the production cost (excluding the free use of land) came to about Rs. 19·2 per maund......... ..."

(कृषि आडिट रिपोर्ट का पृष्ठ २१, पैरा १४, लेखों का पृष्ठ १५०—कृषि (ए) विभाग—

किसी स्थान में शाक-भाजी की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से उस स्थान के कतिपय सरकारी कर्मचारियों के आवासगृहों (Residence) से मिली हुई समस्त भूमि में आलू की खेती के लिये राज्य सरकार ने १९४७ ई० में एक योजना आरम्भ की थी। ४,६१३ रु० की धनराशि व्यय की गई और २४० मन आलू पैदा हुआ। अपनी आडिट रिपोर्ट में एकाउण्टेण्ट जनरल ने यह बतलाया कि उत्पादन का व्यय (भूमि के निःशुल्क प्रयोग को छोड़कर लगभग) १९.२ रु० प्रति मन हुआ..................)

१९ रुपये २ आने मन के हिसाब से प्रोडक्शन पड़ा। उसके लिये तो खैर जो कुछ कहा गया ठीक है, लेकिन इसके आखिरी हिस्से को मैं पढ़ना चाहता हूं कि —

"It was also explained on behalf of the Agriculture Department that the crop was made over to the occupants of bungalows and no price was realised from them because it was not considered fair to ask them to pay for the potatoes as they paid garden rent,............"

(कृषि विभाग की ओर से यह भी स्पष्टीकरण दिया गया कि फसल बंगलों के रहने वालों को इसलिये दे दी गई और उनसे कोई कीमत इसलिये नहीं ली गई क्योंकि यह उचित नहीं समझा गया कि उनसे आलू के दाम मांगे जायं, क्योंकि उन्होंने बगीचों का लगान दिया था......)

यह ४,६१३ रुपया जो खर्चा किया गया है आलुओं के ऊपर जो सरकारी बंगलों में बोये गये थे और वह आलू उनको ही दे दिये गये और उनसे एक पैसा भी नहीं लिया गया है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी है। और जो मैंने पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी तो जैसा कि एक सवाल श्री खुशवक्त राय जी ने किया था, उसमें आपका एतराज एक यह है कि यह कीमत वसूल की जानी चाहिये। ए० जी० ने जवाब दिया, हां, की जानी चाहिये। लेकिन यह वसूल नहीं किया गया। इस वजह से वसूल नहीं किया गया कि ये लोग बंगले वाले हैं। उस गार्डन का रेंट (किराया) देते हैं। यह नहीं मालूम किस तरह की वह बिल्डिंग है। यह बात कुछ समझ में नहीं

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

आई। मैं जानना चाहूंगा क्या इसके बाद यह तरीका बदल गया है या अब भी चल रहा है कि रुपया सरकार खर्च करे और जो बंगले के रहने वाले हैं वे उसका फायदा उठायें। मैं यह समझता हूं कि यह अनुचित है। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की भी यही राय है कि यह अनुचित है, आइंदा से ऐसा न होना चाहिये। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिये यह पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब भी देखता हूं कि बंगलों में कुछ बुवाई हुई है। कहीं गेहूं और कहीं जौ बोया जाता है और इस किस्म की काश्त होती है आया इसकी जो एक्चुअल प्राइस (वास्तविक मूल्य) है वह ली जाती है, नहीं ली जाती है तो फिर क्या तरीका है। अगर्चे है तो यह बहुत ही नामुनासिब तरीका है। मैं समझता हूं कि ए० जी० के कहने पर कि ४६१३ रुपया वसूल किया जाय, उन बंगलों के रहने वालों को अपनी तरफ से रुपया दे देना चाहिए था, क्योंकि उसमें सब गवर्नमेंट आफिशियल्स और मिनिस्टर्स रहते हैं। इनमें मिनिस्टर्स के बंगले भी जरूर शामिल होंगे। मैं ठीक तो नहीं कह सकता क्योंकि इसमें तफसील नहीं दी हुई है कि कौन इसमें रहता है, मैं अपने अनुमान से कहता हूं कि ऐसा होगा इन हाई पेड आफिशियल्स (अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी) से जिनके वेतन के दर से किराया लिया जाता है उनको इस तरह की सुविधा देना कि वे सब आलू खुद खा जायें, यह नामुनासिब चीज है।

(इस समय २ बज कर ५० मिनट पर उपाध्यक्ष के चले जाने पर अस्थायी सभापति समिति की सदस्या, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी पीठासीन हुई।)

ग्रान्ट नम्बर ४३ की तरफ मैं मेम्बरान की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। उसमें यह है--

"Grant No. 43—Provincial Schemes of State Trading, Consolidated Profit and Loss Accounts of the Grain Supply Scheme for the year 1947-48, page 339 of the Appropriation Accounts.

The Consolidated Profit and Loss Accounts of the Grain Supply Scheme of the Government of Uttar Pradesh for the year 1947-48, appended to the Appropriation Accounts, indicated a total loss of Rs. 1,75,98,358 during the year. It was explained on behalf of the Food and Civil Supplies Department that the total loss of Rs. 1,75,98,358 was the result of the following factors:

	Rs.
(i) Interest on Capital	15,07,258
(ii) Loss due to dryage, cleaning, weevilling and transit, etc.	47,93,425
(iii) Loss due to subsidized sales	1,12,97,675".

(राज्य व्यापार की प्रान्तीय योजनायें--१९४७-४८ ई० के लिये प्रान्तीय सरकार की अन्न सप्लाई की योजना का एकीकृत लाभ तथा हानि का लेखे विनियोग लेखे का पृष्ठ ४२४।

९--१९४७-४८ ई० के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की अन्न सप्लाई की योजना का एकीकृत लाभ तथा हानि के लेखों से जो विनियोग लेखों के साथ नत्थी है, यह पता चला कि वर्ष के अन्तर्गत १,७५,९८,३५८ रु० की कुल हानि हुई थी। खाद्य और रसद विभाग की ओर से यह बताया गया कि १,७५,९८,३५८ रु० की कुल हानि निम्नलिखित कारणों से हुई थी--

		रु०
(१) पूंजी पर व्याज	..	१५,०७,२५८
(२) सूख जाने, साफ किये जाने, कीड़ा लग जाने और एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जाने आदि के कारण हानि ..	..	४७,९३,४२५
(३) ऐसी बिक्री के कारण हानि जिसके लिये राज सहायता दी जाती है	...	१,१२,९७,६७५)

इसी तरीके से १,७५,९८,३५८ रुपये का नुकसान हुआ। जहां तक कि १५ लाख रुपये का सवाल है वहां तो कुछ कहना नहीं है। वह तो इंट्रेस्ट का कैपिटल था। लेकिन इसमें जो बड़े बड़े आइटम्स हैं, एक ४७,९३,४२५ का। इसके बारे में जो मैंने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को देखा और पढ़ा तो उससे मालूम हुआ कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का जो एतराज है वह यह है कि उतना अधिक खर्च नहीं होना चाहिए था। सूख जाने, साफ किये जाने और कीड़ा लग जाने में, और यह जो सब्सीडाइज्ड हेड के बारे में अगर हम देखें तो इसमें सब से बड़ा आइटम्स खांड-सारी शुगर का है। इसमें जो सब्सीडी (राजकीय सहायता) गवर्नमेंट ने दी है उसके बारे में कमेटी ने आब्जेक्शन रेज किया है। एक गवर्नमेंट आर्डर भी है, अगर उसको पढ़ कर सुनाऊं तो काफी वक्त लगेगा। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने भी इस पर काफी एतराज किया है। यह इतनी बड़ी रकम है कि उसको आसानी से फरोगुजाश्त नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिये। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि इस पर २६-२७ करोड़ रुपया खर्च हुआ उसमें भी अगर पौने दो करोड़ रुपये का परसेंटेज लगाया गया तो क्या आयेगा लेकिन यह कोई रेशियो प्रोपोर्शन का तरीका नहीं है और यह कह देना काफी नहीं है कि गोडाउन्स ऐसे नहीं बने थे कि खांडसारी के लिये इतने की सब्सीडी दी गई, स्मूल्स के खर्चे का टेलीग्राफ दे दिया गया कि अगर ३० मील से ज्यादा पर होगा तो दे दिया जायगा, इससे तमाम खर्चा हुआ। मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की जब यह हालत है, जब उसकी हालत इतनी खराब है तो उसमें इतने बड़े आईटम की बड़ी भारी हैसियत है क्यों कि अगर १५ लाख रुपया निकाल भी दिया जाय तो १ करोड़ ७ लाख रुपया रहता है। मेरा ख्याल है कि अगर काफी निगरानी की जाती, सही तरीके से सुपरवीजन होता तो २५-३० लाख रुपया तो बचाया ही जा सकता था। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि काफी रुपया बचाया जा सकता था। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आइन्दा सालों में क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसको देख कर हमें यह मालूम हो सके कि सन् ४७-४८, ४८-४९ और ४९-५० ई० में इस नुकसान में कोई कमी हुई या नहीं। एक आइटम पर आपकी इजाजत से मैं माननीय मंत्री की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं वह सफा ३ पर है--

"Police sub-head: B—District Executive Force—(F) Home Guards, page 96 of the Appropriation Accounts."

(पुलिस उपशीर्षक (ख)--जिला कार्यकारी दल--(च)--होमगार्ड--विनियोग लेखों का पृष्ठ १०९।)

इसमें ३,७५,४७४ रुपये होमगार्ड्स के लिये प्रोवाइड किये गये थे, लेकिन वे पी० आर० डी० पर खर्च कर दिये गये। इस पर एकाउन्टेंट जनरल ने भी एतराज किया ह कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिये। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने भी इस तरीके के एकाउन्ट्स के लिये एतराज किया है। मैंने जल्दी के कारण सिर्फ तीन एकाउन्ट्स का एक तो वह लिया जिनमें एकाउन्टिंग की बड़ी भारी गल्तियां हैं, एक वह चीज ली जिसमें

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

वेस्टेज है, और तीसरी चीज आलुओं का मामला लिया। इसके अलावा भी उसमें बहुत सी बातें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जह देनी चाहिये। अगर्चे यह चीज पहले आ जाती तो उस पर पूरी तौर से विचार कर लिया जाता जिससे भवन के सदस्य उसको अच्छी तरह से देख सकते और जो कुछ उसमें गलतियां हैं उन पर गवर्नमेंट की तवज्जह दिला सकते तो इस तरह से गवर्नमेंट में काफी सुधार की गुंजायश होती। मैं चाहता हूं कि यह रिपोर्ट आइन्दा से काफी पहले आया करे और इसके ऊपर काफी तौर से विचार भी किया जाया करे।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीया देवि, मैं इस बात से, जो श्री गोपाल नारायण जी सक्सेना ने कही सहमत हूं कि यह बहुत आवश्यक चीज है कि इस सदन के माननीय सदस्य इस रिपोर्ट को देखा करें और उस पर गौर करें। वरना होता यह है कि बजट बनाते वक्त तो माननीय सदस्यों को पता होता है कि किस--किस बात के लिये रुपया उन्होंने मंजूर किया मगर उसके बाद उस रुपये को गवर्नमेंट कैसे खर्च करती है, कहां--कहां खर्च करती है इसका पता नहीं होता। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के मेम्बरों के सामने वह रिपोर्ट रखी जाती है लेकिन वे शायद इसको काफी ध्यान से देखते भी नहीं। मैं तो इसको बहुत पसन्द करूंगा कि यह रिपोर्ट देखी जाय। जो बात यहां कही जाती है उससे गवर्नमेंट को जरूर मदद मिलती है इसमें कोई संदेह नहीं है। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सदस्य जो बातें कहते हैं उससे गवर्नमेंट को मदद मिलती है और इस सदन में भी सदस्य जो कुछ कहते हैं उससे भी मदद मिलती है। यह बात बिलकुल दुरुस्त है कि रिपोर्ट बहुत देर में आती है, कई वर्ष के बाद रिपोर्ट आती है और एक तो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने जो काम होता है उसका पोस्टमार्टम करना होता है। अगर किसी मुर्दे का पोस्टमार्टम कई वर्ष के बाद हो तो फिर उससे फायदा ही क्या होगा? यह बात बिलकुल दुरुस्त है। लेकिन हमारे पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के बहुत से सदस्य आज मौजूद हैं और चेयरमैन साहब भी सामने बैठे हुए हैं वे सब इन बातों को जानते हैं कि हम इसमें मजबूर हैं। होना यह चाहिए था कि आडिटर जेनरल और एकाउन्टेन्ट जेनरल के यहां से कागजात बहुत जल्द आ जायं। मगर देहली से कागजात आने में बहुत देर हो जाया करती है। और इसे उन्होंने स्वीकार भी किया है कि यहां कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जिससे हमारे दफ्तर से वक्त पर रिपोर्ट नहीं पहुंच पाती है। वहां से जब रिपोर्ट आती है हम जल्द से जल्द उसकी कार्यवाही को सदन के सामने रखने की कोशिश करते हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहां जितनी जल्दी रिपोर्ट मिलेगी हम उसे जल्द से जल्द सदन के सामने रखने की कोशिश करेंगे। यहां पर दो तीन बातों की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान दिलाया गया है, मसलन होमगार्ड के बारे में कहा गया है कि उसके लिये जो रुपया रखा गया था उसे वहां से हटा कर उतना रुपया प्रान्तीय रक्षा दल पर खर्च कर दिया गया जो कि न होना चाहिये था। यह चीज गलत है और इसकी तरफ पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है और हम इसको मानते हैं कि ऐसा न होना चाहिए।

दूसरा जो आइटम था वह सबसिडीज फूड का मामला है कि वेस्टेज में बहुत रकम खर्च हुई। लेकिन मैं समझता हूं कि वह रकम कुल का दो परसेंट से कम है। और आमतौर से माननीय सदस्य जानते हैं कि बिजनेस फर्म में इन मामलात में दो परसेंट का खर्च जायज माना जाता है। हम बराबर कोशिश करते हैं कि इसमें जहां तक हो सके कमी हो सके। बहरहाल, इस किस्म की दूकानदारी का अनुभव न तो गवर्नमेंट को रहा है और न हमारे आफिसरों को रहा है। इसलिये शुरू में जरूर कुछ ज्यादा खर्च हुआ होगा। और हम समझते हैं कि पहले से इस बात में खर्चा कम हो रहा है। लेकिन जो साउन्ड बिजनेस वाले हैं वे इस बात को मानते हैं कि यह फर्क

कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मजबूरी है कि मेरे पास कोई फीगर्स (आंकड़े) नहीं हैं, नहीं तो मैं आपको बतलाता कि पिछले वर्ष के मुकाबिले में यह खर्च कतई कम है। लेकिन जो पिछले साल का तजुर्बा है उससे मालूम हुआ है कि इस मद में कम खर्च है।

जहां तक आलू पैदा करने की बात है तो आलू किसी बंगले में सरकारी खर्चे से नहीं पैदा किया जाता है। अगर किसी बंगले में आलू पैदा होता है तो उसके बीज वगैरह का जो कुछ खर्चा होता है वह जहां तक मुझे इस वक्त तक याद है, बंगले का मालिक खुद ही देता है। लेकिन एक सवाल जो बेजेज (मजदूरी) का पैदा होता है वह सवाल गवर्नमेंट के सामने है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इस मामले का फैसला हो जायगा कि उसका खर्चा कौन बरदाश्त करे। पूरा का पूरा काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाय या जो बंगले में रहते हैं उनसे खर्चा लिया जाय, यानी खर्च का बटवारा कैसे किया जाय। मैं समझता हूं कि इस मामले में १५ दिन या एक महीना में फैसला हो जायगा। इसके अलावा और जिन मामलात की तरफ ध्यान दिलाया गया है उस तरफ मैं जरूर ध्यान दूंगा और जो सुझाव पेश किये गये हैं उनको गवर्नमेंट जरूर ध्यान में रखने की कोशिश करेगी।

नगर पालिकाओं के निर्वाचन के संबंध में माननीय स्वशासन मंत्री के वक्तव्य पर विवाद

अस्थायी सभापति—अब नगर पालिकाओं के निर्वाचन के संबंध में दिनांक २ जनवरी, सन् १९५१ ई० को विधान सभा में माननीय स्वशासन मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विवाद होगा। मैं समझती हूं इसमें समय की लिमिट रखने की तो आवश्यकता नहीं होगी।

श्री ई० एम० फिलिप्स—इसमें यह दो मदें हैं अगर कुछ समय मुकर्रर कर दिया जाय तो अच्छा है।

अस्थायी सभापति—यह दो आइटम नहीं एक ही है। कोई समय निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री त्रिलोकी सिंह—सभानेत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि माननीय स्वायत्त मंत्री ने जो बयान म्युनिसिपैलिटीज के चुनावों को मुल्तवी करने के संबंध में २ जनवरी को दिया था उस पर वाद-विवाद करने की आज्ञा प्रदान की। आप देखें कि सरकार ने म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव जो दिसम्बर, सन् १९४८ ई० को वाजिब थे उनको पहले पांच महीने के लिये मुल्तवी किया यानी बजाय दिसम्बर, सन् १९४८ ई० के यह आज्ञा जारी की कि यह चुनाव मई, सन् १९४९ ई० में होंगे। मई, सन् १९४९ ई० में दूसरी आज्ञा जारी की कि यह चुनाव दिसम्बर, सन् १९४९ ई० में होंगे। दो मर्तबा एलेक्शन को मुल्तवी किया गया। दिसम्बर सन् १९४९ ई० में यह आज्ञा जारी की कि यह अक्तूबर, सन् १९५० ई० में होंगे। तीसरी बार मुल्तवी किया गया। अक्तूबर, सन् १९५० ई० में यह आज्ञा जारी की कि यह चुनाव दिसम्बर, सन् १९५० ई० में होंगे और दिसम्बर सन् १९५० ई० को आखिरी दिन यह आज्ञा जारी की कि एक साल बाद दिसम्बर, सन् १९५१ ई० में यह चुनाव होंगे। ५ एक्सटेंशन्स म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव के सिलसिले में पिछले दो साल के अन्दर इस सरकार से जारी किये और यह सरकार म्युनिसिपैलिटीज के साथ कैसा व्यवहार करती है और क्यों यह चुनाव कराना नहीं चाहती है मुझे जानकर यह दुख हुआ। दफा १३ म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट की मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं—

[श्री त्रिलोकी सिंह]

"Where a vacancy occurs on a board by reason of the death, resignation, removal or avoidance of the election of an elected member and the term of office of that member would, in the ordinary course of events, have determined within six months of the occurrence of the vacancy, the board may direct that the vacancy be left unfilled until the next ordinary election."

(जब किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र हटाये जाने या चुनाव न होने देने के कारण से बोर्ड में कोई स्थान रिक्त हो और उस सदस्य के पदाधिकार का काल साधारण अवस्था में स्थान रिक्त होने के छः मास के अन्दर समाप्त हो जाता, तो बोर्ड यह आदेश दे सकता है कि अगले साधारण चुनाव तक वह स्थान रिक्त ही रखा जाय।)

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)--प्वाइंट आफ आर्डर, सर, इस भवन में जो एलेक्शन एक साल के लिये मुल्तवी हुआ है उसके बारे में मैंने जो अपनी गवर्नमेंट की तरफ से घोषणा की उसके ऊपर विचार हो रहा है। किसी बाई-एलेक्शन के ऊपर विचार नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य बाई-एलेक्शन की दफा को पढ़ कर उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक प्वाइंट आफ आर्डर (वैधनिक प्रश्न) है।

अस्थायी सभापति--मुझे तो इनकी बहस सुन कर यह पता चलता है कि यह इसको आरगुमेंट तर्क के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री त्रिलोकी सिंह--माननीय मंत्री की घबराहट स्वाभाविक थी। वजह यह है कि म्युनिसिपैलिटी में जब कोई स्थान खाली हो तो उस को उपचुनाव कराने का अधिकार स्वयं है और अगर म्युनिसिपैलिटी की मियाद ६ महीने में खत्म होने वाली हो तो वह उसका चुनाव न करावें। ऐसा कानून में है लेकिन आप देखें कि २६ अप्रैल, सन् १९५० ई० को मंत्री जी ने यह हुक्म जारी कर दिया कि म्युनिसिपैलिटीज के कोई भी उपचुनाव न कराये जायं। किस कानून के अन्दर यह हुक्म जारी हुआ ? बिलकुल म्युनिसिपैलिटीज के ऐक्ट की स्पिरिट और लेटर के खिलाफ हुआ और म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अल्ट्रावायर्स (बाहर) है लेकिन फिर भी सरकार गैरकानूनी काम करती है। अधिकार के ऐसा काम जो किसी के व्यक्तिगत प्रश्न का नहीं, बल्कि लोकल अथारिटी के हित का सवाल है और यह सरकार उस पर भी कुठाराघात करने में कोई पसोपेश या हिचक नहीं करती और शायद इसीलिये माननीय मंत्री जी घबराये थे चूंकि मैंने उन्हीं से पूछा था कि आप ने ऐसा हुक्म निकाला कैसे ? आपने सन् १९५० ई० में कोई ऐक्ट तो तरमीम नहीं कर दिया और सन् १९५० ई० में यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट तो तरमीम नहीं हो गया है ? लेकिन मुझे खेद है जब आप कोई हवाला मांगिये तो यही होता है कि यह गजट नहीं मिलता और वह गजट नहीं मिलता और कोई सिलसिला ही किसी चीज का नहीं है और इस वजह से बड़ी परेशानी होती है और डर रहता है कि कहीं कोई गलत बात न निकल जाय। तो ऐसा रुख इस सरकार का म्युनिसिपैलिटीज की तरफ से है।

मैं सभानेत्री जी, निवेदन करना चाहता हूं कि यह चुनाव सरकार क्यों करना नहीं चाहती है। आप बयान देते हैं कि मर्दुमशुमारी होने वाली है और हमारी आबादी में काफी फर्क हो गया है और कुछ लोग गांवों से शहरों में आ गये हैं, ६ जातियां ऐसी हैं जिनको संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अनुसार राष्ट्रपति ने परिगणित जातियों से निकाल दिया है और चार जातियां ऐसी हैं जिनको उनमें शामिल कर लिया है। इसलिये आपके

लिये चुनाव करना संभव नहीं है और उनको मुल्तवी कर दिया गया है, एक साल के लिये। सभानेत्री जी, आप गौर फरमायें कि एक साल के बाद क्या कभी यह चुनाव करावेंगे। यह सरकार हरगिज चुनाव नहीं करावेगी और इस पोस्टपोनमेंट (स्थगित करने) से जो लाखों रुपया म्युनिसिपैलिटीज का खर्च हुआ है वह बेकार जायगा। खाली कानपुर शहर में वोटरों की संख्या साढ़े तीन लाख है और वहां पर लिस्ट रिवाइज करने में जो खर्च हुआ है वह और आपकी जो १११ म्युनिसिपैलिटीज इस प्रदेश में है ५,४, या ७ म्युनिसिपैलिटीज सुपरसीडेड हैं और अगर ज्यादा हों तो माननीय मंत्री जी मुझे टोक कर सही कर दें यानी इनके अलावा बकिया म्युनिसिपैलिटीज में एलेक्टोरल रोल्स तैयार हुए हैं और जो उनके छपवाने में खर्च हुआ है वह सब कौन बरदाश्त करेगा। यह खर्च सरकार बरदाश्त करेगी या म्युनिसिपैलिटीज पर ही डाला जायगा? किस की भूल है और चुनाव न करने की किसकी जिम्मेदारी है? अगर १११ म्युनिसिपैलिटीज का यह रुपया जोड़ा जाय तो यह कुल २० या २५ लाख रुपया होगा। यह रुपया आप म्युनिसिपैलिटीज से जबरदस्ती खर्च करा रहे हैं या आप खुद इसको देंगे। आप एकानामी (बचत) कर रहे हैं खर्च में कमी कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो यह जो २०, २५ लाख रुपया आप वेस्ट (नष्ट) करा रहे हैं इसको क्या आप को कुछ परवाह नहीं है?

आप देखेंगे कि म्युनिसिपल ऐक्ट के अनुसार चुनाव दिसम्बर में होने चाहिये और दिसम्बर के चुनावों के लिये यह लाजिमी है कि एलेक्टोरल रोल्स ३ महीने पहले सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में प्रकाशित कर दिये जायं। अक्तूबर में दस दिन की मियाद से एतराजात मांगे जाते हैं, ३१ अक्तूबर को एलेक्टोरल रोल्स फाइनल कर दिये जाते हैं और उन एलेक्टोरल रोल्स पर दिसम्बर में आकर चुनाव कराये जाते हैं। आपका क्या टाइम टेबिल है? जो चुनाव दिसम्बर में वाजिब थे अगर आप उनको नहीं कराना चाहते थे तो उनको मुल्तवी करने का एलान आपने कब निकाला? ३० दिसम्बर को निकाला। आपको नवम्बर में निकाल देना चाहिये था कि इलेक्शन्स नहीं होंगे। इससे मालूम होता है कि कुछ दाल में काला था और नियत में फर्क। सभानेत्री जी, मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में अगर आप स्थानीय स्वायत्त शासन पर इस तरह से कुठाराघात करेंगे तो विश्वास रखिये आप प्रदेश में भी सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकेंगे। पहली सीढ़ी है और आप यह चाहते हैं कि देश के योग्य आदमी इस प्रदेश के रहने वाले लोक सेवा भाव रखने वाले आदमी आयें और इन जिम्मेदारियों को अपने हाथ में लें। कौन आयेगा आपके इस चक्कर में पड़ने? किसी को सुपरसीड कर दिया कायदे के खिलाफ, रवायात के खिलाफ नये हुक्म निकाल दिये, लाखों रुपये का नुकसान करा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में आज कौन सी म्युनिसिपैलिटी ऐसी है जिसका बजट सरप्लस में हो। हर म्युनिसिपैलिटी चिल्लाती है सरकार के पास दरख्वास्तें भेजती है कि उनके पास सड़कों की मरम्मत कराने के लिये रुपया नहीं है, उसके पास अस्पतालों में दवा देने के लिये रुपया नहीं है, नालियों को साफ कराने के लिये इतना पैसा नहीं है कि वह काफी मेहतर रख सके। पछांह के जिलों में, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद अगर आप चले जाइए तो वहां की नालियां इस कदर गन्दी हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। नालियों के साफ कराने का वहां रिवाज ही नहीं है। जिनके पास पैसे और खर्च की इतनी कमी हो उनको आप बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस और तीस-तीस हजार की चोट दे दें, यह कोई साधारण बात नहीं है।

आप यह भी गौर फरमायें कि यह सारे का सारा रुपया व्यर्थ गया क्योंकि दफा १४, म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अनुसार सरकार को यह अधिकार है कि वह एक क्वालिफाइंग डेट मुकर्रर करे जिस तारीख को अगर कोई आदमी २१ वर्ष का हो जाय तो वह म्युनिसिपैलिटी के इलेक्टोरल रोल में अपना नाम बहैसियत वोटर के दर्ज कराने का अधिकारी है।

[श्री त्रिलोकी सिंह]

आपने यह ऐलान किया कि पहली जनवरी, सन् १९५० ई० को जो आदमी ६ महीने पूर्व जिस क्षेत्र में रहता रहा हो उसका नाम इलेक्टोरल रोल में बहैसियत वोटर के दर्ज किया जायगा। पहली जनवरी, सन् १९५० की बिना पर आप के इलेक्टोरल रोल्स जो पहले तैयार हुए थे वे रिवाइज किये गये। अब आइन्दा आप जब कभी चुनाव करायेंगे तो उन इलेक्टोरल रोल्स की बिना पर चुनाव नहीं कराये जा सकते क्योंकि आपको यकीनन दूसरी तारीख मुकर्रर करनी पड़ेगी। यह आप हर्गिज नहीं कर सकते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स तो सन् ५० में तैयार करायें और चुनाव करायें सन् १९५३ में क्योंकि धारा १४, म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में यह है कि ६ महीने पहले इलेक्टोरल रोल रिवाइज किया जायगा और २१ वर्ष का जो हो गया हो वह वोटर हो सकता है। सभानेत्री जी, आप देखें कि किस प्रकार का बर्ताव सरकार म्युनिसिपैलटीज के साथ कर रही है। धारा २९-ए म्युनीसिपैलिटीज के अनुसार एक म्युनिसिपैलिटी का समय ४ वर्ष का होता है। आप कितने दिन का समय इसका बनाना चाहते हैं? बजाय ४ के दस वर्ष तक ले जाना चाहते हैं। आप यह कहते हैं कि सेंसस (जनगणना) रिपोर्ट आवेगी। मैंने भी ११, २१, ३१, ४१ और १८८१ की सेंसेस रिपोर्ट देखी हैं। सन् ५१ में सेंसेस होगी तो उसके काफी दिन बाद रिपोर्ट आया होगी। सेंसेस रिपोर्ट आने पर जातियों का औसत लगाया जायगा। उसके बाद एलोकेशन आफ सीट्स (स्थानों का बटवारा) किया जायगा। फिर कांस्टीटच्यूयेंसीज (निर्वाचन-क्षेत्र) बनेंगी और तब इलेक्टोरल रोल तैयार होकर चुनाव होगा। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बता सकेंगे कि कुछ उनके जहन में है कि चुनाव होगा कब तक? स्टेटमेंट्स देने से मामला चलनेवाला नहीं है। आपको निश्चित रूप से यह कहना चाहिये कि आपका इरादा इन चुनावों को कराने का अब नहीं है। कारण क्या है? इसमें आप जो चाहें सो लिख दीजिये। इसमें दो रायें भी हो सकती हैं। लोग समझेंगे कि इसके पीछे नीयत क्या है? मेरे इल्म में भी वह मिसालें हैं जहां नामीनेशन की डेट आई। गाजियाबाद म्युनिसिपैलिटी, मेरठ जिले में है। वहां नामीनेशन की डेट आई। कैंडीडेट्स नामीनेट (नाम निर्देशित) हो गये और इलेक्शन के दो दिन पहले चुनाव रोक दिये गये। क्यों मुल्तवी कर दिये गये? माननीय मंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्शन के दो दिन पहले वायरलेस जाता है उन्हें रोकने का। आजकल वायरलेस का बड़ा रिवाज हो गया है जिसके लिये टेलीग्राफ भी एतराज करने लगा है कि उनकी आमदनी घटती है, क्योंकि जरा-जरा सी चीजों के लिये वायरलेस का इस्तेमाल होने लगा है। साधारण बातों के लिये भी वायरलेस अब चलने लगे हैं।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--कहां के इलेक्शन?

श्री त्रिलोकी सिंह--गाजियाबाद म्युनिसिपैलिटी के आपने पोस्टपोन (स्थगित) कराये, वहां नामीनेशन भी हो गये थे। मैं तो यह चाहता हूँ कि माननीय मंत्री यह साफ कहें कि वह इस कारण से इलेक्शन नहीं कराना चाहते हैं। मेरी समझ में कोई और कारण नहीं है सिवाय इसके कि उनके दिल में वह भय है। जो बात म्युनिसिपैलिटी के ऊपर लागू है वही असेम्बली के ऊपर भी लागू है। एसेम्बली के बाई-इलेक्शन्स क्यों आप पुराने इलेक्टोरल रोल्स पर करा रहे हैं? आज मुसलमान और हिन्दू अलग अलग वोट दे रहे हैं। आप यह तो करा रहे हैं, लेकिन म्युनिसिपैलिटियों में आप इसकी झलक नहीं आने देते, इसकी छाया नहीं पड़ने देते। मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करूँगा कि आप इस देश के शासन नहीं चला सकते। आपका यह कर्तव्य है और आपकी यह जिम्मेदारी है, आपकी यह प्रिवीलेज (विशेषाधिकार) है, आपका यह गौरव होना चाहिये कि उन प्रथाओं को कायम करें जिनसे आइन्दा हम तरक्की के रास्ते पर चल सकेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि सन् १९४७ ई०

के १५ अगस्त से, जब से देश पूर्णरूप से स्वतन्त्र हो गया है, तब से इस प्रदेश की सरकार की मनोवृत्ति में कुछ तब्दीली वाकय हो गयी है और वह तब्दीली यह है कि उनका यह कहना है कि अब तो हम ही हैं। आबजेक्टिव कंडीशन्स बदल गयीं, विदेशी सरकार यहां से चली गयी, अब अपना ही इन्तजाम है देश का शासन तीन हिस्सों में विभाजित है--स्थानीय, प्रदेशीय और केन्द्रीय। जिसका जो काम है वही उसको करना चाहिये। यह कहना कि केन्द्र में भी चुने हुये आदमी हैं, प्रदेश में भी चुने हुये आदमी हैं, अगर स्थानीय बोर्ड्स का चुनाव नहीं कराया तो फर्क क्या होता है, प्रदेश में हमारे आदमी हैं, हम लोग चुने हुए हैं, हमको जनता का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यह दलील नहीं लागू होती और इसलिए नहीं लागू होती कि शासन के काम तीन हिस्सों में विभाजित हैं। एक हिस्से का दूसरे हिस्से से क्या सम्बन्ध है और क्या नियंत्रण है, वह कानून के अन्दर लिखा हुआ है और उस कानून के बाहर जाने का किसी को भी अधिकार नहीं है।

मैं आशा करता था कि माननीय मंत्री जी अपने बयान में कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिनसे तसल्ली हो, मुझे ही तसल्ली न हो बल्कि हर रास्ता चलते आदमी को तसल्ली हो और वह यह समझ सके कि वाकई सरकार के सामने ऐसी दुश्वारियां थीं, जिनकी वजह से चुनाव कराना उनके लिये मुमकिन नहीं है। सन् १९४९ ई० में आपने म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट को अमेंड किया और अमेंड करके उसमें आप अडल्ट सफरेज (वयस्क मताधिकार) ले आये, उसमें आप यह ले आये कि हर बालिग को वोट देने का अधिकार है। यों तो सभानेत्री जी साधारण तौर पर म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत यह था कि म्युनिसिपैलिटीज के मतदाताओं की क्वालिफिकेशन (योग्यता) असेम्बली से हायर (ऊंची) नहीं होगी। एलेक्शन्स के बारे में सरकार को यह भी अधिकार था कि वह अपने रूल्स बदल सकती है। आपने सन् १९४७ ई० में एक रूबकार जारी किया कि म्युनिसिपैलिटीज एक अडल्ट (वयस्क) रजिस्टर मेंटेन करें (रखें)। अगर आपने कोई बात अमेरीका की किसी किताब में पढ़ ली, बस खट से आपने एक रूबकार जारी कर दिया, अगर इंगलैण्ड की कोई बात आप ने किताब में पढ़ ली, बस फौरन एक रूबकार जारी कर दिया और एक प्रेस कानफ्रेंस कर दी, मालूम यह हुआ कि यूरोप में जिस तरह काम हो रहा है उसी ढंग से यहां भी काम हो रहा है, बम्बई मद्रास और दूसरे प्रान्त सब पिछड़ गये हैं, और करीब करीब अमेरिका के तौर पर यहां की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन आप देखें कि क्या एक भी ऐसी म्युनिसिपैलिटी है, मैं जानना चाहता हूँ और मुझे पूछने का हक है और इस आदरणीय सदन को भी यह जानने का हक है, कि कहां कहां अडल्ट रजिस्टर्स ठीक तौर से रक्खे गये हैं। आपके अहकामात की कौन पाबन्दी करता है? क्या इस तरह आप कोई चुनाव करा सकेंगे? आप यह फरमाते हैं कि एलेक्टोरल रोल्स में शिकायतें आयी हैं। बन्दा परवर, एलेक्टोरल रोल्स बनाता कौन है? आपके आदमी, जिला मैजिस्ट्रेट बहादुर, जिनकी आप भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, एलेक्टोरल रोल्स म्युनिसिपैलिटीज या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स नहीं बनाते हैं, एलेक्टोरल रोल्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स बनाते हैं। वही अधिकारी एलेक्टोरल रोल्स, सभानेत्री जी, बनाते हैं।

अस्थायी सभापति--माननीय सदस्य से एक बात मैं कहना चाहती हूँ। इसका ख्याल न करके कि कौन इस चेयर पर बैठा है, जैसा पहले चेयरमैन को ऐड्रेस किया जाता था, वैसे ही अगर ऐड्रेस किया जाय तो शायद ज्यादा सुविधा होगी। मेरे ख्याल में सभानेत्री कह के सम्बोधन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि और मुल्कों में भी है।

श्री त्रिलोकी सिंह--आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मेरी इस भूल को आप क्षमा करेंगी। मैं यह अर्ज कर रहा था कि एलेक्टोरल रोल्स बनाने की जिम्मेदारी

[श्री त्रिलोकी सिंह]

जिला मैजिस्ट्रेटों की है, म्युनिसिपैलिटीज की नहीं। और इन्हीं जिला मैजिस्ट्रेट्स की जिम्मेदारी है असेम्बली और पार्लियामेंट के एलेक्टोरल रोल्स बनाने की; वह भी यही बनाते हैं और आपकी निगरानी और आपके हुक्म पर वह बनाते हैं। क्या कारण है कि वह जिला मैजिस्ट्रेट्स जो असेम्बली और पार्लियामेंट के एलेक्टोरल रोल्स तो ठीक बना सकें पर म्युनिसिपैलिटीज के न बना सकें? आपने बयान में फरमाया कि ५४ म्युनिसिपैलिटीज में तो हमने असिस्टेंट सेक्रेटरी को भेजकर यह ठीक कराये, लेकिन बकिया म्युनिसिपैलिटीज में नहीं ठीक कर सके। कितने एलेक्टोरल रोल्स इस तरीके से ठीक होते हैं। लखनऊ से कोई अधिकारी गया और जाकर टांडे में बैठ गया, फिरोजाबाद में बैठ गया या बरेली शहर में बैठ गया और उसने कह दिया कि सब ठीक है। इस लीपापोती से काम नहीं चलता।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--आप मिस्कोट (अशुद्ध उल्लेख) कर रहे हैं। ठीक करा दिया, यह कहां है?

श्री त्रिलोकी सिंह--चेयरमैन साहिबा, माननीय मंत्री जी का यह ख्याल है कि मैं उन्हें मिस्कोट कर रहा हूँ। उनका बयान मेरे हाथ में है..

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--अगर आज्ञा हो तो मैं सुना दूं। ५४ म्युनिसिपैलिटियों के बारे में यह कहा गया है कि--

"In spite of the work done by Government in 54 municipalities, the people are challenging the correctness of the figures and are not satisfied with it."

(५४ म्युनिसिपैलिटियों में सरकार ने जो कार्य किया है उसके होते हुए भी लोगों को आंकड़ों की शुद्धि पर विश्वास नहीं, और वे इससे सन्तुष्ट नहीं हैं।)

श्री त्रिलोकी सिंह--मेरे पास हिन्दी का है, अंग्रेजी का नहीं है। गालिबन माननीय मंत्री ने हिन्दी ही में यहां फरमाया था। मैं पढ़ता हूँ। उसमें आप लिखते हैं कि हमने ५४ म्युनिसिपैलिटीज में फिर से एन्युमरेशन (गणना) कराया। आप यह भी फरमाते हैं कि इसकी जांच के लिये सरकार ने अपने यहां से असिस्टेंट सेक्रेटरी को करीब १५ और २० म्युनिसिपैलिटीज में भेजा, जो छोटे मोटे नुक्स उठाये गये वह ठीक कर दिये गये। एक दफा फिर जांच की गयी, फिर गलतियां आईं और जिला मैजिस्ट्रेट जो कि ....

श्री बेचनराम गुप्त--मुझे एक प्वाइंट आफ आर्डर (वैधानिक प्रश्न) रेज करना है। वह यह है कि श्रीमती जी ने अभी यह फरमाया कि हुजूर को चेयरमैन कह कर ऐड्रेस करें। लेकिन हिन्दी में क्या कहेंगे? क्योंकि हमारी सभा की भाषा हिन्दी है?

अस्थायी सभापति--जिस तरह आप हिन्दी में कहते हैं, मेरे ख्याल से वही बेहतर होगा।

श्री बेचनराम गुप्त--मैं तो सभापति कहता हूँ।

अस्थायी सभापति--आप चेयरमैन को ऐड्रेस करें, व्यक्ति को ऐड्रेस न करें।

श्री त्रिलोकी सिंह--तो आप यह देखें, माननीय मंत्री जी यह फरमाते हैं कि उन्होंने बेइन्तहा कोशिश इस बात की की कि एलेक्टोरल रोल्स ठीक बनें और आपने यहां तक की कि कुछ अधिकारियों को भी कुछ जगह भेजा और गलतियां ठीक कराईं। चेयरमैन साहिबा, मेरी तो यह इत्तिला है कि माननीय मंत्री ने [illegible]-अलग इस सिलसिले में हुक्म दिये जिससे इतनी नाकिस फेह-रिस्तें [illegible]र की गयीं। और आपने लापरवाही और बेतरतीबी सी की। जा बजा

आम तरीके से चुनाव होने के पहले एक तारीख मुकर्रर होती है उस तारीख पर फेहरिस्तें मुरत्तिब हो जाती हैं, दूसरी तारीख होती है एतराज की और फिर एलेक्टोरल रोल्स फाइनल हो जाते हैं। माननीय मंत्री फरमाते हैं कि बेइंतिहा जगहों से शिकायतें आई। अगर १११ म्युनिसिपैलिटीज में १५ म्युनिसिपैलिटीज से शिकायत आई होती, २० से शिकायत आई होती, २५ से आई होती तो समझ लिया जाता कि यह नुक्स कोई आम नुक्स नहीं है। आप फरमाते हैं कि सब जगह से शिकायतें आयीं। इसका राज क्या है? क्या आप इसी तरह से म्युनिसिपैलिटियों का चुनाव करवाएंगे? और क्या इतमीनान है कि अगर आपका सन् १९५२ ई० में चुनाव करवाने का इरादा भी हो तो फिर यह शिकायत आ जाय कि साहब एलेक्टोरल रोल्स ही नहीं तैयार हुए हैं? कब दुनिया में यह हुआ? आपकी सौ म्युनिसिपैलिटियों में से सौ में सौ की हालत खराब है। मैंने ५४ के लिये कहा था। लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं कि ५४ की भी नहीं ठीक है, एक की भी नहीं ठीक है। आप बतलाएं कि कितने की ठीक है।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--माननीय चेयरमैन, बात यह है कि सत्य के ऊपर तो रहना ही चाहिए। उन्होंने खुद पढ़ा कि १५ म्युनिसिपैलिटियों में भेजे गये और जिला मैजिस्ट्रेटों ने जो रिपोर्ट भेजी उन्होंने कहा कि ४७ में फिर से लिस्टें दुरुस्त करवाने की आवश्यकता है।

श्री त्रिलोकी सिंह--मैं अभी इसको भी साफ कर लूंगा कि ४७ जिले हैं या म्युनिसिपैलिटियां हैं। लेकिन आप यह तो देखिये कि माननीय मंत्री यह मानते हैं कि यह शिकायत आम थी। जब यह शिकायत आम थी तो आपने कभी इसकी जांच करवाने की कोशिश की कि क्यों यह एलेक्टोरल रोल्स ठीक से तैयार नहीं हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका भी कारण है और वह यह है कि आप के यहां से आये दिन अहकाम निकलते हैं। अल्हड़ों का मामला है। जैसे अल्हड़ के हाथ में कोई चीज लग जाय, जिधर पाया एक हाथ मार दिया। जहां दिसम्बर, ४८ में चुनाव लाजिमी थे, आपने मई, ४९ के लिये उसको मुल्तवी कर दिया। उसके बाद फिर आठ महीने के लिए मुल्तवी कर दिया। इस बीच में लोग दौड़े कि एलेक्टोरल रोल्स में ये नाम छूट गये हैं. इतने लोग और बालिग हो गये हैं, अब क्या हुक्म है? आपने कहा कि यह भी नाम लिख लिये जायं। फिर दो-चार आदमी आ गये और आपने हुक्म निकाल दिया कि अब तो कितने मर गये होंगे, फिर एलान कर दिया कि जून तक नाम लिखे जायंगे। उसके बाद दूसरा एलान कर दिया कि अब नौ महीने के लिये मुल्तवी हो गया चुनाव। आपका कर्तव्य है कि आप देखें और मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि आप इस चीज को एक खिलवाड़ न समझें। आप चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं तो न करवाइये, लेकिन जब चुनाव कराइये तो जो हुक्म दीजिये वह दृढ़तापूर्वक दीजिये। आपकी आज्ञाओं में मजबूती होनी चाहिये। सरकार आज्ञा देती है तो इसलिये नहीं देती कि उसको जब चाहें तब बदल दिया जाय। एक आदमी आया तो बदल दिया, दो-चार आदमी आये तो बदल दिया और आपके जिला मैजिस्ट्रेट भी इस तरफ उदासीन हैं क्योंकि आपके बयान में यह लिखा हुआ है कि म्युनिसिपैलिटियों ने उदासीनता दिखलायी। म्युनिसिपैलिटियों की जिम्मेदारी एलेक्टोरल रोल्स तैयार करने की नहीं है। यह जिम्मेदारी जिला मैजिस्ट्रेट की है। म्युनिसिपैलिटी तो सिर्फ टैक्स पेयर (देने वालों) की लिस्ट भेज देती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी म्युनिसिपैलिटी ने टैक्स नादिहन्दगान की फेहरिस्त मुरत्तिब करके बिलकुल ठीक उनके पास नहीं भेजी? आप म्युनिसिपैलिटीज की निन्दा कर देते हैं। इस आदरणीय सदन में बिला इस बात

[श्री त्रिलोकी सिंह]

का लिहाज किये हुये कि म्युनिसिपैलिटीज भी चुनी हुई संस्थायें हैं, म्युनिसिपैलिटीज में भी कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं और उनकी कानून के अन्दर हस्ती और हैसियत होती है। उसके ऊपर आप इस तरह से आक्षेप करें यह कदापि मुनासिब नहीं है और खास कर जब कि एलेक्टोरल रोल्स को ठीक करने की जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटीज की नहीं है और मैं चाहता हूँ कि यह जो खर्च पड़ा है वह म्युनिसिपैलिटीज पर न पड़ कर सरकार स्वयं उसको बरदाश्त करे क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज ने यह गलती नहीं की है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या किसी म्युनिसिपैलिटी ने आप से दरख्वास्त की कि चुनाव एक साल के लिये बढ़ा दिया जाय ? हालांकि कहा जा सकता है कि म्युनिसिपैलिटीज के मेम्बर चाहते हैं कि जितने अर्से तक चुनाव न हो उतना ही अच्छा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी म्युनिसिपैलिटी ने रिजोल्यूशन के जरिये से सरकार से दरख्वास्त की कि चुनाव बढ़ा दिये जायं। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो यह सारी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार उस रुपये को अदा करे। म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर वह भार नहीं पड़ना चाहिये क्योंकि आइंदा जब चुनाव आप करायेंगे तब यह एलेक्टोरल रोल्स बिलकुल बेकार होंगे क्योंकि ये एलेक्टोरल रोल्स आपने सन् १९४८ ई० में तैयार कराये थे और उसके बाद उसको रिवाइज करवाया गया। मैं जानना चाहूँगा और मैं तारीखें बतला सकता हूँ जब आपने उसके लिये आर्डर्स जारी किये कि एलेक्टोरल रोल्स तैयार किये जायं। मैं यह आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री इस मामले पर खास तौर से विचार करेंगे और म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव कराने के काम को एक साधारण खिलवाड़ न समझेंगे। मैं चाहता हूँ कि म्युनिसिपैलिटीज के अधिकारों पर इस प्रकार का कुठाराघात न हो। आप निश्चयपूर्वक, दृढ़तापूर्वक यह कहें कि कब आप इस चुनाव को कराना चाहते हैं ? मुझे मालूम है कि म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अन्दर एक साल से ज्यादा के लिये आप मियाद मौजूदा बोर्ड्स की नहीं बढ़ा सकते। लेकिन कानून को रहने दीजिये, आप दो साल के लिये बढ़ा दीजिये, तीन साल के लिये बढ़ा दीजिये कि इस वक्त तक चुनाव नहीं होंगे, इसलिये कि साधारणतः आपने जब दिसम्बर, सन् १९५१ ई० की मियाद दी तो आम आदमी के दिल में यह उम्मीद पैदा हो गई कि सितम्बर में एलेक्टोरल रोल्स तैयार होंगे और दिसम्बर में चुनाव हो जायेगा और अगर फिर आप दिसम्बर में उसको न करायें और आगे बढ़ायें तो आपको हिम्मत के साथ कहना चाहिये कि कितने दिन के लिये आपका बढ़ाने का इरादा है। उसमें कानूनी अड़चन जो है कि एक साल से ज्यादा के लिये नहीं हो सकता तो एक साल का अभी आप कर दें और जब एक साल खत्म होने लगेगा तो आप दूसरा नोटीफिकेशन (अधिसूचना) उसी सिलसिले में कर देंगे।

मैं यह आशा करता हूँ और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपका मश्कूर हूँ कि आपने इस बात का मौका दिया कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने जो बयान इस आदरणीय सदन में दिया उसके ऊपर वाद-विवाद कर सकें। मुझे इतना ही निवेदन करना है कि आपका यह बयान बिलकुल नाकाफी है किसी के दिल और दिमाग को तसल्ली और तस्कीन देने के लिये। दिल में तो तस्कीन इसलिये नहीं हो सकती है कि म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव क्यों नहीं कराये जा रहे हैं और दिमाग इस बात को बरदाश्त नहीं करता है कि कैसी और क्या मसलहत है। आपने सेन्सस की दलील दी लेकिन वह कुछ लागू नहीं होती है। इसके माने हैं कि म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव तीन वर्ष के लिये और टल जायं। मैं निवेदन करूँगा कि चेयरमैन साहबा, बावजूद इसके कि सरकार ने एक साल के लिये म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव स्थगित कर दिये हैं, लेकिन उनके किसी

रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है। वह नोटीफिकेशन कैंसिल (रद्द) करें, उसको माडीफाई (रूप भेद) करें, उसको वेरी (बदलना) करें, उसको रेसिन्ड (हटाना) करें और उसको इंलार्ज (बढ़ावें) करें क्योंकि माननीय मंत्री समझते हैं कि उनको दुनिया भर के अख्तियारात हासिल हैं और इतना तो हासिल है ही कि वह इसको कैंसिल करके यह चुनाव अप्रैल और मई में करवा दें। उनके ऐसा करने से जनता का विश्वास उनको प्राप्त होगा और स्वायत्त शासन के हितों की रक्षा होगी।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--सभानेत्री जी, यह स्वायत्त शासन के विषय पर कई रोज से वाद-विवाद चल रहा है और विरोधी दल की यह मांग बार-बार इस बात की रही है कि चुनाव शीघ्रातिशीध्र कराये जायं। भवन में या बाहर प्रजातन्त्र प्रणाली को मानने वाले इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं कि चुनाव समय पर अवश्यमेव होने चाहिये, किन्तु जिन परिस्थितियों के अनुकूल और जिन परिस्थितियों के कारण हमारी सरकार इसको करने में असमर्थ हो रही है वह स्पष्ट रूप से कई रोज से बार-बार इस भवन में दोहराये जा रहे हैं। परन्तु इसका कोई कारण हमारी समझ में नहीं आया कि विरोधी दल की तरफ से यह हठधर्मी क्यों की जा रही है।

एक सदस्य--गलत है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--गलत या सही होने का अपने-अपने दिलों से अन्दाजा लगाना तो अच्छी बात नहीं है और वह तो यथार्थ रूप में समझने के लिये जिन बातों की आवश्यकता होती है, वह व्यावहारिक कौन सी हैं, जिनका इस सिद्धान्त से संबंध है उससे कोई इंकार नहीं करता, लेकिन व्यावहारिक रूप में जो पत्र विरोधी दल के नेता ने पढ़ा और जिसकी सफाई माननीय स्वशासन मंत्री ने दी उसमें जिन कारणों को दिया गया है उनसे मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि चुनाव यदि गलत लिस्ट पर होते हैं या उसमें बालिग मताधिकार पर नहीं होते हैं या हमारी महिलाओं का इस चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा जिस संख्या में कि उनको होना चाहिये तो मैं समझता हूँ कि ऐसी दशा में इन चुनावों का करना एक व्यर्थ-सी बात होगी। हम तो इस बात को चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हों मगर प्रश्न यह है कि लिस्ट और एलेक्टोरोल्स इस समय के अन्दर तैयार हो सकते हैं या नहीं। अगर विरोधी दल के सदस्यों के हृदयों में यह विचार आते हों कि गवर्नमेंट जान-बूझ कर रोल्स को समय के अन्दर तैयार नहीं कराना चाहती है तब तो दूसरी बात है, या उनकी भावनायें किसी तरह से दूषित हैं, इस पर परसों वाद-विवाद के समय विरोधी दल वालों ने यह कहा कि हमारे दिल के अन्दर आपके प्रति कोई ऐसी दूषित भावना नहीं है। अगर ऐसी भावना होती कि जान-बूझ कर सरकार की तरफ से विलम्ब किया जा रहा है तब तो उसका उत्तर दिया जाता, परन्तु वे स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार की ओर से विलम्ब नहीं हो रहा है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ क्या हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि वर्तमान जो निर्वाचकों की सूची है उसी के आधार पर चुनाव करा दिये जायं। यदि वे हाँ कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि स्त्रियां जो वोटर्स नहीं बनी हैं उस संख्या में जिस संख्या में होना चाहिये, उन्हें अवश्यमेव इसमें विरोध होगा और ऐसी म्युनिसिपैलिटियां बन जायं जिनमें औरतों को वोट देने का अधिकार न हो। फिर हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों का भी प्रश्न सामने है। दूसरी बात जब कि नवम्बर में जनरल एलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो यह किस प्रकार संभव हो सकता है कि मार्च या अप्रैल में इतनी जल्दी ये चुनाव हो सकें।

कल उधर से कहा गया कि हमारे मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि हमने पंचायतों के एलेक्शंस जितनी जल्द हो सका कराया, उस

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

पर आप लोगों ने आपत्ति प्रकट की और कुछ लोगों ने यह कहा कि वही महानुभाव इस वक्त म्युनिसिपैलिटीज के एलेक्शंस को नहीं होने देना चाहते हैं। किस आधार पर यह बात कही गयी। मुझे मालूम है कि पिछली दफा नवम्बर तक इस चुनाव को करने के लिये कहा गया था और हम लोगों ने पार्टी में भी इस बात पर मत प्रकट किया कि ऐसा होना चाहिये। उस वक्त यह विचार हुआ, मगर जनरल एलेक्शंस इस मार्च और अप्रैल में, जैसा कि पहले हमारी सरकार का विचार था, उस सूरत में उनका होना हम लोगों ने संभव नहीं समझा लेकिन हम लोगों का यह कहना था कि नवम्बर-दिसम्बर में हों तो इसको नवम्बर में कराया जाय। आपको शायद स्मरण होगा कि हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक एलान दिल्ली में किया था कि हम चाहते हैं कि मार्च और अप्रैल में यह चुनाव जरूर हो जाने चाहिये। तो कम से कम यह बात सब लोगों के दिलों में और हमारी सरकार के दिल में थी, पक्की तौर पर कि ये चुनाव अप्रैल के महीने में होने जा रहे हैं। ऐसी सूरत में हमें इन चुनावों को टालना पड़ा, यह व्यावहारिक ही था। अब जब कि एकाएक हमारे प्रेसीडेंट महोदय ने भाषण दिया कि आम चुनाव बजाय अप्रैल के नवम्बर में होंगे, लिहाजा जैसी तैयारी थी उसके हिसाब से इन चुनावों को भी टालना पड़ा। यह व्यावहारिक बात थी। न बिल के अन्दर खराबी है, न हम चाहते हैं कि निर्वाचक वोट न दे सकें और जैसी कि म्युनिसिपैलिटीज बनाना चाहिये वे न बन सकें, ऐसी बात नहीं है। किसी चीज को बार-बार दोहराना, उसके ऊपर इतना जोर देना कि तीन-चार दिन तक तमाम म्युनिसिपैलिटीज और स्वायत्त शासन के ऊपर ही वाद-विवाद होता रहे मुझे और कोई बात नहीं जंचती सिवा इसके कि यह हठधर्मी की बात है।

हम यह जानते हैं कि किसी चीज को कहने के लिये इस भवन के सम्मुख जब तक कि एक आन्तरिक प्रेरणा इस बात की नहीं होती कि उसको कहना ही उचित है तब तक नहीं कहते। मैं समझता हूं कि मैं इस बात को विवश होकर ही कह रहा हूं क्योंकि इस व्यावहारिक बात को भवन के सम्मुख रखना है क्योंकि इस चुप्पी के मानी यह लगाये जा रहे हैं कि यह पार्टी इसका समर्थन करना नहीं चाहती। जहां तक सिद्धान्त का ताल्लुक है माननीय स्वशासन मंत्री ने उसको मान लिया और केवल वही नहीं बल्कि सुपरसेशन इत्यादि बातों को भी उन्होंने माना और इन बातों को हमारी पार्टी का हर एक सदस्य सिद्धान्तः मानता है। मगर हम व्यवहारवाद को अधिक मानने वाले हैं। केवल इस तरह से, केवल विरोध की भावना से विरोध करने से और प्रजातंत्र के नाम से चिल्लाने से प्रजातंत्र नहीं हो जाता, लेकिन हमें तो यह भी देखना है कि इस प्रदेश में यह व्यावहारिक रूप किस प्रकार से लाया जा सकता है। जहां तक सिद्धान्तों का ताल्लुक है सिद्धान्त तो वह हो सकते हैं लेकिन आदर्श रूप में, लेकिन उन पर क्रियात्मक रूप से हम किस तरीके से कदम उठा सकते हैं, यह अपनी शक्ति पर ही निर्भर नहीं करता है बल्कि उसके साथ-साथ स्थिति को भी देखना पड़ता है। मशीनरी तो वही पुरानी है चाहे उस पर शासन करने वाले दूसरे ही क्यों न हों और इस बात को आप स्वयं मानते हैं कि जिस मशीनरी से हम काम कर रहे हैं वह पुरानी है। उस पर आप कहेंगे कि आप अच्छी तरह से काम लेना नहीं जानते। लेकिन मैं कहूंगा कि रिफार्म्स (सुधार) और रिवोल्यूशन (क्रान्ति) में यही अंतर होता है। मैं यह कहूंगा कि सोशलिस्ट भी जो रिवोल्यूशन को नहीं मानते हैं और रिफार्म्स में विश्वास करते हैं और सुधारवाद के अनुकूल चलना चाहते हैं, वे भी इतनी जल्दी काम नहीं कर सकते हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जब आप किसी चीज पर विचार करें तो व्यवहारवाद से भी काम लें और व्यावहारिक रूप में देखें कि किसी सिद्धान्त को कार्यरूप में परिणत करने में कितने समय की आवश्यकता होगी। मैं ढिलाई को पसंद नहीं करता हूं और हमारी पार्टी भी इस बात को नहीं चाहती। भले ही आप

कुछ कहें क्योंकि आपको कहने का हक है, क्योंकि आप इधर बैठते हैं, इसलिये आप जो चाहें कह सकते हैं लेकिन यह बात जरूर है और आप भी कहते हैं कि हमारी पार्टी ने भी बहुत सी बातों का समर्थन नहीं किया है फिर दूसरी बार उसी मुंह से आप कहते हैं कि हम डंब (बेजबान) भेड़ों की भांति चुप बैठे हुये हैं। आपकी किस बात पर विश्वास किया जाय? आप एक ही बार में दो बातें कह देते हैं। जहां तक सिद्धान्तों का ताल्लुक है हम सरकार को सही मार्ग पर लाने के लिये जो भी मार्ग हमें ग्रहण करना पड़ता है, करते हैं, लेकिन हम व्यावहारिक पहलू को भी देखकर चलते हैं। और केवल तभी बोलते हैं जब कि हमें कुछ कहना ही होता है। मैं भी इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था मगर केवल दो कारणों से मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि आपके दिल में यह गलतफहमी थी कि हमारी पार्टी के लोगों ने इस बात का समर्थन नहीं किया। यह बात नहीं है लेकिन बात यह है कि हम समझते हैं कि इस चीज में सरकार ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। अब उसमें जो त्रुटि दिखाई पड़ती है वह चाहे किसी वजह से हो लेकिन पार्टी यह समझती है कि व्यावहारिक रूप में एलेक्शन करना जनहित में नहीं है और उसके विरुद्ध है और मैं इस चीज में सरकार की हां में हां मिला सकता हूं। हां हम यह जरूर चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता जरूर निकल आये जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। और इसके लिये अगर हमारे सरकारी पुरजे इसको कुछ अच्छे तरीके से जल्द से जल्द कर सकें तो उसका हम स्वागत करेंगे। अन्यथा मुझे तो यह साफ मालूम होता है कि वर्तमान काल के अन्दर मार्च-अप्रैल तक वे सही तरीके से कोई लिस्ट तैयार करके नहीं दे सकेंगे।

दूसरी बात यह है कि चुनाव बरसात में तो हो ही नहीं सकता है। तो जहां तक नवम्बर का प्रश्न है उस वक्त हमारे सामने जनरल एलेक्शन है। इसलिये ऐसी सूरत में व्यावहारिक दृष्टि से कोई भी इस बात को नहीं सोचता है कि यह अगले वर्ष से पहले हो सकता है। अगर इससे पहले हो सकता है तो बड़ी खुशी की बात है। परन्तु जो कंडीशन (स्थिति) मुझे देखने का अवसर मिला, उससे मैं समझता हूं कि पहले जितना ढीलमढील रही हो या दूसरी बातें रही हों लेकिन इस वर्तमान समय में जब इस तरह से वाद-विवाद खड़ा किया जाता है और इस हठधर्मी से काम लिया जाता है तो वह मुझे मुनासिब नहीं मालूम होता है। एक बात कह कर मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और वह यह है कि आप लोगों के दिलों में यह भावना जगह कर चुकी है और इस प्रकार की बातें आपको रुचिकर नहीं मालूम होती हैं। जब कोई सही बात में भी सरकार का समर्थन करता है तो आपको यह बात खटकती-सी है। हम समझते हैं कि जब आप यथार्थ और उचित बात करते हैं तो हमारे दिल में वह बात अंकित होती है लेकिन हमारी तरफ से उचित बात भी कही जाती है तो वह आपके हृदय में नहीं जमती। आप ईमानदारी से कहें कि क्या मौजूदा परिस्थिति में आप यह सम्भव समझते हैं कि यह हो सकता है?

एक सदस्य--कभी नहीं होगा।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैं ऐसा निराशावादी तो हूं नहीं, मैं तो इस बात में विश्वास करता हूं और आशावादी हूं कि यह भविष्य में अवश्य होगा। अतएव मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इधर या उधर बैठने से आपके या हमारे हृदय में तो कोई फर्क नहीं आया और न बुद्धि में ही कोई फर्क हुआ। अतएव मैं समझता हूं कि आपमें निराशा-वादी होने का कोई कारण तो नहीं उपस्थित हुआ। इसलिये मैं यह जानता हूं कि कुछ समय पहले आपका उनके ऊपर अधिक विश्वास था और आप उनके विश्वासपात्र थे। और अगर इस समय किसी वजह से आप उनके साथ नहीं हैं तो यहां पार्टी सम्बन्धी कोई सवाल नहीं है। यहां तो मतदाताओं के प्रतिनिधियों का प्रश्न है और उनके प्रतिनिधि होने की हैसियत से हम यह उचित समझते हैं कि ऐसे प्रश्न के आधार पर इस वक्त चुनाव कराना कतई गवर्नमेंट के लिये उचित न होगा और आप बुराई ही समझें तो उस बुराई में एक और बुराई जोड़ना कतई उचित न

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

होगा। अतएव मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने जिस पोजीशन को आपके सम्मुख रखा है वह बिलकुल सही रखा है और मेरा खयाल है कि वह इस तरह से आपके सम्मुख व्यावहारिक चीज रख सकेगी।

श्री ऐजाज रसूल--जनाब चेयरमैन साहबा, इसमें तो कोई इख्तिलाफ राय नहीं हो सकती कि एलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिये। हुजूरवाला, मुझे भी म्युनिसिपैलिटी और लोकल बाडीज में दिलचस्पी है। और यह देखना चाहिये कि आया गवर्नमेन्ट को एलेक्शन कराने में दिक्कतें थीं या नहीं थीं। मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टैंडिंग कमेटी का मेम्बर रहा हूं। जहां तक मुझे ख्याल है पहले एलेक्शन जो मुल्तवी कराया गया था उसकी वजह यह थी कि गवर्नमेंट एडल्ट फ्रैंचाइज (वयस्क मताधिकार) बिल लाने वाली थी और यह तमाम जनता और पब्लिक का ख्याल था कि एलेक्शन जो हो वह एडल्ट फ्रैंचाइज पर हो। और जब वह बिल पास हो गया तो बिल पास हो जाने की वजह से जहां तक मेरा ख्याल है कि एलेक्शन्स मुल्तवी कर दिये गये थे। अब बिल पास होने के बाद एडेल्ट फ्रैंचाइज के रजिस्टर को तैयार करने में दिक्कत गवर्नमेंट को पड़ी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि म्युनिसिपैलिटी के ऊपर इन फेहरिस्तों के तैयार करने की जिम्मेदारी है वह ख्याल मेरी समझ से गलत है। क्योंकि आप म्युनिसिपल रूल्स में यह कायदा देखेंगे कि इसकी जितनी जिम्मेदारी है वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर सौंपी गई है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को म्युनिसिपैलिटी हेल्प (सहायता) करती है। अगर उसने स्टाफ मांगा या रुपया मांगा तो उनको वह देती है। इसलिये जो जिम्मेदारी फेहरिस्त वगैरह के तैयार करने की है वह गवर्नमेंट के ऊपर है। म्युनिसिपल बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिये मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब यह मालूम हुआ कि मिनिस्टर साहब ने ऐसा कहा। उनको अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटस से दरियाफ्त करना चाहिये कि उन्होंने क्यों नहीं दिलचस्पी ली और इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि मैं त्रिलोकी सिंह साहब की राय से इत्तिफाक करता हूं कि यह जो एलेक्शन पोस्टपोन (स्थगित) होते गये हैं उनसे म्युनिसिपल बोर्ड्स का बहुत खर्चा हुआ है और उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है। आजकल म्युनिसिपैलिटीज की माली हालत बहुत खराब है। पे (वेतन) कमेटी के मुताबिक सब लोगों की तनख्वाह हो गई है और कई बार आपने इन एलेक्शन्स का एक्सटैन्शन (बढ़ाया) किया है तो नतीजा यह हो गया है कि म्युनिसिपल बोर्ड कोई भी नया टैक्स लगाने के लिये तैयार नहीं है। इस वास्ते हालत खराब हो रही है। इस वास्ते मैं भी यह चाहता हूं कि जितना इसमें म्युनिसिपल बोर्ड का खर्चा हुआ है उसको सरकार वापस करे ताकि उनकी माली हालत में और दुश्वारी पैदा न हो। आप म्युनिसिपल रूल्स का भी मुलाहिजा फरमायें। जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा कि एलेक्शन सन् ५१ के दिसम्बर में होंगे। तो जो बालिग होता है जब वह बालिग हो जाय उसके ६ महीने के बाद वह वोटर हो सकता है। नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि लिस्ट पुरानी . . .

(इस समय ४ बजकर ६ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

हो जायगी और सब काम अजसरेनौ करना पड़ेगा। और उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। जो लिस्ट तैयार करने में म्युनिसिपल बोर्ड का खर्चा हो गया है और जो आगे होगा उस सब खर्चे की जिम्मेदरी गवर्नमेंट के ऊपर है और उसको वह सब खर्चा देना चाहिये।

अब हुजूरवाला, यह बात और कहना है कि बहुत से नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया हैं, जिनको गवर्नमेंट ने सुपरसीड कर लिया है। उनका इन्तजाम डाइरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे रखा है। वहां पर कोई पब्लिक ओपीनियन (मत) नहीं है। तो वहां पर

नानआफिशियल (असरकारी) कमेटी बना दी जाय ताकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) ठीक तरह से चल सके वरना नतीजा क्या होगा ? उसका नतीजा यह होगा कि जितनी अब तक म्युनिसिपैलिटीज थीं या नोटिफाइड एरियाज या टाउन एरियाज थे, जो म्युनिसिपल बोर्ड में टर्न (बदलना) हो जायंगे, वहां जो एडमिनिस्ट्रेटर है बहुत सी जगह तहसीलदार हैं, कानूनगो हैं वहां इन्तजाम कुछ नहीं होगा। उनको अपने काम से ही फुरसत नहीं मिलती है। वहां जो बख्शी होता है वही सब काम करता है। वहां पर पब्लिक बहुत हैरान हैं और परेशान है। लिहाजा गवर्नमेंट को इस मसले पर बहुत जल्द गौर करना चाहिये, बहुत सी जगह गवर्नमेंट ने इस किस्म की कमेटियां बनाई हैं और अब चूंकि एलेक्शन ज्यादा दिन यानी एक साल के लिये मुल्तवी हो चुके हैं लिहाजा जल्द से जल्द कमेटियां बन जानी चाहियें। इसी सूरत से हुजूरवाला, आगरा म्युनिसिपैलिटी सन् ४२ में सुपरसीड हुई और फिर उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुआ और वहां उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी और वह सिर्फ एक ग्रुप या एक पार्टी की ही बनाई गई थी और उसमें गवर्नमेंट ने हर नुक्ते खयाल के लोग नहीं रखे और उसका नतीजा यह हुआ कि कि आगरा के लोग उस कमेटी पर भरोसा नहीं करते। इसलिये आप को यह देखना चाहिये कि अगर कहीं भी इस तरह की कमेटियां बनें तो उन में हर नुक्तेखयाल के लोग रखे जायं ताकि वह अपना काम ठीक कर सकें और उनमें वहां के लोगों का भरोसा रहे। मुझे ज्यादा और कहना नहीं है लेकिन यह जरूर है कि गवर्नमेंट ने एलेक्शन्स में देर की है और जैसा कि कहा गया कि गवर्नमेंट जनरल एलेक्शन्स की वजह से चुनाव नहीं करा सकी लेकिन हम यह उम्मीद करते हैं कि आइन्दा गवर्नमेंट और एक्सटेंशन न करेगी। जो इस वक्त लोग बोर्डों में हैं उन को भी अब कोई दिलचस्पी बोर्डों में बाकी नहीं रही है चूंकि वह समझते हैं कि हमारी तो लाइफ (समय) अब खत्म ही हो रही है और वह लोग इसी वजह से पब्लिक पर कोई नये टैक्स वगैरा लाने के लिये तैयार नहीं हैं और पे कमेटी की वजह से म्युनिसिपल फाइनेंस की हालत बहुत खराब हो गई है। बस, मुझे इतना ही कहना था और मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट अब आइन्दा म्युनिसि पैलिटीज के टर्म को नहीं बढ़ावेगी।

श्री ज़रीमुर्ज़ा खां--जनाब वाला, मुझ को जो कुछ मेरे लायक दोस्त त्रिलोकी सिंह साहब ने कहा है उस से बड़ी हदतक इत्तिफाक है। यह मसला उसूल का भी है यानी यहां आपने जो कानून बनाया था उसमें यह साफ तौर पर था कि ४ साल के बाद बोर्ड के नये इंतखाब हुआ करेंगे और वोटर्स ने जो वोट दिये थे वह भी सिर्फ ४ साल ही के लिये दिये थे और उसके बाद उनको फिर हक हासिल था कि वह उन पुराने बोर्डों को हटा दें, लेकिन आप बार-बार तौसीय पर तौसीय दिये चले जाते हैं। जम्हूरियत का हक होता है कि वह वक्त मुकर्ररा पर जब चाहें अपने नुमाइन्दों को तब्दील कर दें। आप उन की ४ साल की जिन्दगी में ३ साल की तौसीय कर चुके हैं और न मालूम अभी आप कितनी तौसीय और देंगे। एक जम्हूरी हुकूमत का यह फर्ज है कि वह पब्लिक को अपने हक के इस्तेमाल करने का मौका दे कि वह अपने उन नुमाइन्दों को, जिनको उस ने बोर्डों में भेजा था और जिन को अगर अब वह किसी वजह से पसन्द नहीं करती, तो वह अपनी राय से फिर उनको तब्दील कर सके। इसके मानी यह होते हैं कि जिन नुमाइन्दों को ४ साल के लिये ही वोट किया गया था उनको हुकूमत अपने अख्तियार से उन के सिर पर कायम रखना चाहती है और रक्खे जा रही है और तौसीय पर तौसीय देती चली जाती है, पहले एक साल की, फिर दो साल की और फिर तीन साल की। इसमें उज्र यह पेश किया जाता है कि फेहरिस्तें नहीं बन सकी हैं। फेहरिस्तें तो हर मर्तबा तैयार होंगी और अगर फेहरिस्तें नहीं बनीं तो यह काम भी हुकूमत का ही था कि उस ने उनको तैयार नहीं कराया और यह कहना कि कुछ ऐसे आदमी भी हो गये ह कि जो पहले हक रायदिहन्दगी नहीं रखते थे लिहाजा फेहरिस्तें नामुकम्मिल हैं और उन को भी शामिल होना चाहिये। मैं समझता हूं

[श्री करीमुर्रजा खां]

कि यह मसला तो ऐसा है कि जब भी फेहरिस्तें बनेंगी यह एतराज होगा। बराबर ऐसे आदमी होंगे, जो २१ साल के होते जायंगे और एक वक्त ऐसा हो सकता है कि उन का नाम भी फेहरिस्त में न होगा। तो यह चीज कि आप तौसीय देते चले जा रहे हैं बराबर और इस वक्त तक यह मसला साफ नहीं हुआ है कि यह तौसीय भी आखिरी तौसीय है, मैं तो यह समझता हूं कि यह इलेक्टोरेट के हक को एक बड़े बुरे तरीके पर रोकना है और हकतलफी करना है कि उनको जो हक हासिल था कि चार साल के बाद उन नुमाइन्दों को बदल दें वह उनसे छीन लिया जाय। वाकया खयाल यह होता है कि चूंकि ये हल्के छोटे-छोटे हैं और जो आदमी काम करने वाले आ सकते हैं वे किसी पार्टी के जरूर होंगे इस वास्ते आप यह चाहते हैं कि इलेक्शन्स को कुछ दिनों के लिये मुल्तवी कर दें, वरना आपको यह खतरा है और कम से कम हम यह समझते हैं कि इस खतरे का मौका है कि आपके जनरल इलेक्शन्स पर इसका असर पड़े। इसलिये आप यह चाहते हैं कि पहले जनरल इलेक्शन्स हो जायं और तीन साल तक किसी सूरत से आप इसको टालते चले आये हैं। इस वक्त मैं यह अर्ज करूंगा कि आज भी कतई तौर पर हमको यह मालूम हो जाना चाहिये कि सन् १९५२ ई० में इलेक्शन्स होंगे और होंगे तो किस महीने में होंगे ? इसलिये कि कई मर्तबा, जैसा कि अभी मेरे लायक दोस्त श्री त्रिलोकी सिंह ने कहा कि इस हुकूमत ने एलान किया, महीना मुकर्रर किया कि इस महीने में इलेक्शन्स होंगे और ऐन वक्त पर वे इलेक्शन्स मुल्तवी कर दिये गये तो हमको यह बात मालूम होनी चाहिये।

हमारे नवाब साहब ने अभी फरमाया कि साहब, जो सर्फा इन फेहरिस्तों के तैयार कराने में हुआ वह म्युनिसिपल बोर्ड पर न पड़ना चाहिये बल्कि हुकूमत पर। मैं समझता हूं कि जहां तक हमारा ताल्लुक है, एक ही बात है। हुकूमत सर्फा देगी तो हमारे पैसे से और म्युनिसिपल बोर्ड सर्फा देगी तो भी हमारे ही पैसे से देगी। हकीकत तो यह थी कि इस सूरत से काम होता कि उन फेहरिस्तों के बनाने में पैसा जाया ही न होता। बहरहाल, यह म्युनिसिपल बोर्ड और हुकूमत के दरमियान की बात है। लेकिन मैं जो हुकूमत से अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जो हक एलेक्टोरेट को हासिल है कि वह अपने नुमाइन्दे अपनी मरजी से आपके बनाये हुये कानून के मातहत हर चार साल के बाद तब्दील करे, इस हक से हुकूमत अपने हुक्म से एलेक्टोरेट को महरूम करे यह बिलकुल गलत बात है और डेमोक्रेसी के खिलाफ है और इसकी जिस कदर भी बुराई की जाय वह बजा है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि हुकूमत हमारे इस पहले हक से जो हमको हासिल है हमको महरूम न करे और आज वह साफ कह दे कि वह कब म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन्स करायेगी और फिर इस तरह का कोई सवाल पैदा न हो।

श्री कमलापति तिवारी--स्पीकर महोदय, माननीय मंत्री जी के जिस वक्तव्य पर यहां विवाद चल रहा है उसके सम्बन्ध में एक-दो बातें कहने के लिये आपकी आज्ञा से मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे विरोधी पक्ष के नेता, श्री त्रिलोकी सिंह जी से पूरी सहानुभूति है और मैं यह समझता हूं कि उन्होंने जो बहुत सी आपत्तियां इस सम्बन्ध में की हैं वे उचित हैं, जिनके ऊपर इस सभा को और हम सबको विचार करना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि हमरी म्युनिसिपैलिटीज का पिछला इलेक्शन नवम्बर, सन् १९४४ ई० में हुआ और उसका समय चार वर्ष यदि मान लिया जाय तो सन् १९४८ ई० के अक्तूबर में समाप्त होगा। उसके बाद दो वर्ष बीत गये और तीसरा वर्ष चल रहा है। मैं यह भी मानता हूं कि हमारे लिये यह कोई बड़े गर्व की बात नहीं है कि हमने दो वर्ष तक म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन अपने प्रदेश में कराने में सफलता प्राप्त न की। कुछ वर्ष बराबर यह इलेक्शन किसी कारण से टलते रहे। यह बात भी सही है कि स्वायत्त शासन की जो संस्थायें हैं उनका चुनाव समय से हो जाना अपेक्षित होता है। इससे जनभाव व्यक्त हो जाता है और नये प्रतिनिधियों के आ जाने से नयी व्यवस्था चलती है। यदि दो वर्ष

पहले या कुछ दिन बाद यह चुनाव हो गये होते तो बड़ी अच्छी बात हुई होती, परन्तु अनेक कारणों से वे चुनाव नहीं हो सके। हमारे भाई विरोधी पक्ष के नेता श्री त्रिलोकी सिंह भी इस बात को जानते हैं कि बहुत से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से हमारे ये चुनाव नहीं हो सके। आप यह भी जानते हैं कि पिछले ४–५ साल हमारे राष्ट्रीय जीवन के इतिहास में एक उथल–पुथल का समय रहा है। एक नये युग का आरम्भ हुआ और बहुत सी नयी व्यवस्थायें आपने कीं और आपको करनी पड़ीं। आप यह भी जानते हैं कि इन ४–५ वर्षों में हमारे और आपके सामने बहुत सी दिक्कतें भी आईं। यदि वैधानिक दृष्टि से विचार करें तो आपने एक विधान भी बनाया। उसमें वोटर्स के सम्बन्ध में भी नयी–नयी व्यवस्थायें रखीं। वोट देने के सम्बन्ध में नयी व्यवस्था की। आपने संयुक्त निर्वाचन की प्रणाली आरम्भ की, और भी अनेक काम किये और परिगणित जातियों के सम्बन्ध में कुछ उनके अधिकार रखे। आपने निश्चित किया कि म्युनिसिपैलिटीज़ का चुनाव बालिग मताधिकार पर हो, आपने यह भी तय किया कि उनका चुनाव संयुक्त निर्वाचन के आधार पर हो। इन सब चीजों में समय लगता है, क्योंकि नयी व्यवस्था आपको करनी होती है। यदि आप समय से पहले चुनाव करते तो उन चीजों को नहीं ला सकते थे। इनको ले आने के लिये आपने उन चुनावों को टाला। उन्होंने माननीय मंत्री के वक्तव्य का हवाला दिया। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने उस वक्तव्य को देखा और मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वह इसे एक बार फिर ध्यान से पढ़ें। मैं तो यह समझता हूं कि यदि केवल विरोध की भावना लेकर ही विरोध करने की बात हो तो दूसरी बात है। अन्यथा दो कारण इसमें चुनाव टालने के दिये गये हैं। मेरी दृष्टि में ऐसा आता है कि पिछले दो वर्षों में जिन कारणों से चुनाव टले वे उचित, सुदृढ़ और प्रौढ़ थे अथवा नहीं थे, परन्तु जो कारण इसमें दिये गये हैं वह तो प्रौढ़ और बुद्धिसम्मत मालूम होते हैं। मेरी समझ में यह आता है और मैं सच्चाई के साथ कहता हूं इसलिये नहीं कि मेरे पक्ष के माननीय मंत्री की ओर से वह वक्तव्य दिया गया है इसलिये मैं उसका समर्थन करूं, परन्तु कुछ ऐसा भी लगता है कि इन कारणों को देखते हुये तो इस चुनाव का टालना उचित ही था। इस सम्बन्ध में बार बार एक और बात दोहराई जाती है। विरोधी पक्ष के नेता ने भी वही तर्क दिया है और हमारे और मित्रों ने भी वही दिया है और कहा है कि डेमोक्रेसी पर बड़ा भारी कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन की संस्थाओं के अधिकारों को आप छीन रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस वक्तव्य में जो कारण दिये गये हैं वे डेमोक्रेसी के ख्याल से दिये गये हैं और उससे डेमोक्रेसी की रक्षा होती है या उसका गला घोंटा जा रहा है। यह कहा गया कि म्युनिसिपैलिटियों के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया। म्युनिसिपैटीज बनती हैं वोटरों पर और डेमोक्रेसी का सबसे अधिक मूलआधार वोटर होते हैं, वोट का अधिाकर होता है।

यदि हमने चुनाव टाला है तो आप इसमें देखें कि तीनों कारण जो दिये गये हैं उनके इसरा वोटरों के अधिकारों की रक्षा की गयी है। यदि आज हम चुनाव कराते तो चुनाव का परिणाम यह होता है कि उसी पुरानी मतदाताओं की सूची पर चुनाव कराते जो मतदाताओं की सूची आज एक प्रकार से नगण्य और निरर्थक हो गयी है। नये विधान के अनुार और नये विधान के द्वारा दिये हुये अधिकारों के द्वारा आज उससे कहीं अधिक संख्या में हमारे यहां मताधिकार प्राप्त हुआ है। यदि प्रत्येक मताभिलाषी को मताधिकार का अधिकार देना आवश्यक है और यदि यही लोकतंत्र की रक्षा के लिये सब से प्रत्यक्ष उपाय है तो मैं समझता हूं कि यदि आज हम चुनाव कराते तो लोकतंत्र के अधिकारों पर और मतदाताओं के अधिकारों पर कुठाराघात होता। उसे टाल करके हमने उसके अधिकारों की रक्षा की है। इस चीज को यह कहना कि यह लोकतंत्र पर कुठाराघात है मैं समझता हूं कि बहुत बुद्धिसम्मत नहीं प्रतीत होता। विरोध की दृष्टि से आप कहें तो एक सही बात हो सकती है।

[श्री कमलापति तिवारी]

आप देखें कि इसमें एक कारण में यह कहा गया है कि जो रिपोर्टें आयी हैं जिलों से उनमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने यह कहा है कि ४७ म्युनिसिपैलिटीज में सप्लीमेंटरी लिस्ट बनाने की आवश्यकता है। बहुत से मताधिकारी बहुत से वोटर जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है, जिन्होंने नये विधान के अनुसार मताधिकार प्राप्त किये हैं उनकी संख्या इस प्रकार छूट गयी है कि सारी की सारी लिस्टें अधूरी हैं और उन्हें मुकम्मिल करने के लिये बड़ा समय चाहिये।

फिर दूसरा कारण यह बताया गया है इसमें कि जो अब सेंसस (जन-गणना) होने वाला है सन् १९५१ ई० का और जो महीने भर में शुरू होने वाला है और जिसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को अप्रैल के अन्त तक या मई तक प्राप्त हो जायगी, उसमें मतदाताओं की संख्या में बड़ा भारी परिवर्तन होने की संभावना प्रतीत होती है। यदि दो महीना पहले इन मतदाताओं के अधिकार छीन लिये जायं, तो इससे म्युनिसिपैलिटीज के हकों की रक्षा होती है या विनाश किया जाता है, इसे आप स्वयं जान लें। इससे हम लोकतंत्र का कुठाराघात करते हैं या रक्षा करते हैं इसे आप स्वयं विचार लें।

तीसरा कारण अछूतों के सम्बन्ध में दिया गया है। परिगणित जातियों की जो अभी तक सूची थी उसमें परिगणित जातियों की संख्या अलग-अलग उनके नाम के हिसाब से नहीं दी गयी थी। नये विधान के अनुसार जिस प्रकार का मताधिकार उनको प्राप्त हुआ, यदि आप उनको अलग-अलग संख्या में उसी प्रकार मताधिकार नहीं देते हैं तो यह उनके अधिकारों पर कुठाराघात होता है। जिनको डाउन ट्राडेन (पददलित) कह सकते हैं, जिनका हमारे समाज द्वारा मर्दन होता रहा है, जिनको अधिकार देने की बात आपने अपने विधान में रक्खी है, उनके अधिकारों की रक्षा तब होती है जब सेंसस की रिपोर्ट हमारे सामने आये। इसमें लोकतंत्र के अधिकारों की रक्षा की गयी है और म्युनिसि-पैलिटीज को मुकम्मल बनाने की चेष्टा की गयी है जिससे समाज का मत अच्छी तरह व्यक्त हो सके। इसे यह कहना कि यह लोकतंत्र और प्रजातंत्र पर कुठाराघात है, यह एक ऐसा तर्क है कि आप किसी और कारण को लेकर विरोध करें तो करें लेकिन इसके आधार पर विरोध करना मेरी समझ में किसी प्रकार तर्कयुक्त, युक्तायुक्त और बुद्धिसम्मत नहीं प्रतीत होता।

हां, इतना मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में चुनाव कब हो सकेंगे, इस संबंध में जो भ्रांति हमारे भाइयों को है वह एक ऐसी भ्रांति है जो साधारणतया हो सकती है कि इस वर्ष के अन्त में साधारण चुनाव होने के कारण संभव है कि जो एक वर्ष का समय बढ़ाया गया है उसके अन्दर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव न हो सकें। इसका स्पष्टीकरण सरकार जो करना चाहेगी वह करेगी, परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि दस महीने, बारह महीने या चौदह महीने तक म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव नहीं होता है, तो इससे बादल नहीं फट पड़ता है प्रत्युत इसके होता यह है कि अधिक से अधिक मताधिकारी अपना नाम सूची पर दर्ज करा सकेंगे जिससे लोकतंत्र की रक्षा ही होती है। यदि चुनाव होने में कुछ समय ही लग जाता है तो इसके लिये परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं तो अपने इस विधान सभा के सदस्यों से आपके द्वारा यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में केवल हमारे ऊपर, हमारी नियत पर जैसा कि बार बार आक्षेप किया जाता है, करने की चेष्टा न करें। जरा समझदारी और बुद्धि से हमारे मंत्री जी के इस वक्तव्य को देखें। हमारे एक भाई ने कहा कि साधारण निर्वाचन के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है, इसलिये आपने इसको टाल दिया। किसी ने और अर्थ निकाले। मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा राजनीतिक दल, अगर सचमुच इस राजनीतिक दल के पैर उखड़ गये हैं तो इस तरह की चालबाजी से वह अपनी सत्ता नहीं बनाये रख सकता और हम इतने बड़े निकम्मे, निर्लज्ज और अधिकार पिपासु भी नहीं हैं कि अगर हमारे पैरों

के नीचे की धरती सिकुड़ चुकी है तो हम अपनी सत्ता बनाये रखने की कोशिश करें। यह हाल तो उनका था जो अंग्रेजी राज के जमाने में अपनी सत्ता जमाये रखने की कोशिश करते थे। हम तो आज जनता के सामने हैं और जनता से अधिकार प्राप्त करके ही यहां बैठना चाहते हैं। यदि हमारी नालायकी ऐसी है, हम इतने निकम्मे हैं कि जनता यह समझती है कि यह इस लायक नहीं है तो एक क्षण हम यहां नहीं रह सकते हैं, न हम उसके लिये तैयार हैं, न हम अपने इस दल के गौरव के अनुकूल यह सोचेंगे कि हम यहां रहें। तो हम तो उत्सुक हैं कि जल्द से जल्द इसका स्पष्टीकरण हो जाय। हम देख लें कि जनता और राष्ट्र किसके साथ हैं और अधिक से अधिक किसके साथ है, किसके पीछे जनशक्ति है और कौन सचमुच यहां बैठने का अधिकारी है। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सिद्धांत, आदर्श और हमारे कार्यक्रम इस तरह के हैं और रहेंगे कि हमें इस बात का पूरा विश्वास होता है कि किसी तरह की तिकड़म से नहीं, खुले निर्वाचन में हम भी जायंगे और हमारे भाई देखेंगे कि जो वास्तव में जनता का सेवक होगा, जिनके पास कोई लक्ष्य और कार्यक्रम होगा वही यहां बैठने का अधिकारी होगा।

श्री गंगा सहाय चौबे--अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दरअस्ल मुझे खुशी हुई यह देख कर कि सरकार की तरफ से उसकी पैरोकारी करने के लिये नेगी साहब तशरीफ लाये और उन्होंने अपने दलायल दिये और उसके बाद हमारे त्रिपाठी जी आये। उन्होंने जो चन्द उसूल की बातें खास तौर बताईं उनसे तो हमारी नीति का समर्थन ही हुआ, कई बातें कही गयीं। खास तौर से नीयत की, विश्वास की, ईमादारीका हवाला दिया गया। मैं इस ईमानदारी और विश्वास के मामले में अविश्वास नहीं करता। कल मैंने सुना था कि हमारे मंत्री महोदय ने स्वतः यह कहा था कि बहुत सी बातें वह करना तो चाहते हैं अगर उस तरह के सजेशंस (सुझाव) आयें तो उनका समर्थन भी करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। तो उनके प्रति जहां तक विश्वास की बात है उनका यह वक्तव्य ही काफी है कि हम उसको समझ लें। लेकिन राजनीतिक मामलों में महज विश्वास और ईमानदारी की बातें कहने से काम नहीं चलता। सिद्धांत की बात कहने से भी काम नहीं चलता। हम यह जानते हैं कि जहां तक आधारभूत सिद्धांतों की बात है उनके कहने में और लिखने में तो हमसे और सरकार के दल से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उनको कार्यरूप में परिणत करने के मामले में दृष्टिकोण का भेद जरूर है और उस भेद के जरिये से यह नतीजा निकलता है कि जो रास्ता हमने अख्तियार किया वह हमको कहां पहुंचायेगा। इस मामले में भी हमारे नेगी साहब ने अपनी बात कहते हुए मतदाताओं की बात कही थी। त्रिपाठी जी ने भी कही और मैं भी उसी बात को कहता हूं। मतदाताओं की बात हम कहते हैं, लेकिन मतदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में उनके अधिकारों की रक्षा करने ही के लिये हम यहां खड़े हैं और जिस तरह अभी कहा गया मैं भी वही तरीका देखता हूं कि जिस तरह से यह वोटर लिस्ट बनी उसमें समय का और धन का दुरुपयोग हुआ, जनता का नाम लेकर और जनता की बात कहकर सारे मतदाताओं का ध्यान एक तरफ खींचा गया जिसमें वह लगे रहे। तो इस तरह हमने जो कुछ कार्रवाई इस दो महीने में की उसमें मतदाताओं के धन का और समय का उपयोग किया या दुरुपयोग किया यह हम निश्चय करें। अगर दुरुपयोग किया तो फिर हमारी बात सही है और अगर हम यह समझें कि जो धन और समय व्यर्थ गया जिस तरह से उनका ध्यान दूसरी बातों में अलग बट गया, यह सदुपयोग है तो उसकी डिग्री दे दें। हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन बात बिलकुल सीधी-सीधी और सामने-सामने है। यह बात सही है। हमने यह निश्चय किया है कि हम प्रजातांत्रिक तरीकों पर चलेंगे। लेकिन उन तरीकों को हम कैसे व्यवहार में ला रहे हैं यही हमारे काम की कसौटी है।

[श्री गंगा सहाय चौबे]

अभी यह बताया गया कि अगर बीच में चुनाव हो जाता तो मतदाताओं की हकतलफी हो जाती। लेकिन आप देखिए कि १९४४ ई० के अन्त में चुनाव हुए थे। और जिस तरीके का प्रोग्राम दो रोज से बताया जा रहा है उससे मालूम होता है कि ५२ से पहले चुनाव नहीं हो सकता। अगर सन् १९४४ ई० से सन् १९५२ ई० तक का हिसाब लगाया जाय तो इस बीच में एक दफा चुनाव हो जाना चाहिये और दूसरे चुनाव का भी नम्बर ५२ में आ जाता है। तो इस तरह से जबरदस्ती एक टर्म (काल) हम मतदाताओं के अधिकारों का छीन करके उनकी मरजी के बिना एक बोर्ड लादे रहें। इस तरह से मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा होती है मैं ऐसा नहीं मानता। इसके साथ साथ हम कोई भी बात कहें। लेकिन यह तो आप का तरीका है कि सब कुछ कहते हैं, हम जनता की बात कहें, मतदाताओं की बात कहें, उपभोक्ताओं की बात कहें, टैक्सपेयर्स की बात कहें। हिटलर ने जब नाजिज्म किया था तो यही कहा था कि पूरी जर्मनी को यह पसंद है। इसलिये यह ठीक है। कहना छोड़ दीजिये। करने की बात से कहने का नतीजा निकलता है। तो जिस तरीके से यह सिलसिला जारी रहा उससे टैक्सपेयर्स, मतदाताओं, उपभोक्ताओं, पब्लिक, किसी के हकों की रक्षा नहीं हुई बल्कि उनके चुनाव का एक टर्म बिलकुल मारा गया। तो यह एक नतीजा निकला। अब अगर हमारे भाई समझते हैं कि इस तरीके पर चल कर उन्होंने प्रजातांत्रिक सिद्धांत की रक्षा की है तो मैं कहता हूं कि यह तरीका उन्हीं को मुबारक रहे। उनकी बुद्धि पर हमको तरस आता है। लेकिन मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच रहा हूं। मैं इस तरीके से इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि इससे टैक्सपेयर्स, मतदाताओं, जनता, उपभोक्ताओं सबके अधिकारों का हनन होता है। इसलिए मैं इस तरीके के खिलाफ हूं।

अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि ये जो इधर तीन-चार साल थे वे बड़े महत्वपूर्ण थे। इन सालों में ऐसी उथल-पुथल हुई, जिसके कारण हम यह सब नहीं कर पाये। लेकिन हमने देखा कि इंगलैन्ड और अमेरिका में जब कि सेकेंड वर्ल्ड वार (द्वितीय महायुद्ध) हो रही थी उस समय भी चुनाव के समय चुनाव हुए। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण घटना भी उनको न रोक सकी। हमारे यहां इस बीच में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हुए। और उनमें जो पुरानी प्रणाली थी उससे हट कर हमने चुनाव करवाया। उसके बाद जो बात कही जा रही है संयुक्त निर्वाचन और बालिग मताधिकार की, तो हमने अपने यहां ३५ हजार पंचायतों को इसी आधार पर बनवाया। इसलिये यह प्रश्न नहीं है कि हम कर नहीं सकते थे। प्रश्न यह है कि हम करना चाहते हैं या नहीं। अगर करना चाहते, तो जैसे वह सब काम कर डाले वैसे ही इसको भी कर डालते। इसी के साथ साथ जैसा कि अभी कहा गया, सन् १९४८ ई० से बराबर स्थगित हो गये। अभी वह जगह खाली पड़ी हुई है इसलिये कि सरकार का हुक्म है और इस तरह के आदेशों से जगहें खाली रख कर हम मतदाताओं के अधिकार लेते हैं या उनको अधिकार देते हैं यह प्रश्न है और इस प्रश्न का निर्णय मैं चाहता हूं कि आदरणीय सदन स्वयं कर ले। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब बात नहीं है और इस तरह से हम प्रजातांत्रिक परम्पराओं को तोड़ रहे हैं। यह बात जरूर है कि जो कुछ हो रहा है उसमें इरादा ऐसा नहीं है। मैं इरादे की बात न कह कर एक कदम आगे ले जाता हूं। जो कुछ यह हो रहा है उसके कुछ कारण होने चाहिये और हैं जिस कारण को हम भी जानते हैं और वह भी जानते हैं। अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि जनता किसके साथ है? मैं तो त्रिपाठी जी की बात को स्वीकार करता हूं कि जब चुनाव आयेगा तो चुनाव इसका निर्णय कर देगा। इस बीच में जो चुनाव हो रहे हैं वह भी निर्णय कर रहे हैं और अगर इन चुनावों से सबक नहीं मिल रहा है तो जो बड़ा चुनाव होगा उससे सबक मिल जायगा। मैं तो यही कहता हूं कि चुनाव का रुख किधर है यही समझकर तो म्युनिसिपैलिटियों का चुनाव नहीं किया जा रहा है। अगर चुनाव होते तो कम से कम शहरी जनता के मत का पता चलता और उस मत को हम भी जानते हैं और वह भी जानते हैं, किसी से छिपा

नहीं है। मैं तो वही बात कह रहा हूं, जिसको हम जानते हैं कि वह चुनाव से हमको जानकर ही अलग रख रहे हैं। और इसलिये हम कहते हैं कि यह प्रजातान्त्रिक उसूल के विरुद्ध है। प्रजातंत्र में हमारा एक व्यक्तिगत स्थान है, हमारा एक पार्टी का स्थान है लेकिन इन सब के ऊपर हमारा समाज में स्थान है। अगर हम अपने व्यक्तिगत चीजों के लिये पार्टी को ठुकरा दें तो यह ईमानदारी की बात नहीं है। इसी तरह से पार्टी के लिये अगर हम अपने समाज के हितों को ठुकरा दें तो वह भी ईमानदारी की बात नहीं है। और जब हमको यह लगे कि म्युनिसिपैलिटियों के मतदाता हमारे साथ नहीं आयेंगे इसलिये किसी न किसी प्रकार उसको स्थगित कर दें तो यह भी ईमानदारी की बात नहीं है और केवल राजनीतिक चाल है। लेकिन जहां तक माननीय मंत्री की व्यक्तिगत बात है, उनकी ईमानदारी की बात है हम जानते हैं कि वे निहायत ईमानदार हैं उनमें सीधापन और भलमनसाहत है, मुझे इसका पूरा यकीन है, वे मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम चल रहे हैं उसमें हम कहां पहुंचेंगे यह हम न जानते हों ऐसी बात नहीं है। हम जानते हैं। अब यह कहा जाता है कि सहज विरोध करने के लिये हम यह कहते हैं, लेकिन अपनी राय में यह बतलाना चाहता हूं कि यह तो विरोध करने के वास्ते नहीं है यह बात तो ऐसी ही है।

प्रजातंत्र में तो यह लाजिमी होता है कि अगर हम लोकमत को जागृत नहीं करते तो प्रजातंत्र का हनन करते हैं। तो इस तरह की बातें करके लोकमत यह देखेगा कि क्या हो रहा है और वह उसके अनुकूल हो रहा है या प्रतिकूल हो रहा है। इसमें घबड़ाने की बात नहीं है। अगर सरकारी पार्टी के अनुकूल हो रहा है तो उनको प्रसन्न होना चाहिये और विरोधी दल को धन्यवाद देना चाहिये, लेकिन हम यह समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है हमारे अनुकूल हो रहा है सरकार के नहीं क्योंकि प्रजातंत्र के जागृत हुए बिना प्रजातंत्र की रक्षा हो नहीं सकती। हां, एक तरीका ऐसा भी है कि हम जो प्रजा के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं हम प्रजा को जागने न दें और उनकी भावनाओं को दबा दें उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न न होने दें। तो हम जानते हैं कि प्रजातंत्र तो नहीं रहेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस तरह से बार बार हम चुनाव स्थगित करते जा रहे हैं इसकी एक प्रतिक्रिया होती है और वह प्रतिक्रिया यह है कि जनता का चुनाव के ऊपर से विश्वास ही उठता जा रहा है। और वह यकीन ही नहीं करते हैं कि जो चुनाव की तारीख बताई गई, पता नहीं उसमें चुनाव होंगे या नहीं। जो मैं कहता हूं वह यह है कि अगर वोटरों का विश्वास हट गया तो उसका जो परिणाम होगा वह प्रजातंत्र के विरुद्ध होगा। जब लोग चुनाव में, इसके तरीके में और इसकी तारीख में विश्वास खो बैठेंगे तो वह पोलों पर ही नहीं जायेंगे और प्रतिक्रियावादी शक्तियां यदि थोड़ी सी संगठित होंगी तो थोड़े से आदमी पहुंच कर बड़े से बड़े समाज को वोटों के जरिये हरा देंगे और प्रजातंत्र की हत्या करके तानाशाही को कायम कर देंगे।

आप के द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह देखें कि कारण क्या है कि हमारे देश में ज्यादा वोटिंग (मतदान) नहीं होता और थोड़े थोड़े लोग वोट करते हैं? बाहर के देशों में अंधाधुंध वोटिंग होती है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने अधिकारों को समझ लिया है और उसका वह प्रयोग करते हैं क्योंकि वह उसका उपयोग जानते हैं। हमारे यहां अभी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। अगर इस प्रारंभिक अवस्था में ही हम यह करें कि उनका विश्वास हट जाय तो प्रजातंत्रवाद का क्या होगा यह सब जानते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि प्रजातंत्र में से जनता का अगर विश्वास हट गया तो दूसरे रास्ते बड़े भयंकर हैं और हमारे राष्ट्रपिता ने पहले ही इस बात को समझ कर हमें एक रास्ता बतलाया था कि हम खतरनाक रास्ते पर न चलें। मैं इसलिये कहता हूं कि सरकार जो तरीका अख्तियार कर रही है उससे राष्ट्रपिता के

[श्री गंगा सहाय चौबे]

बतलाये हुए रास्ते से हमारे देशवासी हट जायंगे, हट ही नहीं जायंगे बल्कि हम जबरदस्ती हटा देंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि यह हमारा काम नहीं है और हमारी सरकार का भी नहीं है क्योंकि हम दोनों ही प्रजातंत्र की दुहाई देकर यहां बैठे हैं। इसलिये प्रजातंत्र के हितों की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है।

एक बात कही गयी और वह हमारे नेगी साहब ने कही थी सुधार और रिव्योल्यूशन क्रान्ति की। उसमें भी अपना अपना दृष्टिकोण है। एक बात मशीनरी के संबंध में भी कही गयी। मैं तो यह कहता हूं कि अगर वह यह समझते हैं कि मशीनरी निकम्मी है जिससे ठीक तरह से काम नहीं हो सकता है तो मैं समझता हूं कि इसको बदल देना हमारा कर्त्तव्य और धर्म है। इस तरह से मशीनरी को निकम्मी समझते हुए अगर हम हटा नहीं सकते हैं तो फिर हमें समझ लेना चाहिये कि हम अपने कर्त्तव्य से और अपने धर्म से नीचे गिर गये हैं फिर ऐसी दशा में हमारा यहां बैठना भी बेकार हो जायगा। मैं तो कम से कम यह नहीं समझता कि सरकार के पास मशीनरी को काबू में रखने के लिये शक्ति नहीं है। अगर नेगी साहब समझते हैं कि नहीं रही तो यह उनकी बात है और वह अपने विश्वास के अनुसार ऐसा कह सकते हैं, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता हूं।

दूसरी बात रिफार्म्स और रिव्योल्यूशन की कही गई। जहां तक मेरा ख्याल है कि हम जिस प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, जिस तरीके से हमने चलने का निश्चय किया है वह रिवोल्यूशन की बात है। रिफार्म्स की नहीं है। रिफार्म्स और रिवोल्यूशन में आधारभूत फर्क हुआ करता है। रिफार्म्स होता है कि उसी बात को मान लें और ऊपर से लीपापोती कर लें। अंग्रेज सरकार जिस तरीके से चल रही थी, जो सिद्धांत और तौर तरीका था उन पर ही थोड़ी सी लीपा-पोती करके चलने का निश्चय करें तो यह रिफार्म है। मैं समझता हूं कि यह तरीका नहीं है और न कांग्रेस भी इसको मानती है, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अगर मेरे साथी इसको इसी विश्वास के साथ वैसे ही देखते हैं तो उनको मुबारक हो। यह जरूर है कि आप भी रिवोल्यूशनरी रहे हैं और हमारे मंत्री महोदय भी रिवोल्यूशनरी हैं और वह रिवोल्यूशन और रिफार्म्स के बीच में सिर्फ हिन्सा और अहिन्सा की बात लेकर परिभाषा करने लगें तो बड़ी भारी गलती होगी। रिवोल्यूशन हिन्सा से नहीं होता है, रिवोल्यूशन के आदर्श को सामने रख कर दृढ़ प्रतिज्ञा करके, आत्म विश्वास करके, उस पर मुसलसल कार्य करने से होता है। उसकी कठिनाइयों के फेस करने से होता है। साथ ही साथ जो उद्देश्य है किसी भी कठिनाई को देख कर उससे विचलित न हो तब होता है। यह तरीका रिवोल्यूशन का है। यह तरीका नहीं कि रिफार्म की बात कह कर हम अपने रास्ते से विचलित हो जायं, इधर उधर चले जायं। तो मैं इसी तरह से समझता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज के मामले में जो रास्ता अख्तियार किया गया है वह गलत है। न वह प्रजातंत्र का है, न रिवोल्युशन का है, न उससे मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा होती है, न टैक्स पेयर के अधिकारों की रक्षा होती है, न उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा होती है, इस तरीके में हमने बराबर गलती की और हम अपने उद्देश्य से विपरीत गये। कल माननीय मंत्री ने खुद इस बात को मान लिया कि हां भाई गलती हो गयी, लेकिन आज जब कहा गया किसी ने उधर से इस बात का समर्थन नहीं किया तो हमारे नेगी साहब वकालत करने के लिये खड़े हो गये। लेकिन कठिनाई यह है कि . . .

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य को यह ख्याल रखना है कि माननीय मंत्री जवाब दे सकें।

श्री गंगा सहाय चौबे--एक मिनट और लूंगा। कठिनाई यह हुई कि उनकी वकालत उनके खिलाफ चली गयी। माननीय मंत्री जी को बोलना है लिहाजा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--अध्यक्ष महोदय, मैंने दो जनवरी को म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव बढ़ाने की मियाद के संबंध में जो वक्तव्य दिया एक साल की मियाद क्यों बढ़ाई गयी इस सिलसिले में इस भवन में काफी टीका हुई और विचार विनिमय लोगों ने किया। जहां तक म्युनिसिपैलिटी के चुनाव समय पर होने चाहिये, यह सिद्धांत का सवाल है, बराबर मैं मानता हूं और इसका प्रयत्न करता रहा हूं। और उसी तरह से प्रयत्न करता रहा हूं जिस तरह से हमारे भाई गोपाल नारायण सक्सेना जी यह कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रयत्न करते रहे हैं। उन्होंने भी बंगाल के संबंध में कहा था कि चुनाव हो जायगा, लेकिन नहीं हुए तो उनके ऊपर ईमानदारी की बात या उनका इरादा नहीं था ऐसी कोई बात नहीं कही गयी। इसी तरह से अप्रैल में चुनाव हो जायेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। उस पर भी उन्हें कुछ नहीं कहा गया हमारा यह तरीका हो गया है कि जवाहर लाल जी को खुश करते रहें, उनके खिलाफ न बोलें लेकिन उनके पक्ष के जो लोग हैं उनके ऊपर हमला करते रहें जिससे हमला करने का मौका ज्यादा मिले। अगर सेंटर के लिये चुनाव का समय बदलने की मजबूरियां थीं जबकि जवाहरलाल जी के हाथ में अधिकार मुझ जैसे छोटे आदमी से हजार गुना ज्यादा थे, इंटरनेशनल फीगर (अंतराष्ट्रीय व्यक्ति) वह हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, हरदिलअजीज हैं, हर एक आदमी उनकी बातों को झेलता और बरदाश्त करता है। और विरोधी भाई मंजूर करते हैं कि वह भी नहीं करा सके। उनके लिये मजबूरियां थीं और मैं भी मजबूरियां मानता हूं क्योंकि जिम्मेदार हूं। सही बात है कि उनको करना पड़ा लेकिन उनकी इच्छा में कोई फर्क नहीं था। मैं तो फिर भी साधारण आदमी हूं। मेरी इच्छा के बारे में कहा जा सकता है। लेकिन मैं इस भवन के सामने जो दुश्वारियां सामने आयीं, उनके विषय में जिक्र करना चाहता हूं। विरोधी दल के नेता ने कहा कि ४–५ दफा चुनाव मुल्तवी हुए। इस भवन की यह राय थी जो पृथक निर्वाचन का तरीका था उसको मिटना चाहिये। यह भी भवन की इच्छा थी कि बालिग मताधिकार होना चाहिये। सन् ४८ में चुनाव की म्याद खतम हुई, सन् ४८ में चुनाव होने चाहिये थे। उस वक्त एक विधेयक इस भवन के सामने मौजूद था, म्युनिसिपैलिटी का कानून विचाराधीन था, जिसमें कि संयुक्त निर्वाचन और नामीनेशन का हटाना तथा बालिग मताधिकार का जिक्र था। तो मेरा यह कर्त्तव्य था कि पुराने तरीके से चुनाव न होकर जो यह भवन चाहता था उस तरीके से काम किया जाय और इसलिये चुनावों को मुल्तवी कर दिया गया। मुझे आशा थी कि भवन ५–६ महीनों में उसे पास कर देगा। उस सिलसिले में मैंने एक हुक्म जारी किया कि सब म्युनिसिपैलिटीज को अडल्ट (वयस्क) रजिस्टर बना लेना चाहिये क्योंकि मैं जानता था कि उसमें देर लगेगी और जैसे ही बिल पास होगा वैसे ही लिस्ट भी बन कर तैयार हो जायगी लेकिन बदकिस्मती से वह बिल इस भवन में आया और उस भवन में गया वहां भी सुधार हुआ और वह फिर इस भवन में आया, उसके ऊपर सेलेक्ट कमेटी बैठी और तब कहीं जाकर वह ४८ में पास हो पाया और मजबूरन ४८ में ६ महीने की मियाद और बढ़ा दी गई और इसी के साथ ही साथ फिर बाई-इलेक्शन्स (उपनिर्वाचनों) को भी रोक देना पड़ा क्योंकि ६ महीने के अन्दर चुनाव होना और फिर जनरल इलेक्शन होना ठीक नहीं था।

जहां तक गाजियाबाद के बारे में कहा जाता है भवन यह बात भूल जाता है, सदस्य भी इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे यहां उस समय क्या संकट आया था। एक वायरलेस का भी जिक्र किया जाता है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन्स मुल्तवी किये गये थे, वह आर्डर इस प्रकार है--

"With reference to your D.O.........I am directed to say that in view of the tense communal situation prevailing in Ghaziabad, the Board may be asked to withhold the by-election."

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

(आपके अर्द्धसरकारी पत्र.... के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश मिला है कि गाजियाबाद में व्याप्त कठिन साम्प्रदायिक परिस्थिति के कारण बोर्ड को आदेश दिया जाय कि उपचुनाव को स्थगित कर दे।)

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उस समय बंगाल की सिचुयेशन (स्थिति) की वजह से हमारे सूबे में भी कहीं कहीं कम्युनलटेंशन (साम्प्रदायिक उत्तेजना) पैदा हो गया था और लाखों आदमी हमारे सूबे में आ रहे थे। क्योंकि इस प्रकार के झगड़े ज्यादातर शहरों में ही होते हैं और गाजियाबाद तो सरहद पर ही था हजारों रिफ्यूजीज वहां आ गये थे। वे लोग कहते थे कि यहां से मुसलमान भाग गये हैं, जो दो मुसलमानों की सीटें वहां खाली हैं वे हमें मिलनी चाहिये और इस बात पर वे लड़ाई और झगड़ा तक करने को तैयार थे उस वक्त वहां के लिये ला एंड आर्डर (व्यवस्था) के पाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) से यही उचित समझा गया कि उनको तत्काल मुल्तवी कर दिया जाय जिससे उन बाई-इलेक्शन्स के पीछे लोगों की जान न जाय। अब जब कि सन् ४८ के आखिर में जब फिर मुल्तवी करने का प्रश्न आया, उस वक्त विरोधीदल के नेता भी इसी दल में शामिल थे उस वक्त लोगों की इच्छा यह थी कि जेड० ए० एफ० का ड्राइव बड़े जोरों से होना चाहिये और अपने अटेंशन (ध्यान) को इधर उधर नहीं होने देना चाहिये। मैं बराबर जोर देता रहा, लेकिन सब की राय यही थी कि जमींदारी अबोलीशन का काम एक क्रान्तिकारी कार्य है, वह सबसे आवश्यक कार्य है, इसलिये हमें उस वक्त इलेक्शन्स को मुल्तवी करना पड़ा।

श्री खुशवक्त राय--यह तो सन् ४९ की बात है।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--सन् ४८ में तो बिल की वजह से मुल्तवी करना पड़ा, लेकिन जब सन् ४८ के आखिर में बिल पास हो गया तो सन् ४९ में मुल्तवी रखे गये वह इसके कारण से थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सन् ४८ के आखिर में वह बिल पास हो गया फिर ड्राइव का सवाल था....

श्री खुशवक्त राय--ड्राइव शहरों में होना था कि देहातों में ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--चूंकि बालिग मताधिकार की बेसिस (आधार) पर शहरों में एलेक्शन होने वाला था तो आफिसरों की हजारों की तादाद में जरूरत पड़ती थी और जब वे दूसरे काम में लगे हुए थे यह मुझे बतलाया गया और इसलिये वह मुल्तवी किया गया। उसके बाद सन् ५० में बाई-एलेक्शन मुल्तवी करने की बात आती है। जो सरक्यूलर निकाला गया वह इसीलिये निकाला गया कि यहां शहरों की कम्यूनल (साम्प्रदायिक) हालत अच्छी नहीं थी और जनरल एलेक्शन भी होने वाला था इसीलिये वह मुल्तवी किया गया। म्युनिसिपैलिटियों की लिस्ट भी ठीक तैयार नहीं थी। हमारे विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकी सिंह ने कहा कि यह तो पूरी जिम्मेदारी जिला मैजिस्ट्रेट की थी। उनको कायदे नहीं मालूम। इसमें जो रूल्स हैं जिसमें दिया हुआ है--

"There shall be prepared and maintained by every Board a register of all adult residents in the form of schedule...... giving the names of all adults ordinarily residing in the municipality."

(प्रत्येक बोर्ड के द्वारा समस्त वयस्क निवासियों का एक रजिस्टर अनुसूचियों की आकृति में तैयार कराया और रखा जायगा जिसमें उन सब वयस्कों के नाम दिये हों जो साधारणतया म्युनिसिपैलिटी में निवास करते हैं।)

श्री त्रिलोकी सिंह--आन ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर। (श्रीमन् मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं) मैंने यह कहा था कि एडल्ट रजिस्टर बनाने की जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटियों के ऊपर छोड़ दी गयी लेकिन वोटर लिस्ट की नहीं।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--पर्सनल एक्सप्लेनेशन की क्या बात है? मैं बतला तो रहा हूँ कि एडल्ट रजिस्टर की जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटियों पर है। इसके बाद जिला मैजिस्ट्रेट रिटर्निंग आफिसर को होता है वह एडल्ट (व्यस्क) रजिस्टर को बेसिस (आधार) पर ही बनाता है। उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। वह खुद हर एक मकान पर जाकर अपने आदमियों को भेज कर एडल्ट लिस्ट नहीं बनाता बल्कि म्युनिसिपैलिटियां ही लिस्ट बनाती हैं। उसके बेसिस पर जो दूसरा रूल है:

"After the receipt of the register and the list referred to in rule 6, the Returning Officer shall, in accordance with the provisions of the Act and these rules, cause to be prepared from the aforesaid register and list by such date as may be specified, the electoral roll."

(नियम ६ में निर्दिष्ट रजिस्टर और सूची पाने के बाद रिटर्निंग आफिसर, एक्ट के अनुबन्धों और इन नियमों के अनुसार, उपर्युक्त रजिस्टर और सूची से, निर्दिष्ट तारीख के अन्दर, मतदाताओं की सूची तैयार करायेगा।)

एलेक्टोरल रोल उस बेसिस पर बनता है तो कसूर है तो दोनों का। मैं तो एक और कसूर लादना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जनता और भवन के सदस्य इस बात को समझ लें कि एलेक्टोरल रोल सही बनाना और मत देने का अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार जनतंत्र में होता है। मेरी इच्छा इस विषय में पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में स्पष्ट हो गयी है। मैंने वहां पर भी दो रजिस्टर बनवाया। एक फेमिली (कुटुम्ब) रजिस्टर जिसमें फेमिली के सब लोगों का नाम लिखा रहता है। मेरी इच्छा रही है कि यदि पंचायतों में इस तरह से काम हो तो इससे बहुत फायदा होगा। दूसरा एडल्ट रजिस्टर बनवाया। फेमिली रजिस्टर में हर आदमी का नाम दर्ज है और जिस वक्त वह २१ वर्ष का हो जाय उस वक्त बिना किसी दिक्कत के हम पता लगा लेंगे कि कितने एडल्ट देहातों में हैं। इस तरह के रजिस्टर म्युनिसिपैलिटियों के पास होने चाहिये। इसके लिये सन् ४८ में ही म्युनिसिपैलिटियों को हिदायतें भेज दी गयी थीं कि ऐसे रजिस्टर रखना उनका फर्ज है और ऐसे रजिस्टर हर ६ महीने पर रिवाइज किये जाया करें। एलेक्टोरोल का अलग रजिस्टर उनको तैयार रखना चाहिये और अगर म्युनिसिपैलिटियां इसके मुताबिक नहीं चलीं तो उसके लिये वे जिम्मेदार हैं। और बार बार कहने पर भी उन्होंने ऐसा न किया तो उनको निकाल दिया जायगा। निकाल देने का शब्द मैंने इसलिये इस्तेमाल किया कि अगर मैं यह कहूँ कि उनको सुपरसीड कर दिया जायगा तो चूंकि आप सुपरसेशन (अवक्रमण) के खिलाफ हैं इसलिये मैंने उसे नहीं कहा। बग़ैर एलेक्टोरोल सही तरीके पर बनाये हुए नया चुनाव कराना उचित न होगा, यह आप भी कहते हैं। क्योंकि बालिग मताधिकार के आधार पर बहुत से पुराने लोग अपने ग़लत आदमियों का नाम एडल्ट रजिस्टर में दर्ज करा कर फिर एलेक्ट होकर आना चाहते हैं जिनको रोकना हम आवश्यक समझते हैं। क्योंकि हम स्वागत करना चाहते हैं मतदाताओं के अधिकारों का और हमारे भाई कमलापति जी ने स्पष्ट इसी उद्देश्य से कह दिया कि म्युनिसिपैलिटियों ने ग़लती की है चाहे वह जिला अफसरों की निगरानी ठीक तरह से न होने की हो, और चाहे नौकरों ने ठीक न किया हो उसके लिये वह जिम्मेदार हैं और उनको तम्बीह दी गई। इसी तरह से आपने देखा होगा कि लेजिस्लेटिव असेम्बली की लिस्ट भी डिफैक्टिव (दोषपूर्ण) पाई गई। सप्लीमेंटरी लिस्ट बनाई गई।

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

तीसरी जिम्मेदारी मैं रखना चाहता हूँ जनता की परिस्थिति के ऊपर। जिस वक्त चुनाव होता है उस वक्त शोर करते हैं कि हमारा नाम इस लिस्ट के अन्दर दर्ज नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसकी मियाद पहले २३ दिसम्बर मुक़र्रर की थी और फिर १५ जनवरी किया और अब उसको ३१ जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। क्योंकि गवर्नमेंट यह जानती है कि जनता सोती रहेगी, जनता की पार्टी के नेता सोते रहेंगे और उनका इतना ही फर्ज है कि वह यहां पर बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बहुत सी दूसरी बातें कर सकते हैं। लेकिन जो मूलभूत अधिकार जनता के हैं कि हर एक बालिग का नाम दर्ज होना चाहिये उसके लिये वह प्रयत्नशील नहीं होती। समय समय पर जिस तरह से लेजिस्लेटिव असेम्बली के एलेक्शन की मियाद बार बार बढ़ती चली जाती है तो भी लिस्ट मुकम्मल नहीं हो पाती है। बेचारी म्युनिसिपैलिटी तो बहुत पिछड़ी हुई है वहां पर यह हालत है कि हमारी बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता लोग सोये हैं और वह प्रयत्नशील नहीं रहते हैं और न एतराज करते हैं। वहां तो यह भी सहूलियत देते हैं कि एक आदमी हजारों क्लेम कर सकता है लेकिन इसके लिये प्रयत्न नहीं होता और हजारों आदमी रह जाते हैं और औरतें भी रह जाती हैं।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने इलाहाबाद के बारे में बार बार कहा कि वहां पर अगर आप मर्दों की लिस्ट देखें तो उससे आधी औरतों की लिस्ट है। क्या इलाहाबाद में मर्दों से आधी औरतें रहती हैं, क्या बालिग सब लड़कियां ही हैं या वह इलाहाबाद से बाहर चली जाती हैं जब उनकी शादी हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद में बालिग लड़कियां, बालिग औरतें मौजूद नहीं हैं। यह चीज उन्होंने कही और यह दिक्कत है क्योंकि औरतें अपना नाम लिखाना नहीं चाहती हैं। पति के नाम से उनका नाम दर्ज होना चाहिये। यह परदे का रिवाज इस सूबे के अन्दर है और उस कारण से ही यह चीज होती है। क्या हमारी जो विरोधी पार्टी है, या जो दूसरी पार्टियां हैं, हमारी कांग्रेस की पार्टी है, क्या उन सबका यह फर्ज नहीं है कि इन औरतों को परसुएड करें (मनवायें) और उनके नाम लिखायें लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर किसी के अन्दर कोई कमी रह जाय तो उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट को करार दिया जाता है। गवर्नमेंट तो इस तरह की होती है जैसी और जिस तरह की जनता होती है। उसका प्रतीक गवर्नमेंट हर कदम पर हुआ करती है। अगर जनता के अन्दर वह शक्ति नहीं है, वह दक्षता नहीं है तो गवर्नमेंट के आफिसरों में भी, नौकरों में भी और म्यूनिसिपैलिटीज में भी वह दक्षता नहीं आ सकती। यह मूलभूत सिद्धान्त हमको समझ लेने की आवश्यकता है।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहां तक रजिस्टर बनाने का दोष है वह तो सब पर है। जनता पर भी वह दोष है, पार्टियों के नेताओं पर भी वह दोष है कि उन्होंने लोगों को रचनात्मक कार्य में नहीं लगाया सिवाय इसके कि नुक्ताचीनी गवर्नमेंट की करें दूसरा काम नहीं करते। दूसरी बात यह कि म्युनिसिपैलिटियों का भी कसूर है कि उन्होंने एडल्ट रजिस्टर नहीं बनाया जो कुछ जिला अफसर ने जिन्होंने उसकी निगरानी नहीं की और एलेक्टोरोल को गलत नहीं पाया उनका भी दोष है पर शिकायत गवर्नमेंट तक आई। बार बार उनसे रिपोर्ट मांगी गई। बार-बार रिपोर्ट मांगने का परिणाम यह हुआ कि ४७ म्युनिसिपैलिटियों में यह चीज पाई गई कि लिस्ट बनाने की शिकायतें हैं। जहां तक लिस्ट बनाने की शिकायतें थी उसको मैंने आपको बताया। अक्तूबर, नवम्बर में जिस वक्त हमने यह एलान किया कि जनवरी में असेम्बली का जो चुनाव होने वाला था, वह सब जब होने वाला हो इसका निश्चय होने के बाद हम निश्चय करेंगे। उस वक्त हमारे सामने यह प्रश्न था कि हमारी क्या हालत है। हमने इस बात को जांचा कि हमारा

चुनाव जो एडल्ट के नियम से होगा वह उस नियम से पूरा होता है या नहीं तो इसमें ४७ म्युनिसिपैलिटीज के एलक्टोरलरोल को हमने गलत पाया और इसी के साथ एक प्रश्न और भी कानूनी उस वक्त पेश था और हमारे सामने था और वह कानूनी प्रश्न यह था कि प्रेसीडेंट ने ६ जातियां, जिनके नाम यह हैं कि भोंकसा, गुसाई, दुसाध, बैगा, गोंड़ और बंसबार। इनको उन्होंने अपने आर्डर से परिगणित जातियों में शामिल कराया और ४ जातियां यानी अहरिया, खटिक, कोरी और थारू, इन लोगों को उस परिगणित जातियों की लिस्ट में से निकाला। और इन जातियों के लोग शहरों में भी बराबर रहते हैं। हमारे कानून के अनुसार इन तमाम जातियों को और सभी को तादाद के अनुसार सीटें मिलती हैं और इसी वजह से हमने इस मामले में अपने एडवोकेट जनरल तक से राय ली कि जो सीटें इस वक्त मौजूद हैं उनको बुनियाद पर हम चुनाव करा सकते हैं या नहीं। उनका जवाब भी यही आया कि ठीक तादाद के अनुसार जब तक हम सीट्स का एलाटमेंट ठीक से नहीं कर देते हम चुनाव नहीं करा सकते हैं और इस तरह से चुनाव ग़ैर-क़ानूनी होंगे। अगर हम उस हालत में चुनाव कराते भी तो कोई भी कह सकता था कि सीट्स का अनुपात ठीक नहीं है और हमारी जाति इतनी थी और हमें सीट्स पूरी नहीं मिली और इसी वजह से आपके चुनाव रद्द हो सकते थे। सन् ४१ के सेन्सस को मान कर काम करने में हमें यह कानूनी अड़चनें थीं और उनको हमने देखा और जांचा और इसी नतीजे पर आये कि ऐसा करना ठीक न होगा। हमने यही सोचा कि अब जो सेन्सस होगा उसमें इन तमाम जातियों की तादाद ठीक हो जायगी और जिन जातियों को हटाना या शामिल करना होगा वह सब हो जायगा और उसके बाद हम सीट्स तादाद के हिसाब से एलाट कर देंगे। पहले हमने सोचा था कि हम उन लिस्टों को म्युनिसिपैलिटीज में तैयार करा के चुनाव करा दें लेकिन जब यह कानूनी अड़चनें हमारे सामने आईं और हमने देखा कि बगैर सेन्सस के यह चीजें नहीं हो सकतीं और जब हमने देखा कि यह दोनों वजह मिल गईं तो उस सूरत में हम लाचार हुये और हमने चुनावों को स्थगित किया।

लोगों ने मुझसे यह भी पूछा कि आखिर आप चुनाव कब करायेंगे। एक साल के लिये हमने बोर्डों की मियाद को बढ़ा दिया है। यह भी शक किया गया कि हमारा इरादा चुनाव कराने का ही नहीं है। यह तो मैंने बता ही दिया कि चुनाव क्यों मुल्तवी अब तक किये गये और आगे के लिये मैं यह बताये देता हूं कि अब भी हमारा इरादा शीघ्र से शीघ्र चुनाव कराने का है। अब सिर्फ प्रश्न यह है कि वह कब हो सकते हैं और जिस वक्त वह हो सकते हैं हम उसी वक्त उनको करा भी सकते हैं। हां, इरादा हमारा शीघ्र से शीघ्र कराने का अवश्य है। मैं अपना अन्दाजा आपके सामने साफ रख देना चाहता हूं कि अगर जनरल एलेक्शन्स नवम्बर दिसम्बर में हो जाते हैं तो उसके बाद शीघ्र से शीघ्र मार्च या फरवरी में ही हो सकता है और जनरल एलेक्शन के बाद तीन चार महीने का समय लग जाना स्वाभाविक ही है लेकिन संयोग से या बदकिस्मती से जनरल एलेक्शन के बारे में एलान हो गया कि वह अप्रैल में आगे चल कर होंगे तो आप मेरी जबान न पकड़ें, मेरी जबान न काटें कि आपने तो कहा था कि फरवरी-मार्च में हो जायेंगे, उस हिसाब से तो मैं फिर कहूंगा कि हम सितम्बर के करीब हो कर पावेंगे लेकिन अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया किसी वजह से जनरल एलेक्शन की मियाद १ साल और बढ़ा देती है कि ५१ के बजाय एलेक्शन ५२ में होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि पहले हमारे चुनाव हो जायें। तो इस वक्त हम जनरल चुनाव पर निर्भर हैं लेकिन हमारा इरादा अपने चुनाव शीघ्र से शीघ्र कराने का है यह मैं साफ कह देना चाहता हूं।

खर्च का सवाल उठाया गया तो खर्च भी हमने गैरवाजिबी नहीं कराया है। हमने म्युनिसिपैलिटीज पर यह कानून लागू कर दिया है कि वह अपने

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

यहां एडल्ट्स (वयस्कों) की फेहरिस्तें तैयार रक्खें और उनको यह खर्च करना लाजिमी है दूसरे फेहरिस्तें बनवाने और छपवाने का जो खर्च हुआ उसमें भी हमारा कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो म्युनिसिपैलिटियों का सब से विशेष दोष है। इसलिये म्युनिसिपैलिटियां जिम्मेदार हैं कि जो उन्होंने लिस्ट ठीक नहीं बनवायी, हजारों आदमियों को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया जो कि मत देने के अधिकारी थे और अपने क्लर्कों के ऊपर सब काम टाल कर मनमानी लिस्ट बनायी। तो इसके लिये म्युनिसिपैलिटियां जिम्मेदार हैं और उनको भुगतना चाहिये। अगर म्युनिसिपैलिटियां नालायक हैं तो वे अगले चुनाव में खत्म हो जायंगी। कुछ और सजा तो उनकी नालायकी के लिये हम उनको दे नहीं सकते। लेकिन इस बात के ऊपर गौर किया जा सकता है कि अगर वे कुछ एड (सहायता) चाहें तो उसके ऊपर हम कुछ गौर कर सकते हैं। सरकार के ऊपर सारा दोष देकर अगर वे लेना चाहें तो नहीं, बल्कि ग्रांट के तौर पर वे लेना चाहें तो उसके ऊपर विचार किया जा सकता है।

तो इन चन्द शब्दों में जो स्पष्टीकरण भवन के सदस्य चाहते थे वह मैंने कर दिया। यह भी कहा गया कि क्वालिफाइंग डेट बदल जायगी। माननीय मुख्य मंत्री ने इसका स्पष्टीकरण कर दिया कि तब तो हमको आसानी हो जायगी क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स असेम्बली के भी तैयार होंगे तो हमको सप्लीमेंटरी लिस्ट भी बनानी पड़ेगी और उसके जरिए से जब हम यह एलान करेंगे कि अगले साल अगर चुनाव मार्च या फरवरी, सन् १९५२ में होते हैं तो क्वालिफाइंग डेट असेम्बली की भी बदल जायगी, क्योंकि सन् १९५१ के आखिर में उनका चुनाव होने वाला है। तो हिसाब से हम अपनी क्वालिफाइंग डेट वही रख देंगे जो कि असेम्बली की होगी और इस तरह से आसानी से हम सप्लीमेंटरी लिस्ट करके बगैर म्युनिसिपैलिटियों पर फिर खर्च लादे हुये लिस्टों को सही करा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस भवन से प्रार्थना करता हूं कि जब मैंने इसकी सफाई दे दी कि किन वजूहात से मजबूर होकर हमको बार बार चुनाव बढ़ाने पड़े और किन वजहात से अबकी दफा एक साल के लिये हमको मुल्तवी करना पड़ा, जो कि खास वजह इसमें पैदा हो गयीं, यह अगर भवन को स्पष्ट हो गया है, मैं समझता हूं कि जो सरकार ने अपना वक्तव्य दिया उसका यह सदन समर्थन करेगा।

लखनऊ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, हजरतगंज के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों पर विवाद

माननीय अध्यक्ष--अब प्रश्नों के सिलसिले में आधे घंटे के लिये विवाद की कार्रवाई होगी।

श्री त्रिलोकी सिंह--श्रीमन्, माननीय खाद्य मंत्री ने पिछले १३ अक्तूबर को सर्वश्री सरदार शिवमंगल सिंह व कृष्णचन्द्र जी द्वारा पूछे गये कुछ अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर में लखनऊ कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड व डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन, लखनऊ के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। दुर्भाग्यवश मैं उस समय इस आदरणीय सदन में उपस्थित नहीं था, लेकिन उस दिन यहां आने पर जब मुझे यह सूचना मिली तो आपकी सेवा में दो और माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर से मैंने यह दरख्वास्त दी कि मुझे इस विधान सभा के नियम ४१ के अन्तर्गत उनके द्वारा दिये गये उत्तरों पर वाद-विवाद करने की आज्ञा प्रदान की जाय। मुझे दुःख है कि १३ अक्तूबर की दरख्वास्त पर आज के दिन उस पर विवाद करने का समय मिला। मुझे दुःख इस वजह से और भी ज्यादा है कि माननीय खाद्य मंत्री जी ने, मुझे मालूम हुआ है कि इस बात की दरख्वास्त

श्रीमन् से की कि वे अभी उस पर विवाद करने के लिये तैयार नहीं हैं। साधारण तौर पर कोई माननीय मंत्री जो इस आदरणीय सदन के सामने कुछ उत्तर देते हैं तो यह माना जाता है और ठीक तौर पर समझा जाता है कि उस सम्बन्ध में उनकी पूरी जिम्मेदारी व जानकारी है।

श्रीमन्, आप देखें कि लखनऊ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसायटी के संबंध में उन्होंने ये तीन बातें कहीं हैं। जो उन्होंने कहा वही मैं कोट (उद्धरित) करता हूं--(१) श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं और जो सोसायटी के भी प्रेसीडेंट हैं सोसायटी को विदेशी सीमेंट के वितरण का कार्य भी दिया गया। (२) गत दो वर्षों में सदस्यों की आम बैठक व कार्यकारिणी की बैठक एक बार भी नहीं बुलाई गई। (३) १ जुलाई सन् १९४९ से मई सन् १९५० तक सोसायटी को अपने कार्य में २३,८७६ रुपये का घाटा हुआ और जुलाई, १९४७ में प्राविंशियल मार्केटिंग फेडरेशन ने इस सोसायटी को २५ हजार रुपये की ग्रांट दी जिससे कि वह पहले वर्ष के नुकसान को पूरा करती और भविष्य के लिये रिजर्व बनाती किन्तु रिजर्व तो बना नहीं अपितु घाटा हुआ।

श्रीमन्, आप देखें कि पहली बात माननीय मंत्री ने यह कही कि लखनऊ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को विदेशी सीमेंट के वितरण का काम मैंने दिया। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है यह वितरण का काम डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर द्वारा अपने पत्र सं० २४८०, तारीख ११-८-४९ के द्वारा दिया गया था। माननीय मंत्री का यह कथन कि पिछले दो वर्षों में कार्यकारिणी की एक भी बैठक नहीं हुई, बिल्कुल असत्य है। गत दो वर्षों में कार्यकारिणी की, जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स भी कहलाती है, लखनऊ कन्ज्यूमर्स सोसायटी की, १४ बैठकें हुईं। श्रीमन्, मुझे नहीं मालूम कि उनको ये सूचनायें कहां से मिली। मैंने रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटी को चिट्ठी लिखी कि क्या उन्होंने यह सूचना दी। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, लखनऊ को भी लिखा कि क्या उन्होंने दी। लेकिन उन दोनों सज्जनों ने अपने जवाब में मेरे पास लिख कर भेजा कि यह तुम्हारा और सरकार के एक मंत्री से झगड़ा है, इस बीच में हमको नहीं खींचो। श्रीमन्, आप यह देखें कि उन्होंने तीसरी बात यह कही कि २३,००० रुपये का घाटा १ जुलाई, १९४९ से लेकर २९ मई १९५० तक हुआ। उनका यह कहना भी बिल्कुल गलत है। घाटा कुल उस बीच में ८ हजार रुपये का हुआ। वह वहां की बैलेंस शीट मंगा कर देखें। उन्होंने टेलीफोन किया। वह मंत्री हैं, बड़े भारी मंत्री हैं और बाअसर आदमी हैं। दफ्तर के लोग कहते हैं कि यह हमसे भूल होगई। कैसे दे दिया जो बैलेंस शीट बनाई गई उसमें २० परसेंट डिडक्ट करके हुआ। स्टाक को वैलुएशन थोड़ी कम कर दी गई। रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटी, द्वारा नियत किये गये थे, हमारे द्वारा नियत नहीं किये गये थे। वह बैलेंस शीट लाये और खट से उन्होंने कह दिया।

मुझे बड़ा दुख है कि इस आदरणीय सदन में इस प्रकार की बातें की जाती हैं। अब आप देखें कि यह भी कहा गया कि २५ हजार रुपये की रकम दी गई थी। यह लखनऊ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स डाक्टर काटजू साहेब ने खोला था और पहले साल इसका इंतजाम कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के हाथ में रहा। इस १० महीने के करीब में, श्रीमन्, १५ हजार रुपये का घाटा इस लखनऊ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स को हुआ। सन् ४८ में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने यह कहा कि उसकी यह योजना असफल रही और प्रान्त में जहां जहां भी उसने कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसायटीज खोलीं सब की सब फेल हो गईं। लेकिन कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसायटी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने जब इस मसले पर उनके इस उत्तर पर विचार

[श्री त्रिलोकी सिंह]

किया तो यह तय किया कि उसको हम इस तौर पर खत्म नहीं करेंगे बल्कि इसे चलायेंगे। माननीय मंत्री ने मालूम नहीं क्यों इस प्रकार का उत्तर दिया। श्रीमन्, यह भी बात याद रखने योग्य है कि माननीय मंत्री भी स्वयं उसके एक सदस्य हैं और उसके डेवलपमेंट बोर्ड के भी वह सदस्य हैं। आप यह देखें कि कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव को ४२ हजार रुपये की पूंजी है और वह एक सार्वजनिक संस्था है। वह कानून के अन्तर्गत बनी हुई है। उसके बारे में इस तरह गैर जिम्मेदाराना गलत, बेबुनियाद और असत्य बातें इस आदरणीय सदन में कहने का क्या असर पड़ता है।

वह एक सार्वजनिक महत्व के विषय हैं और मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि उनके इस कथन का असर यह पड़ा है कि १०,२०, ५० चिट्ठियां पिछले दो-तीन महीनों के अन्दर आ चुकी हैं कि हम मेम्बरी से इस्तीफा देते हैं क्योंकि यह मालूम हुआ है कि यहां बड़ा गोलमाल है। इससे व्यापार के ऊपर बहुत बड़ा धक्का लगा है। श्रीमान् आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के संबंध में उन्होंने यह छः-सात बातें कही हैं और मैं वही कोट करता हूं जो उन्होंने कही हैं।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य समय का जरा खयाल रक्खें।

श्री त्रिलोकी सिंह--जी, मैं अपनी बात को १५ मिनट के अन्दर खत्म कर दूंगा। उन्होंने यह कहा है:--

(१) जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशानुसार औसतन ३ वैगन में ४ लाख ईंटें बननी चाहिये। अतः ३२ वैगनों में करीब ४२ लाख ईंटें होनी चाहिये। किन्तु न्यूनतम अनुमान करते हुए भी जिला मैजिस्ट्रेट का कहना है कि एक वैगन में एक लाख ईंटें अवश्य बननी चाहिये। इस न्यूनतम अनुमान के अनुसार ३ लाख ईंटों का हिसाब नहीं मिलता।

(२) संघ ने कोयला गांवों में विकास कार्य के लिये लिया, किन्तु इस कोयले से बनाई गई ईंटें ऐसे लोगों को भी बेची गयीं जिनका ग्रामीण क्षेत्रों से कोई संबंध नहीं है।

(३) जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि इस प्रकार का कोई स्टाक का हिसाब नहीं रक्खा गया है।

(४) अब तक की जांच से यह पता लगता है कि उन्होंने श्रेणीवार कोई हिसाब ही नहीं रक्खा।

(५) संघ ने मनमाने ढंग से जिसको चाहा ईंटें बेचीं।

(६) ईंटों के खरीदार को एक निर्धारित फार्म में कैशमेमो देना आवश्यक है, जिससे कि यह नियंत्रण रहे कि नियंत्रित दरों से अधिक दाम लेकर भट्ठेवाला चोर-बाजारी तो नहीं करता।

(७) कई दफा जिलाधीश के लिखने पर वह भी कागजात जिनको सरकार और जिलाधीश चाहते थे उन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं।

श्रीमन्, जिस भट्ठे के बारे में माननीय मंत्री ने यह बातें कही हैं, वह भट्ठा सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार चलाया गया था। सामूहिक लड़ाई का चन्दा, जो लखनऊ जिला में सार्वजनिक कार्यों के लिये वापसी के लिये रक्खा गया था, उसी में से उस कमेटी की सिफारिश पर जिसके माननीय मंत्री भी एक सदस्य थे, उनकी मौजूदगी में और उनकी राय से जो योजना तैयार की गयी थी उसके अन्तर्गत ७०

हजार रुपया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट असोसियेशन को दिया गया था। जिला मैजिस्ट्रेट ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट असोसियेशन को चिट्ठी लिखी कि यह तुम रुपया इस्तेमाल करो और भट्ठा भी खोलो। भट्ठा खोला गया और उसके लिये कोयला जिला मैजिस्ट्रेट से चीफ इंजीनियर पी० डब्ल्यू० डी० से, कोयला कंट्रोलर यू० पी० गवर्नमेंट से, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पी० डब्लू० डी०, लखनऊ से और दूसरे अधिकारियों से हासिल किया गया। डेवेलपमेंट कमिश्नर ने भी उसके दिलाने में मदद की। माननीय मंत्री जी ने यह फरमाया है कि तीन लाख ईंटों का पता नहीं लगता। मालूम नहीं माननीय मंत्री किस हवा में यह बात कह गये। मैं तो उनको चुनौती देता हूं। श्रीमन् आपके द्वारा कि अगर एक ईंट भी कमी वह बतला दें तो मैं उनको मान जाऊंगा। अपने द्वेष और मनोमालिन्य को इस आदरणीय सदन में प्रकट करना उचित नहीं है क्योंकि वह खुद उसके सदस्य थे, बाहर निकल करके वह अगर कहें तो उनको मालूम हो जायगा कि उनकी बात की भी तरदीद आसानी से की जा सकती है। पी० डब्ल्यू० डी०, जिसके माननीय मंत्री हमारे सामने सुशोभित हैं, उसका रूल यह है कि २२ टन कोयले पर एक लाख ईंटें बनती हैं और यह भी सब को मालूम है कि नये भट्ठे में कोयला ज्यादा लगता है। यह भी हर एक को मालूम है कि २२ टन पर एक लाख ईंटों का औसत तब पड़ता है जब २५ लाख ईंटें बनायी जाती हैं। हमारे भट्ठे में पहले साल १२ लाख ईंटें बनायी गयीं और हमने १२ वैगन कोयला खर्च किया और कुछ कचड़ा भी इस्तेमाल किया। इसी प्रकार २२ टन कोयले के औसत पर २० लाख ईंटें दूसरे साल फुंकनी चाहिये थीं। बजाय २० लाख के १९,०४,५७० ईंटें बनाई गयीं। श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के इतने भट्ठे हैं और सरकार ने तमाम काम किये हैं उनका क्या तजुरबा है? क्योंकि वह ठेकेदारों से जो काम कराते हैं मैं इस बात का दावा करता हूं और मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास से एग्जामिनर लोकल फंड्स की सन् ४९ और ५० की जांच मौजूद है उसमें एक पैसे का गोलमाल नहीं है।

माननीय मंत्री कहते हैं कि कैश मेमो नहीं दिये गये बिल्कुल असत्य और गलत है। २३ सितम्बर को कैश मेमो के डुप्लीकेट्स डिस्ट्रिक्ट्स सप्लाई आफिसर को दे दिये गये, उसकी रसीद मेरे पास मौजूद है। माननीय मंत्री कहते हैं कि स्टाक रजिस्टर नहीं है। स्टाक रजिस्टर क्लासवाइज नम्बर १, २ ३ खंजड़-बंजड़ का रखा गया। इतनी तरह की चीजों को मैंने तो बेचा नहीं और वाकया यह है कि दो वर्ष के अन्दर मैं दो मर्तबा भट्ठे पर गया हूं। मैंने चेयरमैनी की है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एसोसियेशन की भी, स्कूलों की भी और कोआपरेटिव सोसाइटीज की। मैं चेयरमैन का यह फर्ज नहीं समझता हूं कि बैठे-बैठे एक चीज को बिकवाऊं। मैं जानता हूं कि कैसे चेयरमैनी की जाती है। सरकारी रिपोर्टों में देखिए, कमिश्नर्स के रिव्यू में देखिए। गधे का बोझा लादकर मैंने चेयर-मैनी कभी नहीं की। रसीदें मेरे पास मौजूद हैं, स्टाक रजिस्टर उनके पास मौजूद हैं। सप्लाई आफिसर हाथ-पैर मारते हैं कि आपने कैसे यह कह दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज था कि ऐसी गलत रिपोर्टें दे दी गयीं। श्रीमन्, यह भी कहा गया है कि मैंने मनमाने ढंग से ईंटें बेची और उन लोगों को भी ईंटें दीं जिनके लिये कोयला नहीं हासिल किया गया था। मालूम होता है कि मैं बड़ा भारी मुजरिम हूं। अगर मैंने जुर्म किया है तो मेरे ऊपर मुकद्दमा चलायें। ५-५ सी० आई० डी० गांव-गांव में जाते हैं कि भइया तुम भी दरखवास्त दिये रहो यह पूछते हैं। लखनऊ के अन्दर जितने भी भट्ठे हैं और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर के यहां दरखवास्तें दी गयीं सरकार उसकी २० फीसदी दरखवास्तें दिखला दे तो मैं सलाम करूंगा। मेरे यहां ९०-९५ फीसदी दरखवास्तें हैं। एक-एक कैशमेमो दिया गया, इंपीरियल बैंक में रुपया जमा किया गया जिसकी बाकायदा

[श्री त्रिलोकी सिंह]

एक्जामिनर लोकल फंड्स ने जांच की। और कहा जाता है कि मैंने मनमने ढंग से बेचा। किसके यहां बेंचा? एक ईंट भी बता दीजिये कि लखनऊ शहर के किसी बाशिन्दे को यदि मैंने बेची हो या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट असोसियेशन ने बेची हो। लखनऊ म्युनिसिपैलिटी को १,९१,००० ईंटें दीं जब उनको नहीं मिलती थीं। डिस्ट्रिक्ट टेलीग्राफ इंजीनियर को ईंटें दीं, जुबली गर्ल्स स्कूल को दीं लखनऊ एजुकेशनल सोसाइटी को दीं। माननीय मंत्री यह कहते हैं कि मनमाने ढंग पर बेची गयीं और कहते हैं कि परमिट नहीं लिया गया। किसका परमिट? जरा कानून कायदा देखें। यह तो वकील रहे हैं। कायदा यह है--

"This Order may be called the Lucknow Coal Dust Control Order. It applies only to the bricks made from the coal dust allotted by the Chief Engineer, U. P., P. W. D."

(इस आदेश का नाम "लखनऊ कोयला चूर्ण नियंत्रण आदेश" होगा। यह कोयला उन ईंटों पर लागू है जो संयुक्त प्रान्तीय निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर द्वारा एलाट किये गये कोयले के चूरे से बनी हों।)

चीफ इंजीनियर ने ४ वैगन कोयला हमको दिया। ४ अगस्त, १९४९ के पहिले हाई कोर्ट की रूलिंग के ऊपर, जिसको सरकार बखूबी जानती है, भट्ठों पर ईंटें बेचने के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परमिट की आवश्यकता नहीं थी और मैं कहता हूं कि अगर मैंने जुर्म किया है तो उसकी इस आदरणीय सदन में छीछा-लेदर न की जाय। आपके हाथ में अख्तियार है। जाइये मुकदमा चलाइये। श्रीमन्, मैं अपनी बात खत्म करने के पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस भट्ठे में सरकार का करीब २५,००० रुपया लगा है मगर उसका काम बिल्कुल ठप है। कोयला रखा हुआ है, ईंटें रखी हुई हैं। मैं कोई व्यापारी नहीं, बनिया का काम नहीं है, मेरा काम नहीं है कि मैं बस्ता दाबकर, जाकर ईंटें बिकवाऊं। वह १५-२० हजार रुपये के घाटे की जिम्मेदारी माननीय मंत्री के सिर के ऊपर है और मैं यह निवेदन करूंगा और मैं यह आशा करता हूं कि श्रीमन् इस आदरणीय सदन को कभी भी इस तरह के वैमनस्यपूर्ण और द्वेषपूर्ण उत्तर देने में और बयान करने के सिलसिले में नहीं इस्तेमाल होने देंगे। मैं आपका मशकूर हूं कि इतना समय मुझे आपने अपनी बात पेश करने का दिया।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि "शेम शेम" कहना क्या पार्लियामेंटरी तरीका है? क्योंकि फिर इधर से भी लोग कहना शुरू करेंगे।

माननीय अध्यक्ष--अगर इससे एहतियात रखी जाय तो ज्यादा अच्छा है।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, जिन प्रश्नों के बारे में अभी माननीय श्री त्रिलोकी सिंह जी ने कुछ सवालात उठाये हैं मैं उनके संबंध में खुद अपनी रायजनी तो करूंगा नहीं। सिर्फ उन कागजात को भवन के सामने पढ़ कर सुनाऊंगा जो जिलाधीश और सी० आई० डी० ने अपनी इन्क्वायरी के बाद गवर्नमेंट के पास अपनी सिफारिशात और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिये उसके संबंध में लिखकर भेजा है।

लखनऊ कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी के संबंध में जो एडीशनल रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, यू० पी० ने ५ अक्तूबर, १९५० को प्रदेश की सरकार के पास लिख

कर भेजा उस चीज को पढ़ कर भवन के सामने सुना देना चाहता हूं जिससे भवन के सदस्य समझ जायंगे कि जो उत्तर इस संबंध में प्रदेश की सरकार ने दिये थे वह सत्य थे या नहीं या किस बुनियाद पर मबनी थे।

"The Lucknow Consumers Co-operative Society Ltd., Hazratganj was registered on December 21, 1946.

During the years 1948-49 and 1949-50 not a single meeting of its Central Body was held. No Annual General meeting was also held during these two years. During the year 1949-50, as reported by the Assistant Registrar, Co-operative Socieites, Lucknow, three meetings of the Board of Management were held. There was no meeting of the Executive Committee.

A copy of the certified Balance Sheet drawn by the Auditors after auditing accounts of the Society for the period July 1, 1949 to May 29, 1950, is enclosed. According to the Balance Sheet figures the Society had suffered a total loss of Rs. 23, 876-0-5 at the close of May, 1950. In this connection it may also be noted here that in July, 1947, the Provincial Co-opertative Development and Marketing Federation, Lucknow, made a grant of Rs. 25,000 to this society for meeting losses on its first year's working and creating substantial reserve. The Society has so far not been able to build any reserve fund, rather it has suffered further losses to the extent of Rs. 23,876-0-5.

The share money of the members amounts to Rs. 41,980 and according to the Balance Sheet figures this Consumers' Stores had to pay at the close of may 1950 to the bank and to the Provincial Marketing Federation about Rs. 10,000. It had also to pay bills at the close of May, 1950, to the extent of Rs. 17,480 for supplies received. As against these main outside liabilities the value of stock in hand on May 29, 1950 is shown as Rs. 36,059-9.

(लखनऊ कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हजरतगंज का पंजीकरण २१ दिसम्बर, सन् १९४६ ई० को हुआ था।

सन् १९४८-४९ और १९४९-५० ई० के काल में इसके केन्द्रीय निकाय की एक भी मीटिंग नहीं हुई। इन दो वर्षों में कोई साधारण वार्षिक मीटिंग भी नहीं हुई। जैसा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, लखनऊ ने रिपोर्ट किया है, प्रबन्धक बोर्ड की १९४९-५० के वर्ष में तीन बैठकें हुई। कार्यकारिणी समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

आडिटरों ने सोसाइटी के पहली जुलाई, सन् १९४९ से २९ मई, सन् १९५० तक के हिसाब का निरीक्षण करके जो बैलेंस शीट बनाई उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि नत्थी है। बैलेंस शीट के आंकड़ों से पता चलता है कि मई, सन् १९५० के अन्त तक सोसाइटी को कुल २३,८७६ रुपये ५ पाई की हानि हुई। इस सम्बन्ध में यहां पर यह लिखना भी उचित है कि अपने प्रथम वर्ष के कार्य में होने वाली हानि को पूरा करने के लिये तथा पर्याप्त सुरक्षित निधि संचित

[माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त]

करने के लिये प्राविशियल कोआपरेटिव डेवलपमेंट ऐण्ड मार्केटिंग फेडरेशन, लखनऊ ने जुलाई, १९४७ में इस सोसाइटी को २५,००० रुपये का एक अनुदान दिया। सोसाइटी अभी तक कोई सुरक्षित निधि नहीं बना सकी है, अपितु उसने २३,८७६ रुपये ५ पाई की और हानि उठाई है।

सदस्यों के शेयरों का धन ४१,९८० रुपये है, और बैलेंस शीट के आंकड़े के अनुसार इस कंज्यूमर्स स्टोर ने मई, १९५० के अंत में बैंक को और प्राविशियल मार्केटिंग फेडरेशन को १०,००० रुपये दिये। जो सप्लाई प्राप्त हुई उसके कारण इसको १७,४८० रुपये के बिल भी चुकाने पड़े। इन वाह्य प्रमुख देनों के मुकाबिले में, २९ मई को जो स्टाक हाथ में था उसका मूल्य ३६,०५९ रुपये ९ आने दिखाया गया है।)

इससे जो बात अभी माननीय श्री त्रिलोकी सिंह जी ने कही है वह साफ जाहिर हो जाती है कि कितना घाटा इस सोसाइटी का हुआ और कितना अधिक घाटा उस सम (धनराशि) से भी हुआ जो मैंने अपने उत्तर में बताया था। उन्होंने कहा कि इक्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई। कोआपरेटिव सोसाइटी में एक तो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स होते हैं और दूसरे इक्जीक्यूटिव कमेटी होती है। इक्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग साल में बहुत मरतबे होती हैं। लेकिन बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग साल में एक आध मरतबा ही होती है। मैंने कहा था कि इक्जीक्यूटिव की मीटिंग नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने असत्य बातें कहीं। जो मुझे एडीशनल रजिस्ट्रार ने इत्तिला दी उसकी ही बिना पर सरकार ने यह उत्तर दिया था। दूसरी बात जो उन्होंने डेवलपमेंट असोसियेशन के सम्बन्ध में कही और मुझे चुनौती दी। उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई राय नहीं देनी है और न मैंने अपनी राय दी थी। उस सम्बन्ध में जो जिलाधीश ने १३ सितम्बर को सरकार के पास चिट्ठी भेजी थी उसका कुछ हिस्सा पढ़ कर सुना दूं।

" It will appear that the bulk of the allotment of coal dust received by the District Development Association came from the Provincial Iron and Steel Controller, Kanpur. Out of the 39 wagons of coal received as many as 31 wagons were received direct from the above authority. Six wagons of coal dust are shown to have been received from the Executive Engineer, P. W. D., and two wagons from the District Supply Office, Lucknow. On the basis of the above quantity of coal dust the Association should have been able to manufacture 39 lakhs of bricks. Their records, however, show that they have still 7 wagons of coal dust left unutilized, i. e., they have so far utilized 32 wagons of coal dust which should have brought them at least 32 lakhs of bricks. This does not take into account over 2 lakhs of bricks admittedly burnt by them by means of cinder and firewood. From the records submitted by the Association only 31 lakhs of bricks are shown to have been burnt by the Association. Including the quantity burnt by means of cinder and firewood, the Association should have had a total of 34 lakhs of bricks as against a total of 31 lakhs of bricks disclosed by the records. This leaves a discrepancy of 3 lakhs of bricks, judging from the normal turn out of a lakh of bricks from a wagon of coal dust in Lucknow. As far we have been able to see from

the records submitted by the Association, no record has been kept as regards the quality of bricks burnt at the kiln, i. e., 1st class, 2nd class and 3rd class bricks.

The Chairman, District Development Association, Lucknow, was never authorised by the District Magistrate, or the District Supply Officer, to issue buying permits in respect of bricks burnt at the Association's kiln. The Chairman, District Development Association, now reports that he moved the District Magistrate in April, 1949, for the grant of permission to issue permits. Our records do not show that such a request was ever received. In any case the Chairman does not claim to that he received any sanction from the District Magistrate in response to his request in this connection. *Prima facie*, therefore, the permits issued by the Chairman or the District Co-operative Officer on his behalf for bricks were in violation of the Local Bricks Control Order, 1948.

The records submitted do not show to whom the permits were issued. No cash memos had been submitted by the Association in respect of the sale of bricks and no progress reports have been submitted as required by the rules."

(यह स्पष्ट है कि जिला डेवलेपमेन्ट एसोसियेशन ने जो कोयले का चूरा पाया उसका अधिकतर भाग प्रान्तीय लोहा और इस्पात नियंत्रक, कानपुर से आया। आये हुए कोयले के ३९ वैगनों में से ३१ वैगन उक्त प्राधिकारी के पास से आये। दिखाया गया है कि निर्माण विभाग के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहां से कोयले के चूरे के ६ वैगन आये और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिस, लखनऊ से दो वैगन आये। कोयले के चूर्ण के उपर्युक्त परिमाण के आधार पर एसोसियेशन को ३९ लाख ईंटें बनानी चाहिये थीं। तथापि उनके अभिलेखों से पता चलता है कि एसोसियेशन के पास अब भी सात वैगन चूरा मौजूद है जो इस्तेमाल में नहीं आया, अर्थात् अभी तक उसने ३२ वैगन चूरा इस्तेमाल किया है जिससे कम से कम ३२ लाख ईंटें बन सकती थीं। इसमें वे दो लाख ईंटें सम्मिलित नहीं हैं जिनके बारे में यह स्वीकार किया जाता है कि उन्हें एसोसियेशन ने लकड़ी और अधजले कोयले से पकाया था। ऐसोसियेशन ने जो अभिलेख दिये हैं उनसे यह पता चलता है कि उसने केवल ३१ लाख ईंटें पकाईं। अभिलेख में ३१ लाख ईंटों का जो आंकड़ा दिया गया है उसके बदले ३४ लाख ईंटें होनी चाहिए थीं जिसमें वह ईंटें भी सम्मिलित होतीं जो लकड़ी और अधजले कोयले से पकाई गईं। लखनऊ में साधारणतया एक वैगन चूरे से १ लाख ईंटें निकलती हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए ३ लाख ईंटों का फर्क पड़ता है। एसोसियेशन के दिए हुए अभिलेखों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि भट्ठे में पकाई गई ईंटें किस किस श्रेणी की थीं, अर्थात् कितनी कितनी ईंटें प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी की थीं?

जिला डेवलेंपमेन्ट एसोसियेशन, लखनऊ के चेयरमैन को जिलाधीश या जिला सप्लाई अफसर ने कभी यह अधिकार नहीं दिया था कि एसोसियेशन के भट्ठे में पकी हुई ईंटों के लिये क्रय-परिमितियां जारी करे। जिला डेवलेपमेन्ट एसोसियेशन के चेयरमैन का अब यह कथन है कि उन्होंने अप्रैल, १९४९ में जिलाधीश से प्रार्थना की थी कि परिमितियां जारी करने की अनुमति दी जाय। इन अभिलेखों में इस बात का पता नहीं चलता कि ऐसी कोई प्रार्थना आई थी। कुछ भी हो, चेयरमैन न

कहीं यह नहीं कहा कि इस विषय में की गई प्रार्थना की स्वीकृति जिलाधीश से उनके पास आई थी। इसलिये यह स्पष्ट है कि चेयरमैन द्वारा या उनकी ओर से जिला सहयोग अधिकारी के द्वारा जारी की हुई ईंटों की परिमितियां स्थानीय ईंट नियंत्रण आदेश, १९४८ के विरुद्ध जारी की गईं।

दिए हुए अभिलेखों में यह कुछ नहीं लिखा कि ये परिमितियां किसको दी गईं ऐसोसियेशन ने कोई नकदी परचे ईंटों की बिक्री के नहीं दिये और नियमों के अनुसार कार्य प्रगति की जिन रिपोर्टों की आवश्यकता होती है, वे रिपोर्टें भी अभी नहीं दी गईं।)

यह तो मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के उस लेटर का हवाला दिया जिसकी बिना पर यह सवाल बनाये गये थे लेकिन उसके बाद सी० आई० डी० की रिपोर्ट भी है। मैं आपके सामने उसका कुछ हिस्सा पढ़ कर सुना देना चाहता हूँ इसलिये कि उसमें कुछ पोर्शन्स (अंश) ऐसे हैं जिसका यहां पर पढ़कर सुनाना पब्लिक इंट्रेस्ट में नहीं है क्योंकि वह अभी तक इन्क्वायरी में हैं। उसका हिस्सा यह है :

"The Lucknow Brick Control Order, 1948, with revised rates for bricks was already in force and the offiice-bearers of the District Develpment Assoeiation were responsible for the observance of the rules. In spite of all this rates higher than the controlled rates were charged on occasions. In some cases prices higher than controlled rates were charged but the sales were shown at controlled rates. In some cases sales were entered on the names of fictitious persons and stocks of bricks thus saved found their way to the black—market.

The Daily Sales Register wrongly shows the sale at the control led rate. Rupees 540 were actually received as the sale price for 20,000 sujwa bricks which come in the category of first "class bricks but the account books only show a receipt of Rs. 500. Thus this entry in the Account Books is false."

(ईंटों की पुनर्वीक्षित दरों सहित, लखनऊ ईंट नियंत्रण आदेश, १९४८ पहले से ही लागू था और जिला डेवलेपमेन्ट एसोसियेशन के पदाधिकारी नियमों के पालन के लिये उत्तरदायी थे। यह सब होते हुये भी कितनी ही बार नियंत्रित दरों से अधिक दरों के दाम लिये गये। कई बार ऐसा हुआ कि नियंत्रित दरों से ऊंची दरों के दाम लिये गये लेकिन नियंत्रित दरों पर बिक्री दिखाई गई। कितनी ही बार कल्पित व्यक्तियों के नाम में बिक्री लिखी गई और इस प्रकार जो ईंटें बचीं वे चोर बाजार में चली गईं।

दैनिक बिक्री के रजिस्टर में कंट्रोल की दरों पर बिक्री जो दिखाई गई है वह गलत है। २०,००० सुजवा ईंटों के दाम, जोकि प्रथम श्रेणी की ईंटों में आती हैं वास्तव में ५४० रुपये लिये गये परन्तु हिसाब के खातों में ५०० रुपये दिखाये गये हैं। इस प्रकार हिसाब के खाते में यह इन्दराज जाली है।)

श्री खुशवक्त राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूँ एवीडेंस ऐक्ट में ऐसा रूल है कि पूरा का पूरा पढ़ना चाहिये और उसका एक्स्ट्रेक्ट (उद्धरण) नहीं पेश हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष--जो माननीय सदस्य ने एवीडेंस ऐक्ट की बात कही है, जैसा वह अदालतों में लागू है, उससे तो मैं वैसे बिल्कुल सहमत हूँ। मगर यह कि अगर माननीय मंत्री कुछ हिस्सा पढ़ना चाहें इस सदन में तो वह पढ़ सकते हैं। एवीडेंस ऐक्ट का ताल्लुक इस सदन में भी उसी तरीके से है जैसा कि अदालत में है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। माननीय मंत्री जी जो मुनासिब समझें, पढ़ सकते हैं। उनको अख्तियार है कि जो मुनासिब समझें, पढ़ें। नतीजा निकालना सदन के हाथ में है।

श्री ई० एम० फिलिप्स--एक प्वाइंट आफ आर्डर है . . . . . ।

माननीय अध्यक्ष--अब मैं कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं सुनूंगा। अब समय समाप्त हो रहा है।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--

"For example, entries in the Daily Sales Register show that X was charged Rs. 242 against the controlled rate of Rs. 200. Similarly there are other transactions at higher than the controlled rates.

Similarly on some date bricks were sold to'X'for Rs. 540 instead of the controlled rate of Rs. 500. The bricks were sold without the orders of any legal authority. The excess amount of Rs. 40 realised on the date by such sale was criminally misappropriated and accounts were falsified."

(उदाहरणार्थ, दैनिक बिक्री के रजिस्टर से पता चलता है कि श्री 'एक्स' से २४२ रुपये लिये गये जबकि कंट्रोल का भाव २०० रुपये का था। इसी प्रकार कुछ दूसरे सौदे हैं जो कि कंट्रोल के भावों से ऊंचे भावों पर किये गये।

इसी प्रकार से किसी तारीख में कंट्रोल के भाव ५०० रुपये के बदले श्री 'एक्स' के हाथ ५४० रुपये में ईंटें बेची गयीं। ये ईंटें बिना किसी कानूनी प्राधिकारी के आदेश के बिकीं। उस तारीख को जो, ४० रुपये की अतिरिक्त आमदनी हुई, उसको अपराधपूर्ण रीति से हथिया लिया गया और जाली हिसाब बनाया गया।)

(शेम शेम की आवाजें)

माननीय अध्यक्ष--मैंने प्रार्थना की है कि "शेम" लफ्ज का इस्तेमाल न करें। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इसको मंजूर करेंगे।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--

"Investigations were made and it was found that there were no sale memos. The recommendations of. . . . are also forged, and the bricks were sold presumably in the black-market."

(जांच की गई और यह पता चला है कि बिक्री के नकदी पर्चे नहीं थे. . . . की सिफारिशें भी जाल करके बनाई गई हैं और ऐसा समझ में आता है कि ईंटें चोर-बाजार में बेची गयीं।)

[माननीय श्री चन्द्र भानुगुप्त]

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास जो जिलाधीश ने लिखकर भेजा है और जो इनक्वायरी का रिजल्ट (परिणाम) आया है उससे ऐसी बातें सामने आईं जिनका जिक्र इस अर्जी में था और जो भवन के सामने पढ़ी गई थीं यानी डेवलपमेंट असोसियेशन की तरफ से ईंटें और कुछ चीजें ब्लैकमार्केट में बेची गईं और उनका हिसाब ठीक तरह से नहीं रखा गया है, बेउनवानियां की गई हैं। इस किस्म की बातें आई हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो उत्तर आया है उसकी बिना पर सदन में उत्तर दिये गये थे। उनके लिये आज यह कहना कि मैं चुनौती देता हूँ, ठीक नहीं है। और मुझे इसकी आवश्यकता भी नहीं है।

सरकार के पास जब जब किसी संस्था की तरफ से शिकायतें आयेंगी तो सरकार उनकी इनक्वायरी (परिप्रश्न) अवश्य करायेगी। सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार ने जिलाधीश को लिखा कि वह डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन से कागजात मांग लें और जिलाधीश ने इस बात की शिकायत भी सरकार के पास भेजी है कि उन्होंने कई मर्तबा चेयरमैन, डेवलपमेंट बोर्ड से कागजात मांगे और उन्होंने सरकार को लिखा है कि उन्होंने जिलाधीश की रिक्वेस्ट (प्रार्थना) पर कोई अटेंशन पे नहीं की (ध्यान नहीं दी) और सरकार मजबूर हुई कि इन तमाम कागजात को सी० आई० डी० को दे दे और उससे इनक्वायरी कराये। सी० आई० डी० ने इनक्वायरी का एक जुज तो खत्म कर लिया है और इस सम्बन्ध में उसने अपनी कुछ सिफारिशें सरकार के पास भेजी हैं और सिफारिशें अभी तक गवर्नमेंट में देखी जा रही हैं।

ऐसा मालूम होता है कि जिस तरीके से ईंटों का तथा और चीजों का वितरण चल रहा था वह दोषपूर्ण, इर्रेगुलर (अनियमित) और गलत रहा है और उसमें बहुत सी खामियां और गलतियां हैं उसमें बेईमानी की बात भी साबित होती है।

आज जिस चीज का कि दावा किया गया है वह तो सही है कि यह मसला भवन में तय नहीं हो सकता है और उनका फैसला तो अदालत में ही होगा। अगर माननीय सदस्य यही चाहते हैं तो अदालत में ही इसका फैसला कराया जायगा क्योंकि यह बात सरकार के लिये भी जरूरी है कि अगर इस तरह की चीज की जाती है और उसका जो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है तो उस पर चुनौती दी जाती है तो उसको साफ करा दे . . . . .।

माननीय अध्यक्ष--अब माननीय मंत्री का वक्त खत्म हो गया है।

श्री त्रिलोकी सिंह--मैं एक मिनट में कुछ अर्ज कर दूं ?

माननीय अध्यक्ष--अब मैं मौका नहीं दे सकता। वक्त खत्म हो गया है।

श्री ई०एम० फिलिप्स--प्वाइंट आफ आर्डर को रिजेक्ट (अस्वीकृत) करने का अधिकार चेयर को है या नहीं, इस पर मैं रूलिंग चाहूँगा अगली मीटिंग में।

माननीय अध्यक्ष--बहुत अच्छा।

अब हम उठते हैं और इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित समय के लिये स्थगित की जाती है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४७ मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१९ जनवरी, सन् १९५१ ई० ।

नत्थी

(देखिये १९ जनवरी, १९५१ के तारांकित

नाम	दिसम्बर, १९४८	जनवरी, १९४९	फरवरी, १९४९	मार्च, १९४९	अप्रैल, १९४९
१---श्री राम सहाय, तहसीलदार (कन्नौज)	रु० आ० पा० २६२–१४–०	रु० आ० पा० १२४–१३–०	रु० आ० पा० १७५–८–०	रु० आ० पा० ११२–०–०	रु० आ० पा० २५५–१२–०
२---श्री राजनारायण तहसीलदार	९९–१५–० १–१२–४८ से ३०–१–४९ तक		३०–११–० २२–२–४९ से १२–३–४९ तक		७८–१२–०
३---श्री एस० के० मित्रा	..	..	..	..	४८–८–० ४१–८–०
४---श्री अब्दुल हई खां, तहसीलदार	९३–०–०	१३८–१३–० ६–१–४९ से ५–३–४९ तक		४१–९–० १०–३–४९ से २१–४–४९ तक	
५---श्री फरीदउद्दीन, तहसीलदार	३१–४–०	५५–२–०	१२०–७–०	२८६–११–० ५–३–४९ से ३–६–४९ तक	

"क"

प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०७ पर)

मई, १९४९	जून, १९४९	जुलाई, १९४९	अगस्त, १९४९	सितम्बर, १९४९	अक्तूबर, १९४९	नवम्बर, १९४९	दिसम्बर, ४९, जनवरी, ५०
..	१६९–८–०	२४२–५–० १–७–४९ से २९–८–४९ तक		८५–५–०	१०९–२–०	..	..
८३–१०–०	१०४–१३–०	१८२–४–० १–७–४९ से १–९–४९ तक		..	..	..	..
१२९–०–० १९–५–४९ से २३–६–४९ तक	७५–९–० २४–६–४९ से ३०–७–४९ तक		..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	.
..	..	..	४७–१३–०	१३०–५–० १५–९–४९ से ७–१०–४९ तक	२४४–०–० १२–१०–४९ से १८–११–४९ त	..	..

नत्थी 'ख'

(देखिए १९ जनवरी, सन् १९५१ ई० के तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०७ पर)
नवम्बर, सन् १९४८ से ३१ जनवरी, सन् १९५० ई० तक कन्नौज के तहसीलदार के साथ रहने वाले चपरासियों की सूची ।

नवम्बर, सन् १९४८ ई०

१—नन्दकिशोर चपरासी १०-११-४८ से ३०-११-४८ तक
२—जगमोहन अर्दली

दिसम्बर, सन १९४८ ई०

१—जगमोहन लाल अर्दली १ से १५ दिसम्बर, १९४८ ई०
२—चूनी लाल अर्दली १५ से ३१ दिसम्बर, १९४८ ई०
३—नन्द किशोर शिविर (कैम्प) में तहसीलदार के साथ रहा।

जनवरी, सन् १९४९ ई०

१—चम्मी लाल अर्दली
२—मुकुट तहसीलदार के साथ शिविर में रहे।

फरवरी, सन् १९४९ ई०

१—चम्मी लाल अर्दली
२—मुकुट .. .. १ से २२-२-४९ तक तहसीलदार के साथ शिविर में रहे।
३—रामगुलाम कुर्मी .. २३-२-४९ से २८-२-४९ तक तहसीलदार के साथ शिविर में रहे।

मार्च, सन् १९४९ ई०

१—चम्मी लाल अर्दली

अप्रैल, सन् १९४९ ई०

१—चन्नी लाल अर्दली
२—शीतल अर्दली
३—रामगुलाम कुर्मी .. अन्न संग्रह योजना के संबंध में रहे।
४—फरीद बेग .. अन्न संग्रह योजना के संबंध में रहे।
५—रामगुलाम .. अन्नसंग्रह योजना के संबंध में रहे।

मई, सन् १९४९ ई०

१—चन्नी लाल अर्दली ..
२—शीतल अर्दली
३—मिजूजी .. अन्न संग्रह योजना के संबंध में रहे।

जून, सन् १९४९ ई०

१—चन्नी लाल अर्दली
२—रामगुलाम अर्दली
३—मिजूजी
४—मदन गोपाल .. अन्न संग्रह योजना के संबंध में रहे।

जुलाई, सन् १९४९ ई०

१—चन्नी लाल अर्दली
२—रामगुलाम अर्दली
३—मदन गोपाल .. अन्न संग्रह योजना के संबंध में रहे।

अगस्त, सन् १९४९ ई०

१—मदन गोपाल, अर्दली
२—फक्कर, अर्दली

सितम्बर, सन् १९४९ ई०

१—मदन गोपाल, अर्दली
२—फक्कर, अर्दली

अक्तूबर, सन् १९४९ ई०

१—मदन गोपाल अर्दली
२—फक्कर अर्दली
३—शीतल
४—घस्सा .. जमींदारी–विनाश कोष के संबंध में रहे।
५—अनोखे लाल

नवम्बर, सन् १९४९ ई०

१—शीतल .. जमींदारी–विनाश कोष के संबंध में रहे।
२—फरीद बेग .. तहसीलदार के साथ जमीन्दारी–विनाश कोष के संबंध में शिविर में रहे।
३—रामगुलाम .. तहसीलदार के साथ जमींदारी विनाश कोष के संबंध में शिविर में रहे।
४—फक्कर, अर्दली
५—घस्सा, अर्दली
६—नन्द किशोर
७—अनोखे लाल .. जमींदारी–विनाश कोष के संबंध में शिविर में रहे।

दिसम्बर, १९४९ ई०

१—शीतल, अर्दली
२—अनोखे लाल, अर्दली
३—फरीद बेग
४—रामगुलाम (कुर्मी) .. जमीन्दारी विनाश कोष के संबंध में शिविर में रहे।

जनवरी, सन १९५० ई०

१—शीतल, अर्दली
२—अनोखे लाल, अर्दली
३—फरीद बेग .. जमींदारी विनाश कोष के संबंध में शिविर में रहे।
४—राम लाल

पी० एस० यू पी०—२२७–एल० ए०—१९५१ ई०—६६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड ८६

अ

अध्यक्ष, माननीय—

कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय झंडे के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव। खं० ८९, पृ० ३०८।

कानपुर रोडवेज की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव। खं० ८९, पृ० ४।

नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मन्त्री के वक्तव्य पर विवाद। खं० ८६, पृ० ३५८।

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के संबन्ध में महामान्य राज्यपाल का धन्यवाद। खं० ८८, पृ० २३४।

लखनऊ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, हजरतगञ्ज के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३६४, ३६६, ३६८, ३७३-३७४।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ९, लेखा शीर्षक १७, १८, १९ (ख) राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य। खं० ८९, पृ० २५।

वित्तीय वर्ष १९५०—५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ११-लेखा शीर्षक २५, (सामान्य प्रशासन के कारण व्यय, कमिश्नर और प्रशासन को छोड़कर)। खं० ८९, पृ० ५, १०, १६।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १२, लेखा शीर्षक-२५ सामान्य प्रशासन, कमिश्नर और जिला प्रशासन। खं० ८९, पृ० १६, १७।

[अध्यक्ष, माननीय—]

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १५, लेखा शीर्षक २८, जेल और बन्दी बस्तियां। खं० ८९, पृ० ३४।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा शीर्षक २९, पुलिस तथा अनुदान संख्या ३०, लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग—वाहन विभाग। खं० ८९, पृ० २६, ५५।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मागों पर मतदान, अनुदान संख्या १८, लेखा शीर्षक ३७, शिक्षा। खं० ८९, पृ० ५५।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १९, लेखा शीर्षक ३८, चिकित्सा। खं० ८९, पृ० ५५।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या २०, लेखा शीर्षक ३९, जन-स्वास्थ्य। खं० ८९, पृ० ५६।

वित्तीय वर्ष ९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या २१, लेखा शीर्षक ४०, कृषि सम्बन्धी विकास और खोज) खं० ८९, पृ० ५६।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या २२, लेखा शीर्षक ४०, (कृषि इंजिनियरिङ्ग और उपनिवेशन)। खं० ८९, पृ० ५६।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या २४, लेखा शीर्षक ४१, पशु-चिकित्सा। खं० ८९, पृ० ५६।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या २५, लेखा शीर्षक ४१, विद्युत् योजनाओं पर व्यय। खं० ८९, पृ० ५६।

वित्तीय वर्ष १९५०—५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या २८, लेखा शीर्षक ४३, उद्योग और ४४, उड्डयन। खं० ८९, पृ० ५६।

वित्तीय वर्ष सन् १९५०–५१ ई० अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या २९, लेखा शीर्षक ४७, विविध विभाग। (श्रम) खं० ८९, पृ० ५६।

वित्तीय वर्ष १९५०—५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या ३२, लेखा शीर्षक ५०, नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क कोष से वित्तीय सहायता। खं० ८९, पृ० ५७।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या ३४, लेखा शीर्षक ५०, नागरिक निर्माण कार्य सहायक अनुदान। खं० ८६, पृ० ५७।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ३५, क, लेखा शीर्षक ५४ क, प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें। खं० ८६, पृ० ५७।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ३८, लेखा ५७, विविध व्यय। खं० ८९, पृ० ५७।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ३९, लेखा शीर्षक ६३, असाधारण व्यय। खं० ८६, पृ० ५७।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ४५, लेखा शीर्षक ८७, राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा। खं० ८९, पृ० ५७।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ४७, लेखा शीर्षक ८२, राजस्व लेखे के बाहर दूसरे प्रान्तीय निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा (कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता और पुनर्वासन योजनाओं पर पूंजी की लागत)। खं० ८९, पृ० ५८।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ५०, लेखा शीर्षक 'द', प्रान्तीय सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण। खं० ८६, पृ० ५८।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या ५१, लेखा शीर्षक 'त' जमा और, अग्रऋण। खं० ८९, पृ० ५८।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविकशन, (अमेंडमेंट,) विधेयक। खं० ८९, पृ० २९१, २९२।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक। खं० ८९, पृ० ३२६।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक। खं० ८९, पृ० ७१-७९।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९, पृ० ८९, १७३, १७४, २१२, २१५ २२१, २२८, २३४-३५, २४४, २४५, २५६, २७६, २८०, २९०, २९१।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक। खं० ८६, पृ० ९३, ६४।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शिक्षा विधेयक। खं० ८६, पृ० २६४।

[अध्यक्ष, माननीय]
सन् १९५० ई० का कानपुर अर्बनएरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन (कार्यवाही वैधीकरण) विधेयक। खं० ८९, पृ० ८०, ८१।
सन् १९५० ई० का यू० पी० मेंटिनेन्स आफ पब्लिक आर्डर (निवर्तन) विधेयक। खं० ८९, पृ० ८२।
सन् १९५० ई० का मोटर वेहिकिल्स उत्तर प्रदेशीय (संशोधन) विधेयक। खं० ८६, पृ० ८४, ८६, ८७।
सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने का) विधेयक। खं० ८६, पृ० २९३, २९४।
सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक। खं० ८९, पृ० ६१-६४, ६५।
अनुपूरक अनुदानों—
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के-लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ९, लेखा (शीर्षक) १७, १८, १९ ख), राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य। खं० ८९, पृ० २४-२५।
वित्तीय वर्ष सन् १९५०-५१ ई० के-लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ११, लेखा शीर्षक २५, सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (कमिश्नर और जिला प्रशासन को छोड़कर)। खं० ८९, पृ० ५-१६।
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के-लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १२, लेखा शीर्षक २५, सामान्य प्रशासन, कमिश्नर और जिला प्रशासन। खं० ८९, पृ० १६-१७।
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के-लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १३, लेखा शीर्षक २८, जेल और बदी बस्तियां। खं० ८९, पृ० १७-२४।
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के—लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा शीर्षक २१, पुलिस तथा अनुदान संख्या ३०, लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग—वाहन विभाग। खं० ८९, पृ० २५-५५।
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के-लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १८, लेखा शीर्षक १७, शिक्षा। खं० ८९, पृ० ५५।
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के—लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १९, लेखा शीर्षक ३८, चिकित्सा। खं० ८९, पृ० ५५।
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के—लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या २०, लेखा शीर्षक ३९, जन स्वास्थ्य। खं० ८९, पृ० ५६।
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के-लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या २१, लेखा शीर्षक ४०, कृषि सम्बन्धी विकास और खोज। खं० ८९, पृ० ५६।
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के-के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या २२, लेखा शीर्षक ४०, कषि इञ्जीनियरिङ्ग और उपनिवेशन। खं० ८९, पृ० ५६।

वितीय वर्ष १०९५-५१ ई० के—के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या २४, लेखा शीर्षक ४१, पशुचिकित्सा। खं० ८९, ० ५६।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या २५, लेखा शीर्षक ४१, विद्युत योजनाओं पर व्यय। खं० ८९, पृ० ५६।

वितीय वर्ष १९५०-५१ ई० के—के लिये माँगों पर मतदान अनुदान संख्या २८, लेखा शीर्षक ४३, उद्योग और ४४, उड्डयन। खं० ८९, पृ० ५६।

वितीय वर्ष १९५०-५१ ई० के—के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या २९, लेखा शीर्षक ४७, विविध विभाग (श्रम)। खं० ८९, पृ० ५६।

वितीय वर्ष १९५०-५१ ई० के—के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या ३१, लेखा शीर्षक ५०, नागरिक निर्माण कार्य। खं० ८९, पृ० ५६-५७।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के—के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ३२, लेखा शीर्षक ५०, नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क कोष से वित्तीय सहायता। खं० ८९, पृ० ५७।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के—के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या ३४, लेखा शीर्षक ५० नागरिक निर्माण कार्य—सहायक अनुदान। खं० ८९, पृ० ५७।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के—के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या ३५ क, लेखा शीर्षक ५४ क, प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें। खं० ८९, पृ० ५७।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के—के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या ३८, लेखा शीर्षक ५७ विविध व्यय खं० ८९, पृ० ५७।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के—के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या ३९, लेखा शीर्षक ६३, असाधारण व्यय। खं० ८९, पृ० ५७।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के—के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या ४५ लेखा शीर्षक ८१, राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूँजी का लेखा। खं० ८९, पृ० ५७।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के—के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या ५०, लेखा शीर्षक 'द',—प्रान्तीय सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण। खं० ८९, पृ० ५८।

वितीय वर्ष १९५०-५१ ई० के—के लिये मागों पर मतदान, अनुदान संख्या ५१, लेखा शीर्षक 'त', जमा और अग्रऋण। खं० ८९, पृ० ५८।

अपीलें—

प्र० वि०—आर्थिक वर्ष १९४-५१ ई० में सरकार की बिक्री-कर से आय तथा बिक्री-कर के सम्बन्ध में—। खं० ८९, पृ० ३०७-३०८।

अभिभाषण—
महामान्य राज्यपाल के—पर विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के संबन्ध में महामान्य राज्यपाल का धन्यवाद। खं० ८९, पृ० २३४।

अम्मार अहमद खाँ, श्री—
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक। खं० ८९, पृ० ८७, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६-९८।
सन् १९५० ई० का मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेशीय सशोधन विधेयक। खं० ८९, पृ० ९३।

असेम्बली तथा कौंसिल—
प्र० वि०—की दैनिक कार्यवाही की पुस्तिकाओं की छपाई। खं० ८९, पृ० ३०४-३०५।

अस्थायी सभापति—
नगर पालिकाओं—के निर्वाचन के संबन्ध में माननीय स्वशासन मन्त्री के वक्तव्य पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३३९, ३४०, ३४३, ३४४।

आ

आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री—
नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मन्त्री के वक्तव्य पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३४०, ३४२, ३४४, ३४५, ३५९, ३६४।
लखनऊ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, हजरतगंज के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३६८।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीया म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९, पृ० १६५-१६७, १६७, १७०, १७१, १७४, २०४, २२१, २२१-२२६, २५५, २५६, २५८, २८२-२९०।
सन् १९५० ई० का कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कास्टीटयूशन) (कार्यवाही वैधीकरण) विधेयक। खं० ८९, पृ० ८०।

आर्थिक वर्ष—
प्र० वि० १९४९-५० ई० में सरकार की बिक्री कर से आय तथा बिक्री-कर के सम्बन्ध में अपीलें। खं० ८९, पृ० ३०७—३०८।

आर्थिक सहायता—
प्र० वि०—बस्ती जिले में राजनीतिक पीड़ितों की—खं० ८६, पृ० ६६।

इ

इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती—
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाइ संबन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक। खं० ८९, पृ० १००-१०१।

इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री—
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा शीर्षक २९, पुलिस तथा अनुदान संख्या ३०, लेखा शीर्षक ४७, विविध विभाग, वाहन विभाग। खं० ८९, पृ० २८-३०।
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९, पृ० २७८-२८०।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी) आकस्मिक अधिकार) विधेयक। खं० ८९, पृ० १०६-१०८।

उपाध्यक्ष—

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा शीर्षक २९, पुलिस तथा अनुदान संख्या ३०, लेखा शीर्षक ४७, विविध विभाग, वाहन विभाग। खं० ८९, पृ० ३५।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश कँट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक। खं० ८९, पृ० १३९।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक। खं० ८९, पृ० ३३१, ३३२, ३३४।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपलिटियों का अनुपूरक विधेयक। खं० ८९, पृ० २१४-२१५, २६३, २६४।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक। खं० ८९, पृ० ११०, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२५, १२६, १२७, १३१, १३३, १३५, १३६, १३७।

सन् १९५० ई० का शिक्षा विधेयक। खं० ८९, पृ० १०२।

ऐजाज़ रसूल, श्री—

नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मंत्री के वक्तव्य पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३५०, ३५७।

औषधि नियन्त्रण—

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश—(संशोधन और अधिकार को जारी रखने का) विधेयक। खं० ८९, पृ० २९२ २९४।

क

कन्ट्रोल आफ रैंट ऐन्ड एविक्शन—

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश टेम्पोरेरी (अमेंडमेंट) विधेयक। खं० ८९, पृ० २९१-२९२।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी)——(द्वितीय संशोधन) विधेयक। खं० ८९, पृ० २६४।

कमलापति तिवारी, श्री—

नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मंत्री के वक्तव्य पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३५२-३५५।

करीमुर्रजा खां, श्री—

नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मंत्री के वक्तव्य पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३५१-३५२।

कार्य तथा भत्ते—

तहसीलदार कन्नौज के—के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० ८९, पृ० ३०६-३०७।

कालीचरण टन्डन, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

कृष्ण चन्द्र, श्री—
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९, पृ० १८६ १९१, १९१-१९३, २३९-२४१।

केन्द्रीय सरकार—
प्र० वि०—राशन में कमी करने के सम्बन्ध में—का आदेश। खं० ८९, पृ० २३२-२३३।

केशव गुप्त, श्री—
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक। खं० ८९, पृ० ३१५-३१७।

ख

खाद्य—
प्र० वि०—देवरिया जिले में—की गंभीर स्थिति। खं० ८९, पृ० २३३।

खानचन्द गौतम, श्री—
सन् १९५० ई० का उतर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक। खं० ८९ पृ० ३२२-३२३।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९, पृ० १९१, २१२२१४, २१५-२२०, २२१, २२६, २६०, २६३, २६४, २६५, २८६, २८८।

खुशवक्त राय श्री,
देखिए "प्रनोत्तर"।
नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मंत्री के वक्तव्य पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३६०।
लखनऊ कज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, हजरतगंज के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३७२।
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा शीर्षक २६, पुलिस तथा अनुदान संख्या ३०; लेखा शीर्षक ४७; विविध विभाग, वाहन विभाग। खं० ८९, पृ० २६-२७।
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९ पृ० ६७, १६९, २१४, २१५, २२१, २२२, २२४, २२५, २२८, २३५, २३९, २४२, २४५, २८६।

सन १५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक। खं० ८९, पृ० ५८, ५९-६०, ६४।

ग

गङ्गासहाय चौबे, श्री—
देखिए "प्रनोशर"
नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में माननीय स्वाशासन मन्त्री के वक्तव्य पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३५५-३५८।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या ११, लेखा शीर्षक २५, सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (कमिश्नर और जिला प्रशासन को छोड़कर)। खं० ८९, पृ० ८-९।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा शीर्षक २६, पुलिस तथा अनुदान संख्या ३०, लेखा शीर्षक ४७, विविध विभाग, वाहन विभाग। खं० ८९, पृ० ३०-३६।

सन् ११६९ ई० का उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक। खं० ८९, पृ० १३८।

गिरधारी लाल, माननीय श्री—

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या १५, लेखा शीर्षक २८, जेल और बन्दी बस्तियाँ। खं०, ८९, पृ० १७, २१, २२, २४।

गोपाल नारायण सक्सेना, श्री—

देखिए "प्रश्नोतर"।

वितीय वर्ष १९५०-५१ ई के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या ११, लेखा शीर्षक २५, सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (कमिश्नर और जिला प्रशासन को छोड़कर)। खं० ८९, पृ० ५-७, १३-१६।

सन १९४७-४८ ई० के विनियोग लेखे और सन् १९४९ ई० की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३३४-३३८।

सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपेलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९, पृ० २४४, २५६-२६२, २६३, २८७, २८८।

सन १९५१ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधयक। खं० ८९, पृ० ५९।

गोविंद वल्लभ पन्त, माननीय श्री—

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या ११ लेखा शीर्षक २५, सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (कमिश्नर और जिला प्रशासन को छोड़कर)। खं० ८९, पृ० १०-१३, १६

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १२, लेखा शीर्षक २५, सामान्य प्रशासन कमिश्नर (और जिला प्रशासन। खं० ८९, पृ० १६, १७)।

[गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री—]

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपेलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९, पृ० २४५-२५५

गोविन्द सहाय, श्री—

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा शीर्षक २९, पुलिस तथा अनुदान संख्या ३०, लेखा शीर्षक ४७, विविध विभाग—वाहन विभाग। खं० ८९ पृ० ४५-५० ।

सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का अनुपूरक विधेयक। खं० ८९, पृ० २०७, २१० ।

च

चतुर्भुज शर्मा, श्री—

सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९, पृ० २६३-२६९ ।

चन्द्रभानु गुप्त माननीय श्री—

लखनऊ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी; हजरतगंज के सम्बंध में उठाये गये प्रश्नों पर विवाद । खं० ८९, पृ० ३६८-३६९, ३७२-३७४ ।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश औषधि नियन्त्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने का) विधेयक। खं० ८९, पृ० २९२, २९४ ।

सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टैम्पोरेरी पावर्स) संशोधन विधेयक। खं० ८९, पृ० १३७, १३८, १३९ ।

सन १९५०ई० का उत्तर प्रदेश, टेम्पोरेरी कन्ट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन अमेंडमेंट विधेयक खं० ८९, पृ० २९१, २९२, २९४।

सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन, (द्वितीय) संशोधन) विधेयक। खं० ८९, पृ० ३०८-३११, ३२९-३३१, ३३२, ३३४ ।

चावल—

प्र० वि०—तहसील चकिया से—के निर्यात पर रोक। खं० ८९, पृ०३०५-३०६ ।

छपाई—

प्र० वि०—असेम्बली तथा कौंसिल की दैनिक कार्यवाही की—। खं० ८९, पृ० ३०४-३०५ ।

ज

जगमोहन सिंह नेगी, श्री—

नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मन्त्री के वक्तव्य पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३४७—३५० ।

ट

टेक्सटाइल—

प्र० वि०—कानपुर तथा रामपुर के—मिलों का रिआर्गेनाइजेशन। खं० ८९, पृ० ३७१ ।

प्र० वि०—हाथरस और आगरा के—मिलों के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० ८९, पृ० ३०१ ।

ट्रैफिक—

प्र० वि०—महामान्य राज्यपाल के जाने पर रुड़की और महेबड़ के मध्य—का बन्द किया जाना । खं० ८९, पृ० १६५ ।

त

तहसीलदार—
प्र० वि०—कनौज के कार्य तथा भत्ते के सम्बन्ध में पूछताछ । खं० ८९, पृ० ३०६-३०७।

त्यागपत्र—
प्र० वि०—लाइट इन्डस्ट्रीज ऐडवाइज़र का—। खं० ८९, पृ० ३०२-३०३।

त्रिलोकी सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

नगर पालिकाओं के निर्वाचन के संबन्ध में माननीय स्वशासन मन्त्री के वक्तव्य पर विवाद । खं० ८९, पृ० ३३९-३४७, ३६१ ।

लखनऊ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, हजरतगञ्ज के संबन्ध में उठाये गये प्रश्नों पर विवाद । खं० ८९, पृ० ३६४-३६८, ३७४ ।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक । खं० ८९, पृ० १७०-१७१, १७३ १७४, १७८-१७९ ।

द

दीनदयालु शास्त्री, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

दुरुपयोग—
कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय झण्डे के—के संबन्ध में कार्य स्थगित करने प्रस्ताव । खं० ८९, पृ० ३०८ ।

द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"

सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९, पृ० २००-२०२, २१४, २१२, २६२, २६३ ।

सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक । खं० ८९, पृ० ९८-१००, १०८ ।

ध

धान की फसल—
प्र० वि०—बनारस जिले में वर्षा के अभाव से—को हानि । खं० ८९, पृ० ३०५ ।

न

नगर पालिकाओं—
—के निर्वाचन के सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मन्त्री के वक्तव्य पर विवाद । खं० ८९, पृ० ३३९-३६४।

नत्थी—
खं० ८९, पृ० ६६, २९५-२९८, ३७६-३७९ ।

नियुक्ति—
प्र० वि०—गोरखपुर नगर-पालिका के संचालक की—। खं० ८९, पृ० ३ ।

निर्वाचन—
नगर पालिकाओं के—के संबन्ध में माननीय स्वशासन मंत्री के वक्तव्य पर विवाद । खं० ८९, पृ० ३३९-३६४ ।

प

परिगणित तथा पिछड़ी जातियाँ—
प्र० वि०—मतदाताओं की सूचीमें—। खं० ८९, पृ० २३१, २३२ ।

पर्सनल असिस्टेंट—
प्र० वि०—माननीय मन्त्रियों के—। खं० ८६, पृ० ३०३-३०४।

पुस्तिकाओं—
प्र० वि०—असेम्बली तथा कौन्सिल की दैनिक कार्यवाही की—की छपाई। खं० ८६ पृ० ३०४-३०५,

पूछताछ—
तहसीलदार, कन्नौज के कार्य तथा भत्ते के सम्बन्ध में—। खं० ८९, पृ० ३०६-३०७।
प्र० वि०—हाथरस और आगरा के टेक्सटाइल मिलों के सम्बन्ध में—। खं० ८९, पृ० ३०१।

पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती—
वित्तीय वर्ष सन् १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या ११, लेखा शीर्षक २५, सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (कमिश्नर और जिला प्रशासन को छोड़कर)। खं० ८९, पृ० १०।
वित्तीय वर्ष सन् १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदान के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १५, लेखा शीर्षक २८, जेल और बंदी बस्तियाँ। खं० ८६, पृ० १७-१९, २२।

प्रकाशवती सूद, श्रीमती—
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९, पृ० २११।

प्रश्नों—
लखनऊ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, हजरतगञ्ज के सम्बन्ध में उठाये गये—पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३६४—३७४।

प्रश्नोत्तर

कालीचरण टन्डन, श्री—
असेम्बली तथा कौंसिल की दैनिक कार्यवाही की पुस्तिकाओं की छपाई। खं० ८९, पृ० ३०४-३०५

खुशवक्त राय, श्री—
देवरिया जिले में खाद्य की गम्भीर स्थिति। खं० ८६, पृ० २३३।
माननीय मन्त्रियों के पर्सनल असिस्टेंट। खं० ८६, पृ० ३०३-३०४।
राशन में कमी करने के सम्बंध में केन्द्रीय सरकार का आदेश। खं० ८९, पृ० २३२-२३३।
लाइट इन्डस्ट्रीज ऐडवाइजर का त्याग-पत्र। खं० ८९, पृ० ३९२-३९३।

गङ्गासहाय चौबे, श्री—
कानपुर तथा रामपुर के टेक्सटाइल मिलों का रिआर्गेनाइजेशन। खं० ८६, पृ० ३०१।
हाथरस और आगरा के टेक्सटाइल मिलों के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० ८६, पृ० ३०१।

गोपाल नारायण सक्सेना, श्री—
खतीमा पावर हाउस हाईडेल प्रोजेक्ट से बिजली तैयार करने की लागत। खं० ८९, पृ० ६९, ७०।

त्रिलोकी सिंह, श्री—
धौलाना ग्राम, जिला मेरठ के मतदाताओं की सूची। खं० ८९, पृ० ३।
विभिन्न क्षेत्रों में नहर द्वारा सिंचाई। खं० ८९, पृ० ७०।

दीनदयालुशास्त्री, श्री—
महामान्य राज्यपाल के जाने पर रुड़की और महेवड़ के मध्य ट्रैफ़िक का बन्द किया जाना। खं० ८९, पृ० १६५।

द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री—
मतदाताओं की सूची में परिगणित तथा पिछड़ी जातियाँ। खं० ८६, पृ० २३१ २३२।
विधान सभा के सदस्यों को टेम्पोरेरी राशन कार्डों पर शकर। खं० ८९, पृ० २३१।

मुहम्मद असरार अहमद, श्री—
तहसीलदार, कन्नौज के कार्य तथा भत्ते के सम्बन्ध में पूछताछ। ख० ८६, पृ० ३०६-३०७।

रामकुमार शास्त्री, श्री—
बस्ती जिले में राजनीतिक पीड़ितों की आर्थिक सहायता। खं० ८९, पृ० ६९।

रामनन्दन सिंह, श्री—
तहसील चकिया से चावल के निर्यात पर रोक। खं० ८९, पृ० ३०५-३०६।
बनारस जिले में वर्षा के अभाव से धान की फसल को हानि। खं० ८९, पृ० ३०५।

श्रीचन्द सिंघल, श्री—
आर्थिक वर्ष १९४९-५० ई० में सरकार की बिक्री-कर से आय तथा बिक्री कर के संबन्ध में अपीलें। खं० ८६, पृ० ३०७-३०८।

सिंहासन सिंह, श्री—
गोरखपुर नगर-पालिका के सञ्चालक की नियुक्ति। खं० ८९, पृ० ३।

प्रस्ताव—
कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय झण्डे के दुरुपयोग के संबन्ध में कार्य स्थगित करने का। खं० ८९, पृ० ३०८।
महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर विधान सभा द्वारा पारित—के सम्बन्ध में महामान्य राज्यपाल का धन्यवाद। खं० ८६, पृ० २३४।

फ

फ़िलिप्स, ई० एम० श्री—
नगर पालिकाओं के निाचन के सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मन्त्री के वक्तव्य पर विवाद। खं० ८९ पृ० ३३९।
लखनऊ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटि सोसाइटी, हजरतगंज के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों पर विवाद। खं० ८६, पृ० ३७३—३७४।
सन् १९५० ई० का उत्तर कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी) पावर्स। (संशोधन) विधेयक। खं० ८६ पृ० १३७, १३८।
सन् १९५०-५१ ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई संबन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक। खं० ८९ पृ० ११०, १११, ११५, १२६, १२७, १२९, १३०, १३१, १३४, ३१५ ३१६।
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा शीर्षक २९, पुलिस तथा अनुदान सख्या ३० लेखा शीर्षक ४७ विविध विभाग वाहन विभाग। खं० ८६, पृ० ५०।

सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (द्वितीय सशोधन) विधेयक। खं० ८९, पृ० ३३२-३३३।
सन १९५०ई०का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९, पृ० १९९, २१०-२११, ११, २१२, २१४।
सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश औषधि नियन्त्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने का) विधेयक। खं० ८९, पृ० २९३।

फूलसिंह, श्री—
सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कण्ट्रोल आफ रेंट ऐण्ड एविक्शन (द्वितीय सशोधन) विधेयक। खं० ८९, पृ० ३२०-३२२

ब

बादशाह गुप्त, श्री—
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा शीर्षक २६, पुलिस तथा अनुदान संख्या ३० लेखा शीर्षक ४७, विविध विभाग, वाहन विभाग। खं० ८९ पृ० ३६-३८।
सन १९५० ई० का मोटर वेहिकिल्स उत्तर प्रदेशीय (संशोधन) विधेयक। खं० ८९, पृ० ८४-८५।

बिक्री-कर—
प्र० वि०—आर्थिक वर्ष १९४९-५० ई० में सरकार की—से आय तथा—के संबन्ध में अपीलें। खं० ८६, पृ० ३०७-३०८।

बिजली—
प्र० वि०—खतीमा पावर हाउस हाइडिल प्रोजेक्ट से—तैयार करने की लागत। खं० ८९, पृ० ६९, ७०।

बेचनराम गुप्त, श्री—
नगर पालिकाओं के निर्वाचन के संबंध में माननीय स्वशासन मन्त्री के वक्तव्य पर विवाद। खं० ८९ पृ० ३४४।

भ

भगवानदीन मिश्र, श्री—
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी। (आकस्मिक अधिकार) विधेयक। खं०८९, पृ०९१,९२।

भगवान सिंह, श्री—
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपेलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९, पृ० २८०।

म

मतदाताओं की सूची—
प्र० वि०—धौलाना ग्राम, जिला मेरठ के—। खं० ८९, पृ० ३।
प्र० वि०—में परिगणित तथा पिछड़ी जातियां। खं० ८६, पृ० २३१-२३२।

मन्त्रियों—
प्र० वि०—माननीय—के पर्सनल असिस्टेंट। खं० ८९, पृ० ३०३-३०४।

मुकुन्द लाल अग्रवाल, श्री—
सन् १९५० ई०का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) धियेक। खं० ८९ पृ० ३११-३१४।

मुहम्मद असरार अहमद, श्री—
"देखिये प्रश्नोतर"

मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री—
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पीरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक। खं० ८९, पृ० १३७।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सबन्धी । आकस्मिक अधिकार) विधेयक । खं० ८६, पृ० ८७, ८८, ९४, ९५, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२१, १२३, १२४, १२५, १२७, १२९, १३०, १३१, १३३, १३५, १३६, १३७ ।

मुहम्मद उबैदुर्रहमान खाँ शेरवानी, श्री—

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक । खं० ८९, पृ० १०१, १०२, १०३-१०६ ।

सन् १९५० ई० का मोटर वेहिकिल्स उत्तर प्रदेशीय (संशोधन) विधेयक । खं० ८९, पृ० ८३, ८८ ।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक । खं० ८६, पृ० २०२-२०४, २०४-२०७ ।

म्युनिसिपैलिटियों—

सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय—का (अनुपूरक) विधेयक । खं० ८६, पृ० १६५-२२८, २३४२९१ ।

र

राजनैतिक पीड़ितों—

प्र० वि०—बस्ती जिले में—की आर्थिक सहायता । खं० ८९, पृ० ६६ ।

राजाराम शास्त्री, श्री—

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा शीर्षक २९, पुलिस तथा अनुदान संख्या ३०, लेखा शीर्षक ४७, विविध विभाग, वाहन विभाग । खं० ८६, पृ० ३८-४५ ।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रैंट ऐन्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक । खं० ८९, पृ० ३१७-३२० ।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक । खं० ८९ पृ० १९३ १९९, १९९-२००, २२३, २७२ ।

राज्यपाल—

महामान्य—के अभिभाषण पर विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के संबन्ध में महामान्य—का धन्यवाद । खं० ८६, पृ० २३४ ।

महामान्य—के जाने पर रूड़की और महेवड़ के मध्य ट्रैफ़िक का बन्द किया जाना । खं० ८९, पृ० १६५ ।

रामकुमार शास्त्री, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"

वित्तीय वर्ष सन १९५० ५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या ११, लेखा शीर्षक २५, सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (कमिश्नर और जिला प्रशासन को छोड़कर) । खं० ८९, पृ० ७-८ ।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १२, लेखा शीर्षक २८, सामान्य प्रशासन, कमिश्नर और जिला प्रशासन । खं० ८९, पृ० १६ ।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ८९, लेखा शीर्षक ७८, जेल और बन्दी बस्तियां । खं० ८६ पृ० २०-२१ ।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रैंट ऐन्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक । खं० ८६, पृ० ३१४-३१५ ।

सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का अनुपूरक विधेयक । खं० ८९, पृ० २८०-२८२ ।

रामनन्दन सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोतर"।

राशन—
प्र० वि०——में कमी करने के संबन्ध में केन्द्रीय सरकार का आदेश। खं० ८६, पृ० २३२-२३३।

राशन कार्डों—
प्र० वि०—विधान सभा के सदस्यों को टेम्पोरेरी—पर शकर। खं० ८६ पृ० २३१।

राष्ट्रीय झंडे—
कांग्रेस पार्टी द्वारा——के दुरुपयोग के संबन्ध में कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव। खं० ८९, पृ० ३०८।

रिआर्गेनाइजेशन—
प्र० वि०—कानपुर तथा रामपुर के टेक्सटाइल मिलों का——। खं० ८९, पृ० ३०१।

रिपोर्ट—
सन १९४७-४८ ई० के विनियोग लेखे और १९४९ ई० की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबन्धित उत्तर प्रदेश पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की ——पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३३४-३३९।

रोक—
प्र० वि०—तहसील चकिया से चावल के निर्यात पर——। खं० ८६, पृ० ३०५-३०६।

रोडवेज—
कानपुर——की हड़ताल के संबंध में कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव। खं० ८६, पृ० ४।

ल

लखनऊ—
—कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, हजरतगंज के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३६४-३७४।

लताफत हुसैन, श्री—
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ९—लेखा शीर्षक १७, १८, १९(ख)—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य। खं० ८९, पृ० २४।

लाइट इन्डस्ट्रीज ऐडवाइजर—
प्र० वि०——का त्याग पत्र। खं० ८६, पृ० ३०२-३०३।

लाल बहादुर, माननीय श्री—
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा शीर्षक २६, पुलिस तथा अनुदान संख्य ३०, लेखा शीर्षक ४७—विविधि विभाग—वाहन विभाग। खं० ८६, पृ० २५, ५१-५५।
सन् १९५० ई० का मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) विधेयक। खं० ८९, पृ० ८२, ८४, ८९, ८६, ८७।
सन १९५० ई० का यू० पी० मेंटिनेन्स आफ पब्लिक आर्डर (निवर्तन) विधेयक। खं० ८९, पृ० ८१ ८२।

व

वक्तव्य—
नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सबन्ध में माननीय स्वशासन मंत्री के——पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३३९, ३६४।

विधान सभा के सदस्यों—
प्र० वि०—को टेम्पोरेरी राशन कार्डों पर शकर। खं० ८९, पृ० २३१।

विधेयक—
सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने का)—। खं० ८९, पृ० २६२-२९४।

सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेशीय टेम्पोरेरी कन्ट्रोल आफ रेट ऐन्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन)—। खं० ८९, पृ० २९१-२९२, २९४-३३४।

सन् ११९५० का उत्तर प्रदेश शिक्षा —। खं० ८९, पृ० २९४।

सन. १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपेलिटियों का (अनुपूरक)—। खं० ८९, पृ० २३४-२९१।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन)। खं० ८९, पृ० १३७-१३९।

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग—। खं० ८९, पृ० ५८-६५।

सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि——। खं० ८९, पृ० ७०, ७१।

सन १९५० ई० का कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन) कार्यवाही वैधीकरण——। खं० ८९, पृ० ८०, ८१।

सन् १९५० ई० का मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन)—। खं० ८९, पृ० ८२-८७।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार)—। खं० ८९, ८७-१०२, १०३ १३७।

सन् १९५० ई० का यू० पी० मेंटिनेन्स आफ पब्लिक आर्डर (निवर्तन)। खं० ८९, पृ० ८१, ८२।

सन् १९५० ई० का शिक्षा—। खं० ८९, पृ० १०२।

विवाद—
नगर पालिकाओं के निर्वाचन के संबंध में माननीय स्वशासन मन्त्री के वक्तव्य पर—। खं० ८९, पृ० ३९३-३६४।

लखनऊ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी हजरतगञ्ज के संबन्ध में उठाये गये प्रश्नों पर—। खं० ३६४-३७४।

सन् १९४७-४८ ई० के विनियोग लेखे और सन् १९४९ ई० की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर——। खं० ८९, पृ० ३३४-३३९।

विश्वनाथ राय, श्री—
सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक। खं० ८९, पृ० ११७, ११८, १३२, १३३।

वीरेन्द्र शाह, श्री—
सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई संबन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक। खं० ८९, पृ० १०८, १११, ११२, ११६, ११७ ११८, ११९, १२०, १२१, १२२ १२५।

श

शकर—

प्र० वि०—विधान सभा के सदस्यों को टेम्पोरेरी राशन कार्डों पर—। खं० ८९, पृ० २१।

शिक्षा—

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश विधेयक। खं० ८९, पृ० २६४।

श्रीचन्द सिंघल, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पो-(रेरी) कन्ट्रोल आफ रेण्ट ऐण्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक। खं० ८९, पृ० ३२६-२८।

स

सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर

कानपुर रोडवेज की हड़ताल के संबन्ध में कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव। खं ८९, पृ० ४।

सन् १९४७-४८ ई० के विनियोग लेखे और सन् १९४९ ई० की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३३४, ३३८-३३९।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक। खं० ८९, पृ० ७०, ७१।

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक। खं० ८६, पृ० ५८, ६०।

सन् १९५० ई० का शिक्षा विधेयक। खं० ८९, पृ० १०२।

साजिद हुसैन, श्री—

सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९, पृ० २६६-२७२।

सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई संबन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक। खं० ८९, पृ० १०८, १०९, ११०।

सिंचाई—

प्र० वि० विभिन्न क्षेत्रों में नहर द्वारा—। खं० ८९, पृ० ७०।

सिंहासन सिंह, श्री

देखिये "प्रश्नोत्तर"

सन १९० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९, पृ० २४१-२४४ २४५।

सुदामा प्रसाद, श्री—

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ६, लेखा शीर्षक १७, १८, १९ (ख), राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य। खं० ८९, पृ० २५।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा शीर्षक २९, पुलिस तथा अनुदान संख्या ३०, लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग——वाहन विभाग। खं० ८९; पृ० २७-२८, ५५।

सुल्तान आलम ख़ाँ, श्री—

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १५, लेखा शीर्षक २८, जेल और बन्दी बस्तियाँ। खं० ८९, पृ० २०-२१।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश टेंपो-) रेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐन्ड ऐविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक। खं० ८९, पृ० ३२३-३२६।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) विधेयक। खं० ८९, पृ० १७९-१८६, २१२।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई संबन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक। खं० ८९, पृ० ८९, ९०, ९१, १२२, १२३, १२५, १२७, १२८, १२९।

सोसाइटी—

लखनऊ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव— हजरतगंज के संबन्ध में उठाये गये प्रश्नों पर विवाद। खं० ८९, पृ० ३६४-३७४।

स्थानिक प्रश्न

आगरा—

हाथरस और——के टेक्सटाइल मिलों के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० ८९, पृ० ३०१।

कन्नौज—

तहसीलदार——के कार्य तथा भत्ते के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० ८९, पृ० ३०६—३०७।

कानपुर—

——तथा रामपुर के टैक्सटाइल मिलों का रिआर्गेनाइजेशन। खं० ८९, पृ० ३०१।

खतीमा—

——पावर हाउस हाइडिल प्रोजेक्ट से बिजली तैयार करने की लागत। खं० ८९, पृ० ६९, ७०।

गोरखपुर—

——नगरपालिका के संचालक की नियुक्ति। खं० ८९, पृ० ३।

चकिया—

तहसील——से चावल के निर्यात पर रोक। खं० ८९, पृ० ३०५-३०६।

देवरिया—

——जिले में खाद्य की गंभीर स्थिति। खं० ८९, पृ० २३३।

मौलाना ग्राम—

——जिला मेरठ के मतदाताओं की सूची। खं० ८९, पृ० ३।

[रासायनिक प्रश्न]

बनारस —

——जिले में वर्षा के अभाव से धान की फसल को हानि। खं० ८९, पृ० ३०५।

बस्ती —

—— जिले में राजनीतिक पीड़ितों की आर्थिक सहायता। खं० ८६ पृ० ६९।

रामपुर—

कानपुर तथा——के टेक्सटाइल मिलों का रिआर्गेनाइजेशन। खं० ८६, पृ० ३०१।

हाथरस—

——और आगरा के टेक्सटाइल मिल के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० ८९, पृ० २०।

ह

हड़ताल—

कानपुर रोडवेज की—के सम्बन्ध में कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव। खं० ८६, पृ० ४।

हानि—

प्र० वि०-बनारस जिले में वर्षा के अभाव से धान की फसल को ——। खं० ८९, पृ० ३०५।

हुकुम सिंह, माननीय श्री—

सन् १९० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई संबन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक। खं० ८९, पृ० १२०।
